पंचदश माला, खंड 12, अंक 23

गुरुवार, 26 अगस्त, 2010

4 भाद्रपद, 1932 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

Acc. No. ...
Dated 31 Jan 2012

(खण्ड 12 में अंक 21 से 26 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डॉ. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

प्रमेश कुमार शर्मा
अपर निदेशक

सुमन रतन
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

कावेरी जेसवाल
सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय सूची

पंचदश माला, खंड 12, पांचवां सत्र, 2010/1932 (शक)

अंक 23, गुरुवार, 26 अगस्त, 2010/4 भाद्रपद, 1932 (शक)

विषय	**कॉलम**
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
मदर टेरेसा की जन्मशती	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 421 से 425	2-36
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 426 से 440	36-65
अतारांकित प्रश्न संख्या 4824 से 5053	65.408
सभा पटल पर रखे गए पत्र	409-412
राज्य सभा से संदेश	
और	
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	412
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
चौथा प्रतिवेदन	412-413
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति	
चौथा और पांचवां प्रतिवेदन	413
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति	
12वां प्रतिवेदन	413
कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	414-415
कार्य मंत्रणा समिति	
21वां प्रतिवेदन	415

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री के.एच. मुनियप्पा 416

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित तेल और गैस के वैकल्पिक स्रोतों के विकास के लिए रणनीति के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री जितिन प्रसाद 416-417

लोक हित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010 418

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित रोयापुरम रेलवे स्टेशन का आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन 421-422

(दो) नई दिल्ली-लखनऊ और इलाहाबाद-नई दिल्ली मार्ग पर चलने वाली दूरंतो ट्रेन में मूलभूत सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

राजकुमारी रत्ना सिंह 422

(तीन) तमिलनाडु के शिवकासी तालुक में पटाखा कारखाने में अचानक लगी आग की घटना में मारे गए पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को समुचित मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री मानिक टैगोर 423

(चार) महाराष्ट्र के गढ़चिरौली-चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के धर्मस्थल, मार्कण्ड देवस्थान को राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे 423-424

(पांच) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को तुरंत उपचार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री पन्ना लाल पुनिया 424-425

विषय **कॉलम**

(छह) कर्नाटक में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित मॉडल स्कूलों को पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री आर. ध्रुवनारायण 425

(सात) राजस्थान में हनुमानगढ़ से फलोदी बरास्ता अनुपगढ़-खजुवाला-गौडु तक के मेगा हाइवे प्रोजेक्ट के निर्माण को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल 426

(आठ) महाराष्ट्र में सोलापुर जंक्शन और तुलजापुर के बीच रेल सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीपाद येसो नाईक 426-427

(नौ) अधिसूचना में से निकाले गए, यायावरी और अर्द्ध-यायावरी जनजातियों से संबंधित रेणके आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री देवजी एम. पटेल 427-428

(दस) उत्तर प्रदेश के हरदोई में चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने तथा उत्तर प्रदेश, कानपुर के घाटमपुर में चीनी मिल का प्रचालन शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सचान 428

(ग्यारह) पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफलाइटिस के प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री रमाशंकर राजभर 428-429

(बारह) कोयले पर रायल्टी मूल्य आधारित रूप से बिक्री मूल्य के 20% की दर से नियत किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब 430

(तेरह) महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हिरण अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री चंद्रकांत खैरे ....

(चौदह) छोटे और मझौले शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यू.आई. डी.एस.एस.एम.टी.) के अंतर्गत तमिलनाडु के सलेम जिले में इडापाडी म्यूनिसिपल टाऊन में साराबंगा नहर पर एक सड़क पुल के निर्माण हेतु निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री एस. सेम्मलई 431

विषय **कॉलम**

(पन्द्रह) छोटे स्टॉल होल्डरों और वेंडरों के हितों की रक्षा के लिए नई रेलवे खान-पान नीति, 2010 की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पांडा 431-433

नियम 193 के अधीन चर्चा

जम्मू और कश्मीर में स्थिति

श्री गुरुदास दासगुप्त 433-442

डॉ. मुरली मनोहर जोशी 442-461

डॉ. गिरिजा व्यास 461-471

श्री शैलेन्द्र कुमार 471-474

श्री शरद यादव 474-482

श्री दारा सिंह चौहान 482-485

डॉ. मिर्जा महबूब बेग 485-489

श्री पी. करुणाकरन 489-493

श्री तथागत सत्पथी 493-497

श्री चंद्रकांत खैरे 497-501

श्री असादूद्दीन ओवेसी 201-207

श्री सी. राजेन्द्रन 507-508

डा. रतन सिंह अजनाला 508-511

डॉ. फारूख अब्दुल्ला 511-518

कार्य मंत्रणा समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ....

नालन्दा विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 विचार करने के लिए प्रस्ताव 518

श्रीमती परनीत कौर 518

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 519-525

डॉ. गिरिजा व्यास 525-532

श्री शैलेन्द्र कुमार 532-535

डॉ. बलीराम 535-536

विषय **कॉलम**

श्री कौशलेन्द्र कुमार 536-539

शेख सैदुल हक 540-543

श्री तथागत सत्पथी 543-546

श्री एस. सेम्मलई 546-547

श्री जगदानंद सिंह 547-549

श्री नरहरि महतो 549-550

डॉ. भोला सिंह 550-552

श्री मोहम्मद असरारूल हक 552-558

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 559-561

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 561-563

डॉ. तरुण मंडल 563-564

श्री प्रेम दास राय 564-565

श्री ओम प्रकाश यादव 565-566

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 566-569

खंड 2 से 44 और 1 569

पारित करने के लिए प्रस्ताव 569

शिक्षा अधिकरण विधेयक, 2010 570

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री कपिल सिब्बल 570-574

डॉ. मुरली मनोहर जोशी 574-588

श्री सन्दीप दीक्षित 588-594

श्री शैलेन्द्र कुमार 595-597

श्री विजय बहादुर सिंह 598-603

श्री मंगनी लाल मंडल 603-605

श्री जे. हेलन डेविडसन 605-606

श्री पी.के. बिजू 607-609

श्री मोहन जेना 609-614

विषय **कॉलम**

डॉ. संजीव गणेश नाईक 614-615

श्री के. सुगुमार 615-617

श्री बिभू प्रसाद तराई 617-618

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 618-620

डॉ. के.एस. राव 621-624

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 624-625

डॉ. तरुण मंडल 625-633

खंड 2 से 55 और 1 633

पारित करने के लिए प्रस्ताव 633-650

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 651-652

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 652-660

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 661-662

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 662-664

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 26 अगस्त, 2010/4 भाद्रपद,1932 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*)

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

मदर टेरेसा की जन्मशती

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, आज मदर टेरेसा की जन्मशती है। उन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चेरिटी की स्थापना की थी और पैंतालीस वर्ष तक गरीबों, बीमार लोगों और अनाथों की सेवा की। उनके मानवीय कार्यों के लिए उन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार तथा 1980 में भारत रत्न का सम्मान दिया गया।

यह सभा इस महान मानवतावादी तथा उदात्त आत्मा की जन्मशती पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी (धार): अध्यक्ष महोदया, मध्य प्रदेश में सारी चिकित्सा सेवाएं ठप्प हो गयी हैं।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: इस विषय को हम बाद में ले लेंगे।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न सं. 421 - डा. रतन सिंह अजनाला उपस्थित नहीं हैं। नियम में संशोधन के अनुसार यह प्रश्न अब सभा पटल पर रखा जाएगा।

प्रथम पूरक प्रश्न पूछा जाएगा। क्या कोई प्रथम पूरक प्रश्न पूछना चाहता है?

श्री आर. ध्रुवनारायण प्रथम पूरक प्रश्न पूछें।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर सेवाओं की आउटसोर्सिंग

***421. डा. रतन सिंह अजनाला:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मुंबई और दिल्ली विमानपत्तनों पर विभिन्न कार्यकलापों को आउटसोर्स किया है;

(ख) यदि हां, तो आउटसोर्स किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रयोजनार्थ क्या प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं;

(ग) क्या नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसियों की नियुक्ति में अनियमितताएं बरतने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) एअर इंडिया तथा इसकी अनुषंगी एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (ए.आई.ए.टी.एस.एल.) ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के लिए यात्रियों/बैगेज की व्यापक रूप से हैंडलिंग, सिक्योरिटी स्टॉफ एवं क्रू के परिवहन, एसी यूनिटों का अनुरक्षण, वाटर कूलर, जी.सी.यू. एवं वाहनों, विमान की सफाई, लोडिंग/ऑफ लोडिंग तथा अन्य उड़ान संबंधी गतिविधियों, सॉफ्टवेयर की सर्विसिंग एवं डाटा पंचिंग आदि कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से श्रमशक्ति/सेवा ठेके के आधार पर आऊटसोर्स किया है।

(ग) से (ङ) तीन शिकायतें मिली हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(i) सुरक्षा सेवाओं को हाइरिंग के लिए की गई

निविदा में अनियमितता संबंधी शिकायत जनवरी, 2009 को प्राप्त हुई थी। प्रक्रिया में कमियों का निवारण करने के पश्चात इस पर कार्रवाई की गई।

(ii) सुविधा प्रबंधन सेवाओं (एफ.एम.एस.) के लिए निविदा में एक बोलीदाता से दिनांक 29-07-2009 तथा 04-08-2009 को तकनीकी मूल्यांकन के स्तर पर शिकायतें मिली थीं। इस पर विधिवत विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि इस निविदा को बंद कर दिया जाए एवं इस कार्य के लिए पुनर्निविदा आमंत्रित किए जाने की कार्रवाई की जाए।

(iii) एफ.एम.एस. कार्य के लिए पुनर्निविदा किए जाने पर टर्नओवर मानदंड पर ली गई आपत्तियों से संबंधित तीन वेंडरों से पुनः शिकायतें मिलीं। तीनों वेंडरों में से किसी भी वेंडर ने निविदा के लिए प्रयुत्तर नहीं दिया। इस मामले को सक्षम प्राधिकारी के अवलोकन हेतु भेज दिया गया और सम्यक तत्परता के पश्चात निविदाओं पर आगे कार्यवाही की गई और उसे अंतिम रूप दिया गया।

श्री आर. ध्रुवनारायण: महोदया, यद्यपि मैसूर हवाई अड्डे का उद्घाटन दो महीने पहले हो चुका है, लेकिन इसका प्रचालन अभी शुरू नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यहां प्रचालन कब शुरू हो जाएगा और यहां से उड़ान कब शुरू होगा।

श्री प्रफुल पटेल: महोदया, मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न बिल्कुल नहीं उठता। हम अपने राष्ट्रीय एयर लाइन में अस्थायी कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। इसलिए, यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदया: यह बिल्कुल सही है। आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री आर. थामराईसेलवन: महोदया, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के 53 हवाई अड्डे प्रचालन में हैं जिनमें से 47 देश में नियमित उड़ानों के लिए प्रयुक्त होते हैं। मुझे यह ज्ञात हुआ कि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के केवल पांच हवाई अड्डों ने अभी तक डी.जी.सी.ए. से लाइसेंस प्राप्त किया है और शेष बिना किसी वैध लाइसेंस के प्रचालन में है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बिना लाइसेंस प्राप्त इन हवाई अड्डों को शीघ्र लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कोई निदेश दिए गए हैं जिससे कि हाल में मैंगलोर में हुई घटना की तरह होने वाली घटनाओं से भविष्य में बचा जा सके।

श्री प्रफुल पटेल: पुनः, यह इस प्रश्न के दायरे से बिल्कुल अलग है।

चूंकि, माननीय सदस्य लाइसेंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ यही बता सकता हूं कि यद्यपि कुछ हवाई अड्डों को लाइसेंस दिया गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य हवाई अड्डे डी.जी.सी.ए. से प्राप्त समुचित आदेश के बिना ही चल रहे हैं। पूरे देश में सभी हवाई अड्डों को लाइसेंस प्राप्त है अथवा नहीं वे अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के मानकों को पूरा कर रहे हैं और अन्य तकनीकी तथा अन्य रूप से सुरक्षित हैं।

जहां तक मैंगलोर हवाी अड्डे की बात है, दुर्घटना की तिथि को निश्चित रूप से यह लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा था।

[हिन्दी]

श्री नृपेन्द्र नाथ राय: महोदया, मेरी कांस्टीट्वेंसी है कूच बिहार। पहले वहां विमान चलते थे, दिसंबर, 1992 में वे बंद हो गए। फिर उधर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विमान चलाने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया। केन्द्र सरकार तथा माननीय मंत्री जी राज्यों की मांग से वर्ष 2007-2008 में सहमत हुए। वहां पर एयरपोर्ट और उसके डवलपमेंट के लिए 35 करोड़ रुपए भी दिए गए और वे पैसे खर्च भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां विमान सेवा शुरू नहीं हो पाई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कूच बिहार में विमान सेवा कब तक शुरू हो पाएगी?

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल: महोदया, पुनः यह प्रश्न बिल्कुल भी इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, कृपया संगत प्रश्न पूछिये।

श्री प्रफुल पटेल: मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि जहां तक हमारा संबंध है, कूच बिहार एयरपोर्ट प्रचालन के

लिए तैयार है और यहां से प्रचालन के लिए किसी भी इच्छुक एयरलाइन को अनुमति प्रदान करने में हमें बहुत खुशी होगी।

अध्यक्ष महोदया: धन्यवाद, श्री गुरुदास दासगुप्त।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, निजीकरण और विकास के हिस्से के रूप में पूरे उत्साह के साथ मंत्री महोदय ने आउटसोर्सिंग की योजना शुरू कर दी है। यह बिल्कुल सही है। उनसे मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है। कितने लोगों, जो इस समय स्थायी नौकरी में हैं अथवा ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, की इस आउटसोर्सिंग के कारण छटनी की जाएगी और उन्हें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति दी जाएगी?

श्री प्रफुल पटेल: अध्यक्ष महोदया, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आउटसोर्सिंग मेरे उत्साह के कारण नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर यदि संगठन को अपने कुछ कार्यों के लिए बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है, तो वह समय-समय पर ऐसा करते रहे हैं। आउटसोर्सिंग का यह मतलब नहीं है कि यह उन लोगों की क्षमता या जरूरतों का प्रतिविम्ब है जो संगठन में कार्यरत हैं। इस समय...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं स्थायी और ठेके पर कार्यरत, दोनों, कर्मचारियों के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री प्रफुल पटेल: उनके बारे में क्या पूछना चाहते हैं?

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं स्थायी और ठेका कर्मचारी, दोनों, के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री प्रफुल पटेल: उनके बारे में क्या पूछना चाहते हैं?

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अलायंस में अधिकांश ठेका कर्मचारी हैं।

श्री प्रफुल पटेल: नहीं, परिभाषा से ठेका कर्मचारी नियमित कर्मचारी नहीं है। इसलिए, जो स्थायी कर्मचारी हैं वे स्थायी कर्मचारी बने रहेंगे और किसी भी स्थायी कर्मी को नौकरी से हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्रताप सिंह बाजवा: महोदया, एन.ए.सी.आई.एल. विभिन्न हवाई अड्डों पर श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए निजी पार्टियों को ठेका दे रहे हैं। ठेके पर काम करने वाली निजी कम्पनियां अपना लाभ अधिकतम करने के लिए उन नए स्नातकों या स्नातकोत्तरों को काम पर लगा रही है या उनको रोजगार प्रदान कर रही है जिनके पास विभिन्न हवाई अड्डों पर प्रचालन के लिए आवश्यक तकनीकी या व्यावसायिक ज्ञान नहीं है। चूंकि ठेकेदार कम्पनियों द्वारा नियुक्त लोगों के पूर्व-वृत्त का सत्यापन नहीं किया जाता, इससे हवाई अड्डों पर बड़ा खतरा पैदा हो जाता है जो एक संवेदनशील क्षेत्र है। इसके बावजूद एयरलाइनों की यह शिकायत होती है कि चूंकि ठेका कम्पनियों द्वारा नियुक्त श्रमशक्ति के पास व्यावसायिक दक्षता नहीं होती, उनके अपने कर्मचारी सारा काम करते हैं। उन्होंने इस संबंध में गंभीर शिकायतें भी दर्ज कराई हैं।

क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि ठेका कम्पनियों के अकुशल कर्मचारी से न केवल सुरक्षा को खतरा है बल्कि अमृतसर हवाई अड्डे पर लाखों रुपये मूल्य के सामान की चोरी करते हुए वे रंगे-हाथों पकड़े गए हैं? 16 अगस्त, 2010 को सी.आई.एस.एफ. ने एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी, एफ.आई.आर. सं. 38, जब तम्बाकू युक्त कुछ निर्यात को अफगानिस्तान भेजा जा रहा था। क्या उनको इस बात की जानकारी है कि इन कर्मचारियों द्वारा यात्रियों की सामानों की नियमित रूप से चोरी हो रही है जिसके कारण गुम सामानों को लेकर बहुत बवाल हो रहा है तथा लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यही पूछना चाहता हूं।

श्री प्रफुल पटेल: संगत प्रश्न यह है कि क्या विमानपत्तनों पर ठेके पर अथवा अन्यथा कार्यरत व्यक्तियों से सुरक्षा को कोई खतरा तो नहीं है। है तो इसका उत्तर यह है कि कोई व्यक्ति भारत में किसी विमानपत्तन के परिसर में तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उसे पुलिस विभाग/गृह मंत्रालय से स्वीकृति नहीं मिल जाती और जब तक हमें स्वीकृति नहीं मिलती तब तक नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो किसी व्यक्ति को विमानपत्तन परिसर में प्रवेश अथवा कार्य करने के लिए पास नहीं देगा। मुझे विश्वास है कि यह ऐसा सुरक्षोपाय है जिसका पूरी तरह पालन किया जाता है तथा जिसके अनुपालन पर पूरी तरह बिना किसी विपयन के ध्यान दिया जाता है।

अन्य मामले के संबंध में यदि सामान की चोरी के कुछ मामले सामने आते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि संबंधित व्यक्ति या संबंधित मामले को जांच हेतु स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाता है। यदि अमृतसर

विमानपत्तन के संबंध में माननीय सदस्य किसी अतिरिक्त जानकारी के बारे में जानना चाहेंगे तो मैं निश्चित रूप से अमृतसर विमानपत्तन पर तैनात नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों से यथासंभव सतर्क रहने के लिए कह दूंगा।

रेशम उद्योग को बढ़ावा देना

***422. श्री पोन्नम प्रभाकर:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेशम उद्योग के विकास के लिए ग्यारहवीं योजना की शेष अवधि हेतु राज्य सरकारों के परामर्श से कोई कार्ययोजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में रेशम को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड की भूमिका और कार्यकलापों का विस्तार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र की किस भूमिका पर विचार किया गया है?

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार, देश में रेशम उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से एक केंद्रीय प्रायोजित योजना अर्थात 'उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.)' कार्यन्वित कर रही है। यह कार्यक्रम कृषि प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी के अभिनवीकरण, कोया पश्चात अवसंरचना, रीलिंग एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के उन्नयन को बढ़ावा देता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड अनुसंधान एवं विकास सहायता प्रदान करने के लिए रेशम उद्योग के विकासार्थ नोडल एजेंसी है। यह वाणिज्यिक रेशम कीट बीजों के उत्पादन के लिए राज्य सरकारों को बुनियादी बीज सहायता भी प्रदान करता है।

(ख) और (ग) रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राज्य-वार वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है। तदनुसार तैयार की गई कार्य योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए कार्यान्वित की जाएगी।

(घ) और (ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केंद्रीय रेशम बोर्ड, केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, केंद्रीय रेशम बोर्ड को हाल ही में नव अधिसूचित केंद्रीय रेशम कीट बीज समिति, हाइब्रिड आथोराइजेशन समिति और पंजीकरण समिति को प्रशासित करने के अधिकार दिए गए हैं। बोर्ड को पंजीकृत उद्यमियों के माध्यम से रेशम कीट बीजों के वितरण को नियंत्रित करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है।

(च) उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) तथा स्व सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को समूहों विकास एजेंटों के रूप में संबद्ध किया गया है। रेशम उद्योग बिना किसी प्रतिबंध के निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खुला है।

श्री पोन्नम प्रभाकर: अध्यक्ष महोदया, जैसाकि सभा जानती है कि रेशम सभी प्रकार के वस्त्रों में प्रमुख वस्त्र है और ऐतिहासिक रूप से भारत के सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है। भारत विभिन्न प्रकार के रेशम का उत्पादन करता है जिनमें मलबरी, तसर, ईरी और मूगा के नाम प्रमुख हैं। यह जानकर बड़ा दुख होता है कि हम इसका अब तक पूरा लाभ नहीं उठा पाए हैं। आज रेशम कीट पालन उद्योग लगभग 700000 से अधिक परिवारों को रोजगार देता है जिसमें से अधिकांश कर्नाटक, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में हैं और कुछ हद तक असम और पश्चिम बंगाल में हैं। कर्नाटक में देश के कुल रेशम उत्पादन का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। निसंदेह, रेशम कीट पालन एक ऐसा उद्योग है जो कि किसानों के लिए लाभकारी है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि रेशम उत्पादक कच्चे रेशम के आयात पर प्रतिबंध चाहते हैं ताकि उनकी उपज के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकें जबकि निर्यातक कच्चे रेशम का आयात चाहते हैं ताकि वे प्रतिस्पर्दी दरों पर अधिक रेशम उत्पादों का निर्यात कर पाएं। यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि इसका पूरा लाभ उठाया जा सके और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भागीदारी

वर्तमान के मुकाबले और अधिक सक्रियता के साथ बढ़ सकें और इसके लिये ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में आन्ध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र में करीमनगर जैसे पिछड़े जिलों में क्षेत्रीय रेशम केंद्र स्थापित किये जा सकें?

श्री दयानिधि मारन: माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा है कि क्या हम रेशम के आयात की अनुमति दे रहे हैं। यद्यपि भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने का दावा करता है फिर भी हमें अपने उपभोग का 30 प्रतिशत से अधिक का आयात करना पड़ता है और मूलतः हम रेशम के आयात को अनुमति देते हैं। वास्तव में, हम उच्च श्रेणी वाले रेशम के आयात की अनुमति दे रहे हैं। हम निम्न स्तर वाले रेशम के आयात की अनुमति नहीं दे रहे हैं। वास्तव में, अब हमने निम्न श्रेणी के रेशम के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया है जो कि हमारे उत्पादन के साथ सीधे प्रतिस्पर्द्धा करता है। यह भी देखा गया है कि हमारा रेशम उत्पादन किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुआ है।

माननीय सदस्य ने यह भी पूछा कि क्या करीम नगर में रेशम कीटपालन की कोई विकास योजनाएं आ रही हैं। हम अब सफलतापूर्वक आन्ध्र प्रदेश विशेषकर करीमनगर में रेशमकीट पालन की योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं और करीम नगर में तसर रेशम उत्पादन के अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं।

श्री पोन्नम प्रभाकर: महोदया, चीन के बाद भारत अपरिष्कृत रेशम का दूसरा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। मैं माननीय मंत्री से सहमत हूं। इसमें चीन का अंशदान 82 प्रतिशत है जबकि भारत का अंशदान 15 प्रतिशत है। भारत ने वर्ष 2009-10 के दौरान 19,00,690 मी.ट. उत्पादन किया परंतु हमने अब भी 12,00,450 मी.ट. अपरिष्कृत रेशम का आयात किया है। जब यह स्थिति है तो मलबरी रेशम के किसानों द्वारा उत्पादन में वर्ष 2002 के दौरान लगभग 194 लाख हेक्टेयर से वर्ष 2010 के दौरान घटकर 183 लाख हेक्टेयर हो गया है। यदि ऐसी ही स्थिति बनी रहती है तो हमें अपना विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करके अपनी घरेलू जरूरतों के लिए अधिक मात्रा में अपरिष्कृत रेशम आयात करना पड़ सकता है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि किसानों को अपनी भूमि का अन्य फसलों को न उगाने अथवा अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग न करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, मौजूदा प्रोत्साहनों के अतिरिक्त इस स्थिति को बनाए रखने हेतु और क्या प्रोत्साहन देने की योजना बनाई जा रही है।

श्री दयानिधि मारन: जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है परंतु हमारे देश में रेशम का सबसे अधिक उपयोग भी होता है, चीन से भी अधिक, हम उत्पादन हेतु भारी मात्रा में रेशम का उपयोग करते हैं और इसमें से अधिकांश का निर्यात किया जाता है। जैसाकि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, हां, हम अपने देश में मलबरी रेशम के उत्पादन क्षेत्र को घटता हुआ देख रहे हैं। इसका मुख्य कारण हमारे देश में बड़े पैमाने पर हो रहा शहरीकरण है। वास्तव में, दो वर्षों पूर्व हमने 10,000 हेक्टेयर भूमि जिस पर मलबरी रेशम का उत्पादन हो रहा था कम हो गई और उसका मूल कारण कर्नाटक में बेंगलुरू के निकट देवनहल्ली में नए विमानपत्तन का निर्माण था। वह रेशम उत्पादन हेतु बहुत अच्छा और प्रमुख क्षेत्र था। जिस समय वहां विमानपत्तन बना, जो मलबरी रेशम उत्पादन क्षेत्र के ठीक बीचोंबीच था रियल एस्टेट विकास का बहुत सा कार्य हुआ। इससे केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निरंतर संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जब कभी हम अधिक क्षेत्र को रेशम कीट पालन के अंतर्गत लाते हैं तो हमें शहरीकरण के कारण भी काफी क्षेत्र गंवाना पड़ता है।

यह एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वास्तव में, हम अधिक से अधिक किसानों को रेशम उत्पादन में लाने का अभियान चला रहे हैं। यह केंद्रीय रेशम बोर्ड का प्रमुख कर्तव्य है। वास्तव में, केंद्रीय रेशम बोर्ड का उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम अभियान ही है। परियोजना का पचास प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय रेशम बोर्ड, 25 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकारों और 25 प्रतिशत हिस्सा किसानों द्वारा दिया जाता है। हमने देखा है कि पुराने रेशम अधिनियम में संशोधन करके हम रेशम के 170 रुपये प्रति कि.ग्रा. के राजस्व को बढ़ाकर 250 रु. कर पाए हैं। हम सभी पहल कर रहे हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। हम कोई चमत्कार नहीं कर सकते क्योंकि इस कार्यकलाप में कृषि भी सम्मिलित है। कृषि के बाद बीज आता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह सोच के बारे में है। हम इसमें सुधार करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे यहां,

महाराष्ट्र के चन्द्रपुर में, 100 एकड़ भूमि में, रेशम के कीड़ों की खेती हुआ करती थी, लेकिन उसे इसलिए बंद किया गया कि प्रदूषण के कारण, कीड़े मर जाते थे और वह वातावरण खेती के लिए लाभदायक नहीं था। जब मैंने इस बारे में लोक सभा में प्रश्न पूछा था तो जवाब में यही आया था कि इस वजह से बंद किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ऐसी हालत वहां नहीं है, वहां निजी क्षेत्रों में भी अनेक किसान रेशम के कीड़ों की खेती करते हैं। अतः मेरी सरकार से प्रार्थना है कि क्या सरकार पुनः उस केन्द्र को प्रारम्भ करने के लिए कोई प्रयास करेगी?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारनः महोदया, रेशम उत्पादन अधिकांशतः निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। यह सच है कि प्रत्येक राज्य सरकार का रेशम उत्पादन विभाग है और हम राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को रेशम उत्पादन शुरू करने हेतु प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। चूंकि यह किसी अन्य कृषि कार्यकलाप की तरह नहीं है जहां किसान सिर्फ बीज बोता है और फसल करता है, यह एक अनुशासित प्रक्रिया है। बीजरोपण की प्रक्रिया में हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि वहां जीवित कृमि होता है और वह कृमि रोग द्वारा प्रभावित हो सकता है। इस प्रक्रिया में हमने देखा है और हम पाते हैं कि किसान नियमित कृषि कार्यकलाप को बदलकर तत्काल रेशम उत्पादन शुरू करने में थोड़े अनिच्छुक होते हैं। हम यह भी महसूस करते हैं कि अधिक विपणन कार्यकलापों की आवश्यकता है। संभवतः प्रत्येक क्षेत्र में रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदया जी, आजादी के 6 दशक बाद भी इस देश का बुनकर तबाह और बर्बाद हो रहा है। उन बुनकरों की तरफ भारत सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। चीन से बंगला देश के माध्यम से रेशम की स्मग्लिंग हो रही है और बिचौलियों के द्वारा बुनकरों को रेशम महंगे दामों पर दिया जा रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश में चाहे बनारस हो, मुबारकपुर हो या यू.पी. के और दूसरे क्षेत्र हों, सारे क्षेत्रों में बुनकर काम करता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इस स्मग्लिंग को रोकने के लिए, रेशम की उत्पादक क्षमता को बढ़ाकर के रियायती दरों पर बुनकरों को रेशम उपलब्ध कराने का काम करेंगे, जिससे यहां का बुनकर भुखमरी का शिकार न हो, खुशहाल हो।

दूसरे प्रश्न का बी-पार्ट है कि उत्तर भारत में एक भी रेशम बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। इसलिए उत्तर भारत में या तो भारत सरकार, सीधे राज्य सरकार से प्रस्ताव लेकर, सीधे राज्य को पैसा दे, या उत्तर भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश, जो बहुत बड़ा बुनकरों का इलाका है, वहां रेशम बोर्ड गठन करने का कार्य करे, यही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारनः महोदया, यद्यपि यह प्रश्न से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। हम मानते हैं कि एक ओर तो हम देश में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देना चाहते हैं तथा दूसरी ओर हम पाते हैं कि बुनकर, विशेषतः वाराणसी में, ज्यादा से ज्यादा रेशम की मांग कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा अच्छे रेशम की अनुपलब्धता का है। हमने इसे समझ लिया है। इस वर्ष में, वस्त्र मंत्रालय अपने सरकारी उपक्रमों के माध्यम से चीन से 2000 टन रेशम का आयात करेगा जिसे न केवल वाराणसी बल्कि कांजीपुरम और रेशम का प्रयोग करने वाले अन्य क्षेत्रों में बुनकरों को बेचा जायेगा।

श्री ओ.एस. मणियनः महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं। हथकरघा बुनकरों और उद्योग के सामने काफी, समस्यायें विशेषतः बुनकर सहकारी समिति से लिए गए ऋण को वापस करने में आ रही हैं। क्या सरकार हथकरघा उद्योग को मौजूदा संकट से बचाने के लिए उसे दिया गया समस्त ऋण माफ करने के लिए आगे आएगी?

श्री दयानिधि मारनः माननीय सदस्य राज्य से ही हैं, यद्यपि उनका प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि भारत सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्रीमती अन्नू टन्डनः यह वस्त्रों के संबंध में है और श्री दारा सिंह जी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसे पहले ही पूछ चुके हैं,

[हिन्दी]

लेकिन हिंदुस्तान में जब टैक्सटाइल की चर्चा होती है, तो सबसे पहले हिंदुस्तानी औरत के मन में बनारस की रेशम की साड़ियां आ जाती है। मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से इन्हें पसंद करती हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार: लेकिन आप रेशम की साड़ियां नहीं पहनती हैं।

श्रीमती अन्नू टन्डन: मैं स्वयं भी रेशम की साड़ियां पहनती हूं। मैं बनारस की रेशम की साड़ियों की प्राचीनतम कला को बढ़ावा देने की इच्छा रखती हूं, परन्तु हिंदुस्तान में रेशम के धागे की कमी, जिसके बारे में मंत्री जी ने भी चर्चा की है और इस वजह से बनारस की इस कला के लिए जिसकी कमी है, उसे पूरा करने के लिए चीन से रेशम का धागा इम्पोर्ट किया जाता है। माननीय सदस्य ने स्मगलिंग की बात कही है, लेकिन इसे इम्पोर्ट भी किया जाता है। दुख की बात यह है कि इसका जो इम्पोर्ट होता है, उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी चीन से आने वाले सिल्क के कपड़े की कीमत से भी ज्यादा है। इसका असर यह होता है कि हथकरघे से बनने वाले रेशम के कपड़े चीन से इम्पोर्ट होने वाले कपड़े से महंगे होते हैं। मंत्री जी ने एंटी डम्पिंग ड्यूटी की बात जरूर कही है, लेकिन इसे बुनकरों और प्राचीनतम कला का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं।

महोदया, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि क्या इस अनियमितता को दूर करने का कोई प्रयास किया जा रहा है? बनारसी रेशम की साड़ियां रेशम के इम्पोर्ट की वजह से चीनी कपड़े से भी महंगी हो जाती हैं। क्या भारतीय उत्पादन एवं आवश्यकता के अंतर को कम करने या दूर करने का कोई प्रयास किया जा रहा है? इसके साथ मैं एक और प्रश्न पूछना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदया: आप कृपया एक ही सवाल पूछिए।

श्रीमती अन्नू टन्डन: महोदया, यह इसी का पार्ट है। भारत सरकार हमारे बुनकरों के लिए पहले से अधिक रेशम के धागों को इम्पोर्ट करने का या सब्सीडाइज करने की कोई बात सोच रहे हैं? मंत्री जी ने जो एक बहुत अहम बात आर्ट सिल्क के बारे में कही है। बनारस की कला को बचाने के लिए सरकार क्या कोई ऐसी पालिसी बना रही है कि आर्ट सिल्क को बढ़ावा न दिया जाए और केवल सिल्क को ही बढ़ावा दिया जाए?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को उत्तर देना चाहता हूं। जैसा कि पहले बताया गया है, ऐसी शिकायत है कि चीन से हमारे देश में कुछ रेशम की तस्करी हुई है। मूलतः, हम अपने घरेलू उद्योग को बचाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हम रेशम की उत्कृष्ट किस्म का उत्पादन नहीं करते हैं। इसलिए हमने पाटन-रोधी शुल्क लगाया है ताकि हमारा घरेलू क्षेत्र बच सके। लेकिन, फिर भी बुनकरों, विशेषतः बनारस, कांजीपुरम और हमारे तमिलनाडु के बुनकरों की भी चिंताएं हैं कि उन्हें उत्तम गुणवत्ता वाले धागे की आवश्यकता है और तस्करी के कारण उन्हें आयात करने में अत्यधिक कठिनाई होती है और कालाबाजारी करने वाले भी कठिनाई उत्पन्न करते हैं। इसे समाप्त करने के लिए वस्त्र मंत्रालय बनारस और कांजीपुरम के बुनकरों को बिक्री के लिए 2,500 मीट्रिक टन उत्तम गुणवत्ता वाला रेशम आयात करेगा ताकि वे उत्तम गुणवत्ता वाली साड़ियां निर्मित कर सकें और मुझे उम्मीद है कि मैं सदस्या को एक अच्छी बनारसी साड़ी पहन कर आते हुए देखूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री जी क्या आप उन्हें एक साड़ी भेंट करना चाहेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: रामकिशुन जी आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)**

श्री रामकिशुन: वे भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप कृपया बैठ जाएं। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे: रेशम उद्योग में कामगारों के रूप में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रेशम उद्योग के लिए पश्चिम बंगाल एक प्रसिद्ध स्थल बन चुका है। रेशम उद्योग में ये महिला कामगार अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वंचित हैं। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है। मैं माननीय मंत्री से 2008-09 में इस योजना के क्रियान्वयन के समय इसमें शामिल की गई महिला कामगारों की संख्या जानना चाहती हूं।

श्री दयानिधि मारन: देश में रेशम उत्पादन में कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल का तीसरा स्थान है। इस मंत्रालय में केन्द्रीय रेशम बोर्ड इस क्षेत्र की केवल महिला कामगारों को बीमा योजनाएं प्रदान करता रहा है।

इस समय, मेरे पास यह ब्यौरा उपलब्ध नहीं है; चूंकि यह पूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है, मैं माननीय सदस्या को यह ब्यौरा अवश्य भेज दूंगा।

प्राकृतिक गैस का आवंटन

+

***423. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:**
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत वाणिज्यिक उपयोग हेतु गैस आवंटन को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना के अंतर्गत गुजरात सहित देश में छोटे और मध्यम उद्यमों को गैस की आपूर्ति के लिए कार्यविधि को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) के तहत गैस के वाणिज्यिक उपयोग से संबंधित मुद्दों के संबंध में निर्णय लेने के लिए गठित शक्तिप्रदत्त मंत्री समूह (ई.जी.ओ.एम.) ने इन विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संबंध में निर्णय लिए जिन्हें के.जी. डी6 से गैस की आपूर्ति की जाएगी। व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं:-

1. राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का उत्पादन करने वाले मौजूदा गैस आधारित उर्वरक संयंत्र।
2. मौजूदा गैस आधारित एल.पी.जी. संयंत्र।
3. उन तरल ईंधन संयंत्रों, जो अभी तरल ईंधन पर चल रहे हैं और प्राकृतिक गैस का उपयोग शुरू कर सकते हैं, सहित मौजूदा गैस आधारित विद्युत संयंत्र और वर्ष 2009-10 में चालू किए जाने वाले संयंत्र।
4. घरेलू और परिवहन क्षेत्रों को आपूर्ति के लिए नगर गैस वितरण (सी.जी.डी.) कंपनियां।
5. मौजूदा गैस आधारित इस्पात संयंत्र (केवल फीडस्टाक के लिए और निजी विद्युत आवश्यकता के लिए नहीं)।
6. मौजूदा गैस आधारित पेट्रो रसायन संयंत्र (केवल फीडस्टाक के लिए और निजी विद्युत आवश्यकता के लिए नहीं)।
7. मौजूदा रिफाइनरियां।
8. 50,000 एस.सी.एम.डी. (मानक घन मीटर प्रति दिन) तक खपत करने वाले वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र के ग्राहकों को आपूर्ति के लिए सी.जी.डी. कंपनियां।
9. निजी विद्युत संयंत्र।

(ग) और (घ) ई.जी.ओ.एम. द्वारा दिनांक 27-10-2009 को हुई अपनी बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार 2.165 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम.एम. एस.सी.एम.डी.) केजी डी6 गैस फालबैक आधार पर नगर गैस वितरण (सी.जी.डी.) कंपनियों को उनके उन औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को आपूर्ति करने के लिए आबंटित की गई है जिनकी प्राकृतिक गैस की कुल खपत (के.जी. डी6 गैस सहित) 50,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन (एस.सी.एम.डी.) से अधिक नहीं होती है। उपर्युक्त आबंटन में से 0.875 एम.एम.एस.सी.एम.डी. की मात्रा गुजरात राज्य में सूरत, भरूच, अंकलेश्वर, गांधीनगर, मेहसाना, साबरकांठा और बड़ोदरा क्षेत्रों में अपने औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को आपूर्ति करने के लिए मैसर्स गुजरात गैस कंपनी लि.

(जी.जी.सी.एल.), मैसर्स साबरमती गैस लि. और गेल (इंडिया) लि. को आबंटित की गई है।

वर्तमान में केजी डी6 उत्पादन लगभग 60 एम.एम.एस. सी.एम.डी. है। अतः ई.जी.ओ.एम. निर्णयों के अनुसार पहले ही कर दिए गए 63.715 एम.एम.एस.सी.एम.डी. के पुष्ट आबंटन को ध्यान में रखते हुए उल्लिखित फालबैक आबंटनों के लिए संविदाकार द्वारा सी.जी.डी. कंपनियों के साथ जी.एस.पी.एज पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे मुझे बड़ी खुशी हुई है लेकिन देश के अंदर के.जी.डी. 6 ब्लॉक में गैस मिलने के बाद जो उपलब्धता हुई है, वह बढ़ गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो स्थिति हमारी वर्ष 2009 में थी, 2010 में क्या स्थिति बनी है और जो यह गैस मिली है, उससे आज कितनी मात्रा में गैस बढ़ी हुई है और देश की अर्थव्यवस्था पर उसका क्या असर होगा?

श्री जितिन प्रसाद: अध्यक्ष महोदया, जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है, मैं सदन और माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष के मुताबिक 80 प्रतिशत गैस के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और इसकी प्रमुख वजह के.जी.डी. 6 गैस जिसका माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं, वह गैस भारत में मिली है और इसका एमपॉवर्ड ग्रुप ने बड़े सोच-समझकर फैसला लिया है क्योंकि भारत की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। इसलिए प्रायोरिटी सैक्टर्स बनाये गये हैं जिन पर यह गैस दी गई है और प्राथमिकता पर फर्टिलाइजर सैक्टर रखा गया है। आज की तारीख में जितने भी भारत में फर्टिलाइजर्स प्लांट हैं, उन सबको गैस उपलब्ध कराई जा रही है और इस गैस को उपलब्ध कराने की वजह से जो फायदे हुए, उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि फर्टिलाइजर सैक्टर को 76 लाख टन यूरिया का ज्यादा उत्पादन हुआ है जो कि 4000 करोड़ रुपये की मुनाफा सेविंग यानी बचत सरकार को हुई है।

दूसरी प्राथमिकता में पॉवर सैक्टर भी है जहां पर काफी मात्रा में के.जी.डी. 6 बेसिन से गैस दी गई है। वहां पर उस पॉवर सैक्टर को गैस देने की वजह से 10,000 मेगावॉट बिजली का अधिक उत्पादन हुआ है जिससे करीब 11,000 करोड़ रुपये का मुनाफा पॉवर सैक्टर को होगा। इसी तरीके से और भी एल.पी.जी. यूनिट्स को और स्टील इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो आपकी सी.एन.जी. है, ट्रांसपोर्ट है और पैट्रो कैमिकल्स है और छोटे उद्योगों को भी गैस उपलब्ध कराई गई है ताकि देश में और बढ़ोतरी हो पाए।

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: अध्यक्ष महोदया, देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो गैस की डिमांड है, उसके लिए सरकार क्या करने जा रही है और खासकर गुजरात के बारे में मैं पूछना चाहूंगा। गुजरात एक विकासशील राज्य है जहां 1500 लघु उद्योग आज गैस की कमी के चलते हुए बंद होने के कगार पर हैं। दो दिन से गुजरात से डेलीगेशन आया है। मुझे और गुजरात के सारे एमपीज से वह डेलीगेशन मिल रहा है। अगर लघु उद्योगों को गैस नहीं मिली तो कम से कम 15 लाख लोग गुजरात के जो लघु उद्योगों में काम करते हैं, वे बेकार हो जाएंगे। इसलिए खासकर मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि गुजरात के जो लघु उद्योगकार हैं जो आपसे भी शायद मिले होंगे, उनको तात्कालिक प्रभाव से गैस सरकार कब तक उपलब्ध कराएगी और गुजरात के 15 लाख मजदूरों को जिनकी रोजी-रोटी छिनने के कगार पर है, उनको बचाने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री जितिन प्रसाद: अध्यक्ष महोदया, जहां तक गुजरात का सवाल है, मैं माननीय सदस्य की परेशानी समझ सकता हूं। जहां तक गैस का सवाल है, मैंने पहले ही बताया कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है मगर फिर भी जितना गैस का उत्पादन भारत में हो रहा है, उसकी करीब 40 प्रतिशत गैस गुजरात प्रदेश में इस्तेमाल की जा रही है तथा कोशिश यह भी है कि और भी गैस जैसे-जैसे उपलब्ध होगी, गुजरात को प्राथमिकता दी जाएगी। वहां के बहुत छोटे-छोटे उद्योगों का जिक्र किया गया है जहां पर लोगों को परेशानी है और जहां पर उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा, वह मैं समझ सकता हूं। लेकिन फिर भी चूंकि गैस का उत्पादन कम है और माननीय सदस्य भी सहमत होंगे कि फर्टिलाइजर्स सैक्टर जो किसानों से संबंधित रहता है, उसको प्राथमिकता देने के बारे में विचार हमारी सरकार का है और जो पॉवर सैक्टर है, जो बिजली का उत्पादन है, वह भी हमारी सरकार की प्रायोरिटी है। उन्हें हम लोगों ने प्राथमिकता पर गैस उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। एल.पी.जी. जो घर-घर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होती है, उस सैक्टर

को भी प्राथमिकता दी गई है। इसलिए माननीय सदस्य जो छोटे उद्योगों की बात कर रहे हैं, वे भी सरकार के प्रायोरिटी सैक्टर में हैं मगर प्राथमिकता सूची में वे 8वें नंबर पर आते हैं। इसलिए जैसे-जैसे गैस उपलब्ध होगी, खास तौर से गुजरात का ख्याल रखा जाएगा क्योंकि सरकार की प्राथमिकता सूची में गुजरात है क्योंकि बहुत से उद्योग वहां पर हैं और जैसे मैंने बताया कि देश की 40 प्रतिशत गैस गुजरात में ही इस्तेमाल हो रही है। गुजरात में दो टर्मिनल्स भी एल.एन.जी. टर्मिनल दहेज में और हजीरा में बनाये गये हैं। विदेश से गैस आए और वहां के लोग तथा वहां के छोटे उद्योग उसका इस्तेमाल कर सकें। गुजरात में चूंकि वहां टर्मिनल है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी सबसे कम लगती है और इससे गुजरात के छोटे उद्योगों को फायदा मिलेगा। वहां के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, यही मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला - अनुपस्थित।

प्रो. रामशंकर: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आगरा में ताजमहल होने के कारण वहां जितने उद्योग-धंधे थे, वे पूरी तरह से बंद हो गये। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरी तरह से बंद होने से वहां बड़ी संख्या में नौजवान बेरोजगार हैं। वहां पर कोई उद्योग-धंधा नहीं चल सकता है। केवल प्राकृतिक गैस से छोटे उद्योग धंधे चल रहे थे, लेकिन प्राकृतिक गैस के 60 प्रतिशत दाम बढ़ने के कारण अब वे बंद होने के कगार पर हैं। फिरोजाबाद और आगरा दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण और कोई उद्योग धंधा और किसी से नहीं चल सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहां जो प्राकृतिक गैस की कमी है, क्या उसकी आगरा और फिरोजाबाद में भरपाई होगी और जो दाम बढ़े हुए हैं, क्या वे दाम कम होंगे? इस पर माननीय मंत्री जी का आगरा की जनता के लिए क्या विचार है और आगरा में जो दस लाख मजदूर हैं, उनके लिए सरकार क्या सोच रही है?

श्री जितिन प्रसाद: जहां तक आगरा का सवाल है, मैं सदस्य जी की भावना समझ सकता हूं। आगरा में ताजमहल ट्रेपेजियम जोन के अन्तर्गत आता है जहां सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि कोई भी कोयला और दूसरे तरह का जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, वह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस वजह से दिल्ली और मुम्बई में भी यही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गैस लोगों को उपलब्ध कराई जाए ताकि वहां के उद्योग इस पर चल पाएं। जहां तक दाम के सवाल के बारे में आपने कहा है, जो ए.पी.एम. गैस थी, जिस दाम पर दी जा रही थी, उस पर ऑयल कंपनीज को बहुत घाटा हो रहा था और वे दाम जो ए.पी.एम. के पहले थे, उसकी अगर क्रूड ऑयल से तुलना की जाए तो 12 डॉलर क्रूड ऑयल के बराबर आ रहा था जबकि क्रूड ऑयल के दाम 70 डॉलर हैं। अतः इसे बढ़ाना जरूरी हो गया था। आगरा या कहीं भी नए उद्योगों में नौजवानों के रोजगार के अवसरों की बात है, नए उद्योग आएंगे तो उन्हें महंगी गैस मिलेगी जबकि पुराने उद्योगों को सस्ती गैस मिल रही है। इस तरह से वहां नए उद्योग पनप नहीं पाएंगे और उन्हें बराबर कम्पीटिशन करने का मौका नहीं मिलेगा। यही वजह रही है कि गैस के दाम बराबरी पर लाए गए हैं। वहां प्रयास भी किया जा रहा है। मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं और नौजवान भी हूं। मैं आगरा के लिए खास प्रयास कर रहा हूं कि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। वहां लोगों को गैस मिले, इसका प्रयास किया जाएगा।

श्री हरीश चौधरी: महोदया, मेरे लोक सभा बाड़मेर में 20 से 25 प्रतिशत डोमेस्टिक क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन की संभावना है। बाड़मेर में ओ.एन.जी.सी. और केन को यह ब्लॉक मिला था। हमें इतने दिनों से अखबारों के माध्यम से पता चल रहा है कि न्यू लाइसेंस पॉलिसी के अंदर करार हुआ था जिसमें पूरी भागीदारी (रॉयल्टी) 30 प्रतिशत ओ.एन.जी.सी. को मिलने के बावजूद 100 परसेंट रॉयल्टी ओ.एन.जी.सी. को देनी पड़ रही थी। ओ.एन.जी.सी. को 30 प्रतिशत भागीदारी के बावजूद नुकसान हो रहा था। वहां केन एनर्जी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही थी। हमें अखबारों के माध्यम से पता चला कि वेदांता कंपनी ने केन एनर्जी को एक्वायर कर लिया। हमें पिछले एक महीने से लगातार सरकार की तरफ से जो सुनने को मिल रहा है कि केन एनर्जी के वेदांता द्वारा एक्वीजिशन में सरकार की स्वीकृति नहीं हुई है। कल ही मंत्री महोदय ने बात कही है कि वेदांता को जो काउंटर बिड देनी थी, वह ओ.एन.जी.सी. नहीं दे पाई। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ओ.एन.जी.सी. को जो नुकसान हो रहा है, क्या इसे ध्यान में रखा जाएगा?

श्री जितिन प्रसाद: महोदया, यह सवाल विषय से

संबंधित नहीं है। माननीय सदस्य ऑफिस में आएं, मैं उन्हें बढ़िया कॉफी पिलाकर पूरी बात का ब्यौरा दूंगा, पूरी बात बताऊंगा।

श्री हरीश चौधरी: कॉफी पीने की बात नहीं है। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: शैलेन्द्र कुमार जी प्रश्न पूछ रहे हैं। आप उनके ऑफिस में चले जाइएगा। आप उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

...(*व्यवधान*)

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मंत्री जी ने वक्तव्य में अपनी बात कही है कि मैं भी यूपी का रहने वाला हूं। यूपी में विद्युत की कितनी समस्या है, यह बात आप जान चुके हैं। आगरा के सम्मानित सदस्य ने भी कहा है। दादरी में गैस पर आधारित एक पावर प्रोजेक्ट खुलना था। इसके लिए जमीन बहुत दिनों से अधिग्रहित की गई और वहां थोड़ा-बहुत काम भी हुआ लेकिन भारत सरकार से गैस न मिलने के कारण प्रोजेक्ट तैयार नहीं हो पाया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह दादरी प्रोजेक्ट के लिए गैस आबंटित करेंगे? यदि नहीं तो क्यों? मेरे ख्याल से इसके शुरू हो जाने से उत्तर प्रदेश में तो विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ होगी ही और इसके साथ दूसरे राज्यों को भी सप्लाई दी जा सकती है।

श्री जितिन प्रसाद: महोदया, जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है, जैसा कि मैंने बताया कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। इस वजह से एम्पावर्ड ग्रुप ने प्राथमिकता तय की है। जहां तक पावर प्लांट्स का सवाल है इसमें प्राथमिकता तय की गई है कि मौजूदा प्लांट्स, जो चल रहे हैं उन्हें गैस उपलब्ध कराई जाएगी। देश में जो भी प्लांट्स हैं, उन्हें 70 परसेंट प्लांट लोड फैक्टर, यानी जो उनकी कैपिसिटी है, 100 प्रतिशत नहीं 70 प्रतिशत गैस दी जा रही है। मौजूदा जितने प्लांट्स हैं, उन्हें गैस दी जा रही है और जो पिछले वर्ष लगने की कगार पर थे, उन्हें भी दी जा रही है। जहां तक दादरी प्लांट की बात है, इसे भी पूरी तरह से गैस दी जाएगी। जब वह प्लांट गैस इस्तेमाल करने की स्थिति में आएगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उन्हें गैस उपलब्ध कराई जाएगी।

[अनुवाद]

दिल्ली और मुंबई विमानपत्तनों पर भीड़भाड़

***424. श्री मनीष तिवारी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्रमशः मुंबई और दिल्ली विमानपत्तनों पर एक दिन में कितनी घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय, निजी और चार्टर उड़ानों की आवाजाही होती है;

(ख) विमानपत्तनों पर विशेष रूप से सुबह और शाम के व्यस्त समय में भीड़भाड़ और विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) इन विमानपत्तनों पर क्रमशः आगमन/प्रस्थान और वार्षिक स्लॉट को शासित करने वाले विनियम क्या हैं;

(घ) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने इन विमानपत्तनों पर आगमन और प्रस्थान स्लॉट के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या नागर विमानन महानिदेशालय अपने ही दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है और मनमाने तरीके से स्लॉट स्वीकृत करता है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या इन दोनों विमानपत्तनों पर ओपन/ग्राउंड राडार काम करते हैं; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (झ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) किसी दिन विशेष को मुम्बई तथा दिल्ली हवाई-अड्डे पर हैंडल की गई उड़ानों की कुल संख्या लगभग क्रमशः 690 तथा 710 है।

(ख) शीत एवं ग्रीष्म अनुसूचियों में प्रत्येक अनुसूचित उड़ान को निश्चित डिपार्चर तथा अवतरण समय आवंटित किया जाता है। हवाईअड्डा प्रचालकों सहित स्टेकधारकों के परामर्श से अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन (आयटा) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार स्लॉटों का निर्धारण

किया जाता है। आने वाले प्रत्येक विमान को संबंधित हवाईअड्डे पर अवतरण के लिए उनकी पारी के अनुसार विमान यातायात नियंत्रकों द्वारा अवतरण क्लियरेंस दी जाती है। जब किसी कारण से उड़ानें उन्हें आवंटित निर्धारित अवतरण समय का अनुपालन नहीं कर पाती हैं तो उड़ानों का बंचिंग किया जाता है। ऐसे मामले में विमानों को उनकी बारी के अनुसार अवतरण के लिए वायु क्षेत्र में इंतजार करते हुए घूमना पड़ता है।

बहरहाल, दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों पर व्यस्तता के कारण निम्नानुसार हैं:

(i) वाणिज्यिक तथा तकनीकी कारणों से उड़ानें उन्हें आवंटित निर्धारित अवतरण समय का अनुपालन नहीं कर पाती हैं और तब उड़ानों का बंचिंग किया जाता है।

(ii) कई बार खराब मौसम भी व्यस्तता और उड़ानों के विलंब का कारण बन जाता है।

(ग) से (छ) विलंबों में कमी करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरलाइनों, विमान यातायात नियंत्रण इकाईयों तथा हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा अनुसरण किए जाने हेतु प्रक्रिया पर अक्तूबर, 2009 को विमान परिवहन परिपत्र-10/2009 जारी किया है।

उड़ान अनुसूचियों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधितों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है:

(i) एक घंटे के भीतर डिपार्चर स्लॉटों का समान वितरण जिसमें 10 मिनट में 5 प्रस्थान स्लॉटों से अधिक नहीं होने चाहिए और प्रति घंटे कुल 30 स्लॉट होने चाहिए।

(ii) एयरलाइनों को स्वीकृत अनुसूची के अनुसार प्रस्थान के अनुसूचित समय सहित उड़ान योजना फाईल करनी होगी।

(iii) सामान्यतः प्रस्थान की अनुसूचित समय सहित उड़ान योजना स्वीकृत अनुसूची के अनुसार होनी चाहिए।

(iv) ए.टी.सी. क्लियरेंस के लिए विमान को प्रस्थान के अनुसूचित समय से पूर्व 45 मिनट के भीतर तथा प्रस्थान के अनुसूचित समय से पूर्व 15 मिनटों से पहले क्लियरेंस डिलीवरी यूनिट से संपर्क करना होगा।

(v) विमान को प्रस्थान के अनुसूचित समय से कम से कम 15 मिनट पूर्व पुशबैक तथा स्टार्टअप के लिए सरफेश मूवमेंट कंट्रोल (एस.एम.सी.) से संपर्क करना होगा।

(vi) पुशबैक तथा सटार्टअप के लिए स्वीकृति केवल 5 मिनटों के लिए ही वैध होगी। पुशबैक क्लियरेंस का अनुपालन न करने वाले विमान को वापस सिक्वेंश में भेजा जाए। उपलब्ध स्लॉट के आधार पर उसे नई क्लियरेंस दी जाएगी।

(vii) प्रस्थानों के सिक्वेंश का निर्धारण पॉजीशन और रनवे के प्रवेश बिन्दु में विमान के पहुंचने की तैयारी के आधार पर ए.टी.सी. द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(viii) विमान को रनवे में प्रवेश करने से पूर्व सभी प्रस्थान पूर्व जांचें और केबिन प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी और ए.टी.सी. द्वारा टेकऑफ क्लियरेंस दिए जाते ही रोलिंग आरंभ करनी होगी।

(ix) हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा पार्किंग योजना इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि 20 मिनटों के भीतर प्रस्थान करने वाले 2 विमानों को पार्किंग-बे के समान ब्लॉक में पार्क न किया जाए।

(x) एयरलाइनों द्वारा हवाईअड्डा प्रचालन नियंत्रण केंद्र (ए.ओ.सी.सी.) को पिछले दिन 1800 बजे तक विमान रुटिंग बताना चाहिए ताकि तदनुसार विमान पार्किंग की योजना बनाई जा सके।

(xi) मौसम संबंधी या आपातकाल संबंधी विलंबों के मामले में निगरानी पर्यवेक्षक अधिकारी (डब्ल्यू.एस.ओ.) वैकल्पिक स्लॉटों के आवंटन के लिए उत्तरदायी होगा।

(xii) स्वीकृत टाइम स्लॉट का अनुपालन न करने वाले एयरलाइन्स को अपना क्रम खोने पर अगली अनुसूची में डाल दिया जाएगा।

(ज) और (झ) आई.जी.आई. हवाईअड्डा, दिल्ली पर ग्राउंड राडार कार्यरत है तथा मुम्बई हवाईअड्डे के लिए उपकरण खरीदे गए हैं।

[हिन्दी]

श्री मनीष तिवारी: महोदया, मैं सबसे पहले आपके

माध्यम से मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली और मुम्बई को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि नागर विमानन महानिदेशालय का एक परिपत्र है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली और मुंबई विमानपत्तन से प्रत्येक दो मिनट में एक प्रस्थान होना चाहिए अर्थात 10 मिटन में पांच और एक घंटे में 30 प्रस्थान होने चाहिएं। यह प्रश्न दिल्ली और मुंबई विमानपत्तनों पर भीड़ से संबंधित है।

यह समस्या स्पष्टतः इस परिपत्र के सुचारू रूप क्रियान्वित न होने की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिपोर्ट दर्शाती है कि व्यस्तता के समय दिल्ली और मुंबई विमानपत्तनों से 10 मिनट में 10 प्रस्थान और एक घंटे में 40 प्रस्थान हुए हैं। कभी-कभी पांच वायुयान एक ही समय प्रस्थान करने के लिए निर्धारित होते हैं। मैं नहीं जानता कि ये रिपोर्ट सही हैं अथवा गलत। लेकिन ये रिपोर्ट संचार माध्यमों में आई हैं।

मैं मंत्री महोदय से केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे सभा को यह बताएंगे कि दिल्ली और मुंबई विमानपत्तनों पर पूर्वाह्न 5 से 9 बजे तक और अपराह्न 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक वास्तव में कितने प्रस्थानों की मंजूरी है।

श्री प्रफुल पटेल: महोदया, जो माननीय सदस्य ने दिल्ली और मुंबई विमानपत्तनों पर भीड़ और वहां से प्रति घंटा प्रचालित होने वाले वायुयानों की अनुमत संख्या के बारे में पूछा है, वह सही है।

मुंबई में हमारे पास 'क्रास रनवे' प्रचालन है जो प्रति घंटा 32 तक प्रचालन कर सकता है। यह एक 'क्रास रनवे' है जो एक घंटे में 30 प्रचालन कर सकता है। दिल्ली में मुख्य रनवे खुलने के बाद रनवे की कुल क्षमता 48 प्रचालन प्रति घंटा हो गई है। यदि केवल एक रनवे काम कर रहा हो और यदि कोई तकनीकी अथवा मौसम संबंधी कारण है तो यह 30 प्रचालन प्रति घंटा है। हम कह सकते हैं कि किसी भी निर्दिष्ट घंटे में ज्यादा उड़ानें संचालित होती हैं, जो भी क्षमता है उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। उड़ानों में सामान्यतः केवल प्रचालनात्मक कारणों से ही विलंब नहीं होता बल्कि कभी-कभी तकनीकी और अन्य कारणों से भी होता है। यही कारण है कि डी.जी.सी.ए. ने परिपत्र जारी किया और इसकी पहले मुंबई में और अब दिल्ली में भी कड़ाई से निगरानी की जा रही है जहां सभी एयरलाइन को प्रस्थान से 15 मिनट पूर्व 'पुशबैक' के लिए कहना होता है। इस नए परिपत्र की गत माह की गई समीक्षा से काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। दिल्ली और मुंबई, दोनों स्थानों पर, समय पर आगमन और प्रस्थान की संख्या लगभग 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

अतः, मैं समझता हूं, कि इस परिपत्र के कड़ाई से क्रियान्वयन से, मुझे पूरा विश्वास है - मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भीड़ अतीत की बात हो जाएगी क्योंकि यातायात में वृद्धि होगी, दिल्ली और मुंबई की आवश्यकताओं में वृद्धि होगी और भीड़ होने की संभावना रहेगी - निश्चित ही यह विमानपत्तनों की स्वीकृत क्षमता से अधिक नहीं हो सकती। अंततः सभी उड़ानों के आगमन और प्रस्थान की निगरानी एक 'समय निर्धारण समिति' (स्लॉट कमेटी) करेगी और वे समय की अनुमति तभी देंगे जब क्षमता उपलब्ध होगी और उसके अलावा किसी भी एयरलाइन को समय नहीं दिया जाएगा।

श्री मनीष तिवारी: महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न मुंबई विमानपत्तन पर भू रडार न होने के संबंध में है। माननीय मंत्री ने बताया है कि इसका प्रापण किया जा रहा है। जैसा कि मैं समझता हूं, इसमें गलती भी हो सकती है, कि भू रडार न होने का अर्थ है कि ए.टी.सी. रनवे पर होने वाली गतिविधियों से अनभिज्ञ रहेगा और दिल्ली तथा मुंबई विमानपत्तनों पर आने वाला कोई भी व्यक्ति यही देखेगा कि रनवे पर यातायात में वृद्धि हुई है। बसें, सामान की ट्रालियां, वायुयान और लोग जो चारों ओर घूमते हैं, कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है, इन बसों को चलाने वाले कुछ लोग तो ब्लू लाइन बसों के चालकों को भी शर्मसार कर सकते हैं।

महोदया, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वे दिल्ली और मुंबई विमानपत्तनों पर भू यातायात नियंत्रित करने के लिए 'ट्रैफिक मार्शल' नियुक्त करेंगे अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

श्री प्रफुल पटेल: मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि चूंकि यातायात में वृद्धि हुई है अतः विशेषतः वायुयानों और अन्य गतिविधियों यथा वाहनों और सहायक उपकरणों पर निगरानी रखना महत्वपूर्ण हो गया है।

महोदया, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सर्फेस मूवमेंट राडार सितंबर, 2010 अर्थात अब से एक महीने बाद तक चालू कर दिया जाएगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जबकि इसे चालू किया जा रहा है जमीन पर वायुयान अथवा अन्य उपस्कर को-ट्रैकिंग नहीं की जाती है। मेरा कहना है कि पर्याप्त संख्या में एजेंसियां इन सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं और यातायात के प्रवाह को नियंत्रित कर रही हैं।

तथापि यह कहा जाना उचित नहीं है कि ए.टी.सी. सभी कार्यकलापों को देख नहीं पाता है। ए.टी.सी. टावर का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे कि वह विमानपत्तन के प्रत्येक कोने को 360 डिग्री पर देख सके। इसके बावजूद सर्फेस मूवमेंट राडार को सितंबर, 2010 तक चालू किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं यहां से बोलने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: क्यों, आपकी सीट कहां गई?

श्री गणेश सिंह: मेरी सीट पीछे है।

अध्यक्ष महोदया: आप उस पर बैठिये।

श्री गणेश सिंह: क्या मुझे यहां से बोलने की अनुमति है?

अध्यक्ष महोदया: नहीं, आप अपनी सीट पर बैठ जाइये।

श्री गणेश सिंह: महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली और मुम्बई दोनों हवाई अड्डों से हवाई जहाजों का जो परिचालन होता है, आपने उसमें व्यस्तता का उल्लेख किया है और दोनों हवाई अड्डों से 690-700 हवाई जहाज चलाने की बात कही है। लेकिन देश के कई ऐसे हवाई अड्डे हैं, विशेष रूप से मैं उनका उल्लेख करना चाहता हूं, जहां विदेशी पर्यटकों का आना-जाना होता है। वहां पर ज्यादा भीड़-भाड़ भी नहीं होती। मुश्किल से एक या दो हवाई जहाज चलते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब मौसम की खराबी भी नहीं होती और अन्य कोई तकनीकी कारण भी नहीं होता, फिर भी वहां हवाई जहाज हमेशा विलम्ब से आते-जाते हैं। मैं समझता हूं कि इससे विदेशी पर्यटकों को मन ही मन में कहीं न कहीं यह लगने लगा है कि इनका परिचालन भारत सरकार ठीक से नहीं करा पा रही है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो हवाई अड्डे व्यस्त नहीं हैं, कम से कम वहां जहाज सही समय पर चलें। मैं विशेष तौर पर खजुराहो का उल्लेख करना चाहता हूं। अक्सर देखा जाता है कि खजुराहो में जहाज बहुत विलम्ब से आते-जाते हैं। जबकि वहां कुल मिलाकर एक-दो जहाज ही चलते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां ज्यादा हवाई जहाजों का आना-जाना नहीं होता, क्या उन हवाई अड्डों पर आप समय की पंक्चुएलिटी फिक्स करेंगे? यदि ऐसा नहीं करते तो क्या उन जहाजों पर कोई दंड लगाने का प्रावधान किया गया है?

श्री प्रफुल पटेल: महोदया, मैंने मुम्बई और दिल्ली के बारे में पहले उत्तर में बताया है कि हमारे देश की करीब साठ प्रतिशत हवाई उड़ान सेवाएं मुम्बई-दिल्ली से ओरिजिनेट होती हैं। जब मुम्बई-दिल्ली में विलम्ब होता है तो उसका अन्य हवाई सेवाओं पर एक कास्केडिंग इफैक्ट होता है। जैसा आपने यहां खजुराहो का उल्लेख किया, खजुराहो का विमान दिल्ली से जाता है और इसलिए यदि दिल्ली से आने-जाने में विलम्ब हुआ तो आगे पूरे दिन की हवाई सेवा पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से सुधारित सर्कुलर डी.जी.सी.ए. ने स्वीकार किया है और उसे लागू किया है। उसके माध्यम से केवल मुम्बई-दिल्ली में ही नहीं, बल्कि सारे देश की हवाई सेवाओं पर उसका पॉजिटिव असर हुआ है। मैं आशा करता हूं कि यह केवल मुम्बई-दिल्ली तक ही लागू नहीं रहेगा, इसे हम कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलुरू के जो बड़े हवाई अड्डे हैं, जहां से सेवाओं का ओरिजिनेशन होता है, वहां इसे लागू करने पर काफी मात्रा में हमारे सारे हवाई अड्डों पर तथा हमारी सारी विमान सेवाओं पर उसका सही असर होगा।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदया, हमने देखा कि सभी महानगर विमानपत्तनों पर यात्री और कार्गो यातायात में अत्यंत वृद्धि हुई है। चेन्नई विमानपत्तन पर दिन-प्रतिदिन, हम देख सकते हैं कि कामराज टर्मिनल और अन्ना टर्मिनल इतने अधिक भरे होते हैं जितना कोई टर्मिनल नहीं भरा होता। वास्तव में, यह किसी गांव का बस स्टैंड जैसा नजर आता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि

क्या चेन्नई विमानपत्तन पर चालू विस्तार परियोजना से वर्तमान वृद्धि दर को ध्यान में रखकर यात्री यातायात और कार्गो यातायात वर्ष 2020 तक सुचारू हो जाएगा।

श्री प्रफुल पटेल: वस्तुतः, माननीय सदस्य श्री बालू इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि चेन्नई विमानपत्तन का विस्तार कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। इसका अधिकांश हिस्सा इनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। मुझे यकीन है कि वह इसे मुझसे भी बहुत अधिक बार देखते होंगे। परंतु, निश्चय ही, मैं यह कह सकता हूं कि बड़े पैमाने पर विस्तार कार्य चल रहा है और चेन्नई विमानपत्तन को मुंबई और दिल्ली के विमानपत्तनों जैसे अन्य प्रमुख विमानपत्तनों की तरह अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए उसके उन्नयन पर 2000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

जब हम उन्नयन की बात करते हैं तो यह केवल यात्रियों हेतु नहीं बल्कि कार्गो संचलन हेतु भी होता है। चेन्नई के अंदर और बाहर कार्गो संचालन हेतु काफी विस्तार हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदया, जो सवाल यहां उठाये हैं, मंत्री जी ने कुछ सवालों का तो जवाब दे दिया है लेकिन दिल्ली और मुम्बई, विशेषकर दिल्ली में जब फ्लाइट आती है तो शाम के समय कंजैशन रहता है। लोग हवाई जहाज से इसलिये चलते हैं ताकि वक्त बचे, इसलिये पैसा खर्च करते हैं लेकिन जब भी जहाज आठ बजे, नौ बजे या साढ़े नौ बजे एअरपोर्ट पर आ गया या उसके पहले भी आ गया तो लैंड करने से पहले 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट पूरे एअरपोर्ट का दर्शन कराता है, चारों तरफ घूमता है। उस समय तकलीफ से मन इतना खराब हो जाता है कि जहाज से आने का पूरा मजा ही खत्म हो जाता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो नया रनवे है, वह कब तक बनेगा? सरकार ने एअरपोर्ट प्राइवेट लोगों को भी दे दिया है लेकिन इसके बाद भी यह हाल है जैसा बालू जो कह रहे थे कि बस स्टैंड टाईप लगता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट का जो दिल्ली एअरपोर्ट दर्शन है, यह परिक्रमा कब तक खत्म होगी, इसके लिये माननीय मंत्री जी पक्का-पक्का जवाब दें, वह इधर-उधर की बात न करें।

श्री प्रफुल पटेल: अध्यक्ष महोदया, शरद जी ने जो सवाल परिक्रमा के लिये उठाया है, उसका कहीं न कहीं विराम करना होगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जो समय लगता है, उसका कारण यह है कि टर्मिनल-3 बना है, नया रनवे दूसरे छोर पर बना है। हम इस टर्मिनल-3 को डोमैस्टिक ऑपरेशन के लिए अगले कुछ महीनों में शुरू करेंगे। यह परिक्रमा टी-3 के उस ओर से लेकर अभी वर्तमान डोमैस्टिक टर्मिनल तक आना पड़ता है, वह वहां थम जायेगी और आप 5-7 मिनट में अपने पार्किंग स्टैंड पर टी-3 में पहुंच जायेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारा जो पुराना रनवे है, उस पर अभी काम चालू है, 10-12 साल में रनवे की रीसरफेसिंग, री-कारपेटिंग करने की जो प्रक्रिया है, पुराने रनवे में काम होने की वजह से काफी मात्रा में डायवर्जन्स किये गये हैं, इसलिये नये रनवे से इस रनवे तक आने के लिये समय लगता है लेकिन मैं माननीय सदस्य से निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि 15 या 30 अक्तूबर के बाद आपकी परिक्रमा काफी छोटी हो जायेगी।

श्री संजय निरुपम: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने कंजैशन के दो कारण बताये - एक तो यह कि फ्लाइट्स शेड्यूल पर नहीं जा रही हैं, दूसरा मौसम की खराबी होती है। तीसरा बड़ा कारण यह कि एअरपोर्ट का एक्सपैंशन नहीं हो पा रहा है। मैं मुम्बई एअरपोर्ट के संदर्भ में यह सवाल पूछ रहा हूं। मुम्बई एअरपोर्ट पर 200 एकड़ लैंड में 80 हजार के आसपास झोंपड़े हैं। पिछले चार वर्षों में इसका सर्वे हुआ या नहीं हुआ, क्या होगा, उनकी शिफ्टिंग कब होगी, होगी या नहीं होगी, कितने फ्लैट्स बन रहे हैं, कहां बन रहे हैं? अगर मंत्री जी इस बारे में प्रकाश डालेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी मेहरबानी होगी।

श्री प्रफुल पटेल: अध्यक्ष महोदया, सभी को यह परेशानी मालूम है कि बहुत वर्षों से वहां अतिक्रमण हुये हैं और करीब 80 हजार के आसपास वहां पर झुग्गी-झोंपड़ी बनी हैं, मुम्बई में जिन्हें स्लम्स कहते हैं, वे मुम्बई एअरपोर्ट को काफी मात्रा में बाधित किये हुये हैं। हमने मुम्बई एअरपोर्ट को जब जाइंट वैन्चर में दिया, उसमें हमने एक कंडीशन लगाई है। आप यहां पर एक्सपेंशन करने के समय हर व्यक्ति जिसने उस परिसर में अतिक्रमण किया हुआ है, उन्हें पर्यायी घर महाराष्ट्र सरकार की स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी की जो एस.आर.ए. स्कीम है, उसके माध्यम से जब तक उनका पुनर्वासन नहीं करेंगे तब तक आप उन लोगों को वहां से नहीं हटा सकते हैं। उसी के

तहत अभी वहां पर काम जारी है। पहले 17,000 घरों का निर्माण वहां से एक या डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर कुर्ला में होने जा रहा है और इस वर्ष के अंत तक निश्चित ही उन 17,000, जो पहली लॉट है, उन लोगों को वहां शिफ्ट करने का काम किया जायेगा। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र सरकार के साथ हमारी बैठक हुई और उसमें यह जायजा लिया गया कि इन 17,000 के अलावा दूसरे और 6,000 लोगों के लिए भी इस वर्ष के अंत तक पर्यायी व्यवस्था की जायेगी। उसके बावजूद वहां हमें 50,000 से अधिक परिवारों को और रिहैबिलेट करना जरूरी है। उसके लिए भी महाराष्ट्र सरकार कुछ जमीन का प्रबन्ध करने की कोशिश कर रही है। सभी माननीय सदस्य जानते हैं और सभी माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर बहुत कम समय में लोगों का पुनर्वासन करना, यह आसान काम नहीं है। वह भी मुंबई जैसे शहर में, जहां विस्थापित लोग चाहते हैं कि हम जहां रहते हैं, हमारा उसके आस-पास ही पुनर्वासन किया जाये। इसीलिए मुंबई में हम दूसरे हवाई अड्डे के लिए भी काफी मात्रा में कोशिश कर रहे हैं। मेरे सहयोगी साथ यहां बैठे हुए हैं, हम दोनों मिलकर, कदम से कदम मिलाकर नये हवाई अड्डे के निर्माण के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और हम बहुत आतुर हैं।

[अनुवाद]

इस्पात का आयात

+

***425. श्री विलास मुत्तेमवार:**

श्री प्रबोध पांडा:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस्पात के उत्पादन, उसकी खपत, उपलब्धता और स्टॉक का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा और मूल्य के विभिन्न प्रकार के इस्पात का आयात किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किन-किन देशों से यह आयात किया गया और इसके फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(घ) क्या इस आयात से घरेलू इस्पात उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार बढ़ते स्टॉक का निपटान करके घरेलू इस्पात उद्योग की किस प्रकार से सहायता करेगी?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) वर्ष 2009-10 और अप्रैल-जुलाई, 2010-11 की अवधि के दौरान परिसज्जित इस्पात के उत्पादन, खपत, उपलब्धता और स्टॉक के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(मिलियन टन)

	2009-10	2010-11 (अप्रैल-जुलाई)
उत्पादन	59.69	19.98
खपत	56.48	19.99
उपलब्धता (उत्पादन + आयात-निर्यात)	63.75	22.78
स्टॉक	1.31 (1-4-10 के अनुसार)	1.62. (1-8-10 के अनुसार)

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अप्रैल से जुलाई, 2010-11) के दौरान प्रमुख श्रेणियों के इस्पात के आयात की मात्रा और मूल्य नीचे दिया गया है:-

	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (अप्रैल-जुलाई)	
	मात्रा (मिलियन टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)	मात्रा (मिलियन टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)	मात्रा (मिलियन टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)	मात्रा (मिलियन टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अर्ध परिसज्जित	0.357	617	0.580	1979	0.423	812	0.213	487

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हॉट रोल्ड क्वॉयल	2.947	8079	2.293	9901	2.939	7551	1.568	4837
अन्य हॉट रोल्ड स्टील	1.481	5905	1.046	6282	0.903	3605	0.510	1646
कोल्ड रोल्ड क्वॉयल	0.821	2220	0.710	3057	0.882	2802	0.489	1670
बार्स एंड रॉड्स	0.437	1307	0.433	1692	0.588	1804	0.263	881
अलॉय स्टील	0.457	3429	0.588	4620	1.054	4616	0.378	2346
अन्य	0.529	2307	0.189	3183	0.507	4433	0.246	1574
योग	7.029	23864	5.839	30714	7.296	25623	3.667	13441

(ग) जिन प्रमुख देशों से इस्पात का आयात किया गया है उनके ब्यौरे आयात की मात्रा के रूप में नीचे दिए गए हैं। आयातों का कुल मूल्य भारतीय रुपए में पहले ही उपरोक्त भाग (ख) में दिया जा चुका है।

(मिलियन टन)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अप्रैल-जुलाई)
चीन	1.842	1.516	1.012	1.438
पूर्वी यूरोपीय देश	0.773	0.423	1.562	0.618
जापान	0.551	0.624	0.629	0.294
कोरिया	0.929	1.063	1.186	0.449
अन्य देश	2.934	2.213	2.907	0.868
योग	7.029	5.839	7.296	3.667

(घ) और (ङ) इस्पात के आयात में वृद्धि स्पष्टत: देश में इस्पात की मांग में वृद्धि होने के कारण हुई है। वर्ष 2009-10 की अवधि के दौरान देश में परिसज्जित इस्पात की खपत बढ़कर 7.9 प्रतिशत हो गई है जबकि इसके उत्पादन में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, वर्ष 2010-11 में अप्रैल से जुलाई की अवधि के दौरान इस्पात की खपत में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इसके उत्पादन में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सामान्यत: घरेलू बाजार में इस्पात की अतिरिक्त मांग की पूर्ति आयातों के माध्यम से की जा रही है। कोई स्पष्ट प्रतिकूल प्रभाव अभी तक नजर नहीं आया है।

(च) 01-08-2010 में इस्पात की कुल स्टॉक स्थिति 1.62 मिलियन टन अर्थात 10 दिनों का उत्पादन, है जो कि एक औसत मानक है। तथापि, मंत्रालय देश में इस्पात के उत्पादन, उपलब्धता, उपभोग, आयात और कीमत पर पूरी नजर रख रहा है और मंत्रालय जब भी आवश्यक हो, यथोचित कार्रवाई करेगा।

श्री विलास मुत्तेमवार: अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में प्रतिवर्ष इस्पात क्षेत्र में विकास के बावजूद घरेलू व्यापारी निरंतर सरकार को यह कहते हुए अभ्यावेदन क्यों दे रहे हैं कि इस्पात का आयात उनके पास इस्पात के भंडार लगाने जमा होने का कारण है और वे अपने उत्पादों को

घाटे पर बेचने को बाध्य हैं? इस संबंध में, मैं यह जानना चाहूंगा कि घरेलू इस्पात उत्पादकों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और इस्पात उत्पादकों की व्यावहारिक और वास्तविक कठिनाइयों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें विशेषकर तब जब वर्तमान आर्थिक मंदी में मौजूदा आर्थिक स्थिति का सामना करने हेतु घरेलू उद्योग को सरकार द्वारा प्रत्येक संभव सहायता उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

इस्पात मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): अध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि गत दो वर्षों में भारत में इस्पात आयात में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। जैसे ही घरेलू अर्थव्यवस्था मार्च, 2009 के आस-पास वाली वैश्विक आर्थिक मंदी के साये से उबर चुकी है। देश में इस्पात की खपत में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि के सीमित होने के कारण घरेलू बाजार में इस्पात की खपत में वृद्धि को उन अन्य इस्पात उत्पादक देशों से आयात करके पूरा किया गया जहां पर अधिशेष क्षमता थी।

यद्यपि इस्पात के आयात में प्रतिशत में अधिक वृद्धि हुई है फिर भी इस्पात आयात की अधिक चिंता नहीं है क्योंकि कुल तैयार इस्पात की खपत अभी कम है। यह दर्शाता है कि देश में इस्पात खपत के अधिकांश भाग को घेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है और इसका थोड़ा भाग ही आयात के द्वारा पूरा किया जा रहा है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं स्टेकहोल्डर्स से कभी-कभी मिलता रहा हूं। उनकी जो भी कठिनाइयां हैं, उन्होंने उनके बारे में मुझ से चर्चा की है और जहां तक मेरा मानना है तो वे पूरी तरह संतुष्ट हुए हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री विलास मुत्तेमवार: महोदया, माननीय मंत्री के लिखित उत्तर में विस्तृत उत्तर दिया गया है। परंतु आज, भारत की इस्पात की वृद्धि दर चीन की 13.5 प्रतिशत की तुलना में 207 प्रतिशत है। अपने उत्पादन में वृद्धि करने हेतु न केवल मौजूदा इस्पात संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है बल्कि अन्य उत्पादकों को भी प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। मुख्य कारण संसाधनों का अभाव बताया गया है।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल लगभग समाप्त हो चुका है। कृपया संक्षेप में बोलिये।

श्री विलास मुत्तेमवार: इस कारण इस्पात उद्योग उपभोक्ताओं की घरेलू मांग को पूरा करने में असमर्थ है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि उत्पादन को प्रोत्साहन देने, महत्वपूर्ण मूल्यवर्धित उत्पादों में वृद्धि करने और आयात को हतोत्साहित करके उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर इस्पात उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री जी कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री वीरभद्र सिंह: इसका उत्तर यह है कि हमें देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ाना होगा। इस दिशा में, हम सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में समुचित कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पास सरकारी क्षेत्र में इस्पात मिलों के आधुनिकीकरण तथा क्षमता में वृद्धि करने की वृहत योजना है। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में भी उत्पादन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इस्पात के 56 मिलियन टन के उत्पादन के स्थान पर आज हम 72 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं और वर्ष 2012 तक हमें 120 मिलियन टन का लक्ष्य प्राप्त करने की आशा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

नए वस्त्र पार्क

***426. श्री रवनीत सिंह:**
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित वस्त्र पार्क योजना से विश्वस्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं से युक्त वस्त्र पार्कों की स्थापना में सहायता मिलती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्य-वार और वर्ष-वार कितने वस्त्र पार्क स्थापित किए गए और वे कब तक पूर्णतया काम करना शुरू कर देंगे;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने ऐसे और अधिक वस्त्र पार्कों की स्थापना के प्रस्ताव भेजे हैं;

(ङ) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) और (ख) जी, हां। विशेष उद्देशीय तंत्र (एस.पी.वी.) के माध्यम से सार्वजनिक-निजी आधार पर विश्व स्तरीय अवसंरचना सृजित करने हेतु सरकारी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एस.आई.टी.पी.) वर्ष 2005 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत भारत सरकार की सहायता 40 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत के 40% की सीमा तक अनुदान अथवा साम्या के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में स्वीकृत किए गए वस्त्र पार्कों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। एस.आई.टी.पी. के तहत कार्यान्वयन की निर्धारित अवधि परियोजना के अनुमोदन से 30-36 महीने है।

(घ) जी, नहीं। एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एस.आई.टी.पी.) के तहत प्रस्ताव उद्योग संघों/उद्यमी समूहों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एस.आई.टी.पी.) के तहत स्वीकृत किए गए वस्त्र पार्कों की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	स्वीकृति वर्ष
1.	आर.जे.डी. एकीकृत वस्त्र पार्क लि.	गुजरात	2008-09
2.	डीसन इंफास्ट्रक्चर प्रा. लि.	महाराष्ट्र	2008-09
3.	एसमीता इंफ्राटेक प्रा. लि.	महाराष्ट्र	2008-09
4.	इस्लामपुर एकीकृत वस्त्र पार्क	महाराष्ट्र	2008-09
5.	लातूर एकीकृत वस्त्र पार्क	महाराष्ट्र	2008-09
6.	पूर्णा ग्लोबल एकीकृत वस्त्र पार्क	महाराष्ट्र	2008-09
7.	जयपुर एकीकृत टैक्सक्राफ्ट पार्क प्रा. लि.	राजस्थान	2008-09
8.	रिदम वस्त्र एवं अपैरल पार्क लि.	पंजाब	2008-09
9.	लुधियाना एकीकृत वस्त्र पार्क लि.	पंजाब	2008-09
10.	सी.एल.सी. वस्त्र पार्क प्रा. लि.	मध्य प्रदेश	2008-09
11.	भारत फैबटैक्स एवं कारपोरेट पार्क प्रा. लि.	राजस्थान	2008-09
12.	वैगई हाई टैक विविंग पार्क	तमिलनाडु	2009-10
13.	कांचीपुरम ए.ए.सी.एम. हैण्डलूम सिल्क पार्क	तमिलनाडु	2010-11

कम्पनियों के खिलाफ शिकायतें

***427. श्री सुशील कुमार सिंह:** क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विशेष धोखाधड़ी जांच संगठन (एस.एफ.आई.ओ.) तथा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आर.ओ.सी.) को निजी दूरसंचार

कम्पनियों सहित विभिन्न कम्पनियों/विधिक अस्तित्वों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों के स्वरूप सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) गंभीर धोखाधड़ी जांच-पड़ताल कार्यालय (एस.एफ. आई.ओ.) कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन एक बहुविषयक संगठन है जिसमें कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन जांच करने के लिए विशेषज्ञ शामिल हैं। शिकायतें प्राप्त होने पर कम्पनी रजिस्ट्रारों द्वारा जांच की जाती है और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 234(6) के अंतर्गत रिपोर्ट, मंत्रालय को अधिनियम की धारा 235 के अधीन स्थिति की जांच का आदेश देने की सिफाशि के साथ प्रस्तुत की जाती है। अधिनियम की धारा 234(6) के अधीन रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के बाद कारपोरेट कार्य मंत्रालय एस.एफ.आई.ओ. द्वारा कारपोरेट निकायों की जांच के आदेश जारी करता है। पिछले तीन पूर्ण वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एस.एफ.आई.ओ. को जांच के लिए 44 मामले भेजे गए हैं जिनमें एक निजी दूरसंचार कम्पनी शामिल है। कम्पनी रजिस्ट्रारों को विभिन्न हितबद्धों जैसे शेयरधाकों, ऋणदाताओं, पूंजीपतियों, अन्य सरकारी विभागों, जनता आदि से विभिन्न कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है नामतः निवेशकों की शिकायतें जैसे तुलन पत्र, शेयर प्रमाण-पत्र, लाभांश अधिपत्र, शेयरधारकों की बैठकों का नोटिस न मिलना, वार्षिक आम बैठकों का आयोजन न करना, शेयरों के अंतरण का पंजीकरण न करना आदि तथा प्रबंधन के विरुद्ध गंभीर प्रकृति की शिकायतें जैसे सावधि जमा/जमाराशि तथा ऋणपत्रों पर ब्याज का भुगतान न करना, ऋणपत्रों/बांड का विमोचन न करना, धनराशि का अन्यत्र उपयोग, लेखाओं में हेरफेर/धोखाधड़ी, कुप्रबंधन आदि। कम्पनी विधि उल्लंघनों से संबंधित आरोपों की जांच कम्पनी रजिस्ट्रारों द्वारा की जाती है तथा इस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार से बाहर के अन्य मामलों को आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित एजेंसियों जैसे वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, दूरसंचार विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, आयकर विभाग आदि को भेजा जाता है।

(ग) निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयों में एक निवेशक शिकायत समाधान तंत्र है जिसके द्वारा शिकायतें समाधान के लिए कम्पनियों को भेजी जाती हैं। यदि कम्पनियां निवेशकों की शिकायतों का समाधान नहीं करती हैं अथवा यदि शिकायतें गंभीर प्रकृति के आरोपों जैसे सावधि जमा/जमाराशि और ऋणपत्रों पर ब्याज का भुगतान न करना, ऋणपत्रों/बांड का विमोचन न करना, धनराशि का अन्यत्र उपयोग, लेखाओं में हेरफेर/धोखाधड़ी, कुप्रबंधन आदि से संबंधित हों तो कम्पनी रजिस्ट्रारों द्वारा तर्कसंगत निष्कर्षों के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 234 के अधीन जांच की जाती है और कम्पनी रजिस्ट्रार दोषी कम्पनियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई/अभियोजन शुरू करते हैं। व्यापक जनहित तथा गंभीर आरोप वाले मामलों जैसे सावधि जमा/जमाराशि तथा ऋणपत्रों पर ब्याज का भुगतान न करना, ऋणपत्रों/बांड का विमोचन न करना, धनराशि का अन्यत्र उपयोग, लेखाओं का हेरफेर/धोखाधड़ी, कुप्रबंधन आदि में धारा 209क के अंतर्गत निरीक्षण अथवा धारा 235/237 के अधीन जांच की जाती है तथा तत्पश्चात् इस प्रकार के निरीक्षणों और जांच के दौरान देखे गए कम्पनी अधिनियम, 1956, भारतीय दंड संहिता, 1860 आदि के प्रावधानों के उल्लंघनों के लिए अभियोजन दायर किए जाते हैं।

दुर्गम क्षेत्रों में रेल नेटवर्क

***428. श्री थांगसो बाइते:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे किसी परियोजना की व्यवहार्यता पर विचार करते समय यातायात के परिणाम, आर्थिक विकास और सामाजिक मापदंडों पर विचार करता है और किसी परियोजना पर काम शुरू करने से पहले लागत-लाभ का विश्लेषण भी करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे लाभ प्राप्त न होने के बावजूद पूर्वोत्तर राज्यों सहित पहाड़ी, दुर्गम और सुदूर क्षेत्रों में रेल नेटवर्क बिछाने पर विशेष ध्यान देता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में आरंभ की गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) और (ख) प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता की जांच करने तथा संभावित निवेश, संभावित यातायात की मात्रा और वित्तीय प्रतिफल की दर का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण किए जाते हैं। इस मूल्यांकन के दौरान वित्तीय प्रतिफल की दर की गणना डिस्काउंटेड कैश फ्लो तकनीक के अंतर्गत किया जाता है और यदि प्रतिफल 14% के बराबर अथवा अधिक हो तो किसी परियोजना को वित्तीय रूप से अर्थक्षम समझा जाता है। नई लाइन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अपनाई जाने वाली नीति राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति 1980 द्वारा प्रतिपादित की गई थी और निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किए गए:

(i) खनिज तथा संसाधनों का दोहन करने हेतु नए उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित परियोजना अनुकूल लाइनें;

(ii) मौजूदा संतृप्त मार्गों पर संकुलन दूर करने हेतु वैकल्पिक मार्गों को पूरा करने के लिए मिसिंग लिंक्स;

(iii) सामरिक कारणों के लिए अपेक्षित लाइनें; और

(iv) नए विकास केन्द्रों की स्थापना अथवा दूरस्थ क्षेत्रों तक मार्ग मुहैया कराने के लिए लाइनें;

उपर्युक्त के अलावा, आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सामाजिक रूप से अपेक्षित परियोजना के रूप में भी नई लाइनों का निर्माण किया जाता है।

(ग) और (घ) रेल परियोजनाओं का पहाड़ी, कठिन एवं दूर्गम क्षेत्र परियोजना के रूप में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। बहरहाल, 34,600 करोड़ रु. की लागत पर हिमालय क्षेत्र, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र भी शामिल है, में संपर्क मुहैया कराने के लिए 16 परियोजनाएं प्रगति पर हैं जिनके पूरा होने पर नेटवर्क में लगभग 1473 कि.मी. बड़ी लाइन जुड़ जाएगी।

(ङ) और (च) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में 12,525 करोड़ रु. की लागत पर हिमालय क्षेत्र, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र भी शामिल है, में 7 नई लाइन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ये परियोजनाएं अंतिम स्थान सर्वेक्षण, योजना एवं अनुमानित लागत तैयार करने, भूमि अधिग्रहण आदि के प्रारंभिक चरण में है।

वस्तुओं की ढुलाई

***429. श्री यशवंत लागुरी:**

श्री राजू शेट्टी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा उर्वरक, कोयले आदि सहित विभिन्न प्रकार के माल की ढुलाई को प्राथमिकता देने हेतु जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशात्मक आदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेल वैगनों की अनुपलब्धता के कारण ये वस्तुएं बड़ी मात्रा में रेलवे साइडिंग पर पड़ी रहती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अनेक राज्य सरकारों ने उर्वरक और कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे से अतिरिक्त रैक देने का आग्रह किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) रेलवे द्वारा उर्वरक और कोयले को उनके गन्तव्य स्थानों पर जल्दी पहुंचाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) रेलवे द्वारा रैकों की संख्या और क्षमता बढ़ाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (ग) उर्वरक तथा कोयला के साथ-साथ विभिन्न श्रेणी के पण्यों की परिवहन/संचलन की प्राथमिकता का ब्यौरा रेलवे बोर्ड द्वारा जारी अधिमान यातायात आदेश (पी.टी.ओ.) संख्या 83, जो 15 अगस्त, 2009 से प्रभावी है तथा जिसे आगे एक वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2011 तक बढ़ाया गया है, में दिया गया है। पी.टी.ओ. का सारांश निम्नानुसार है:-

1. प्राथमिकता 'क' - मिलिटरी यातायात, जब मिलरेल द्वारा प्रायोजित तथा रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो।

2. प्राथमिकता 'ख' - आपातकालीन राहत जैसे; बाढ़, सूखा, भूकम्प आदि के लिए सामान, जन वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न और लेवी चीनी, जब केन्द्र/राज्य सरकार अथवा नामित संगठनों द्वारा प्रायोजित हो।

3. प्राथमिकता 'ग' - कोयला, खाने का नमक, इस्पात संयंत्रों के लिए कच्ची सामग्री, उर्वरक तथा पेतेस्ने का कार्यक्रमबद्ध यातायात, जब नामित प्राधिकारियों द्वारा प्रायोजित तथा रेलवे द्वारा अनुमोदित हो।

4. प्राथमिकता 'घ' - प्राथमिकता क से ग में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी यातायात।

भारतीय रेल, पत्तनों/संयंत्रों से उर्वरकों की ढुलाई को प्राथमिकता दे रही है और उर्वरक विभाग के परामर्श से मांग-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उनकी आवश्यकता के अनुसार रेक मुहैया कराए जा रहे हैं। मालडिब्बों की उपलब्धता का आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि भारतीय रेलवे पर उर्वरक का लदान जुलाई, 2009 की दुलना में जुलाई, 2010 में 16.75 प्रतिशत बढ़ा है।

कोल इंडिया सब्सिडियरीज में पिटहेड तथा रेलवे साइडिंगों में उपलब्ध वेंडिंग कोयले की मात्रा, जैसाकि कोयला मंत्रालय द्वारा दिया गया है, 1-4-2010 की तुलना में 16-8-2010 को 10.82 मिलियन टन घट गई है। मालडिब्बों की उपलब्धता का आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि भारतीय रेल पर सभी स्रोतों से कोयले का लदान जुलाई, 2009 की तुलना में जुलाई, 2010 में 10.61 प्रतिशत बढ़ा है।

(घ) से (च) उर्वरकों तथा कोयले की उपलब्धता के मामले के समाधान के लिए केन्द्र सरकार के पास तंत्र मौजूद हैं, जिसमें संस्थागत अंतर मंत्रालय उपसमूहों तथा समितियों के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा रिप्रजेन्ट किए गए मामले भी शामिल हैं। उर्वरकों की ढुलाई उर्वरक विभाग द्वारा दी गई प्राथमिकताओं के आधार पर और मांग-पत्र प्रस्तुत करने पर की जाती है। कोयले के लिए, डिस्पैच योजना ग्राहकों और कोयला कंपनियों के बीच हस्ताक्षरित ईंधन आपूर्ति समझौतों और कोयला कंपनियों द्वारा दी गई वास्तविक प्रस्मतावों पर आधारित होती है। उर्वरक एवं कोयले की उपलब्धता से संबंधित सभी मामलों की निगरानी नियमित तथा आवधिक आधार पर की जाती है।

(छ) रेलवे वर्षों से लगातार अधिक संख्या में मालडिब्बों का प्रापण कर रही है। निर्माण किए जा रहे नए मालडिब्बों का डिजाइन भी अधिक पेलोड की ढुलाई के उपयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में मौजूदा मालडिब्बों को अधिक पेलोड की ढुलाई के लिए रिट्रोफिट किया जा रहा है। इन कदमों से न सिर्फ लदान के लिए उपलब्ध रेकों की संख्या में वृद्धि हुई है बल्कि इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक गाड़ी में अधिक टनभार भी ढोया जाता है।

नाफ्था का उपयोग

***430. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री एस. अलागिरी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी किए गए नाफ्था (अर्जन, बिक्री, भंडारण तथा आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 का आशय नाफ्था के अन्यत्र उपयोग तथा दुरुपयोग को रोकना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाफ्था में मिलावट के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त आदेश के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान दोष सिद्ध हुए लोगों का ब्यौरा क्या है; और

(च) नाफ्था आदेश, 2000 के उपबंधों को और अधिक सख्त बनाने सहित नाफ्था में मिलावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने मिलावट के लिए नाफ्था के विपथन और दुरुपयोग को रोकने के लिए दिनांक 5 जून, 2000 के जी.एस.आर. 518 (ई) द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत नाफ्था (अर्जन, बिक्री, भंडारण तथा आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 जारी किया है।

(ग) से (ङ) पेट्रोल के साथ नाफ्था की आसान मिश्रणीयता के कारण कुछ बेईमान तत्वों द्वारा पेट्रोल में नाफ्था की मिलावट करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों में नाफ्था की मिलावट के किसी सिद्ध मामले की

रिपोर्ट नहीं दी गई है। तथापि, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने चालू वर्ष में नाफ्था नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत् नाफ्था के संदिग्ध विपथन/मिलावट के 6 मामले दर्ज किए हैं। सी.बी.आई. ने रिपोर्ट दी है कि इन मामलों में से किसी मामले में दोषसिद्धि नहीं हुई है। नाफ्था के संदिग्ध दुरुपयोग के इन 6 मामलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) राज्य सरकारों को नाफ्था नियंत्रण आदेश के तहत कदाचारों/अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। मिलावट को रोकने के लिए सरकार ने भी खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्वचलन, खुदरा बिक्री केन्द्रों का तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणन, वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जी.पी.एस.), स्मार्ट कार्ड योजना जैसी अनेक पहलें की हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज) खुदरा बिक्री केन्द्रों के नियमित और औचक निरीक्षण करती हैं और मिलावट तथा कदाचारों में लिप्त खुदरा बिक्री केन्द्रों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश (एम.डी.जी.) और डीलरशिप करार के तहत् कार्रवाई भी करती हैं। मिलावट, सीलों के साथ छोड़-छाड़, वितरण इकाइयों में अनधिकृत जुडनारों/गियरों जैसे गंभीर कदाचारों के लिए एम.डी.जी. में पहली बार ही डीलरशिप समाप्त करने का प्रावधान है।

विवरण

चालू वर्ष के दौरान नाफ्था के विपथन/मिलावट के लिए सी.बी.आई. द्वारा दर्ज किए गए संदिग्ध मामलों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	आर.सी. संख्या और दर्ज करने की तारीख	राज्य
1.	पी.ई. 3/2010-ई.ओ.-III दिनांक 9-6-2010	उत्तर प्रदेश
2.	आर.सी.-17/2010-ए.सी.बी./दिल्ली दिनांक 14-5-2010	उत्तर प्रदेश
3.	आर.सी.-18/2010-ए.सी.बी./दिल्ली दिनांक 18-5-2010	हरियाणा
4.	आर.सी.-19/2010-ए.सी.बी./दिल्ली दिनांक 18-5-2010	हरियाणा
5.	आर.सी.-20/2010-ए.सी.बी./दिल्ली दिनांक 18-5-2010	हरियाणा
6.	आर.सी.-21/2010-ए.सी.बी./दिल्ली दिनांक 18-5-2010	हरियाणा

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर राडार प्रणाली का काम न करना

***431. श्री भूदेव चौधरी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विमानपत्तन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ए.टी.सी.) की राडार प्रणाली में हाल के महीनों में खामियां उत्पन्न हो गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अवधि के दौरान इससे सीधे तौर पर कितनी उड़ानें प्रभावित हुईं तथा इसके परिणामस्वरूप होने वाले विलम्ब से विशेषकर विशिष्ट व्यक्तियों की उड़ानों में कितना विलम्ब हुआ;

(ग) क्या हाल ही में राडारों के काम न करने की घटनाएं अन्य विमानपत्तनों पर भी घटित हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रभावित उड़ानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। 03 अगस्त, 2010 को आई.जी.आई. हवाईअड्डे पर संस्थापित 2 राडारों में से एक राडार ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक के कटने के कारण लगभग 4 घंटों के लिए बंद रहा। बहरहाल, इसके कारण प्रचालन स्थगित नहीं हुए क्योंकि दूसरा राडार कार्य कर रहा था।

(ग) और (घ) जी, हां। राडार विफलता के ब्यौरे संलग्न विवरण पर उपलब्ध हैं। अन्य हवाईअड्डों पर राडार खराब होने के कारण उड़ानें अवरुद्ध नहीं हुई थीं। राडारों के अनुरक्षण तथा उनके खराब होने पर उन्हें ठीक करने के लिए एक उचित एवं समर्पित अनुरक्षण प्रक्रिया विद्यमान है। निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार राडारों और संबंधित प्रणालियों का अनुसूचित अनुरक्षण नियमित अंतराल पर किया जाता है। ब्रेक डाउन के कारण राडारों की विफलता के मामले में विमान यातायात सेवायें निर्धारित गैर राडार प्रक्रियाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं।

विवरण

अन्य हवाईअड्डों पर राडार विफलता के मामलों का ब्यौरा:

1. अहमदाबाद हवाईअड्डे पर 5 बार यथा 1, 2, 3 तथा 7 जुलाई, 2010 और 20 जुलाई, 2010 को।
2. मुम्बई हवाईअड्डे पर 3 बार यथा 9 तथा 14 जुलाई, 2010 और 04 अगस्त, 2010 को।
3. हैदराबाद हवाईअड्डे पर 2 बार यथा 13 जुलाई, 2010 और 10 अगस्त, 2010 को।
4. बेहरामपुर ए.सी.एस. पर 2 बार यथा 14 और 23 जुलाई, 2010 को।
5. वाराणसी हवाईअड्डे पर 1 बार यथा 23 जुलाई, 2010 को।
6. त्रिवेन्द्रम हवाईअड्डे पर 2 बार यथा 27 तथा 28 जुलाई, 2010 को, और
7. गुवाहाटी हवाईअड्डे पर 2 बार यथा 18 और 23 अगस्त, 2010 को।

[अनुवाद]

मध्य-पूर्व गंतव्यों के लिए उड़ानें

***432. श्री एम.आई. शानवास:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य-पूर्व गंतव्यों की उड़ानों में बार-बार होने वाले विलम्ब/उन्हें रद्द किए जाने के कारण विमान यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) कई बार यात्रियों को ऐसे विलंबों के कारण असुविधा का सामना करना पड़ता है जो कि एयरलाइनों के नियंत्रण के बाहर होता है जैसे विमान यातायात नियंत्रण (ए.टी.सी.), मौसम, तकनीकी कारण, सुक्षा जांच आदि। मध्य पूर्व के गंतव्यों के लिए उड़ान भरने वाले भारतीय वाहक सामान्यत: समय पर तथा कार्यक्रम के अनुसार प्रचालित होते हैं। इसके अतिरिक्त, नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने एयरलाइन, ए.टी.सी. तथा हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा अनुसरण किए जाने हेतु नए निर्देश जारी किए हैं जिन्हें उड़ान विलंबों को कम करने के लिए लागू किया जा रहा है।

एअर इंडिया तथा उसकी सहायक कंपनियों और जेट एयरवेज में भी उनके और उनकी सहायक एयरलाइनों के बीच प्रचालित उड़ानों के प्रचालन में समरूपता लाने की दृष्टि से, मध्य पूर्व के लिए/से प्रचालित होने वाली कुछ उड़ानों के कार्यक्रम में परिवर्तन/सेवा स्थगित कर दी है। कालीकट-रास-अल-खामाह/फुजाईराह, हैदराबाद-शारजाह, बंगलौर-शारजाह, गोवा-शारजाह, चेन्नई-शारजाह, दिल्ली-शारजाह, बहरीन-कोचीन, बहरीन-कालीकट, दोहा-कालीकट, दोहा-कोचीन, कालीकट-कुवैत, कालीकट-मस्कट, कोचीन-मस्कट मार्गों को निम्न लाभप्रदता के कारण युक्तिकृत/सेवा वापस ले ली गई है तथा कुछ को दुबई के मार्गों से प्रतिस्थापित किया गया है, जबकि इसकी चेन्नई-त्रिची-शारजाह उड़ान को एअर इंडिया एक्सप्रेस को चेन्नई-त्रिची-दुबई मार्ग पर दैनिक सेवा से प्रतिस्थापित किया गया है क्योंकि दुबई और शारजाह हवाईअड्डे के बीच की दूरी केवल लगभग 20 कि.मी. है।

इसी प्रकार, जेट एयरवेज ने भी समान मार्ग युक्तिकरण द्वारा दिल्ली-कुवैत, कोचीन-कुवैत, कोचीन-बहरीन, कालीकट-मस्कट तथा कालीकट-दोहा के बीच की अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है।

एकीकृत कौशल विकास योजना

***433. श्री आनंदराव अडसुल:**

श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरका ने वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में कारगारों के कौशल में सुधार करने के लिए एक नई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधन किस प्रकार जुटाए जाएंगे?

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (घ) जी, हां। सरकार द्वारा वस्त्र क्षेत्र के लिए एकीकृत कौशल विकास योजना अगस्त 2010 में शुरू की गई थी। इस योजना की मुख्य बातों में वस्त्र मंत्रालय के अधीन मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करना एवं भारत में वस्त्र क्षेत्र में कौशल कमी को पूरा करने के लिए पी.पी.पी. मॉडल के माध्यम से निजी क्षेत्र के संस्थानों का सहयोग लेना शामिल है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों के दौरान 2.56 लाख व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए इस योजना के तहत निर्धारित कुल व्यय 272 करोड़ रुपए है जिसमें सरकार का हिस्सा 229 करोड़ रुपए होगा और 43 करोड़ रुपए की राशि उद्योग/लाभार्थियों से अंशदान के माध्यम से जुटाई जाएगी।

प्राकृतिक गैस की उपलब्धता

***434. श्री यशवंत सिन्हा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कुल कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस उपलब्ध है तथा अगले दो से तीन वर्षों में इसमें कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) देश में इस समय विद्युत तथा उर्वरक क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की कुल कितनी आवश्यकता है तथा अगले दो से तीन वर्षों में मांग में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) प्राकृतिक गैस की उत्पादन लागत कितनी है तथा इन क्षेत्रों को इसे किस दर प बेचा जा रहा है;

(घ) क्या देश में प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति में अंतर है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में प्राकृतिक गैस की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) वर्तमान में भारत में आयातित तरल प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) सहित प्राकृतिक गैस की कुल उपलब्धता लगभग 167.80 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन है जिसके वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः लगभग 202.97 एम.एम.एस.सी.एम.डी., 256.6 एम.एम. एस.सी.एम.डी. और 271.92 एम.एम.एस.सी.एम.डी. होने का अनुमान है।

(ख) विद्युत और उर्वरक क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की मौजूदा कुल आवश्यकता क्रमशः 77.44 एम.एम.एस.सी.एम.डी. और 39.61 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है। अगले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष विद्युत और उर्वरक क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की अनुमानित अतिरिक्त मांग निम्नानुसार है:

क्षेत्र	2011-2012	2012-2013	2013-2014
विद्युत	15.59	60*	60*
उर्वरक	3.43	13.44	46.78

*जैसा विद्युत मंत्रालय द्वारा संसूचित किया गया है, प्रस्तावित विद्युत संयंत्रों, जिन्हें चालू करने की संभावित तारीख को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) द्वारा अभी प्रमाणित किया जाना है, की कुल आवश्यकता लगभग 600 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है। तथापि, वर्ष 2012-13 और 2013-14 में प्रत्येक वर्ष केवल 60 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस को ही शामिल किया गया है।

(ग) प्राकृतिक गैस के उत्पादन की लागत अन्य बातों के साथ-साथ भौगोलिक स्थितियों, क्षेत्र की समयावधि, क्षेत्र की अवस्थिति, उपस्करों और सेवाओं की लागत आदि पर निर्भर करते हुए अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होती है। प्रशासित मूल्य व्यवस्था (ए.पी.एम.) और नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) के तहत् उपलब्ध गैस की बिक्री रायल्टी को शामिल करते हुए 4.2 अमरीकी डॉलर/मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एम.एम.बी.टी.यू.) के मूल्य पर की जाती है। पूर्वोत्तर के ग्राहकों को सरकार द्वारा 40% राजसहायता दी जाती है। एन.ई.एल.पी.-पूर्व संविदाओं

के तहत् उपलब्ध गैस की बिक्री 5.24 अमरीकी डॉलर/एम.एम.बी.टी.यू. के औसत मूल्य पर की जाती है। इसके अलावा, दीर्घकालिक करार के तहत् आयातित एल.एन.जी. की बिक्री 6.53 अमरीकी डॉलर/एम.एम.बी.टी.यू. के मूल्य पर की जाती है जबकि वर्तमान में तत्स्थल मालवाहक जहाज का मूल्य 5.40-9.4 अमरीकी डॉलर/एम.एम.बी.टी.यू. के बीच अलग-अलग होता है।

(घ) देश में प्राथमिकता वाले विभिन्न क्षेत्रों की वर्तमान मांग को अधिकांशतः पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा, एल.एन.जी. के आयात के लिए देश में अतिरिक्त पुनर्गैसीकरण क्षमता उपलब्ध है।

(ङ) सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक बहुपक्षीय कार्यनीति अपनाई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) एन.ई.एल.पी. दौरों के जरिए घरेलू अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) कार्यकलापों में तेजी,

(ii) कोल बेड मिथेन (सी.बी.एम.),

(iii) भूमिगत कोयला गैसीकरण,

(iv) गैस हाइड्रेट्स,

(v) विभिन्न देशों से एल.एन.जी. का आयात, और

(vi) राष्ट्रपार पाइपलाइनें अर्थात ईरान-पाकिस्तान-भारत (आई.पी.आई.) पाइपलाइन और तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (टी.ए.पी.आई.) पाइपलाइन।

कैट III बी सिस्टम

***435. श्री नारनभाई कछाड़िया:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैट III बी इंस्ट्रूमेन्ट लैंडिंग सिस्टम से विमान के उड़ान भरने तथा उतरने के समय दृश्यता में आसानी होती है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विमानपत्तन के ऐसे रनवे का ब्यौरा क्या है, जहां कैट III बी सुविधा उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार/एन.ए.सी.आई.एल. का विचार दिल्ली विमानपत्तन के सभी रनवे को कैट III बी इंस्ट्रूमेन्ट लैंडिंग सिस्टम से लैस करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) कैट III बी आई.एल.एस. मुख्य रूप से विमानों को अवतरण सुविधा उपलब्ध कराता है। यह सुविधा विमानों के अवतरण को उस स्थिति में भी सुलभ बनाती है जब रनवे दृश्यता दूरी (आर.वी.आर.) 200 मी. से कम हो किन्तु 50 मी. से कम न हो।

(ख) आई.जी.आई. हवाईअड्डे की प्रचालनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रनवे 28, 29 तथा 11 पर कैट III बी आई.एल.एस. प्रणाली को संस्थापित किया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। दो प्रमुख रनवे के लिए तीन कैट III बी आई.एल.एस. प्रणालियां प्रचालनिक हैं। चूंकि निम्न दृश्यता तथा धुंध के दौरान हवाईजहाज सभी अवतरण तथा टेक-ऑफ इन तीन कैट III बी आई.एल.एस. प्रणालियों का प्रयोग करके इन दो रनवे से प्रचालित होते हैं और इसलिए, इस समय, अन्य रनवे पर कैट III बी आई.एल.एस. प्रणाली को संस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

उद्देश्यहीन जनहित याचिकाएं

***436. शेख सैदुल हक:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायालय-वार कितनी जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं;

(ख) क्या सरकार को जनहित याचिकाओं की आड़ में उद्देश्यहीन याचिकाएं दायर किए जाने की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन उद्देश्यहीन याचिकाओं को रोकने के लिए कार्रवाई शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ङ) न्यायालयों में फाइल किए गए जनहित मुकदमों की संख्या के बारे में आंकड़े न्याय विभाग द्वारा नहीं रखे जाते हैं चूंकि मामला अनन्य रूप से उच्चतर न्यायपालिका

की रिट अधिकारिता के भीतर आता है। कई बार, न्यायालय ने जनहित मुकदमों के छद्म रूप में फाइल किए जाने वाले तुच्छ मानकों पर टिप्पणी की थी।

जनहित मुकदमों के बारे में अधिकारिता का प्रयोग न्यायालयों द्वारा उनकी उस अधिकारिता के भीतर प्रयोग किया जाता है जिसे संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। न्यायालय, उन मामलों का चयन करने में अपनी अधिकारिता और विवेकाधिकार का प्रयोग करते रहे हैं जिन्हें विस्तारपूर्वक उनके द्वारा सुना जाना चाहिए। न्यायालयों ने प्रचार/निजी/निर्बल वर्ग/राजनीतिक हित विषयक मुकदमों से उद्भूत समुचित जनहित मुकदमों की छानबीन के लिए कतिपय मानदंड भी अधिकथित किए हैं। डॉ. बी.के. सुब्बाराव बनाम के. पारासरण 1996(7) जे.टी. 265 में न्यायालय ने सचेत किया है कि "किसी वादकारी को ऐसी रीति में जैसी वह वांछा करता है अपने मामलों को निपटाने के लिए न्यायालय के समय और लोक धन का निरर्थक रूप में उपयोग का अधिकार नहीं है। न्याय तक सहज पहुंच का, अविवेक सम्मत और तुच्छ याचिकाएं फाइल करने के लिए एक अनुज्ञप्ति के रूप में दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।"

न्यायालयों की रिट अधिकारिता का भाग रूप होने वाले जनहित याचिका अधिकारिता की, जो संविधान की मूलभूत विशेषताओं में से एक विशेषता है, जांच करने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेल समपारों पर रेल उपरिपुल/ रेल अधोगामी पुल

***437. श्री हरिन पाठक:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल समपारों पर रेल उपरिपुल/रेल अधोगामी पुल के निर्माण के लिए रेलवे में क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) देश में विशेषकर अहमदाबाद में एक लाख से अधिक ट्रेन व्हीकल यूनिट वाले रेल समपारों की जोन-वार संख्या कितनी है जहां रेल उपरिपुल/रेल अधोगामी पुल का निर्माण अभी भी लम्बित है; और

(ग) रेल उपरिपुल/रेल अधोगामी पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) वर्तमान मानदण्ड के अनुसार, वे समपार जहां न्यूनतम टी.वी.यू. (गाड़ी वाहन इकाई) एक लाख हो, उन्हें लागत में भागीदारी के आधार पर सड़क ऊपरी पुल/सड़क निचले पुल में बदलने के लिए विचार किया जाता है।

सड़क ऊपरी पुलों का निर्माण कम यातायात वाहन इकाई पर भी किया जा सकता है बशर्ते राज्य सरकार निक्षेप शर्तों पर सड़क ऊपरी पुलों/सड़क निचले पुलों के निर्माण के लिए भारतीय रेल से संपर्क करें। ऐसे मामले में कार्य का संपूर्ण लागत राज्य सरकार को वहन करनी होती है।

(ख) एक लाख से अधिक टी.वी.यू. वाले समपारों और जहां सड़क ऊपरी पुल/सड़क निचले पुल के कार्य अभी भी लंबित हैं, का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:-

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलें	एक लाख से अधिक टी.वी.यू. वाले ऐसे समपारों की संख्या जहां सड़क ऊपरी पुल/सड़क निचले पुल का कार्य लंबित है
1	2	3
1.	मध्य	81
2.	पूर्व	114
3.	पूर्व मध्य	45
4.	पूर्व तट	20
5.	उत्तर	271
6.	उत्तर मध्य	115
7.	पूर्वोत्तर	53
8.	पूर्वोत्तर सीमा	52
9.	उत्तर पश्चिम	117
10.	दक्षिण	61
11.	दक्षिण मध्य	127

1	2	3
12.	दक्षिण पूर्व	49
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	37
14.	दक्षिण पश्चिम	4
15.	पश्चिम	168
16.	पश्चिम मध्य	50
	जोड़	1364

इन 1364 समपारों पर जहां टी.वी.यू. एक लाख से अधिक हो गई है, राज्य सरकार ने लागत में भागीदारी के आधार पर सड़क ऊपरी पुलों/सड़क निचले पुलों के निर्माण के लिए अब तक अपनी अंतिम सहमति नहीं दी है। इस मामले में रेल प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकारों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। इसी तर्ज पर अहमदाबाद में 39 ऐसे समपार हैं जिनके बारे में राज्य सरकार के जवाब नहीं दिए जाने के कारण सड़क ऊपरी पुलों/सड़क निचले पुलों का निर्माण लंबित है।

(ग) इस मानदण्ड के अन्दर आने वाले समपारों पर सड़क ऊपरी पुलों/सड़क निचले पुलों का निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है। चूंकि यातायात में वृद्धि हो रही है, अतः सड़क ऊपरी पुलों/सड़क निचले पुलों के निर्माण के लिए अतिरिक्त संख्या में समपार अर्हक होंगे।

ऐसे मौजूदा समपारों के मामले में भी जो सड़क ऊपरी पुलों/सड़क निचले पुलों में बदले जाने के लिए बाकी है, कार्य स्वीकृत करना भी लागत में भागीदारी के लिए राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर कार्गो संभलाई

***438. श्री शत्रुघ्न सिन्हा:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विमानपत्तनों पर कार्गो संभलाई के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा इस संबंध में क्या उपलब्धि रही है;

(ख) लक्ष्यों की प्राप्ति में यदि कोई कमी है तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों के दौरान कार्गो यातायात में संभावित वृद्धि का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बढ़ते हुए कार्गो यातायात से निपटने के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों (2007-08, 2008-09 तथा 2009-10) के दौरान सभी हवाईअड्डों को मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कार्गो यातायात के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो और वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में घरेलू कार्गो के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी रही है। तथापि, वर्ष 2009-10 के दौरान घरेलू कार्गो में उपलब्धि निर्धारित लक्ष्यों से अधिक है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 2009-10 को आधार वर्ष के रूप में लेते हुए कुल मिलाकर सभी हवाईअड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो तथा घरेलू कार्गो के क्षेत्र में वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान क्रमशः 10% और 15%; वर्ष 2012-13 और 2014-15 के दौरान 10% और 12% की दर से वृद्धि की भविष्यवाणी की है।

(ङ) विभिन्न हवाईअड्डों पर कार्गो सुविधाओं की सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए और प्रस्तावित उपाय संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

विवरण-I

पिछले 3 वर्षों के दौरान कार्गो यातायात

(हजार मीट्रिक टन में)

वर्ष	अंतर्राष्ट्रीय कार्गो			घरेलू कार्गो		
	लक्ष्य	उपलब्धियां	वृद्धि/कमी	लक्ष्य	उपलब्धियां	वृद्धि/कमी
2007-08	1133.41	1146.75	13.34	575.34	568.23	-7.11
2008-09	1259.94	1149.92	-110.02	627.90	552.06	-75.84
2009-10	1402.49	1270.71	-131.78	686.01	690.90	4.89

विवरण-II

कार्गो सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए उपाय

विभिन्न हवाई अड्डों पर कार्गो सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

कोलकाता हवाईअड्डा

- 19,150 वर्गमीटर के क्षेत्रफल वाले नए एकीकृत कार्गो टर्मिनल (एन.आई.सी.टी.) का चरण-I 2008 में पूर्ण रूप से प्रचालनरत किया गया जिससे कुल क्षेत्रफल बढ़कर 21,906 वर्गमीटर हो गया जिसकी वार्षिक क्षमता 1.25 लाख मीट्रिक टन (एम.टी.) है।

- एन.आई.सी.टी. के चरण-I के निर्यात स्कंध में एलिवेटेड ट्रांसफर व्हीकल (ई.टी.वी.) और आयात स्कंध में ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रिवल सिस्टम (ए.एस. एंड आर.एस.) का प्रावधान किया गया है ताकि ऑटोमेटेड कार्गो हैंडलिंग प्रचालन हो सके और स्थान का वर्टिकल इस्तेमाल हो सके।

- कार्गो अनुमान के अनुसार कोलकाता हवाईअड्डे की मौजूदा क्षमता वर्ष 2020 तक की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त है।

चेन्नई हवाईअड्डा

- चेन्नई हवाईअड्डे पर आधुनिकतम ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रिवल सिस्टम सहित नए एकीकृत कार्गो टर्मिनल का चरण-III/IV निर्माणाधीन है जिससे इसका क्षेत्रफल 35,920 वर्गमीटर से बढ़कर 54,620 वर्गमीटर हो जाएगा। इस परियोजना के चालू होने से वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता 3.5 लाख एम.टी. से बढ़कर 5.15 लाख एम.टी. हो जाएगी।

- कार्गो अनुमान के अनुसार कोलकाता हवाईअड्डे की मौजूदा क्षमता वर्ष 2020 तक की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त है।

- स्थान के विस्तार के अतिरिक्त महानगरीय कार्गो टर्मिनलों पर कार्गो की तीव्र क्लियरिंग के लिए ऑटोमेशन और मशीनीकरण की और सुविधाएं जोड़ा जाना प्रस्तावित है। निम्नलिखित कार्य नियोजित किए गए हैं:

  - निर्यात कार्गो की हैंडलिंग कन्वेयर बेल्टों द्वारा किया जाना।
  - लूज कार्गो की हैंडलिंग के लिए ट्रक डॉक एरिया में सीजर लिफ्ट और बान्डेड ट्रक ऑपरेशनों के लिए शिपर लोडेड यूनिट लोड डिवाइस (यू.एल.डी.)।
  - वेब आधारित ई.डी.आई. (इलैक्ट्रॉनिक डेटा इंटर एक्सचेंज) ट्रांजेक्शन के लिए पुराने एन.टी. (नेट ट्रांजेक्शन) हब का स्तरोन्नयन।

कोयम्बटूर हवाईअड्डा

- कोयम्बटूर हवाईअड्डे पर ए.ए.आई. ने अंतर्राष्ट्रीय

निर्यात/आयात कार्गो की वार्षिक हैंडलिंग क्षमता को 18,950 एम.टी. से बढ़ाकर 31,240 एम.टी. किया है।

- व्यापार के सरलीकरण के लिए कस्टम आई.सी.ए.एस. वर्शन 1.5 के तहत ई.डी.आई. को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

अमृतसर हवाईअड्डा

- कस्टम प्राधिकारियों द्वारा व्हाईट शिपिंग बिल्स (नो कस्टम ड्यूटी ड्रा बैक के लिए) आई.सी.ई.एस. वर्शन 1.5 के तहत ई.डी.आई. का क्रियान्वयन किया गया है।
- व्यापार के सरलीकरण के लिए, ग्रीन शिपिंग बिल्स (कस्टम ड्यूटी ड्रा बैक के लिए) कस्टम आई.सी.ए.एस. वर्शन 1.5 के तहत ई.डी.आई. को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

आई.जी.आई. हवाईअड्डा, दिल्ली

डायल ने मौजूदा एकीकृत ब्राउनफील्ड कार्गो (टर्मिनल साईज: 70,000 वर्गमीटर) के आधुनिकीकरण के लिए सी.ई.एल.ई.बी.आई. के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है और ग्रीनफील्ड कार्गो (टर्मिनल साईज: 50,000 वर्गमीटर) प्रचालन के विकास के लिए कार्गो सेवा केन्द्र को दूसरी रियायत भी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, डायल ने सहायक कार्गो अवसंरचना के प्रस्तावित विकास से संबंधित क्षेत्रों की भी पहचान की है जैसे फोरवर्डर्स/लॉजिस्टिक तथा स्पेशल हैंडलिंग आदि के लिए सुविधाएं। कार्गो विमानों के आवागमन की वृद्धि से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्गो एप्रन के विस्तार का प्रस्ताव है।

बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, देवनहल्ली:

- 200 एजेंटों और फ्रेट फारवर्डर के कार्गो विलेज की स्थापना।
- पशु संगरोधन, पौध संगरोधन और ड्रग कंट्रोलरों के लिए किराया-युक्त स्थान मुहैया कराना।
- बढ़ती हुई कार्गो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्टिकल स्टोरेज में वृद्धि।
- भविष्य में एक कार्गो टर्मिनल में मैजेनाइन फ्लोर की शुरुआत।
- ई-ट्रेड संबंधी पहलों और इन-हाउस सॉफ्टवेयर के जरिए कार्गो के लेन-देन को सुचारु बनाना।

भारतीय विमानपत्तन द्वारा प्रबंधित हवाईअड्डों के संबंध में भावी विस्तार योजनाएं:

- **पोर्टब्लेयर हवाईअड्डे पर कार्गो टर्मिनल** अंडमान निकोबार प्रशासन से ले लिया गया है। इस टर्मिनल से घरेलू कार्गो प्रचालन आरंभ करने के लिए कार्यविधि को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- **श्रीनगर हवाईअड्डे पर** कार्गो टर्मिनल का निर्माण नियोजन अवस्था में है।
- व्यापार की मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा **सूरत हवाईअड्डे पर** टर्मिनल की योजना बनाने से संबंधित भावी संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए इस हवाई अड्डे पर कार्गो टर्मिनल के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है।
- **पुणे हवाईअड्डे पर** कार्गो टर्मिनल के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया जा चुका है और मामले को सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
- **पटना हवाईअड्डे पर** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य सरकार [बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बी.आई.ए.डी.ए.)] के बीच संयुक्त उद्यम की योजना बनाई गई है।
- **अगरतला, दीमापुर और गुवाहाटी हवाईअड्डों पर** कोल्ड स्टोरेज सुविधा स्थापित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सी.पी.सी. नीति के तहत स्थलों की पहचान की है।

हौजरी मिलों का पुनरुद्धार

***439. श्री भारोतराव सैनुजी कोवासे:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हौजरी उद्योग किसी क्षेत्र में रोजगार सृजिन करने तथा उसके आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हौजरी इकाइयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या देश में अनेक हौजरी मिलें बंद हो चुकी हैं अथवा बंद होने के कगार पर हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा उनके पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) और (ख) जी, हां। हौजरी क्षेत्र 4.3 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है और वर्ष 2009-10 में हौजरी क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन 13.623 बिलियन वर्ग मीटर रहा है जो कि देश में कपड़े के कुल उत्पादन का 22.8% है।

(ग) मुख्य रूप से हौजरी इकाईयां विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में हैं और इकाईयों के राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009-10 में हौजरी कपड़े के उत्पादन में 12.8% की निवल वृद्धि हुई है। उत्पादन में वृद्धि की यह प्रवृति दर्शाती है कि हौजरी उद्योग बड़ी संख्या में बंद नहीं हुए हैं।

(च) उपर्युक्त (घ) और (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हस्तशिल्प को प्रोत्साहन

***440. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:**
श्री जगदीश ठाकोर:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त निर्यात से देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(घ) राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर हस्तशिल्प उद्योग के संरक्षण और संवर्धन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (ग) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली तथा हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नई दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2009-10 की तदनुरूप अवधि की तुलना में अप्रैल-जुलाई, 2010 की अवधि के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हस्तशिल्प एवं हाथ से बुने कालीनों एवं अन्य फर्श-विछावनों के निर्यात में वृद्धि की प्रवृति दर्ज की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तदनुरूप अवधि का हस्तशिल्प एवं हाथ से बुने कालीनों का निर्यात निम्न प्रकार से है-

वर्ष	अप्रैल-जुलाई, 2010	(अमरीकी मिलियन डॉलर में)
2007-08	3680.38 करोड़ रुपये	892.55 अमरीकी मिलियन डॉलर
2008-09	3555.73 करोड़ रुपये	853.60 अमरीकी मिलियन डॉलर
2009-10	3033.61 करोड़ रुपये	622.80 अमरीकी मिलियन डॉलर
2010-11	3548.48 करोड़ रुपये	763.68 अमरीकी मिलियन डॉलर

देश-वार निर्यात आंकड़े वार्षिक आधार पर रखे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश-वार अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण अनुसार है।

(घ) हस्तशिल्प उद्योग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में - चयनित हस्तशिल्प कलस्टरों के एकीकृत विकास के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (ए.एच.वी.वाई.); डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन; विपणन सहायता एवं सेवाएं; अनुसंधान एवं विकास; मानव संसाधन विकास; हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण स्कीम का क्रियान्वयन शामिल है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिए हाथ से बुने कालीनों एवं अन्य फर्श बिछावनों का देश-वार निर्यात

क्रमांक	देश	2007-08 मिलियन अमरीकी डालर में	2008-09 मिलियन अमरीकी डालर में	2009-10 (अनन्तिम) मिलियन अमरीकी डालर में
1.	अर्जेन्टीना	1.79	2.33	1.87
2.	आस्ट्रेलिया	15.54	15.20	13.35
3.	आस्ट्रिया	4.75	5.25	5.39
4.	बेल्जियम	14.41	2.56	2.22
5.	ब्राजील	4.41	1.94	2.70
6.	कनाडा	14.74	8.92	6.45
7.	डेनमार्क	7.05	4.17	3.35
8.	फिनलैण्ड	4.04	3.25	2.20
9.	फ्रांस	14.11	10.82	8.50
10.	जर्मनी	160.67	135.85	115.75
11.	इटली	26.32	5.65	2.21
12.	जापान	14.86	10.80	9.60
13.	नीदरलैण्ड	10.94	4.23	3.15
14.	नॉर्वे	2.22	1.42	0.86
15.	स्वीडन	11.53	4.05	2.20
16.	स्वीट्जरलैण्ड	2.27	5.95	4.30
17.	स्पेन	20.39	5.40	3.15
18.	सं.रा. अमरीका	414.62	301.12	241.43
19.	युनाइटेड किंगडम	45.48	24.85	16.84
20.	अन्य	85.57	47.20	80.35
	कुल	875.71	600.06	525.87

(स्रोत - एन.आई.सी., वाणिज्य मंत्रालय की वेब साइट)

पिछले तीन वर्षों के लिए हस्तशिल्प का देश-वार निर्यात

क्रमांक	देश	हस्तशिल्प का देश-वार निर्यात आंकड़ा		
		2007-08 अमरीकी मिलियन डालर में	2008-09 अमरीकी मिलियन डालर में	2009-10 अमरीकी मिलियन डालर में
1.	आस्ट्रेलिया	52.37	23.73	24.62
2.	कनाडा	107.04	51.47	52.09
3.	फ्रांस	167.43	79.43	81.15
4.	जर्मनी	339.4	163.57	164.27
5.	इटली	118.29	59.37	61.84
6.	जापान	95.91	41.16	42.33
7.	नीदरलैंड्स	110.87	50.92	52.21
8.	संयुक्त राज्य अमीरात	215.36	105.11	108.73
9.	स्वीटजरलैंड	51.12	24.56	25.46
10.	यू.एस.ए.	1119.84	495.60	552.52
11.	यू.के.	374.28	189.63	194.81
12.	लैटिन अमरीकी देश	59.14	29.12	30.34
13.	अन्य देश	670.09	484.21	469.86
	कुल	3481.14	1797.88	1830.23

(स्रोत - हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद)

रेलवे भूमि, पठानकोट

4824. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के ज्वाली तहसील के अंतर्गत पठानकोट जोगेन्द्र नगर नेरो गेज रेलवे लाइन होकर रेलवे की भूमि पर वर्षों से लंबित सिद्धत मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर के कुछ भाग के निर्माण के संबंध में मामले की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) सिद्धत मध्य सिंचाई परियोजना के लिए पठानकोट-जोगिंदर नगर खंड पर रेलपथ के ऊपर क्रासिंग और उसके साथ-साथ आर.सी.सी. बॉक्स पुलिया के निर्माण के लिए लगभग 1898 वर्ग मी. माप की रेलवे भूमि को लीज पर देने के लिए हिमाचल राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इसे अनुमोदित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

अमीरात वायुयान घटना

4825. श्री मिलिंद देवरा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुबई से कोच्चि जा रहे अमीरात वायुयान, जिसमें 350 यात्री सवार थे, को अरब सागर के ऊपर गहरे विक्षोभ का सामना करना पड़ा जिससे बेतरतीब गति के चलते कई यात्री घायल हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विक्षोभ के चलते कितने यात्री घायल हुए तथा घायल यात्रियों की अद्यतन स्थिति क्या है तथा कितने भारतीय यात्री इसमें यात्रा कर रहे थे;

(घ) क्या अमीरात के अधिकारियों ने इसे विक्षोभ का कोई औचित्य बताया है तथा इसकी पुष्टि विमानन मौसम विज्ञानियों द्वारा की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अमीरात के अधिकारियों ने इस घटना की जांच के कोई आदेश दिए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। 25 अप्रैल, 2010 को दुबई से कोच्चि के लिए उड़ान सं. ईके-530 को प्रचालित करने वाले अमीरात एयरलाइंस के विमान बी-777-200 ईआर में फ्लाइट लेबल (एफ.एल.) 350 पर उड़ान के दौरान समस्या उत्पन्न हुई। इसके कारण की जानकारी जांच पूरी होने के बाद प्राप्त होगी।

(ग) दो यात्रियों को गम्भीर चोटें आईं और 16 यात्रियों को मामूली चोटें आईं। घायल हुए सभी यात्री स्वस्थ अवस्था में हैं। विमान में यात्रियों की कुल संख्या 364 थी जिनमें से 207 भारतीय यात्री थे।

(घ) से (छ) वायुयान नियमावली के नियम 77 सी के तहत नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा दुर्घटना की जांच की जा रही है। अमीरात एयरलाइंस और खाड़ी के नागर विमानन प्राधिकरण जांच प्रक्रिया में भागीदारी कर रहे हैं।

[हिन्दी]

बुकिंग क्लर्क के विरुद्ध शिकायतें

4826. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को पटना, हाजीपुर तथा दरभंगा स्टेशनों के टिकट/पार्सल बुकिंग क्लर्कों द्वारा अधिक प्रभारण के मामलों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में रेलवे द्वारा क्या निरोधात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों (अप्रैल, 2007 से) के दौरान पटना, हाजीपुर तथा दरभंगा स्टेशनों के बुकिंग/पार्सल क्लर्कों के विरुद्ध 24 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) बुकिंग/पार्सल क्लर्कों द्वारा अधिप्रभार जैसे कदाचार की रोकथाम के लिए वाणिज्यिक तथा सतर्कता विभागों द्वारा बार-बार जांच की जाती है तथा जहां कहीं कर्मचारियों को जिम्मेदार पाया जाता है उनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म

4827. श्री एस. सेम्मलई: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान फोटो फिल्म के शेयरों का विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उटी के इन्दुनगर में स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म का पुनरुद्धार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) भारी उद्योग विभाग ने लंबित कार्य आदेशों को

क्रियान्वित करने तथा प्रचालन को सुचारू रूप बनाने के लिए कार्यशील पूंजी हेतु फरवरी, 2010 में गैर-योजनागत ऋण के रूप में 30 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

विमानन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

4828. श्री रामसिंह राठवा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मंत्रालय तथा इसके विभिन्न संगठनों में नौकरियों में आरक्षण हेतु अनुसूचित जनजातियों का आवश्यक प्रतिशत बनाए रखने में सफल है;

(ख) यदि हां, तो संगठन-वार तत्संबंधी स्थिति क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो बकाया वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है तथा रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए;

(घ) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अनुसूचित जातियों की संख्या की तुलना में कम है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उड़ान प्रशिक्षण

4829. श्री अशोक अर्गल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कमर्शियल पायलट लाइसेंस के बिना वायुयान अधिनियम, 1934 के अंतर्गत उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने एक परिपत्र के माध्यम से इस नियम में संशोधन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) उड़ान प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक पायलट लाइसेंस (सी.पी.एल.) पहले से लेना अपेक्षित नहीं है क्योंकि विमान नियमावली, 1937 की अनुसूची-II की धारा जे में निर्धारित अपेक्षित उड़ान प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् व्यावसायिक पायलट लाइसेंस जारी किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बेंटोनाइट तथा बेरिट्स का आयात

4930. श्री भरत राम मेघवाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल कंपनियां/फर्में, तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इत्यादि कच्चे तेल हेतु तेल कुंओं के खनन में उपयोग हेतु बेंटोनाइट कमर्शियल पाउडर तथा बेरिट्स पाउडर का आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग वर्ष-वार तथा देश-वार इसकी कितनी मात्रा का आयात किया गया; और

(ग) तेल कंपनियों को उक्त रसायन के आयात तथा आपूर्ति में वर्तमान में शामिल भारतीय फर्मों के क्या नाम है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) वर्तमान में ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया लिमिटेड को बैंटोनाइट पाउडर तथा बैराइट्स पाउडर की आपूर्ति करने वाली भारतीय फर्मों की सूची निम्नवत् है:-

बैंटोनाइट पाउडर

मै. आशापुरा इंटरनेशनल, मुंबई।

मै. माणिक मिनरल्स, मुंबई।

मै. जगशांति मिनरल्स, जोधपुर।

मै. मारुति, मिनरल्स, बाड़मेर (राजस्थान)

बैराइट्स पाउडर

मै. गिम्पेक्स लिमिटेड, चेन्नै।

मै. आई.बी.सी. लिमिटेड, चेन्नै।

मै. बास मिनरल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, कोदुर।

मै. ए.पी.एम.डी.सी. लिमिटेड, हैदराबाद।

मै. श्री विजयलक्ष्मी मिनरल्स ट्रेडिंग कंपनी, चेन्नै।

मै. गौसिया मिनरल्स, कुडप्पा।

मै. सी.एम. रामनाथ रेड्डी, चेन्नै।

[हिन्दी]

फैशन हब का स्थापित किया जाना

4831. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फैशन हब स्थापित करने में अनावश्यक विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों से फैशन हब हेतु आबंटित धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो क्या फैशन हब हेतु स्थान के चयन या भूमि के आबंटन में कोई गतिरोध है;

(ङ) यदि हां, तो क्या फैशन हब के तुरंत निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) फैशन हब की स्थापना में स्टेक होल्डरों के साथ विचार विमर्श, संकल्पना दस्तावेज को अंतिम रूप देना, भूमि की पहचान और खरीद करना तथा रुचि की अभिव्यक्ति/बोलियां आदि आमंत्रित करना जैसे अनेक कार्य शामिल हैं। वस्त्र मंत्रालय इस प्रक्रिया में लगा हुआ है।

(ग) से (च) पिछले तीन वर्षों से इस मंत्रालय के बजट में मात्र 1.00 करोड़ की टोकन राशि का प्रावधान किया जा रहा है जिसे उपर्युक्त वर्णित चल रही प्रक्रिया के कारण उपयोग नहीं किया गया।

[अनुवाद]

बिहार में जाली गैस एजेंसियां

4832. श्री रामकिशुन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ गैस एजेंसियां बिहार के विभिन्न भागों में लोगों को नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने से इंकार करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) क्या कुछ गैस एजेंसियां बिहार के विभिन्न भागों में तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके जाली संपत्तियों द्वारा चलाई जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी घरेलू गैस वितरकों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) नए एल.पी.जी. ग्राहकों का नामांकन तथा नए एल.पी.जी. कनेक्शनों को जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। नए एल.पी.जी. कनेक्शनों को यथा संभव और किसी भी स्थिति में साठ दिनों की अवधि के अंदर उपलब्ध कराया जाता है। अप्रैल-जुलाई, 2010 की अवधि के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) ने बिहार राज्य में 95,000 नए एल.पी.जी. कनेक्शन जारी किए हैं।

ओ.एम.सीज को बिहार राज्य में अपने एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध नए एल.पी.जी. कनेक्शनों का ज़ारी न किए जाने के किसी सिद्ध मामले का पता नहीं लगा है।

(ग) और (घ) ओ.एम.सीज ने बिहार राज्य में बेनामी एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों या अपने अधिकारियों की अनदेखी के किसी सिद्ध मामले की कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया के दौरान और अंततः एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान किए जाने के समय, ओ.एम.सीज द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरती जाती है कि केवल उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान की जाए, जिस श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटरशिप रोस्टर और विज्ञापित हुई हो।

टीके का मूल्य

4833. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खुदरा टीकों का मूल्य बहुत ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में कतिपय भेषज कंपनियां अपने टीकों को निजी चिकित्सकों को छूट प्राप्त मूल्य पर दे रही हैं जिससे चिकित्सकों को काफी ज्यादा लाभ होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की योजना टीकों को मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत लाने की है जैसाकि 1995 तक की स्थिति थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) हाल ही में ऐसी किसी रिपोर्ट की मंत्रालय को जानकारी नहीं है। वैक्सिन गैर-अनुसूचित औषधियां है और औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 1995) के प्रावधानों के अधीन मूल्य नियंत्रण श्रेणी वाली औषधियों में नहीं आती हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) से अनुमोदन लिए बिना ही निर्माताओं द्वारा उनके मूल्य स्वयं निर्धारित किये जाते हैं। तथापि मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के अंग के रूप में, एन.पी.पी.ए. गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में घट-बढ़ की नियमित आधार पर जांच करता है। ओ.आर.जी.-आई.एम.एस. की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के प्रयोजन के लिए किया जाता है। जहां कहीं 10 प्रतिशत वार्षिक (1 अप्रैल, 2007 से पहले 20%) से अधिक मूल्यवृद्धि का पता चलता है तो वहां सम्बन्धित निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वैच्छा से मूल्य घटाए यदि वह ऐसा नहीं करता है तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 95) के पैराग्राफ 10(ख) के अधीन कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) इस समय वैक्सिनों को मूल्य नियंत्रण के अधीन लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एन.पी.सी.आई.एल. तथा रेलवे के साथ संयुक्त उद्यम

4834. श्री पी. कुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की फर्म भारत नाभिकीय विद्युत निगम तथा रेलवे ने संयुक्त रूप से रेलवे हेतु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका क्रियान्वयन कब तक कर दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम (एन.पी.सी.आई.एल.) और रेलवे का संयुक्त रूप से पॉवर संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हज यात्रा

4835. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हज यात्रा के लिए वित्तपोषण/राज-सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य विशेष रूप से कर्नाटक के तीर्थयात्रियों को प्रदान किये गये ऐसे वित्तपोषण का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कर्नाटक में कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(घ) क्या कर्नाटक सहित राज्य सरकारों ने हज यात्रियों के आबंटन कोटा में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) नागर विमानन मंत्रालय भारतीय हज समिति के माध्यम से हज करने वाले यात्रियों के लिए यात्रा के प्रबंध करता है। वर्ष 1994 से ऐसे हाजी हवाई किराए के रूप में 12000/- रुपये अदा कर रहे हैं और शेष लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है। हज 2007,

2008 और 2009 के लिए सरकार द्वारा वहन की गई लागत क्रमशः लगभग 476.75 करोड़ रुपये, 894.77 करोड़ रुपये, और 489.91 करोड़ रुपये थी। सब्सिडी हाजियों को सीधे मुहैया नहीं कराई जाती।

(ग) हज, 2009 के दौरान कर्नाटक से सब्सिडीयुक्त किराए पर यात्रा करने वाले हाजियों की संख्या 5917 थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

शोध विस्तार केन्द्र

4936. श्री एस. पक्कीरप्पाः
श्री ई.जी. सुगावनमः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम कीट पालन में लगे किसानों की सहायता हेतु देश के विभिन्न भागों विशेषरूप से कर्नाटक तथा तमिलनाडु में शोध विस्तार केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(घ) इन केन्द्रों का रेशम कीटपालन किसानों के लिए कितना सहायक होने की संभावना है;

(ङ) क्या रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आवश्यक अवसंरचना सहायता और वित्तीय सहायता दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। केंद्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम उत्पादन किसानों को अनुसंधान विस्तार सहायता उपलब्ध कराने के लिए देश के विभिन्न भागों में अनुसंधान विस्तार केंद्र (आर.ई.सी.) स्थापित किए हैं। कर्नाटक में 3 आर.ई.सी. और तमिलनाडु में 5 आर.ई.सी. हैं।

(ख) केंद्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम उत्पादन के विकास के लिए स्थापित प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन देश के विभिन्न भागों में 62 आर.ई.सी. स्थापित किए हैं। आर.ई.सी. की राज्य वार सूची और इनके स्थान इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	राज्य	आर.ई.सी. की संख्या	स्थान
1	2	3	4
1.	कर्नाटक	3	चित्रदुर्ग, मदिवाला (कोलार) और बिद्रगुप्प (अनेकल)
2.	आन्ध्र प्रदेश	6	वैंकटगिरि कोटा, रायचोटी, मदकसिरा, ब्याकराबाद, इलुरू और भद्रचलम
3.	तमिलनाडु	5	कृष्णगिरि, समयानलूर, होसूर, गोबीचेतीपलायम और उदूमलपेट
4.	पश्चिम बंगाल	4	कूचबिहार, बागमेरा (मोथाबारी), नबागराम और पुरूलिया
5.	जम्मू और कश्मीर	3	वाईकेपोरा, बारनोती और नौसेरा
6.	केरल	1	पालाकड
7.	महाराष्ट्र	4	नासिक, अमरावती, परबहानी और बारामती
8.	गुजरात	1	नवसारी (जलालपोर)
9.	मध्य प्रदेश	2	होसंगाबाद और कतघोरा

1	2	3	4
10.	उड़ीसा	2	देवगढ़ और बांगरीपोसी
11.	राजस्थान	1	फतेहनगर
12.	उत्तर प्रदेश	6	रोबर्टगंज, झांसी, गोंडा, छुटमलपुर, गोरखपुर और फतेहपुर
13.	हिमाचल प्रदेश	3	पालमपुर (कांगड़ा), ऊना और दत्तानगर (रामपुर)
14.	पंजाब	1	सुजानपुर
15.	असम	4	उमराघसू, डिपु, लखीमपुर और मंगलडोई
16.	मेघालय	2	तुरा (पश्चिम गारो हिल्स) और सिलौंग
17.	मणिपुर	2	इंफाल और यकोंगपाओ
18.	मिजोरम	1	एजवाल
19.	त्रिपुरा	1	अगरतला
20.	नागालैण्ड	2	दीमापुर और किकरूमा
21.	सिक्किम	1	रंगपो
22.	छत्तीसगढ़	1	सिंघनपुर
23.	उत्तराखण्ड	3	गोपेश्वर (चमोली), बागेश्वर और उधमसिंह नगर
24.	झारखण्ड	3	महेशपुर राज, गुमला और हथगांमरिया
	कुल	62	

(ग) आर.ई.सी. के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- प्रमुख आर एण्ड संस्थान द्वारा विकसित शहतूत की किस्मों के गुणन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- किसानों द्वारा अपनाने के लिए उपयुक्त कम लागत प्रौद्योगिकियों के प्रचारक के रूप में कार्य करना।
- प्रमुख अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित आधुनिक प्रौद्योगिकियों का किसान समुदाय के बीच प्रदर्शन करना।
- किसानों के लाभ के लिए विस्तार संचार कार्यक्रम आयोजित करना।
- गुणवत्ता रेशम कीट बीजों की आपूर्ति की व्यवस्था करना।
- गहन व्यवहारिक प्रशिक्षण आयोजित करना।

(घ) गुणवत्ता बीज आपूर्ति, विस्तार कार्यक्रम, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता आदि द्वारा संपूरित उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रचार-प्रसार से शहतूती कोया क्षेत्र में उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हुआ है। रेशमकीट बीज अपनाने से कच्ची रेशम उत्पादन के प्रति इकाई क्षेत्रफल में वृद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इससे किसानों की अवसंरचना का उन्नयन, किसानों के कौशल और ज्ञान में सुधार हुआ है, रेशम उत्पादन कार्यों में कड़े अनुशासन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रमों, शहतूत खेती में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने, रेशमकीट पालन और रोग प्रबंधन के माध्यम से संभव हुआ है। इसके अलावा, लाभार्थियों की और संख्या बढ़ाने तथा किसानों के बीच नवीनतम पद्धतियों का प्रचार

करने के लिए अन्य विस्तार क्रियाकलाप अर्थात कृषि मेला/खेत दिवस/किसान दिवस/प्रदर्शनी/श्रव्य दृश्य/विचार गोष्ठी/कार्यशाला/फिल्म शो आदि का आयोजन किया जाता है।

(ङ) और (च) जी, हां। रेशम उत्पादन के संवर्द्धन के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड एक विकास पहल के रूप में सभी राज्यों के राज्य रेशम उत्पादन विभागों के सहयोग से केंद्रीय प्रायोजित योजना अर्थात 'उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.)' कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से देश में रेशम उद्योग के स्टेक होल्डरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सी.डी.पी., अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए एक अद्वितीय एवं प्रभावी साधन है। नवीं योजना के दौरान शुरू किए गए सी.डी.पी. को कुछ संशोधनों और अतिरिक्त अनपुट्स के साथ 11वीं योजना में भी जारी रखा जा रहा है। सी.डी.पी. के संघटकों के तहत, पादक पौध के विकास एवं विस्तार, फार्म एवं पश्च कोया अवसंरचना के विकास, रेशम में रिलिंग एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के उन्नयन, उद्यम विकास कार्यक्रम, विस्तार एवं प्रचार आदि के लिए सहायता की परिकल्पना की गई है। सी.डी.पी. के संघटक रेशम उत्पादन करने वाले मौजूदा एवं नए किसानों, दोनों के लिए लाभप्रद हैं। राज्य विभाग को मौजूदा और साथ ही साथ नए किसानों को अभिज्ञात करना होता है और उन्हें सी.डी.पी. के तहत उपलब्ध संघटकों की पेशकश करनी होती है।

11वीं योजना (2007-08 से 2010-11) के दौरान सी.डी.पी. के लिए किए गए वर्ष-वार आबंटन और व्यय तथा इसी अवधि के दौरान कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों के संबंध में किए गए वर्ष-वार व्यय इस प्रकार हैं:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सी.डी.पी. के तहत अनुमोदित कुल परिव्यय	कुल व्यय	जिसमें से निम्नलिखित के लिए किया गया व्यय	
			कर्नाटक	तमिलनाडु
2007-08	81.01	80.82	10.15	7.45
2008-09	76.73	90.74	18.77	9.55
2009-10	146.12	144.06	23.07	9.12
2010-11	275.33	149.80*	20.98*	16.26*

*सूचित व्यय जुलाई, 2010 तक के लिए हैं।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों हेतु विकास योजना

4837. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अल्पसंख्यकों के विकास के संबंध में किन राज्यों से सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्राप्त प्रस्तावों पर अब तक की गई कार्रवाई का प्रस्ताव-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान सभी प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान कर दिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ङ) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना और अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के विकास के लिए प्राप्त प्रस्तावों, जिन पर संबद्ध योजना/कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकृति हेतु विचार

किया गया है, के आधार पर वर्ष 2008-09, 2009-10 और वर्तमान वर्ष 2010-11 में 31 जुलाई, 2010 तक जारी धनराशि तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम संलग्न विवरण-I से V में दिए गए हैं।

विवरण-I

I. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	2008-09		2009-10		2010-11 वित्तीय (31-7-2010 तक) (करोड़ रु. में)		
		वास्तविक	वित्तीय (करोड़ रु. में)	वास्तविक	वित्तीय (करोड़ रु. में)	वास्तविक	प्राप्त प्रस्तावों के लिए जारी धनराशि	अग्रिम अनुदान के रूप में जारी धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	25923	5.37	86248	13.90	105324	18.64	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0	0
3.	असम	0	0.00	87376	16.83	38259	8.37	0
4.	बिहार	43582	10.71	35668	9.22	39898	6.11	7.33
5.	छत्तीसगढ़	1600	0.24	4765	1.07	0	0	0.93
6.	गोवा	151	0.02	594	0.04	0	0	0.04
7.	गुजरात	0	0.00	0	0.00	0	0	0
8.	हरियाणा	3727	0.51	14867	1.58	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	540	0.18	1095	0.09	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	4842	1.02	53421	7.44	0	0	0
11.	झारखंड	12003	2.71	18510	2.10	0	0	0
12.	कर्नाटक	21018	1.89	86829	13.93	28758	3.27	0
13.	केरल	46347	3.50	161590	12.24	89322	6.77	13.80
14.	मध्य प्रदेश	13719	2.44	18278	2.18	0	0	2.18
15.	महाराष्ट्र	58052	4.51	201490	15.78	0	0	0
16.	मणिपुर	1960	0.46	10780	3.10	0	0	0
17.	मेघालय	5479	0.71	10518	1.26	0	0	0.24
18.	मिजोरम	2661	0.44	9428	1.58	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	नागालैंड	0	0.00	0	0.00	0	0	0
20.	उड़ीसा	3542	0.28	17049	1.34	0	0	0
21.	पंजाब	49996	3.79	123907	15.10	0	0	0
22.	राजस्थान	18775	1.83	60318	4.72	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0.00	604	0.09	0	0	0
24.	तमिलनाडु	24135	2.33	84150	7.82	70114	6.49	7.20
25.	त्रिपुरा	821	0.07	1069	0.08	0	0	0:08
26.	उत्तर प्रदेश	97785	12.98	371189	48.63	45576	6.02	30.50
27.	उत्तराखंड	0	0.00	449	0.07	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	68235	5.36	240548	19.72	317049	24.80	20.88
29.	अंडमान और निकोबार	220	0.04	96	0.01	0	0	0.01
30.	चंडीगढ़	398	0.04	1518	0.17	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	21	0.01	40	0.02	0	0	0
32.	दमन और दीव	30	0.01	110	0.02	0	0	0
33.	दिल्ली	6918	0.71	26313	2.77	6617	0.66	0
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0	0
35.	पुडुचेरी	177	0.05	259	0.01	0	0	0
	योग	512657	62.21	1729076	202.94	740917	81.12	83.19

विवरण-II

II. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11 वित्तीय (31-7-2010 तक) (करोड़ रु. में)		
		वास्तविक	वित्तीय (करोड़ रु. में)	वास्तविक	वित्तीय (करोड़ रु. में)	वास्तविक	प्राप्त प्रस्तावों के लिए जारी धनराशि	अग्रिम अनुदान के रूप में जारी धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	9248	6.23	26692	19.96	29520	25.46	5.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	8479	4.87	9908	8.32	189	0.14	0
4.	बिहार	18192	10.86	13245	3.80	0	0	7.42
5.	छत्तीसगढ़	563	0.24	822	0.60	0	0	0.55
6.	गोवा	269	0.13	0	0.00	0	0	0
7.	गुजरात	5763	1.97	7766	2.88	0	0	0
8.	हरियाणा	1934	0.93	1897	0.68	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	158	0.08	349	0.17	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	1867	0.98	5992	3.67	0	0	0
11.	झारखंड	4473	2.86	7221	3.67	0	0	2.97
12.	कर्नाटक	7232	0.46	27598	8.82	6355	2.10	0
13.	केरल	13018	2.43	52861	11.21	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	4319	1.85	3107	1.10	0	0	1.20
15.	महाराष्ट्र	11551	4.03	15333	8.17	8734	5.86	0
16.	मणिपुर	1055	0.75	3422	2.85	0	0	0
17.	मेघालय	56	0.03	65	0.04	0	0	0.04
18.	मिजोरम	1226	0.87	3184	2.54	0	0	0
19.	नागालैंड	27	0.02	23	0.02	0	0	0
20.	उड़ीसा	837	0.35	1288	0.46	0	0	0
21.	पंजाब	2647	1.26	17737	10.73	0	0	0
22.	राजस्थान	4341	2.14	8144	4.00	529	0.23	0
23.	सिक्किम	0	0.00	245	0.10	0	0	0
24.	तमिलनाडु	8004	2.42	26342	11.04	412	0.32	4.43
25.	त्रिपुरा	203	0.05	165	0.07	0	0	0.07
26.	उत्तर प्रदेश	31995	16.46	53928	24.78	23478	12.30	11.68
27.	उत्तराखंड	264	0.10	145	0.06	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	पश्चिम बंगाल	31289	7.72	75660	18.43	0	0	12.83
29.	अंडमान और निकोबार	49	0.03	24	0.01	0	0	0.01
30.	चंडीगढ़	120	0.05	159	0.05	2	0.00074	0
31.	दादरा और नगर हवेली	17	0.01	25	0.01	0	0	0
32.	दमन और दीव	4	0.02	20	0.02	0	0	0
33.	दिल्ली	951	0.39	922	0.43	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	122	0.04	98	0.03	0	0	0
	योग	170273	70.63	364387	148.74	69219	46.41	46.20

विवरण-III

III. मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11 (31-7-10 तक)	
		वास्तविक	वित्तीय (करोड़ रु. में)	वास्तविक	वित्तीय (करोड़ रु. में)	वास्तविक	वित्तीय (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1411	3.61	1319	2.36	0	
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	
3.	असम	1372	3.68	1910	5.86	83	0.25
4.	बिहार	2500	4.71	2718	8.68	0	
5.	छत्तीसगढ़	78	0.21	121	0.32	0	
6.	गोवा	52	0.13	68	0.19	0	
7.	गुजरात	526	1.07	705	1.43	35	0.09
8.	हरियाणा	344	0.87	300	0.74	0	
9.	हिमाचल प्रदेश	19	0.05	35	0.09	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू और कश्मीर	1392	3.24	1278	2.73	0	
11.	झारखंड	620	1.52	709	1.96		
12.	कर्नाटक	1383	3.64	1756	4.60	15	0.05
13.	केरल	2239	5.40	3504	9.45	0	
14.	मध्य प्रदेश	490	1.21	984	2.44	0	
15.	महाराष्ट्र	2006	4.81	3028	7.67	0	
16.	मणिपुर	158	0.54	98	0.23	0	
17.	मेघालय	51	0.08	85	0.32	0	
18.	मिजोरम	179	0.67	122	0.33	0	
19.	नागालैंड	0	0.00	143	0.57	0	
20.	उड़ीसा	188	0.50	241	0.63	0	
21.	पंजाब	592	1.63	1884	5.37	0	
22.	राजस्थान	882	2.15	956	2.40	1	
23.	सिक्किम	0	0.00	20	0.10	0	
24.	तमिलनाडु	1659	4.40	2209	5.80	0	
25.	त्रिपुरा	23	0.07	54	0.16	0	
26.	उत्तर प्रदेश	4268	10.82	4808	14.47	826	1.99
27.	उत्तराखंड	65	0.22	109	0.30	0	
28.	पश्चिम बंगाल	3336	8.73	6379	17.40	0	
29.	अंडमान और निकोबार	5	0.04	8	0.03	0	
30.	चंडीगढ़	25	0.05	28	0.09	0	
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	
32.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	
33.	दिल्ली	322	0.65	387	0.79	3	0.01
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	
35.	पुडुचेरी	10	0.03	16	0.04	0	
	योग	26195	64.73	35982	97.51	963	2.38

विवरण-IV

IV. निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपलब्धि 2008-09		उपलब्धि 2009-10		उपलब्धि 2010-11 (31-7-2010 तक)	
		वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार	-	-	-	-	-	-
2.	आन्ध्र प्रदेश	49.27	650	17.05	100	-	-
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
4.	असम	-	-	23.39	150	-	-
5.	बिहार	-	-	13.00	100	84.69	500
6.	चंडीगढ़	6.80	50	-	-	-	-
7.	छत्तीसगढ़	10.44	90	7.57	50	-	-
8.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-	-	-
9.	दमन और दीव	-	-			-	-
10.	दिल्ली	82.38	541	56.96	500	-	-
11.	गोवा	-	-	-	-	-	-
12.	गुजरात	12.06	100	10.28	-	-	-
13.	हरियाणा	15.90	140	16.81	40	11.59	100
14.	हिमाचल प्रदेश	-	-	2.82	25	-	-
15.	जम्मू और कश्मीर	-	-	9.20	-	-	-
16.	झारखंड	07.10	75	-	-	33.50	200
17.	कर्नाटक	81.46	520	106.49	535	5.74	-
18.	केरल	18.37	200	4.19	25	29.44	500
19.	मध्य प्रदेश	22.32	220	48.82	215	6.50	
20.	महाराष्ट्र	116.09	980	16.93	130	290.99	2200
21.	मणिपुर	14.99	118	33.66	230	5.03	-

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	मेघालय	-	-	6.69	50	-	-
23.	मिजोरम	29.47	180	9.49	50	-	-
24.	नागालैंड	07.02	50	7.03	-	-	-
25.	उड़ीसा	07.91	75	39.94	230	-	-
26.	पंजाब	05.80	50	36.89	220	-	-
27.	राजस्थान	75.70	75	155.35	682	11.07	-
28.	सिक्किम		-	-	-	-	-
29.	तमिलनाडु		-	-	-	4.32	100
30.	त्रिपुरा	08.54	100	-	-	-	-
31.	उत्तर प्रदेश	82.24	685	80.11	150	-	-
32.	उत्तराखंड	-	623	-	-	-	-
33.	पश्चिम बंगाल	76.02	-	419.20	2050	5.97	50
34.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
35.	पुडुचेरी	-	-	-	-	-	-
	योग	729.88	5522	1121.86	5532	488.84	3650

विवरण-V

V. वर्ष 2008-09 से बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाएं, कोष्ठक में यूनिटों की संख्या के साथ	जारी धनराशि (लाख रु. में)			
			2008-09	2009-10	2010-11 (31-7-2010 तक)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश	इंदिरा आवास योजना के मकान (74307), आंगनवाडी केन्द्र (8191), स्वास्थ्य क्षेत्र (852), पेय जल (2346), अतिरिक्त कक्षाएं (331), स्कूल भवन (7) और आई.टी.आई. भवन (3)	12442.11	29436.33	771.4	42649.84

1	2	3	4	5	6	7
2.	पश्चिम बंगाल	इंदिरा आवास योजना के मकान (23726), आंगनवाडी केन्द्र (6490), स्वास्थ्य क्षेत्र (667), पेय जल (6123), अतिरिक्त कक्षाएं (3549), स्कूल भवन (41), शिक्षण सहायता (40), प्रयोगशाला उपकरण (15), सौर लालटेन (5000) और बालिका छात्रावास (3)	4327.59	23539.13	0.00	27866.72
3.	हरियाणा	इंदिरा आवास योजना के मकान (2000), आंगनवाडी केन्द्र (71), स्वास्थ्य क्षेत्र (6), अतिरिक्त कक्षाएं (128) और स्कूल भवन (7)	1401.23	460.45	0.00	1861.68
4.	असम	इंदिरा आवास योजना के मकान (65310), आंगनवाडी केन्द्र (1305), स्वास्थ्य क्षेत्र (79), पेय जल (4579), अतिरिक्त कक्षाएं (1402) और सौर लालटेन/प्रकाश (9905)	4226.65	15192.08	1870.44	21289.17
5.	मणिपुर	इंदिरा आवास योजना के मकान (5940), आंगनवाडी केन्द्र (75), स्वास्थ्य क्षेत्र (152), पेय जल (670), स्कूल भवन (362), आई.टी. आई. भवन (1) और समेकित वाटर सेड विकास कार्यक्रम (6000 हेक्टेयर)	3011.78	6004.25	0.00	9016.03
6.	बिहार	इंदिरा आवास योजना के मकान (12256), आंगनवाडी केन्द्र (4014), स्वास्थ्य क्षेत्र (145), पेय जल (1044), अतिरिक्त कक्षाएं (641), स्कूल भवन (134), प्रयोगशाला उपकरण (19), सौर लालटेन (385) और शौचालय तथा पेय जल आपूर्ति योजना (279)	1675.21	10503.92	49.24	12228.37
7.	मेघालय	इंदिरा आवास योजना के मकान (5000), पेय जल (1301) और अतिरिक्त कक्षाएं (50)	0.00	1086.82	0.00	1086.82
8.	अंडमान	आंगनवाडी केन्द्र (35) और आई.टी.आई. भवन (1)	0.00	109.14	15.93	125.07
9.	झारखंड	इंदिरा आवास योजना के मकान (9215), आंगनवाडी केन्द्र (1205) और स्वास्थ्य क्षेत्र (122)	0	4429.83	20.79	4450.62
10.	उड़ीसा	इदिरा आवास योजना के मकान (5740), आंगनवाडी केन्द्र (151), स्वास्थ्य क्षेत्र (15) और अतिरिक्त कक्षाएं (11)	0.00	1041.24	992.24	2033.48

1	2	3	4	5	6	7
11.	केरल	स्वास्थ्य क्षेत्र (10)	0.00	76.50	0.00	76.50
12.	कर्नाटक	इंदिरा आवास योजना के मकान (1687), आंगनवाडी केन्द्र (150), स्वास्थ्य क्षेत्र (15), और अतिरिक्त कक्षाएं (50)	0.00	580.18	925.71	1505.89
13.	महाराष्ट्र	इंदिरा आवास योजना के मकान (10157) और आंगनवाडी केन्द्र (596)	0	2227.11	20.50	2247.61
14.	मिजोरम	इंदिरा आवास योजना के मकान (890), आंगनवाडी केन्द्र (55), स्वास्थ्य क्षेत्र (22), अतिरिक्त कक्षाएं (23) और स्कूल भवन (4)	0	403.04	0.00	403.04
15.	जम्मू और कश्मीर	आंगनवाडी केन्द्र (40), पेय जल (82) और अतिरिक्त कक्षाएं (34)	0.00	599.58	0.00	599.58
16.	उत्तराखंड	आंगनवाडी केन्द्र (412)	0.00	811.85	0.00	811.85
17.	दिल्ली	अतिरिक्त कक्षाएं (80) और शौचालय ब्लॉक (17)	0.00	155.00	0.00	155.00
18.	सिक्किम	आंगनवाडी केन्द्र (6)	0.00	0.00	9.00	9.00
19.	मध्य प्रदेश	आंगनवाडी केन्द्र (200), अतिरिक्त कक्षाएं (120) और इंदिरा आवास योजना के मकान (1000)	0.00	645.60	0.00	645.60
20.	अरुणाचल प्रदेश		0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग		27084.57	97302.05	4675.25	129061.87

[अनुवाद]

एन.ए.डब्ल्यू.ओ.

4838. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नेशनल अलायन्स ऑफ वीमन द्वारा आयोजित सीमांत समुदायों, दलितों, अल्पसंख्यकों तथा मुसलमानों की महिला नेताओं का तीन दिवसीय सम्मेलन हाल में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समुदायों के विकास हेतु सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों का उचित ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन समुदायों के लिए बनाए गए कानूनों के उचित क्रियान्वयन हेतु उक्त सम्मेलन के परिणामों को देखते हुए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले उपचारात्मक कदम क्या हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

चेक डिसऑनर के लंबित मामले

4839. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक बैंकों द्वारा चैकों को अस्वीकार किए जाने के राज्य-वार कितने मामले न्यायालयों में लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों को निपटाने के लिए और न्यायालय स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) ऐसी जानकारी केंद्रीय रूप से नहीं रखी जा रही है।

(ख) और (ग) अधीनस्थ स्तर पर न्यायालय, संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं।

सरकार ने न्याय के परिदान में सुधार के लिए राज्यों को 5000 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करने के लिए तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसके अंतर्गत प्रातःकालीन/सायंकालीन/पाली/ विशेष मजिस्ट्रेट न्यायालयों की स्थापना करने के लिए 2500 करोड़ रुपए के अनुदान भी सम्मिलित हैं। उच्च न्यायालय, अन्य बातों के साथ, ऐसे न्यायालयों को निपटान के लिए चैक बाउंसिंग मामलों को भी समनुदेशित करते हैं।

सादुलपुर, चुरू स्टेशनों का आधुनिकीकरण

4840. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार सादुलपुर, चुरू तथा रतनगढ़ रेलवे स्टेशनों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त उद्देश्य के लिए अनुमानतः कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) सादुलपुर, चुरू और रतनगढ़ रेलवे स्टेशनों पर मानदंडों के अनुसार सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। यात्री सुविधाओं का अपग्रेडेशन/आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और इससे संबंधित कार्य मौजूदा नीति के अनुसार योजना शीर्ष "यात्री सुविधाओं" के अंतर्गत शुरू किए जाते हैं।

[अनुवाद]

निजी गैस कंपनियों पर अर्थदंड

4841. श्री के.आर.जी. रेड्डी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी गैस कंपनियां तथा देश में गैस संबंधित परियोजनाओं की कार्य सारणी पर काम नहीं करने पर कठोर अर्थदंडों का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रावधानों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) भारत सरका ने "पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पी.एन.जी.आर.बी.) अधिनियम, 2006" अधिनियमित किया है, जिसमें पी.एन.जी. आर.बी. को नगर गैस वितरण (सी.जी.डी.) नेटवर्कों और प्राकृतिक गैस ट्रंक पाइपलाइनों को प्राधिकार प्रदान करने के साथ-साथ तेल और गैस डाऊनस्ट्रीम कार्यों को विनियमित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यदि कंपनियां पी.एन.जी.आर.बी. को दी गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थ रहती हैं तो पी.एन.जी.आर.बी. द्वारा तैयार किए गए विनियमों में निम्नलिखित शास्तियों की व्यवस्था है:-

(i) कंपनी द्वारा जमा कराई गई कार्य निष्पादन बैंक गारंटी को भुनाना।

(ii) प्राधिकार को रद्द/समाप्त करना, और

(iii) अधिनियम के अध्याय-IX के तहत अपराधों और दंड के लिए निर्धारित कार्रवाईयां किए जाने के अलावा पी.एन.जी.आर.बी. अधिनियम, 2006 की धारा 28 के तहत सिविल दंड।

[हिन्दी]

जमालपुर रेल फैक्ट्री

4842. श्री आर.के. सिंह पटेल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान उत्पादन/क्षमता में वृद्धि

हेतु जमालपुर रेलवे फैक्ट्री के विस्तार पर व्यय की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) आज की तिथि के अनुसार उत्पादकता की स्थिति की तुलना में व्यय की गई धनराशि कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान जमालपुर कारखाने की क्षमता के विस्तार पर खर्च की गई निधियों का ब्यौरा:

(राशि लाख रु.)

2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
478.47	120.95	1377.27	158.50	596.70

(ख) प्रमुख मदों और उत्पादन की कुल लागत का वर्षवार वास्तविक आउटपुट नीचे दिया गया है:

	प्रमुख मदों का आउटपुट	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
(क)	आउट टर्न आवधिक ओवर हालिंग (पी.ओ.एच.)					
(i)	व्हीक्यूलर इकाइयों (वी.यू.) में वैगन पी.ओ.एच.	4093	4408	4478	4397	4213
(ii)	डीजल लोको पी.ओ.एच. (सं.)	70	73	76	77	80
(ख)	चल स्टाक प्रोग्राम मदें					
(i)	बाक्स एन. वैगन की पुनर्स्थापना	509	426	644	648	610
(ii)	बोगियों का निर्माण	-	-	-	97	138
(ग)	विनिर्माण मदें					
(i)	140 टी क्रेन का विनिर्माण (सं.)	3	1	-	4	7
(ii)	बी.एल.सी. वैगन का विनिर्माण (वीयू)	-	44	56	180	292
(iii)	बाक्स एन.एच.एल. वैगन का विनिर्माण (वीयू)	-	-	-	-	37
	उत्पादन की कुल लागत (सभी अन्य मदों सहित) (राशि लाख रुपए में)	21700	25300	28300	38400	51800

[अनुवाद]

राज्य खाद्य प्रसंस्करण मंत्रियों का सम्मेलन

4843. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वित्त, कच्चे माल, प्रौद्योगिकी की कमी तथा किसानों के साथ बैकवर्ड लिंकेजेज से ग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हाल में आयोजित राज्य खाद्य प्रसंस्करण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) मंत्रालय के विजन 2015 डॉक्यूमेंट के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र वित्त की कमी, कच्ची सामग्री की किस्मों की अपर्याप्ता, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर और किसानों के साथ घटिया बैकवर्ड लिंकेज से जूझ रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की प्रमुख कठिनाइयां हैं, खंडित और परंपरागत खेती के कारण फसल कटाई के बाद संचालन के विभिन्न स्तरों पर आने वाली कठिनाइयां, पर्याप्त फसलोत्तर अवसंरचना जैसे शीत श्रृंखला सुविधाओं, परिवहन, समुचित भण्डारण सुविधाओं, कच्ची सामग्री की प्रसंस्करण योग्य किस्म की कमी, इस क्षेत्र में निवेश के पर्याप्त प्रवाह में कमी आदि।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा राज्य खाद्य मंत्रियों का दिनांक 06-10-2009 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने किया था। सम्मेलन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारविमर्श किया गया जो इस प्रकार हैं - ग्रामीण फार्म-गेट अवसंरचना का विकास, प्रक्रिया और विनियामक बाधाओं को हल करना, एकसमान खाद्य प्रसंस्करण नीति, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता तथा मानव संसाधन विकास।

(घ) सम्मेलन के निष्कर्षों पर अच्छी तरह सोच-विचार करके, मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त खाद्य प्रसंस्करण नीतियां बनाएं।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में फास्ट ट्रैक अदालत

4844. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार से फास्ट ट्रैक न्यायालय, परिवार न्यायालय, अदालत तथा आवासीय भवनों के निर्माण तथा जिला सत्र न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण हेतु धनराशि के आबंटन संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ग) सरकार त्वरित निपटान न्यायालयों के प्रचालन के लिए राज्यों को, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य भी है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2009-10 तक छत्तीसगढ़ राज्य को अनुदान पहले ही जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने, वर्ष 2009-10 के दौरान जारी किए गए अनुदान के लिए राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है।

वर्ष 2008-09 के लिए योजनाधीन 30 लाख रुपए का अनुदान जारी करने का प्रस्ताव, तीन कुटुंब न्यायालयों के भवनों के सन्निर्माण पर व्यय के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त किया गया था। वर्ष 2002-03 से वर्ष 2007-08 तक कुटुंब न्यायालयों के भवनों के सन्निर्माण के लिए योजना के अधीन छत्तीसढ़ सरकार को 130 लाख रुपए का अनुदान जारी किया गया था। स्कीम के अनुसार, राज्य सरकार को कम से कम एक समान शेयर उपलब्ध कराना होता था। तथापि, छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2008-09 तक केवल 82.36 लाख रुपए का व्यय राज्य सरकार द्वारा उपगत किया गया था। इस प्रकार, कुटुंब न्यायालयों के भवनों के सन्निर्माण के लिए अतिरिक्त अनुदान केवल तभी जारी किया जाता है जब राज्य सरकार कुटुंब न्यायालयों के भवनों के सन्निर्माण पर कम से कम 260 लाख रुपए की रकम, जिसके अंतर्गत कम से कम 130 लाख रुपए का राज्य शेयर भी है, की उपयोगिता उपदर्शित करता है।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधा विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, केंद्रीय सरकार योजना आयोग द्वारा किए गए आबंटन पर आधारित केंद्रीय सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों के मुकाबले में राज्यों द्वारा आशयित निधियों की अपेक्षा पर आधारित राज्यों को अनुदान जारी करती है। राज्यों से कम से कम एक समान शेयर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है।

वर्ष 2008-09 के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने 49.28 करोड़ रुपए की अपेक्षा प्रायोजित की थी जिसके मुकाबले में 7.22 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया था। वर्ष 2009-10 के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार से 31.07 करोड़ रुपए की अपेक्षा के मुकाबले 9.05 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया था।

केंद्रीय सरकार देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य भी है, एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है जिसे राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

लीज अवधि पर पेट्रोल पंप

4845. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन पेट्रोल पंपों की संख्या क्या है जिनकी लीज अवधि गत तीन वर्षों के दौरान समाप्त हो गई है;

(ख) क्या पेट्रोल पंपों को पुनः लीज पर देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) अर्थात् इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) के 501 खुदरा बिक्री केन्द्र (आर.ओ.) स्थलों के लिए पट्टा गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (1-4-2007 से अप्रैल-जून, 2010 तक) के दौरान समाप्त हो चुका है। भूमि की पट्टा अवधि की समाप्ति से पूर्व, ओ.एम.सीज द्वारा, अपनी सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया और कार्पोरेशन एवं जनता के हित की व्यापक सुरक्षा के एक भाग के रूप में, दोनों पक्षों को परस्पर स्वीकार्य शर्तों पर आर.ओ. स्थल के पट्टे के नवीनीकरण हेतु सभी प्रयत्न किए जाते हैं।

[अनुवाद]

एयरलाइनों द्वारा सीटों की फर्जी बुकिंग

4846. प्रो. रंजन प्रसाद यादव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में एयर लाइनों और ट्रेवल्स पोर्टलों द्वारा कम किराये की सीटों को फर्जी बुकिंग के कदाचार आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने ट्रेवल पोर्टलों द्वारा कम किराये की फर्जी बुकिंग को रोकने के लिए कोई प्रारूप तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये नियम कब प्रभावी होंगे?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) एयरलाइनों एवं ट्रैवल एजेंटों द्वारा फर्जी बुकिंग को रोकने के प्रयोजन से नागर विमानन महानिदेशालय ने दिनांक 31 जुलाई, 2010 को विनियम जारी किया है। इस विनियम के अंतर्गत, फर्जी बुकिंग एवं गलत तरीके से टिकट देने के कारण नियम का उल्लंघन करना। वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 133-क के तहत दण्डनीय अपराध है। नियमों का उल्लंघन करने पर अधिकतम दण्ड 6 महीने का कारावास या 2 लाख रुपये का जुर्माना अथवा दोनों लगाया जा सकता है।

नैसिल की बाजार में हिस्सेदारी

4847. श्रीमती प्रिया दत्त:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) की यात्री यातायात में बाजार हिस्सेदारी के प्रति वर्ष कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बाजार हिस्सेदारी में कमी का मुख्य कारण नैसिल द्वारा घटिया सेवाएं/भोजन उपलब्ध कराया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। एक एयरलाइन का मार्केट शेयर संबंधित शर्त के रूप में होता है, जो कि न केवल एयरलाइनों द्वारा स्वयं वाहित/क्षमताओं पर निर्भर करता है,

बल्कि मार्केट में अन्य एयरलाइनों के वाहित/क्षमताओं पर भी निर्भर करता है। भारतीय घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत के लिए/से अन्य एयरलाइनों द्वारा निरन्तर क्षमता में वृद्धि किए जाने के कारण पिछले कुछ वर्षों में नैसिल की क्षमता शेयर में गिरावट आई है। इस प्रकार इसका मार्केट शेयर प्रभावित हुआ है। तथापि, एअर इंडिया और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा वहन किए गए यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, इन वर्षों में एअर इंडिया के विमानों की संख्या और क्षमता में भी वृद्धि हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में एल.पी.जी. डीलर्स

4848. श्री विश्व मोहन कुमार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार सहित देश में नियुक्त किए गए एल.पी.जी. डीलरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या विभिन्न श्रेणियों के डीलरों विशेष रूप से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित डीलरों की नियुक्ति के बावजूद पटना सहित विभिन्न जिलों में कथित एल.पी.जी. बिक्री केन्द्र खोले जाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चुने गए डीलरों द्वारा पटना तथा बिहार के अन्य स्थानों में एल.पी.जी. का वितरण कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) गत तीन वर्षों में और अप्रैल-जुलाई 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने बिहार राज्य में 47 सहित देश में 630 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू की हैं।

(ख) से (घ) अनुसूचित जाति (महिला) श्रेणी सहित सभी श्रेणियों की एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने की प्रक्रिया में विज्ञापन जारी करना, आवेदन पत्रों की जांच करना, साक्षात्कार के लिए सभी पात्र उम्मीदवारों को सूचना पत्र भेजना, योग्यता सूची की घोषणा करना, प्रथम सूचीबद्ध उम्मीदवार के बारे में क्षेत्र जांच कराना, न्यायालय मामलों की अनापत्ति प्राप्त करना, गोदाम/शोरूम के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था करना और सांविधिक अनापत्तियां प्राप्त करना, इत्यादि शामिल हैं। इसलिए एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू करने/खोलने की एक निश्चित समय सीमा बता पाना संभव नहीं है, परन्तु इन्हें यथाशीघ्र चालू करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

गाजियाबाद-नई दिल्ली रेलवे लाइन

4849. श्री राजेन्द्र अग्रवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे के अंतर्गत गाजियाबाद-नई दिल्ली रेल खंड पर यात्रा करने वाले यात्रियों को रेल लाइनों की कमी से उत्पन्न भारी यातायात के कारण प्रतिदिन अत्यधिक देरी का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) उत्तर रेलवे के गाजियाबाद-नई दिल्ली खंड के बीच गाड़ियों का कोई दैनिक अनियमित विलंब नहीं है। व्यस्तम घंटों के दौरान कभी-कभी सुबह और शाम के समय कुछ गाड़ियों में विभिन्न कारणों जैसे शरारती गतिविधियों, अलार्म चेन खींचने, चक्रवाती तूफानों, दरारों के कारण रेलपथ को नुकसान, कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं, खराब मौसम, मवेशियों के कुचले जाने और विद्युत ग्रिड की विफलता और उपस्करों की विफलता से विलंब होता है। चूंकि कई गाड़ियां सुबह और शाम के व्यस्त घंटों के दौरान पंक्ति में एक दूसरे के काफी कम अंतराल पर चलती हैं इसलिए समूहन के दौरान अतिरिक्त ट्रांजिट टाइमिंग निर्धारित प्लेटफार्म बर्थिंग और अनुरक्षण स्लाट्स को प्रभावित करता है और इसकी शृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होती है और यात्री परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ग) गाड़ियों का समय पालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:-

1. मंडल, क्षेत्रीय मुख्यालयों और रेलवे बोर्ड तीनों

स्तरों पर गाड़ियों की सघन और चौबीसों घंटे निगरानी।

2. समय-समय पर समयपालन अभियान चलाए जा रहे हैं।

3. खाली मार्ग मुहैया कराने के लिए समय सारणी को बेहतर करना।

4. उपस्करों की विफलता में कमी लाने के लिए परिसंपत्तियों के अनुरक्षण मामलों में सुधार करना।

5. समय पर चालन को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण, परामर्श और प्रेरित करना।

6. रेलपथ, चल स्टॉक और सिगनल प्रणाली की प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

7. टर्मिनल और लाइन क्षमता में सुधार करने के लिए अवसंरचना का उन्नयन।

दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था

4850. श्री प्रेमचन्द गुड्डू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था में अनियमितताएं पायी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकांश मैटल डिटेक्टर खराब हैं और अनेक स्थानों पर सुरक्षाकर्मियों को नियुक्त नहीं किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली में स्टेशन-वार लगाए गए मैटल डिटेक्टरों की संख्या कितनी है; और

(घ) रेलवे द्वारा स्टेशनों पर सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, निरंतर उपयोग के कारण कुछ मैटल डिटेक्टर स्थायी रूप से खराब हो गए हैं: ऐसे मैटल डिटेक्टरों की तत्काल मरम्मत की जाती है। सुरक्षा कर्मियों द्वारा मैटल डिटेक्टरों की हमेशा निगरानी/ उपयोग किया जाता है।

(ग) दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर स्थापित किए गए डोर फ्रेम मैटल डिटेक्टर का विवरण निम्नलिखित है:-

नई दिल्ली-13, दिल्ली किशनगंज-03, दिल्ली सराय रोहिल्ला-05, दिल्ली कैंट-04, शकूर बस्ती-01, आई.आर.सी.ए.-01, दिल्ली-13, हजरत निजामुद्दीन-05, दिल्ली सफदरजंग-04, दिल्ली शाहदरा-03, तिलक ब्रिज-01, तुगलकाबाद-01 और आनंद विहार-02।

इसके अतिरिक्त इन स्टेशनों पर रेसुब कार्मिकों को 176 हैंड हैल्ड मैटल डिटेक्टर और एक-एक बैगेज स्कैनर नई दिल्ली और दिल्ली (मेन) रेलवे स्टेशनों पर स्थापित किया गया है।

(घ) इन स्टेशनों पर यात्रियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए/ प्रस्तावित हैं:-

(i) रा.रे.पु., स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय रखा जाता है।

(ii) पर्यवेक्षण स्टाफ को अधिकतम चौकन्ना रखा जाता है।

(iii) संदिग्ध व्यक्तियों/सामान और वस्तुओं पर निगरानी रखने के लिए रेल कर्मचारियों, टैक्सी चालकों, अधिकृत वेंडरों और कुलियों को जागरूक करना।

(iv) प्लेटफार्मों और पैदल उपरिपुलों पर यातायात का विनियमन।

(v) चुनिंदा यात्रियों की जांच करने के लिए और संदिग्ध व्यक्तियों/वस्तुओं पर कड़ी निगाह रखने के लिए डूर फ्रेम मैटल डिटेक्टर पर प्रवेश बिंदुओं पर कर्मचारियों को तैनात करना।

(vi) स्टेशन परिसरों, गाड़ियों और प्लेटफार्मों में श्वान दस्ते द्वारा जांच।

(vii) स्टेशन परिसरों में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए एक्सेस नियंत्रण की स्थिति को बरकरार रखा जा रहा है।

(viii) यात्रियों को अपराधियों की गतिविधियों के बारे में जन उद्घोषणा प्रणाली, लाउड हेलर और पैंफलेट के जरिए संवेदनशील बनाया जा रहा है।

(ix) रा.रे.पु., पुलिस और आसूचना एजेंसियों के साथ नियमित बैठकें।

(x) आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल और सी.सी.टी.वी. द्वारा निगरानी।

(xi) दिल्ली क्षेत्र के स्टेशनों के लिए 'एकीकृत सुरक्षा प्रणाली' को 22 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृत किया गया है। प्रणाली में निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया गया है:-

(क) आसूचना वीडियो विश्लेषक सहित इंटरनेट प्रोटोकाल आधारित सी.सी.टी.वी. प्रणाली।

(ख) एक्सेस कंट्रोल।

(ग) व्यक्तिगत और सामान जांच प्रणाली।

(घ) बम डिटेक्शन और डिस्पोजल प्रणाली।

राजस्थान में सस्ते होटल

4851. श्री इज्यराज सिंह:
श्री हरीश चौधरी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने राजस्थान में स्थित रेलवे स्टेशनों पर सस्ते होटल उपलब्ध कराए जाने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे रेलवे स्टेशनों की संख्या क्या है जहां ऐसे होटल उपलब्ध कराए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) राजस्थान राज्य में अजमेर जंक्शन, जयपुर और कोटा रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने और आबू रोड, भरतपुर जंक्शन, बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़, सीकर, सवाई माधोपुर और उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशनों को बहुआयामी परिसरों में बदलाव करने की अवधारणा को विकसित किया गया है जहां बाजार की संभावनाओं के आधार पर बजट होटल तैयार किए जा सकते हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नंजनगुड रेलवे स्टेशन पर रेल अंडरब्रिज परियोजना

4852. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को दक्षिण पश्चिम रेलवे के मैसूर-चामराजनगर खंड पर नंजनगुड रेलवे स्टेशन पर रेल अंडरब्रिज परियोजना पर किए जा रहे घटिया कार्य तथा नंजनगुड रेलवे स्टेशन के बाहरी हिस्से में मरियला गेट पर एक अन्य रेल अंडरब्रिज परियोजना के कार्य की अत्यधिक धीमी गति के गंभीर आरोपों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कथित रेलें अंडरब्रिजों के डिजाइन में खामियों की रिपोर्ट है; और

(ग) यदि हां, तो डिजाइन में खामियों को दूर करने और कार्य की गति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) फिलहाल नंजनगुड रेलवे स्टेशन पर कोई निचला सड़क पुल निर्माणाधीन नहीं है। बहरहाल, रेलवे द्वारा दो वर्ष पहले नंजनगुड स्टेशन के चामराजनगर छोर पर समपार संख्या 19 के बदले एक निचले सड़क पुल का निर्माण किया गया था। नियमानुसार रेलवे केवल पुल के भाग के बारे में निर्णय करती है और पहुंच मार्गों का निर्णय लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। इस मामले में नंजनगुड नगर पालिका द्वारा भूमि की तंगी और अन्य कारकों के आधार पर पहुंच मार्गों के लिए योजना तैयार की गई थी और उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तैयार की गई योजना के अनुसार रेलवे द्वारा पहुंच मार्ग का कार्य कड़ाई से निष्पादित किया गया था। इस निचले सड़क पुल के लिए कोई घटिया निर्माण नहीं किया गया था। जल निकासी प्रणाली के निर्माण से पहले नजदीकी नहर से पानी का कुछ रिसाव हो रहा था जो लगभग डेढ़ वर्ष पहले जल निकासी कार्य के पूरा होने के बाद बंद हो गया है। तब से किसी समस्या की सूचना नहीं मिली है।

जहां तक समपार संख्या 53 के बदले मरियाला हुंडी पर निर्माणाधीन ऊपरी सड़क पुल का संबंध है, 2009 से पहले धीमी प्रगति थी किंतु रेलवे द्वारा उचित

कार्रवाई किए जाने पर ठेकेदार ने जनवरी, 2010 से प्रगति को बढ़ाया है। कार्य पूरे जोरों पर है इसके सितंबर, 2010 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।

(ख) पुल के दोषपूर्ण अभिकल्प की सूचना नहीं मिली है और पहुंच के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित योजना और पुल खास के लिए मानक रेलवे ड्राइंग के अनुसार पहुंच मार्गों का निर्माण किया जा रहा है।

(ग) जहां तक निर्माणाधीन ऊपरी सड़क पुल का संबंध है और कार्य पूरे जोरों पर है सितंबर, 2010 तक पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

सेलम इस्पात संयंत्र द्वारा इस्पात उत्पादन

4853. श्री आधि शंकर: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेलम इस्पात संयंत्र स्थानीय क्षेत्र में उत्पादित लौह अयस्क के स्थान पर स्वयं द्वारा खरीदे गए स्क्रैप की मदद से इस्पात का उत्पादन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) स्थानीय क्षेत्र में उत्पादित लौह अयस्क की खरीद किए जाने और सलेम इस्पात संयंत्र के इस्पात उत्पादन में उसका उपयोग किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) से (ग) सेलम इस्पात संयंत्र में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के साथ स्टील मेल्टिंग सुविधाओं की स्थापना की गई है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्क्रैप की मदद से प्रचालित होता है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में आंशिक रूप से स्क्रैप को प्रतिस्थापित करने के लिए आयरन ओर से उत्पादित डायरेक्टली रिड्यूज्ड आयरन का भी कुछ मात्रा में उपयोग किया जा सकता है जिसके लिए सेलम इस्पात संयंत्र (एस.एस.पी.) ने कजांमलाई आयरन ओर डिपोजिट के आबंटन हेतु तमिलनाडु सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

[अनुवाद]

बंगलौर और हैदराबाद में विमानपत्तन

4854. श्री टी.के.एस. इलेंगोवन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर और हैदराबाद के पुराने विमानपत्तनों का संचालन शुरू किए जाने का है चूंकि इन विमानपत्तनों के बंद किये जाने से निजी विमानपत्तन आपरेटरों के व्यापारिक हितों को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिलता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये विमानपत्तन अभी भी हेलिकाप्टरों के अलावा वी.आई.पी. और चार्टर उड़ानों का संचालन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के प्रचालनिक होने की तारीख से एच.ए.एल., बेंगलुरू तथा बेगमपेट, हैदराबाद में सिविल वाणिज्यिक प्रचालनों को बंद करने का निर्णय वर्ष 2000 में लिया गया था। एच.ए.एल. बेंगलुरू तथा बेगमपेट, हैदराबाद में पुराने हवाईअड्डों को प्रचालनीकरण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। मौजूदा हवाईअड्डों पर सामान्य विमानन सेवाएं (वाणिज्यिक विमानों, चार्टर उड़ानों, वाणिज्यिक करारों के तहत हायर किए गए या प्रचालित विमानों से संबंधित सेवाओं से इतर) मुहैया कराई जाती रहेंगी।

लागत लेखा मानकों की समीक्षा

4855. श्री उदय प्रताप सिंह: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लागत लेखा मानकों की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा लचीलापन लाने और कम्पनियों की अनुपालन लागत में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) लागत लेखा मानकों की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में हवाईअड्डे की स्थापना

4856. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ में हवाईअड्डों की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) छत्तीसगढ़ में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा बनाए जाने के लिए भारत सरकार को न तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से और न ही किसी निजी निकाय से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

[अनुवाद]

विशिष्ट पहचान परियोजना का कार्यान्वयन

4857. श्री सोमेन मित्रा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोल की चोरी रोकने के लिए विशिष्ट पहचान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पर कोई पायलट परियोजना शुरू किए जाने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) इस मंत्रालय ने अभिप्रेत लाभार्थियों के लिए राजसहायता को बेहतर तरीके से लक्ष्यीकृत करने के लिए यू.आई.डी.ए.आई. प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) के वितरण से संबंधित परियोजनाओं में भागीदारी करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं।

बायोमीट्रिक विवरण सहित विशिष्ट पहचान संख्या (यू.आई.डी.) से ग्राहक अथवा उसके परिवार के सदस्यों की पहचान करने और केवल उन्हें ही बगैर किसी रिसाव के उत्पाद की सुपुर्दगी को लक्षित करने में मदद मिलेगी। प्रारंभिक प्रायोगिक परियोजनाओं को आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद तथा कर्नाटक में मैसूर और टुमकुर और महाराष्ट्र में पुणे शहर में शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले में पासगांव ब्लाक और मथुरा जिले में फराह ब्लॉक को भी प्रायोगिक परियोजना के तहत शामिल करने का प्रस्ताव है। देश के अन्य भागों में रोल आउट प्रायोगिक परियोजनाओं की सफलता पर निर्भर करेगा।

रेलवे में स्वच्छता

4858. डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने यह घोषणा की है कि स्वच्छता को वरीयता दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या आवश्यक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या ट्रेनों में शौचालयों की स्वच्छता संबंधी अत्यधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या ट्रेनों में शौचालयों विशेषकर महिला शौचालयों की दशा शोचनीय है; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) स्वच्छता के स्टैंडर्ड में सुधार करने के उद्देश्य से, रेलवे ने सिनरजाईजिंग प्रौद्योगिकी, उपयोगकर्ताओं को शिक्षा और यांत्रिकृत उपस्करों के प्रावधान द्वारा बहु-उद्देश्यीय योजना बनायी है। उठाए गए विभिन्न कदमों यांत्रीकृत सफाई प्रक्रिया को शुरू करना, कचरा उठाने/मलबा हटाने के ठेके देना, पे-एंड-यूज शौचालय योजना शामिल है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर सफाई अभियान भी चलाए जाते हैं। विभिन्न अधिकारियों द्वारा रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता को मॉनीटर करने के लिए, कमजोर क्षेत्रों की पहचान के

लिए और सुधारात्मक उपाय के लिए भी निरीक्षण किए जाते हैं।

रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता का बेहतर पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षकों के अतिरिक्त पदों को सृजित किया गया है।

(ग) से (ङ) गाड़ियों में शौचालयों की सफाई और भारतीय रेल द्वारा उस पर की गई उचित कार्रवाई के संबंध में समय-समय पर संदर्भ, सुझाव और शिकायतें प्राप्त होती हैं।

शौचालय सहित गाड़ियों में स्वच्छता और हाइजीन के स्टैण्डर्ड में सुधार भी भारतीय रेल के उच्च वरीयता क्षेत्र में रहा है। यद्यपि महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं है। शौचालय सहित गाड़ी के सभी सवारी डिब्बों की कोचिंग अनुरक्षण डिपो में अनुरक्षण/एटैण्शन के दौरान गहन सफाई की जाती है। चिन्हित गाड़ियों को उनके अनुसूचित हॉल्ट के दौरान उनके यात्रा मार्ग में नामित "क्लीन ट्रेन स्टेशनों" पर सफाई करने का ध्यान भी दिया जाता है।

चयनित गाड़ियों में शौचालयों सहित सवारी डिब्बों में स्वच्छता और हाइजीन के स्टैण्डर्ड में अतिरिक्त सुधार के लिए "ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्कीम" भी शुरू की गयी है। इन गाड़ियों में चल सफाईवाला मार्गों में गाड़ी के शौचालय को साफ करता है।

[हिन्दी]

चांदपुर-बहजोई रेल लाइन

4859. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार चांदपुर से बहजोई और नजीबाबाद से रोजा जंक्शन के बीच रेल लाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) नजीबाबाद पहले से ही मुरादाबाद और बरेली होकर एक बड़ी आमान की दोहरी लाइन द्वारा रोजा से जुड़ा हुआ है। चांदपुर-बहजोई रेल लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

विशेष पर्यटन रेलगाड़ियां

4860. श्री रुद्रमाधव राय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की योजना देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कॉक्स एण्ड किंग्स के सहयोग से दिल्ली-आगरा-ग्वालियर-खजुराहो-बांधवगढ़-वाराणसी-गया-कलकत्ता को शामिल करते हुए विशेष रेलगाड़ी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या रेलवे की योजना इस रेलगाड़ी का विस्तार उड़ीसा तक करने का है ताकि उड़ीसा के बौद्ध पर्यटन स्थलों को शामिल किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) इस क्षेत्र में कॉक्स एंड किंग्स के सहयोग से भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा महाराजा एक्सप्रेस, एक लग्जरी पर्यटक गाड़ी, पहले से ही चलाई गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) गंतव्यों की योजना बाजार की क्षमता एवं ग्राहकों की मांग के अनुसार बनाई जाती है।

गरीब रथ और युवा एक्सप्रेस का ठहराव

4861. श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को गरीब रथ और युवा एक्सप्रेस का वापी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नागर हवेली और पालघर में ठहराव दिए जाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन अनुरोधों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क)

और (ख) दमन और दीव एवं नागर हवेली रेलवे स्टेशन नहीं हैं। बहरहाल, 2909/2910 बांद्रा (ट.)-निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन), 2215/2216 बांद्रा (ट.)-दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) और 2247/2248 निजामुद्दीन-बांद्रा (ट.) एक्सप्रेस (साप्ताहिक) को वापी, वलसाड़ और पालघर में ठहराव दिए जाने की जांच की गई है लेकिन इसे फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

बाबा साहेब अण्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

4862. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (ए.एच.बी.वाई.) से लाभान्वित शिल्पकारों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध करायी गयी राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना से लाभान्वित होने वाले शिल्पियों की वर्ष 2001-02 से वर्ष 2009-10 तक राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I के अनुसार है।

(ख) वर्ष 2001-02 से वर्ष 2009-10 तक स्कीम के तहत राज्य-वार मुहैया कराई गई धनराशि का ब्यौरा विवरण-II पर संलग्न है।

विवरण-I

वर्ष 2001-02 से वर्ष 2009-10 तक के दौरान ए.एच.वी.वाई. के अन्तर्गत लाभान्वित कारीगरों का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेशों के नाम	2001-02 कारीगर	2002-03 कारीगर	2003-04 कारीगर	2004-05 कारीगर	2005-06 कारीगर	2006-07 कारीगर	2007-08 कारीगर	2008-09 कारीगर	2009-10 कारीगर	कारीगर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	1454	1451	11010	323	3952	1600	1660	4506	5601	31557
2.	अरुणाचल प्रदेश	243	100	120	000	500	200	400	200	500	2263
3.	असम	3545	000	1238	1790	2356	1140	4374	6680	2895	24018
4.	बिहार	000	1200	550	1034	1070	828	1511	3500	2258	11951
5.	छत्तीसगढ़	2249	000	000	265	00	00	200	1050	400	4164
6.	दिल्ली	390	3180	100	120	400	700	460	200	1050	6600
7.	गोवा	000	000	500	000	200	200	500	00	500	1900
8.	गुजरात	2804	1500	5950	8266	16600	750	3100	2572	3450	44992
9.	हरियाणा	1393	507	500	350	520	300	1340	878	1150	6938
10.	हिमाचल प्रदेश	2465	220	1071	1315	296	220	200	700	483	6970
11.	जम्मू और कश्मीर	1122	2520	550	1710	2090	720	2475	00	3243	14430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	झारखंड	250	570	200	600	300	1030	2108	1800	1050	7908
13	कर्नाटक	1501	775	2790	373	1660	247	1510	650	723	10229
14.	केरल	3589	000	2490	570	585	600	798	600	2050	11282
15.	मध्य प्रदेश	4293	850	2000	982	1684	1613	2200	2000	1500	17122
16.	महाराष्ट्र	813	000	2883	190	00	500	1420	1850	1950	9606
17.	मणिपुर	201	000	417	700	3405	1025	1550	2000	2584	11882
18.	मेघालय	198	000	000	000	300	300	500	500	500	2298
19.	मिजोरम	210	000	000	165	75	200	360	200	650	1860
20.	नागालैण्ड	604	000	220	695	1330	810	550	660	1000	5869
21.	उड़ीसा	4975	1600	200	555	550	1370	2010	3555	2687	17502
22.	पाण्डिचेरी	177	000	000	000	00	00	00	600	00	777
23.	पंजाब	914	307	100	133	133	256	800	1300	600	4543
24.	राजस्थान	5192	270	500	475	750	250	1550	1500	2210	12697
25.	सिक्किम	000	550	000	000	00	00	00	1110	00	1660
26.	तमिलनाडु	4284	000	300	3530	630	1077	220	3535	2710	16286
27.	त्रिपुरा	1437	209	350	840	513	112	1300	2683	2526	9970
28.	उत्तर प्रदेश	10510	100	3185	3441	3620	4270	3025	8860	8085	45096
29.	उत्तरांचल	790	1476	550	000	100	860	940	2218	1150	8064
30.	पश्चिम बंगाल	12536	1120	450	2150	1615	1562	1505	1572	5100	27610
31.	चण्डीगढ़	00	00	00	00	00	00	200	500	00	700
32.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
33.	दमन और दीव	00	00	00	00	00	00	00	250	00	250
34.	लक्षद्वीप	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
35.	दादरा और नगर हवेली	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	कुल	68139	18505	38224	30572	45234	22740	38266	61829	58614	382123

विवरण-II

ए.एच.वी.वाई. के अन्तर्गत मुहैया कराई गई धनराशि का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेशों के नाम	2001-02 निर्मुक्त धनराशि/ किया गया व्यय	2002-03 निर्मुक्त धनराशि/ किया गया व्यय	2003-04 निर्मुक्त धनराशि/ किया गया व्यय	2004-05 निर्मुक्त धनराशि/ किया गया व्यय	2005-06 निर्मुक्त धनराशि/ किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	17,60,178	21,43,813	1,47,19,882	1,77,42,483	2,67,74,169
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,73,000	7,08,868	17,15,572	27,70,751	27,56,467
3.	असम	34,05,125	26,31,215	1,51,53,420	3,26,39,754	3,42,24,013
4.	बिहार	0.00	1,40,500	5,45,000	15,63,000	13,76,500
5.	छत्तीसगढ़	31,15,000	0.00	17,91,867	19,33,600	11,24,000
6.	दिल्ली	3,06,700	36,35,415	32,56,192	33,60,318	16,31,376
7.	गोवा	0.00	0.00	2,50,000	-	1,00,000
8.	गुजरात	12,92,500	16,22,603	69,40,979	1,08,03,579	3,29,61,000
9.	हरियाणा	12,68,500	26,39,250	25,14,058	31,71,519	36,56,551
10.	हिमाचल प्रदेश	26,73,900	32,92,265	53,91,622	1,25,02,753	96,79,853
11.	जम्मू और कश्मीर	5,60,000	67,94,993	40,61,168	54,18,259	1,15,14,111
12.	झारखण्ड	1,77,750	8,93,000	6,46,000	10,91,040	17,99,500
13.	कर्नाटक	7,55,000	4,18,250	38,70,696	40,95,909	65,36,785
14.	केरल	6,37,113	14,26,911	74,63,947	44,31,514	94,17,669
15.	मध्य प्रदेश	41,62,466	59,40,600	66,23,241	69,73,483	70,72,925
16.	महाराष्ट्र	15,54,500	10,94,381	23,64,716	33,04,386	18,78,430
17.	मणिपुर	54,245	6,46,705	20,01,220	17,73,514	76,37,276
18.	मेघालय	45,000	3,56,200	4,57,870	000	1,50,000
19.	मिजोरम	1,80,250	0.00	15,82,250	16,58,500	37,500
20.	नागालैण्ड	7,00,000	21,23,500	30,11,325	12,03,500	40,06,000
21.	उड़ीसा	14,62,800	48,81,261	79,13,837	76,78,523	2,07,47,866
22.	पाण्डिचेरी	85,500	0.00	-	16,905	-

1	2	3	4	5	6	7
23.	पंजाब	4,05,000	15,80,000	41,61,579	15,12,250	56,96,700
24.	राजस्थान	24,65,150	28,52,109	64,69,404	88,01,206	58,59,061
25.	सिक्किम	0.00	2,75,000	000	-	-
26.	तमिलनाडु	18,00,200	9,45,691	33,44,689	31,14,809	93,75,986
27.	त्रिपुरा	5,29,500	16,16,477	34,97,284	49,08,529	36,76,317
28.	उत्तर प्रदेश	51,82,500	95,71,750	1,64,25,535	2,61,06,197	3,63,47,707
29.	उत्तराखंड	4,25,000	17,33,000	59,78,205	21,13,500	40,12,521
30.	पश्चिम बंगाल	23,01,160	51,62,115	78,14,680	1,66,41,449	1,20,16,684
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	-
32.	दमन और दीव	-	-	-	-	-
33.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-
34.	चण्डीगढ़	-	-	-	-	-
35.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-	-
	कुल	3,74,78,037	6,51,25,872	14,09,66,238	18,73,31,230	26,20,66,967

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेशों के नाम	2006-07 निर्मुक्त धनराशि/ किया गया व्यय	2007-08 निर्मुक्त धनराशि/ किया गया व्यय	2008-09 निर्मुक्त धनराशि/ किया गया व्यय	2009-10 निर्मुक्त धनराशि/ किया गया व्यय
1	2	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,89,83,889	2,67,29,141	5,50,48,014	2,81,94,997
2.	अरुणाचल प्रदेश	38,13,964	1,11,46,246	86,43,965	46,21,000
3.	असम	2,28,12,681	2,64,27,026	5,02,31,174	5,21,87,114
4.	बिहार	22,70,255	49,44,794	50,12,615	1,00,60,190
5.	छत्तीसगढ़	11,97,120	50,000	5,49,500	12,97,000
6.	दिल्ली	46,33,487	19,78,155	43,72,030	1,62,94,497
7.	गोवा	1,00,000	3,00,000	4,37,000	10,54,000

1	2	8	9	10	11
8.	गुजरात	2,38,93,552	4,13,41,584	3,31,99,765	3,78,03,636
9.	हरियाणा	59,81,980	35,64,500	39,25,441	1,45,15,256
10.	हिमाचल प्रदेश	76,61,496	89,98,778	27,89,942	53,09,002
11.	जम्मू और कश्मीर	85,21,225	1,72,40,351	2,54,04,269	2,54,27,891
12.	झारखण्ड	26,25,404	38,15,620	37,71,729	98,25,000
13.	कर्नाटक	32,30,490	77,22,077	1,47,16,597	59,59,301
14.	केरल	49,22,902	70,05,864	1,98,71,859	78,78,763
15.	मध्य प्रदेश	44,75,719	66,82,450	1,05,53,132	2,85,78,573
16.	महाराष्ट्र	14,91,856	7,98,733	2,90,73,750	96,35,602
17.	मणिपुर	1,63,35,514	1,71,95,809	1,81,52,070	4,50,68,029
18.	मेघालय	97,500	6,75,500	75,000	75,000
19.	मिजोरम	36,37,500	4,73,500	52,33,946	15,72,500
20.	नागालैण्ड	15,31,500	30,29,340	1,24,37,349	1,95,14,324
21.	उड़ीसा	1,55,53,264	2,78,70,678	60,28,656	2,12,94,530
22.	पाण्डिचेरी	-	-	90,000	-
23.	पंजाब	56,43,133	37,63,250	30,26,300	1,49,30,270
24.	राजस्थान	1,72,29,366	57,95,145	34,94,034	95,17,049
25.	सिक्किम	-	57,50,000	1,27,500	9,52,500
26.	तमिलनाडु	1,29,31,074	55,27,915	1,83,61,574	1,19,82,532
27.	त्रिपुरा	46,15,236	43,39,500	71,44,863	1,75,25,396
28.	उत्तर प्रदेश	5,68,42,740	5,71,04,761	4,61,13,211	10,34,28,380
29.	उत्तराखंड	63,89,285	85,32,871	12,85,555	1,47,49,934
30.	पश्चिम बंगाल	72,34,103	76,46,561	86,66,985	2,95,09,308
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-
32.	दमन और दीव	-	-	62,500	-
33.	लक्षद्वीप	-	-	-	-

1	2	8	9	10	11
34.	चण्डीगढ़	-	50,000	75,000	-
35.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-
	कुल	26,46,56,235	31,65,01,149	39,79,75,25	54,87,61,574

भू-विस्थापितों के लिए नौकरियां

4863. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा ऐसे परिवार, जिसकी भूमि रेल परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत की गई हो, के एक सदस्य को नौकरी दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष में विशेषकर कोंकण रेलवे में भूमि अधिग्रहण के स्थान पर जिन लोगों को नौकरी दी गई है उनकी संख्या कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) रेल मंत्रालय ने प्रत्येक लैंड लूजर परिवार के एक पात्र सदस्य को रोजगार मुहैया कराने के लिए जुलाई, 2010 में नीति संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों को जारी किए जाने से पूर्व, कोंकण रेलवे में 1550 व्यक्तियों सहित 2028 व्यक्तियों को रोजगार दे दिया गया है, जिनकी भूमि पिछले दो वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा अधिगृहीत की गई है।

मेट्टूर रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकरण

4864. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे पूरे देश में सभी आरक्षण केंद्रों का कंप्यूटरीकरण किए जाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में मेट्टूर रेलवे स्टेशन सहित अनेक स्टेशनों का अभी कम्प्यूटरीकरण किया जाना बाकी है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त रेलवे स्टेशन पर कोई जलपान गृह सुविधा नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। ऐसे स्टेशनों, जहां मैनुअल आरक्षण कोटा मुहैया कराया जा रहा है, पर आरक्षण का कंप्यूटरीकरण करने के लिए नीति पहले से विद्यमान है। 7911 काउंटरों सहित 2141 स्थलों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा मुहैया करा दी गयी है।

(ग) जी हां। धर्मपुरी जिले में चार स्टेशनों, जिनके नाम मोरप्पूर, बोम्मिडी, बोडडीरडिपैट्टी और धर्मपुरी जंक्शन हैं, पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण की सुविधा मुहैया करा दी गयी है, जबकि मैट्टूर डैम रेलवे स्टेशन पर इस सुविधा को मुहैया कराने की योजना है। इस समय अन्य स्टेशन इस सुविधा के लिए अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

(घ) और (ङ) स्टेशनों पर खानपान सुविधाएं, यात्री यातायात की मात्रा, यात्रियों की मांग और स्थान की उपलब्धता पर समुचित विचार करने के बाद ही मुहैया करायी जाती हैं। धर्मपुरी रेलवे स्टेशन, दक्षिण पश्चिम रेलवे का एक 'डी' कोटि का स्टेशन है, जहां पर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए शाकाहारी जलपान कक्ष और चाय-एवं-कॉफी स्टॉल को चलाने के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रण के जरिए कैंटीन की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई पहले ही आरंभ कर दी है।

राज सहायता प्राप्त वायु किराए

4865. श्री सी.एम. चांग: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र में यात्री और कार्गो वायु किराए को राज सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों का कल्याण

4866. श्री गणेश सिंह: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रमों के तहत अब तक मंत्रालय-वार क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ख) अल्पसंख्यकों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत कितने मंत्रालयों/विभागों ने परिव्यय का 15 प्रतिशत निर्धारित किया है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के तहत वर्ष-वार अब तक कुल कितना व्यय किया गया;

(घ) क्या कमियों विशेषकर वर्तमान ढांचे में नोटिस किए अनुसार प्रशासनिक जनशक्ति में कमी के मद्देनजर सरकार द्वारा 15 सूत्री कार्यक्रम में किसी बदलाव की परिकल्पना की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जून, 2006 में हुई थी जिसमें यह प्रावधान है कि जहां कहीं संभव हो, विभिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों और परिव्ययों में से 15% लक्ष्य एवं परिव्यय अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किए जाएं। वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान नए कार्यक्रम में शामिल की गई योजनाओं सहित अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारण योग्य योजनाओं की मंत्रालय/विभाग-वार उपलब्धि संलग्न विवरण-I और II में दर्शायी गयी है।

(घ) और (ङ) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम को अक्तूबर, 2009 में प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्य और जिला स्तरीय समितियों में, जो बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए भी राज्य और जिला स्तरीय समिति का कार्य करती हैं, सांसदों और विधायकों को शामिल करने हेतु संशोधित किया गया था। किए जाने वाले प्रत्याशियों कार्यों को पूर्णतः शामिल कर लिया गया है तथा वर्तमान में सरकार द्वारा कार्यक्रम में कोई बदलाव किया जाना परिकल्पित नहीं है।

विवरण-I

I. अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल योजनाओं की वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय/विभाग-वार वित्तीय उपलब्धियां

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग और योजना का नाम	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
क.	**निर्धारण योग्य योजनाएं**			
1.	इंदिरा आवास योजना: ग्रामीण विकास मंत्रालय	443.06	1040.28	1459.69
2.	स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना: आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय	25.13	16.83	17.64
3.	नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाना: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	10.37	29.86	22.19
4.	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण: वित्तीय सेवा विभाग	58662.67	82864.65	112038.82

1	2	3	4	5
ख.	**वे योजनाएं जिनके तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में धनप्रवाह की मात्रा निर्धारित किया गया है**			
1.	शहरी निर्धनों के लिए आधारभूत सेवाएं (बी.एस. यू.पी.): आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय	6368.52	5234.39	5576.38
2.	समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.), आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय	832.17	1660.16	1770.83
3.	शहरी अवसंरचना एवं शासन (यू.आई.जी.), शहरी विकास मंत्रालय	योजना वर्ष 2009-10 में शामिल की गयी	योजना वर्ष 2009-10 में शामिल की गयी	8623.66
4.	लघु एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.)	योजना वर्ष 2009-10 में शामिल की गयी	योजना वर्ष 2009-10 में शामिल की गयी	2533
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एन.आर.डी. डब्लू.पी.): पेय जल आपूर्ति विभाग	योजना वर्ष 2009-10 में शामिल की गयी	योजना वर्ष 2009-10 में शामिल की गयी	3732.66
ग.	**15 सूत्री कार्यक्रम के तहत वे योजनाएं जिनकी उपलब्धियां संसूचित की गयीं**			
1.	गहन क्षेत्र विकास योजना (मदरसा आधुनिकीकरण)	33.65	एस.पी.क्यू.ई.एम. और आई.डी.एम.आई. में विभक्त	एस.पी.क्यू.ई.एम. और आई.डी.एम.आई. में विभक्त
2.	मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना (एस.पी.क्यू.ई.एम.)	योजना वर्ष 2008-09 में शुरू की गयी	65.42	46.23
3.	अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आई.डी.एम.आई.)	योजना वर्ष 2008-09 में शुरू की गयी	0.25	4.48

1	2	3	4	5
घ.	**अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाएं**			
1.	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	योजना वर्ष 2008-09 में कार्यान्वित की गयीं	62.21	202.94
2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	9.63	70.63	148.74
3.	मेरिट-सह साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना	40.91	64.73	97.51
4.	कोचिंग	5.74	6.18	11.21
ङ.	**एन.एम.डी.एफ.सी. और एम.ए.ई.एफ. की योजनाओं के तहत संवितरित राशि**			
1.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.)	144.13	130.73	197.74
2.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एम.ए.ई.एफ.)	4.81	14.48	18.08

विवरण-II

II. अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल योजनाओं की वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय/विभाग-वार वास्तविक उपलब्धियां

क्र.सं.	संबद्ध मंत्रालय/विभाग और योजना का नाम	यूनिटों की संख्या		
		2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1.	**सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.): मानव संसाधन विकास मंत्रालय**			
	(i) निर्मित प्राइमरी स्कूलों की संख्या	1725	3266	3237
	(ii) निर्मित उच्च प्राइमरी स्कूलों की संख्या	2008	2662	1220
	(iii) निर्मित अतिरिक्त कक्षाओं की संख्या	36865	15563	20588
	(iv) खोले गए नए प्राइमरी स्कूलों की संख्या	1207	1386	1905
	(v) खोले गए नए उच्च प्राइमरी स्कूलों की संख्या	3001	3176	1625
	(vi) स्वीकृत शिक्षकों की संख्या	24868	15759	7765

1	2	3	4	5
	(vii) अल्पसंख्यक बहुल और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में स्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या	219	133	27
2.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत सहायता प्राप्त स्वरोजगारी: ग्रामीण विकास मंत्रालय	143385	275121	177165
3.	इंदिरा आवास योजना के तहत सहायता प्राप्त गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या: ग्रामीण विकास मंत्रालय	155980	383245	543413
	(i) व्यक्तिगत उद्यम - शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यू.एस.ई.पी.)	25745	24684	9468
	(ii) शहरी निर्धनों में रोजगार संवर्धन के लिए कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप)	41466	27837	30416
4.	समेकित बाल विकास योजना के तहत आंगनवाडी केन्द्रों का संचालन (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)	21014	समेकित बाल विकास योजना का विस्तार विचाराधीन होने के कारण वर्ष 2008-09 के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं	23712

[अनुवाद]

हरियाणा में पी.एस.यू.

4867. श्री जितेन्द्र सिंह मलिक: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा राज्य में इस समय चालू सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन एककों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तत्सम्बन्धी लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) से (ग) दिनांक 25-2-2010 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण (2008-09) में उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिनांक 31-3-2009 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के दो उद्यमों नामशः इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आई.डी.पी.एल.) तथा एन.एच.पी.सी. लि. के पंजीकृत कार्यालय हरियाणा राज्य में स्थित थे और ये उद्यम उक्त राज्य में प्रचालनरत थे। 31-3-2009 तक उक्त दोनों उद्यमों के कर्मचारियों की कुल संख्या 12363 थी गत तीन वर्षों के दौरान इन दोनों उद्यमों के लाभ व हानि का ब्यौरा निम्नवत रहा:

(करोड़ रुपए)

वर्ष/केन्द्रीय सरकारी उद्यम	लाभ/हानि
एन.एच.पी.सी. लि.	
2008-09	1075.22
2007-08	1004.09
2006-07	924.80
इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.	
2008-09	(-) 388.96
2007-08	(-) 298.24
2006-07	(-) 351.16

रेलगाड़ियों में महिलाओं की सुरक्षा

4868. श्री संजय दिना पाटील: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं जो देर रात को उपनगरीय रेलगाड़ियों में यात्रा कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि में सुरक्षा में कमी के कई मामले हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां। देर रात्रि के दौरान उपनगरीय गाड़ियों में यात्रा करने वाली महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

1. महिला कंपार्टमेंटों में अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए देर रात्रि के दौरान रे.सु.ब./रा.रे.पु. द्वारा उपनगरीय गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है।

2. महिला कंपार्टमेंटों में यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों के विरुद्ध राजकीय रेल पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और रेल वाणिज्यिक स्टाफ द्वारा नियमित अभियान चलाए जाते हैं और रेल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाता है।

(ख) यह सत्य नहीं है कि इस अवधि के दौरान सुरक्षा में चूक के कई मामले हैं।

(ग) रेलवे पर पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय है और अपराध को रोकना, मामलों का पंजीकरण करना और उनकी जांच करना तथा चलती गाड़ियों सहित रेलवे परिसरों में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना संबंधित राज्य सरकार की सांविधिक जिम्मेदारी होती है जिनका निर्वहन वे राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) और सिविल पुलिस के माध्यम से करते हैं। रेलें राजकीय रेलवे पुलिस पर होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत वहन करती हैं।

बहरहाल, रेलवे, राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा गाड़ियों के किए जा रहे मार्गरक्षण के अलावा, महत्वपूर्ण गाड़ियों के मार्गरक्षण के लिए रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती करके राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रही है।

उपनगरीय रेलगाड़ियों में दैनिक महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

(i) रेल यात्रियों की सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए सभी स्तरों पर रा.रे.पु. और सिविल पुलिस के साथ नियमित रूप से समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ii) महिला रेल यात्रियों को बेहतर सेवा मुहैया कराना सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के सभी रैंकों की भर्ती में महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है।

(iii) महानगरों में खासतौर पर महिला दैनिक यात्रियों के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं।

(iv) महिला यात्रियों की सुरक्षा में सुधार करने के लिए महिला रे.सु.ब. कर्मियों की 12 कंपनियां तैयार करने का प्रस्ताव है।

(v) महिला यात्रियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महिला बटालियन का प्रस्ताव है।

पर्यटक गंतव्यों के लिए वायु सेवाएं

4869. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 200-300 कि.मी. के अंतर को शामिल करते हुए पर्यटक गंतव्यों और मुख्य शहरों को शामिल करने वाले शॉर्ट हॉल मार्गों पर वायु सेवाएं प्रदान करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शॉर्ट-हॉल मार्गों पर सेवाएं शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र की एयरलाइनों को कोई प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) इस समय, 82 हवाईअड्डों के लिए/से अनुसूचित विमान सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें पर्यटन स्थल भी शामिल हैं।

क्षेत्र के भीतर विमान संपर्कता को प्रोत्साहित करने, टियर-II एवं टियर-III शहरों तथा विशिष्ट क्षेत्रों के बीच विमान यात्रा सेवाओं में विस्तार किए जाने की दृष्टि से, नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) द्वारा अनुसूचित क्षेत्रीय विमान परिवहन सेवा के लिए नागर विमानन अपेक्षाएं जारी की गई हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने के दृष्टिगत, सरकार द्वारा मार्ग संवितरण संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। यह, बहरहाल, एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वह मार्ग संवितरण संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए यातायात की मांग एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवा उपलब्ध कराये।

(ग) और (घ) इस समय निजी एयरलाइनों द्वारा शॉर्ट-हॉल मार्गों पर विमान सेवाएं आरंभ किए जाने संबंधी कोई प्रोत्साहन पैकेज सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

मुम्बई हाई में उत्पादन में कमी

4870. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई हाई में कच्चे तेल का उत्पादन शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कच्चे तेल के उत्पादन में कमी इसलिए आई है क्योंकि मुम्बई हाई के तेल कुएं बहुत पुराने हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उत्पादन में उक्त गिरावट कितने प्रतिशत है; और

(ङ) मुम्बई हाई में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) ने मुंबई हाई क्षेत्र की खोज वर्ष 1974 में की थी। मुंबई हाई से कच्चे तेल का उत्पादन मई, 1976 में शुरू हुआ और वर्ष 1076-77 में 0.410 मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) के स्तर से बढ़कर 1989-90 में अपने उच्चतम स्तर 20.085 एम.एम.टी. तक पहुंच गया और इसके बाद यह स्वाभाविक गिरावट के चरण में प्रवेश कर गया है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात 2007-08 से 2009-10 के दौरान मुंबई हाई से तेल उत्पादन में गिरावट का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	तेल उत्पादन (एम.एम.टी.)	पिछले वर्ष से प्रतिशत कमी
2007-08	12.108	0.9
2008-09	11.621	4.0
2009-10	10.842	6.7

(ङ) ओ.एन.जी.सी. ने वेधन, रिजर्वायर विशेषताओं, और कूप पूर्णता के क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के साथ पुनर्विकास योजनाओं के रूप में बड़ी पहलें शुरू की हैं। मुंबई हाई उत्तर और दक्षिण के लिए पुनर्विकास योजनाओं का पहला चरण क्रमशः दिसंबर, 2006 और मई, 2007 में पूरा किया गया था। तत्पश्चात मुंबई हाई उत्तर और दक्षिण के पुनर्विकास का दूसरा चरण शुरू हो चुका है।

पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे

4871. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे बोर्ड द्वारा वर्ष 2006 में हैदरागांव से मेराबारी तथा सोंकाया जंक्शन से सिलघाट जंक्शन तक मीटर गेज को बड़ी लाइन में बदलने का काम कितने ठेकेदारों को सौंपा गया था तथा इस संबंध में पूर्ण ब्यौरे सहित प्रत्येक ठेकेदार को कार्य के शुरू में कितनी अग्रिम राशि दी गई थी;

(ख) क्या बजरी की आपूर्ति के लिए ठेका देते समय अनेक अनियमितताएं बरतने के कारण रेलवे ने ठेका रद्द किया था;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण रेलवे को कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है;

(घ) क्या रेलवे ने नियत समय सीमा के अंतर्गत राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई की थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) हैबरगांव-मैराबारी में कुल 17 ठेकेदारों को और सेनचाआ-सिलघाट में कुल 12 ठेकेदारों को आमान परिवर्तन से संबंधित कार्य सौंपे गए थे और कोई अग्रिम राशि नहीं दी गयी थी।

(ख) जी नहीं, बहरहाल, हैबरगांव-मैराबारी में ठेकेदार द्वारा आमान परिवर्तन से संबंधित पुल के निर्माण कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण एक ठेके को रद्द कर दिया गया था।

(ग) इस संबंध में रेलवे को कोई हानि नहीं हुई थी।

(घ) और (ङ) ठेका शर्तों के अनुसार जमा की गई पेशगी राशि और प्रतिभूति जब्त कर ली गई थी और निष्पादन गारंटी का नकद भुगतान करा लिया गया है।

[अनुवाद]

राज्य द्वारा व्यय का वित्तपोषण

4872. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य द्वारा चुनावों का वित्तपोषण नहीं किए जाने की स्थिति में चुनाव प्रक्रिया में काले धन का बोलबाला बने रहने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में चुनाव प्रणाली को दोषमुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) यह कहना सही नहीं है कि निर्वाचनों के राज्य वित्तपोषण के अभाव में, निर्वाचन प्रक्रिया के मध्य चरण में काले धन का बोलबाला है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

एल.पी.जी. उपभोक्ता

4873 श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के सागर क्षेत्र में घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ता सहित इंडेन (एल.पी.जी.) उपभोक्ताओं की संख्या क्या है;

(ख) उपभोक्ताओं को एल.पी.जी. सिलिंडरों की आपूर्ति के कार्य में लगी इंडेन एजेंसियों तथा उनके पास पंजीकृत उपभोक्ताओं की संख्या क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में बुकिंग के 20-25 दिन के बाद उपभोक्ताओं को एल.पी.जी. सिलिंडरों की आपूर्ति की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) 1-8-2010 की स्थिति के अनुसार, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आई.ओ.सी.) मध्य प्रदेश के सागर क्षेत्र में छः एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालित कर रही है जो क्रमशः 49,373 घरेलू एल.पी.जी. ग्राहकों, 142 गैर घरेलू छूट प्राप्त ग्राहकों और 458 वाणिज्यिक ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रही हैं।

आई.ओ.सी. ने रिपोर्ट दी है कि सागर क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश राज्य में उनके एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों के

पास नए एल.पी.जी. कनेक्शन जारी करने के लिए इस समय कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है।

(ग) और (घ) आई.ओ.सी. ने रिपोर्ट दी है कि उनके पास आपूर्ति की कोई कठिनाई नहीं है और डिस्ट्रीब्यूटरों को एल.पी.जी. की आपूर्तियां, एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों के पास दर्ज ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार उन्हें की जा रही हैं। एल.पी.जी. की आपूर्तियां सामान्यतया 48 घंटे के भीतर की जा रही हैं। तथापि, बैकलॉग होने, भरे हुए एल.पी.जी. सिलिंडरों के उपलब्ध नहीं होने, ट्रकों की अनुपलब्धता होने, सड़क टूटने, बाढ़, हड़ताल, बंध आदि के कारण विलंब हो सकता है। इस समय मध्य प्रदेश के सागर क्षेत्र में एल.पी.जी. की आपूर्तियां सामान्य हैं।

[अनुवाद]

वर्धराजन समिति रिपोर्ट

4874. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्धराजन समिति की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष रखी गई थी जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि संयंत्र के दोषपूर्ण डिजाइन के बारे में यूनियन कार्बाइड के प्रबंधन को पूर्ण जानकारी थी कि किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है लेकिन कोई पूर्व सावधानी नहीं बरती गई; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी, हां। सी.बी.आई. ने सूचित किया है कि वर्धराजन समिति की रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और ट्रायल कोर्ट में यह अभियोजन दस्तावेज के रूप में भी प्रदर्श के रूप में रखा गया था। डॉ. एस. वर्धराजन, डॉ. एम. श्रीराम, डॉ. आर.ए. माशेलकर, डॉ. ओ.जी.बी. नांबियार, डॉ. एस. शिवराम, डॉ. ए.के. लाहिरी, डॉ. के.वी. मजूमदार, डॉ. सी.एस.पी. अय्यर और डॉ. ए.ए. खान जो वर्धराजन समिति के सदस्य थे, उनकी अभियोजन गवाह के रूप में भी पूछताछ की गई थी।

[हिन्दी]

उर्वरकों का उत्पादन

4875. श्री सज्जन वर्मा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के देवास शहर में उर्वरकों का विनिर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उर्वरकों के विनिर्माण के लिए देवास में किन-किन एजेंसियों को लाइसेंस दिए गए और ये लाइसेंस जारी करने का आधार क्या था;

(घ) क्या उर्वरकों के लिए कच्चा माल वहां आसानी से उपलब्ध है;

(ङ) यदि नहीं, तो कहां से कच्चा माल लाया जाता है तथा इसके लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ती है;

(च) क्या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा नियमित रूप से गुणवत्ता-नियंत्रण संबंधी जांच की जाती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) सिंगल सुपर फॉस्फेट (एस.एस.पी.) उर्वरक का मैसर्स एग्रोफॉस (इंडिया) लिमिटेड, देवास, मध्य प्रदेश द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। यह इकाई पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति के अंतर्गत शामिल है और तदनुसार यह सिंगल सुपर फॉस्फेट (एस.एस.पी.) की बिक्री पर उर्वरक विभाग से राजसहायता के भुगतान का दावा कर रही है। ऊपर उक्त इकाई द्वारा एस.एस.पी. की वार्षिक क्षमता, उत्पादन और बिक्री का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

वार्षिक स्थापित क्षमता:	45,000 मी.टन
वर्ष 2009-10 के दौरान उत्पादन:	22,615 मी.टन
वर्ष 2009-10 के दौरान बिक्री:	16,838 मी.टन

(ग) राज्य में उर्वरकों के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश सरकार को मैसर्स एग्रो फॉस (इंडिया) लिमिटेड को लाइसेंस जारी करने का प्राधिकार है। तथापि, इस इकाई को निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर भारत सरकार द्वारा राजसहायता योजना में शामिल किया गया है और राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया है।

(घ) और (ङ) सिंगल सुपर फॉस्फेट (एस.एस.पी.) के उत्पादन के लिए रॉक फॉस्फेट और सल्फर/सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकता होती है। राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स लिमिटेड (आर.एस.एम.एम.एल.) मैसर्स एग्रो फॉस

(इंडिया) लिमिटेड के लिए रॉक फॉस्फेट का स्वदेशी स्रोत है। तथापि, यह आयातित स्रोतों से अपना रॉक फॉस्फेट भी प्राप्त करता है। इकाई को मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर, राजस्थान से सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। इकाई अपनी आवश्यकता और उसकी उपलब्धता के आधार पर कच्ची सामग्री प्राप्त करता है।

(च) और (छ) राज्य सरकारों को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अंतर्गत सभी उर्वरकों की गुणवत्ता को प्रशासित करने का प्राधिकार दिया गया है। इसके अलावा, 1-5-2010 से सिंगल सुपर फॉस्फेट (एस.एस.पी.) की पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति के कार्यान्वयन में राज्यों की राज्य सरकारें, जहां एस.एस.पी. उर्वरक इकाइयां स्थित हैं, को राज्य में माहवार उत्पादित एस.एस.पी. की गुणवत्ता की जांच करनी होती है, जिसके आधार पर एस.एस.पी. इकाइयों को रियायत का 85% 'लेखागत' भुगतान किया जाता है। राज्य सरकारें प्रतिमाह प्रमाण-पत्र जारी करते हैं जिनमें यह प्रमाणित किया जाता है कि इकाइयां बाजार में जारी किए गए प्रत्येक बैग पर 'गुणवत्ता प्रमाणित' मुद्रित कर रही हैं और उनके पास उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं। राज्य सरकारें निर्धारित प्रपत्र 'ख' में बिक्री प्रमाण-पत्र जारी करते समय एस.एस.पी. की गुणवत्ता को भी प्रमाणित करती हैं जिसके आधार पर इकाइयों को उनका 15% का शेष भुगतान किया जाता है। उर्वरक विभाग ने उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन प्रोजेक्ट्स एंड डवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पी.डी.आई.एल.) नामक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को इकाइयों द्वारा उनके छमाही निरीक्षण के दौरान उत्पादित एस.एस.पी. की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करने के लिए भी नियुक्त किया है। उर्वरक विभाग द्वारा राज्य सरकारों को खुदरा विक्रेता स्तर पर पी.डी.आई.एल. के सहयोग से सिंगल सुपर फॉस्फेट (एस.एस.पी.) के नमूनों की जांच करने का अनुरोध किया गया है। एस.एस.पी. विपणनकर्ता गुणवत्ता वाले उर्वरकों की आपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार हैं।

[अनुवाद]

आई.सी.ए.आई. द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र खोलना

4876. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया संस्थान पूरे देश में और प्रशिक्षण केन्द्र खोलने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने यह सूचित किया है कि वह भावनगर और कन्नूर में दो और सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर रहा है।

रेल परियोजना

4877. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने नई रेल लिंक्स के संबंध में वार्षिक बजट, 2010-2011 को अनुमोदित करने के बाद हाल ही में जोनल रेलवे को ऐसी परियोजनाओं को निष्पादन हेतु रेल विकास निगम लिमिटेड को हस्तांतरित करने तथा खुर्दा रोड-बोलंगीर रेल लिंक के संबंध में बैंकेबिलिटी अध्ययन करने के लिए निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार के निर्णय के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) रेल विकास निगम लि. (आर.वी.एन.एल.) को कुछ चालू नई लाइन तथा आमान परिवर्तन परियोजनाओं का ग्राह्यता अध्ययन करने को कहा गया है। दो नई लाइन परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए आर.वी.एन.एल. को सौंपा गया है। इसका लक्ष्य ग्राह्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन का सृजन करना है। जहां तक खुर्दा रोड-बोलनगीर नई लाइन का संबंध है, यह विनिश्चय किया गया है कि इस परियोजना को आर.वी.एन.एल. को हस्तांतरित न किया जाए।

ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन्स

4878. श्री प्रदीप माझी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग के लिए अनुषंगी कम्पनियों की स्थापना करने के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) पूर्ववर्ती एअर इंडिया के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी एअर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विसिज लिमिटेड को ग्राउंड हैंडलिंग संबंधी गतिविधियां चलाने के उद्देश्य से 9 जून, 2003 को निगमित किया गया था।

16 मई, 2009 को सरकार ने महानगरीय हवाईअड्डों के लिए नैसिल और सिंगापुर एयर टर्मिनल सर्विसिज (एस.ए.टी.एस.) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाया जाना अनुमोदित किया। ए.आई.एस.ए.टी.एस. नामक इस संयुक्त उद्यम कंपनी में दोनों पक्षों की समान इक्विटी है।

मालगाड़ियां

4879. श्री एल. राजगोपाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में आज तक चावल की ढुलाई के लिए आन्ध्र प्रदेश से उपलब्ध कराई गई मालगाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश में चावल की ढुलाई के लिए मालगाड़ियों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में 19-08-2010 तक चावल की ढुलाई के लिए आन्ध्र प्रदेश को मुहैया की गई मालगाड़ियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(आंकड़े रेकों के हिसाब से)

वर्ष	लदान	
	भारतीय खाद्य निगम	ट्रेड
1	2	3
2007-08	1621	897
2008-09	2182	371
2009-10	1871	445
2010-11 (19-08-2010 तक)	526	166

(ख) से (घ) ढके हुए मालडिब्बों की समग्र मांग, उनकी उपलब्धता से ज्यादा है। भारतीय खाद्य निगम, निजी खाते में ढोए जाने वाले खाद्यान्नों तथा उर्वरकों के लिए रेकों की आपूर्ति करने के सभी प्रयास कर रही हैं। रेकों की आपूर्ति टर्मिनलों पर लदान तथा उतराई की क्षमताओं पर भी निर्भर करती है। कभी-कभी रेलों को उर्वरक (आयातित उर्वरक), जो कि किसानों के लिए उनकी उपज उगाने के लिए एक आवश्यक पण्य है, की ढुलाई को भी प्राथमिकता देनी होती है। अप्रैल, 2009 से मॉडीफाइड बी.सी.एन.एच.एल. 58 मालडिब्बों के प्रत्येक रेक वाले कवर्ड माल डिब्बे हैं, जिनकी ढुलाई क्षमता ज्यादा है, शामिल किए गए हैं।

न्यायाधीशों की प्रोन्नति

4880 श्रीमती परमजीत कौर गुलशन: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवाओं और बार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की प्रोन्नति के लिए एक समान मानदंडल निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अलग-अलग उच्च न्यायालयों द्वारा इस प्रयोजनार्थ अलग-अलग मानदंड अपनाने के क्या कारण हैं;

(घ) गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों अथवा किसी उच्च न्यायालय विशेष द्वारा इन मानदंडों की अनदेखी करने की घटनाओं की न्यायालय-वार संख्या तथा उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसी पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामलों पर भी विचार किया जाता है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान सेवाओं तथा बार से विभिन्न न्यायालयों में प्रोन्नत किये गये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के न्यायाधीशों का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) जी हां।

(ख) और (ग) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य सांविधानिक प्राधिकारियों/उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 217 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कोई व्यक्ति, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है और भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका है; या किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति विचार किए जा रहे व्यक्तियों की शैक्षिक अर्हताओं, व्यवसाय की प्रकृति और विस्तार, उनके विशिष्टीकरण के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए की जाती है। इसके अतिरिक्त, व्यक्ति की सक्षमता, उसकी न्यायिक प्रभावकारिता, स्वभाव, ज्येष्ठता और सत्यनिष्ठा पर भी विचार किया जाता है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बार तथा न्यायिक सेवाओं के बीच 2:1 के अनुपात में है।

(घ) इन संनियमों का सभी उच्च न्यायालयों द्वारा अनुसरण किया जाता है।

(ङ) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान अनुच्छेद 217 के अधीन की जाती है, जो किसी आरक्षण के लिए उपबंध नहीं करता है।

(च) ऐसी कोई जानकारी नहीं रखी जाती है।

पालघाट-कोयम्बटूर खंड

4881. श्री एम.के. राघवन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण रेलवे का पालघाट-कोयम्बटूर खंड सबसे बड़े हाथी कॉरिडोर से होकर गुजरता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस खंड में रेलवे ट्रैक पर बड़ी संख्या में हाथी मारे गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान मारे गए हाथियों की संख्या क्या है तथा इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या निवारक उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में आठ हाथी मारे गए हैं। पोदानूर और पालक्काड के बीच 38.5 कि.मी. लंबाई तक 18.00 बजे से 06.00 बजे के बीच गाड़ियों की गति को 45 कि.मी. प्रतिघंटा तक प्रतिबंधित किया गया है।

[हिन्दी]

अवैध खनन के लम्बित मामले

4882. श्रीमती दर्शना जरदोश:
श्री के.आर.जी. रेड्डी:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री पी. बलराम:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न न्यायालयों में अवैध भू-खनन के कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार खानों और खनिजों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त खंडपीठ की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में राज्य सरकारों और जनता की मांग क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) ऐसी जानकारी केंद्रीय रूप से नहीं रखी जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डों पर कार्यरत निजी ठेकेदार

4883. श्री गोपीनाथ मुंडे: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और मुम्बई के हवाई अड्डों पर कार्यरत निजी ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये ठेकेदार उनको सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए उप-ठेकेदारों/कामगारों को काम पर लगाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों को सब-कांट्रेक्ट/ सब-लीज तथा सब-लाइसेंसिंग पर दिए जाने के लिए इन हवाईअड्डों की पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण करने हेतु संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षर किए गए प्रचालन प्रबंधन एवं विकास करार के उपबंध 8.5.7 में निर्धारित किया गया है। उपबंध 8.5.7 (सी) के अनुसार, 50 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले प्रत्येक ठेके के लिए पब्लिक वर्क्स कन्सेसन्स के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रियाओं का अनुसरण संयुक्त उद्यम कंपनियों को करना आवश्यक है। संयुक्त उद्यम कंपनियां यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के तरीके से काउंटर पार्ट का चयन किया जाए।

संस्कृति स्कूल को अनुदान

4884. श्री जयवंत गंगाराम आवले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान दिल्ली स्थित संस्कृति स्कूल को 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल कर्मचारियों के बच्चों को भी उक्त स्कूल में कोई लाभ मिलेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) रेल मंत्रालय ने सिविल सेवा सोसायटी, जो नई दिल्ली में संस्कृति विद्यालय का प्रबंधन करती है, के लिए वित्त वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के दौरान केवल 20 लाख रुपए (प्रति वर्ष 10 लाख रुपये) की राशि स्वीकृत की थी।

(ग) और (घ) संस्कृति विद्यालय की स्थापना अन्य उद्देश्यों के साथ-साथ अखिल भारतीय सेवाओं/ग्रुप ए केन्द्रीय सेवाओं से संबद्ध उन अधिकारियों के बच्चों को शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है जिन्हें दिल्ली में तैनाती होने पर अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तदनुसार इस स्कूल में अपने बच्चों के दाखिले के लिए रेलवे अधिकारियों को अन्य योग्य सेवाओं/कोटियों के साथ प्राथमिकता मिलती है।

एयरलाइनों को द्विपक्षीय अधिकार

4885. श्री संजय निरुपम: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी एयरलाइनों को द्विपक्षीय अधिकार देना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दुबई से 'फ्लाई दुबई' नामक कम लागत वाली एयरलाइन को दक्षिण भारत में दूरदराज के भागों से उड़ान प्रचालित करने की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 'फ्लाई दुबई' ने देश के अनेक भागों से एकल उड़ान के संचालन की अनुमति मांगी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या 'फ्लाई दुबई' में अमीरात एयरलाइन का हिस्सा है तथा उसने दुबई के साथ-साथ भारत में हब एण्ड स्पोक प्रचालन की इच्छा जाहिर की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) फ्लाई दुबई की स्थापना, दुबई सरकार द्वारा फ्लैग कैरियर एमीरेटस की कम लागत वाली अनुषंगी

के रूप में की गई थी। फ्लाई दुबई सहित एमीरेटस द्वारा हब एण्ड स्पोक प्रचालनों के लिए इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एल.पी.जी. एजेंसियों के विरुद्ध अनियमितताएं

4886. श्री सी.आर. पाटिल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा के गुडगांव क्षेत्र में गैस एजेंसियों के विरुद्ध बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त एजेंसियां एल.पी.जी. सिलिंडरों की कालाबाजारी की दोषी पाई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कदम उठाए है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को जब भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, इनकी जांच की जाती है। यदि शिकायत की पुष्टि हो जाती है तो दोषी एल.पी.जी. वितरक के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश (एम.डी.जी.) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

ओ.एम.सीज ने रिपोर्ट दी है कि पिछले वर्ष और अप्रैल-जुलाई, 2010 के दौरान हरियाणा राज्य के गुडगांव क्षेत्र में उनके एल.पी.जी. वितरकों के विरुद्ध विभिन्न शिकायतों की पुष्टि होने पर पांच मामलों में एम.जी.डी. के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।

(ग) से (ङ) घरेलू उपयोग के लिए एल.पी.जी. के खुदरा मूल्य और वाणिज्यिक एल.पी.जी. के बाजार मूल्य में अत्यधिक अंतर होने के कारण कुछ बेईमान तत्वों द्वारा राजसहायता प्राप्त घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडरों की कालाबाजारी/विपथन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

ओ.एम.सीज ने रिपोर्ट दी है कि एल.पी.जी. वितरकों द्वारा घरेलू एल.पी.जी. की कालाबाजारी/विपथन की सिद्ध शिकायतों के आधार पर पिछले वर्ष और अप्रैल-जुलाई, 2010 के दौरान हरियाणा राज्य के गुडगांव क्षेत्र में दो मामलों में एम.डी.जी./डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

न्यायपालिका के लिए आचार संहिता

4887. श्री इन्दर सिंह नामधारी:
श्रीमती परमजीत कौर गुलशन:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायपालिका के लिए कोई आचार संहिता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) तारीख 7-5-1997 को हुए भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्ण न्यायालय अधिवेशन में न्यायाधीशों द्वारा पालन किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों जो स्वतंत्र, कठोर तथा सम्मानित न्यायपालिका के लिए आवश्यक हैं और न्याय के निष्पक्ष प्रसासन में अपरिहार्य हैं, के रूप में कार्य करने के लिए "न्यायिक जीवन मूल्यों का पुनः कथन" विवरण के रूप में संलग्न को अंगीकृत किया था। इनका सम्पूर्ण न होना बल्कि दृष्टांत रूप से होना अभिप्रेत है जिनकी किसी न्यायाधीश से प्रत्याशा की जाती है।

विवरण

न्यायिक जीवन की गरिमा का पुनः कथन

(1) न्याय केवल किया नहीं जाना चाहिए अपितु यह भी लगना चाहिए कि न्याय हुआ है। उच्चतर न्यायपालिका के सदस्यों के व्यवहार और आचरण से निष्पक्ष न्यायपालिका में जनता के विश्वास की पुनः पुष्टि होनी चाहिए। तदनुसार, उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कृत्य, चाहे वह शासकीय या व्यक्तिगत हैसियत में किए गए हों, जिससे इस बोध की विश्वसनीयता समाप्त न हो, इससे बचना चाहिए।

(2) किसी न्यायाधीश को किसी क्लब, सोसाइटी या अन्य संगम के किसी पद का निर्वाचन नहीं लड़ना चाहिए; इसके अतिरिक्त वह विधि से संबंधित किसी सोसाइटी या संगम के सिवाय ऐसा निर्वाचन पद धारित नहीं करेगा।

(3) बार के व्यष्टिक सदस्यों, विशेष रूप से जो उसी न्यायालय में वकालत करते हैं, के साथ निकटता से परहेज रखना चाहिए।

(4) किसी न्यायाधीश को अपने ही कुटुम्ब के किसी सदस्य को, जैसे कि पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री या पुत्रवधु या कोई अन्य निकट नातेदार को, यदि किसी बार का सदस्य है, अपने समक्ष उपसंजात होने या यहां तक कि उनके द्वारा किसी रीति से सहयुक्त होने की भी अनुज्ञा नहीं देनी चाहिए।

(5) न्यायाधीश जिस निवास-स्थान का वह वास्तविक रूप में निवास के रूप में उपयोग करता है को अपने कुटुम्ब के किसी ऐसे सदस्य को, जो बार का सदस्य है, उसका उपयोग करने या अन्य वृन्तिक कार्य के लिए अन्य सुविधाओं का उपयोग करने की अनुज्ञा नहीं देगा।

(6) किसी न्यायाधीश को अपने पद की गरिमा के साथ व्यवसाय से सामंजस्य श्रेणी तक दूरी बनाए रखनी चाहिए।

(7) किसी न्यायाधीश को ऐसे मामले की सुनवाई या विनिश्चय नहीं करना चाहिए जिसका संबंध उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य, किसी निकट संबंधी या किसी मित्र से हो।

(8) किसी न्यायाधीश को जनता में, राजनीतिक विषयों या लंबित मामलों या ऐसे मामलों जिनमें न्यायिक अवधारणा के उद्‌भूत होने की संभावना है, सार्वजनिक रूप से बहस या अपना मत अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए।

(9) किसी न्यायाधीश से यह प्रत्याशा की जाती है कि उसके निर्णय उसकी ओर से बोलते हैं। उन्हें मीडिया को साक्षात्कार नहीं देना चाहिए।

(10) किसी न्यायाधीश को अपने कुटुम्ब, निकट संबंधियों और मित्रों के सिवाय किसी से उपहार या आतिथ्य स्वीकार नहीं करना चाहिए।

(11) कोई न्यायाधीश किसी कंपनी के ऐसे मामले, जिसमें वह शेयर रखता हो, की तब तक सुनवाई या विनिश्चय नहीं करना चाहिए, जब तक कि वह अपना हित प्रकट नहींकर देता और सुनवाई या विनिश्चय करने के बारे में कोई आक्षेप न उठाया गया हो।

(12) न्यायाधीश अंशदानों, स्टाक या इसी प्रकार की सट्टेबाजी नहीं करेगा।

(13) न्यायाधीश, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के सहयोजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या व्यापार या कारबार नहीं करेगा (प्रकाशन या किसी विधिक पुस्तक या किसी शौक की प्रकृति के किसी क्रियाकलाप का अर्थान्वयन व्यापार या कारबार के रूप में नहीं होगा)।

(14) न्यायाधीश किसी प्रयोजन के लिए किसी निधि जुटाने के लिए अंशदान या अन्यथा स्वीकार करने के लिए स्वयं सक्रिय रूप से संबद्ध नहीं होगा।

(15) न्यायाधीश अपने पद से सहबद्ध किसी परिलब्धि या विशेषाधिकार के रूप में कोई वित्तीय फायदा तब तक नहीं चाहेगा जब तक कि स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है, इस निमित किसी शंका का समाधान और स्पष्टीकरण मुख्य न्यायमूर्ति के माध्यम से होगा।

(16) प्रत्येक न्यायाधीश को प्रत्येक समय इस बात का बोध होना चाहिए कि जनता की नजर उस पर है और उसका ऐसा कोई कृत्य या लोप नहीं करना चाहिए जो किसी उच्च पद के लिए, जिसे वह धारण किए हुए हैं और जनता के सम्मान में जिस पद को वह धारण करता है, अशोभनीय समझा जाता है।

[हिन्दी]

नई रेलगाड़ियां शुरू करना

4888. श्री लालजी टन्डन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे का विचार इस मार्ग पर एक नई रेलगाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। 2 जोड़ी दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ियां, 16 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां, 56 जोड़ी यात्री गाड़ियां और 1 जोड़ी मातृभूमि (महिला स्पेशल) गाड़ी जिनको रेल बजट 2010-11 में घोषणा की गई है, उत्तर रेलवे के मार्गों पर चलेंगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रसायन उद्योगों में आपदा और दुर्घटनाएं

4889. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

श्री राकेश सिंह:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रसायन उद्योगों में आपदाओं और दुर्घटनाओं से निपटने के लिए कोई कानून है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक सरकारी और निजी उद्योगों में जहरीली गैस के रिसाव की घटनाएं हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जहां विगत तीन वर्षों के दौरान गैस रिसाव की घटनाएं हुई हैं;

(ङ) क्या इन मामलों में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) भारत के पास रासायनिक उद्योगों में आपदाओं एवं दुर्घटनाओं से निपटने के लिए एक ठोस विनियामक ढांचा है। रासायनिक (औद्योगिक) सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विनियामक ढांचा निम्नानुसार है:-

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
2. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित 2006 खतरनाक रसायन का विनिर्माण भंडारण एवं आयात नियमावली, 1989 यथासंशोधित 2000 और रसायन दुर्घटना (आकस्मिक योजना, तैयारी और प्रत्युत्तर) नियमावली, 1996
3. फैक्टरी अधिनियम, 1948 (संशोधित) 1987
4. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989
5. पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और पेट्रोलियम नियमावली, 2002
6. विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियमावली, 1983
7. गैस सिलेंडर नियमावली, 2004
8. स्थितिज एवं मोबाइल प्रेसर वेसल (अग्नि रहित) नियमावली, 1981

(ग) और (घ) गैस रिसाव की दुर्घटनाएं जो 2007 से 2010 के दौरान घटित हुईं, निम्नानुसार हैं-

क्र. सं.	दिनांक	इकाई का नाम
1.	28-08-2007	मै. आई.जी. पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, एम.आई.डी.सी., तालोजा, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र
2.	27-05-2008	मै. टाटा मोटर्स लिमिटेड, टेलको कॉलोनी, जमशेदपुर, झारखंड
3.	01-10-2008	मै. मेडिटेक केमिकल्स प्रा. लि., साइट-4, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
4.	20-03-2010	मै. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नया नांगल, पंजाब
5.	14-07-2010	हाजी बंदर स्टोरेज यार्ड, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र
6.	31-07-2010	मै. ए.एस. केमोफार्मा प्रा. लि., जिला ठाणे, महाराष्ट्र

(ङ) और (च) राज्य फैक्टरी नियमावली के अनुसार संबंधित राज्य सरकार ने इकाई के मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है।

[अनुवाद]

रेल योजना

4890. श्री वैजयंत पांडा:
श्री रुद्रमाधव राय:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रेल संपर्क मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम रेल योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार रेलकर्मियों के स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा क्षेत्र में बेहतर कल्याण के लिए विभिन्न पहल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) इस समय योजना विचाराधीन है और उसे बाद में अंतिम रूप दिया जायेगा।

(ग) से (ङ) स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा के क्षेत्र में रेल कर्मचारियों के बेहतर कल्याण के लिए रेलवे ने निम्न-लिखित प्रयास किए हैं:-

(i) देश के रेल नेटवर्क के साथ स्वास्थ्य रक्षा अवसंरचना के विकास के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये स्वास्थ्य रक्षा अवसंरचना सुविधाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उस खाली पड़ी रेल भूमि पर विकसित की जाएंगी जो रेलवे के परिचालनिक उपयोग के लिए अपेक्षित नहीं हैं। रेल मंत्रालय द्वारा चिन्हित की गई रेल भूमि पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ओ.पी.डी. एवं डायग्नोस्टिक सेंटर, सेकण्डरी लेवल का जनरल स्पैशिएलटी हॉस्पिटल, टेरिटेरी लेवल सुपर स्पैशिएलटी हॉस्पिटल का विकास किया जाएगा। इन स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं के स्थापित हो जाने से भारतीय रेल कर्मचारियों के साथ-साथ रेल यात्रियों, आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और विशेषरूप से नागरिकों के लिए किफायती और आधुनिक गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी।

(ii) रेल बजट 2010-11 में सभी के लिए आवास नामक एक योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के ब्यौरों को शहरी विकास मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।

(iii) रेल परिसरों पर शैक्षणिक सुविधाओं के विकास के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ रेल मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक उच्चाधिकार प्राप्त कार्यकारी समूह का गठन किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अभी तक रेल भूमि पर छ: नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम

4891. श्री सी. राजेन्द्रन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान चेन्नई में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एम.आर.टी.एस.) के लिए अब तक कितना धन आवंटित किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस परियोजना पर अब तक कितनी राशि उपयोग की गई है;

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हने की संभावना है; और

(घ) शेष ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान आवंटित की जाने वाली संभावित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) गत तीन वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान चैन्नै में व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के लिए रेलवे और तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा अभी तक आबंटित कुल धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(आंकड़े करोड़ रु.)

कार्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
	रेलवे	तमिलनाडु सरकार	रेलवे	तमिलनाडु सरकार	रेलवे	तमिलनाडु सरकार	रेलवे	तमिलनाडु सरकार
एम.आर.टी.एस. चरण-I	1.60	-	2.00	-	6.00	-	10.00	-
एम.आर.टी.एस. चरण-II	8.00	8.09	12.00	63.00	13.00	20.00	10.00	-
एम.आर.टी.एस. चरण-III विस्तार	-	-	20.00	67.00	12.00	40.00	20.00	-

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस परियोजना के लिए इस्तेमाल की गई कुल धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(आंकड़े करोड़ रु.)

कार्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
	रेलवे	तमिलनाडु सरकार	रेलवे	तमिलनाडु सरकार	रेलवे	तमिलनाडु सरकार	रेलवे	तमिलनाडु सरकार
एम.आर.टी.एस. चरण-I	1.58	-	2.00	-	5.57	-	2.17	-
एम.आर.टी.एस. चरण-II	8.00	22.77	12.00	38.57	13.03	33.77	21.95	-
एम.आर.टी.एस. चरण-III विस्तार	-	-	18.20	14.92	12.00	20.63	14.34	-

(ग) इस परियोजना के 30-06-2013 तक पूरा होने की संभावना है।

(घ) इसके लिए 278.46 करोड़ रु. की निधियों की आवश्यकता होगी जो ग्यारहवीं योजना अवधि में मुहैया कराए जाने हैं जिसमें से 177.35 करोड़ रु. तमिलनाडु सरकार द्वारा दिए जाने हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

4892. श्री उमाशंकर सिंह:

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति बिना किसी पुलिस सत्यापन अथवा क्लीयरेंस के की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय की 28 अक्तूबर, 1998 की परामर्शी राय के साथ पठित उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता अभिलेख और अन्य बनाम भारत संघ के 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय के अनुसरण में, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने की प्रक्रिया संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होती है। वह प्रस्तावित नामों की उपयुक्तता के संबंध में दो ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करता है और प्रस्ताव को ऐसे राज्य के सांविधानिक प्राधिकारियों को अग्रेषित करता है जो अपनी टीका-टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को संघ सरकार को भेजते हैं। संघ सरकार, सिफारिश किए गए व्यक्ति के चरित्र, पूर्ववृत्त और सत्यनिष्ठा आदि पर गोपनीय रिपोर्ट अभिप्राप्त करती है। सिफारिश किए गए व्यक्तियों की गोपनीय रिपोर्ट सहित संपूर्ण जानकारी उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा विचार करने के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उपलब्ध कराई जाती हैं। कॉलेजियम द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रस्तुत की जाती है।

समयबद्ध समाधान

4893. श्री उदय सिंह: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महिलाओं के बलात्कार, दहेज उत्पीड़न तथा छेड़खानी से संबंधित मामलों एवं आतंकवादियों के विचारण से संबंधित मामलों के लिए उनके द्वारा की गई सार्वजनिक घोषणा के माध्यम से किए गए वायदे के अनुसार समयबद्ध समाधान हेतु फास्ट ट्रैक प्रक्रिया पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) सरकार ने सिद्धांत रूप से राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन स्थापित करन का विनिश्चय किया है जिसमें उसकी रणनीतियों में, मामलों के समयबद्ध समाधान के लिए न्याय प्रक्रियाओं का त्वरित निपटान ही होगा। प्रक्रियाओं के ऐसा त्वरित निपटान का, अन्य बातों के साथ, बेहतर मामला प्रबंधन, प्रक्रियाओं की पुन: इंजीनियरिंग, न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति और अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र के बेहतर उपयोग द्वारा प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है। तेरहवें वित्त आयोग ने, अन्य बातों के साथ, न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति के लिए और देश में अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्रों के संवर्धन के लिए राज्यों को अनुदान उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। इस संबंध में तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा पहले ही स्वीकार कर ली गई हैं।

[हिन्दी]

रेल लाइन का निर्माण

4894. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंदौर-दाहोद और धार-छोटा उदयपुर रेल लाइन के निर्माण का कार्य किस तारीख को शुरू किया गया था;

(ख) क्या रेलवे दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना के मद्देनजर उक्त रेल लाइन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) दाहोद-इंदौर (200.97 किमी.) और छोटा उदयपुर-धार (157 किमी.) नई लाइन परियोजनाओं को 2007-08 के बजट में शामिल किया गया था। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डिवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (डी.एम.आई.डी.सी.) ने पीथमपुर-धार निवेश क्षेत्र और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टक्स पार्क (एम.एम.एल.पी.) के विकास हेतु इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध किया है। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्य किए जा रहे हैं। इन्हें पूरा करने के लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

इलेक्ट्रानिक डाटा चार्जर मशीन की संस्थापना

4895. श्री ए.टी. नाना पाटील: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) पेट्रोल पंप स्वामियों पर आई.सी.आई.सी.आई., ऐक्सिस बैंक और अमरीकन ऐक्सिस बैंक, जिनके साथ एच.पी.सी.एल. ने वाणिज्यिक करार किया है, के सिवाय किसी अन्य बैंक के इलेक्ट्रानिक डाटा चार्जर (ई.डी.सी.) नहीं लगाने का दबाव डाल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने इस संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) किसी बैंक के इलैक्ट्रानिक डेटा चार्जर (ई.डी.सी.) मशीन के संस्थापन के संबंध में अपने डीलरों और पेट्रोल पम्प स्वामियों पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाल रही है। सभी बैंकों द्वारा जारी क्रैडिट कार्डों को एच.पी.सी.एल. के खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर.ओज) पर स्वीकार किया जाता है। सभी पेट्रोल पम्प डीलरों ने विभिन्न बैंकों के साथ सीधे ही करार किया है, जिसके बाद संबंधित बैंक ने पेट्रोल पम्पों पर इन टर्मिनलों की स्थापना की है। तथापि, एच.पी.सी.एल. ने वर्ष 2001 से आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के साथ अपने को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर ईंधन पर अधिभार की छूट प्रदान किए

जाने के प्रयोजन से एक करार किया है और यह अधिभार छूट केवल आई.सी.आई.सी.आई. बैंक चार्ज स्लिप पर ही लागू है। यह मुद्दा अखिल महाराष्ट्र पेट्रोल डीलर एसोसिएशन परिसंघ द्वारा उठाया गया है और यह मामला भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग के पास न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

पालघाट रेल मंडल

4896. श्री एंटो एंटोनी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण रेल के पालघाट रेलमंडल द्वारा इसके विभाजित होने से पूर्व और बाद में कितना वार्षिक राजस्व सृजित किया गया है;

(ख) दक्षिण रेल में सेलम मंडल द्वारा इसकी स्थापना के बाद से वर्ष-वार कितना राजस्व सृजित किया गया है;

(ग) रेलवे द्वारा सेलम मंडल की स्थापना पर किए गए कुल व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) सेलम मंडल की स्थापना के लिए कितने पदों का सृजन किया गया है और क्या पालघाट तथा सेलम मंडल में रेल कर्मचारियों की कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) पालघाट मंडल के विभाजन से पहले और बाद में तथा सेलम मंडल के आरंभ होने से (अर्थात् 1 नवंबर, 2007 से) उनके द्वारा अर्जित किया गया वार्षिक प्रारंभिक राजस्व इस प्रकार है:-

(करोड़ रु.)

वर्ष	पालघाट मंडल	सेलम मंडल
2005-06	455.12	-
2006-07	587.71	-
2007-08	563.61	140.22
2008-09	468.42	372.33
2009-10	614.48	413.12

(ग) सेलम मंडल की स्थापना हेतु जुलाई, 2010 तक रेलवे द्वारा 16.11 करोड़ रु. (लगभग) खर्च किए गए हैं।

(घ) और (ङ) सेलम मंडल की स्थापना के लिए पदों का कोई सृजन नहीं किया गया था और इन मंडलों में रेल कर्मचारियों के रिक्तियों की स्थिति इस प्रकार है:-

स्टाफ श्रेणी	पालघाट मंडल			सेलम मंडल		
	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या	रिक्ति	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या	रिक्ति
समूह 'ए' एवं 'बी'	64	64	0	63	63	0
समूह 'ग'	5558	4788	770	7121	6286	835
समूह 'घ'	2283	2070	213	3076	2397	679
कुल	7905	6922	983	10260	8746	1514

[हिन्दी]

नई एक्सप्रेस ट्रेन

4897. डॉ. चरण दास महन्त: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को छत्तीसगढ़ में कोरबा और अम्बिकापुर से दिल्ली तक अलग-अलग एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। डॉ. चरण दास महन्त, संसद सदस्य सहित विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) प्रस्ताव की जांच की गयी है परन्तु परिचालनिक कठिनाइयों के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

चौकीदार रहित समपार

4898. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में चौकीदार रहित रेल समपारों पर चौकीदार तैनात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में रेल समपारों के निर्माण के लिए निधियों की हिस्सेदारी के प्रयोजनार्थ प्रावधानों में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) समपारों पर चौकीदार तैनात करना स्थान पर निर्भर नहीं करता। समपारों पर चौकीदार तैनात करने का निर्णय समपारों पर सम्हाले जा रहे गाड़ी वहन यूनिटों (टी.वी.यू.) पर निर्भर करता है। इस समय यदि गाड़ी वहन यूनिट 2000 से ज्यादा होता है तो समपारों पर चौकीदार तैनात किए जाते हैं चाहे उनका स्थान (शहरी अथवा ग्रामीण) कहीं भी हो।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस" की स्थापना

4899. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने मई 2012 तक सभी रेल इंजनों में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं पर राज्य-वार खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) सभी डीजल और बिजली रेल इंजनों में सर्तकता नियंत्रण यंत्र (वी.सी.डी.) मुहैया कराने के लिए अनंतिम तारीख मार्च, 2012 है। अभी तक लगभग 1764 डीजल रेल इंडनों और 550 बिजली रेल इंजनों में सतर्कता नियंत्रण यंत्र लगा दिए गए हैं। निर्धारित लक्ष्य तिथि तक शेष रेल इंजनों में सतर्कता नियंत्रण यंत्र मुहैया कराने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

शेष सभी डीजल और बिजली रेल इंजनों में सतर्कता नियंत्रण यंत्र लगाने के लिए कुल 245 करोड़ रुपए की राशि के खर्च होने की संभावना है। बहरहाल, इससे संबंधित खर्च का राज्य-वार ब्यौरा रखा मुहैया कराया जाना संभव नहीं है क्योंकि डीजल और बिजली रेल इंजन सभी भारतीय रेलों पर निरपवाद रूप से चल रहे हैं और कभी-कभार एक रेलवे से दूसरी रेलवे में इनका हस्तांतरण भी होता रहता है।

[अनुवाद]

डी.एफ.सी.सी.एल. में भ्रष्टाचार

4900. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को समर्पित मालवहन गलियारा निगम लि. में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को इस संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग से कोई रिपोर्ट मिली है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले पर रेलवे ने क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त रिपोर्ट सहित भारतीय समर्पित मालभाड़ा गलियारा निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए ठेकों में अनियमितताओं के संबंध में सूचना स्रोत प्राप्त हुआ है, जिसकी सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन

4901. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लमडिंग-सिलचर-गिरिबन, बदरपुर-कुमारघाट परियोजना के आमान परिवर्तन के संबंध में 890.18 करोड़ रुपए के अनुत्पादनकारी व्यय के बारे में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट में उक्त परियोजना के संबंध में अनुचित आयोजना और अन्य पहलुओं के बारे में भी प्रकाश डाला गया है;

(ग) क्या रेलवे ने उस रिपोर्ट की जांच की है और उस रिपोर्ट के अनुपालन में उपचारात्मक उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए सहायता

4902. डॉ. बलीराम: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शाखा के नए भवन के निर्माण के लिए 772 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की 50 प्रतिशत धनराशि वहन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अनुमानित व्यय की 50 प्रतिशत धनराशि वहन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) जी हां, 772.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर लखनऊ स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ न्यायपीठ के लिए एक नए भवन के सन्निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ था।

(ग) उच्च न्यायालय और साथ ही जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों की अवसंरचना की व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय सरकार इस संबंध में अपनी योजना और बजट आवंटनों के भीतर राज्यों के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने के लिए योजना स्कीम कार्यान्वित करती है। इस मामले में विस्तृत लागत प्राक्कलनों को उपदर्शित करने वाली एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के.लो.नि.वि. को विधीक्षा और उनकी टीका टिप्पणी के लिए भेजी गई थी। के.लो.नि.वि. द्वारा की गई टीका टिप्पणियां और संप्रेषण के.लो.नि.वि. द्वारा उठाए गए केन्द्रों पर अपेक्षित स्पष्टीकरण/सूचना के लिए राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं। आज तक राज्य सरकार से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

भेल द्वारा विद्युत उपकरणों का विनिर्माण

4903. श्री तूफानी सरोज: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को ब्यौरा और संख्या क्या है, जिनके संबंध में उपकरणों के विनिर्माण जिम्मेदारी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को सौंपी गई है;

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) क्या भेल की अनेक परियोजनाओं का कार्य लक्ष्य से पीछे चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) और (ख) अगस्त, 2010 के मध्यतक 11वीं और 12वीं योजना अवधि में चालू करने के लिए भारत इलेक्ट्रिकल्स लि. (बी.एच.ई.एल.) को कुल 73,234 मेगावाट के 124 यूटिलिटी पावर जेनरेशन प्रोजेक्ट सौंपे गए हैं। इससे कुल 56,628 मेगावाट के 93 प्रोजेक्ट में बी.एच.ई.एल. का कार्यक्षेत्र मुख्य प्लांट पैकेज तक सीमित है जबकि बैलेंस प्लांट ग्राहक के कार्य क्षेत्र में आते हैं।

73,234 मेगावाट में से 33,145 मेगावाट 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित है।

(ग) और (घ) जी, हां। कुछ परियोजनाओं में विभिन्न कारणों से विलंब हो रहा है।

पावर प्लांट की स्थापना एक जटिल प्रक्रिया है तथा यह कई विनिर्माताओं के कार्य-निष्पादन पर निर्भर करता है। क्षमता विस्तार के लिए 11वीं योजना के लिए निर्धारित कई परियोजनाओं में बी.एच.ई.एल. का कार्यक्षेत्र बायलर और टरबाइन जेनरेटर पैकेज तक ही सीमित है जबकि शेष कार्य अर्थात बी.ओ.पी. और सिविल कार्य ग्राहक (प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

भारी उद्योग विभाग बी.एच.ई.एल. की विभिन्न पावर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति को मॉनिटर करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारणों से विलंब होने के बावजूद प्रोजेक्ट आरंभ करने में विलंब को कम करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त प्रयास करे।

[अनुवाद]

भोपाल गैस पीड़ितों का सर्वेक्षण

4904. श्री जोस के. मणि: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टाटा इंस्टीट्युट ऑफ सोशल साइंसिज (टी.आई.एस.एस.) द्वारा भोपाल गैस पीड़ितों का ढाई दशक पहले किये गये एकमात्र व्यापक सर्वेक्षण की अब कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सर्वेक्षण 1984 में गैस रिसाव की तिथि के ठीक दो सप्ताह पश्चात् शुरू किया गया जिसमें कुल 478 छात्र, 41 संकाय सदस्य और 13 स्टाफ सदस्य थे, जिसमें 6 सप्ताह की अवधि में 25,250 से अधिक परिवारों को शामिल किया गया;

(घ) यदि हां, तो क्या उस सर्वेक्षण का सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने वित्त पोषण किया था चूंकि तत्कालीन राज्य सरकार ने इसे वित्तपोषित करने से मना कर दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ङ) जी, हां। मध्य, प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि सर्वेक्षण 26 वर्ष पूर्व किया गया था और संगत दस्तावेज फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विलय

4905. डॉ. शशि थरूर: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 के परिणामस्वरूप भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विलय कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यकारियों और गैर-कार्यकारियों के समान काडरों का पृथक वरीयता के साथ कार्य करने के क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यकारी और गैर-कार्यकारी के समान काडरों की परस्पर वरीयता को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अप्रैल, 1995 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के गठन के पश्चात, पूर्ववर्ती आई.ए.ए.आई. और एन.ए.ए. अलग प्रभाग के रूप में कार्य कर रहे थे जिसे 31-03-1997 तक एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। दिनांक 31-03-1997 को यह निर्णय लिया गया था कि सामान्य सेवा शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने एवं प्रस्तुत किए जाने तक कर्मचारी उन्हीं समान सेवा शर्तों पर कार्य करेंगे जैसा कि वे विलय से पहले कर रहे थे। पूर्ववर्ती आई.ए.ए.आई. तथा एन.ए.ए. की भर्ती और प्रोन्नति, विभिन्न कार्यपद्धति आदि अलग-अलग क्रियाविधियां थीं जो अलग-अलग सेवा शर्तों द्वारा शासित थीं। इस वजह से पारस्परिक वरियता का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका। बहरहाल, समान सेवा शर्तें, यथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (कर्मचारियों की सेवा एवं वेतन की सामान्य शर्तें) नियमावली, 2003 तथा भर्ती एवं पदोन्नति दिशा-निर्देश क्रमशः 2003 और 2005 में सृजित तथा कार्यान्वित किए गए थे। अधिकतर संवर्गों में कर्मचारियों की तैनाती सहित समान भर्ती की जा रही हैं। बहरहाल, समान पारस्परिक वरीयता पर निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि इसमें जटिल मामले जैसे कर्मचारियों की बड़ी संख्या को

प्रभावित करने वाली भिन्न प्रक्रियायें व पद्धतियां आदि शामिल हैं, इसलिए इस प्रक्रिया में समय लगा।

गेहूं की ढुलाई

4906. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

श्री एस.आर. जेयदुरई:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब में सरहिन्द से बोकारो तक गेहूं की ढुलाई के लिए रेल वैगन बुक किए गए थे, जिन्हें बोकारो पहुंचने में 440 दिन लगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलंब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच शुरू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) 02-05-2009 को पंजाब में सरहिंद से बोकारो और टाटी सिलवे के लिए 39 बी.सी.एक्स वैगनों की एक रेक का लदान किया गया था। यह रेक टाटी सिलवे 07-05-2009 को 37 बी.सी.एक्स. वैगनों (95%) के साथ पहुंचा और बकाया रेक की उतराई वहां 08-05-2009 को की गयी थी। बोकारो के लिए रेक के दूसरे भाग की उतराई बोकारो में 10-05-2009 को की गयी थी। लदान से गंतव्य पहुंचने तक रेक के 95 प्रतिशत के लिए ट्रांजिट समय सिर्फ 5 दिन था।

बहरहाल, दो बी.सी.एक्स. वैगनों में मार्ग में खराबी आ गई। इन वैगनों को अलग कर दिया गया था। कैरिज एवं वैगन जांच के बाद, एक वैगन को ठीक कर दिया गया और गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया जो 13-07-2010 को बोकारो पहुंच चुका है। दूसरे वैगन को यांत्रिक रूप से मरम्मत न होने योग्य घोषित कर दिया गया था और इसके सामान को दूसरे बी.सी.एन. वैगनों में ट्रांजिट कर दिया गया। यह वैगन भी रवाना कर दिया गया है और गंतव्य के रास्ते में है। इस घटना की जांच की जा रही है।

पटसन क्षेत्र का निष्पादन

4907. श्री मोहन जेना: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए पटसन क्षेत्र के निष्पादन का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में पटसन की खेती में चिंताजनक दर तक गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को पटसन की खेती में गिरावट के कारणों की जानकारी हैं; और

(च) यदि हां, तो पटसन की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी हां, सरकार पटसन क्षेत्र के निष्पादन का समय-समय पर आकलन करती है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं:-

(i) कच्ची पटसन की खेती का क्षेत्र 700,000 एवं 850,000 हैक्टेयर के मध्य स्थिर है।

(ii) वर्ष 1974-78 एवं 2003-04 के मध्य कच्ची पटसन के उत्पादन में यथेष्ट बढोत्तरी हुई है एवं उसके पश्चात विगत दशक के दौरान यह स्थिर (100 लाख बेल के आस-पास घटता-बढ़ता रहा) रहा है।

(iii) उपज 1300 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर (74-78) से यथेष्ट रूप से बढ़कर लगभग 2400 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर (2009-10) हुई है।

(iv) पटसन उत्पादों के कुल उत्पादन में पिछले वर्षों में उतार-चढ़ाव होता रहा है। यद्यपि, यह वर्ष 1987-88 के 11.92 लाख एम.टी. से बढ़कर वर्ष 2007-08 में अधिकतम 17.76 लाख एम.टी. की बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में औसत उत्पादन 16 लाख हो गया है। वर्ष 2006-07 एवं 2009-10 के दौरान प्रमुख रूप से पश्चिमी बंगाल में पटसन मिलों में हड़ताल होने के कारण उत्पादन औसत से नीचे गिर गया।

(v) कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में घरेलू खपत

80 प्रतिशत (1987-88) से बढ़कर लगभग 91 प्रतिशत (2009-10) हो गई।

(vi) पटसन उत्पादों का निर्यात वर्ष 1978-79 के 166 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 1200 करोड़ रु. का हो गया है। यद्यपि, वर्ष 2006-07 एवं 2009-10 के दौरान मुख्यतया वैश्विक मंदी एवं पटसन मिलों में हड़ताल के कारण निर्यात में गिरावट रही।

(ग) और (घ) जी नहीं। प्रमुख पटसन उत्पादक राज्यों ने पटसन उत्पादन में बढोत्तरी की प्रवृति दर्शायी है। पिछले 5 वर्षों में राज्यवार पटसन खेती/उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(इकाई: हजार गांठें)

राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10*
असम	410.4	578.9	558.6	656.8	647.5	713.1
बिहार	1056.2	1298.6	1253.3	1251.5	1054.8	1161.1
झारखण्ड	1.1	1.0	1.0	1.0	0.0	0.8
मेघालय	20.2	35.5	35.0	34.9	34.6	-
नागालैंड	6.7	10.5	5.9	6.4	1.3	-
उड़ीसा	41.0	44.4	47.8	49.8	19.9	3.0
त्रिपुरा	10.7	11.4	4.0	3.7	3.7	-
पश्चिम बंगाल	7853.0	7989.2	8411.5	8216.0	7872.6	8782.5
अन्य	-	-	-	-	-	39.9
संपूर्ण भारत	9399.3	9969.5	10317.1	10220.1	9634.4	10700.3*

[स्रोतः कृषि मंत्रालय]

* कृषि एवं सहकारिता विभाग के चतुर्थ अग्रिम अनुमानों पर आधारित। हालांकि, पटसन सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 2009-10 हेतु 90 लाख गांठों के उत्पादन का अनुमान लगाया है।

(ङ) और (च) पटसन सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 2010-11 हेतु 107 लाख गांठों के उत्पादन का अनुमान लगाया है, जो यह दर्शाता है कि पटसन की खेती में कोई विशेष गिरावट नहीं हुई है। पटसन की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में मुख्यतया शामिल हैं:-

(i) किसानों को मूल्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन अभियान चलाना।

(ii) पटसन क्षेत्र के समग्र विकास एवं उन्नति के लिए सरकार ने पटसन प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है।

(iii) भारतीय पटसन निगम किसानों को प्रमाणित बीज वितरित करता रहा है।

(iv) पटसन में खाद्यान्न एवं चीनी की अनिवार्य पैकिंग की नीति को जारी रखना।

गुजरात में विस्फोटक विभाग का एक पृथक कार्यालय खोला जाना

4908. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र को गुजरात सरकार से गुजरात में अलग पोत पुनर्चक्रण यार्ड में विस्फोटक विभाग का एक पृथक कार्यालय खोले जाने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जालसाजीपूर्ण भूमि सौदे

4909. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारतीय तेल निगम (आई.ओ.सी.) को एक व्यक्ति द्वारा तमिलनाडु में 166 एकड़ बंगाल की खाड़ी को भूमि के रूप में बेचकर 26 करोड़ रुपए की चपत लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.ओ.सी. ने इस सौदे की जांच और धोखेबाज के खिलाफ कार्रवाई करने तथा संगठन को हुए घाटे की भरपाई के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आई.ओ.सी.) ने तमिलनाडु में एन्नोर में मैसर्स श्री राम एंटरप्राइजेज से लगभग 102.93 एकड़ भूमि सार्वजनिक निविदा के तहत एकमात्र वैध प्रस्ताव के आधार पर कुल 5.05 करोड़ रुपए की धनराशि में वर्ष 1999-2000 में सार्वजनिक निविदा के तहत खरीदी है। कुल 102.93 एकड़ भूमि खरीदी गई थी जिसमें भूमि के विभिन्न टुकड़ों के लिए मुख्तारनामा (पी.ओ.ए.) धारक, मैसर्स श्री राम एंटरप्राइजेज से 77 विक्रय विलेख शामिल थे।

आई.ओ.सी. को भूमि की बिक्री कर चुके कुछ भू-स्वामी आई.ओ.सी. को भूमि की बिक्री पर विवाद कर रहे हैं और वे न्यायालय में चले गए हैं। उन्होंने यह आरोप लगाते हुए कि, मैसर्स श्री राम एंटरप्राइजेज के श्री आर. देवादौस ने जाली पी.ओ.एज बनाए हैं और बगैर उनकी स्वीकृति, जानकारी और अनुमति के गैर-कानूनी ढंग से भूमि की बिक्री आई.ओ.सी. को की है, आई.ओ.सी. को भूमि की बिक्री को चुनौती दी है। कुल 10 मामले न्यायालय में लंबित हैं और दिनांक 21-8-2008 को एक पुलिस शिकायत भी दर्ज की गई है।

[हिन्दी]

दाण्डिक अधिनियम

4910. श्री रमाशंकर राजभर: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन जातियों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है जिन्हें अंग्रेजों द्वारा दाण्डिक अधिनियम में शामिल किया गया था;

(ख) क्या उन जातियों को दाण्डिक अधिनियम के दायरे से हटाने के लिए किसी आयोग का गठन किया गया था और उसकी सिफारिशें क्या हैं;

(ग) दाण्डिक अधिनियम के दायरे से हटाई गई जातियों को वर्तमान में क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(घ) उत्तर प्रदेश के संबंध में हटाई गई ऐसी जातियों की सूची क्या है;

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश की हटाई गई ऐसी जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है; और

(च) यदि हां, तो ऐसी जातियां कौन-कौन सी हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय वाहन ईंधन नीति

4911. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कोई राष्ट्रीय वाहन ईंधन नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने परिवहन क्षेत्र को पारिस्थितिकी

के अनुकूल ईंधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार की एक राष्ट्रीय वाहन ईंधन नीति है, जिसका उद्देश्य आस पास की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। देश के लिए एक आटो ईंधन नीति की सिफारिश करने तथा इसके क्रियान्वयन के लिए एक रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से अगस्त, 2001 में, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) के महा निदेशक डॉ. आर.ए. माशेलकर की अध्यक्षता में एक समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। समिति ने भारत चरण-II (बी.एस.-II), भारत चरण-III (बी.एस.-III) और भारत चरण-IV (बी.एस.-III) मानक ईंधनों (एम.एस./एच.एस.डी.) के शुरुआत की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) वाहन ईंधन नीति के अनुसरण में सरकार ने 13 शहरों नामतः दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, कोलकत्ता, चेन्नै, बंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा, लखनऊ और शोलापुर में दिनांक 1-4-2005 से पारिस्थितिकी अनुकूल ईंधनों (एम.एस. और एच.एस.डी.) बी.एस.-III ईंधन (यूरो-III मानकों के समतुल्य) की शुरुआत की थी, जिन्हें बाद में 1-4-2010 से श्रेणी उन्नयन करते हुए बी.एस.-IV (यूरो-IV मानकों के समतुल्य) कर दिया गया था। इसी प्रकार, वर्ष 2005 से शेष देश में बी.एस.-II ईंधन आपूर्ति की शुरुआत की गई थी और जिसका 1-4-2010 और 1-10-2010 के बीच शेष देश में एक चरणबद्ध ढंग से बी.एस.-III ईंधन के तौर पर श्रेणी-उन्नयन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

एन.एम.डी.सी. द्वारा अन्य देशों में कोयले की खानों का अधिग्रहण

4912. श्री संजय भोई: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एम.डी.सी.) का विचार अन्य देशों में कोयले की खानों का अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों में इसके द्वारा खानों का अधिग्रहण किया जाएगा;

(ग) क्या यह संयुक्त उद्यम के अंतर्गत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त खानों की उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(च) एन.एम.डी.सी. द्वारा कितना निवेश किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) से (च) एन.एम.डी.सी. वर्तमान में रूस, मोजांबिक और अमेरिका समेत विभिन्न देशों में कोयला खानों को अधिग्रहित करने के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। तथापि, यह प्रक्रिया आरंभिक अवस्था में है और विदेश में कोयला खानों को अधिग्रहित करने का कोई अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

ऊर्जा सुरक्षा

4913. श्री महाबल मिश्रा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के तेल भंडार समाप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) देश में तेल और तेल समतुल्य गैस भंडार (ओ+ओ.ई.जी.) में कई वर्षों से वृद्धि हो रही है। 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के मार्च माह की समाप्ति पर देश में तेल और तेल समतुल्य गैस भंडार क्रमशः 1657.93 मिलियन मीट्रिक टन तेल समतुल्य (एम.एम.टी.ओ.ई.), 1667.38 एम.एम.टी.ओ.ई. तथा 1741.16 एम.एम.टी.ओ.ई. है।

(ग) देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने हेतु हाइड्रोकार्बन अन्वेषण तथा उत्पादन कार्यों को त्वरित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) तथा कोल बेड मिथेन (सी.बी.एम.) के विभिन्न दौरों के तहत पेशकश के लिए अन्वेषण हेतु और अधिक क्षेत्रों को लाना।

(ii) मौजूदा क्षेत्रों से निकासी घटक में वृद्धि के लिए वर्धित तेल निकासी (ई.ओ.आर.)/उन्नत तेल निकासी (आई.ओ.आर.) का अनुप्रयोग।

(iii) इक्विटी तेल लाने के लिए विदेश में अन्वेषण रकबों और तेल उत्पादन संपत्तियों का अर्जन।

(iv) पुराने होते जा रहे क्षेत्रों से कमी को नियंत्रित करना।

(v) बायो डीजल, एथेनोल आदि जैसे ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोतों के प्रयोग द्वारा तेल का प्रतिस्थापन।

उपरोक्त के अलावा, भूमिगत कोयला गैसीकरण और गैस हाइड्रेट्स का निर्धारण प्रायोगिक चरण में है।

नीतिगत पहलें

4914. श्री मनीष तिवारी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विधि और न्याय मंत्रालय के दायरे संबंधित अनेक मुद्दों पर सरकार द्वारा 21 मई, 2009 से 1 जुलाई, 2010 तक कितनी नीतिगत पहलें और नीतिगत उद्घोषणाएं की गयी हैं;

(ख) तत्संबंधी मद/विषय-वार और नीतिगत पहल/उद्घोषणा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक नीतिगत पहलें/उद्घोषणाओं का अध्ययन करने और सुविचारित सिफारिशें देने के लिए सरकार द्वारा किसी कृतक बल का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन नीतिगत पहलों और उद्घोषणाओं की प्रभावोत्पादकता और कार्यान्वयन के संबंध में विधिक समुदाय से परामर्श किया गया है;

(च) यदि हां, तो इन नीतिगत उद्घोषणाओं को ठोस कार्यान्वयन योग्य प्रस्ताव के रूप में लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) इन नीतिगत पहलों का विधि और न्याय व्यवस्था पर पड़े प्रभाव के बारे में की गई लेखा परीक्षा का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (छ)

1. **परामर्श:**

(i) न्याय विभाग ने "लंबित मामलों की संख्या और उनके विलंब को कम करने के संबंध में न्यायपालिका को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय परामर्श", 24-25 अक्तूबर, 2009 को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें, अन्य बातों के साथ, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति जिनके साथ प्रत्येक उच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश, प्रत्येक उच्च न्यायालय से दो जिला न्यायाधीश, राज्य विधि सचिव, राज्य सरकारों के महाधिवक्ता, शिक्षा जगत के प्रतिनिधि, विख्यात विधिवेत्ता और भारतीय विधिज्ञ परिषद् का अध्यक्ष और पदाधिकारी उपस्थित थे। इस परामर्श में माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा एक कार्ययोजना अंतर्विष्ट करने वाला दृष्टिकोण कथन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को प्रस्तुत किया गया था।

(ii) तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों, ई-न्यायालयों, मिशन पद्धति परियोजना और न्यायिक सुधारों के लिए अन्य उपायों पर चर्चा करने के लिए माननीय विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में जून-जुलाई, 2010 में उच्च न्यायालयों और राज्यों सरकारों की क्षेत्रीय बैठकें गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली और गोवा में आयोजित की गई थीं।

(iii) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों, राज्यों के मुख्य मंत्रियों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यपालक अध्यक्षों, राज्यों के गृह/विधि सचिवों और वित्त सचिवों ने बैठकों में भाग लिया था।

2. तेरहवां वित्त आयोग

न्याय विभाग ने देश में न्याय परिदान प्रणाली को सुधारने के लिए अनुदान उपलब्ध कराने हेतु तेरहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) को ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है जिसे तेरहवें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया था। सरकार ने देश में न्याय परिदान प्रणाली को सुधारने के लिए राज्यों को 5000 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराने

के लिए तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया है। 500 करोड़ रुपए की पहली किश्त पहले ही राज्यों को जारी की जा चुकी है। इन अनुदानों की सहायता से, राज्य अन्य बातों के साथ प्रात:कालीन/सायं कालीन/पाली/विशेष मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित कर सकते हैं और न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या को कम करने की दृष्टि से लोक और अधिक लोक अदालतें आयोजित कर सकते हैं और मध्यक्ता को सुदृढ़ बना सकते हैं।

3. राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन

कार्य योजना को उपदर्शित करने वाला एक दृष्टिकोण कथन न्याय विभाग द्वारा अक्तूबर, 2009 में आयोजित राष्ट्रीय परामर्श में प्रस्तुत किया गया था। दृष्टिकोण कथन में कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने सिद्धांत रूप से राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन और स्पेशल परपज व्हीकल (एस.पी.वी.) की स्थापना करने का विनिश्चय किया है जो विभिन्न कार्य योजनाओं का प्रबंध करेगा और उन्हें कार्यान्वित करेगा। इससे 2012 तक बकाया मामलों को पंद्रह वर्ष की औसत से कम करके तीन वर्ष तक की प्रत्याशा तभी की जा सकती है जब उसकी रणनीतियों और निश्चित कार्य योजना को पूर्णतया कार्यान्वित कर दिया जाता है। राष्ट्रीय मिशन की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

4. ग्राम न्यायालय

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट सिविल और दांडिक मामलों के निपटारे के लिए मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए एक या अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को अधिनियमित किया गया था, 2 अक्तूबर, 2009 से प्रवर्तन में लाया गया है। इस स्कीम के अधीन पूरे देश में 5000 हजार से अधिक ग्राम न्यायालय की स्थापना किए जाने की संभावना है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी तक 144 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित किया गया है जिनमें से 47 प्रचालन में है। अभी तक राज्यों को 1964.40 लाख रुपए का अनुदान इस प्रयोजन के लिए जारी किया गया है।

5. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि

कार्मिक लोक शिकायत और विधि और न्याय मंत्रालय संबंधी विभाग संबद्ध संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 39वीं रिपोर्ट में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु के समान होने के लिए 62 वर्ष से 65 वर्ष की थी।

सरकार ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का विनिश्चय किया है। संविधान के सुसंगत अनुच्छेदों का उपयुक्त रूप से संशोधन करने के लिए संसद् में एंक समुचित विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए अतिरिक्त आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

6. राष्ट्रीय मुकदमा नीति

सरकार को एक दक्ष और उत्तरदायी वादी में बदलने की दृष्टि से राष्ट्रीय मुकदमा नीति का शुभारंभ इस मंत्रालय द्वारा 23-06-2010 उक्त नीति में अंतर्निहित प्रयोजन न्यायालयों में सरकारी मुकदमे को कम करने के लिए है जिससे न्यायालय मूल्यवान समय अन्य लंबित मामलों को निपटाने में खर्च हो सके ताकि औसत लंबित मामलों के समय को 15 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने का राष्ट्रीय विधिक मिशन में लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। मुकदमे में अंतर्वलित मुख्य मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा और उनका पूर्णतया समाधान किया जाएगा ताकि उनका संसक्तिशील और समन्वयित रीति में प्रबंध किया जा सके और उन्हें संचालित किया जा सके। इस नीति की सफलता से संबंधित सभी पणधारियों से नीति को पूर्णरूप से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। यह मंत्रालय, उक्त नीति में यथापरिकल्पित राष्ट्रीय स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर सशक्त समितियां गठित करने की प्रक्रिया में है।

7. विधिक शिक्षा में सुधार

(i) विधि और न्याय मंत्रालय ने भारतीय विधिक परिषद् और राष्ट्रीय विधि विद्यालय, दिल्ली के सहयोग से 1 और 2 मई, 2010 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में विधिक शिक्षा में द्वितीय पीढ़ी सुधार के लिए राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया था।

(ii) भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उक्त राष्ट्रीय परामर्श का उद्घाटन किया गया था और विधिक शिक्षा के क्षेत्र में आमूल संस्थानिक सुधार लाने के लिए उन्हें एक दृष्टिकोण कथन प्रस्तुत किया गया था। दृष्टिकोण कथन का फोकस विधि शिक्षा

के क्षेत्र में विस्तार समावेशन तथा उत्कृष्टता के तीन स्तंभों पर आधारित सुधार कार्यसूची पर था।

(iii) सारवान् ज्ञान प्रदान करने विधिक अनुसंधान में वृद्धि करने और सामाजिक उत्तरदायित्व और कठोर व्यवसायिक आचारों वाले विधि व्यवसायी सृजित करने के लिए तथा समाज के वंचित वर्गों की विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विधिक शिक्षा की प्रणाली को पुनः संरचना करने के लिए एक संकल्प 2 मई, 2010 को विदाई भाषण अधिवेशन में अंकीगृत किया गया था।

(iv) राष्ट्रीय परामर्श में यह संकल्प किया गया था कि-

(क) क्षेत्रीय स्तर पर चार राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की स्थापना अनुसंधान पर संकेन्द्रित उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में की जाएगी;

(ख) प्रत्येक राज्य में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होगा;

(ग) विद्यमान विधि स्कूलों/महाविद्यालयों का उनका उन्नयन करने के लिए और उनमें विद्यार्थियों के लिए अवसर सृजित करने तथा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्यायन मानक अधिकथित किए जाएंगे;

(घ) देश में सभी विधि व्यवसायियों का राष्ट्रीय डाटा बेस विभिन्न भूमिकाओं के लिए वकीलों की पहचान करने के लिए अधिकार क्षेत्र और विशेषज्ञता तथा वृत्तिक विकास और नियुक्तियों जिनके अंतर्गत विधि अधिकारी और न्यायधीश भी हैं, की खोज करने के लिए रखा जाएगा;

(ङ) विधि शिक्षण पद्धतियों के मॉड्यूल विकसित किए जाएंगे और आभासी कक्षा कक्षों के लिए नेटवर्क भी स्थापित किया जाएगा;

(च) भारतीय विधि संस्थान विधि में अनुसंधान और विधि के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषीकृत पाठ्यक्रमों के संचालन पर पुनर्संकेन्द्रीत होगा;

(छ) राष्ट्रीय अंकीय विधि पुस्तकालय की स्थापना की जानी चाहिए; और

(ज) न्याय परिदान और भारतीय विधि सुधार न्यास न्यायालय प्रशासकों और प्रबंधकों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करेगा।

संकल्प को ध्यान में रखते हुए विधि मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित तीन विधेयक तैयार किए गए हैं:-

(क) राष्ट्रीय विधि स्कूल विधेयक, 2010

(ख) उच्च विधिक अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र विधेयक, 2010

(ग) उच्चतर विधिक शिक्षा और अनुसंधान विधेयक, 2010

8. **विधायी विभाग से संबंधित पहलः-**

नीति विषयक पहल करना एक जारी रहने वाली और लंबी चलने वाली प्रक्रिया है और किसी विनिदिष्ट अवधि के प्रतिनिर्देश से उसे पृथक करना व्यवहार्य नहीं है। तथापि, निम्नलिखित नीति विषयक पहलों का विधायी विभाग से संबंध है:-

(क) महिला सशक्तिकरण:- लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के रूप में लिंग समानता की व्यवस्था करना।

(ख) स्वीय विधियों में लिंग असमानता का हटाया जाना।

(ग) विवाह के असुधार्य भंग को विवाह विच्छेद के आधार के रूप में बनाने वाली भारत विधि आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन।

(घ) व्यापक निर्वाचन सुधार करने।

(ङ) भारत से बाहर अपने नियोजन शिक्षा या अन्यथा के कारण रह रहे नागरिकों के लिए मताधिकार का प्रदान किया जाना।

उपरोक्त नीति विषयक पहल का कार्यान्वयन निम्नलिखित रूप में प्रगतिशील है:-

(क) संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक, 2008, जो अन्य बातों के साथ, यथाशक्य लोक सभा और राज्य विधान सभा, जिसके अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र भी है, में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों कुल संख्या का एक-

तिहाई राज्य सभा द्वारा 9 मार्च, 2010 को पारित किया गया है और लोक सभा में विचार किए जाने के लिए लंबित है।

(ख) स्वीय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010 संसद् के चालू सत्र के दौरान संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है। विधेयक का उद्देश्य संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अधीन संरक्षकता के विषय में और हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन पिता या माता द्वारा पुत्र या पुत्री के दत्तक ग्रहण देने या लेने के विषय में लिंग समानता लाना है।

(ग) विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 राज्य सभा में 4 अगस्त, 2010 को पुरःस्थापित किया गया है। विधेयक हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन विवाह के असुधार्य भंग को विवाह-विच्छेद के आधार के रूप में उपबंध करने के लिए है।

(घ) इस संबंध में राष्ट्रीय परामर्श आवश्यक समझा गया है।

(ङ) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2006 को वापिस लेने के पश्चात्, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 को 21 अगस्त, 2010 को राज्य सभा पुरःस्थापित किया गया है जो भारत के ऐसे नागरिकों को मताधिकार प्रदान करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन करने के लिए है, जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है और जो रोजगार, शिक्षा और अन्यथा के कारण भारत से बाहर (चाहे अस्थायी हो या नहीं) भारत में अपने मामूली निवास के स्थान से अनुपस्थित हैं।

[हिन्दी

गजरौला-मैनपुरी रेल लाइन

4915. श्री देवेन्द्र नागपाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल बजट में घोषित गजरौला से मैनपुरी तक नई रेल लाइन बरास्ता सम्भल और इटावा के निर्माण की स्थिति क्या है;

(ख) उक्त रेल लाइन का निर्माण शुरू करने के लिए क्या तिथि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या दिल्ली-लखनऊ रेल लाइन पर समपार संख्या 45/सी, 51/सी, 28/सी पर रेल उपरिपुलों के निर्माण की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो यह निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) 2010-11 की बजट घोषणा के अनुसार संभल-गजरौला नई लाइन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया है। संभल, बदायूं और एटा के रास्ते गजरौला-मैनपुरी नई लाइन के सर्वेक्षण का एक और कार्य भी प्रगति पर है। सर्वेक्षण का कार्य पूरा होने और सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध हो जाने पर इन परियोजनाओं पर आगे निर्णय लिया जाएगा।

(ग) से (ङ) दिल्ली-लखनऊ खंड के समपार संख्या 45सी, 51सी और 28सी का गाड़ी वाहन इकाई का स्तर एक लाख से ऊपर है जो रेल समपार को ऊपरी सड़क पुल से बदले जाने के लिए अर्हक बेंचमार्क है। राज्य सरकार से प्राप्त लागत में भागीदारी के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

गंगा नदी पर रेल-सह-सड़क पुल

4916. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार राज्य में लंबित और चल रही रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं की निर्धारित अवधि और लागत में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पटना में गंगा पर दीघा-पहलेजाघाट पर रेल-सह-सड़क पुल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) इसकी मूल अनुमानित लागत कितनी है और यह कितनी अवधि में पूरा हो जायेगा तथा इसकी कुल अनुमानित लागत कितनी है और इस पर कितना व्यय हुआ है; और

(च) इस पुल को कब तक पूरा किए जाने और चालू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) बिहार राज्य में 33 नई लाइन, 5 आमान परिवर्तन, 12 दोहरीकरण परियोजनाएं प्रगति पर हैं। संसाधनों की सीमित उपलब्धता और भारी बकाया कार्य के कारण सभी परियोजनाओं के पूरा होने की समय-सीमा हमेशा निर्धारित करना संभव नहीं है। अतः परियोजनाओं के लिए लक्ष्य सामान्यतः वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। यद्यपि कुछ परियोजनाएं अनुसूची के अनुसार प्रगति पर हैं, कुछ अन्य परियोजनाएं कार्यविधि संबंधी औपचारिकताओं और संसाधनों की तंगी के कारण पीछे चल रही हैं।

(घ) पटना के निकट दीघा-पहलेजाघाट पर गंगा नदी के ऊपर रेल एवं सड़क पुल की उप संरचना का कार्य पूरा होने वाला है और अधिसंरचना का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ङ) और (च) इस परियोजना की मूल लागत 600 करोड़ रु. आंकी गयी थी। मौजूदा प्रत्याशित लागत 1389 करोड़ रु. है और 31-03-2010 तक 585.57 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। इस परियोजना को 2012-13 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

रेलवे में विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति

4917. **श्री सुरेश अंगड़ी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे रोजगार की विभिन्न श्रेणियों में विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार के अनुदेशों का अक्षरशः पालन करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा कितने विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार विकलांगों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इन्हें भरने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। रेलों पर ग्रुप 'ए' 'बी' 'सी' और 'डी' में विभिन्न कोटियों में सीधी भर्ती के लिए 3 प्रतिशत रिक्तियां विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं।

(ग) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विमानपत्तनों का उन्नयन

4918. **श्री विजय बहुगुणाः** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों में विमानपत्तनों के उन्नयन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में बोईंग जेटों के उतरने के लिए कतिपय रनवे की लंबाई निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण पर है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

हिमालयी क्षेत्र में विमानन अवसंरचना का विकास

सिविल एंक्लेवों (भारतीय वायुसेना के हवाईअड्डे) समेत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रचालित हवाईअड्डों की स्थिति

[अगस्त, 2010]

क्र. सं.	हवाईअड्डा (राज्य)	स्थिति	हाल ही में पूरे किये गए कार्य	कार्य प्रगति पर	नियोजित कार्य
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीनगर (भारतीय वायुसेना) जम्मू और कश्मीर	प्रचालनरत	1. टर्मिनल भवन का विस्तार एवं सुधार कार्य 2. एप्रन का विस्तार	1. एप्रन का विस्तार (6 पार्किंग बे)	कार्गो परिसर का विकास
2.	लेह (भारतीय वायुसेना) जम्मू और कश्मीर	प्रचालनरत	1. सिविल एप्रन का निर्माण		नए टर्मिनल भवन का निर्माण (भूमि का स्थानांतरण/भारतीय वायुसेना की ओर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित)
3.	जम्मू (भारतीय वायुसेना) जम्मू और कश्मीर	प्रचालनरत	1. कैट I प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान	1. एप्रन का विस्तार (निविदा अवस्था)	सेना द्वारा भूमि स्थानांतरण के अध्यधीन रनवे का विस्तार
				2. मौजूदा ट्रमिनल भवन का विस्तार (नागर विमानन मंत्रालय को ई.एफ.सी. भेजी गई)	राज्य सरकार द्वारा भूमि मुहैया कराये जाने के अध्यधीन नया सिविल एयर टर्मिनल
4.	कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)	प्रचालनरत	1. नया टर्मिनल भवन 2. नया एप्रन और लिंक टैक्सी-वे 3. नया फायर स्टेशन कैट IV तथा आपातकालीन चिकित्सा केन्द्र 4. ग्राउंड लाईटिंग सुविधाओं का प्रावधान 5. रनवे का पुनर्सतहीकरण और सुदृढ़ीकरण		राज्य सरकार द्वारा नदी प्रशिक्षण कार्य के अध्यधीन रनवे का विस्तार
5.	कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)	प्रचालनरत	1. रनवे का विस्तार 2. नया टर्मिनल भवन		

1	2	3	4	5	6
			3. नया फायर स्टेशन		
			4. ग्राउंड लाईटिंग सुविधाओं का प्रावधान		
6.	शिमला (हिमाचल प्रदेश)	प्रचालनरत	1. ग्राउंड लाईटिंग सुविधाओं का प्रावधान	1. नए फायर स्टेशन का विस्तार	बेसिक स्ट्रिप के रिस्टोरेशन और भू-क्षरण की रोकथाम आदि से संबंधित कार्य
7.	पंतनगर (उत्तराखंड)	प्रचालनरत	1. रनवे का विस्तार और सम्बद्ध कार्य	1. डी.वी.ओ.आर. का प्रावधान	नया टर्मिनल भवन
			2. ग्राउंड लाईटिंग सुविधाओं का प्रावधान		
8.	देहरादून (उत्तराखंड)	प्रचालनरत	1. ए320 श्रेणी के विमानों के लिए रनवे, एप्रन का सुदृढ़ीकरण और विस्तार	1. आई.एन.एस. का प्रावधान	एप्रन का विस्तार
			2. ग्राउंड लाईटिंग सुविधाओं का प्रावधान		
			3. नए तकनीकी ब्लॉक कंट्रोल टॉवर, फायर स्टेशन और ई.एम.सी. के साथ नया टर्मिनल भवन		
			4. डी.वी.ओ.आर. का प्रावधान		

यह रिपोर्ट एयरोड्रम नियोजन निदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003 द्वारा तैयार की गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमानन अवसंरचना का विकास

सिविल एंक्लेवों (भारतीय वायुसेना के हवाईअड्डे) समेत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रचालित हवाईअड्डों की स्थिति

[जुलाई, 2010]

क्र. सं.	हवाईअड्डा (राज्य)	स्थिति	हाल ही में पूरे किये गए कार्य	कार्य प्रगति पर	नियोजित कार्य
1	2	3	4	5	6
1.	डिब्रूगढ़ (असम)	प्रचालनरत	1. 500 यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल भवन	रनवे का सुदृढ़ीकरण	ए320 विमानों के उपयुक्त बनाने के लिए रनवे की

1	2	3	4	5	6
			2. एक बार में 4 ए320 और 2 ए.टी.आर. विमानों को रखने के लिए एप्रन का विस्तार		कुल लम्बाई 2470 मी. करने के उद्देश्य से इसमें 640 मी. का विस्तार
2.	गुवाहाटी (असम)	प्रचालनरत	1. ए310, ए300 श्रेणी के विमानों के प्रचालन हेतु उपयुक्त बनाने के लिए रनवे की कुल लम्बाई 3103 मी. करने के उद्देश्य से इसमें 360 मी. का विस्तार 2. एप्रन का विस्तार। नए बे	1. नई अर्जित भूमि की भराई/लेवलिंग। पी.डी.सी. अगस्त 2010 2. नई अर्जित भूमि में चारदीवारी। पीडीसी दिसम्बर 2010	1. समानांतर टैक्सी-वे 2. एकीकृत टर्मिनल भवन 3. ए321 श्रेणी के विमानों के लिए दो हैंगर
3.	जोरहाट (भारतीय वायुसेना) (असम) (सिविल एनकलेब)	प्रचालनरत			राज्य सरकार की ओर से भूमि की उपलब्धता के अध्यधीन सिविल एप्रन और नए टर्मिनल भवन का विस्तार
4.	सिल्चर (भारतीय वायुसेना) (असम) (सिविल एनकलेब)	प्रचालनरत	1. बिना किसी लोड पैनल्टी के ए320 विमानों के प्रचालन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए रनवे की पूरी लंबाई 2286 मी. करने के लिए रनवे का 500 मी. का विस्तार किया गया है। 2. रनवे 06 के लिए उपस्कर अवतरण प्रणाली चालू की गई है। 3. रनवे 06/24 को वैमानिकी भू-प्रकाश सुविधाओं से युक्त किया गया है।		
5.	लीलाबाड़ी (असम)	प्रचालनरत			राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के अध्यधीन आई.एल.एस. की संस्थापना
6.	अगरतला (त्रिपुरा)	प्रचालनरत	1. तकनीकी ब्लॉक का निर्माण पूरा हो चुका है। 2. एप्रन-10 बे, 3 ए320,	1. नया कंट्रोल टॉवर प्रगति पर है। 2. मौजूदा रनवे का	1. कैट सी श्रेणी के विमानों के लिए एक हैंगर का प्रावधान 2. ए.पी.ई.डी.ए./एन.ई.आर.

1	2	3	4	5	6
			3 ए321 और 4 ए.टी.आर. 72	सुदृढ़ीकरण प्रगति पर है।	एम.ए.सी. (राज्य सरकार की ऐजेंसी) द्वारा पैरीसेबल कार्गो की स्थापना के लिए कार्य
7.	शिलांग (मेघालय)	प्रचालनरत	1. 1.00 यात्रियों के लिए यात्री टर्मिनल भवन		राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त भूमि के प्रावधान के अध्यधीन रनवे का 1829 मी. से 2286 मी. तक विस्तार
8.	इम्फाल (मणिपुर)	प्रचालनरत	1. रात्रि प्रचालन सत्यापित	1. 3 और विमानों की पार्किंग के लिए रनवे का विस्तार 2. लिंक टैक्सी-वे का निर्माण	भावी विस्तार के लिए मास्टर प्लान की तैयारी। राज्य सरकार की ओर से भूमि सौंपी गई।
9.	लेगपूई (मिजोरम)	प्रचालनहत	-	1. आई.एन.एस. की संस्थापना 2. डी.वी.ओ.आर./ डी.एम.ई.	
10.	दीमापुर	प्रचालनरत	-	1. एप्रन और टैक्सी-वे का विस्तार 2. हवाईअड्डे पर ड्रेनेज सिस्टम	टर्मिनल भवन की साज-सज्जा का कार्य
11.	तेजू (अरुणाचल प्रदेश)	गैर प्रचालनरत	-		भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को ए.टी.आर. 72-500 श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए 79 करोड़ रुपए की लागत से तेजू हवाईअड्डे का विकास करने को कहा गया है। अभी तक राज्य सरकार ने हवाईअड्डा और अतिरिक्त भूमि नहीं सौंपी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मास्टर प्लान और अनुमान तैयार कर लिये है।
12.	पेक्योंग (सिक्किम)	निर्माणाधीन	-	ए.टी.आर. 72 प्रचालनों के लिए ग्रीनफील्ड हवाई-	

1	2	3	4	5	6
				अड्डा विकसित किया जा रहा है। कार्य 10 जनवरी 2009 को आरंभ हुआ। पी.डी.सी. जून 2012	
13.	ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)	परियोजना अभी अनुमोदित की जानी है	-	-	ए321 श्रेणी के बड़े विमानों के लिए पी.आई.बी. हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। अनुमानित लागत-820 करोड़ रुपए
14.	चैतू, कोहिमा (त्रिपुरा)	परियोजना अभी अनुमोदित की जानी है	-	-	राज्य सरकार ने ए.ए.आई. द्वारा तैयार डी.पी.आर. अनुमोदित कर दी है। अब प्रस्ताव अनुमोदनार्थ पी.आई.बी. को प्रस्तुत किया जाना है। अनुमानित लागत-953 करोड़ रुपए है।

यह रिपोर्ट एयरोड्रम नियोजन निदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003 द्वारा तैयार की गई है।

उच्चतम न्यायालय में विशेष पीठ की स्थापना

4919. श्रीमती सुप्रिया सुले:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायाधीशों और वकीलों हेतु सुविधाओं की निगरानी के लिए उच्चतम न्यायालय में एक विशेष पीठ की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ग) भारत के उच्चतम न्यायालय के "अखिल भारतीय न्यायाधीश संगम बनाम भारत संघ और अन्य" नामक 1989 की रिट याचिका (सिविल) सं. 1022 में अंतरवर्ती आवेदन सं. 279 में माननीय न्यायालय ने यह विनिश्चय किया था कि वह अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सामना की गई अवसंरचनात्मक समस्याओं का अवलोकन करने के लिए प्रत्येक सोमवार को बैठेगा।

कुशल अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी

4920. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:
श्री पूर्णमासी राम:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अत्याधुनिक पर्यावरणनुकूल कीटनाशक संपाक प्रौद्योगिकी के विकास और उत्पादन तथा कुशल अनुप्रयोग प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने का कार्य करने वाले कीटनाशक संपाक प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.पी.एफ.टी.) ने 31 जनवरी, 2010 तक आबंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) अपने उद्देश्यों को हासिल करने और अपनी प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए आई.पी.एफ.टी. द्वारा धनराशि का ईष्टतम तरीके से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान इन उपायों के माध्यम से कितना राजस्व अर्जित किया गया?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) वर्ष 2009-10 के दौरान पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक/तकनीकी उपस्कर के प्रापण संबंधी योजना प्रावधान का खुले/वैश्विक टेंडरों के उत्तर में काफी कम संख्या में बोली प्राप्त होने, कई मामले में एक भी बिड प्राप्त न होने के कारण पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाया। निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से औचित्य और मानक समितियां गठित की गई हैं ताकि प्रापण प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाया जा सके और संभावित बोली लगाने वालों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक प्रतिस्पर्द्धा और सहभागिता के लिए वैश्विक टेंडर आमंत्रित किए जा सकें।

(ग) आई.पी.एफ.टी. निश्चित रूप से पर्यावरण एवं उपयोक्ता हितैषी नई पीढ़ी के पेस्टिसाइड फार्मूलेशनों के विकास पर कार्य कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, आई.पी.एफ.टी. ने अनेक फार्मूलेशन प्रौद्योगिकियों का विकास किया और भारत में वाणिज्यिकीकरण हेतु अलग-अलग पेस्टिसाइड उद्योगों को इसका सफलतापूर्वक हस्तांतरण किया। इसके अतिरिक्त, आई.पी.एफ.टी. ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर सभी स्टेकधारकों के लिए अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी में जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं भी आयोजित किए। पिछले तीन वर्षों के दौरान समग्र रूप से 60.97 लाख रुपए का राजस्व सृजन किया गया है।

प्लेटफार्म बदलने के कारण भगदड़

4921. श्री संजय धोत्रे:

श्री पी. विश्वनाथन:

श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मई 2010 से आज तक दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर अंतिम क्षण में ट्रेनों के प्लेटफार्म बदलने की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) इन प्रत्येक घटनाओं के क्या कारण हैं और कितने व्यक्ति मारे गए और घायल हुए;

(ग) ऐसी प्रत्येक घटना के लिए जिम्मेवार पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) मई 2010 से अंतिम समय में दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों के प्लेटफार्म बदलने की कोई घटना नहीं हुई है। बहरहाल, सामान गिरने के कारण एक महिला यात्री को ठोकर लगने की एक घटना के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में 16-05-2010 को भगदड़ मच गई थी जिसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और 8 व्यक्ति मामूली रूप से घायल हो गए थे। इस घटना की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की गई थी। जांच समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में यह पाया है कि यह घटना सामान गिरने के कारण महिला यात्री के ठोकर लगकर गिरने की थी।

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. छुट्टियों और त्यौहारों के दौरान अतिरिक्त भीड़ की निकासी करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नै जैसे महानगरों के विभिन्न स्टेशनों से विशेष गाड़ियों को चलाया जाना।

2. महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली और इलैक्ट्रोनिक निगरानी तंत्र के प्रभावी उपयोग द्वारा बेहतर भीड़ प्रबंधन।

3. विशेष अवसरों पर विशेषकर गर्मियों की भीड़-भाड़/त्यौहार के मौसम के दौरान प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध।

4. अत्यधिक भीड़-भाड़ वाली अवधियों के दौरान अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात करना।

[हिन्दी]

ओ.एन.जी.सी. को घाटा

4922. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

श्री हर्ष वर्धन:

श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो:

श्री जगदीश शर्मा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2004-08 के दौरान कच्चे तेल के अन्वेषण पर भारी धनराशि खर्च करने के बावजूद तेल और प्राकृतिक गैस निगम का लाभ नगण्य है और कच्चे तेल का उत्पादन संतोषजनक नहीं रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 2004-08 के दौरान ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओ.एन.जी.सी.) को 75,885 करोड़ रुपये का लाभ (करोपरान्त) हुआ था। उक्त अवधि के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 128.249 मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) था तथा इसी अवधि के दौरान अन्वेषण पर उठाया गया खर्च 25,215 करोड़ रुपये था।

उर्वरकों की बिक्री पर प्रतिबंध

4923. श्री हर्ष वर्धन: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल के साथ लगे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के दस किलोमीटर के भीतर उर्वरकों की किसी भी प्रकार की बिक्री पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में निवास करने वाले किसानों को उर्वरकों को प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुष्टि की है कि नेपाल से सटी उत्तर प्रदेश की सीमा के दस किलोमीटर के अंदर निजी डीलरों द्वारा उर्वरकों की बिक्री पर प्रतिबंध है।

(ख) इस क्षेत्र में उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था सहकारी समितियों और सरकारी संस्थागत एजेंसियों के जरिए की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार ऊपर उल्लिखित क्षेत्र में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही सहकारी समितियों तथा अन्य सरकारी शीर्ष निकायों के कई बिक्री स्थल खोले हैं।

[अनुवाद]

आई.जी.आई.ए. तक डी.टी.सी. बस सेवा

4924. श्री एम. आनंदन:

श्री ए. गणेशमूर्ति:

श्री मानिक टैगोर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की बसों को दिल्ली विमानपत्तन के टर्मिनल टी-3 तक जाने की अनुमति नहीं है जबकि निजी टैक्सी/रेडियो टैक्सी को वहां जाने की अनुमति है जिसके कारण यात्रियों को विमानपत्तन से आने/जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां। डी.टी.सी. हवाईअड्डा सेवा बस, दिल्ली हवाई-अड्डे पर टर्मिनल-3 तक आती है। इस संबंध में यात्रियों द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एफ.पी.आई. का विकास

4925. श्री अशोक कुमार रावत:

श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की संभावना को तलाशने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की अनुमानित आवश्यकता और उपलब्धता कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अनुमोदित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य-वार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ङ) देश में लंबित योजनाओं/कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) पिछले कुछ वर्षों के दौरान बंद इकाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इन इकाइयों को चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं के संबंध में विजन, 2015 को तैयार करने के लिए एक अध्ययन कराया है। खंडित खेती, कृषि उपज विपणन (विकास और विनियम) अधिनियम के प्रावधानों, शीत श्रृंखला सुविधाओं, परिवहन, समुचित भण्डारण सुविधाओं आदि की कमी के कारण फसल कटाई के पश्चात विभिन्न संचालन स्तरों पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए की बर्बादी का अनुमान लगाया गया है। मंत्रालय द्वारा अन्तिम रूप दिए गए विजन डॉक्यूमेंट, 2015 में 2015 तक जल्दी सड़ने-गलने वाले पदार्थों के प्रसंस्करण स्तर को 6% से बढ़ाकर 20%, मूल्य वृद्धि को 20% से बढ़ाकर 35% तथा वैश्विक खाद्य व्यापार में शेयर को 1.5% से बढ़ाकर 3% करके इसका आकार तिगुना करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के तहत देश में कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये अथवा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से अधिकतम 75.00 लाख रुपये की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गत तीन वर्षों के दौरान स्कीम के अंतर्गत इकाइयों को उपलब्ध कराई गई राज्य-वार वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में ग्रामीण क्षेत्रों समेत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रोत्साहन और विकास के लिए विभिन्न योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है: अर्थात (i) प्रमुख घटकों अर्थात मेगा फूड पार्क, शीत श्रृंखला, बूचड़खानों का आधुनिकीकरण और मूल्यवर्धित केंद्रों समेत अवसंरचना विकास स्कीम; (ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/विस्तार स्कीम; (iii) गुणता आश्वासन, कोडेक्स मानक और अनुसंधान एवं विकास स्कीम; (iv) मानव संसाधन विकास स्कीम; (v) संस्थान सुदृढ़ीकरण स्कीम; और (vi) स्ट्रीट फूड गुणवत्ता उन्नयन स्कीम। सभी घटकों को शामिल करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण में लगी सभी कार्यान्वयन एजेंसियां वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों में केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठन/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/गैर सरकारी संगठन/सहकारी समितियां और निजी क्षेत्र की इकाइयां और अलग-अलग व्यक्ति शामिल हैं। निधियां स्कीमवार आबंटित की जाती हैं जो देश में परियोजना उन्मुखी हैं। राज्यों/संघ राज्यों को अलग से धनराशियां निर्दिष्ट नहीं की जाती हैं।

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में ग्रामीण क्षेत्रों समेत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रोत्साहन और विकास के लिए विभिन्न योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है: अर्थात (i) प्रमुख घटकों अर्थात मेगा फूड पार्क, शीत श्रृंखला, बूचड़खानों का आधुनिकीकरण और मूल्यवर्धित केंद्रों समेत अवसंरचना विकास स्कीम; (ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/विस्तार स्कीम; (iii) गुणता आश्वासन, कोडेक्स मानक और अनुसंधान एवं विकास स्कीम; (iv) मानव संसाधन विकास स्कीम; (v) संस्थान सुदृढ़ीकरण स्कीम; और (vi) स्ट्रीट फूड गुणवत्ता उन्नयन स्कीम। सभी घटकों को शामिल करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण में लगी सभी कार्यान्वयन एजेंसियां वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों में केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठन/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/गैर सरकारी संगठन/सहकारी समितियां और निजी क्षेत्र की इकाइयां और अलग-अलग व्यक्ति शामिल हैं।

(च) देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के अनुमोदन और समापन संबंधी आंकड़े मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(छ) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे दिनांक 06-10-2009 को राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन, उद्योगों को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर समस्याओं पर विचार-विमर्श करने हेतु राज्य नोडल एजेंसियों के साथ पारस्परिक क्रिया, मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के संबंध में राज्य नोडल एजेंसियों के द्वारा किए गए निरीक्षण के लिए उद्योग के प्रोत्साहन हेतु उपाय सुझाना। इसके अतिरिक्त, देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन और विकास देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वित्तीय सहायता और अन्य प्रोत्साहन उपायों हेतु अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रसंस्करण सुविधाएं जिनका उद्देश्य अपव्यय में कमी, मूल्य वृद्धि तथा शेल्फ-लाइफ में वृद्धि करना है, सहित खाद्य संबंधी अवसंरचना सृजन को सुगम बनाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम का उद्देश्य नई प्रसंस्करण क्षमता का सृजन करना तथा मौजूदा प्रसंस्करण क्षमताओं का उन्नयन करना, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों समेत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान राज्यवार अनुमोदित और वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या

(लाख रुपये)

राज्य का नाम	2007-08			2008-09			2009-10		
	प्राप्त	अनुमोदित	जारी की गई राशि	प्राप्त	अनुमोदित	जारी की गई राशि	प्राप्त	अनुमोदित	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	125	43	947.49	159	48	908.999	18	41	677.05
अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	3	0	0	0	1	17.67	0	3	376.14
असम	9	12	442.17	16	17	176.79	1	22	418.74
बिहार	1	5	83.915	5	2	42.3	1	2	35.59
चंडीगढ़	3	6	138.08	5	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	90	0	0	91	10	163.725	1	4	45.46
दिल्ली	24	0	0	17	7	160.65	12	2	50
गोवा	0	1	17.00	1	1	24.57	1	1	24.26
गुजरात	80	32	544.06	89	39	714.81	36	42	665.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरियाणा	56	19	418.72	91	23	349.415	13	11	134.96
हिमाचल प्रदेश	2	12	325.09	8	5	152.745	5	10	269.58
जम्मू और कश्मीर	11	9	109.855	0	3	22.05	9	7	59.73
झारखण्ड	2	2	9.09	5	0	0	3	3	44.09
कर्नाटक	105	34	529.62	140	35	629.895	22	24	269.55
केरल	42	47	876.8	40	32	545.37	15	33	567.53
मध्य प्रदेश	24	10	172.32	41	14	201.87	5	18	273.03
महाराष्ट्र	232	95	1696.805	151	121	1802.633	39	113	1717.3
मणिपुर	0	3	61.74	0	3	45.51	0	6	163.75
मेघालय	2	1	8.19	0	2	159.57	0	2	123.02
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	1	11
नागालैण्ड	0	1	27.485	1	4	178.205	0	1	64.99
उड़ीसा	17	6	129.41	10	2	38.68	2	6	84:4
पाण्डिचेरी	0	2	31.3	0	0	0	3	0	0
पंजाब	147	32	481.45	149	61	841.36	11	13	172.37
राजस्थान	75	35	566.075	70	44	551.975	23	27	325.46
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	75	53	951.79	41	36	594.355	11	41	672.11
त्रिपुरा	2	2	39.98	0	1	13.86	0	0	0
उत्तर प्रदेश	75	63	1123.425	69	43	875.475	21	32	560.63
उत्तराखण्ड	5	9	339.78	3	6	163.15	0	12	307.57
पश्चिम बंगाल	15	35	653.56	21	19	390.135	7	10	136.48
कुल	1222	569	10725.2	1223	579	9765.767	259	487	8249.97

[अनुवाद]

विमानन ईंधन क्षेत्र में व्यापार

4926. श्री अधीर चौधरी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विमानन ईंधन क्षेत्र में निजी तेल कंपनियों को अपना करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विमानन ईंधन क्षेत्र में नई निजी कंपनियों हेतु प्रवेश मानदण्डों को सख्त बनाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) दिनांक 08-03-2002 के भारत सरकार के संकल्प के अनुसार परिवहन ईंधनों नामत: मोटर स्पिरिट (एम.एस.) हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.) और विमानन टर्बाइन ईंधन (ए.टी.एफ.) का विपणन करने के लिए किसी भी कंपनी को प्राधिकार दिया जा सकता है, बशर्ते कि वह कंपनी अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी), तेलशोधन, पाइपलाइन अथवा टर्मिनलों में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करती है अथवा निवेश का प्रस्ताव करती है। निजी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों अर्थात् रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.), एस्सार ऑयल लिमिटेड (ई.आई.एल.) और शेल इंडिया मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड (एस.आई.एम.पी.एल.) को पहले ही ए.टी.एफ. का विपणन करने के लिए प्राधिकार प्रदान किया जा चुका है।

[हिन्दी]

उरई में रेलगाड़ियों का ठहराव

4927. श्री घनश्याम अनुरागी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उरई स्टेशन पर उद्योग नगरी तथा उद्योग कर्मी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक संस्वीकृत किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) 2173/2174 लोकमान्य तिलक (टी) - प्रतापगढ़ उद्योगनगरी एक्सप्रेस को 14-09-2010 से और 2943/2944 वलसाड़-कानपुर उद्योगकर्मी एक्सप्रेस को 16-09-2010 से तथा 2944 कानपुर सेंट्रल-बलसाड़ उद्योगकर्मी एक्सप्रेस को 17-09-2010 से उरई रेलवे स्टेशन पर 6 माह के लिए प्रायोगिक तौर पर ठहराव प्रदान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

के.जी.डी.-6 बेसिन में तेल कूपों की खुदाई

4928. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस उद्योग लिमिटेड (आर.आई.एल.) के.जी.डी.-6 बेसिन ब्लॉक में दो तेल कूपों की खुदाई करने जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा मौजूदा स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) आर.आई.एल. ने ब्लॉक के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 में दो और तेल कूपों के वेधन का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। इस ब्लॉक की क्षेत्र विकास योजना (एफ.डी.पी.) में अनुमोदित 6 तेल कूपों में से आर.आई.एल. ने अभी तक 5 तेल कूपों का वेधन किया है।

पी.एस.यू. के पास अधिशेष भूमि

4929. श्री एम. कृष्णास्वामी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के पास अधिशेष भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का निजी कम्पनियों की मदद से अधिशेष भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की भूमि का विस्तृत ब्यौरा किसी एक स्थान पर नहीं बल्कि सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा रखा जाता है। अधिशेष भूमि, यदि कोई हो, के प्रयोग के बारे में कोई निर्णय, जो कि विस्तार, विविधीकरण, बिक्री या स्वयं अथवा अन्य के साथ मिलकर पुनर्गठन के लिए हो सकता है, सक्षम अथोरिटी द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार तथा मामला-विशेष के आधार पर लिया जाता है।

[हिन्दी]

औषधियों का खुदरा बाजार

4930. डॉ. मुरली मनोहर जोशी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में औषधियों के खुदरा बाजार में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान खुदरा बाजार में व्यापार की औसत वार्षिक विकास दर कितनी रही है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप विदेशी औषधि निर्माता कंपनियों के कारोबार तथा देश में विदेशी क़ंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खुदरा बाजार में अधिकतम व्यापार करने वाली दस कंपनियों के नाम क्या हैं तथा इस संबंध में विदेशी संयुक्त उद्यमों की संख्या कितनी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) ओ.आर.जी.-आई.एम.एस. से उपलब्ध सूचना के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान गतिमान औसत कुल व्यापार मूल्य (एम.ए.टी.) का ब्यौरा इस प्रकार है-

वर्ष/मास	एम.ए.टी. मूल्य (करोड़ रु.)	वार्षिक प्रतिशत वृद्धि
मई, 2007	28559.18	-
मई, 2008	32604.53	14.16
मई, 2009	36048.38	10.56
मई, 2010	43176.89	19.77

(ग) और (घ) जी हां, देश में अनुकूल व्यावसायिक वातावरण के परिणामत: विदेशी दवा विनिर्माता कंपनियों सहित भेषजीय उद्योगों के व्यवसाय में वृद्धि हुई है। इसके परिणामत: विदेशी कंपनियों के साथ देश में विभिन्न संयुक्त उद्यमों की भी स्थापना हुई है।

(ङ) ओ.आर.जी.-आई.एम.एस. से उपलब्ध डाटा के अनुसार एम.ए.टी. मूल्य (मई, 2010) के संदर्भ में शीर्ष दस कंपनियों के नाम इस प्रकार हैं-

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1.	सिपला
2.	पीरामल हेल्थकेयर
3.	ग्लेक्सोस्मिथलीन
4.	सन फार्मा
5.	मैनकाइंड
6.	अलकमे
7.	लुपिन लि.
8.	जिडस केडिला
9.	एबोट
10.	डॉ. रेडडीस लैब

संयुक्त उद्यमों का अनुमोदन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है और यह विभाग इसका कोई डाटा नहीं रखता है।

[अनुवाद]

रेनीगुंटा-गुंटाकल रेलमार्ग का दोहरीकरण

4931. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेनीगुंटा-गुंटाकल रेलमार्ग के दोहरीकरण कार्य की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार उक्त परियोजना में प्रगति हो रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा इस कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) रेनीगुंटा-गुंतकल मार्ग (309 किमी.) के गुंतकल-गूती (29 किमी.) खंड और रेनीगुंटा-गूती का 173 किमी.

हिस्सा पहले से दोहरी लाइन वाला है। 2010-11 के दौरान, 62 किमी. खंड को पूरा करने का लक्ष्य है और शेष खंड को 2011-12 के दौरान पूरा करने की संभावना है। स्थानीय लोगों द्वारा कार्य में बाधा पहुंचाने के कारण परियोजना में विलंब हुआ है। राज्य प्राधिकारियों की सहायता से मामले को हल कर लिया गया है।

केरल में तटीय रेल जोन

4932. श्री एम.बी. राजेश: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार केरल में तटीय रेल जोन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक पूरा किया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूरत-भागलपुर एक्सप्रेस

4933. श्रीमती मीना सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले चार वर्षों से सूरत-भागलपुर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त ग्यारहवां शयनयान जोड़ा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्यारहवीं बोगी के आरक्षण में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए 30-4-2007 से 15-6-2010 तक प्रत्येक मार्ग के लिए 9047/9048 सूरत-भागलपुर एक्सप्रेस में ग्यारहवें डिब्बे के रूप में एक अतिरिक्त शयनयान डिब्बा जोड़ा जा रहा था। 26-6-10 से इस डिब्बे को गाड़ी की सामान्य संरचना का हिस्सा बना दिया गया है।

(ग) और (घ) ग्यारहवीं बोगी के आरक्षण में अनियमितता से संबंधित मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

रेलवे में कैटरिंग

4934. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई खान-पान नीति के परिणामस्वरूप बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचेगा तथा रेलवे खान-पान से छोटी कंपनियां बाहर हो जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रेलवे द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या खान-पान लाइसेंस की निविदा प्रक्रिया के संबंध में कोई दिशा-निर्देश/नीति जारी की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) नई खानपान नीति, 2010 में सभी स्टेकहोल्डरों, जिसमें छोटे केटरिंग यूनिट भी शामिल हैं, की चिंताओं का समाधान किया गया है।

(ग) लाइसेंसों के चयन के बारे में खानपान नीति 2010 के अंतर्गत विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल सेवा बंद किया जाना

4935. श्री मधु कोड़ा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने हावड़ा, मुंबई रेल मार्ग पर खड़गपुर-राउरकेला रेलखंड में रात्रि समय में रेल सेवा बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार असुविधा को दूर करने के

लिए दिन के समय अतिरिक्त रेलगाड़ियां आरंभ करने का है; और

(घ) उक्त रेलमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। खड़गपुर-राउरकेला खंड पर रात्रि समय के दौरान 3 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के मार्ग में अस्थायी रूप से परिवर्तन किया गया है और 2 जोड़ी यात्री गाड़ियों को रात्रि समय के दौरान रद्द कर दिया गया है। खड़गपुर-राउरकेला खंड पर समय पर चलने वाली अन्य सभी गाड़ियों को इस खंड पर रात्रि समय के दौरान परिचालन न करने के लिए अस्थायी रूप से नियंत्रित किया गया है।

(ग) राउरकेला-झारसुगुडा खंड के बीच, एक विशेष गाड़ी (0805/0806) को, लगभग 8008/8006 हावड़ा-कोरापुट एक्सप्रेस के मार्ग के अनुरूप ही शुरू किया गया है, जो कि अब परिवर्तित मार्ग पर चल रही है। झारसुगुडा पर 8105/8106 राउरकेला-भुवनेश्वर एक्सप्रेस के साथ इस विशेष गाड़ी का उपयुक्त संपर्क मुहैया कराया गया है।

(घ) 'रेलवे पर पुलिस व्यवस्था' राज्य का विषय है और इसलिए रेल परिसर के साथ-साथ चलती गाड़ियों में अपराधों की रोकथाम, मामलों का पंजीकरण, उनकी जांच और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना राज्य पुलिस का संवैधानिक दायित्व है और वे इसका निर्वहन, संबंधित राज्य की राजकीय रेल पुलिस की सहायता से करते हैं। बहरहाल, गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों और यात्री क्षेत्रों में बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, रेलों पर अपराध नियंत्रित करने में रेलवे सुरक्षा बल राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करता है।

तेल शोधक संयंत्र की स्थापना

4936. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीना तेल शोधक संयंत्र की स्थापना किए जाने के पश्चात् इलाहाबाद के लोहगारा में तेल शोधक संयंत्र की स्थापना किए जाने के संबंध में सरकार की मौजूदा योजना की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इलाहाबाद के लोहगारा में उक्त तेल शोधन संयंत्र की स्थापना की योजना में परिवर्तन की स्थिति में किसानों की भूमि को वापस किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) जून, 1998 से रिफाइनरी क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप, किसी निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक साध्यता पर निर्भर करते हुए, भारत में कहीं भी रिफाइनरी स्थापित की जा सकती है। भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने सूचित किया है कि बीना रिफाइनरी परियोजना के पूरा होने और स्थिर होने के बाद ही आपूर्ति-मांग परिदृश्य तथा परियोजना की तकनीकी-वाणिज्यिक साध्यता पर निर्भर करते हुए, लोहागरा में उत्तर प्रदेश रिफाइनरी परियोजना को स्थापित करने के लिए समयावधि पर विचार किया जा सकता है।

एन.एम.डी.एफ.सी. द्वारा संवितरण

4937. श्री जगदानंद सिंह:
श्री एस. सेम्मलई:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्तपोषण निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से अल्पसंख्यकों को वित्तीय सहायता (ऋण) उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य सरकारों के माध्यम से राज्य-वार अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए इस निगम को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) द्वारा स्वरोजगार और आय सृजक

क्रियाकलापों के लिए गरीबी रेखा से दूने नीचे रह रहे अल्पसंख्यक व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया जाता है। एन.एम.डी.एफ.सी. की योजनाएं 28 राज्यों एवं संघ राज्यों में फैले 36 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों और 240 गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। एन.एम.डी.एफ.सी. संबद्ध राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से व्यक्तियों को सावधि ऋण प्रदान करता है। 6% वार्षिक ब्याज दर पर 5 लाख रु. राशि तक का सावधि ऋण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, एन.एम.डी.एफ.सी., गैर-सरकारी संगठनों और राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित अल्पसंख्यकों को लघु ऋण भी प्रदान करता है। स्व-सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को 5% वार्षिक ब्याज दर पर 25 हजार रु. की राशि उपलब्ध करायी जाती है। एन.एम.डी.एफ.सी. द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से व्यक्तियों को तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए अधिकतम 2.5 लाख रु. तक का शैक्षिक ऋण भी दिया जाता है। शैक्षिक ऋण 3% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध होता है।

(ग) और (घ) एन.एम.डी.एफ.सी. राज्य सरकारों के माध्यम से ऋण उपलब्ध नहीं कराता है। यह संबद्ध राज्यों में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से ऋण/धनराशि उपलब्ध कराता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान संवितरित धनराशि के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में है।

(ङ) एन.एम.डी.एफ.सी. को और सुदृढ़ करने और इसके कार्य क्षेत्र में विस्तार का उपाय सुझाने के लिए एक परामर्शदात्री फर्म इसके पुनर्गठन का अध्ययन कर रही है।

विवरण

एन.एम.डी.एफ.सी. द्वारा संवितरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान राज्य-वार संवितरण दर्शाने वाला विवरण

(दिनांक 31-7-2010 तक) (राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3		4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	एपीएसएमएफसी	आन्ध्र प्रदेश स्टेट माइनोरीटी फाइनेन्शियल कॉरपोरेशन	889	47	45	0
2.	असम	एएमडीएफसी	असम माइनोरिटी डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.	134	0	12	0
3.	बिहार	बीएसएमएफसी	बिहार स्टेट माइनोरिटी फाइनेन्शियल कॉरपोरेशन लि.	205	905	5	5
4.	चंडीगढ़	सीएचएससीएफडीसीएल	चंडीगढ़ एससी/ओबीसी/माइनोरीटी फाइनेंस एण्ड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.	5	2	6	0
5.	छत्तीसगढ़	सीएचएसीडीएफसी	छत्तीसगढ़ स्टेट अंतयवसायी कॉरपोरेशन फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.	0		100	0

1	2	3		4	5	6	7
6.	दिल्ली	डीएससीएसटी एफडीसी	दिल्ली एससी/एसटी/ओबीसी/ माइनोरीटी एण्ड हैंडीकेप्ड फाइनेन्शियल एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन	21	17	45	0
7.	गुजरात	जीएमएफडीसी	गुजरात बैकवर्ड क्लासेस डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन	200	300	340	0
8.	हिमाचल प्रदेश	एचपीएमएफडीसी	एच.पी. माइनोरिटी फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन	150	75	230	65
9.	हरियाणा	एचबीसीकेएन	हरियाणा बैकवर्ड क्लासेस एंड एकोनोमिकली वीकर्स सेक्शन कल्याण निगम	450	359	550	0
		एमडीए	मेवात डेवलेपमेंट एजेंसी	0	0	526	0
10.	जम्मू और कश्मीर	जेकेएससीएसटीडीसी	जे एंड के एससी/एसटी एंड बीसी डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन	0	0	0	0
		जेकेडब्ल्यूडीसी	जे एंड के विमन्स डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन	388	420	560	250
11.	झारखंड	जेएससीएसटीडीसी	झारखंड स्टेट सीडूल्ड ट्राइब्स कोऑपरेटिव डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.	54	110	0	0
12.	केरल	केबीसीडीसी	केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेस डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.	2700	3800	1914	848
		केएससीएफएफडीसी	केरल स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन फॉर फिसरीज डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.	400	650	1810	164
		केएसडब्ल्यूडीसी	केरल स्टेट वूमन्स डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.	50	675	1460	0
13.	कर्नाटक	केएमडीसी	कर्नाटक माइनोरिटीस डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन लि.	525	450	350	0
14.	महाराष्ट्र	एमएएवीएम	मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम	800	500	500	690
15.	मणिपुर	एमटीडीसी	मणिपुर ट्राइबल डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन	2	2	0	0

1	2	3		4	5	6	7
16.	मध्य प्रदेश	एमपीबीसीएफ एफडीसी	एमपी बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनोरीटी फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन	0	0	0	0
		एमपीएचडीसी	मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम	0	0	0	0
17.	मेघालय	-		4	0	0	0
18.	मिजोरम	एमसीएबी	मिजोरम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक	400	300	310	59
		जेडआईडीसीओ	जोरम इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.	0	0		0
19.	नागालैंड	एनआईडीसी	नागालैंड इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.	400	400	600	0
		एनएचडीसी	नागालैंड हैंडलूम एंड हैंडिक्रैफ्ट डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.	113	100	520	0
		एनएसएसडब्ल्यूबी	नागालैंड स्टेट सोसल वेल्फेयर बोर्ड	0	0	50	0
		एचएफएल	हॉर्नबिल फाइनेंस लि.	200	0		0
20.	उड़ीसा	टीआरएससीएस टीएफडीसी	उड़ीसा स्टेट एससी/एसटी फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.	0	27	38	0
21.	पुडुचेरी	पीडीबीएसीएमडीसी	पुडुचेरी बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनोरिटिज डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन	23	100	200	0
22.	पंजाब	बीएसीकेएफआई एनसीओ	पंजाब स्टेट बीसी लेंड डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन	750	400	470	225
23.	राजस्थान	आरएमएफडीसीसी	राजस्थान माइनोरिटी फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन लि.	252	100	302	0
24.	तमिलनाडु	टीएएमसीओ	तमिलनाडु माइनोरिटी एकोनोमिक डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन	1516	965	2135	0
25.	त्रिपुरा	टीएमसीडीसी	त्रिपुरा माइनोरिटी कोऑपरेटिव डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन	30	50	96	0

1	2	3		4	5	6	7
26.	उत्तर प्रदेश	यूपीएमएफडीसी	यूपी माइनोरिटी फाइनेन्शियल डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि.	45	0	0	5
27.	उत्तराखंड	यूएमएफडीसी	उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	0	0	20	0
28.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएमडी एफसी	वेस्ट बंगाल माइनोरिटी डेवलेपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन	3708	3214	6607	1000
			कुल	14412	13068	19800	3311

नोटः-उपर्युक्त आंकड़ों में संबद्ध राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से संवितरित धनराशि भी शामिल है।

[अनुवाद]

तेल और गैस अन्वेषण के लिए भारत और हंगरी के बीच समझौते

4938. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और हंगरी ने तेल तथा गैस अन्वेषण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो हस्ताक्षर किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है तथा दोनों देश तेल अन्वेषण में सहयोग करने पर कितने सहमत हुए हैं; और

(ग) देश में ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने में इसके कितना सहायक होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) जी, हां। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए हंगरी की तेल कंपनी, एम.ओ.एल., हंगेरियन ऑयल एण्ड गैस पी.एल.सी. तथा भारत की ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओ.एन.जी.सी.) के बीच जनवरी, 2008 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद, ब्लॉक एच.एफ.-ओ.एन.एन.-2001/1 (हिमालय की तलहटी में एक अन्वेषण ब्लॉक) में 35% भागीदारी हित, एम.ओ.एल. हंगेरियन ऑयल एण्ड गैस पी.एल.सी. के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी, बी.एम.एन. इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, के समनुदेशन के लिए एक प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा 27 जुलाई, 2009 को अनुमोदित किया गया था।

चूंकि एम.ओ.एल. के पास अन्यत्र इसी प्रकार की भौगोलिक स्थितियों में कार्य करने का अनुभव है, इसलिए इस साझेदारी से हिमालय की तलहटी में स्थित उक्त ब्लॉकों में अन्वेषण कार्य करने में सहायता मिलेगी।

तेल शोधन कंपनियों को लाभ

4939. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक संयंत्रों द्वारा प्रति बैरल कितना निवल लाभ अर्जित किया गया;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के इन तेल शोधक संयंत्रों द्वारा कितनी मात्रा में तेल शोधन किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कच्चे तेल का शोधन करने वाली इन कंपनियों द्वारा स्थापित क्षमता की तुलना में कितना उत्पादन किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) अलग-अलग रिफाइनरियों की लाभ प्रदता को रिफाइनरियों द्वारा अर्जित सकल रिफाइनिंग लाभ (जी.आर.एम.) के रूप में आंका जाता है। सकल रिफाइनिंग लाभ कच्चे तेल की लागत और तैयार उत्पादों पर वसूल किए जाने वाले मूल्य के बीच के अन्तर को दर्शाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों के जी.आर.एम. नीचे दिए अनुसार हैं:-

(अमरीकी डालर/बैरल)

रिफाइनरी	सकल रिफाइनिंग लाभ		
	2007-08	2008-09	2009-10
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. की रिफाइनरियां	9.15	3.69	4.47
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. की रिफाइनरियां	5.89	5.38	3.33
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. की रिफाइनरियां	6.48	4.27	2.70
चेन्नै पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. की रिफाइनरियां	8.47	1.22	4.75
नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लि.	15.92	14.43	11.19
मंगलोर रिफाइनीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.	6.93	5.33	5.46

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों की स्थापित परिशोधन क्षमता, कच्चे तेल का थ्रूपुट (परिशोधित तेल की मात्रा) और वास्तविक उत्पादन निम्नानुसार हैं:-

(मिलियन टन)

वर्ष	स्थापित क्षमता	कच्चे तेल का थ्रुपुट	वास्तविक उत्पादन (पेट्रोलियम उत्पाद)
2007-08	105.47	112.52	108.97
2008-09	105.47	112.17	109.01
2009-10	109.59	112.09	108.95

के.जी. बेसिन में गैस भंडार

4940. श्री के. सुगुमार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) के पास के.जी. बेसिन ब्लॉक में लगभग 3 मिलियन क्यूबिक फीट गैस भंडार मौजूदा है जिसमें से इसकी वर्ष 2016 तक 25-30 मिलियन यूनिट प्रतिदिन उत्पादन करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने ओ.एन.जी.सी. के 9 क्षेत्रों की वाणिज्यिक अर्थक्षमता को अनुमोदित कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओ.एन.जी.सी.) ने अपने द्वारा प्रचालित के.जी. बेसिन के ब्लॉक के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/2 में उत्तरी और दक्षिणी खोज क्षेत्र के लिए वाणिज्यिकता घोषणा (डी.ओ.सी.) प्रस्तुत की है। इस डी.ओ.सी. में 3.42 ट्रिलियन घन फीट (टी.सी.एफ.) का तत्स्थान गैस भण्डार और 1.904 टी.सी.एफ. का निकासी योग्य गैस भण्डार होने का अनुमान लगाया गया है। ओ.एन.जी.सी. द्वारा प्रस्तुत किए गए डी.ओ.सी. के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रथम गैस उत्पादन होने की संभावना है।

(ख) और (ग) ओ.एन.जी.सी. ने गोदावरी के निकटवर्ती नामांकन पी.ई.एलज नामत: जी.एस.-4 और जी.एस.-29-5

गैस खोजों में दो अन्य गैस खोजों की समूह विकास योजना के साथ ब्लॉक के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/2 के उत्तरी विकास क्षेत्र में 7 तेल/गैस खोजों की डी.ओ.सी. प्रस्तुत की है। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा इस डी.ओ.सी. की जांच की जा रही है।

मंगलौर विमानपत्तन

4941. श्री शिवराम गौडा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंगलौर में एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की दुर्घटना के समय मंगलौर के बाजपे विमानपत्तन का लाइसेंस व्यपगत हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप दुर्घटना की स्थिति में बीमा कंपनियां मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) जी, नहीं। दिनांक 22-05-2010 को एअर इंडिया एक्सप्रैस विमान के दुर्घटना के समय मंगलौर में बाजपे हवाईअड्डे के पास वैध लाइसेंस था।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंप/एल.पी.जी. डीलरशिप के आबंटन में आरक्षण

4942. श्री हुक्मदेव नारायण यादव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोल पंपों तथा एल.पी.जी. गैस एजेन्सियों की डीलरशिप के आबंटन में कोई आरक्षण है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा कुल डीलरशिप में से प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों को आबंटित डीलरशिप की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या डीलरशिप आबंटन में अन्य पिछड़ा वर्गों (ओ.बी.सी.) के व्यक्तियों को आरक्षण नहीं दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर अन्य व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों अर्थात इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आई.ओ.सी.), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एच.पी.सी.) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बी.पी.सी.) द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिए दिए जाने वाले आरक्षण की प्रतिशतता निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	श्रेणी	आरक्षण की प्रतिशतता
1.	अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जन-जातियां (अ.जाति/अ. जनजाति)	25%
2.	रक्षा श्रेणी (डीसी)	8%
3.	अर्द्ध सैनिक/पुलिस/सरकारी कार्मिक (पी.एम.पी.)	8%
4.	शारीरिक विकलांग व्यक्ति (पी.एच.)	5%
5.	स्वतंत्रता सेनानी (एफ.एफ.)	2%
6.	उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओ.एस.पी.)	2%
7.	सामान्य (ओ.पी.)	50%

ऊपर वर्णित सभी श्रेणियों में डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का 33% उस श्रेणी से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

तथापि, नियमित एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन के लिए इस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऊपर क्रम सं. 2, 3 और 5 पर उल्लिखित श्रेणियों के तहत आरक्षण के 18% में मिला दिया गया है और क्रम संख्या 4 और 6 के तहत आरक्षणों को 7% में मिला दिया गया है।

(ख) दिनांक 01-07-2010 की स्थिति के अनुसार,

ओ.एम.सीज द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर.ओज) और एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के किए गए आबंटनों के श्रेणी-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) चूंकि ओ.एम.सीज के पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन में पहले से ही 50% आरक्षण है, इसलिए अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सीज) के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन का अर्थ सरकार के तहत रोजगार देना नहीं है।

(ङ) से (छ) आर.ओ. डीलरशिप और एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते समय यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे जरूरी सावधानी रखी जाती है कि डीलरशिप उसी व्यक्ति को मिले जिसने आवेदन किया है और जिसका चयन हो गया है। आशय-पत्र (एल.ओ.आई.) क्षेत्रीय जांच रिपोर्ट के बाद जारी किया जाता है जिसमें उम्मीदवार द्वारा उपलब्ध कराई गई समस्त जानकारी की जांच की जाती है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि चयन समिति द्वारा चयनित उम्मीदवार के पास आवश्यक संसाधन हैं और उसके नाम से कोई अन्य व्यक्ति डीलरशिप प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहा है। हमारे क्षेत्रीय अधिकारियों और वरिष्ठ स्टाफ द्वारा किए जाने वाले नियमित निरीक्षणों के दौरान, वे इस पहलू की भी जांच करते हैं कि क्या आबंटी आर.ओज और एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का प्रबंध निजी तौर पर कर रहा है। यदि कोई सन्देह होता है तो बैंक खाते, बिक्री कर पंजीकरण, खुदरा लाइसेंस आदि जैसे दस्तावेजों की यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाती है कि कोई बेनामी प्रचालन न हो। यदि किसी बेनामी प्रचालन का पता चलता है, तो विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एम.डी.जी.) में निहित प्रावधानों के अनुसार, डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

विवरण

ओ.एम.सीज द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों और एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटनों के श्रेणीवार ब्यौरे

श्रेणी	खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप	एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5234	1999
रक्षा	472	515
स्वतंत्रता सेनानी	195	237
शारीरिक विकलांग	784	625
उत्कृष्ट खिलाड़ी	129	47
अर्द्ध सैनिक/पुलिस/सरकारी कार्मिक	140	128
सामान्य	23430	3955
कुल	30385	7649

[अनुवाद]

रेल पटरी का ब्राड गेज में परिवर्तन

4943. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को कलोल-कटोसन रेल मार्ग के आमान परिवर्तन का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इसके कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार हाल में गुजरात राज्य सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

4944. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बी.बी.यू.एन.एल.) के पुनर्गठन को अनुमोदित कर दिया है ताकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इसकी इकाइयों के कार्यकरण में सुधार किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) और (ख) जी, हां। आर्थिक मामले संबंधी मंत्रीमंडल समिति (सी.सी.ई.ए.) ने भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बी.बी.यू.एन.एल.) के वित्तीय पुनर्गठन, तथा इसकी सहायक कंपनियों बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि. (बी.एस.सी.एल.) और ब्रेथवेट एंड कंपनी लि. (बी.सी.एल.) की वैगन बनाने वाली इकाइयों का प्रशासनिक नियंत्रण रेल मंत्रालय को हस्तांतरित करने तथा बी.एस.सी.एल. की रिफ्रेक्टरी यूनिट को इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत स्टील ऑथारिटी ऑफ इंडिया (एस.ए.आई.एल.) को हस्तांतरित करने को दिनांक 10-06-2010 को अनुमोदित कर दिया है।

बी.एस.सी.एल. के बैलेंस शीट को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार ने बी.एस.सी.एल. के योजनागत ऋण, गैर-योजनागत ऋण तथा शून्य दर डिवेंचर को इक्विटी में परिवर्तित करने तथा उसके बाद संचित हानि में संगत कटौती करते हुए इक्विटी की कटौती और भारत सरकार के ऋण पर बी.एस.सी.एल. के सामान्य तथा दंडात्मक ब्याज को माफ करने को अनुमोदित कर दिया है।

(ग) अभी तक कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है। सरकार के दिनांक 10-06-2010 के निर्णय का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

बीमा दावे के निपटान हेतु विशेष जिला न्यायालय

4945. डॉ. मन्दा जगन्नाथ: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रभावित परिवारों को दुर्घटना बीमा दावों का अविलंब भुगतान करने के लिए विशेष जिला न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने न्यायालयों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है तथा ऐसे न्यायालयों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) 31 मार्च, 2009 तक ऐसे कितने मामले लंबित थे?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) वित्तीय सेवा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार 31-3-2009 को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में भारतीय साधारण बीमा (पब्लिक सेक्टर) संगम की सभी सदस्य कम्पनियों की बाबत 9,90,188 मोटर दुर्घटना दावा मामले लंबित थे।

विधिक शिक्षा निदेशालय

4946. श्री आनंद प्रकाश परांजपे: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विधिक शिक्षा की निगरानी करने, उसमें सुधार करने तथा उसका मानकीकरण करने के लिए विधिक शिक्षा निदेशालय स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निदेशालय की भूमिका तथा योजना क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दवाइयों का निर्यात

4947. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नकली दवाइयों की रोकथाम के लिए भारत से निर्यात की जाने वाली दवाइयों पर टैग लगाने के लिए विशिष्ट पहचान प्रणाली पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नयी प्रणाली लागू करने के लिए किसी प्रौद्योगिकी का चयन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या देश में ऐसी प्रणाली को शुरू करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ङ) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) ने यह सूचित किया है कि भारत से नकली दवाइयों के निर्यात के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अभिप्रेरित अभियान को देखते हुए भारत में निर्मित औषधियों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के उद्देश्य से समुचित ट्रेसिंग और ट्रेकिंग प्रौद्योगिकियां अपनाने हेतु उद्योग के साथ परामर्श किया जा रहा है। बहुत-से विनिर्माता/निर्यातकर्ता ऐसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहे हैं।

उर्वरकों के वितरण में अनियमितताएं

4948. श्री धनंजय सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पिछले दिनों उर्वरकों के वितरण में अनियमितताओं से संबंधित रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी अनियमितताओं को रोकने तथा किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी नहीं। राज्य सरकारों से उर्वरकों के वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता की ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) राज्य सरकारों को, प्रवर्तन एजेंसियों के रूप में, उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत पर्याप्त अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे वे कालाबाजारी सहित किसी भी प्रकार के कदाचार में शामिल दोषी व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकते हैं। राज्य सरकार उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 के पैरा 3 के अंतर्गत उर्वरकों की तस्करी/अवैध निर्यात के विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकती है।

इसके अतिरिक्त किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

(i) प्रत्येक राज्य को उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं के परामर्श से राज्य स्तर पर समग्र उपलब्धता में जिला-वार मासिक आपूर्ति योजना तैयार करना अपेक्षित होता है ताकि राज्य के सभी भागों में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके;

(ii) देश भर में उर्वरकों के संचलन की निगरानी एक ऑन-लाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली (www.urvark.co.in) द्वारा की जा रही है, जिसे उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफ.एम.एस.) भी कहा जाता है;

(iii) एफ.सी.ओ., 1985 के पैरा-4 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक डीलर जो किसी भी उर्वरक की खुदरा बिक्री करते हैं, अपने कारोबार के स्थान पर एफ.सी.ओ. के खंड 3 के अंतर्गत और समय-समय पर लागू ऐसे उर्वरकों की दरों या मूल्यों की सूची को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना होगा।

(iv) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे (i) राज्य संस्थागत एजेंसियों को उर्वरकों के उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय करने का निर्देश दें ताकि आपूर्ति को सहज बनाया जा सके; और (ii) अपने राज्य में रेल रैक बिंदुओं की समीक्षा करें और सुधारों के लिए मामलों को, यदि कोई हो, रेलवे के साथ उठाएं, जो राज्य के कोने-कोने में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित है;

(v) सरकार ने फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिए 1-4-2010 से पोषक-तत्व आधारित राज-सहायता नीति शुरू की है। एन.बी.एस. के अंतर्गत राज्य सरकारों को राज्यों की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति का अनुबंध करने हेतु उत्पादकों/आयातकों के साथ तालमेल बनाने में और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होती है;

(vi) एन.बी.एस. के अंतर्गत, उर्वरक कंपनियों को उर्वरक के बैगों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) और उस पर लागू राजसहायता को स्पष्ट रूप से मुद्रित करना अपेक्षित होता है। मुद्रित निवल खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर की गई बिक्री आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय होगी;

(vii) उर्वरक विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराने के सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं।

दूरंतो और जन शताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव

4949. श्री के.सी. वेणुगोपाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंतव्य राज्यों के जिला मुख्यालयों/मुख्य स्टेशनों पर दूरंतो और जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ठहराव स्वीकृत करने संबंधी कोई अनुरोध/प्रस्ताव रेलवे में विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दवाइयों के मूल्य में कमी

4950. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती कीमत ग्रामीण ऋणग्रस्तता का दूसरा सबसे बड़ा कारण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दवाइयों के मूल्यों में कमी लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) इस मंत्रालय में ऐसा कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) से (ङ) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 95) के उपबंधों के अनुसार 74 बल्क औषधियों और इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी औषधि वाले फार्मूलेशनों के मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। आयातित अनुसूचित फार्मूलेशनों सहित सभी फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा की जाती है।

एन.पी.पी.ए. ने अपनी स्थापना से अब तक 488 मामलों में अनुसूचित बल्क औषधियों और 10530 फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित/संशोधित किए हैं जिनमें से 8 अनुसूचित बल्क औषधियों तथा व्युत्पन्नों और 190 फार्मूलेशनों के मूल्य 2010-11 (1 अप्रैल, 2010 से 31 जुलाई, 2010 तक) की अवधि के दौरान निर्धारित/संशोधित किए गए थे।

जो औषधियां 'औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995' (डी.पी.सी.ओ., 95) के अधीन नहीं आती हैं अर्थात गैर-अनुसूचित औषधियां हैं, उनके मामले में एन.पी.पी.ए. से अनुमोदन लिए बिना ही निर्माताओं द्वारा उनके मूल्य स्वयं निर्धारित किये जाते हैं। तथापि मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के अंग के रूप में, एन.पी.पी.ए. गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में घट-बढ़ की नियमित आधार पर जांच करता है। ओ.आर.जी.-आई.एम.एस. की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के प्रयोजन के लिए किया जाता है। जहां कहीं 10 प्रतिशत वार्षिक (1 अप्रैल, 2007 से पहले 20%) से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है तो वहां सम्बन्धित निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वैच्छा से मूल्य घटाए यदि वह ऐसा नहीं करता है तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 95) के पैराग्राफ 10(ख) के अधीन कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

जनसाधारण एक्सप्रेस का ठहराव

4951. श्रीमती रमा देवी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर-पूर्व रेलवे के अंतर्गत चकिया रेलवे स्टेशन पर मुजफ्फरपुर से पोरबंदर तक चलने वाली 9269 और 9270 रेल सेवा और 5267 और 5268 जनसाधारण एक्सप्रेस को ठहराव प्रदान किया गया है/प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) चकिया स्टेशन पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में आता है और उल्लिखित गाड़ियों के ठहराव का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 5267/5268 रक्सौल-लोकमान्य तिलक (ट.) एक्सप्रेस और 9269/9270 पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस का चकिया में ठहराव न तो वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण है, न ही परिचालनिक दृष्टि से उपयुक्त है।

[अनुवाद]

टेबल टॉप रनवे का निर्माण

4952. श्री के.पी. धनपालन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मंगलोर हवाई दुर्घटना के मद्देनजर केरल के करिप्पुर जैसे विमानपत्तनों पर टेबल टॉप रनवे के पुनर्निर्माण का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) मंगलौर विमान दुर्घटना की जांच भारत सरकार द्वारा गठित कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी द्वारा की जा रही है। हवाईअड्डे में टेबल टॉप रनवे के पुनर्निर्माण की कोई योजना कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की सिफारिशों पर निर्भर है।

[हिन्दी]

लापता कम्पनियां

4953. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान कितनी कम्पनियां लापता हो गई हैं;

(ख) क्या सरकार लापता होने वाली कम्पनियों का पता लगाने हेतु मानदण्डों में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) लुप्त कम्पनियां शब्द की परिभाषा कम्पनी अधिनियम, 1956 अथवा इसके अंतर्गत जारी नियमों एवं विनियमों में नहीं दी गई है। तथापि, चालू वर्ष में लुप्त कम्पनी का कोई मामला कारपोरेट कार्य मंत्रालय के नोटिस में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विपणन और निर्यात संवर्धन योजना

4954. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हथकरघा क्षेत्र के लिए विपणन और निर्यात संवर्धन योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन हथकरघा समूहों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां योजना को शुरू किया जाना है;

(घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य में और विशेषकर खम्मम जिले में उक्त योजना के अंतर्गत कितने हथकरघा उत्पादों और कलाकारों को शामिल/लाभान्वित किया जाएगा; और

(ङ) 2009-10 के दौरान योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितनी धनराशि निर्धारित और खर्च की गयी?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी हां। देश में घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विपणन माध्यमों के विकास तथा बढ़ावे के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित करने हेतु हथकरघा क्षेत्र के लिए विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना के नाम से एक योजना आरंभ की गई है। इस योजना में निम्नलिखित दो संघटक हैं:-

1. विपणन संवर्धन
2. हथकरघा निर्यात संवर्धन

विपणन संवर्धन में निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल हैं:-

- प्रदर्शनियों, आयोजनों तथा शिल्प मेलों का आयोजन

- शहरी हाटों की स्थापना
- विपणन परिसरों की स्थापना
- प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता
- भौगोलिक संसूचन अधिनियम
- हथकरघा विपणन परिसर, जनपथ, नई दिल्ली
- हथकरघा मारका

हथकरघा निर्यात संवर्धन में निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल हैं:-

- निर्यात-योग्य हथकरघा उत्पादों के विकास के लिए निर्यात परियोजनाएं
- अंतर्राष्ट्रीय मेलों व प्रदर्शिनियों में सहभागिता
- डिजाइन स्टूडियो की स्थापना
- विविध संवर्धनात्मक आयोजन क्रियाकलाप

(ग) यह योजना देशभर में कार्यान्वित की जा रही है तथा यह योजना क्लस्टर विशिष्ट नहीं है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश सहित देश में बहु प्रकार के हथकरघा उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं तथा इस योजना के अंतर्गत सभी उत्पाद शामिल किए जाने के पात्र हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में 45,563 बुनकर शामिल/लाभान्वित हुए थे। खम्मम जिले में 275 बुनकर शामिल/लाभान्वित हुए थे तथा इस जिले में कालीनों, चादरों, धोतियों, तोलियों तथा पहनावे की मदों का व्यापक रूप से उत्पादन किया जाता है।

(ङ) इस योजना के अंतर्गत धनराशि का राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, वर्ष 2009-10 के दौरान इस योजना के अंतर्गत शामिल क्रियाकलापों के लिए जारी की गई राज्य-वार धनराशि इस प्रकार है:-

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.10
2.	असम	4.11
3.	बिहार	0.05
4.	छत्तीसगढ़	0.37
5.	दिल्ली	0.62
6.	गुजरात	0.76
7.	हरियाणा	0.28
8.	हिमाचल प्रदेश	0.51
9.	झारखंड	0.02
10.	कर्नाटक	1.20
11.	मध्य प्रदेश	0.68
12.	महाराष्ट्र	1.37
13.	मणिपुर	0.47
14.	मेघालय	0.89
15.	नागालैंड	3.73
16.	उड़ीसा	0.74
17.	राजस्थान	0.73
18.	सिक्किम	0.04
19.	तमिलनाडु	0.80
20.	त्रिपुरा	0.36
21.	उत्तर प्रदेश	1.73
22.	उत्तराखंड	0.45
23.	पश्चिम बंगाल	0.60
	कुल	22.61

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

4955. श्री गजानन ध. बाबर:

श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में विद्युत उत्पादन हेतु तरल ईंधन की आवश्यकता के अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग कितनी थी;

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग की किस हद तक पूर्ति स्वदेशी ढंग से की गई है; और

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अन्वेषण को तेज करने तथा हाइड्रोकार्बन भण्डारों की बढ़ोत्तरी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पेट्रोलियम उत्पादों (विद्युत उत्पन्न करने की आवश्यकता को छोड़ कर) की अनुमानित और वास्तविक मांग नीचे दिए अनुसार है:-

वर्ष	अनुमानित	वास्तविक	वृद्धि दर
2007-08	117.55	128.95	6.8
2008-09	121.95	133.56	3.6
2009-10	127.79	138.19 (अनन्तिम)	3.5
2010-11	136.59	-	-
2011-12	141.79	-	-

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान, पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू मांग क्रमश: 25%, 23.3% और 22.8% स्वदेशी तौर पर पूरी की गई थी।

(घ) सरकार ने हाइड्रोकार्बन भंडारों के अन्वेषण में तेजी लाकर और उसे बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं ताकि पेट्रोलियम उत्पादों की वृद्धि को बढ़ाया जा सके जिनको संक्षेप में नीचे दिया गया है:-

(i) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) और कोल बेड मिथेन नीति (सी.बी.एम.) के विभिन्न दौरों के तहत पेशकश के लिए अन्वेषण हेतु अधिकाधिक क्षेत्रों को तैयार करना।

(ii) मौजूदा क्षेत्रों से निकासी घटक में वृद्धि के लिए वर्धित तेल निकासी (ई.ओ.आर.)/उन्नत तेल निकासी (आई.ओ.आर.) तकनीकों का अनुप्रयोग।

(iii) इक्विटी तेल लाने के लिए विदेश में अन्वेषण रकबों और तेल उत्पादक संपत्तियों का अर्जन।

(iv) पुराने होते जा रहे क्षेत्रों से निकासी में आ रही कमी को नियंत्रित करना।

(v) बायो डीजल, ऐथेनोल आदि जैसे गैर-पारम्परिक ऊर्जा के स्रोतों के प्रयोग द्वारा तेल का प्रतिस्थापन। उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिक विकसित करते हुए राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एन.जी.एच.पी.) के तहत गैस हाइड्रेटों से गैस का निष्कर्षण।

[हिन्दी]

इस्पात उपभोक्ता परिषद

4956. श्री देवजी एम. पटेल: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी इस्पात उपभोक्ता परिषद का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिषद में राज्य-वार कितने सदस्यों को नामांकित किया गया है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में फरवरी, 2010 में इस्पात उपभोक्ता परिषद का पुनर्गठन किया गया है।

(ख) नामांकित सदस्यों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नवत है:-

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	सदस्यों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	29
2.	असम	02
3.	बिहार	11
4.	चंडीगढ़	02
5.	छत्तीसगढ़	07
6.	दिल्ली	28
7.	गुजरात	12
8.	हरियाणा	07
9.	हिमाचल प्रदेश	43
10.	झारखंड	12
11.	कर्नाटक	18
12.	केरल	01
13.	महाराष्ट्र	16
14.	मध्य प्रदेश	09
15.	मिजोरम	01
16.	उड़ीसा	09
17.	पंजाब	13
18.	राजस्थान	15
19.	तमिलनाडु	07
20.	उत्तर प्रदेश	19
21.	उत्तराखंड	02
22.	पश्चिम बंगाल	03
	योग	266

उपरोक्त के अतिरिक्त मीडिया के प्रमुख व्यक्तियों और विशेषज्ञों से भी 6 सदस्य इस्पात उपभोक्ता परिषद में नामांकित किए गए हैं।

[अनुवाद]

उर्वरकों की ढुलाई

4957. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को काण्डला पत्तन से यूरिया उर्वरक की ढुलाई और वितरण में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; जो वर्तमान में अप्रयुक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर.सी.एफ.) कांडला बंदरगाह पर आयातित यूरिया के लिए हैंडलिंग एजेंट है। 1 जुलाई, 2010 को कांडला बंदरगाह में आर.सी.एफ. के खाते में लगभग 74631.05 मी.टन यूरिया उपलब्ध था। जुलाई, 2010 महीने के दौरान कांडला बंदरगाह पर यूरिया का 79,562.10 मी.टन नए स्टॉक के आने से आर.सी.एफ. के खाते में आरंभिक जमा सहित 1,54,283.15 मी.टन कुल स्टॉक हो गया। जुलाई 2010 माह के दौरान कांडला बंदरगाह से डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. के प्रेषण को प्राथमिकता दी गई क्योंकि यह आगामी खरीफ की फसलों के लिए तात्कालिक आवश्यक आधारीय खुराक थी। यूरिया की केवल 47,960.80 मी.टन मात्रा ही विभिन्न राज्यों को भेजी जा सकी। बंदरगाह पर उपलब्ध सीमित भंडारण क्षमता के कारण खुले में रखा गया यूरिया वर्षा और इसकी आद्रर्ताग्राही प्रकृति के कारण ठोस रूप में परिवर्तित हो गया। हालांकि, कांडला और गांधीधाम में आर.सी.एफ. के खाते में रखा यूरिया ठोस

हो गया फिर भी इसने अपनी पोषकता नहीं खोई है। बाद में इस यूरिया को गांधीधाम गोदामों में स्थानांतरित कर दिया गया। 1 अगस्त से 24 अगस्त, 2010 की अवधि के दौरान उपलब्ध स्टॉक में से 36,752.60 मी.टन यूरिया को फ्री फ्लोइंग रूप में परिवर्तित करने के बाद विभिन्न राज्यों में भेजा गया। 24 अगस्त, 2010 को आर.सी.एफ. के खाते में लगभग 69,569.45 मी.टन यूरिया अभी भी उपलब्ध है। आर.सी.एफ. प्रतिदिन एक रैक लोड (लगभग 2700 मी.टन के समान) भेजने के सभी प्रयास कर रहा है परन्तु ठोस यूरिया को फ्री-फ्लोइंग यूरिया में परिवर्तित करने में बहुत समय लगता है।

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में संशोधन

4958. श्री नवीन जिन्दल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य पदार्थ अपमिश्रण अपराधों को गैर-जमानती बनाने और ऐसे अपराधियों को आजीवन कारावास सहित कठोर अर्थदण्ड लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो देश में बड़े पैमाने पर व्याप्त इस समस्या से सरकार किस प्रकार निपटने पर विचार कर रही है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हाइड्रोकार्बनों का अन्वेषण

4959. श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने गुजरात में कई अधिसूचित ब्लॉकों में हाइड्रोकार्बन की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो उन अधिसूचित ब्लॉकों के नाम क्या हैं तथा ये किन क्षेत्रों में स्थित हैं;

(ग) इन नए अधिसूचित ब्लॉकों से ए.पी.एम. के आधार पर किन कंपनियों को गैस दी जानी है तथा इन कंपनियों को कितनी मात्रा में गैस दी जाएगी;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इनमें से कुछ कंपनियां आवंटित गैसों को काला बाजार में बेचती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) दिनांक 01-08-2010 की स्थिति के अनुसार ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओ.एन.जी.सी.) ने गुजरात राज्य में नामांकन ब्लॉकों में 122 खोजें और एन.ई.एल.पी. ब्लॉकों में 4 खोजें की हैं। इन खोजों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय तेल कंपनियों अर्थात ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. द्वारा नामांकन ब्लॉकों में नए क्षेत्रों से उत्पादित गैस की बिक्री प्रशासित मूल्यों निर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) दरों पर नहीं की जाती है।

विवरण

गुजरात में नामांकन ब्लॉकों में ओ.एन.जी.सी. द्वारा आरंभ से लेकर दिनांक 01-08-2010 तक की गई खोजें

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	पी.ई.एल./एम.एल. का नाम	जिला
1.	अंकलेश्वर	अंकलेश्वर (मुख्य) एम.एल.	भरूच
2.	कलोल	कलोल (मुख्य) एम.एल.	मेहसाणा, गांधीनगर, अहमदाबाद
3.	साणंद	साणंद एम.एल.	मेहसाणा, अहमदाबाद
4.	कोसम्बा	कोसम्बा एम.एल.	सूरत, भरूच

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	पी.ई.एल./एम.एल. का नाम	जिला
5.	ओल्पाड	ओल्पाड (ए) एम.एल.	सूरत
6.	नवगाम	नवगाम एम.एल.	खेड़ा, अहमदाबाद
7.	खटाना	खटाना एम.एल.	खेड़ा, आनंद
8.	उत्तर काडी	काडी एम.एल.	मेहसाणा
9.	अहमदाबाद	अहमदाबाद-बकरोल एम.एल.	अहमदाबाद
10.	दक्षिण काडी	काडी विस्तार-I एम.एल.	मेहसाणा
11.	सोभासन	सोभासन एम.एल.	मेहसाणा
12.	वास्ना	नवगाम एम.एल.	खेड़ा
13.	बलोल	बलोल एम.एल.	मेहसाणा
14.	डाबका	डाबका एम.एल.	वड़ोदरा और भरूच
15.	संथाल	संथाल एम.एल.	मेहसाणा
16.	लानवा	लानवा एम.एल.	मेहसाणा
17.	लिन्च	लिन्च एम.एल.	मेहसाणा
18.	दक्षिण पश्चिम मोटवान	सोनावखुर्द एम.एल.	भरूच
19.	सिसवा	सिसवा एम.एल.	आनंद
20.	नन्दसान	नन्दसान-लंघनाज एम.एल.	मेहसाणा
21.	दक्षिण सोभासन	सोभासन एम.एल.	मेहसाणा
22.	पश्चिम सोभासन	पश्चिम सोभासन एम.एल.	मेहसाणा
23.	झालोरा	साणंद एम.एल.	मेहसाणा
24.	पाडरा	पाडरा एम.एल.	वडोदरा
25.	जोतना	जोतना एम.एल.	मेहसाणा
26.	सिसोदरा	मोटवान एम.एल.	भरूच
27.	विराज	वराज एम.एल.	मेहसाणा
28.	गजेरा	उमरा एम.एल.	भरूच
29.	पश्चिम मोटवान	मोटवान एम.एल.	भरूच
30.	अखज	लिन्च एम.एल.	मेहसाणा

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	पी.ई.एल./एम.एल. का नाम	जिला
31.	दाहेज	दाहेज एम.एल.	भरूच
32.	लाघंनाज	लाघंनाज एम.एल.	मेहसाणा
33.	कुदारा	कुदारा एम.एल.	भरूच
34.	मेवाड	सोभसन एम.एल.	मेहसाणा
35.	गामिज	गामिज	अहमदाबाद और गांधीनगर, खेड़ा
36.	वडु-पालियाड	वडु एम.एल.	मेहसाणा, अहमदाबाद
37.	दक्षिण मेवाड	घेरतपुर एम.एल.	मेहसाणा
38.	गंधार	गंधार एम.एल.	भरूच
39.	दक्षिण विराज	विराज एम.एल.	मेहसाणा
40.	लिम्बोद्रा	लिम्बोद्रा एम.एल.	मेहसाणा, गांधीनगर
41.	पाखजन	पाखजन एम.एल.	भरूच
42.	दक्षिण मालपुर	मालपुर एम.एल.	भरूच
43.	बेचराजी	बेचराजी एम.एल.	मेहसाणा
44.	एलाओ	एलाओ एम.एल.	भरूच
45.	नाडा	नाडा एम.एल.	भरूच
46.	मनसा	मनसा एम.एल.	मेहसाणा
47.	आणंद	अंकलेश्वर एक्सटेंशन-I एम.एल.	भरूच
48.	नान्देज	नान्देज एम.एल.	अहमदाबाद/खेड़ा
49.	किम	किम एम.एल.	भरूच
50.	जम्बूसर	उमरा विस्तार-I एम.एल.	भरूच
51.	हलीसा	हलीसा एम.एल.	गांधीनगर
52.	वडास्मा	लंघनाज-वडास्मा एम.एल.	मेहसाणा
53.	खेर्वा	मुक्त रकबा	मेहसाणा
54.	अस्माली	अस्माली एम.एल.	अहमदाबाद
55.	वातरक	अस्माली एम.एल.	अहमदाबाद
56.	अंकलव	अंकलव विस्तार-I	आनंद

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	पी.ई.एल./एम.एल. का नाम	जिला
57.	उत्तरी सरभान	कुराल एम.एल.	भरूच
58.	अखोलजुनी	अखोलजुनी एम.एल.	खेड़ा
59.	सदरा	नवगाम दक्षिण विस्तार-II एम.एल.	खेड़ा
60.	चक्लासी	चक्लासी-रस्नोल	आनंद
61.	काटपुर	किम विस्तार-I एम.एल.	भरूच
62.	देगाम	देगाम एम.एल.	भरूच
63.	वामज	वामज एम.एल.	मेहसाणा
64.	वाडसर	कलोल पश्चिम विस्तार-I एम.एल.	मेहसाणा
65.	देलोली	बलोल एम.एल.	मेहसाणा
66.	मेहलाज	उत्तर दक्षिण विस्तार-I. एम.एल.	खेड़ा
67.	करजान	करजान एम.एल.	वडोदरा
68.	मतर	मतार (एम.एल. के लिए आवेदित)	भरूच
69.	खम्बात	खम्बात एम.एल.	आणंद
70.	असजोल	असजोल एम.एल.	मेहसाणा
71.	हजीरा	हजीरा एम.एल.	सूरत
72.	भान्दुत	भान्दुत एम.एल.	सूरत
73.	साबरमती	साबरमती एम.एल.	अहमदाबाद
74.	बाओला	बाओला एम.एल.	अहमदाबाद
75.	मोढेरा	मोढेरा एम.एल.	मेहसाणा
76.	वावेल	वावेल एम.एल.	गांधीनगर
77.	ढोलका	ढोलका एम.एल.	अहमदाबाद
78.	बकरोल	बकरोल एम.एल.	अहमदाबाद
79.	इंदरोरा	इंदरोरा एम.एल.	अहमदाबाद-गांधीनगर
80.	लोहार	लोहार एम.एल.	मेहसाणा
81.	करजीसान	करजीसान एम.एल.	अहमदाबाद
82.	अलोरा	अलोरा एम.एल.	मेहसाणा

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	पी.ई.एल./एम.एल. का नाम	जिला
83.	कानावाड़ा	कानावाड़ा एम.एल.	खेड़ा
84.	उत्तरी बलोल	उत्तरी बलोल एम.एल.	मेहसाणा
85.	उत्तरी कठाना	उत्तरी कठाना एम.एल.	खेड़ा
86.	ढोलासन	ढोलासन एम.एल.	मेहसाणा
87.	उनावा	उनावा एम.एल.	मेहसाणा
88.	सांगनपुर	सांगनपुर एम.एल.	मेहसाणा
89.	ओगनाज	ओगनाज एम.एल.	मेहसाणा-अहमदाबाद
90.	पश्चिम बेचराजी	पश्चिम बेचराजी एम.एल.	मेहसाणा
91.	खाम्बेल	खाम्बेल एम.एल.	मेहसाणा
92.	हीरापुर	हीरापुर एम.एल.	अहमदाबाद
93.	कम्बोई	कम्बोई एम.एल.	मेहसाणा
94.	दक्षिण पाटन	दक्षिण पाटन एम.एल.	पाटन
95.	पालेज	पालेज एम.एल.	वडोदरा, भरूच
96.	चारादा-3 (सी.आर.ए.बी.)	चारादा-3 एम.एल.	मेहसाणा
97.	माही हाई	खम्बात एम.एल.	आणंद
98.	उ. कुराल	कुराल एम.एल.	भरूच
99.	कारवां	कर्जन एक्स. II पी.ई.एल.	बडोदरा
100.	मोटेरा	साबरमती एम.एल.	गांधीनगर
101.	वीरगोविंदपुरा-3	वाडु विस्तार-I एम.एल.	मेहसाणा
102.	लिन्च-59	कादी एम.एल.	मेहसाणा
103.	लिन्च-60	लिन्च एम.एल.	मेहसाणा
104.	उत्तरी कादी-435	कादी एम.एल.	मेहसाणा
105.	कोसाम्बा-40	कोसाम्बा विस्तार-I एम.एल.	सूरत
106.	मेवाड-20	सोभासन एम.एल.	मेहसाणा
107.	सोभासन-250	सोभासन एम.एल.	मेहसाणा
108.	अंकलेश्वर-317	अंकलेश्वर (मुख्य) एम.एल.	भरूच

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	पी.ई.एल./एम.एल. का नाम	जिला
109.	अंकलेश्वर-320	अंकलेश्वर मुख्य एम.एल.	भरूच
110.	कोसाम्बा-41 (के.एम.ए.एन.)	कोसाम्बा एम.एल.	सूरत
111.	अखोलजूनी-18	अखोलजूनी एम.एल.	खेड़ा
112.	डाबका-57 (डी.बी.बी.जी.)	डाबका सरभन-पी.ई.एल.	बडोदरा
113.	चक्लासी-8	चक्लासी-रासनोल पी.ई.एल.	खेड़ा
114.	लिन्च-65 (एल.एन.बी.ओ.)	जोतना-वारोसन एम.एल.	मेहसाणा
115.	हलीसा-12 (एच.ए.ए.एल.)	हलीसा एम.एल.	गांधीनगर
116.	दक्षिण कादी-143 (एस.के.पी.पी.)	कादी एम.एल.	मेहसाणा
117.	ओल्पाड-31	ओल्पाड-दांडी विस्तार-I एम.एल.	सूरत
118.	मेवाड-25	सोभासन एम.एल.	मेहसाणा
119.	दक्षिण कादी-144 (एस.के.बी.एफ.)	बालासर पी.ई.एल.	मेहसाणा
120.	मतार-11 (एम.आर.ए.एम.)	डबका-सरभन पी.ई.एल.	वडोदरा
121.	अहमदाबाद-124 (ए.एम.बी.सी.)	वालोड विस्तार-I पी.ई.एल.	अहमदाबाद
122.	दक्षिण कादी-155 (एस.के.एफ.वाई.)	कादी पी.एम.एल.	मेहसाणा

गुजरात राज्य में ओ.एन.जी.सी. द्वारा की गई चार एन.ई.एल.पी. खोजें खेड़ा, आणंद और मेहसाणा जिलों में अवस्थित हैं। विवरण निम्नानुसार हैं:-

खोज का नाम	एनईएलपी दौर	जिले का नाम
पश्चिम पाटन-3	IV	पाटन और मेहसाणा
नाडियाड-1	III	आणंद
नाडियाड-1	VI	मेहसाणा
वाडताल-1	VI	खेड़ा और आणंद

[अनुवाद]

जूट पार्क

4960. श्री राकेश सचान: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जूट उत्पादों की विविधता को बढ़ावा देने के मद्देनजर देश में जूट पार्कों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो देश में अब तक स्थापित ऐसे पार्कों की कुल संख्या कितनी है तथा उनकी अवस्थिति क्या है;

(ग) स्थान-वार कितने पार्कों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इन पार्कों में उद्यमियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में जूट/जूट उत्पादों को लोकप्रिय बनाने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):

(क) से (ग) पटसन प्रौद्योगिकी मिशन के तहत सरकार की पटसन पार्क स्थापित करने के लिए एक योजना है। 9 पटसन पार्क स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत पटसन पार्कों का ब्यौरा और उनकी अवस्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) इस योजना के तहत पटसन पार्क स्थापित करने के लिए उपलब्ध सब्सिडी, 7.5 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, पटसन पार्क में साझा अवसंरचना की स्थापना के लिए पात्र लागत (भूमि की लागत को छोड़कर) की 40% है। पूर्वोत्तर राज्यों में पटसन पार्कों की स्थापना के लिए सब्सिडी 90% है। इस योजना के तहत साझा अवसंरचना जैसे कि चार दीवारी, विद्युत आपूर्ति, सड़क, बहिस्राव उपचार संयंत्र, जलापूर्ति, साफ-सफाई, सीवरेज और नालियों आदि का निर्माण किया जा सकता है।

(ङ) पटसन और पटसन उत्पादों के लिए संवर्द्धन के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं तथा लक्षित श्रोता पर उनके प्रभाव और इन योजनाओं से उपार्जित लाभों के संबंध में जन जागरूकता सृजित करने के लिए राष्ट्रीय पटसन बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रचार उपाय किए गए हैं:-

(i) विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन

(ii) संपर्क सत्रों का आयोजन

(iii) क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन

(iv) फैशन शो का आयोजन

(v) संवर्द्धनात्मक सामग्रियों का संवितरण

(vi) स्थाई बिक्री आउटलेट्स की स्थापना

(vii) खुदरा श्रृंखला के माध्यम से पटसन उत्पादों का संवर्द्धन एवं बिक्री

(viii) पेशकश मांगने के लिए समाचार-पत्रों में संस्थागत विज्ञापन

(ix) वेबसाइट के माध्यम से सूचना का प्रचार-प्रसार

(x) विभिन्न मीडिया के माध्यम से संवर्द्धनात्मक अभियान

(xi) प्रेस बैठकें

विवरण

पटसन प्रौद्योगिकी मिशन/लघु मिशन-IV/योजना सं. 7.5-विविधीकृत क्षेत्र हेतु पटसन पार्कों की स्थापना के लिए योजना

क्र. सं.	पटसन पार्क का नाम	अवस्थिति
1.	कूच बिहार पटसन पार्क, इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	चकचाका, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल
2.	मुर्शिदाबाद पटसन पार्क, इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	रेजीनगर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल
3.	शक्तिगढ़ पटसन पार्क, इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	शक्तिगढ़, जिला बुर्दवान, पश्चिम बंगाल
4.	एच.एम.सी. पटसन पार्क इन्टरप्राईजेज लि.	पंचला, हावड़ा, पश्चिम बंगाल
5.	सिकारिया पटसन पार्क प्रा. लि.	मकदमपुर एवं बिलासपुर मौजा, रायगंज, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल
6.	पुनरासार पटसन पार्क लि.	पुरनिया, बिहार
7.	वेस्ट बंगाल मल्टीफाइबर प्रा. लि. (बेलडांगा)	बेडांगा, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल
8.	डिब्रु पटसन पार्क	डिब्रुगढ़, असम, पूर्वोत्तर राज्य
9.	सिल्चर पटसन पार्क	सिल्चर, सचार जिला, असम, पूर्वोत्तर राज्य

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें

4961. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अध्याय 7.56 के पृष्ठ 604 अर्थात् दिनांक 29-08-2008 में राजपत्र की अधिसूचना संख्या 304 असाधारण (भाग-1, खण्ड 1) पैरा (x) (ग) पृष्ठ 30 और 31 (समूह 'ख' में रखे गए सभी संवर्ग) के माध्यम से तथा आई.ए. एण्ड ए.डी. के बीच समानता को रेलवे जैसे संगठित लेखों पर भी लागू किया जाएगा को रेल मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो रेलवे लेखा में एस.एस.ओ. (लेखा)/वरिष्ठ टी.आई.ए. को समूह 'ब' का दर्जा नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक लागू किया जाएगा तथा इस मुद्दे पर रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 7.56 के पृष्ठ 604 में (पैरा 7.56.9) में भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में विशिष्ट पदों के लिए संशोधित वेतन संरचना तथा मौजूदा वेतन समानता के आधार पर रेलवे लेखा सहित अन्य संगठित लेखा संवर्गों में इसके विस्तार की सिफारिश की है। तदनुसार सरकार द्वारा स्वीकृत/आशोधित संशोधित वेतन संरचना रेलवे लेखा विभाग के लिए लागू कर दिया गया है। रेलों में वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा)/लेखा विभाग के सीनियर ट्रेवलिंग इन्सपेक्टरों को ग्रुप 'बी' स्टेटस देने के लिए छठे केंद्रीय वेतन आयोग की कोई विशिष्ट सिफारिश या सरकार का कोई निर्णय नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में सड़क उपरि पुल

4962. श्रीमती दीपा दासमुंशी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों से पश्चिम बंगाल में निर्माणाधीन सड़क उपरि पुलों (आर.ओ.बी.) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर आर.ओ.बी. बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पिछले तीन वर्षों से पश्चिम बंगाल में 15 ऊपरी सड़क पुल निर्माणाधीन हैं (पूर्व रेलवे में छह, दक्षिण पूर्व रेलवे में आठ और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में एक)।

(ख) और (ग) जी हां। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊपरी सड़क पुल के 23 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं (बारह पूर्व रेलवे पर, चार दक्षिण पूर्व रेलवे पर और सात पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर)।

[अनुवाद]

उत्तर रेलवे सहकारी समिति में वित्तीय धोखाधड़ी

4963. श्री पुलीन बिहारी बासके: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेलवे के उत्तर रेलवे सहकारी समिति लिमिटेड में लगभग 400 करोड़ रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी सामने आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर रेलवे सहकारी समिति लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों और सदस्यों के लिए 1998 में समूह बीमा योजना शुरू की थी;

(घ) यदि हां, तो योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) नादर्न जोन रेलवे एम्पलाईज को-आपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी एक बहु-राज्य को-आपरेटिव सोसायटी है और इसकी कार्य प्रणाली रजिस्ट्रार ऑफ दी को-आपरेटिव सोसायटीज, नई दिल्ली, कृषि मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आती है। रेल मंत्रालय ने इस प्रकार की कोई जालसाजी नहीं पकड़ी है। बहरहाल, इस मंत्रालय में इस सोसायटी की कार्य प्रणाली के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिन्हें समुचित कार्रवाई करने के लिए

रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव सोसायटी, नई दिल्ली को अग्रेषित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) सोसायटी द्वारा लागू की गई योजनाएं यदि कोई हो, रेल मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है।

(ङ) चूंकि यह मामला रेल मंत्रालय से संबंधित नहीं है इसलिए सोसायटी की कार्य प्रणाली के बारे में प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई करने के लिए उसे अग्रेषित कर दिया गया था।

रेल मार्शल

4964. श्रीमती अन्नू टन्डन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे नक्सल उग्रवाद से ग्रस्त क्षेत्रों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों में एयर मार्शलों की तरह सशस्त्र रेल मार्शलों की तैनाती की संभावना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, महत्वपूर्ण यात्री गाड़ियों का मार्गरक्षण आवश्यकता और बल/पुलिस कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस कार्मिकों द्वारा किया जाता है। प्रतिदिन औसतन 1275 गाड़ियों का मार्गरक्षण रेल सुरक्षा बल द्वारा और 2200 गाड़ियों का राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

खान-पान के लिए खाद्य पदार्थों की खरीद

4965. श्री राधे मोहन सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मांसाहार सहित खाद्य पदार्थों की खरीद हेतु रेलवे द्वारा किस मानदंड/प्रक्रिया का पालन किया जाता है;

(ख) क्या हाल के दिनों में उक्त मांसाहार के उपभोग पश्चात् यात्री/कर्मचारी बीमार पड़ गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या निषेधात्मक उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) भारतीय रेलवे नेटवर्क पर इस्तेमाल तथा सेवा के लिए विभिन्न प्रोप्राइटरी आर्टिकल डिपो (पी.ए.डी.) तथा नॉन-प्रोप्राइटरी आर्टिकल डिपो (एन.पी.ए.डी.) मदों के प्रतिष्ठित सप्लायरों को शार्टलिस्ट करने की एक विस्तृत प्रणाली है। पात्रता के मानदण्डों के विभिन्न कड़े पैरामीटरों को पूरा करने के बाद ही नॉन-वेज मदों के सप्लायर सहित सभी सप्लायरों को शार्टलिस्ट किया जाता है।

(ख) और (ग) उपलब्ध अंतिम रिपोर्ट के अनुसार कोझीकोड में हजरत निजामुद्दीन-एर्णाकुलम दूरंतो एक्सप्रेस में 17-05-2010 को सामिष नाश्ता (ब्रेड आमलेट) करने के बाद कुछ यात्रियों के बीमार पड़ने की घटना रिपोर्ट की गई थी। इस घटना में 19 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा तथा 11 यात्रियों ने सरकारी अस्पताल, कालीकट में ओ.पी.डी. में ईलाज कराया। ईलाज के बाद यात्रियों को 19-05-2010 को परशुराम एक्सप्रेस से एर्णाकुलम ले जाया गया।

(घ) नई खानपान नीति 2010 के अनुसार क्षेत्रीय रेलों द्वारा संस्थागत व्यवस्था के तहत पर्यवेक्षण तथा निगरानी को सुदृढ़ किया गया है। इसी प्रकार सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए एक मानक बोली दस्तावेज तैयार किया जाएगा, जिसमें स्वच्छता तथा साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता के मानदंडों को प्रमुखता दी जाएगी।

[अनुवाद]

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एफ.पी.आई.

4966. श्री प्रेम दास राय: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर सिक्किम में कार्यरत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का स्थान वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों में और अधिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार इस उद्देश्य हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है; और

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में एफ.पी.आई. के प्रोत्साहन और विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं और इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों समेत देश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या संबंधी आंकड़े केंद्रीय रूप से मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं। तथापि, भारतीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद, भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य का नाम	पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या
1	2	3
1.	असम	897
2.	त्रिपुरा	50
3.	नागालैण्ड	16
4.	मेघालय	13
5.	मणिपुर	12
6.	सिक्किम	0

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, प्रौद्योगिकी उन्नयन स्थापना/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की 25% की दर से अधिकतम 50.00 लाख रुपये तथा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से अधिकतम 75.00 लाख रुपये की सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में इकाइयों को इस स्कीम के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता का विवरण का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(लाख रुपए)

राज्य का नाम	2007-08		2008-09		2009-10	
	अनुमोदित	वित्तीय सहायता	अनुमोदित	वित्तीय सहायता	अनुमोदित	वित्तीय सहायता
अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	17.67	0	0
असम	2	61.81	17	176.79	8	81.83
मणिपुर	2	77.62	3	45.51	6	126.74
मेघालय	1	29.57	2	159.57	2	47.28
मिजोरम	0	0	0	0	1	11.00
नागालैण्ड	0	0	4	178.205	0	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	1	26.12	1	13.86	0	0
कुल	6	195.12	28	591.605	17	266.85

(घ) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य उपायों के अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और आधुनिकीकरण, अवसंरचना का सृजन, अनुसंधान एवं विकास को समर्थन, मानव संसाधन विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं और उनका कार्यान्वयन कर रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने और उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दृष्टि से विशिष्ट खाद्य वस्तुओं पर कर में कमी, उत्पाद शुल्क को समाप्त करने/घटाने सीमा शुल्क में कमी करने जैसे अनेक वित्तीय उपाय किए हैं। इसके अलावा, मंत्रालय खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट जैसी गुणवत्ता प्रणालियों का कार्यान्वयन, अनुसांधन एवं विकास को प्रोत्साहन, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास की अपनी योजना स्कीमों के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंकों के सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को मनोनीत करने का निर्णय लिया है ताकि वे स्कीम के अधिक कारगर कार्यान्वयन के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करें।

गोड्डा-हनोदेहा रेलवे लाइन

4967. श्री निशिकांत दुबे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे बजट भाषण 2010-11 के दौरान घोषित गोड्डा-हनोदेहा रेलवे लाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे को उक्त रेलवे परियोजना के 50 प्रतिशत वित्तपोषण हेतु झारखंड सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) क्या रेलवे ने इस परियोजना को पूरा करने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रेलों ने सितंबर, 2006 में हंसदिया से गोड्डा तक नई लाइन के लिए पहले सर्वेक्षण कराया था। नई लाइन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

(ख) रेलों को राज्य सरकार से परियोजना की लागत का 50% की भागीदारी करने के लिए अनुरोध किया है, परंतु झारखंड सरकार को यह स्वीकार नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों से अधिवक्ता

4968. श्री मिलिंद देवरा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों से पहली पीढ़ी के अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण देने हेतु एक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इससे क्या उद्देश्य प्राप्त किए जाने हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ग) इस संबंध में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत के संविधान के अधीन न्याय तक पहुंच को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। संविधान का अनुच्छेद 39क देश के लोगों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को मान्यता देता है। यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य पर कर्तव्य अधिरोपित करता है कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और, विशिष्टतया, राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।

प्रभावी न्याय परिदान तंत्र यह अपेक्षा करता है कि (i) न्याय लोगों की दहलीज पर उपलब्ध कराया जाए और (ii) ऐसे प्रतिभावान, समर्पित और अर्हित विधिक व्यवसायिक होने चाहिए जो निचले स्तर पर कार्य कर सकें। जहां तक दहलीज पर न्याय उपलब्ध कराने का संबंध है जिला और तालुक स्तरों पर न्यायालय हैं। अब ग्राम और मध्यवर्ती

स्तर पर 'ग्राम न्यायालय' भी अस्तित्व में आ रहे हैं। निचले स्तर पर प्रतिभावान और समर्पित विधि स्नातकों की कोई कमी नहीं है परंतु उनके आगे आने के लिए और जिला, तालुक और ग्राम स्तर पर विधि व्यवसाय में ठहरने के लिए कोई प्रेरणा और प्रोत्साहन नहीं है। इसका परिणाम यह है कि उनकी योग्यता के बावजूद भी इन नौजवान वकीलों में से अधिकतर वकील इस व्यवसाय में उचित अवसर और प्रभावन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अंत में, वे निठ्ठले वकील बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उचित व्यवसायिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है ताकि वे एक अच्छे वकील बन सके और उच्च प्रोफाइल विधि फर्म के सालिसिटर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। इस प्रशिक्षण से उन्हें उनके वकालत करने के कौशल और ज्ञान को अद्यतन करने में भी सहायता मिलेगी।

नौजवान प्रतिभावान वकीलों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन सुनिश्चित करने के लिए और उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने एक स्कीम/योजना तैयार की है।

उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य, जो मिजस्ट्रेट और मुन्सिफ न्यायालयों में व्यवसाय कर रहे हैं, दो मास की अवधि के लिए उचित व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके नौजवान वकीलों को प्रेरणा और प्रोत्साहन देना है ताकि वे निचले स्तर पर विधिक व्यवसायी की आवश्यकता को पूरा कर सके। इससे उन्हें निचले स्तर पर व्यवसाय में ठहरने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और यह उनके नैराश्य के उन्मूलन में सहायता मिलेगी। राष्ट्र सभी के लिए न्याय उपलब्ध कराने के क्षेत्र में उनकी सेवाओं का फायदा भी प्राप्त करेगा। संक्षेप में, इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है:

"निचले स्तर पर बार में व्यवसाय में रहने के लिए नौजवान प्रतिभावान सराहनीय वकीलों को प्रेरित करना और उन्हें प्रोत्साहित करना तथा उस प्रयोजन के लिए, उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।"

स्कीम/योजना की मुख्य विशेषताएं

(1) प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य से राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करते हुए अधिक से अधिक दस व्यवसाय करने वाले नौजवान अधिवक्ता व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चयनित किए जाएंगे।

(2) अभ्यर्थियों का चयन करते समय उन अभ्यर्थियों को अधिमानतः दी जाएगी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के है, स्त्रियों और शारीरिक रूप से निःशक्तः हैं।

(3) **आवेदन आमंत्रित करना** - आरंभ में प्रत्येक वर्ष वांछित अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। स्कीम और आवेदन के आमंत्रण की व्यापक प्रचार किया जाएगा। आवेदन विहित प्रपत्र में मांगा जाएगा। आवेदनों की पात्रता शर्तों का सत्यापन करने के लिए संवीक्षा की जाएगी।

(4) **चयन के लिए पात्रता** - चयन के समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए-

(i) वह एक अधिवक्ता के रूप में अभ्यावेशित किया गया है/की गई है और मजिस्ट्रेट तथा मुन्सिफ न्यायालय में वास्तविक व्यवसाय करने में लगा हुआ है/लगी हुई है।

(ii) वह 30 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं होना चाहिए/होनी चाहिए।

(iii) उसकी मासिक आय 6000/- रुपए प्रति मास से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iv) वह चयन समिति की राय में सराहनीय और प्रतिभावान अधिवक्ता होना चाहिए, और

(v) वह जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के अधीन विधिक सहायता कार्यक्रम के लिए अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्पर और रजामंद होना चाहिए।

[हिन्दी]

टी.टी.ई. द्वारा दुर्व्यवहार

4969. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चल टिकट निरीक्षकों (टी.टी.ई.) द्वारा यात्रियों से जुर्माना वसूलने के बाद उन्हें फिर से आरक्षित डिब्बों में जाने दिया जाता है जिसके कारण आरक्षित डिब्बों के यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे निरीक्षकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) कभी-कभार कुछ घटनाएं रेलवे के नोटिस में आई हैं।

(ख) और (ग) जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, चूककर्ता चल टिकट परीक्षकों (टी.टी.ई.) के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है। बहरहाल, ऐसी कार्रवाई का ब्यौरा अलग से नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

रेलवे कोचों की आवश्यकता

4970. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने वातानुकूलित और अन्य कोचों की वार्षिक आवश्यकता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वार्षिक आवश्यकता की पूर्ति रेलवे की रेल कोच विनिर्माण इकाई द्वारा की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो कोचों की आवश्यकता को किस प्रकार पूरा किए जाने की रेलवे की योजना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) रेलवे कार्यक्रमों पर कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वातानुकूलित सवारी डिब्बों और अन्य सवारी डिब्बों की सालाना आवश्यकता क्रमश: 660 और 3878 आंकी गई है।

(ग) और (घ) रेलों की डिब्बा विनिर्माण ईकाइयां डिब्बों की वार्षिक आवश्यकता को पूरा करने में पूर्णतया सक्षम हैं। डिब्बों के उत्पादन में और बढ़ोतरी करने के लिए रायबरेली में एक रेल डिब्बा कारखाने की स्थापना की जा रही है। कांचरापाड़ा, संकरेल और पालघाट में संयुक्त उद्यमों के जरिए रेल डिब्बा कारखानों की स्थापना करने की योजना बनाई जा रही है।

आनंदपुर साहिब से राजधानी ट्रेन

4971. श्री रवनीत सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का पंजाब के आनंदपुर साहिब से नई दिल्ली और महाराष्ट्र स्थित नांदेड़ होते हुए कर्नाटक के बीदर तक राजधानी ट्रेन चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां लंबी दूरी की तीव्र गति वाली गाड़ियां हैं जो मुख्यत: राष्ट्रीय राजधानी और राज्यों की राजधानियों के बीच के यात्रियों के लिए हैं।

उर्वरकों का भण्डार

4972. श्री के.आर.जी. रेड्डी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में वर्षा से पूर्व उर्वरक भण्डारण का कार्य तेजी पर होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के संबंध में, ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों की तुलना में वर्तमान राज्य-वार स्थिति, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के संबंध में क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो भारत सरकार के आंशिक संचलन, वितरण और सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत है। कृषि में प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करने के लिए इसका आयात सरकार के खाते से राज्य व्यापार उद्यमों (एस.टी.ई.) अर्थात् एम.एम.टी.सी., एस.टी.सी. और आई.पी.एल. के जरिए किया जाता है। यूरिया की आकलित आवश्यकता और स्वदेशी उत्पादन के बीच अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। अन्य सभी उर्वरक नामत: डी.ए.पी., एम.ओ.पी., एस.एस.पी. और एन.पी.के. आदि 1992 से नियंत्रणुक्त/असरणीबद्ध हैं और इनका आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत किया जाता है। कंपनियां कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा आकलित की गई आवश्यकता के अनुसार इन उर्वरकों का आयात करती हैं। सरकार पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति के अंतर्गत इन उर्वरकों पर राजसहायता का भुगतान कर रही है। संघ सरकार राज्य स्तर पर उर्वरकों की उपलब्धता की निगरानी करती है और राज्य

सरकारें राज्य के अंदर इसके वितरण के लिए जिम्मेवार होती हैं।

वर्ष 2007-08 से 2010-11 (अप्रैल से जुलाई) के दौरान आन्ध्र-प्रदेश सहित राज्यवार उर्वरकों की आवश्यकता (मांग), उपलब्धता और बिक्री को विवरण I से IV में दर्शाया गया है। जैसा कि देखा जा सकता है, मौजूदा खरीफ मौसम '10 (अप्रैल '10 से जुलाई '10) के दौरान आन्ध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों में यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी. और एन.पी.के. की आपूर्ति (उपलब्धता) पर्याप्त रही है।

विवरण-I

वर्ष 2007-08 (अप्रैल से जुलाई) के दौरान उर्वरकों की राज्यवार संचयी मांग, उपलब्धता और बिक्री

(आंकड़े 000' मी.टन में)

2007-08	यूरिया			डी.ए.पी.			एम.ओ.पी.		
राज्य	मांग	उपलब्धता	बिक्री	मांग	उपलब्धता	बिक्री	मांग	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	585.00	709.74	475.44	180.00	200.87	181.32	100.00	100.56	62.69
कर्नाटक	450.00	441.84	380.87	280.00	219.81	211.24	119.00	162.53	114.42
केरल	51.00	46.22	44.69	11.76	9.36	9.01	46.00	42.70	39.81
तमिलनाडु	264.00	238.22	174.17	132.70	73.90	69.99	134.00	172.00	126.95
गुजरात	490.00	553.23	498.32	214.00	245.66	188.61	48.00	52.23	49.08
मध्य प्रदेश	325.00	383.10	294.35	260.00	200.32	171.43	36.00	34.08	20.89
छत्तीसगढ़	253.00	279.93	253.43	60.95	81.63	72.67	36.10	29.82	25.26
महाराष्ट्र	1000.00	884.26	849.93	340.00	259.88	256.13	100.00	126.20	111.74
राजस्थान	298.00	356.21	299.92	115.00	117.69	97.68	3.56	7.83	4.54
हरियाणा	585.00	640.76	571.14	119.00	134.45	113.17	18.00	11.67	7.69
पंजाब	1060.00	966.64	910.70	185.00	156.10	130.47	50.00	28.53	19.20
उत्तर प्रदेश	2000.00	1595.60	1318.62	410.00	307.34	205.78	115.00	47.70	25.21
उत्तरांचल	90.00	101.79	93.88	8.20	7.25	5.01	5.00	1.27	1.23
हिमाचल प्रदेश	32.00	31.41	29.62	0.06	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	70.66	66.59	52.46	43.17	9.82	9.78	14.13	3.66	2.94
बिहार	510.00	490.37	375.39	142.00	93.46	73.80	55.00	27.81	19.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
झारखण्ड	77.00	52.58	43.53	40.50	45.72	41.40	5.00	3.61	1.59
उड़ीसा	173.00	144.81	109.68	42.50	86.76	56.51	33.60	48.49	38.70
पश्चिम बंगाल	253.00	301.93	203.73	143.00	145.64	117.65	80.00	89.67	67.12
असम	61.60	76.11	66.13	13.20	3.67	3.67	20.80	22.98	16.30
अखिल भारत योग	8683.80	8361.34	7046.00	2755.67	2399.33	2015.32	1027.85	1013.34	754.86

विवरण-II

वर्ष 2008-09 (अप्रैल से जुलाई) के दौरान उर्वरकों की राज्यवार संचयी मांग, उपलब्धता और बिक्री

(आंकड़े 000' मी.टन में)

2008-09	यूरिया			डी.ए.पी.		
राज्य	मांग	उपलब्धता	बिक्री	मांग	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	520.00	738.76	477.79	210.00	265.25	260.79
कर्नाटक	420.00	461.83	360.37	294.00	287.89	277.45
केरल	49.84	67.89	66.52	13.14	8.25	8.24
तमिलनाडु	270.00	304.42	273.88	112.00	116.63	116.56
गुजरात	570.00	516.32	458.52	252.00	286.60	277.27
मध्य प्रदेश	425.00	403.05	305.80	305.00	316.96	271.94
छत्तीसगढ़	436.50	299.55	247.92	121.50	112.98	110.43
महाराष्ट्र	928.70	988.43	856.11	378.20	376.26	359.60
राजस्थान	333.00	388.85	302.59	130.00	189.59	180.26
हरियाणा	650.00	571.47	511.40	136.00	188.56	180.14
पंजाब	1050.00	872.49	812.62	145.00	207.10	204.59
उत्तर प्रदेश	2100.00	1760.24	1450.89	260.00	309.84	288.11
उत्तरांचल	90.00	96.80	85.95	10.00	11.26	9.26
हिमाचल प्रदेश	36.00	36.46	34.27	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
जम्मू और कश्मीर	61.55	56.71	50.99	36.88	22.09	21.82
बिहार	510.00	535.17	390.27	120.00	123.60	112.49
झारखंड	67.10	61.50	53.69	50.00	36.88	34.92
उड़ीसा	135.00	165.03	103.38	68.00	76.93	68.13
पश्चिम बंगाल	251.19	346.42	230.01	127.00	126.17	117.90
असम	76.80	70.74	68.26	37.12	2.18	0.85
अखिल भारत योग	8980.68	8742.13	7140.87	2805.84	3065.02	2900.75

(आंकड़े 000' मी.टन में)

2008-09	एम.ओ.पी.			एन.पी.के.		
राज्य	मांग	उपलब्धता	बिक्री	मांग	उपलब्धता	बिक्री
1	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	95.00	117.93	109.83	526.00	406.65	390.80
कर्नाटक	149.00	169.43	162.07	349.00	282.64	267.70
केरल	47.00	56.68	55.74	65.64	63.91	62.65
तमिलनाडु	126.00	185.97	182.04	104.00	75.36	72.94
गुजरात	55.80	65.16	63.32	170.90	169.22	134.32
मध्य प्रदेश	59.00	65.88	38.72	242.00	92.49	87.18
छत्तीसगढ़	55.80	48.93	46.82	87.85	69.62	69.28
महाराष्ट्र	123.80	181.65	167.47	767.20	425.57	415.28
राजस्थान	6.60	13.04	5.41	51.00	25.68	24.07
हरियाणा	12.00	11.70	11.63	15.70	11.53	11.30
पंजाब	50.00	42.23	32.68	22.00	22.04	21.81
उत्तर प्रदेश	80.00	80.81	79.85	233.41	148.50	132.19
उत्तरांचल	5.60	2.03	1.98	16.25	17.31	14.22
हिमाचल प्रदेश	0.40	0.00	0.00	8.80	5.50	5.48

1	8	9	10	11	12	13
जम्मू और कश्मीर	15.65	3.78	3.71	0.00	0.00	0.00
बिहार	35.00	76.90	61.80	120.50	61.94	52.00
झारखण्ड	5.00	4.14	3.30	14.45	14.05	12.79
उड़ीसा	40.00	56.07	49.29	126.37	95.95	86.56
पश्चिम बंगाल	83.97	145.84	137.25	176.30	141.23	133.74
असम	35.84	18.51	17.25	9.60	0.00	0.00
अखिल भारत योग	1081.46	1346.68	1230.16	3106.97	2129.19	1994.31

विवरण-III

वर्ष 2009-10 (अप्रैल से जुलाई) के दौरान उर्वरकों की राज्यवार संचयी मांग, उपलब्धता और बिक्री

(आंकड़े 000' मी.टन में)

2009-10	यूरिया			डी.ए.पी.		
राज्य	मांग	उपलब्धता	बिक्री	मांग	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	640.00	618.20	479.21	315.00	466.08	397.14
कर्नाटक	400.00	404.26	389.70	313.30	496.50	457.37
केरल	65.75	53.81	50.41	13.00	16.86	15.16
तमिलनाडु	275.00	243.09	237.20	110.00	141.47	138.84
गुजरात	526.50	562.58	526.55	309.40	409.07	352.53
मध्य प्रदेश	442.00	379.44	336.55	342.00	437.45	378.89
छत्तीसगढ़	435.50	257.33	242.80	121.50	162.32	150.57
महाराष्ट्र	835.83	835.36	816.47	396.89	802.02	788.40
राजस्थान	324.00	331.07	276.28	191.00	239.91	216.86
हरियाणा	600.00	495.22	464.23	200.00	277.27	262.10
पंजाब	960.00	792.10	759.27	200.00	271.61	253.53
उत्तर प्रदेश	2100.00	1566.98	1245.54	300.00	598.54	521.34

1	2	3	4	5	6	7
उत्तरांचल	85.50	82.23	71.91	8.70	21.61	20.07
हिमाचल प्रदेश	35.00	24.59	22.29	0.00	2.65	2.65
जम्मू और कश्मीर	61.55	40.77	38.18	34.38	21.01	20.96
बिहार	490.00	427.27	350.42	145.00	98.29	91.47
झारखण्ड	73.00	54.83	40.12	47.50	35.31	32.55
उड़ीसा	170.00	136.32	115.33	79.00	107.30	87.79
पश्चिम बंगाल	247.10	266.18	221.45	142.50	173.47	150.59
असम	76.80	89.24	88.91	9.60	9.81	9.26
अखिल भारत योग	8843.53	7660.87	6772.82	3278.77	4788.55	4348.07

(आंकड़े 000' मी.टन में)

2009-10	एम.ओ.पी.			एन.पी.के.		
राज्य	मांग	उपलब्धता	बिक्री	मांग	उपलब्धता	बिक्री
1	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	135.00	125.22	108.11	660.00	553.53	496.42
कर्नाटक	162.00	166.30	160.98	360.40	349.70	335.15
केरल	55.40	61.22	55.32	73.75	82.30	80.56
तमिलनाडु	182.00	120.57	116.49	115.00	185.97	178.01
गुजरात	69.60	73.04	72.97	139.50	132.97	114.33
मध्य प्रदेश	58.80	38.82	35.76	187.00	54.38	49.05
छत्तीसगढ़	60.80	44.79	44.75	90.00	49.69	47.86
महाराष्ट्र	156.52	208.62	207.85	685.71	369.36	355.16
राजस्थान	7.30	14.61	12.61	52.95	13.10	12.48
हरियाणा	18.00	18.91	18.90	17.00	5.63	5.19
पंजाब	36.00	23.72	23.72	20.00	6.33	4.38

1	8	9	10	11	12	13
उत्तर प्रदेश	80.00	57.86	57.26	225.00	124.63	108.83
उत्तरांचल	4.50	0.02	0.02	24.50	4.61	4.56
हिमाचल प्रदेश	0.25	0.00	0.00	7.80	7.45	5.71
जम्मू और कश्मीर	9.14	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
बिहार	65.00	47.01	46.20	127.50	85.02	82.31
झारखण्ड	3.50	5.86	5.86	16.50	21.00	21.00
उड़ीसा	77.00	51.05	46.92	125.30	128.20	105.52
पश्चिम बंगाल	80.97	92.69	88.10	176.65	232.68	226.72
असम	35.84	28.07	23.88	3.52	4.89	4.89
अखिल भारत योग	1297.62	1178.88	1126.20	3108.08	2411.44	2238.14

विवरण-IV

वर्ष 2010-11 (अप्रैल से जुलाई) के दौरान उर्वरकों की राज्यवार संचयी मांग, उपलब्धता और बिक्री

(आंकड़े 000' मी.टन में)

2010-11	यूरिया			डी.ए.पी.		
राज्य	आवश्यकता	*उपलब्धता	**बिक्री	आवश्यकता	*उपलब्धता	**बिक्री
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	655.00	753.12	678.33	325.00	440.87	431.12
कर्नाटक	405.00	468.29	460.02	480.00	481.19	464.88
केरल	55.75	52.94	50.26	15.20	17.75	17.42
तमिलनाडु	275.00	236.90	236.03	112.00	78.07	76.64
गुजरात	565.00	590.14	585.79	360.00	303.15	294.58
मध्य प्रदेश	417.60	419.58	409.14	400.00	376.50	340.26
छत्तीसगढ़	430.25	273.48	269.68	205.00	182.40	176.79
महाराष्ट्र	880.00	913.08	905.93	720.00	676.76	664.34
राजस्थान	327.00	301.76	271.18	195.00	200.72	195.60

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	585.00	565.18	550.44	200.00	276.62	267.08
पंजाब	950.00	1044.97	1036.08	330.00	278.60	268.18
उत्तर प्रदेश	30.00	29.07	28.88	0.00	0.00	0.00
उत्तरांचल	66.92	71.93	69.19	43.45	31.56	28.31
हिमाचल प्रदेश	1810.00	1610.65	1363.52	640.00	477.19	447.57
जम्मू और कश्मीर	92.00	90.18	84.13	21.35	8.41	6.23
बिहार	490.00	424.26	384.47	145.00	103.56	92.64
झारखण्ड	73.00	56.40	49.94	49.00	26.93	24.37
उड़ीसा	155.00	129.44	110.49	95.00	110.97	98.81
पश्चिम बंगाल	240.10	307.34	267.97	168.54	144.73	130.25
असम	79.20	123.23	118.04	11.77	10.64	7.64
अखिल भारत योग	8648.03	8480.74	7947.19	4533.91	4229.26	4038.41

(आंकड़े 000' मी.टन में)

2010-11	एम.ओ.पी.			एन.पी.के.		
राज्य	आवश्यकता	*उपलब्धता	**बिक्री	आवश्यकता	*उपलब्धता	**बिक्री
1	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	125.00	111.23	89.24	540.00	646.87	458.31
कर्नाटक	166.00	142.37	127.84	417.10	483.78	78.87
केरल	60.20	64.24	59.75	92.50	85.60	161.11
तमिलनाडु	182.00	107.44	102.70	127.00	167.34	184.63
गुजरात	70.00	59.62	56.33	139.50	206.46	126.62
मध्य प्रदेश	37.10	60.14	47.17	90.40	130.02	64.77
छत्तीसगढ़	72.00	45.65	41.67	83.17	67.65	622.70
महाराष्ट्र	205.00	191.73	172.17	592.40	632.66	38.42
राजस्थान	17.50	18.23	11.97	39.30	39.47	29.38

1	8	9	10	11	12	13
हरियामा	21.00	26.02	21.69	17.00	36.99	30.60
पंजाब	36.00	38.15	24.67	20.00	34.44	6.47
उत्तर प्रदेश	0.35	0.00	0.00	8.00	6.52	0.00
उत्तरांचल	14.53	0.94	0.93	0.00	0.00	442.24
हिमाचल प्रदेश	90.00	61.25	35.61	365.00	477.94	33.36
जम्मू और कश्मीर	4.50	1.77	1.53	14.00	37.56	79.12
बिहार	65.00	48.01	37.71	115.00	91.73	12.83
झारखण्ड	7.00	3.61	3.61	27.50	14.96	99.93
उड़ीसा	62.00	50.36	42.46	120.00	110.42	207.56
पश्चिम बंगाल	80.97	68.25	61.35	201.05	214.91	4.50
असम	39.60	26.37	25.45	3.39	4.60	10.41
अखिल भारत योग	1370.05	1126.60	965.26	3027.54	3500.42	3007.72

*खरीफ 10 की आवश्यकता की तुलना में मार्च, 10 के दौरान रखे गये यूरिया स्टॉक की 5.88 एल.एम.टी. बिक्री सहित।

*खरीफ 10 की आवश्यकता की तुलना में मार्च, 10 के दौरान रखे गये डी.ए.पी. स्टॉक की 3.55 एल.एम.टी. लाख मी.टन बिक्री सहित।

**खरीफ की आवश्यता की तुलना में मार्च, 10 के दौरान रखे गए एन.पी.के. स्टॉक 5.23 लाख मी.टन बिक्री सहित।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक वर्गों की महिलाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण शिविर

4973. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के पाली जिले में अल्पसंख्यक वर्गों की महिलाओं के लिए कितने व्यावसायिक तथा कंप्यूटर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया तथा इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) राजस्थान में आयोजित किए गए ऐसे शिविरों का जिले-वार ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा राजस्थान माइनोरिटीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन नामक राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के माध्यम से राजस्थान के पाली जिले में अब तक कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं लगाया गया है।

(ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा राजस्थान माइनोरिटीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन के माध्यम से राजस्थान के जिलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया:-

वर्ष	जिले	ट्रेड
2007-08	डुंगरपुर	कम्प्यूटर प्रशिक्षण
2008-09	शून्य	-

वर्ष	जिले	ट्रेड
2009-10	सीकर	कम्प्यूटर फाइनेन्शल एकाउन्टिंग
2009-10	टोंक	इलेक्ट्रीशियन मोटर-वाइंडिंग, डीजल पम्पसेट रिपेयरिंग

[अनुवाद]

लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना

4974. श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विस्तार-कार्यक्रम के अंतर्गत देश में और अधिक लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अमरेली, राजकोट, पोरबंदर, भड़ौच, सूरत, मेहसाना और हिम्मतनगर में लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने हेतु कितने लाइसेंस जारी तथा स्वीकृत किए गए और इन्हें किस आधार पर जारी किया गया; और

(ग) इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए राज्य में लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) और (ग) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार इस्पात उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है तथा इसे कतिपय स्थानीय प्रतिबंधों के अध्यधीन सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से हटा दिया गया है। इसलिए औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है तथा उद्यमी प्रतिबंधित स्थानों को छोड़कर, देश में कहीं भी, अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर ऐसे संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। देश में इस्पात क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार की भूमिका एक सुविधा प्रदाता की है।

(ख) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी.आई.पी.पी.) द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान सूरत, मेहसाना, राजकोट, अमरोली, भरोच, पोरबंदर तथा हिम्मतनगर जिलों के लिए लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

कम्पनी सचिवों की नियुक्ति

4975. श्री उदय प्रताप सिंह: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी कम्पनियों, जिन्होंने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 383क के अंतर्गत पांच करोड़ रुपए या अधिक की अंशपूंजी निविष्ट की है, को अनिवार्यतः कम्पनी सचिवों की नियुक्ति करनी होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में कई सरकारी तथा निजी कम्पनियां अभी भी कम्पनी सचिवों के बिना ही अपना कामकाज कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो देश में वर्ष 2008-2009 तथा 2009-2010 के दौरान कितनी कम्पनियां कम्पनी अधिनियम की उक्त धारा का उल्लंघन करती पाई गईं तथा उनका कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान किन-किन त्रुटिकर्ता कम्पनियों के विरुद्ध कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा कार्रवाई की गई; और

(ङ) कम्पनियों द्वारा इस प्रकार के उल्लंघन की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) जब कभी किसी कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 383क के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला सामने आता है, तो कम्पनी एवं चूककर्ता निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। कारण बताओ नोटिसों के जवाबों पर विचार करने के बाद आधिकारिक न्यायालय में अभियोजन दायर किए जाते हैं। यद्यपि कुछ कम्पनियां खराब वित्तीय स्थिति, कारोबार बंद होने, सुदूर क्षेत्रों में योग्य कम्पनी सचिवों की गैर-उपलब्धता के कारण पूर्णकालिक कम्पनी सचिवों की नियुक्ति नहीं करती हैं, परंतु अभियोजन नियमित रूप से वर्ष दर वर्ष आधार पर दायर किए जाते हैं। वर्ष 2008-09 के

दौरान अधिनियम की धारा 383क का अनुपालन नहीं करने पर 52 कम्पनियों के विरुद्ध अभियोजन दायर किए गए। वर्ष 2009-10 में 39 कम्पनियों के विरुद्ध अभियोजन दायर किए गए हैं। इसके अलावा, वर्ष 2009-10 के दौरान 210 कम्पनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

लौह तथा इस्पात उद्योगों की स्थापना

4976. श्री दिलीप सिंह जूदेवः क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र के अलावा और कितने लौह तथा इस्पात उद्योग स्थापित हैं तथा ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) ये उद्योग किस प्रकार के हैं तथा प्रत्येक इकाई की उत्पादन-क्षमता कितनी है;

(ग) ऐसे प्रत्येक उद्योग के लिए कितनी भूमि अर्जित की गई है तथा प्रत्येक में कितने कामगार कार्यरत हैं; और

(घ) आज की स्थिति के अनुसार, राज्य में निर्माणाधीन तथा निर्माण हेतु प्रस्तावित ऐसे संयंत्रों की उत्पादन-क्षमता व लागत कितनी है तथा इनका स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क), (ख) और (घ) भारत सरकार ने देश में इस्पात यूनिटों की स्थापना हेतु किसी इस्पात निवेशक के साथ कोई समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित नहीं किया है। तथापि, कुछ राज्य सरकारों ने अपने संबंधित राज्यों में इस्पात यूनिटों की स्थापना के संबंध में विभिन्न भावी इस्पात निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों में भूमि, खनिज संसाधन और अन्य सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान करने हेतु संबंधित सरकारों के इरादे शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में लौह एवं इस्पात संयंत्रों की स्थापना हेतु हस्ताक्षरित किए गए समझौता ज्ञापनों के ब्यौरे कंपनियों के नाम सहित तथा परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति परियोजनावार इस्पात मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अभिलेख के अनुसार संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) चूंकि परियोजनाएं अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं इसलिए इनके ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

उन लौह एवं इस्पात संयंत्र परियोजनाओं की सूची जिनके लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं

क्र. सं.	कंपनी का नाम	स्थान	क्षमता एम.टी.पी.ए.	निवेश करोड़ रुपए	समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होने की तारीख	वर्तमान स्थिति और प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै. जिन्दल औरगेनाइजेशन	रायगढ़	इस्पात 0.205 इस्पात उत्पाद 0.205	1900.00	21-5-2001	आंशिक रूप से चालू
2.	मै. मौनेट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज	रायगढ़ और रायपुर	क. स्पंज लोहा 0.6 ख. इस्पात 0.9	1160.00	21-5-2001	आंशिक रुप से चालू
3.	मै. भूषण लिमिटेड	रायगढ़	इस्पात उत्पाद-1.2	2285.00	11-7-2001	समझौता ज्ञापन रद्द किया गया
4.	मै. एम.एस.पी. स्टील एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड	रायगढ़	क. स्पंज लोहा 0.4 ख. इस्पात-0.21	173.59	3-2-2003	आंशिक रूप से चालू

1	2	3	4	5	6	7
5.	मै. सुनील स्पंज आयरन लिमिटेड	रायगढ़	क. स्पंज लोहा 0.09 ख. इस्पात-0.1	105.11	3-2-2003	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
6.	मै. वीसा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रायगढ़	रायगढ़ और कोरबा	क. स्पंज लोहा 0.45 ख. इस्पात-0.2	1015.00	5-3-2003	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
7.	मै. इण्डि एग्रो सिनरजी लिमिटेड	रायगढ़	स्पंज लोहा और इस्पात बेल्लट-0.4	413.00	5-3-2003	आंशिक रूप से चालू
8.	मै. सनविजय रोलिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	रायगढ़	स्पंज लोहा-0.32	465.00	21-4-2003	समझौता ज्ञापन रद्द किया गया
9.	मै. अन्जानी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड	रायगढ़	क. स्पंज लोहा 0.18 ख. इस्पात-0.15	185.00	17-7-2003	आंशिक रूप से चालू
10.	मै. अगियो इंड. प्रा. लि.	रायगढ़	क. स्पंज लोहा 0.099 ख. इस्पात गलनशाला 0.024	180.00	29-8-2003	समझौता ज्ञापन रद्द किया गया
11.	मै. सुपिरियर स्पंज प्राइवेट लिमिटेड	दुर्ग	क. स्पंज लोहा 0.2 ख. इस्पात गलनशाला-0.3 ग. कच्चा लोहा 0.15 घ. रोलिंग मिल-0.225	330.00	29-8-2003	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
12.	मै. नवभारत ग्रुप ऑफ कंपनीस	बस्तर, कोरबा, रायपुर	क. स्पंज लोहा-0.5	1460.00	8-9-2003	आंशिक रूप से चालू
13.	मै. अक्ष्य इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	राजनंदगांव	क. स्पंज लोहा 0.09 ख. प्रेरण भट्टी इकाई-0.105	115.00	8-9-2003	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
14.	मै. वंदना एनर्जी एंड स्टील प्रा. लि.	रायपुर, कोरबा	क. स्पंज लोहा 0.15	145.0	08-09-2003	समझौता ज्ञापन रद्द किया गया
15.	मै. श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड	रायपुर	क. स्पंज लोहा 0.09 ख. कच्चा लोहा 0.06	130.0	08-09-2003	आंशिक रूप से चालू
16.	मै. नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज लि.	दुर्ग	क. स्पंज लोहा 0.15 ख. इस्पात गलनशाला-0.15	150.00	8-9-2003	समझौता ज्ञापन रद्द किया गया
17.	मै. आर्यन इस्पात एंड पॉवर प्रा. लि.	रायपुर	क. स्पंज लोहा 0.46 ख. इस्पात बेल्लट-0.348	860.00	16-8-2004	समझौता ज्ञापन रद्द किया गया

1	2	3	4	5	6	7
18.	मै. गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड	रायपुर	क. स्पंज लोहा 0.65 ख. इस्पात बेल्लट/ इंगाट-0.55	493.00	16-8-2004	आंशिक रूप से चालू
19.	मै. अलायंस इंटीग्रेटेड मैटालिक लि.	रायपुर	क. स्पंज लोहा-0.2 ख. लघु इस्पात संयंत्र-0.15	475.00	16-8-2004	समझौता ज्ञापन रद्द किया गया
20.	मै. वंदना ग्लोबल लिमिटेड	रायपुर	क. स्पंज लोहा 0.351 ख. भट्टी (इंगाट/बेल्लट)-0.16752	426.00	16-8-2004	आंशिक रूप से चालू
21.	मै. एस.के.एस. इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	रायपुर	क. स्पंज लोहा 0.27 ख. इस्पात गलनशाला-0.21	295.47	16-8-2004	आंशिक रूप से चालू
22.	मै. मैगनम स्टील लि.	दुर्ग	क. स्पंज लोहा 0.3 ख. सेमी तथा रोल्ड उत्पाद-0.3	212.00	16-8-2004	समझौता ज्ञापन रद्द किया गया
23.	मै. जी.पी.टी. मैटल इंडस्ट्रीज लि.	बिलासपुर	क. स्पंज लोहा-0.105 ख. प्रेरण भट्टी-0.06	139.00	16-8-2004	समझौता ज्ञापन रद्द किया गया
24.	मै. बी.ई.सी. प्रोजेक्ट लि.	दुर्ग	स्पंज लोहा-0.135	129.00	16-8-2004	समझौता ज्ञापन रद्द किया गया
25.	मै. छत्तीसगढ़ आयरन एंड स्टील कंपनी लि.	दुर्ग/रायगढ़	क. स्पंज लोहा 0.105 ख. इस्पात गलनशाला-0.1	115.65	16-8-2004	समझौता ज्ञापन रद्द किया गया
26.	मै. मेघा पावर्स बिल्डर्स प्रा. लि.	दुर्ग/रायगढ़	क. स्पंज लोहा 0.105 ख. इस्पात गलनशाला-0.1	115.00	16-8-2004	समझौता ज्ञापन रद्द किया गया
27.	मै. आनंद इस्पात उद्योग प्रा. लि.	दांतेवाड़ा	क. स्पंज लोहा 0.115 ख. प्रेरण भट्टी एवं कनकॉस्ट-0.13	110.00	16-8-2004	समझौता ज्ञापन रद्द किया गया
28.	मै. फेरल इंजीनियरिंग लि.	छत्तीसगढ़	क. स्पंज लोहा 0.2 ख. इस्पात गलनशाला-0.01	100.00	13-9-2004	समझौता ज्ञापन रद्द किया गया
29.	मै. जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड	रायगढ़	क. इस्पात गलनशाला 1.25	2595.00	07-1-2005	आंशिक रूप से चालू

1	2	3	4	5	6	7
			ख. धमन भट्टी 1.25 ग. वायर रॉड/रोलिंग मिल 0.7			
30.	मै. छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रीसिटी कं. लिमिटेड	रायपुर	क. स्पंज लोहा 0.6 ख. इस्पात संयंत्र 1.0	2010.00	7-1-2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
31.	मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	चम्पा	क. स्पंज लोहा 0.4 ख. इस्पात गलनशाला-0.9 ग. कच्चा लो॰ा 0.25 घ. वायर/पावर रॉड मिल 0.6	1017.00	7-1-2005	आंशिक रूप से चालू
32.	मै. बिग बोस, स्टील एंड अलॉयज लि.	जिंजगिर, चंपा	-	700.00	07-01.2005	समझौता ज्ञापन रद्द किया गया
33.	मै. वसुंधरा स्टील एंड पॉवर लि.	बिलासपुर	एकीकृत इस्पात संयंत्र-0.4	465.00	07-01-2005	समझौता ज्ञापन रद्द किया गया
34.	मै. रैक्सोन स्ट्रिप्स लि.	बिलासपुर	एकीकृत इस्पात संयंत्र-0.40	465.00	07-01-2005	समझौता ज्ञापन रद्द किया गया
35.	मै. छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पावर	जंजगीर, चम्पा	स्पंज लोहा 0.38	464.88	07-01-2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
36.	मै. पुष्प स्टील एण्ड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	बोराई ग्रोथ सेंटर, दुर्ग	स्पंज लोहा 0.315	380.00	07-01-2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
37.	मै. सालासार स्पंज एंड पावर लिमिटेड	रायगढ	क. स्पंज लोहा 0.165 ख. इस्पात-0.1	287.51	7-1-2005	आंशिक रूप से चालू
38.	मै. श्री राधे इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	बिलासपुर	क. स्पंज लोहा 0.26 ख. इस्पात गलनशाला-0.05	232.50	7-1-2005	आंशिक रूप से चालू
39.	मै. सत्यार्थ स्टील एण्ड पावर लिमिटेड	रायपुर	क. स्पंज लोहा 0.22 ख. प्रेरण भट्टी-0.182 ग. री-रोलड उत्पाद 0.0314	175.00	7-1-2005	आंशिक रूप से चालू
40.	मै. ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पांवरटेक प्राइवेट लिमिटेड	रायपुर	क. स्पंज लोहा 0.315 ख. इस्पात ईंगाट 0.0864	158.00	7-1-2005	आंशिक रूप से चालू

1	2	3	4	5	6	7
41.	मै. टॉपवार्थ स्टील प्राइवेट लिमिटेड	बोरई ग्रोथ सेंटर दुर्ग	क. स्पंज लोहा-0.21 ख. इस्पात गलनशाला-0.1	129.00	7-1-2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
42.	मै. श्री श्याम ग्लोबल प्रा. लि.	रायपुर	क. स्पंज लोहा 0.165 ख. प्रेरण भट्टी-0.072 ग. री-रोलड उत्पाद 0.06	124.00	7-1-2005	समझौता ज्ञापन रद्द किया गया
43.	मै. क्रेस्ट स्टील एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड	दुर्ग	स्पंज लोहा 0.231	116.5	07-01-2005	आंशिक रूप से चालू
44.	मै. बालाजी विद्युत स्पंज आयरन	रायपुर	स्पंज लोहा 0.06	105.01	7-1-2005	समझौता ज्ञापन रद्द किया गया
45.	मै. टैक्सास पॉवर जैन	बिलासपुर	क. स्पंज लोहा 0.72 ख. प्रेरण भट्टी-0.216 ग. रोलिंग मिल-0.216	5550.00	22-5-2005	समझौता ज्ञापन रद्द किया गया
46.	मै. टाटा स्टील	बस्तर	इंटीग्रेटिड इस्पात संयंत्र-5.00	10000.00 (अनुमानित)	4-6-2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
47.	मै. एस्सार स्टील छत्तीसगढ़ लिमिटेड	बस्तर	इंटीग्रेटिड इस्पात संयंत्र-3.2	7000.00 (अनुमानित)	5-7-2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
48.	मै. इण्ड सिनरजी लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	रायगढ़	स्पंज लोहा 0.40	960.00	06-10-2006	आंशिक रूप से चालू
49.	मै. श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	रायपुर	स्पंज लोहा 0.60 धमन भट्टी 0.231	1400.00	06-10-2006	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
50.	मै. एस.के.एस. इस्पात लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	रायपुर	स्पंज लोहा 0.33 लघु धमन भट्टी 0.5	1175.00	06-10-2006	आंशिक रूप से चालू है
51.	मै. रायपुर एलॉय एण्ड स्टील लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	रायपुर	स्पंज लोहा 0.50 इस्पात 0.24	720.00	06-10-2006	आंशिक रूप से चालू है
52.	मै. श्री बजरंग मैटेलिक एण्ड पावर लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	रायपुर	कच्चा लोहा 0.060	109.41	21-10-2006	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6	7
53.	मै. राजेश स्ट्रिप्स लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	रायपुर	इस्पात गलनशाला 0.30	120.00	18-05-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
54.	मै. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	रायगढ़	धमन भट्टी 0.32	8000.00	18-05-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
55.	मै. भूषण पावर एण्ड स्टील लिमिटेड	राजनंदगांव	इंटीग्रेटेड इस्पात मेकिंग फैसिलिटी 1.2	5500.00	06-10-2006	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
56.	मै. मोन्नेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	नाहारपल्ली रायगढ़	धमन भट्टी 1.0 स्पंज लोहा कैपटिव प्रयोग के लिए 0.40	2087.00	04-05-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
57.	मै. वंदना इस्पात लिमिटेड	बोरई, दुर्ग, अनजोरा, राजनंदगांव	इंटीग्रेटिड इस्पात संयंत्र 0.83 इस्पात गलनशाला 0.75	1310.00	04-05-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
58.	मै. टॉपवार्थ स्टील प्राइवेट लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	बोरई, दुर्ग	धमन भट्टी 0.50	1225.74	04-05-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
59.	मै. एम.एस.पी. स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	रायगढ़	कच्चा लोहा 0.40 केपटिव प्रयोग के लिए स्पंज लोहा 0.3	1400.00	04-05-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
60.	मै. सालासार स्पंज एण्ड पावर लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	रायगढ़	इस्पात संयंत्र 0.10	230.00	04-05-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
61.	मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	चम्पा, जनजगीर	इस्पात संयंत्र 1.2	2145.00	18-06-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
62.	मै. सिंघल एनटर-प्राइजेज (विस्तारित प्रोजेक्ट)	रायगढ़	स्पंज लोहा 0.2 इस्पात 0.3	500.00	23-06-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
63.	मै. अंजानी स्टील प्राइवेट लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	रायगढ़	इंटीग्रेटिड इस्पात संयंत्र 0.25	410.00	02-08-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6	7
64.	मै. एच.इ.जी. लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	दुर्ग	स्पंज लोहा 0.35	280.00	02-08-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
65.	मै. मंगल स्पंज एण्ड स्टील लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	बिलासपुर	स्पंज लोहा 0.12	445.00	02-08-2007	आंशिक रूप से चालू है
66.	मै. एस.के. सरवागी एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	बिलासपुर	स्पंज लोहा 0.21 इस्पात 0.15	330.00	02-08-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
67.	मै. आरती स्पंज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड	-	स्पंज लोहा 0.105 इस्पात गलनशाला 0.09	305.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
68.	मै. ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड	-	स्पंज लोहा 0.525	1000	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
69.	मै. जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	-	डी.आर.आई. संयंत्र 0.6 इस्पात गलनशाला 1.0	1450.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
70.	मै. बलदेव एलाय प्राइवेट लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	-	स्पंज लोहा 0.54 एस.एम.एस. संयंत्र 0.2	430.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
71.	मै. क्रेस्ट स्टील एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	-	स्पंज लोहा 0.75 इस्पात गलनशाला 0.5 इ.ए.एफ. 0.32	1536.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
72.	मै. गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड	-	डी.आर.आई. 0.6 इस्पात बेल्लट 0.6	1570.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
73.	मै. जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	ग्राम सरायपल्ली, कोसमपल्ली, धानागर, रायगढ़	डी.आर.आई. 5.1	18300.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
74.	मै. खेतान स्पंज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	-	स्पंज लोहा 0.09 प्रेरण भट्टी 0.06	209.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
75.	मै. नाल्वा स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	ग्राम तराईपल्ली, रायगढ़	डी.आर.आई. (कोयले पर आधारित) 0.33 इस्पात गलनशाला	3100.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6	7
			0.336 डी.आर.आई. (गैस पर आधारित)- 2.0			
76.	मै. जयसवाल नेक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	-	स्पंज लोहा 0.6 इस्पात बेल्लट 0.7	2020.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
77.	मै. नोवा आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	बिलासपुर	स्पंज लोहा 0.6	606.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
78.	मै. रायपुर पावर एण्ड स्टील लिमिटेड	-	स्पंज लोहा 0.135 प्रेरण भट्टी 0.09	135.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
79.	मै. रश्मि इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	-	स्पंज लोहा 0.315 इस्पात गलनशाला 0.21	550.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
80.	मै. रियल इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	-	स्पंज लोहा 0.30	720.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
81.	मै. आर.एल. स्टील एण्ड एनर्जी लिमिटेड	-	स्पंज लोहा 0.4	293.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
82.	मै. सत्या पावर एण्ड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	-	स्पंज लोहा 0.24	376.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
83.	मै. श्री श्याम स्पंज एण्ड पावर लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	-	स्पंज लोहा 0.135	205.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
84.	मै. एस.के.एस. इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड	-	स्पंज लोहा 1.2 धमन भट्टी 0.27	3611.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
85.	मै. सूर्या ग्लोबल स्टील एण्ड जैन पावर लिमिटेड	-	डी.आर.आई. 1.4 पी.सी.एम. के साथ धमन भट्टी 0.6	3000.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
86.	मै. वीसा स्टील लिमिटेड	-	सिंटर के साथ धमन भट्टी 1.5 स्पंज लोहा 1.0	4750.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
87.	मै. एन.एम.डी.सी. लिमिटेड	-	इंटीग्रेटिड इस्पात संयंत्र 3.00	10000.00	03-09-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6	7
88.	मै. के. एनर्जी लिमिटेड	-	स्पंज लोहा 0.21 प्रेरण भट्टी 0.192	469.00	12-09-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
89.	मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	-	धमन भट्टी 1.15 स्पंज लोहा 1.6 इस्पात गलनशाला 2.0	2750.00	12-09-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
90.	मै. सिंघल स्टील प्राइवेट लिमिटेड	-	धमन भट्टी 0.3 स्पंज लोहा 0.2 प्रेरण भट्टी 0.3 ई.ए.एफ. 0.3	700.00	01-10-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
91.	मै. एम.एस.पी. स्टील एण्ड पावर लिमिटेड	-	स्पंज लोहा 0.9 धमन भट्टी 0.7 इस्पात गलनशाला 1.5	4930.00	01-10-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
92.	मै. महेन्द्रा स्पंज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड	-	स्पंज लोहा 0.27 इस्पात बेल्लट 0.15	485.00	01-10-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
93.	मै. हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनीफिकेशन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	-	स्पंज लोहा 0.405 इस्पात गलनशाला 0.216	505.00	03-10-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

[अनुवाद]

ई-टिकटिंग

4977. श्री पी. कुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने अपनी सहायक कंपनी, भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) से रेलों की खान-पान सेवाओं को इस्तगत कर लेने के पश्चात् अब ई-टिकटिंग को भी लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का ई-टिकटिंग के कार्य को रेल सूचना प्रणाली केन्द्र (सी.आर.आई.एस.) को अंतरित कर देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (क्रिस) भारतीय रेल के वेब पोर्टल के लिए साफ्टवेयर एप्लीकेशन का विकास कर रही है जिसके माध्यम से ई-टिकटिंग सहित सभी वाणिज्यिक लेन-देन चैनेलाइज्ड हो जाएंगे।

नई ट्रेनों की शुरुआत

4978. डॉ. संजीव गणेश नाईक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल-बजट 2010 में की गई घोषणा के अनुसार आज की तारीख तक शुरू की गयी नई ट्रेनों का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) शेष ट्रेनों को कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) गाड़ी का प्राइमरी अनुरक्षण करने वाले डिपो के स्थान के आधार पर रेलवे बजट 2010-11 में घोषित निम्नलिखित गाड़ियां 20-08-2010 तक जोन-वार आधार पर शुरू की गई:

(i) मध्य रेलवे द्वारा 88 उपनगरीय गाडियां,

(ii) एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ी, दो जोड़ी मातृभूमि (महिला ई.एम.यू. स्पेशल) और पूर्व रेलवे द्वारा 5 जोड़ी उपनगरीय गाड़ी,

(iii) उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा एक-एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ी,

(iv) उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा दो जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां और एक जोड़ी पैसेंजर गाड़ी,

(v) दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा दो जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां और

(vi) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा एक जोड़ी पैसेंजर गाड़ी।

(ख) और (ग) रेलवे बजट में घोषित गाड़ी सेवाएं वित्त वर्ष के दौरान अर्थात् 2010-11 में चलाई जानी हैं।

चेंगलपट्टू समपार पर ओवरब्रिज

4979. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को दक्षिण रेलवे के अंतर्गत तमिलनाडु के चेंगलपट्टू स्थित समपार पर एक ओवरब्रिज के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इसकी लागत में साझीदारी करने हेतु अपनी सहमति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त ओवरब्रिज कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) लागत की साझेदारी के आधार पर ऊपरी/निचले सड़क पुल द्वारा प्रतिस्थापन के लिए राज्य सरकार ने एक चेंगलपट्टु-पलायासीवरम स्टेशनों के बीच 0/700-800 किमी. पर समपार सं. 1 के स्थान पर और दूसरा चेंगलपट्टु और थिरूमनी स्टेशनों के बीच 61/3-4 किमी. पर समपार सं. 54 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के लिए दो प्रस्ताव प्रायोजित किए गए हैं। ऊपरी सड़क पुलों का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है। समपार सं. 1 पर आर.ओ.बी. कार्य की प्रगति योजना के स्तर पर है और समपार सं. 54 पर आर.ओ.बी. का कार्य 31-03-2011 तक पूरा हो जाएगा।

पनवेल-मडगांव रेलपथ का दोहरीकरण

4980. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का पनवेल से मडगांव तक के रेलपथ को दोहरा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रेलपथ का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) इस मार्ग पर पनवेल-पेन (35 किमी.) तथा पेन-रोहा (40 किमी.) खंडों का दोहरीकरण शुरू किया गया है। रोहा-मडगांव, का दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। पनवेल-पेन का पनवेल-आप्टे खंड और पेन-रोहा का पेन-कासू खंड का दोहरीकरण 2010-11 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और शेष खंडों को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी दो वर्षों में पूरा करने की संभावना है।

रेल-पटरियों की सुरक्षा

4981. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ियां ऐसी रेल-पटरियों पर चल रही हैं जिनमें पैडल बांधने वाली क्लिप नहीं लगी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी नहीं। भारतीय रेलों पर पैन्ड्रोल क्लिप्स (अब

इलास्टिक रेल क्लिप्स कहा जाता है) का उपयोग किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई क्लिप्स गायब न हो, प्रतिदिन रेलपथ पर गश्त लगाई जाती है। बहरहाल, समय-समय पर इलास्टिक रेल क्लिप्स के साथ-साथ ट्रैक फिटिंग्स की चोरी की घटनाएं रिपोर्ट में आई हैं। इनकी व्यवस्था करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाती है।

पंजाब के रेलवे-स्टेशनों का आधुनिकीकरण

4982. डा. रतनसिंह अजनाला: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब के ऐसे रेलवे-स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विकास-कार्य तथा आधुनिकीकरण हेतु चिन्हित किया गया;

(ख) उक्त परियोजनाओं हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित/संस्वीकृत की गई तथा इन पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) अप्रैल, 2007 से पंजाब राज्य से नौ रेलवे स्टेशनों अर्थात् अबोहर, ब्यास, चक्की बैंक, फरीदकोट, गुरदासपुर, जालंधर कैंट, पटियाला, फगवाड़ा तथा सरहिंद को आधुनिक स्टेशन योजना तथा आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत उन्नयन/आधुनिकीकरण करने के लिए पहचान की गयी है। अबोहर, ब्यास, जालंधर कैंट, पटियाला, फगवाड़ा स्टेशनों का उन्नयन/आधुनिकीकरण का कार्य पूरा कर दिया गया है, जबकि चक्की बैंक, सरहिंद, फरीदकोट, गुरदासपुर का उन्नयन/आधुनिकीकरण जून, 2011 तक पूरा करने की योजना है।

स्टेशनों के उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्य योजना शीर्ष 'यात्री सुविधाएं' के अंतर्गत शुरू किया जाता है। पंजाब राज्य उत्तर तथा उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा सेवित है तथा वर्ष 2010-11 के लिए इन रेलों को इस योजना शीर्ष के अंतर्गत क्रमशः 136.45 करोड़ रु. तथा 23.37 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है।

प्रगत विधिक अध्ययन हेतु क्षेत्रीय केन्द्र

4983. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में प्रगत विधिक अध्ययन हेतु पांच क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त क्षेत्रीय केन्द्रों के पास स्वायत्तता संबंधी कोई अधिकार होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) जी हां, विधि और न्याय मंत्रालय ने भारतीय विधिज्ञ परिषद् और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के सहयोग से 1 मई और 2 मई, 2010 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में विधिक शिक्षा में द्वितीय पीढ़ी सुधार के लिए एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया था। उक्त राष्ट्रीय परामर्श में, सारवान ज्ञान प्रदान करने के लिए विधिक अनुसंधान में वृद्धि करने के लिए और सामाजिक उत्तरदायित्व तथा कठोर व्यवसायिक आचारों वाले विधिक व्यवसायी सृजित करने के लिए विधिक शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना करने के लिए और समाज के वंचित वर्गों की पूरी न की गई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संकल्प अंगीकृत किया गया था। संकल्प को ध्यान में रखते हुए, विधि और न्याय मंत्रालय ने, उच्च विधिक अध्ययन तथा अनुसंधान केन्द्र विधेयक, 2010 तैयार किया है जो यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, देश के प्रत्येक क्षेत्र में स्वायत्त अग्रिम विधिक अध्ययन केन्द्र स्थापित करेगी।

(ग) और (घ) उच्च विधिक अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र के स्वायत्त प्रास्थिति होगी।

दिफू-इंफाल रेल लाइन

4984. श्री सी.एम. चांग: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीरू होकर जाने वाली प्रस्तावित दिफू-इंफाल रेल लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) इसमें विलंब होने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पीरू से होकर दिफू और इम्फाल के बीच नई लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता

नासिक विमानपत्तन पर सुविधाएं

4985. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नासिक में हैल्कॉन परियोजना तथा निर्यात केन्द्र की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या नासिक विमानपत्तन 'ओजार' से निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निर्यात केन्द्र परियोजना को नासिक से हटाकर अन्यत्र ले जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) नासिक में ओझर हवाईअड्डा हिन्दुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड (एच.ए.एल.), रक्षा मंत्रालय का है।

इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

'रेल रोको' आंदोलन

4986. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नागरिकों द्वारा पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले मकरोनिया-सागर-बीना-नरयावली-जरूवाखेड़ा-खुरई तथा मंडी बामौरा स्टेशनों पर 'रेल रोको' आंदोलन किया गया; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां। 10-02-2010 को पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर मंडल के बीना-सागौर गणेशगंज खंड में मकरोनिया, जुरूखेड़ा, नरिओली और खुरई पर नागरिकों द्वारा एक रेल रोको आंदोलन आयोजित किया गया था।

(ख) मुख्य मांगें विवरण के रूप में संलग्न हैं: 34 मांगों में से 13 को लागू कर दिया गया है। अन्य मांगों को फिलहाल व्यावहारिक नहीं समझा गया।

विवरण

1. सागौर और भोपाल के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस गाड़ी की शुरुआत।
2. 2823/2824 निजामुद्दीन-दुर्ग छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का सागौर रेलवे स्टेशन पर ठहराव।
3. प्रस्तावित जबलपुर-बेंगलुरु ट्रेन का सागौर-बीना होकर चालन।
4. 2411/2412 निजामुद्दीन-जबलपुर गोंडवाना एक्सप्रेस का स्वतंत्र चालन।
5. 1449/1450 जबलपुर-जम्मूतवी (साप्ताहिक) एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि।
6. सागौर पर रेवांचल एक्सप्रेस में कोटे का प्रावधान।
7. 2137/2138 पंजाब मेल से संपर्क मुहैया कराने के लिए 8235/8236 भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस/पैसेंजर के समय में परिवर्तन।
8. सागौर के पास खाली पड़ी रेल भूमि में स्टेडियम, मॉल, पार्क आदि का निर्माण।
9. सागौर रेलवे स्टेशन से अप्सरा सिनेमा के बीच दो लेन वाली सड़क को पूरा करना।
10. सागौर रेलवे स्टेशन पर पैदल पार पुल को चौड़ा करना और प्लेटफार्म सं. 1 और 2 के बीच रैम्प का निर्माण।
11. समपार संख्या 23 और 24 के नजदीक रेल ट्रैक के पास सड़क का निर्माण।
12. मकरोनिया स्टेशन को सागौर का सब-सिटी स्टेशन घोषित करना और मकरोनिया पर सभी गाड़ियों का ठहराव।
13. मकरोनिया रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण/टिकट काऊंटरों का खोला जाना।
14. मकरोनिया रेलवे स्टेशन पर रेल समपार सं. 3ए पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण और मकरोनिया स्टेशन और राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच सड़क का दोहरीकरण।

15. 1449/1450 जबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस (साप्ताहिक) और 1271/1272 इटारसी-भोपाल विंध्याचल एक्सप्रेस का नरिओली स्टेशन पर ठहराव।

16. नरिओली और खुरई स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का प्रावधान।

17. खुरई स्टेशन पर 2181/2182 जबलपुर-जयपुर दयोदया एक्सप्रेस (साप्ताहिक) और 1449/1450 जबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस का ठहराव।

18. खुरई के लिए गोंडवाना एक्सप्रेस में कोटा निश्चित करना।

19. बीना स्टेशन पर ऊपरी सड़क पुल और निचले सड़क पुल को स्वीकृति।

20. बीना में खाली पड़ी रेल भूमि पर स्टेडियम, शॉपिंग मॉल और पार्क का निर्माण और सभी रेलवे सड़कों को चौड़ा करना।

21. स्टाप डैम बनाकर गर्मियों के दौरान बीना रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी का प्रावधान।

22. बीना में शताब्दी, तमिलनाडु, गोवा और पुष्पक एक्सप्रेस का ठहराव।

23. रेलवे अस्पताल, बीना में नवीनतम चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता का प्रावधान।

24. बीना में रेल डिब्बा कारखाना, केंद्रीय स्टोरों और रेलवे होटलों का प्रावधान।

25. 14.00 बजे से 16.00 बजे के बीच बीना से कटनी के बीच गाड़ियों का चालन अथवा मौजूदा बीना-भोपाल पैसेंजर का सागौर-दामोह तक विस्तार।

26. मालखेड़ी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का प्रावधान और मालखेड़ी तथा बीना के बीच रेलपथ के समानान्तर सड़क का निर्माण।

27. हनुमान मंदिर के नजदीक देहरी गांव पर महादेवखेड़ी रेलवे स्टेशन का अंतरण।

28. मंडी बमोरा पर 1078 झेलम एक्सप्रेस और 2197/2198 ग्वालियर-भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव।

29. मंडी बमोरा स्टेशन पर प्लेटफार्म की ऊंचाई में वृद्धि और शेड का विस्तार।

30. जेरूवाखेड़ा स्टेशन पर पैदल पार पुल का निर्माण और यात्री सुविधाओं का प्रावधान।

31. जैरूवाखेड़ा स्टेशन पर 9305/9306 क्षिप्रा एक्सप्रेस, 1071/1072 कामायनी एक्सप्रेस और 8477/8478 उत्कल एक्सप्रेस का ठहराव।

32. माल यातायात में वृद्धि को देखते हुए कटनी और बीना के बीच अतिरिक्त रेल लाइन को बिछाना।

33. कटनी-दामोह-सागौर होकर दुर्ग-जयपुर एक्सप्रेस के पुराने मार्ग की पुनर्बहाली।

34. चिरीमिरी-दमोह पैसेंजर गाड़ी का सागौर/बीना तक विस्तार।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर लैंडिंग

4987. श्री प्रबोध पांडा:
श्री पी. लिंगम:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (आई.जी. आई.ए.) के नवीकरण के पश्चात् वहां की सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हो जाने के बावजूद, यहां उतरने वाली घरेलू उड़ानों को अंतर्देशीय विमान टर्मिनल एरिया तक पहुंचने में लगभग 45 मिनट लग जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रन-वे बाधित होने की समस्या तथा घरेलू उड़ानों को वहां काफी लंबा समय लगने के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) इस समय दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय

(आई.जी.आई.) हवाईअड्डे पर रनवे 11/29 और 09/27 प्रयोग में हैं। रनवे 10/28 का पुनर्वास किया जा रहा है और यह सितम्बर, 2010 के अंत तक प्रचालन के लिए तैयार हो जाएगा। इस समय घरेलू उड़ानों को नए रनवे 11/29 पर लैंडिंग के बाद अपने पार्किंग स्टैंड पर पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। यदि लैंडिंग रनवे 09/27 पर हो, तो पार्किंग बे तक पहुंचने में महज 5 मिनट लगते हैं।

(घ) आई.जी.आई. हवाईअड्डा, दिल्ली पर मौजूदा रनवे को नए टर्मिनल-3 के निर्माण को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। घरेलू एयरलाइनों की पूरी तरह से टर्मिनल-3 पर अनुसूचित शिफ्टिंग होने और तीनों रनवे (09/27, 10/28, 11/29) के मिश्रित प्रचालन से, टैक्सिंग टाइम में और कमी होगी, जिसके हवाईअड्डा प्रचालकों में और कार्य कुशलता आएगी।

एल.टी.सी.-80 योजना

4988. श्री सी.आर. पाटिल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एल.टी.सी.-80 योजना के अंतर्गत 'एयर इंडिया' की सीटें अगले दो महीनों तक उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जो एल.टी.सी. पर जाना चाहते हैं को एल.टी.सी.-80 योजना के अंतर्गत सीटें प्राप्त करने में काफी मुश्किल हो रही है चूंकि इस योजना के अंतर्गत बहुत कम सीटें नियत की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ उड़ानों में सीटों का कोई प्रतिशत आरक्षित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) जी, नहीं। व्यस्त मौसम के दौरान कतिपय सेक्टरों को छोड़कर, एल.टी.सी. किराए के अंतर्गत एयर इंडिया की उड़ानों की सीटें आसानी से उपलब्ध हैं। एयर इंडिया उड़ानों पर इकोनामी श्रेणी में सीटों को विभिन्न उप-श्रेणियों (आर.बी.डी.) में विभाजित किया गया है। प्रत्येक आर.बी.डी. में निश्चित सीटें आबंटित की गई है। जो टिकटों को कीमत के प्रत्यक्ष अनुपात के आधार पर है। एल.टी.सी. यात्रा के लिए आर.बी.डी. X एवं जी/क्यू. निर्धारित किया गया है और लगभग इकोनामी श्रेणी में कुल उपलब्ध सीटों का लगभग 45% इन श्रेणियों के लिए निर्धारित की गई हैं। इन आर.बी.डी. के अंतर्गत सीटों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आबंटित किया जाता है।

(ङ) सरकार ने हाल ही में 9 सेक्टरों पर जी आर.बी.डी. में एल.टी.सी. टिकटों की बुकिंग की अनुमति प्रदान की है, जहां एल.टी.सी. टिकटों की मांग अधिक है। दिल्ली/अमृतसर से जम्मू और कश्मीर में किसी भी स्थान के लिए अन्य एयरलाइनों द्वारा एल.टी.सी. यात्रा की भी अनुमति प्रदान की गई है।

राजकोट विमानपत्तन

4989. श्रीमती दर्शना जरदोश: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को उसकी अप्रयुक्त भूमि को राजकोट विमानपत्तन के विकास के प्रयोजन से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपने के बारे में नागर विमानन मंत्रालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राजकोट हवाई अड्डे पर रनवे के विस्तार के लिए 14.7 हेक्टेयर माप के भूखंड को लीज पर देने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से रेलवे को एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से रेलवे की मौजूदा नीति के अनुसार बाजार मूल्य पर लीज प्रभार के भुगतान और मौजूद इमारतों को शिफ्ट करने की लागत वहन करने की सहमति देते हुए एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

कनिष्क विमान दुर्घटना

4990. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1980 के मध्य दशक के दौरान आइरिश कोस्ट के नजदीक हुई कनिष्क विमान-दुर्घटना से जुड़े मुद्दों को सुलझा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपयुक्त क्षतिपूर्ति तथा पीड़ित भारतीयों को मुआवजा दिलाने के उद्देश्य से इस मामले को कनाडा की सरकार के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर कनाडा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और उनका क्या परिणाम हुआ है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) इस हादसे की वजह से एअर इंडिया को हुए घाटे की क्षतिपूर्ति बीमाकर्ता अर्थात् जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (जी.आई.सी.) द्वारा की गई है। बीमाकर्ता ने विमान के हल्ल लॉस क्लेम के लिए एअर इंडिया को 91.79 अमरीकी डॉलर की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया है। यात्रियों को देय क्षतिपूर्ति का समाधान जी.आई.सी. द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधि के मुताबिक किया गया है।

(ग) कनाडा सरकार द्वारा गठित जांच आयोग ने उड़ान 182 के हादसे से शिकार व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को एक मुश्त अनुग्रह राशि दिए जाने की सिफारिश की है।

(घ) और (ङ) कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच कर रही है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा हटाया जाना

4991. श्री जे.एम. आरुन रशीद: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया, जिसे सूचित तौर पर 'बार' के हलकों तथा स्वयं न्यायपालिका द्वारा विनिर्णीत किया जाता है, संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विद्यमान प्रक्रिया भी जटिल तथा अपर्याप्त है तथा न्यायाधीशों को हटाए जाने के लिए इसके अलावा भी एक वैकल्पिक विधि बनाए जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय और उच्चतम न्यायालय की परामर्शी राय तारीख 28 अक्तूबर, 1998 पर आधारित है। इस प्रक्रिया पर विभिन्न मंचों पर बहस की गई है और उसमें परिवर्तन करने की मांग की जाती रही हैं। तथापि, इस समय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली में कोई परिवर्तन करने का विनिर्दिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968, संविधान के अनुच्छेद 124(2) के परंतुक (ख) और अनुच्छेद 217(1) के परंतुक (ख) के साथ पठित अनुच्छेद 124(4) के अधीन किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रक्रिया अधिकथित करता है। उच्चतर न्यायपालिका में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नया विधान लाने के लिए विचार कर रही है, जो अन्य बातों के साथ, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए तंत्र का उपबंध करता है।

बाल-अभिरक्षा

4992. श्री संजय दिना पाटील:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय मूल के नागरिकों के विवाह-विच्छेद के बाद उनके बच्चों के अधिकारों तथा हितों के संरक्षण की दृष्टि से एक विधान बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) वर्तमान में आवश्यकता के अनुसार इस संबंध में कोई पृथक् विधेयक पर विचार नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

मानवीय त्रुटि के कारण रेल दुर्घटना

4993. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

श्री विश्व मोहन कुमार:

श्री आर.के. सिंह पटेल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की सभी विद्युतचालित तथा डीजल इंजनों में वातानुकूलन-यंत्र उपलब्ध कराने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) देश में रेल-इंजनों की कुल संख्या कितनी है तथा विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इनमें कितने कर्मचारी तैनात थे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) अब तक 33 विद्युत इंजनों में वातानुकूलन की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष 2010-11 के दौरान डीजल इंजनों के लिए 50 वातानुकूलनों की व्यवस्था की गई है। किसी इंजन की वातानुकूलन की अनुमानित लागत लगभग 12 लाख रु. है। इंजनों के शेष बेड़ों में वातानुकूलन की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।

(ग) ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	विद्युत इंजनों की संख्या	डीजल इंजनों की संख्या	कुल	तैनात कर्मचारियों की संख्या
2007-08	3294	5021	8315	558644
2008-09	3443	4985	8428	558011
2009-10	3586	5105	8691	573464

[अनुवाद]

जूट चक्र के विश्लेषण के लिए अध्ययन

4994. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

श्री अब्दुल रहमान:

श्री एस.आर. जेयदुरई:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन सेंटर फॉर प्लास्टिक्स इन द एनवायरनमेंट (आई.सी.पी.ई.) द्वारा जूट चक्र के विश्लेषण के बारे में तकनीकी अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जूट में रसायनों को बेतहाशा उपयोग के कुप्रभावों तथा जूट के प्रसंस्करण में इस्तेमाल होने वाले तथा प्रमुख स्वास्थ्य समस्या माने जाने वाले जूट बैचिंग ऑयल (जे.बी.ओ.) के कुप्रभावों के बारे में भी कोई सर्वेक्षण या अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) आटे की पैकिंग के लिए पटसन थैलों की तुलना में प्लास्टिक फिल्म के थैलों की जीवन चक्र विश्लेषण हेतु सितंबर, 2002 में इण्डियन सैंटर फॉर प्लास्टिक्स इन एनवायर्नमेंट (आई.सी.पी.ई.) नई दिल्ली द्वारा एक अध्ययन अधिकृत किया गया था एवं आई.आई.टी., दिल्ली द्वारा सम्पन्न किया गया। इसकी रिपोर्ट आई.सी.पी.ई. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) पटसन थैलों के विनिर्माण की प्रक्रिया में मुख्यतया प्रयुक्त रसायन जूट बैचिंग ऑयल (जे.बी.ओ.) है। पटसन मिलों में रसायनों के प्रयोग के पटसन कामगारों पर होने वाले दुष्प्रभावों के संबंध में वस्त्र मंत्रालय द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। पटसन मिलों द्वारा विनिर्मित पटसन थैले भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) विनिर्दिष्टियों, जो पटसन थैलों के विनिर्माण में जे.बी.ओ.

के प्रयोग की सुरक्षित मात्रा का निर्धारण करती हैं, के अन्तर्गत शामिल हैं।

[हिन्दी]

ऑटो हब्स की स्थापना

4995. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली-मुम्बई माल-वाहन गलियारा पर दस ऑटो हब्स की स्थापना करने के लिए विज्ञापन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऑटो हब्स के लिए प्रस्तावित स्थान क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। दि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डी.एफ.सी. सी.आई.एल.), जो स्पेशल परपज व्हिकल है तथा जिसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए गठित किया गया है, दिल्ली-मुम्बई फ्रेट कॉरिडोर पर दस ऑटो केन्द्र की स्थापना के लिए विज्ञापन नहीं दिया है।

मुंबई फ्लाइंग क्लब पर हैंगर

4996. श्री अशोक अर्गल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा जुहू हवाई अड्डा, मुंबई में मुम्बई फ्लाइंग क्लब को भूमि/हैंगर आबंटित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसे कितनी भूमि/हैंगर आबंटित की गयी है, उसकी शर्तें क्या हैं और इन्हें जिन उद्देश्यों के लिए आबंटित किया गया है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) मुम्बई फ्लाइंग क्लब द्वारा सरकार को वर्ष-वार कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) के गठन से पहले सरकार द्वारा जुहू हवाईअड्डे पर मुंबई फ्लाइंग क्लब के लिए भूमि/हैंगर का आबंटन किया गया था।

(ख) दिनांक 23-11-2006 को एम.एफ.सी. के कब्जे के अंतर्गत परिसरों के संयुक्त मापदंड के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्र एम.एफ.सी. के कब्जे में हैं।

भूमि	-	7584.25 वर्ग मीटर
हैंगर	-	1846.54 वर्ग मीटर
गैर आवासीय स्थान	-	1959.40 मीटर

(ग) दिनांक 20-02-2007 तक कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लिया गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 21-02-2007 से जुहू हवाई अड्डे पर लागू प्रभारों का 10% लाइसेंस शुल्क एम.एफ.सी. से लिए जाने के लिए अनुमोदन दिया गया है और तद्नुसार दिए गए बिलों का विवरण एवं एम.एफ.सी. द्वारा किए गए भुगतान निम्नानुसार हैं:

दिनांक 21-02-2007 से 31-03-2008 तक का दिया गया बिल: हैंगर-1954705 रु., भूमि-1076217 रु. और गैर आवासीय स्थान 1056706 रु.।

एम.एफ.सी. द्वारा किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर आरक्षण पटल

4997. डॉ. बलीराम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर आरक्षण पटलों की कमी के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या आरक्षण चार्ट बहुत देर बाद लगाए जाते हैं जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी होती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सभी आरक्षित यात्रियों की सुविधा के लिए आरक्षण चार्ट पर्याप्त समय पहले प्रिन्ट करने के सभी प्रयास किए जाते हैं। बहरहाल, कई बार परिचालनिक/तकनीकी कारणों से आरक्षण चार्टों को प्रिन्ट करने में

विलम्ब हो जाता है। संबंधित मंडल प्राधिकारियों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे गाड़ी के प्रस्थान से पर्याप्त समय पहले आरक्षण चार्टों को प्रिन्ट करना सुनिश्चित करने का कड़ाई से पालन करें।

[अनुवाद]

दिल्ली-फिरोजपुर रेल

4998. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को दिल्ली से मोगा होकर फिरोजपुर जाने वाली रेलगाड़ी के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में रेलवे द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। मोगा के रास्ते दिल्ली से फिरोजपुर तक सीधी गाड़ी चलाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों, जिनमें माननीय सांसद भी शामिल हैं, से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों के कारण प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

सांध्यकालीन न्यायालय

4999. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री कमलेश पासवान:
श्री जगदीश ठाकोर:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में सांध्यकालीन न्यायालयों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को हाल ही में इस उद्देश्य हेतु विशेष अनुदान के लिए गुजरात सरकार सहित अन्य राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) जी हां। कुछ राज्य सरकारों ने, जिनमें गुजरात सरकार भी सम्मिलित है, अपने राज्यों में सायंकालीन न्यायालयों की स्थापना की है। राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यों में सायंकालीन न्यायालयों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्थापित किए गए सायंकालीन न्यायालयों की संख्या
1.	गुजरात	87
2.	दिल्ली	6
3.	तमिलनाडु	39

(ग) और (घ) हाल ही के विगत समय में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। केंद्रीय सहायता के लिए गुजरात राज्य सरकार से किसी पूर्व प्रस्ताव पर सहमति नहीं हुई थी क्योंकि ऐसी कोई स्कीम नहीं थी जिसके अधीन सायंकालीन न्यायालयों के राज्यों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

सरकार ने, तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिनमें अन्य बातों के साथ, प्रातःकालीन/सायं कालीन/पाली/विशेष मजिस्ट्रेट न्यायालयों की स्थापना करने के लिए राज्यों को 2500 करोड़ रुपए के अनुदान के लिए उपबंध किया गया था। इस प्रयोजन के लिए 250 करोड़ रुपए का अनुदान राज्यों को पहले ही जारी किया जा चुका है।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस का आबंटन

5000. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री विट्‌ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) द्वारा उत्पादित गैस

को नामनिर्दिष्ट ब्लॉकों में प्रशासित मूल्य तंत्र (ए.पी.एम.) आबंटन के लिए उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनियों की फर्जी मौजूदगी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) द्वारा उनके नामांकन ब्लॉकों में स्थित मौजूदा उत्पादन क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति ए.पी.एम. आवंटन के तहत की जाती है।

ए.पी.एम. गैस की आपूर्ति केवल निम्नलिखित श्रेणी के उपभोक्ताओं को की जा रही है:-

(i) ऊर्जा क्षेत्र के उपभोक्ताओं को

(ii) उर्वरक क्षेत्र के उपभोक्ताओं को

(iii) न्यायालय के आदेशों के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को

(iv) प्रतिदिन 0.05 मिलियन मानक घन मीटर (एम.एम. एस.सी.एम.डी.) से कम आवंटन वाले उपभोक्ताओं को

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आई.जी.आई. के नए टर्मिनल पर बहुस्तरीय पार्किंग

5001. श्री भूदेव चौधरी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में टर्मिनल-3 पर बहुस्तरीय पार्किंग के निर्माण के लिए संविदा प्रदान करने के पूर्व निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संविदा नियमानुसार दी गयी थीं;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) संविदा की निबंधन एवं शर्तें क्या हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अनियमितताओं में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) प्रचालन प्रबंधन विकास करार (ओमडा) के उपबन्ध 8, 5, 7 (सी) के अनुसार, संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् मैसर्स दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डायल), को, 50 करोड़ रुपए से अधिक वाले प्रत्येक सब-कांट्रेक्ट/सब-लीजिंग तथा लाइसेंसिंग के लिए, प्रतिस्पर्धात्मक बोली का अनुसरण करना आवश्यक है। मैसर्स डायल द्वारा सूचित किया गया कि आई.जी.आई. हवाई अड्डे पर बहु मंजिला पार्किंग के लिए ठेका दिये जाने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया का माध्यम अपनाया गया जिसमें बेहतरीन प्रस्ताव वाले वेन्डर को ठेका दिया गया।

(ङ) चयनियत पार्टी आई.जी.आई. हवाई अड्डे पर 25 वर्षों की अवधि के लिए पार्किंग सुविधा के वित्त पोषण, अनुरक्षण तथा प्रचालन के लिए उत्तरदायी है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल-कोंकण बेसिन में तेल का अन्वेषण

5002. श्री एम.आई. शानवास: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा कोच्चि स्थित केरल-कोंकण बेसिन में ऑयल ड्रिलिंग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त क्षेत्र में गहरे समुद्र में ड्रिलिंग तेल की संभावना की दृष्टि से लाभदायक साबित हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओ.एन.जी.सी.) ने केरल-कोंकण अपतटीय बेसिन में कुल 15 कूपों का वेधन किया है जिनमें से 9 कूप उथले

समुद्र और 6 गहरे समुद्र वाले शामिल हैं। इनमें से 5 कूपों-4 उथले समुद्री कूप और 1 गहरे समुद्री कूप का वेधन कोच्चि से दूर क्षेत्र में किया गया है।

(ख) और (ग) अभी तक कोई हाइड्रोकार्बन खोज नहीं हुई है।

रेलगाड़ियों में लूट-पाट

5003. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री विश्व मोहन कुमार:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में लाल किला एक्सप्रेस तथा हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस में बिहार में लूट-पाट की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामलों में की गई जांच का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे संरक्षा बल इन रेलगाड़ियों में यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी चूक के लिए जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या रेलवे ने डकैतों द्वारा लूटी गई कीमती वस्तुओं के लिए यात्रियों को मुआवजा देने की घोषणा की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त दुर्घटना में मारे गए एवं घायल हुए यात्रियों की संख्या क्या है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) 06-08-2010 को बिहार में पूर्व मध्य रेलवे में झाझा-किऊल खंड में जमुई-मननपुर रेलवे स्टेशनों के बीच कुंडर हॉल्ट पर कुछ बदमाशों द्वारा अलार्म चेन खींचकर गाड़ी सं. 3111 कोलकाता-दिल्ली लाल किला एक्सप्रेस को रोक दिया गया था। लगभग 20/25 बदमाशों ने 4 स्लीपर श्रेणी और 1 वातानुकूलित सवारी डिब्बे में यात्रा कर रहे यात्रियों को लूटा, मार्गरक्षण कर रहे राजकीय रेल पुलिस द्वारा विरोध किए जाने पर बदमाशों ने गोलियां चलाईं जिससे एक कांस्टेबल गोली लगने से घायल हो गया। राजकीय रेल पुलिस, झाझा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 324, 353, 332, 224, 307, 379 और 27 आर्म्स अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 06-08-2010 की अपराध सं. 24/2010 के तहत एक मामला दर्ज किया है।

08-08-2010 की रात्रि को बदमाशों ने गाड़ी सं. 3049 हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस के यात्रियों को लूट लिया जब गाड़ी बिहार में पूर्व रेलवे में जसीडीह-झाझा खंड में लाहाबन और टेलवा ब्लॉक हॉल्ट के बीच चल रही थी। राजकीय रेल पुलिस झाझा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अंतर्गत दिनांक 09-08-2010 की अपराध सं. 30/2010 के तहत मामला दर्ज किया है।

(ग) और (घ) इन गाड़ियों में कोई भी रेल सुरक्षा बल का कार्मिक तैनात नहीं था।

(ङ) और (च) जी नहीं। रेलवे यात्री द्वारा उनके निजी सामान के नुकसान के लिए कोई मुआवजा मुहैया नहीं कराती है जब तक कि वह अपने सामान को बुक कराकर रसीद नहीं लेता और जब तक यह सिद्ध ना हो जाए कि यह नुकसान, तोड़फोड़, क्षति या खराबी रेलवे के किसी कर्मचारी द्वारा उपेक्षा या गलत आचरण के कारण हुआ है।

(छ) उपर्युक्त घटनाओं में किसी यात्री की मृत्यु नहीं हुई थी। बहरहाल, गाड़ी सं. 3111 लाल किला एक्सप्रेस में हुई दुर्घटना में राजकीय रेल पुलिस का एक कांस्टेबल और 15 यात्री घायल हुए थे और गाड़ी सं. 3049 हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस में हुई दुर्घटना में 6 यात्री घायल हुए।

'रेलवे पर पुलिस व्यवस्था' राज्य का विषय है और इसलिए रेल परिसर के साथ-साथ रेलपथों, पुलों, सुरंगों और चलती गाड़ियों में अपराधों की रोकथाम, मामलों का पंजीकरण, उनकी जांच और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकारों का संवैधानिक दायित्व है और वे इसका निर्वहन अपने राज्य की राजकीय रेल पुलिस तथा सिविल पुलिस के माध्यम से करते हैं। राजकीय रेल पुलिस पर होने वाले खर्च की 50% लागत रेलवे वहन करती है। इस प्रकार रेलवे को पूरी तरह से राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। डकैती/लूट-पाट/यात्रियों के सामान आदि की चोरी, नशाखोरी आदि जैसे आपराधिक मामलों में संलिप्त अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए रेल सुरक्षा बल के पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

1. विभिन्न राज्यों के राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा 2200 गाड़ियों में मार्गरक्षण के अलावा रेल सुरक्षा बल द्वारा प्रतिदिन औसतन 1275 गाड़ियों में मार्गरक्षण किया जाता है।

2. रेलों पर अपराधों की रोकथाम और उनका पता लगाने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों के साथ रेल मंत्रालय निकट समन्वय बनाए रखता है।

3. राज्यों के गृह सचिवों, गृह मंत्रालय, आसूचना ब्यूरो और रेलवे के अधिकारियों के साथ 20-01-2010 को रेल भवन, नई दिल्ली में एक समन्वय बैठक आयोजित की गई थी।

4. रेलवे में अपराध की स्थिति की समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय एवं मंडल स्तर पर रेलों द्वारा राजकीय रेल पुलिस और सिविल पुलिस के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

5. यात्रियों से संबंधित अपराधों से अधिक प्रभावी रूप से निपटने के लिए रेल सुरक्षा बल अधिनियम में संशोधन की जांच प्रक्रियाधीन है।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक उत्थान

5004. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:
श्री राम सुन्दर दास:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान शैक्षणिक रूप से सबसे पिछड़ा समुदाय है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस समुदाय में शिक्षा का प्रसार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान मुसलमान बहुल क्षेत्रों में सरकार द्वारा खोले गए शैक्षणिक संस्थानों की संख्या क्या है और प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा का ब्यौरा क्या है और उन्हें प्रदान की गयी तकनीकी शिक्षा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को शिक्षा के संबंध में अध्ययन सामग्री, यूनिफार्म उपलब्ध कराने, उनके ठहरने एवं खाने-पीने सहित सभी व्यय वहन करने संबंधी कोई योजना है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में कोई ऐसी योजना बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिमों की साक्षरता दर 59.1 प्रतिशत थी, जो राष्ट्रीय औसत 64.8 प्रतिशत से नीचे है। तथापि, यह साक्षरता दर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 52.7 प्रतिशत से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, सभी समुदाय के बच्चों की स्कूल जाने के वर्षों के माध्य के औसत की तुलना में मुस्लिम समुदाय के बच्चों की स्कूल जाने के वर्षों का माध्य कम था। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के मुस्लिम बच्चों में से 25 प्रतिशत बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए अथवा स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ दी। अधिकांश मुस्लिम छात्र एवं छात्राओं ने मैट्रिकुलेशन परीक्षा में असफलता प्राप्त की अथवा उससे पहले ही पढ़ाई छोड़ दिए तथा 20 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु वर्ग की लगभग 7 प्रतिशत आबादी की तुलना में 4 प्रतिशत से भी कम मुस्लिम स्नातक अथवा डिप्लोमाधारी हैं।

(ख) सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय, जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई उपाए किए गए हैं तथा निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गयी हैं - (i) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना, (ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, (iii) तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, (iv) एम. फिल और पीएच.डी के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना, (v) निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना और (vi) अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम।

(ग) वर्ष 2008-09 में योजना की शुरुआत से बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम नामक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में 559 स्कूल भवनों के निर्माण, 6679 अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण

और प्राइमरी, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक/कॉलेज शिक्षा के लिए 34 प्रयोगशालाओं के निर्माण, छात्र एवं छात्राओं के लिए 37 छात्रावासों के निर्माण, 9 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 16 पॉलीटेक्नीकों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गयी है। सर्व-शिक्षा अभियान के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों में 12300 प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूल खोले गए। विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में उन्नत करने की योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत करने के लिए चुना गया है।

(घ) से (च) उपर्युक्त उल्लिखित छात्रवृत्ति योजनाओं को छोड़कर ऐसी कोई योजना नहीं है, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को शिक्षा से संबंधित समस्त व्यय अर्थात् पाठ्य सामग्री, परिधान, आवास पर होने वाले व्यय का वहन सरकार द्वारा किया जाता हो। वर्तमान में, सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी कोई योजना सरकार द्वारा तैयार की जानी परिकल्पित नहीं है। तथापि, सर्व-शिक्षा अभियान के अंतर्गत योजना के तहत पात्र छात्रों को, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र भी शामिल हैं, पाठ्य-पुस्तकें दी जाती हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में स्थानीय रेलगाड़ियां

5005. श्री राजू शेट्टी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार महाराष्ट्र में आस-पड़ोस के शहरों जैसे पुणे-नासिक, सांगी-कोल्हापुर, शोलापुर-पुणे आदि के बीच नयी स्थानीय शटल रेलगाड़ियां चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गयी/प्रस्तावित कार्रवाई क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) इस समय, पुणे-नासिक रोड, सांगली - श्री छत्रपति साहू महाराज (ट) (कोल्हापुर), सोलापुर-पुणे आदि के बीच लोकल गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, 1629 सांगली-मिरज पैसेंजर, 1610 पुणे-मिरज पैसेंजर को श्री छत्रपति साहू महाराज (ट) (कोल्हापुर) तक तथा 1551/1552 पुणे-दौंड पैसेंजर को बारामती तक चलाने की घोषणा रेलवे बजट 2010-11 में की गई है।

गुजरात में तीर्थ स्थलों के बीच रेल लिंक

5006. श्री हरिन पाठक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में डाकोर, अम्बाजी, जूनागढ़ आदि तीर्थ स्थलों के बीच रेलगाड़ी संपर्क उपलब्ध कराने के लिए गुजरात सरकार सहित विभिन्न वर्गों के लोगों से रेलवे को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान् स्थिति क्या है और तीर्थ यात्रा सुगम करने के लिए रेलगाड़ियों से इन स्थानों को कब तक जोड़े जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। डाकोर आनंद-गोधरा खंड पर है और जूनागढ़ जंक्शन, राजकोट-वेराबल खंड पर है जो भारतीय रेल के बड़ी लाइन से भलीभांति जुड़े हुए हैं। अम्बाजी को मेहसाणा-तरंगा हिल खंड से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण हाल ही में पूरा किया गया है। देश के विभिन्न स्थलों को गाड़ियों से जोड़ना एक सतत् प्रक्रिया है जो यातायात के औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

'रेलगाडी में डॉक्टर' योजना

5007. श्री रमाशंकर राजभर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरंतो रेलगाड़ियों में 'रेलगाड़ी में डॉक्टर' योजना प्रारंभ की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार अन्य रेलगाड़ियों में भी इस सुविधा को प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो किन रेलगाड़ियों में इस सुविधा को प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) जी हां। रेलों ने दूरान्तो गाड़ियों में डॉक्टर की व्यवस्था करने की एक पायलट परियोजना शुरू की है। इस सुविधा को अन्य गाड़ियों में भी प्रदान करने की व्यवहारिकता, इस पायलट परियोजना के परिणामों पर निर्भर करेगी।

पी.एस.यू. में पूंजी निवेश

5008. श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री देवजी एम. पटेल:
श्री आर.के. सिंह पटेल:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन पी.एस.यू. द्वारा इनसे कितना प्रतिशत लाभ अर्जित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश तथा उनसे प्राप्त लाभ-प्रतिशत के सम्बन्ध में कोई अनुमानक लगाया है; और

(घ) सरकारी तथा निजी क्षेत्र द्वारा अर्जित लाभ में व्यापक असमानता के क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) और (ख) संसद में दिनांक 25-2-2010 को प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण (2008-09) के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में पूंजी निवेश (इक्विटी-दीर्घावधिक ऋण) तथा पूंजी निवेश की तुलना में लाभ के प्रतिशत का ब्यौरा निम्नवत है:-

वर्ष	पूंजी निवेश (करोड़ रुपये में)	कुल लाभ (करोड़ रुपये में)	पूंजी निवेश के % के रूप में लाभ
2008-09	528951	84228	15.92
2007-08	455367	81314	17.86
2006-07	420771	81055	19.26

(ग) और (घ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (भारत सरकार) निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश का आकलन करता है, जिसमें निजी क्षेत्र की कम्पनियां तथा इस क्षेत्र के घरेलू उद्योग दोनों शामिल हैं। निजी क्षेत्र की कम्पनियों (रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के मासिक बुलेटिन दिसम्बर, 2008 के आधार पर) तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (फरवरी, 2010 के लोक उद्यम सर्वेक्षण के आधार पर) की लाभकारिता की तुलना से यह स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों और निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ में अधिक असमानता नहीं है। वर्ष 2006-07 में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 217 उद्यमों की अचल परिसंपत्तियों के अनुपात के रूप में सकल लाभ 20.31 प्रतिशत था जबकि संगत वर्ष में निजी क्षेत्र की 1259 प्राइवेट कम्पनियों के मामले में यह 23.21 प्रतिशत था।

[अनुवाद]

हवाईअड्डा परियोजनाओं हेतु भूमि का अंतरण

5009. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरू हवाई-अड्डों के निर्माण के लिए जो भूमि अधिग्रहीत की गयी थी उसकी मौजूदा दर/बाजार दर क्या है;

(ख) क्या हवाई-अड्डा परियोजना के लिए अंतरित भूमि का कम मूल्य लगाया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) दिल्ली तथा मुंबई हवाईअड्डे की भूमि, संसदीय अधिनियम द्वारा गठित, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) के अधीन है। तद्‌नन्तर, इन हवाईअड्डों की भूमि के हिस्से को दो संयुक्त उद्यम कंपनियों (जे.वी.सी.) नामत: (मैसर्स दिल्ली इंटरनेशनल एअरपोर्ट प्रा. लिमिटेड एवं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को अगले 30 वर्षों के लिए विस्तारित योग्य) राजस्व शेयरिंग के

आधार पर इन हवाईअड्डों के प्रचालन प्रबंधन एवं विकास हेतु पट्टे पर दिया गया। दिल्ली और मुंबई हवाईअड्डों पर भूमि का स्वामित्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास है। बंगलोर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना मैसर्स बंगलौर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा की गई है जिसके लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक औद्योगिक निवेश एवं विकास निगम लिमिटेड, जो बंगलौर में नए हवाईअड्डा परियोजना के लिए कर्नाटक सरकार की नोडल ऐजेंसी है, को भूमि प्रदान की है और इसने यह भूमि पट्टे पर बी.आई.एएल. को सुपुर्द की थी।

[हिन्दी]

कपास उपभोग

5010. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में कपास का घरेलू उपभोग कितना है;

(ख) क्या आगामी वर्षों में कपास उपभोग के बढ़ने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष तथा अगले वर्ष देश में कपास उत्पादन तथा उपभोग की अनुमानित मात्रा क्या है; और

(घ) देश में कपास की मांग पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में कपास का घरेलू उपभोग इस प्रकार है:-

कपास मौसम (अक्तूबर-सितंबर)	कपास का घरेलू उपभोग (मिल/गैर-मिल/एस.एस.आई.) (170 कि.ग्रा. प्रत्येक की लाख गांठ में)
2006-07	232.03
2007-08	236.88
2008-09	229.00
2009-10	250.00

स्रोत: कपास सलाहकार बोर्ड.

(ख) जी, हां। कपास मौसम 2006-07 से 2009-10 तक के चार वर्षों की अवधि में घरेलू उपभोग में 7.7% की समग्र वृद्धि हुई है।

(ग) कपास मौसम 2009-10 के लिए सरकार ने 295 लाख गांठ के घरेलू उत्पादन और 250 लाख गांठ के उपभोग का अनुमान लगाया है। चूंकि, मौसम 1 अक्तूबर, 2010 से शुरू है, अत: कपास मौसम 2010-11 के लिए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) वस्त्र उद्योग के लिए कपास की कच्ची सामग्री आधार को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने फरवरी, 2000 में कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.) शुरू किया है।

[अनुवाद]

विमान दुर्घटनाओं की जांच

5011. श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विमान दुर्घटनाओं में ब्लैक बॉक्स की स्वतंत्र रूप से जांच के लिए कोई प्रणाली शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार एक जांच प्रणाली बनाने पर विचार कर रही है जिसमें विदेशों में ब्लैक बॉक्स की जांच के समय भारत सरकार की एजेंसियों के कार्मिक मौजूदा हों;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार विदेशी कंपनियों द्वारा ब्लैक बॉक्स की जांचोंपरांत संकलित रिपोर्ट की पुन: जांच के लिए किसी प्रणाली की स्थापना पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) ब्लैक बॉक्स एवं फ्लाइट डाटा रिकार्डर (एफ.डी.आर.) की स्वतंत्र रूप से जांच करने वाला सिस्टम नागर विमानन महानिदेशालय में पहले से ही विद्यमान है, जहां पर एफ.डी.आर. के विभिन्न किस्मों के लिए डी.जी.सी.ए. की प्रयोगशाला में ब्लैक बाक्सों की जांच की जाती है। बहरहाल, जब किसी विभिन्न प्रकार के एफ.डी.आर. की जांच करने की आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए डी.जी.सी.ए. में सुविधा उपलब्ध नहीं है अथवा जब रिकार्डर

काफी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो इन्हें डी.जी.सी.ए. प्रतिनिधियों के साथ नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड (एन.टी.एस.बी.), यू.एस.ए. अथवा ब्यूरो डी एन्क्वेट्स एट डी एनालिसिस (बी.ई.ए.), फ्रांस भेजा जाता है।

(ग) और (घ) विदेशों में जब ब्लैक बॉक्सों की जांच की जाती है तो वहां पर भारतीय कार्मिक उपस्थित रहते हैं।

(ङ) और (च) विदेशी एजेंसियों द्वारा ब्लैक बॉक्स से तैयार किये गये रूपान्तरण की अन्य साक्ष्यों, जैसे अवशेष का विश्लेषण, के साथ विस्तृत रूप में जांच की जाती है और अंतिम जांच रिपोर्ट में दर्शाए जाने से पहले, इसे वैध करार दिया जाता है।

हवाई-अड्डों पर बॉडी स्कैनर्स

5012. श्री संजय धोत्रे:
श्री पी. विश्वनाथन:
श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे पर सम्पूर्ण बॉडी-स्कैनर्स का परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने नए स्कैनरों की विशेषताओं को मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) सभी हवाई-अड्डों पर इन बॉडी स्कैनरों को कब तक संस्थापित एवं सक्रिय कर दिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) बॉडी स्कैनरों के तकनीकी आकलन अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया गया है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो तथा दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. (डायल) को निर्देश दिए गए हैं कि वे बाजार में सभी इच्छुक विक्रेताओं से बॉडी स्कैनरों के संस्थापन को ट्रायल के लिए आमंत्रित करें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) तकनीकी आकलन के पश्चात विशिष्टताओं को अंतिम रूप दिए जाने पर एक समय-कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा।

कारपोरेट क्षेत्र में वेतन

5013. श्री रुद्रमाधव राय: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना कारपोरेट क्षेत्र में वेतन. एवं अनुलाभों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार लाभ में बिक्री/अंश पर कमीशन तथा एयर लाइनों में यात्रा आदि जैसे अनुलाभों की सीमा निर्धारित करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकारी और निजी क्षेत्र में वेतनों में समानता किस तरह से लाए जाने की संभावना है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 कारपोरेट क्षेत्र में बोर्ड स्तर के प्रबंधकीय पारिश्रमिक हेतु अधिकमत सीमा निर्धारित करता है।

(घ) उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रद्द टिकटें

5014. श्री आर.के. सिंह पटेल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने आरक्षित टिकटों को रद्द करवाये जाने से काफी धनराशि अर्जित की है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तिथि तक रेलवे द्वारा इससे अर्जित राजस्व क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान और जुलाई, 2010 तक रेलों ने आरक्षित टिकटों पर रद्दकरण प्रभार के संग्रहण के जरिए निम्नलिखित राशि प्राप्त की:

रद्द	रद्दकरण प्रभार (करोड़ रु. में)
2007-08	128.83
2008-09	290.21
2009-10	460.95
2010-11 (जुलाई तक)	163.02

बेरोजगार वस्त्र कामगारों को प्रशिक्षण

5015. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वस्त्र इकाइयों के बंद होने के कारण नौकरी खो चुके कामगारों के पुनर्वास हेतु योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कामगारों को समुचित प्रशिक्षण दिलाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नॉलोजी (एन.आई.एफ.टी.) से सहायता प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान में देश में कार्यशील एन.आई.एफ.टी. केन्द्रों की स्थान-वार संख्या क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में और ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना (टी.डब्ल्यू.आर. एफ.एस.) निजी क्षेत्र में वस्त्र इकाई के किसी भाग अथवा संपूर्ण इकाई के स्थाई रूप से बंद होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को अंतरिम राहत प्रदान करती है। इस योजना के तहत सहायता पात्र कामगारों को अन्य रोजगार में लगाने में उन्हें समर्थ बनाने के उद्देश्य से दी जानी लागू है। यह योजना संपूर्ण देश में लागू है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। बडगाम (जम्मू व कश्मीर) और कोयम्बटूर (तमिलनाडु) में दो नए निफ्ट केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

विवरण

निफ्ट केंद्रों का ब्यौरा

1. बंग्लूरू (कर्नाटक)
2. भोपाल (मध्य प्रदेश)
3. भुवनेश्वर (उड़ीसा)
4. चेन्नई (तमिलनाडु)
5. गांधीनगर (गुजरात)
6. हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
7. जोधपुर (राजस्थान)
8. कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
9. कन्नुर (केरल)
10. कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
11. मुंबई (महाराष्ट्र)
12. नई दिल्ली (दिल्ली)
13. पटना (बिहार)
14. राय बरेली (उत्तर प्रदेश)
15. शिलांग (मेघालय)

[अनुवाद]

एन.टी.सी. मिलों की अतिरिक्त भूमि

5016. श्री विश्व मोहन कुमार:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्रीमती जया प्रदा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों की अतिरिक्त भूमि तथा भवनों की बिक्री के बारे में कोई लेखा-परीक्षा करायी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनकी भूमि तथा भवन निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर बेचे गए थे;

(ग) यदि हां, तो एन.टी.सी. मिलों के भूमि, भवनों की बिक्री में सरकार को कितनी हानि हुई है;

(घ) एन.टी.सी. भूमि तथा भवनों को आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर बेचने के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एन.टी.सी. के स्वामित्व वाली भूमि तथा भवन का उनकी स्थिति सहित ब्यौरा क्या है और कितने मिलों की भूमि और भवनों को बेचा गया तथा नीलामी की गयी शेष मिलों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 79 मामलों में से लेखा परीक्षा ने 3 मामलों में आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री के बारे में टिप्पणी की है। लेखा परीक्षा द्वारा टिप्पणी किए गए अनुसार आरक्षित मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच 84.35 लाख रुपए का अंतर था।

(घ) परिसंपत्तियों की बिक्री एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया तथा एक यथागठित परिसंपत्ति बिक्री समिति (ए.एस.सी.) के माध्यम से की गई थी जिसमें वस्त्र मंत्रालय, राज्य सरकार, प्रचालन एजेंसी (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक) के प्रतिनिधि, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के नामित तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) के अध्यक्ष शामिल थे। निर्णय, कंपनी के सर्वोत्तम हित में लिया गया था और प्रत्येक टेंडर के लिए उच्चतम मूल्य प्राप्त किया गया था तथा ए.एस.सी. द्वारा उसकी पुष्टि की गई थी।

(ङ) बिक्री की गई और बिक्री के लिए उपलब्ध भूमि और भवनों का ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र. सं.	मिल का नाम	वास्तविक बिक्री भूमि क्षेत्र (एकड़ में)	भवन (बेकार सामग्री) बिक्री मूल्य (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	नटराज मिल्स, निर्मल	70.00	-
2.	नेथा मिल्स, सिकन्दराबाद	12.00	0.35
3.	अदोनी काटन मिल्स	-	0.39
4.	आजम जाही मिल्स, वारंगल	201.02	3.81
5.	तिरूपति काटन मिल्स	5.25	-
	कर्नाटक		
6.	मैसूर मिल्स, बैंगलोर	18.69	3.34
	मैसूर मिल्स (बंगाल नं. 106)	1.88	-
7.	एम.एस.के. मिल्स, गुलबर्गा	165.20	2.00

1	2	3	4
8.	मिनर्वा मिल्स, बेंगलौर	27.18	-
	मिनर्वा मिल्स, बेंगलौर	1.20	-
	केरल		
9.	अलगप्पा मिल्स, अलगप्पानगर	1.96	-
10.	केरल लक्ष्मी मिल्स, त्रिपुरा	14.19	-
	दिल्ली		
11.	अजुधिया टेक्सटाइल मिल्स, दिल्ली	4.54	0.37
	पंजाब		
12.	खरर टेक्सटाइल मिल्स, खरर	8.28	-
13.	सूरत टेक्सटाइल मिल्स	7.05	-
14.	पानीपत वूलन मिल्स, खरर	7.69	-
	राजस्थान		
15.	एडवर्ड, ब्यावर	18.28	0.52
16.	महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर	-	-
17.	श्री विजय कॉटन मिल्स, विजयनगर	7.83	-
18.	उदयपुर कॉटन मिल्स, उदयपुर	29.77	-
	गुजरात		
19.	अहमदाबाद न्यू टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	11.19	-
20.	राजकोट टेक्सटाइल मिल्स, राजकोट	8.72	0.61
21.	अहमदाबाद जूपिटर मिल्स, अहमदाबाद	17.47	1.43
22.	जहांगीर मिल्स, अहमदाबाद	13.15	3.09
23.	राजनगर नं. 1, अहमदाबाद		1.32
24.	न्यू मानिकचौक टैक्सटाइल मिल्स		1.19
25.	महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, भावनगर		1.45
26.	हिमाद्रि टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	7.31	0.92
27.	पेटलाड टेक्सटाइल मिल्स, पेटलाड		0.84

1	2	3	4
28.	विरामगांव टेक्सटाइल, विरामगांव	36.81	1.17
29.	फाइन निटिंग मिल्स, अहमदाबाद	930	-
	महाराष्ट्र		
30.	आर.बी.बी.ए. मिल्स, हिंगनघाट		-
	(पुराने बंगले सहित प्लॉट नं. 1)	0.16	
	जिनिंग एवं प्रोसेसिंग फैक्टरी		
31.	सेवतराम रामप्रसाद मिल्स, अकोला	0.10	-
32.	विदर्भ मिल्स, अचलपुर (प्लॉट नं. 1-2)	4.99	-
	प्लॉट नं. 6	0.89	-
	विदर्भ मिल्स, मिल गेट के दक्षिण की तरफ	1.81	-
33.	मॉडल मिल्स, नागपुर		
	मॉडल मिल्स, (प्लॉट नं. 2)	0.21	-
	मॉडल मिल्स, (पुरानी श्रम चॉल के प्लॉट का प्लॉट नं. 3)	1.29	-
	मॉडल मिल्स, (एस.टी. स्टैण्ड के नजदीक प्लॉट नं. 1)	6.98	-
	मॉडल मिल्स, (बंगला 5 के साथ प्लॉट)	1.49	-
	मॉडल मिल्स, (पुरानी श्रम चॉल)	3.16	-
	मॉडल मिल्स, (सड़क के भीतर भूमि)	28.96	-
	मॉडल मिल्स, (स्टॉफ क्वार्टर्स)	0.61	-
	मॉडल मिल्स, (चॉल)	0.29	-
34.	आर.एस.आर.जी. मिल्स, अकोला (प्लॉट नं. 3)	1.96	3.00
	प्लॉट नं. 1	1.10	-
	प्लॉट नं. 2	1.06	-
	आर.एस.आर.जी. (स्टॉफ क्वार्टर्स के साथ प्लॉट)	1.27	-
35.	टाटा मिल्स, मुंबई	4.40	-
36.	इंदु मिल्स नं. 1, मुंबई		-
37.	इंदु मिल्स नं. 2, मुंबई	**10.64	-

1	2	3	4
38.	इंदु मिल्स नं. 1, कालाचौकी, मुंबई	**5.40	-
39.	कोहिनूर मिल्स नं. 3, मुंबई	4.91	-
40.	बारसी मिल्स, बारसी	1.87	-
41.	धूले टेक्सटाइल मिल्स, धूले	10.28	-
42.	चालिसगांव टेक्सटाइल मिल्स, चालिसगांव	12.82	-
	चालिसगांव टेक्सटाइल मिल्स, चालिसगांव	0.28	-
43.	अपोलो मिल्स, मुंबई	7.43	-
	अपोलो मिल्स, (बंगला)	1.29	-
	अपोलो मिल्स, मुंबई (राइट टू वे एण्ड स्ट्रिप)	0.04	
	अपोलो मिल्स (एफ.एस.आई. की बिक्री)	0.95	
	अपोलो मिल्स (60' डी.पी. सड़क के भीतर भूमि)	0.08	-
	अपोलो मिल्स (60' डी.पी. सड़क)	0.36	-
	अपोलो मिल्स (ट्रंग्यूलर पोर्सन)	0.67	-
44.	मुंबई टेक्सटाइल मिल्स, मुंबई	16.66	-
	मुंबई टेक्सटाइल मिल्स (न्यू जैक प्रिंटिंग प्रेस)	1.00	
45.	जुपिटर टेक्सटाइल मिल्स, मुंबई	11.11	-
46.	इलफिन्सटोन मिल्स, मुंबई	7.76	-
	इलफिन्सटोन मिल्स, मुंबई (चॉल एवं छह फ्लैट)	0.31	
47.	भारत मिल्स, मुंबई	8.38	-
48.	न्यू हिंद मिल्स, मुंबई	**8.33	-
49.	औरंगाबाद मिल्स, औरंगाबाद	5.33	-
50.	पोद्दार प्रोसेस, मुंबई	2.39	-
51.	नांदेड मिल्स, नांदेड	92.01	-
52.	न्यू सिटी मिल्स	-	-
	**बी.एम.सी./महाडा को वापिस की गई		
	मध्य प्रदेश		
53.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	-	0.12

1	2	3	4
54.	इंदौर मालवा मिल्स	20.00	7.60
55.	हीरा मिल्स	-	2.86
56.	कल्याणमल मिल्स, इंदौर	0.02	1.97
	कल्याणमल मिल्स, (गोदान नं. 1)		-
57.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, इंदौर	15.32	1.72
58.	बंगाल नागपुर मिल्स	-	2.02
59.	कल्याणमल मिल्स, इंदौर		
	तमिलनाडु		
60.	पंकजा मिल्स, कोयम्बटूर	0.34	-
	पंकजा मिल्स	9.49	-
	(बिल्डिंग सहित पार्सेल ए)		-
	पंकजा मिल्स	1.24	-
	(बिल्डिंग सहित पार्सेल ए)		
61.	ओमपराशक्ति मिल्स, कोयम्बटूर	14.25	0.28
62.	कालेश्वर मिल्स, 'ए' यूनिट (साइट नं. 2)	0.18	1.44
63.	श्री रंगविलास मिल्स, कोयम्बटूर	6.21	-
	श्री रंगविलास मिल्स, कोयम्बटूर	3.46	
64.	कोयम्बटूर मुरुगन मिल्स, कोयम्बटूर	0.84	-
65.	कृष्णावेनी मिल्स, कोयम्बटूर	4.52	0.25
66.	बलरामवर्मा मिल्स, शेनचत्ता	20.22	-
67.	सोमसुन्दरम मिल्स, कोयम्बटूर		0.52
68.	श्री शारदा मिल्स, कोयम्बटूर		-
	श्री शारदा मिल्स, (पार्सेल बी)	1.46	-
	श्री शारदा मिल्स, कोयम्बटूर	1.95	-
69.	कोयम्बटूर स्पि. एवं विविंग मिल्स	-	1.47
70.	कोठांदरम मिल्स, मदुरई	2.66	

1	2	3	4
	पुडुचेरी		
71.	श्री भारती मिल्स (पी.टी.सी. को बिक्री के तहत)	15.12	-
72.	स्वदेशी कॉटन मिल्स	10.37	-
73.	स्वदेशी कॉटन मिल्स	42.93	-
	उत्तर प्रदेश		
74.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, नैनी	6.43	-
75.	बिजली कॉटन मिल्स	5.82	-
76.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर	3.23	4.80
77.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर	1.53	
78.	अथर्टन मिल्स, कानपुर	-	1.64
79.	लक्ष्मीरतन मिल्स, कानपुर	-	2.87
80.	न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	-	1.03
81.	म्यूर मिल्स, कानपुर	-	4.38
	पश्चिम बंगाल		
82.	लक्ष्मी नारायण टेक्सटाइल मिल्स, रिसरा	12.30	-
83.	रमपूरिया टेक्सटाइल मिल्स, सेरामपुर	24.29	1.68
84.	बंगाल लक्ष्मी टेक्स. मिल्स, सेरामपुर	27.72	4.12
85.	बंगश्री टेक्सटाइल मिल्स, सुखचर	26.71	1.29
86.	सेंट्रल कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, बेलूर	12.06	1.52
87.	श्री महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, पाल्टा	11.34	0.86
88.	बंगाल फाइन स्पि. एवं विविंग मिल्स नं. 2	-	0.63
89.	बंगाल फाइन स्पि. एवं विविंग मिल्स नं. 1	14.58	1.26
90.	कन्नोरिया इंडस्ट्रीज	4.01	-
91.	मनिंदरा बी.टी. टेक्स. मिल्स, कोसिमबाजार	27.64	-
92.	ज्योति विविंग फैक्टरी, कोलकाता	4.98	0.63
	बिहार		
93.	गया कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, गया	29.30	1.62

1	2	3	4
	उड़ीसा		
94.	उड़ीसा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, भगतपुर	62.17	-
	कुल	1421.68	74.38

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य/मिल का नाम	बिक्री के लिए उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
1	2	3
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	तिरुपति कॉटन मिल्स, रेणिगुंटा	43.41
2.	अनंतपुर कॉटन मिल्स, ताड़ापत्री	9.25
	कुल	**52.66**
	कर्नाटक	
3.	मैसूर मिल्स, बंगलोर	7.22
4.	एम.एस.के. मिल्स, गुलबर्गा	40.12
5.	मिनर्वा मिल्स, बंगलोर	2.00
6.	श्री येल्लमा कॉटन मिल्स, तोलाहुंसे	98.80
	कुल	**148.14**
	केरल	
7.	अलगप्पा मिल्स, अलगप्पानगर	5.38
8.	केरल लक्ष्मी मिल्स, त्रिचूर	13.25
	कुल	**18.63**
	पंजाब	
9.	खरर टेक्सटाइल मिल्स, खरर	18.10
10.	पानीपत वूलन मिल्स, खरर	12.60
11.	दयालबाग टेक्सटाइल मिल्स, अमृतसर	9.84
	कुल	**40.54**
	राजस्थान	
12.	महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर	5.17
	कुल	5.17
	गुजरात	
13.	अहमदाबाद जूपिटर मिल्स, अहमदाबाद	4.97
14.	जहांगीर मिल्स, अहमदाबाद	3.15
15.	राजनगर नं. 1, अहमदाबाद	4.29
16.	न्यू मानिकचौक टेक्सटाइल मिल्स	8.99
17.	महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, भावनगर	16.32
18.	पेटलाड टेक्सटाइल मिल्स, पेटलाड	29.28
19.	विरामगांव टेक्सटाइल, विरामगांव	14.10
	कुल	**81.10**
	महाराष्ट्र	
20.	विदर्भ मिल्स, अचलपुर (प्लॉट नं. 1-2)	
	(प्लॉट नं. 6)	9.36
	(प्लॉट नं. 1)	13.11
	आर.एस.आर.जी. (स्टॉक क्वार्टर्स के साथ प्लॉट)	
21.	इंदु मिल्स नं. 4, मुंबई	7.79

1	2	3
22.	जम मिल्स, मुंबई	7.99
23.	सीताराम मिल्स, एम मुंबई	8.43
24-25.	कोहिनूर मिल्स नं. 1 एवं 2, मुंबई	21.72
26.	आर.बी.बी.ए. मिल्स, हिंगनघाट (पुराने बंगले सहित प्लॉट नं. 1)	6.04
27.	सेवतराम रामप्रसाद मिल्स, अकोला	1.03
28.	टाटा मिल्स, मुंबई	9.98
29.	इंदु मिल्स नं. 6, मुंबई	11.96
30.	मधुसुदन मिल्स, मुंबई	11.24
31.	मुंबई टेक्सटाइल मिल्स, मुंबई	7.17
32.	दिग्विजय मिल्स, मुंबई	9.33
33.	बारसी मिल्स, बारसी	32.86
34.	फिनले मिल्स	10.40
35.	औरंगाबाद मिल्स, औरंगाबाद	10.41
	कुल	**178.82**
	मध्य प्रदेश	
36.	इंदौर मालवा मिल्स	84.21
37.	हीरा मिल्स	96.45
38.	कल्याणमल मिल्स, इंदौर	33.83
39.	कल्याणमल मिल्स, इंदौर	
40.	बंगाल नागपुर मिल्स	52.10
41.	बंगाल नागपुर मिल्स	71.30
42.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	39.88
	कुल	**377.77**
	तमिलनाडु	
43.	कालेश्वरर मिल्स 'ए' यूनिट (साइट नं. 2)	15.88

1	2	3
44.	सोमसुन्दरम मिल्स, कोयम्बटूर	6.87
45.	श्री रंगविलास मिल्स, कोयम्बटूर	7.53
46.	कोयम्बटूर मुरुगन मिल्स, कोयम्बटूर	1.47
47.	कोयम्बटूर स्पि. एवं विविंग मिल्स	20.00
	कुल	**51.75**
	उत्तर प्रदेश	
48.	बिजली कॉटन मिल्स, हाथरस	1.74
49.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर	45.06
50.	लार्ड कृष्णा मिल्स, सहारनपुर	24.70
51.	अथर्टन मिल्स, कानपुर	23.47
52.	लक्ष्मीरत्तन मिल्स, कानपुर	13.80
53.	न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	29.64
54.	म्यूर मिल्स, कानपुर	49.20
55.	श्री विक्रम मिल्स, लखनऊ	9.86
56.	रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स, रायबरेली	30.42
57.	स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स, नैनी	6.19
58.	स्वदेशी मिल्स, मऊनाथभंजन	9.20
	कुल	**243.28**
	पश्चिम बंगाल	
59.	बंगाल फाइन स्पि. एवं विविंग मिल्स नं. 2, कोटागंज	19.04
60.	मनिंदरा बी.टी. टेक्स. मिल्स, कोसिमबाजार	6.07
61.	आरती टेक्सटाइल मिल्स, हावड़ा	6.25
62.	एसोसिएड इंडस्ट्रीज, चंद्रपुर	50.00
	कुल	**81.36**

1	2	3
	बिहार	
63.	बिहार कॉ-ऑपरेटिव मिल्स, मोकामेह	22.20
	कुल	**22.20**
	कुल योग	1308.59

एयर इंडिया पर ऋण

5017. श्री एम. कृष्णास्वामी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया को ऋण की एक बड़ी राशि का भुगतान करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस भार से एयर इंडिया को बाहर निकालने में सहायता करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) नैसिल और इसकी अनुषंगी कंपनी का, अपने पुराने हो रहे बेड़े की पुनर्स्थापना और अपनी विस्तार योजनाओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने विमानों और स्पेअर इंजनों की खरीद की वित्त व्यवस्था पर बकाया ऋण 3856.245 मिलियन अमरीकी डॉलर और 6475.695 करोड़ रुपए है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, एअर इंडिया ने 17,956.75 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी के ऋण का आश्रय भी लिया है।

(ग) नैसिल की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए, नैलिस की कायाकलप (टर्नअराउंड) योजना की मॉनीटरिंग सरकार द्वारा की जा रही है। सरकार ने फरवरी और मार्च, 2010 में इक्विटी के रूप में 800 करोड़ रुपए की धनराशि 400-400 करोड़ रुपए की दो किश्तों में जारी की है। बजट 2010-11 में नैलिस में इक्विटी निवेश के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है, बशर्ते मंत्री समूह द्वारा एयरलाइन के लिए विनिर्दिष्ट लक्ष्यों (ट्रिगर प्वाइंट) को पूरा कर लिया जाए।

एयर इंडिया उड़ानों की अवधि

5018. श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया की मुंबई से दिल्ली की उड़ानों में 2 घन्टे 15/20 मिनट लगते हैं जबकि जेट एयरवेज, किंगफिशर, गो-एयर आदि जैसी अन्य एयरलाइंस में 15 से 20 मिनट कम लगते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) समय बचाने के मामले में अन्य एयरलाइंस से प्रतिस्पर्धी बनने हेतु एयर इंडिया द्वारा क्या प्रयास किए गए/किए जा रहे हैं;

(घ) क्या एयर इंडिया अन्य मार्गों पर भी उड़ानों के समय में और अधिक कटौती करने पर विचार करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) मुम्बई-दिल्ली के लिए वर्तमान ग्रीष्म 2010 की समय सारणी के लिए प्रकाशित ब्लॉक समय 2.15 घंटे है। मुम्बई-दिल्ली के बीच उड़ान समय लगभग 1.40 घंटे है तथा शेष 00.35 घंटे। टैक्सी समय तथा मुम्बई और दिल्ली में विलंबों के लिए है। रनवे 29 के आरंभ होने के पश्चात तथा विमान यातायात में व्यापक वृद्धि के कारण, विशेष रूप से मुम्बई और दिल्ली हवाईअड्डों के ऊपर, मुम्बई/दिल्ली सेक्टर के लिए ब्लॉक समय को संशोधित करके 02 घंटा 15 मिनट कर दिया गया है।

(घ) से (ङ) नैसिल अधिक वास्तविक ब्लॉक समय प्रकाशित करने में विश्वास रखती है ताकि समय अनुसूची को बनाए रखा जा सके जिससे कि बाजार में उसकी छवि और सुधरेगी।

जैसे ही दिल्ली में टी-3 टर्मिनल घरेलू उड़ानों के लिए प्रचालनिक होगा विमान को पार्किंग-बे तक पहुंचाने के लिए टैक्सी समय में व्यापक कमी होगी और तदनुसार ब्लॉक समय को संशोधित किया जाएगा।

[हिन्दी]

रेल टेल

5019. श्री धर्मेन्द्र यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार रेल टेल की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने किलोमीटर मार्ग पर 'ऑप्टिकल फाइबर केबल' (ओ.एफ.सी.) नेटवर्क स्थापित किया जा चुका है तथा इसकी 'बैंड विथ' कितनी है;

(ग) अब तक कितने रेलवे स्टेशनों को 'ओ.एफ.सी.' नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है;

(घ) क्या 'ओ.एफ.सी.' बिछाने से रेल दुर्घटनाएं कम हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. का गठन वर्ष 2000 में किया गया था।

(ख) जुलाई, 2010 तक 2.5 गीगा बाइट प्रति सेकण्ड की बैंडविथ क्षमता वाले ऑप्टिकल फाइवर केबल नेटवर्क को 35948 मार्ग किलोमीटर पर स्थापित किया गया है। उसी ओ.एफ.सी. नेटवर्क पर 30 जी.बी.पी.एस. क्षमता वाला डेन्स वेव डिवीजन मल्टिप्लेक्सिंग का अलग से फाइबर जोड़े पर 10000 मार्ग किलोमीटर पर सृजन किया गया है।

(ग) 31 जुलाई, 2010 के अनुसार, ओ.एफ.सी. नेटवर्क पर 3788 स्टेशनों को जोड़ा गया है।

(घ) और (ङ) ओ.एफ.सी. नेटवर्क का उपयोग गाड़ी परिचालन के लिए संचार मुहैया कराने के लिए किया जाता है और इसका दुर्घटनाओं से बचने के उपाय से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है।

[अनुवाद]

लघु उद्योग इकाइयों द्वारा दवाओं का उत्पादन

5020. श्री रामसिंह राठवा:

श्री आनन्द प्रकाश परांजपे:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लघु उद्योग इकाइयां दवाओं का उत्पादन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में लघु उद्योग क्षेत्र में राज्य-वार ऐसी कुल कितनी इकाइयां चल रही हैं;

(ग) इन इकाइयों द्वारा वर्ष में औसतन उत्पादन की गई दवाओं का मूल्य कितना है;

(घ) कुल उत्पादित दवाओं के मूल्य में से इस प्रकार की दवाओं के मूल्य का प्रतिशत कितना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार रियायती दरों पर आम लोगों में वितरण हेतु लघु एवं मध्यम उद्यमों से जेनरिक दवाएं खरीदने का है;

(च) यदि हां, तो इन लघु एवं मध्यम उद्यमों के गुणवत्ता नियंत्रण पर विचार किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी हां, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में कुल 1549262 सूक्ष्म तथा लघु स्तरीय उद्यम कार्यरत हैं।

(ग) और (घ) यह सूचना औषध निर्माण विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ङ) से (छ) दवाओं की गुणवत्ता और मूल्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सरकारी विभाग वितरण के लिए दवाओं की खरीद करता है।

एल.पी.जी. फिलिंग स्टेशनों की स्थापना

5021. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गुजरात के बनासकांठा में एल.पी.जी. फिलिंग स्टेशनों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) वर्तमान में गुजरात के बनासकांठा जिले में डीसा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एच.पी.सी.एल.) द्वारा एक ऑटो एल.पी.जी. वितरण स्टेशन (ए.एल.डी.एस.) का प्रचालन किया जा रहा है।

ऑटो एल.पी.जी. की कम बिक्री संभावना के कारण

गुजरात राज्य के बनासकांठा क्षेत्र में और अधिक ए.एल.डी.एस. स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुबंध कृषि

5022. श्री वैजयंत पांडा:

श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुबंध कृषि की क्या स्थिति है;

(ख) उन खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां इसे क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुबंध कृषि में तृतीय पक्ष के निवेश का उद्देश्य बेहतर प्रौद्योगिकी सुनिश्चित करना, उत्पादकता बढ़ाना तथा किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुबंध कृषि के बारे में आंकड़े नहीं रखता है।

(ग) और (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुबंध कृषि के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है। फिर भी, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में चुनौतियों के संबंध में फिक्की द्वारा हाल में कराए गए सर्वेक्षण (2010) में उल्लेख किया गया है कि दीर्घ एवं खंडित आपूर्ति शृंखला से निपटने के लिए अनुबंध कृषि कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में उभर सकती है जिससे वे इनपुटों की उपयुक्त गुणवत्ता, मात्रा और किस्में प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष फार्म लिंकेज सृजित कर सकते हैं।

एयर इंडिया की उड़ानें

5023. डॉ. चरण दास महन्त:

श्री जे.एम. आरुन रशीद:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया दिल्ली से श्रीलंका और भूटान में पारो मार्ग पर भारी यातायात के बावजूद इन मार्गों पर कोई उड़ान परिचालित नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली-पारो-दिल्ली तथा दिल्ली-श्रीलंका-दिल्ली मार्ग पर निजी एयरलाइंस को परिचालन की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) यद्यपि एअर इंडिया दिल्ली से श्रीलंका तथा पेरु के लिए प्रत्यक्ष उड़ानें प्रचालित नहीं करती है, यह रोजाना चेन्नई के रास्ते दिल्ली और श्रीलंका के बीच उसी दिन की सम्पर्कता उपलब्ध कराती है। अपर्याप्त बाजार संभाव्यता के कारण एअर इंडिया इन सेक्टरों पर प्रत्यक्ष उड़ानें प्रचालित करना वाणिज्यिक रूप से व्यवहारिक नहीं समझती है।

(ग) और (घ) किसी भी निजी एयरलाइन को अब तक दिल्ली-पेरु-दिल्ली तथा दिल्ली-श्रीलंका-दिल्ली मार्गों पर प्रचालन की अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

जेनरिक एवं ब्रांडेड दवाओं का मूल्य

5024. श्री संजय भोई: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जन औषधि बिक्री केंद्रों द्वारा बेची जा रही जेनरिक एवं ब्रान्डेड दवाओं के मूल्य में कोई अंतर है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित सारणी, जिसमें नमूने के तौर पर कुछ जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों के मूल्यों का तुलनात्मक ब्यौरा दिया गया है, से मूल्यों में अंतर का पता चलता है:-

लवण का नाम	खुराक	पैक	ब्रांडेड दवाइयों का औसत बाजार मूल्य (रुपये)	जन औषधि बिक्री केंद्रों में जेनरिक दवाइयों का मूल्य (रुपये)	मूल्यों में अंतर
एंटिबायोटिकः सिपरोफ्लोक्सासिन	250 एम.जी.	10	55.00	11.10	5 गुणा अधिक
दर्द निवारकः डिक्लोफेनक	100 एम.जी.	10	36.70	3.50	10 गुणा अधिक
आम सर्दी-जुकामः सिट्रिजिन	10 एम.जी.	10	20.00	2.75	7 गुणा अधिक
बुखारः पेरासीटामोल	500 एम.जी.	10	10.00	2.45	4 गुणा अधिक
दर्द और बुखारः नीमस्युलिड	100 एम.जी.	10	25.00	2.70	9 गुणा अधिक
कफ सिरप	110 एम.जी.	बोतल	33.00	13.30	2.5 गुणा अधिक

आमतौर पर जेनरिक दवाइयों के मूल्यों की तुलना में ब्रांडेड दवाइयों के मूल्य अधिक होते हैं। इसके विभिन्न कारण हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं - ब्रांडेड औषधियों को पेटेंट संरक्षण प्राप्त होता है और औषधि (मूल्य निर्धारण) आदेश, 1995 के अन्तर्गत मूल्य नियंत्रण के अधीन दवाइयों की संख्या सीमित है, आदि।

[हिन्दी]

ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना

5025. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ बजट में क्या प्रावधान किया गया है;

(ख) क्या इस परियोजना में विलंब हो रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पन्ना-खजुराहो तथा पन्ना-सतना लाइन का कार्य आरंभ कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस कार्य के कब तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) ललितपुर-सतना, महोबा-खजुराहो और रीवा-सिंगरौली नई लाइन पर, महोबा से खजुराहो खंड (65 कि.मी.) पर कार्य पूरा कर लिया गया है। ललितपुर-उदयपुरा (32 कि.मी.) का कार्य वर्ष 2010-11 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2010-11 के दौरान इस कार्य के लिए 100 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) जी नहीं। वैकल्पिक संरेखण, जिसमें गंगाऊ सेंच्यूरी शामिल न हो, के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर पी.आई.डी.एस.

5026. प्रो. रंजन प्रसाद यादव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर 'पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम' (पी.आई.डी.एस.) लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक लगा दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) आई.जी.आई. हवाईअड्डे पर 26 कि.मी. पैरीमीटर में से 12.1 कि.मी. भाग पर पैरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन

सिस्टम (पी.आई.डी.एस.) लगाया गया है। यह कार्य दिसम्बर, 2010 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

[हिन्दी]

मधुमेह रोगियों हेतु खान-पान सुविधाएं

5027. श्री तूफानी सरोज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में मधुमेह से पीड़ित यात्रियों हेतु पृथक खान-पान सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सुविधा को कब तक आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी, हां। 2301-2302 हावड़ा राजधानी तथा 2273-2274 हावड़ा दूरान्तो एक्सप्रेस गाड़ियों में एक पायलट परियोजना के रूप में डायबेटिक भोजन मुहैया कराने का प्रयत्न किया गया है।

पाइपलाइन से पेट्रोल की चोरी

5028. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन ऑयल की मथुरा-जालंधर पाइपलाइन को काटकर पेट्रोल की चोरी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) भविष्य में पेट्रोल की इस प्रकार चोरी, आग लगने की घटनाओं तथा पेट्रोल के रिसाव को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) ने रिपोर्ट दी है कि 16 अक्तूबर, 2008 से आई.ओ.सी.एल. की मथुरा-जालंधर पाइपलाइन (एम.जे.पी.एल.) में पाइपलाइन चोरी के 22 मामले घटित हुए हैं। इन 22 मामलों में से हरियाणा राज्य में 17, उत्तर प्रदेश राज्य में 3 और उत्तराखंड तथा दिल्ली प्रत्येक राज्य में एक-एक मामला घटित हुआ। सभी 22 मामलों में संबंधित पुलिस थानों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई हैं।

(ग) आई.ओ.सी.एल. द्वारा अपनी तेल पाइपलाइनों की संरक्षा और सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- गश्ती दल द्वारा भौतिक रूप से चलकर मार्ग के अधिकार (आर.ओ.डब्ल्यू.) की गश्त करना।
- गश्ती दल द्वारा गश्त करने की प्रभावकता की जांच करने के लिए अधिकारियों द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण।
- एम.जे.पी.एल. में रिसाव जांच प्रणाली स्थापित की गई है जिससे रिसाव/चोरी की गतिविधियों के कारण दबाव में किसी भी प्रकार की कमी के मामले में अलार्म बजने लगता है।
- पर्यवेक्षण नियंत्रण और आंकड़ा संग्रहण (एस.सी.ए.डी.ए.) प्रणाली के माध्यम से प्रचालन प्राचलों की निगरानी।
- आर.ओ.डब्ल्यू. के आस-पास जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा ग्रामवासियों से संपर्क रखना और उनमें संवेदनशीलता बनाए रखना।
- राज्य प्रशासन और जिला प्राधिकारियों के साथ निकटतम और निरंतर संपर्क बनाए रखना।

उपर्युक्त के अलावा, एम.जे.पी.एल. में बढ़ती चोरी की गतिविधियों को देखते हुए निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त कदम भी उठाए गए हैं:-

(i) प्रतिदिन सम्पूर्ण मार्ग की भौतिक गश्त के लिए पुनर्वास महानिदेशालय (डी.जी.आर.) द्वारा प्रायोजित पहरेदारों की तैनाती द्वारा लाइन गश्त को सुदृढ़ करना।

(ii) डी.जी.आर. सशस्त्र गार्ड द्वारा मार्ग के अधिकार (आर.ओ.डब्ल्यू.) के संवेदनशील हिस्सों और सड़क क्रॉसिंग की रात्रि में गश्त करना।

(iii) रात्रि में स्थानीय पुलिस के साथ पाइपलाइन आर.ओ.डब्ल्यू. की निरंतर संयुक्त गश्त करना।

(iv) दूर-दराज में निगरानी के लिए रिपीटर्स पर

सी.सी.टी.वी. आधारित निगरानी प्रणाली का प्रावधान।

(v) निवारक दंड के प्रावधान द्वारा इसे और प्रभावी बनाने के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

(vi) आर.ओ.डब्ल्यू. निष्ठा प्रबंधन प्रणाली के लिए ऑप्टीकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) आधारित निगरानी प्रणाली।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों का पुन:नामकरण

5029. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को सूरत, अहमदाबाद तथा राजकोट रेलवे स्टेशनों के नाम बदलकर क्रमश: मोरारजी देसाई, सरदार बल्लभ भाई पटेल एवं महात्मा गांधी रेलवे स्टेशन रखने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

"बुक-ए-मील" योजना

5030. डॉ. मन्दा जगन्नाथ:

श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने 'बुक-ए-मील' योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या यह योजना ई-टिकटिंग के माध्यम से बुकिंग पर भी उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गरीब रथ रेलगाड़ियों सहित सभी मेल/एक्सप्रेस/सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में यह योजना आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम ने 15-06-2010 से 2779/2780 गोवा एक्सप्रेस और 2627/2628 कर्नाटक एक्सप्रेस में पायलट योजना के आधार पर 'बुक ए मील' की सुविधाएं शुरू की हैं।

(ख) और (ग) 'बुक ए मील' योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार है:

- टिकट पुष्टि पृष्ठ पर 'बुक ए मील' का विकल्प मुहैया किया गया है ताकि यात्री, यात्रा के लिए अपने भोजन की ऑन लाइन बुकिंग कर सकें।
- यह सुविधा पूर्णत: पुष्ट ई-टिकट के लिए है न कि पी.आर.एस. पर।
- बुक किया गया भोजन, सेवा समय के अनुसार यात्रा के दौरान पेन्ट्रीकार स्टाफ द्वारा सर्व किया जाएगा।
- भोजन प्रदान कर दिए जाने के बाद पेन्ट्रीकार स्टाफ द्वारा नकद भुगतान लिया जाएगा।
- इस सेवा के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार देय नहीं होगा।
- यह सेवा केवल आई.आर.सी.टी.सी. के सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है न कि एजेन्टों के लिए।

(घ) से (च) यह परियोजना पायलट योजना के आधार पर शुरू की गई है और प्राप्त अनुभव तथा यात्रियों की संतुष्टि के स्तर के आधार पर इसका विस्तार किया जाएगा।

[हिन्दी]

मुसलमानों को आरक्षण

5031. श्री धनंजय सिंह:

श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मुसलमानों को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण प्रदान करने हेतु पालन किए जाने वाले मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार मुसलमानों के साथ-साथ किसी अन्य समुदाय को भी आरक्षण देने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) सरकार ने कुछ मुस्लिम समुदायों को अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत पहले से आरक्षण प्रदान कर रखा है। अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल मुस्लिम समुदाय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) किसी जाति/समुदाय को सामाजिक पिछड़ेपन, शैक्षिक पिछड़ेपन और आर्थिक पिछड़ेपन के मानदंडों पर पिछड़ा घोषित किया जाता है।

(घ) से (च) अन्य पिछड़े वर्गों को केन्द्रीय सूची के अंतर्गत जातियों/समुदायों को अधिसूचित करने का प्रस्ताव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से प्राप्त सलाह पर आधारित है।

विवरण

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय और राज्य सूची में आने वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मुस्लिम जातियों के नाम

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय सूची में प्रविष्टि संख्या	जाति का नाम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	37	मेहतर (मुस्लिम)
2.	असम	13	मणिपुरी (मुस्लिम)
3.	बिहार	130	बाखो (मुस्लिम)
		84	भथियारा (मुस्लिम)
		38	चिक (मुस्लिम)
		42	चुड़िहार (मुस्लिम)
		46	डफाली (मुस्लिम)
		57	धोबी (मुस्लिम)
		58	धुनिया (मुस्लिम)
		119	इदरिसी अथवा दर्जी (मुस्लिम)
		5	कसाब (कसाई) (मुस्लिम)

1	2	3	4
		91	मदारी (मुस्लिम)
		92	मेहतर लैगबेगी (मुस्लिम) हलालखोर भंगी
		93	मिरियासिन (मुस्लिम)
		102	मिरशिकार (मुस्लिम)
		103	मोमीन (मुस्लिम)
		99	मुकरी (मूकेरी) (मुस्लिम)
		67	नालबंद (मुस्लिम)
		63	नट (मुस्लिम)
		68	पमरिमा (मुस्लिम)
		109	रंगरेज (मुस्लिम)
		111	रयीन या कुंजरा (मुस्लिम)
		116	सयीस (मुस्लिम)
		131	ठकुरायी (मुस्लिम)
		129	सैकालगर (सिक्लीगर) (मुस्लिम)
4.	चंडीगढ	शून्य	
5.	दादरा और नगर हवेली	9	मकराना (मुस्लिम)
6.	दमन और दीव	शून्य	
7.	दिल्ली	शून्य	
8.	गोवा	शून्य	
9.	गुजरात	3	बफान (मुस्लिम)
		17	दफर (हिन्दू और मुस्लिम)
		19	फकीर (मुस्लिम)
		20	गधाई (मुस्लिम)
		22	गलैरा (मुस्लिम)
		23	गांची (मुस्लिम)
		24	हिंगोरा (मुस्लिम)

1	2	3	4
		28	जट (मुस्लिम)
		27	जुलाया, गराना, तरिया, तारी और अंसारी (मुस्लिम)
		32	खटकी अथवा कसाई
			चमडई खटकी
			हलारी खटकी (सभी मुस्लिम)
		43	मजोथी कुम्भार
			दरबार अथवा बदन
			मजोठी (सभी मुस्लिम)
		44	मकरानी (मुस्लिम)
		45	मटवा अथवा मटवा-कुरेशी (मुस्लिम)
		40	मीर
			धाबी
			लंघा
			मिरासी (सभी मुस्लिम)
		49	मियाना (मुस्लिम)
		54	पिंजारा
			गंची-पिंजरा
			मंसुरी-पिंजरा (सभी मुस्लिम)
		59	संधी (मुस्लिम)
		65	सिपई पाथी जमात अथवा तुर्क जमात (सभी मुस्लिम)
		70	थेबा (मुस्लिम)
		73	हजाम (मुस्लिम), खलिफा (मुस्लिम)
		76	वंजारा (मुस्लिम)
		76	वघेर (हिन्दू और मुस्लिम)
10.	हरियाणा	शून्य	

1	2	3	4
11.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	
12.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	
13.	कर्नाटक	13	चप्पर बेंड (मुस्लिम)
		179	निम्न को छोड़कर अन्य मुस्लिम
			(i) कुटची मेनन
			(ii) नवायात
			(iii) बोहरा अथवा भोरा अथवा बोराह
			(iv) सयीद
			(v) शेख
			(vi) पठान
			(vii) मुगल
			(viii) महदीविया/महदावी
			(ix) कोनकनी और जमायती मुस्लिम
14.	केरल	39ए	निम्न को छोड़कर अन्य मुस्लिम
			(i) बोहरा
			(ii) कुटकी मेनन
			(iii) नवायात
			(iv) तुरूकन
			(v) दखानी मुस्लिम
15.	मध्य प्रदेश	59	इस्लामिक ग्रुप
			1. रनरेज
			2. भिश्ती, भिश्ती-अबासी
			3. चिपा/छिपा
			4. हेला
			5. भटियारा
			6. धोबी

1	2	3	4
			7. मेवाती, मियो
			8. पिंजरा/नदाफ, फकीर, बेहना, धुनिया, धुंकर, मंसूरी
			9. कुंजारा, रैन
			10. मनीहार
			11. कसाई, कसाब, कस्साब, कौसाब, कुरैशी
			12. मिरसी
			13. बढ़ई
			14. हज्जाम, नाई, सलमानी
			15. जुलाहा-मोमिन
			16. लुहार, सैफी, नागौरी लुहार, मुलतानी लुहार
			17. तदावी
			18. बंजारा, मुकेरी, मकरानी
			19. मोची
			20. तेली, नयता, पिनडारी (पिनडारा)
			21. कलैगार
			22. पेमदी
			23. नालबंद
			24. मिरधा (जट मुस्लिमों को छोड़कर)
			25. नट (अनुसूचित जाति की सूची में शामिल को छोड़कर)
			26. नियारगर, नियारगर-मुलतानी, नियारिया
			27. गड्डी
16.	महाराष्ट्र	187	छप्परबंद (मुस्लिम सहित)
17.	मणिपुर	शून्य	
18.	उड़ीसा	शून्य	
19.	पुडुचेरी	शून्य	

1	2	3	4
20.	पंजाब	शून्य	
21.	राजस्थान	23	जुलाहा (हिन्दू और मुस्लिम)
22.	सिक्किम	शून्य	
23.	त्रिपुरा	शून्य	
24.	तमिलनाडु	26	देक्कनी मुस्लिम
25.	उत्तर प्रदेश	44	मुस्लिम कायस्थ
		22	तेली मलिक (मुस्लिम)
26.	उत्तराखंड	शून्य	
27.	पश्चिम बंगाल	शून्य	
28.	अंडमान और निकोबार	शून्य	
29.	मिजोरम	अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं	
30.	नागालैंड	अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं	

छठा वेतन आयोग

5032. श्री रामकिशुन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जा रहा है परन्तु नए वेतनमानों के अनुसार पी.टी.ओ. (रेल पास) के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार रेलवे कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतनमानों के अनुसार रेल पासों हेतु प्रावधान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों जिसमें ग्रेड पे की अवधारणा शुरू की गई है, के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सुविधा पासों तथा पी.टी.ओ. पर रेल यात्रा सुविधाओं के लिए रेल कर्मचारियों की पात्रता में संशोधन करने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इस संबंध में निर्णय लिए जाने तक पात्रता मौजूदा प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाना जारी रहेगा।

इस्पात उत्पादों पर उत्पाद शुल्क

5033. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात उत्पादों पर बढ़े हुए उत्पाद शुल्क के कारण अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू बाजारों में इस्पात उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत चल रही इस्पात इकाइयों को उत्पाद शुल्क में छूट देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) और (ख) उत्पाद शुल्क सेन्वाटेबल है और इससे घरेलू इस्पात उत्पादों की मूल कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हालांकि यह अंतिम उपभोक्ता के लिए अधिप्राप्ति लागत को प्रभावित करता है।

दिनांक 7-12-2008 को इस्पात मदों से उत्पाद शुल्क को 14% से कम करके 10% कर दिया गया था। विश्व स्तर पर आर्थिक संकट के दौरान एक आर्थिक सुधार संबंधी उपाय के रूप में बाद में दिनांक 24-02-2009 को इसे 8% तक कम कर दिया। इस्पात उत्पादों पर वर्तमान उत्पाद शुल्क 10% है।

(ग) और (घ) जी नहीं। लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य कर रही इस्पात इकाइयों के लिए उत्पाद शुल्क में छूट देने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

कंपनी के स्वामित्व वाले एवं कंपनी द्वारा परिचालित खुदरा बिक्री केन्द्र

5034. श्री प्रदीप माझी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सी.) द्वारा अब तक स्वीकृत एवं आरंभ किए गए कंपनी के स्वामित्व वाले एवं कंपनी द्वारा परिचालित खुदरा बिक्री केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन ओ.एम.सी. के कितने अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य-वार इन बिक्री केन्द्रों के परिचालन में लगे हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने दिनांक 06-09-2006 के पत्र द्वारा सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को और अधिक स्थायी कंपनी के स्वामित्व वाले एवं कंपनी द्वारा परिचालित खुदरा बिक्री केन्द्र चलाने का परामर्श दिया है;

(घ) यदि हां, तो 2006 के बाद से राज्य-वार ऐसे कितने बिक्री केन्द्रों की स्थापना की गई; और

(ङ) देश में इन खुदरा बिक्री केन्द्रों के परिचालन हेतु तैनात/तैनात किए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कल्याण हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) दिनांक 01-07-2010 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) अर्थात् इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.) द्वारा देश में 394 स्थायी और 1020 अस्थायी कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित (कोको) खुदरा बिक्री केन्द्र (आर.ओज) प्रचालनरत हैं।

(ख) स्थायी कोको के प्रचालन में ओ.एम.सीज के 226 अधिकारी कार्यरत हैं। इन अधिकारियों के अलावा, स्थानीय क्षेत्रीय बिक्री अधिकारी भी इन स्थायी कोको के प्रचालन कार्य में लगे हैं। इन स्थायी कोको के प्रचालन में कार्यरत अधिकारियों और स्टाफ का राज्यवार ब्यौरा ओ.एम.सीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय ने दिनांक 06-09-2006 के पत्र द्वारा ओ.एम.सीज को सलाह दी है कि इन स्थायी कोको का प्रचालन अपने ही अधिकारियों द्वारा करें। तथापि, सरकार ने ओ.एम.सीज को इन स्थायी कोको की संख्या में वृद्धि करने की सलाह नहीं दी है। इन बिक्री केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा ओ.एम.सीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध है।

(ङ) इन स्थायी कोको में कार्यरत अधिकारी ओ.एम.सीज के सेवा और कल्याण नियमों द्वारा शासित हैं। इन स्थायी कोको के प्रचालन के लिए स्टाफ सेवा प्रदानकर्ताओं द्वारा उपलब्ध करो जाते हैं और ये उस राज्य/क्षेत्र में लागू स्थानीय श्रमिक नियमों के तहत शासित होते हैं।

कालीकट रेलवे स्टेशन का विकास

5035. श्री एम.के. राघवन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालीकट रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार विकसित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना को पूरा करने हेतु कितनी धनराशि/श्रमशक्ति स्वीकृत/तैनात की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) कोझीकोड (कालीकट) रेलवे स्टेशन पर मानकों के अनुसार सभी अनिवार्य सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं। यात्री सुविधाओं के संवर्धन/सुधार द्वारा स्टेशनों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्यों को यात्री यातायात में वृद्धि और अन्य संबंधित वरीयताओं के आधार पर शुरू किया जाता है। सुविधाओं का संवर्धन/अपग्रेडेशन के लिए कार्य विभिन्न योजनाओं और कार्यों के तहत कोझीकोड रेलवे स्टेशन पर तदनुसार शुरू कर दिया गया है अर्थात स्टेशन भवन का फेस लिफ्टिंग,

परिचलन क्षेत्र का विकास, प्रकाश व्यवस्था में सुधार, प्लेटफार्म पर सवारी डिब्बा निर्देशन प्रणाली का प्रावधान, सेकेण्ड एंट्री बुकिंग कार्यालय इत्यादि पूरा कर लिया गया है।

(ग) कोझीकोड को पी.पी.पी. (सार्वजनिक निजी भागीदारी) के माध्यम से विश्वस्तरीय स्टेशन में विकास के लिए चिन्हित किया गया है और तदनुसार प्रारंभिक गतिविधियों को शुरू कर दिया गया है। वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों वाला, उच्च स्तरीय मल्टी डिसीप्लीनरी परियोजना टीम और एक मॉनिटरिंग टीम नामित की गई है। पी.पी.पी. मोड में, सरकार का व्यय परामर्श और व्यवहार्यता गैप, यदि कोई हो, जो प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के पूरा होने के बाद जानकारी में आएगा।

समपार संख्या 113-ख पर उपरि पुल

5036. श्री जितेन्द्र सिंह मलिक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिन्द, हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 71 पर समपार संख्या 113-ख पर रेल उपरि पुल के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उपरि पुल की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। 2009-10 के निर्माण कार्यक्रम में समपार सं. 113-बी पर रोड ओवर ब्रिज को स्वीकृत किया गया था। इस समपार पर यात्री गाड़ी वाहन यूनिट तीन लाख को पार कर गया है, यह भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। तदनुसार राज्य सरकार ने 2 लेन वाले आर.ओ.बी. को 4 लेन वाले आर.ओ.बी. में बदलने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार से ठोस प्रस्ताव प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

राष्ट्रीय यात्री सलाहकार बोर्ड

5037. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया ने यात्रियों की शिकायतों के समाधान हेतु राष्ट्रीय यात्री सलाहकार बोर्ड का गठन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमानपत्तनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। फीडबैक तंत्र के लिए एक 3 स्तरीय ग्राहक सलाहकार फोरम की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। यह फोरम एक प्लेटफॉर्म का सृजन करेगा जहां नैसिल ग्राहकों के सुझावों को प्राप्त करेगा और अपने उत्पाद एवं सेवाओं में सुधार के लिए नए विचारों का सृजन करेगा।

(ग) और (घ) हवाईअड्डों का स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण तथा हवाईअड्डों पर सुविधाओं में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। विभिन्न हवाईअड्डों का हाल ही में व्यापक आधुनिकीकरण तथा स्तरोन्नयन किया गया है।

तुर्की से कच्चे तेल का आयात

5038. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तुर्की ने एक नए एवं संभाव्य विकल्प का प्रस्ताव किया है जिससे मध्य एशिया तथा काकेशिया का तेल भारत तक आ सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में तुर्की से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) यह परियोजना अभी वैचारिक चरण में है और इसकी तकनीकी-वाणिज्यिक साध्यता सिद्ध करने के लिए विस्तृत व्यवहार्य अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। परियोजना की वैचारिक विशेषताओं पर विचार-विमर्श करने के लिए तुर्की-इजराइल-भारत के बीच जुलाई 2009 में दूसरी त्रि-पक्षीय बैठक आयोजित की गई थी। तब से परियोजना के प्रस्ताव पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

[हिन्दी]

चुरू-भदरा रेल खण्ड

5039. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम रेलवे के चुरू-रतनगढ़-सुजानगढ़-सरदारशहर-सादुलपुर-जोहर एवं भदरा क्षेत्र के बीच रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी है तथा वहां चौकीदार सहित/चौकीदार रहित समपारों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त क्षेत्र में कुछ स्थानों पर 30 किलोमीटर तक कोई समपार नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या समपारों के न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में दशकों से प्रयोग किए जा रहे मार्ग बंद हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे इन क्षेत्रों में समपारों के निर्माण हेतु कोई दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) ऐसे 3 स्थल हैं जहां 30 कि.मी. से अधिक दूरी है।

(i)	रतनगढ़-चुरू	37 कि.मी.
(ii)	रतनगढ़ वेस्ट-सरदार शहर	31 कि.मी.
(iii)	सादुलपुर-नोहर	33 कि.मी.

(ग) जी नहीं।

(घ) जो नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उत्तर पश्चिम रेलवे पर चौकीदार/बिना चौकीदार वाले समपारों का स्थलवार और लम्बाईवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

खण्ड	लम्बाई (कि.मी.)	समपार सं.	चौकीदार/बिना चौकीदार	स्थल
सुजानगढ़ (कि.मी. 370.16) से रतनगढ़ (324.33 कि.मी. तक)	45/83	23	बिना चौकीदार	370/9-10
		22	चौकीदार	358/7-8
		21	चौकीदार	369/2-3
		20	बिना चौकीदार	360/8-9
		18	बिना चौकीदार	358/7-8
		17	चौकीदार	357/3-4
		15	बिना चौकीदार	351/5-6
		14	चौकीदार	347/0-1
		11	चौकीदार	342/9-10
		9	चौकीदार	340/9-10
		6	चौकीदार	333/3-4

खण्ड	लम्बाई (कि.मी.)	समपार सं.	चौकीदार/बिना चौकीदार	स्थल
		1	चौकीदार	326/0-1
रतनगढ़ (324.33 कि.मी.) से 223.76 कि.मी.)	42.41	191	चौकीदार	323/14-15
		188-ए	चौकीदार	320/7-8
		168	चौकीदार	283/5-6
		167-ए	चौकीदार	282/4-5
चुरू (324.33 कि.मी.) से सादुलपुर (223.76 कि.मी.)	57.76	165	चौकीदार	280/3-4
		156-ए	चौकीदार	264/3-4
		155-ए	चौकीदार	262/4-5
		149-ए	चौकीदार	253/10-11
		147	चौकीदार	249/9-10
		144	चौकीदार	224/5-6
		142	चौकीदार	223/0-1
		139	चौकीदार	222/2-3
सादुलपुर (178.51/70.28/233.76 कि.मी.) से सूरतपुरा जंक्शन (174.07 कि.मी.)	04.50	43	चौकीदार	68/4-5
		41	चौकीदार	67/0-1
सूरतपुरा (174.07 कि.मी.) से तहसील भदरा (113.45 कि.मी.)	60.62	81	चौकीदार	143/0-1
		80		142/4-5
		74		132/6-7
		67	चौकीदार	117/0-1
		65	चौकीदार	114/9-10
		62-ए	चौकीदार	113/7-8
		61-ए	चौकीदार	112/10-11
		61	चौकीदार	109/13-14
		60	चौकीदार	105/5-6
		58	चौकीदार	102/3-4

खण्ड	लम्बाई (कि.मी.)	समपार सं.	चौकीदार/बिना चौकीदार	स्थल
रतनगढ़ पश्चिम (0.00 कि.मी.) से सरदार शहर (43.50 कि.मी.)	43.50	1	चौकीदार	0/10-11
		8	चौकीदार	10/7-8
		22-ए	चौकीदार	41/1-2
		24-ए	चौकीदार	42/13-14
		25	चौकीदार	43/1-2

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

5040. श्री गोपीनाथ मुंडे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशनों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना का कब तक क्रियान्वयन किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र राज्य में मॉडल स्टेशन योजना, आधुनिक स्टेशन योजना और आदर्श स्टेशन योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अपग्रेडेशन के लिए 107 स्टेशनों को चुना गया है। इन स्टेशनों के विकास और अपग्रेडेशन संबंधी सभी कार्यों को 30 जून, 2011 तक पूरा करने की योजना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु

5041. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 से 68 तथा निचली अदालतों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार उनकी सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को कोई काम नहीं सौंपने पर भी विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का विनिश्चय किया है।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 से बढ़ाकर 68 वर्ष और निचले न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग करने वाला ऐसा कोई अभ्यावेदन अखिल भारतीय विधिक संगम (ए.बी.एस.ए.) से प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, भारतीय न्यायिक अधिकारी संगम परिसंघ ने यह व्यपदिष्ट किया है कि अधीनस्थ न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु भी, न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु में प्रस्तावित वृद्धि के समान करने के लिए उपयुक्तता बढ़ाई जाए।

(ङ) और (च) 'सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उनकी सेवानिवृत्ति बढ़ाने के पश्चात् कोई समनुदेशन न देने' के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दवाओं की कीमतों में भिन्नता

5042. श्री निशिकांत दुबे: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में समान ब्रांड की दवाओं और औषधियों की कीमत/लागत में भिन्नता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार की जानकारी में ऐसे कितने मामले आए;

(ग) सरकार के मूल्य निर्धारण नियंत्रण तंत्र के अंतर्गत कौन-कौन-सी महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाइयां/औषधियां आती हैं;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में मौजूदा मूल्य निर्धारण नियंत्रण तंत्र की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(च) जीवन रक्षक और अन्य दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय/कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) देश के विभिन्न भागों में एक ही ब्रांड की औषधियों/दवाइयों के मूल्यों/कीमतों में अंतर के संबंध में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा उत्पाद शुल्क तथा अन्य करों के बिना औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 1995) के पैरा 9 के अधीन निर्धारित अनुसूचित फ़ूर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य देश भर में सभी विनिर्माताओं पर समान रूप से लागू होते हैं। विशिष्ट कंपनी/उत्पाद/ब्रांड के संबंध में उत्पाद शुल्क तथा अन्य करों के बिना राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य से भिन्न मूल्य में भी विभिन्न राज्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता और देश-भर में यह एक-सा ही रहता है।

(ग) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 1995) में जीवन रक्षक दवाइयां परिभाषित नहीं हैं। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 1995) के प्रावधानों के अधीन उक्त आदेश की प्रथम अनुसूची-I में सूचीबद्ध 74 बल्क औषधियों के मूल्य तथा इन बल्क औषधियों में से किसी औषधि वाले फार्मूलेशनों के मूल्य, नियंत्रण के अधीन हैं। '74 अनुसूचित औषधियों' की सूची एन.पी.पी.ए. की वेबसाइट www.nppaindia.nic.in. पर उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) जी नहीं।

(च) अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण अथवा संशोधन राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 95) के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.), मूल्य नियंत्रण के अधीन आयातित अनुसूचित फार्मूलेशनों सहित सभी फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग करता है। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 95) के अधीन कोई भी व्यक्ति मूल्य नियंत्रण श्रेणी वाली किसी भी फार्मूलेशन (दवाई) को एन.पी.पी.ए. द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर उपभोक्ता को नहीं बेच सकता। यदि किसी कंपनी के बारे में यह पाया जाता है कि वह एन.पी.पी.ए. द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर दवाई बेच रही है तो औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 95) के प्रावधानों के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

जो औषदियां 'औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995' के अधीन नहीं आती हैं अर्थात गैर-अनुसूचित औषधियां हैं, उनके मामले में एन.पी.पी.ए. से अनुमोदन लिए बिना ही निर्माताओं द्वारा उनके मूल्य स्वयं निर्धारित किये जाते हैं। मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के अंग के रूप में, एन.पी.पी.ए. गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में घट-बढ़ की नियमित आधार पर जांच करता है जिसके लिए ओ.आर.जी.-आई.एम.एस. की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग किया जाता है। जहां कहीं 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है तो वहां सम्बन्धित निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वैच्छा से मूल्य घटाए यदि वह ऐसा नहीं करता है तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 95) के पैराग्राफ 10(ख) के अधीन कार्यवाही की जाती है।

सरकार के विचाराधीन "प्रारूप राष्ट्रीय औषध नीति, 2006" राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एन.एल.ई.एम.), 2003

में निहित आवश्यक दवाइयों को मूल्य नियंत्रण के अधीन शामिल करने का प्रस्ताव है।

भारी उद्योगों को स्थापित किया जाना

5043. श्रीमती जे. शांता: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष रूप से देश के पिछड़े जिलों में विश्व बैंक या अन्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है/आबंटित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में सर्किट बेंच

5044. श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्नाटक के धारवाड़ तथा गुलबर्गा में दो सर्किट बेंच हेतु स्थायी दर्जा प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दो सर्किट बेंचों को कब तक स्थायी दर्जा प्रदान किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) जी हां।

(ख) और (ग) धारवाड़ और गुलबर्गा में कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठों की स्थापना करने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता मौजूदगी के बारे में पुष्टि, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से प्राप्त होनी है।

[हिन्दी]

आई.जी.आई.ए. में नया टर्मिनल

5045. श्री सुदर्शन भगत:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री नामा नागेश्वर राव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर टर्मिनल 3 हाल ही में आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मूल अनुमानित लागत क्या थी तथा कार्य निष्पत्ति के समय परियोजना पर वास्तविक लागत क्या आई;

(ग) क्या परियोजना में कोई समय तथा लागत उपरिव्यय हुआ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) परियोजना की आरंभिक लागत अनुमान के अनुसार डेवलपर द्वारा यात्रियों से क्या उपयोगकर्त्ता प्रभार उद्ग्रहित किए जाने का प्रस्ताव था;

(च) क्या परियोजना में लागत उपरिव्यय होने पर डेवलपर के पास बढ़ती लागत को यात्रियों को बढ़े हुए उपयोगकर्ता प्रभार के माध्यम से हस्तांतरित करने का अधिकार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां। टर्मिनल-3 दिनांक 28-07-2010 से अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए आरंभ हो गया है।

(ख) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) तथा भारत सरकार के साथ मैसर्स दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रा. लि. (डॉयल) द्वारा हस्ताक्षरित क्रमशः प्रचालन, प्रबंधन तथा विकास करार (ओ.एम.डी.ए.) और राज्य सहायता करार (एस.एस.ए.) के प्रावधानों के अनुसार डॉयल ने 8975 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर आई.जी.आई. हवाई अड्डा, दिल्ली (टर्मिनल टी-3 सहित) के विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया था। यह परियोजना 12,857 करोड़ रुपए की लागत पर दिनांक 31-03-2010 को कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई है। परियोजना की लागत में वृद्धि विश्वस्तरीय अवसंरचना के

विकास के व्यापक मंतव्य के साथ कार्यक्षेत्र में परिवर्तन तथा संशोधित यातायात पूर्वानुमान के कारण हुई है।

(ङ) से (छ) डॉयल को राज्य सहायता करार (एस.एस.ए.) में उल्लिखित अनुसार 'मूल हवाई अड्डा प्रभारों' को लगाने की अनुमति प्रदान की गई है। 'मूल हवाई अड्डा प्रभारों' का परिकलन राज्य सहायता करार की अनुसूची-I में उपलब्ध मापदंड के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त, डॉयल को 1827 करोड़ रुपए के वित्त पोषण अंतर को भरने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा-22क के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01-03-2010 से 36 महीनों की अवधि के लिए यात्रियों से विकास शुल्क लगाने व एकत्र करने की भी अनुमति दी गई है। विकास शुल्क लगाए जाने से एकत्र निधि का प्रयोग केवल ऐसी वैमानिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए किया जाएगा जिन्हें पट्टा अवधि समाप्त होने के उपरांत डॉयल द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाएगा।

कम्पनियों की अनुपालन रिपोर्ट

5046. श्री हरीश चौधरी:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्पनियों को श्रम कानूनों के प्रवर्तन के संबंध में कॉरपोरेट कार्य विभाग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उपबंधों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी कम्पनियों के अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इसके क्या निष्कर्ष निकले?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पैरामाउंट एयरवेज के कर्मचारी

5047. श्री के. सुधाकरण: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पैरामाउंट एयरवेज के कर्मचारियों से उनके वेतन और अन्य देय राशि का भुगतान न किए जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन अथवा शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्टॉक एक्सचेंज में निवेश

5048. श्री यशवंत लागुरी:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री गणेश सिंह:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) ने स्टॉक एक्सचेंज में निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के ये उपक्रम कौन-कौन से हैं और आज की स्थिति के अनुसार शेयर बाजार में उनके द्वारा कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इन उपक्रमों द्वारा शेयर बाजार में उक्त निवेश किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ अपनी अनुमति प्रदान की है अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्वयं की निवेश कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों

द्वारा किए गए पूंजी निवेश का ब्यौरा एक स्थान पर नहीं रखा जाता है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को सीधे शेयर बाजार में निवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। बहरहाल सरकार ने अगस्त, 2007 में नवरत्न तथा मिनीरत्न उद्यमों को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित सरकारी म्युच्अल फण्डों की योजनाओं में अपने अधिशेष कोष के 30% का निवेश करने की अनुमति प्रदान की है।

आई.जी.आई.ए. के टर्मिनल-3 के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

5049. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अग्निशमन सेवा विभाग ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के टर्मिनल-3 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अग्निशमन सेवा विभाग ने सारे परिसर में अग्निशमन उपकरण लगाने का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो उपकरण कब तक लगाए जाने की संभावना है; और

(ङ) टर्मिनल-3 कब तक पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) दिल्ली फायर सर्विस (डी.एफ.एस.) द्वारा समग्र रूप से टर्मिनल-3 भवन का व्यापक रूप से निरीक्षण किया गया था। भवन के सभी अग्निशमन सुरक्षा पहलुओं की रूपरेखा एवं इसके निर्माण की समीक्षा की गई और दिनांक 29-06-2010 के पत्र द्वारा दिल्ली फायर सर्विस ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया तथा दिनांक 28-07-2010 से इस क्षेत्र को वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए खोल दिया गया।

(ग) और (घ) जी, हां। डी.एफ.एस. ने छोटे फायर एक्सटिंग्यूसर लगाए जाने के लिए सुझाव दिया था और इस सुझाव को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया गया तथा तत्पश्चात किए गए निरीक्षण के आधार पर डी.एफ.एस. ने दिनांक 29-06-2010 के पत्र द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया।

(ङ) टर्मिनल-3 भवन से अंतरराष्ट्रीय प्रचालन दिनांक 28 जुलाई, 2010 से प्रारंभ हुआ।

[अनुवाद]

कोचीन विमानपत्तन पर दुर्घटना

5050. श्री के. सुगुमार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कोचीन विमानपत्तन पर एक कम ज्वलनशील रसायन वाली कार्गो खेप बहुस्तरीय कार्गो जांच से बचकर चेन्नई जाने वाले विमान में जाने वाली थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा खतरनाक पदार्थों की संभलाई में लापरवाही न बरतने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, नहीं। कार्गो कन्साइन्मेंट को विमान में लोड नहीं किया गया था। दिनांक 25-07-2010 को 0850 बजे कोचीन हवाईअड्डे पर एक कार्गो कंसाइन्मेंट को चेन्नई जाने वाली उड़ान संख्या आई.टी./2482 में लोड किए जाने से पूर्व उसमें धुंआ निकलने की घटना हुई थी। उस कंसाइन्मेंट को हवाईअड्डे से सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया। आगे की जांच करने पर पता लगा कि रसायनिक नमूनों का यह कन्साइन्मेंट मैसर्स हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा बुक किया गया था।

(ग) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने खतरनाक पदार्थों की हैंडलिंग के संबंध में सभी हवाईअड्डों और हवाईअड्डा प्रचालकों को ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के अनुदेश दिए हैं।

[हिन्दी]

अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन

5051. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन यूरिया उत्पादक यूनिटों की संख्या, जिन्होंने

अतिरिक्त यूरिया उत्पादन नीति के तहत गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चालू वर्ष में अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन किया;

(ख) क्या उक्त नीति के तहत उत्पादित अतिरिक्त यूरिया का उक्त अवधि में निर्यात भी किया गया,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इससे अर्जित राजस्व का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन करने वाली उर्वरक उत्पादन इकाइयों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चूंकि यूरिया के अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात नहीं किया जाता, अत: सरकार को इससे कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन करने वाली इकाइयों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	इकाई का नाम	क्षमता मी.टन	2009-10 मी.टन	2008-09 मी.टन	2007-08 मी.टन
1	2	3	4	5	6
	फीडस्टॉक गैस (1992 पूर्व)				
1.	बी.वी.एफ.सी.-नामरूप	315000			
2.	इफको आंवला	864600	135858	122322	13600
3.	इण्डोगल्फ-जगदीशपुर	864600	233790	205091	16502
4.	कृभको हजीरा	1729200	41002	14299	1561
5.	एन.एफ.एल.-विजयपुर	864600	1540	1116	33917
	उप-योग	**4638000**	**412190**	**342828**	**65580**
	फीडस्टॉक गैस (1992 उपरांत)				
6.	एन.एफ.सी.एल.-काकीनाड़ा	597300	160327	171642	158890
7.	सी.एफ.सी.एल.-कोटा	864600	155336	45239	141900
8.	टाटा	864600	365285	156091	210731
9.	के.एस.एफ.एल.	864600	107769	608	41400
10.	एन.एफ.सी.एल.-काकीनाडा विस्तार	597300	126882	11920	131100
11.	इफको-आंवला विस्तार	864600	135563	153756	1400

1	2	3	4	5	6
12.	एन.एफ.एल.-विजयपुर-विस्तार	864600	72559	73378	78500
	उप-योग	**5517600**	**1123721**	**612632**	**763921**
	कुल-गैस	**10155600**	**1535911**	**955460**	**829501**
	फीडस्टॉक नेफ्था (1992 पूर्व)				
13.	इफको-फूलपुर	551100	171517	111436	78500
14.	एम.सी.एफ.एल.-मंगलौर	379500			
15.	एम.एफ.एल.-मद्रास	486750			
16.	एस.एफ.सी.-कोटा	379500	4151	15033	
17.	स्पिक-तूतीकोरिन				
18.	जैड.ए.सी.एल.-गोवा	399300		13138	
	उप योग	**2196150**	**175668**	**139607**	**78500**
	फीडस्टॉक नेफ्था (1992 उपरांत)				
19.	इफको-फूलपुर विस्तार	864600	135503		59300
20.	सी.एफ.सी.एल.-II	864600	134603	143655	144900
	उप योग	**1729200**	**270106**	**143655**	**204200**
	कुल-नेफ्था	**3925350**	**445774**	**283262**	**282700**
	फीडस्टॉक:एफ.ओ./एल.एस.एच.एस.				
21.	जी.एन.एफ.सी.-भरूच	636900			31945
22.	एन.एफ.एल.-नांगल	478500		35916	
23.	एन.एफ.एल.-भठिण्डा	511500		25918	
24.	एन.एफ.एल.-पानीपत	511500			
	कुल-एफ.ओ./एल.एस.एच.एस.	**2138400**	**0**	**61834**	**31945**
	फीडस्टॉक: मिश्रित				
25.	जी.एस.एफ.सी.-बडौदा	370590			
26.	इफको-कलोल	544500	55627	15366	

1	2	3	4	5	6
27.	आर.सी.एफ.-थाल	1706897	53129	196624	129103
	कुल-मिश्रित	**2621987**	**1088756**	**211990**	**129103**
	सकल योग (6 ग्रुप)	18841337	2090441	1512546	1273249

सरकारी वकीलों की नियुक्ति

5052. श्री शत्रुघ्न सिन्हा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी वकीलों की नियुक्ति के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श संबंधी प्रावधान हटाए जाने से सरकारी वकीलों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाए किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार विचारण न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या की गणना संबंधी प्रक्रिया की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

आई.जी.आई.ए. के निकट आवासीय कॉलोनी

5053. श्री जयवंत गंगाराम आवले: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक सुरक्षा लेखापरीक्षा में यह पाया है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निकट कॉलोनी से इसे खतरा हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कुछ अन्य विमानपत्तन भी इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। आई.जी.आई. हवाईअड्डे की सुरक्षा को दो कॉलोनियां यथा ईस्ट मेहराम नगर तथा वेस्ट मेहराम नगर संभावित रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। कुछ और हवाईअड्डों जैसे मुम्बई, अहमदाबाद, अगरतला, जम्मू आदि में समान स्थिति है।

(ङ) सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) पैरीमीटर सुरक्षा को कड़ा किया गया है।

(ii) बेहतर पैरीमीटर सुरक्षा के लिए निवारक कार्रवाई किए जाने हेतु इस मुद्दे को संबंधित हवाईअड्डा प्रचालकों/राज्य डी.जी.पी./पब्लिक राज्य सरकारों के समक्ष उठाया गया है।

(iii) सिटी साईड सुरक्षा को बढ़ाया गया है।

(iv) सभा संवेदनशील हवाईअड्डों पर पैरीमीटर इंट्रूजन डिटक्शन सिस्टम संस्थापित किया गया है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एन्टरप्रेन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एन्टरप्रेन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 3038/15/10]

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 3039/15/10

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों से तेल द्वारा प्रदूषण का निवारण) नियम, 2010 जो 16 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 329(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 3040/15/10]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): महोदया, मैं वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 29 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 643(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी. 3041/15/10]

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अखबार अलग रख दीजिए बगल में। पढ़िए मत।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): महोदया, मैं बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी. 3042/15/10]

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): मैडम, अखबारों में आया है कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा पटल पर रखे जा रहे पत्रों के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: पेपर मत दिखाइए।

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर उनकी भर्ती किए जाने में हुई प्रगति के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 3043/15/10]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): महोदया, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए अनन्यता) संशोधन विनियम, 2010 जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 604(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए निकायों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2010 जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 605(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं, **देखिए** संख्या एल.टी. 3044/15/10]

अपराह्न 12.01½ बजे

राज्य सभा से संदेश

और

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक*

[अनुवाद]

महासचिव: महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 25 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 17 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गये झारखंड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2010 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 25 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में पारित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2010 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदया, मैं राज्य सभा द्वारा 25 अगस्त, 2010 को यथा पारित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2010 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती चन्द्रेश कुमारी (जोधपुर): मैं 'आशा संस्थाओं की कार्यदशा' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*सभा पटल पर रखे गए।

करने संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

चौथा और पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली (राजामुन्दरी): महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2010 के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2009-10)' के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

इस समय श्री चंद्रकांत खैरे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अपराह्न 12.04½ बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

12वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर (परभणी): महोदया, मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2009-10)' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): महोदया, मैं कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) खान मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2006-07)' के बारे में 21वें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय I और V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(2) इस्पात मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2006-07)' के बारे में 22वें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय I और V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(3) खान मंत्रालय के "अवैध खनन का निवारण" विषय पर 27वें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय I और V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(4) कोयला मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2007-08)' के बारे में 28वें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय I और V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यावही दर्शाने वाला विवरण।

(5) खान मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2007-08)' के बारे में 29वें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय I और V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(6) इस्पात मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2007-08)' के बारे में 30वें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय I और V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

[श्री कल्याण बनर्जी]

(7) इस्पात मंत्रालय की "राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) के कार्यनिष्पादन की समीक्षा" विषय पर 34वें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय I और V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(8) कोयला मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2008-09)' के बारे में 36वें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय I और V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(9) खान मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2008-09)' के बारे में 37वें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय I और V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(10) इस्पात मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2008-09)' के बारे में 38वें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय I और V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.05½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

21वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05¾ बजे

इस समय श्री चंद्रकांत खैरे और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

अपराह्न 12.06 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग II के तहत जारी किए गए माननीय अध्यक्ष लोक सभा के दिशा-निर्देश 73ए के अनुपालन में रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सातवीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह बयान दे रहा हूं।

"**अनुदान की मांगें 2010-11**" पर समिति की सातवीं रिपोर्ट 15-04-2010 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें 28 सिफारिशें थीं तथा उन पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट समिति को 14-07-2010 को अंग्रेजी रूपांतर तथा 27-07-2010 को हिंदी रूपांतर प्रस्तुत किए गए थे।

रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों तथा उनकी कार्यान्वयन स्थिति का ब्यौरा दर्शाने वाले विवरण संलग्न हैं। चूंकि विवरण भारी है, इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

अपराह्न 12.06½ बजे

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'तेल और गैस के वैकल्पिक स्रोतों के विकास के लिए रणनीति' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): मैं दिनांक 01 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II द्वारा माननीय अध्यक्ष, लोक

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी. 3045/15/10

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी. 3046/15/10

सभा के 73क के निर्देश के अनुसरण में 'तेल और गैस के वैकल्पिक स्रोतों के विकास के लिए कार्यनीति' विषय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की सत्रहवीं रिपोर्ट में अंतर्निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की सत्रहवीं रिपोर्ट लोक सभा में 19-11-2007 को प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट तेल और गैस के वैकल्पिक स्रोतों के विकास के लिए कार्यनीति से संबंधित है।

समिति की रिपोर्ट में अंतर्निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर कृत कार्रवाई विवरण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति को 4-2-2009 को भेजा गया था।

समिति द्वारा उक्त रिपोर्ट में 33 सिफारिशें की गई हैं जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। ये सिफारिशें मुख्यत: एथनोल और बॉयो-डीजल जैसे वैकल्पिक ईंधनों, देश में एथनोल की स्वदेशी उपलब्धता का मूल्यांकन करने, एथनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने में प्रमुख बाधाओं, एथनॉल का 5 प्रतिशत से विस्तार करके 10 प्रतिशत करने, राष्ट्रीय बॉयो-ईंधन नीति बनाने, देश में बॉयो-ईंधनों का विकास करने, जटरोफा/पोंगामिया की खेती करने, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर आर एंड डी अध्ययन करने, जटरोफा खेती का प्रशिक्षण देने, और बायो-डीजल निकालने बॉयो-ईंधन प्रौद्योगिकियों, उन्नत बीज किस्मों, तेल उत्पादन, उपयोग आदि, कोल बेड मिथेन (सी.बी.एम.) संसाधनों, भूमिगत कोयला गैसीकरण (यू.सी.जी.), हाईड्रोजन-सी.एन.जी. मिश्रम, सौर ऊर्जा आदि से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दी गई है, जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। स्थायी समिति की कुछ सिफारिशों के संबंध में सरकार का उत्तर स्थायी समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन स्थायी समिति द्वारा कुछ उत्तर स्वीकार नहीं किए गए हैं। तथापि, स्थायी समिति की 21वीं रिपोर्ट में इन शेष सिफारिशों के संबंध में स्थायी समिति को अंतिम उत्तर दे दिया गया है। मैं इस अनुबंध की पूर्ण विषय-वस्तु को पढ़कर सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। कृपया इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

अपराह्न 12.07 बजे

लोक हित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010*

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन पर या जानबूझकर शक्ति के दुरुपयोग अथवा विवेकाधिकार के जानबूझकर दुरुपयोग के प्रकटन से संबंधित शिकायतों को स्वीकार करने के लिए कोई तंत्र स्थापित करने तथा ऐसे प्रकटन की जांच करने या जांच कारित कराने तथा ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति के उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा का तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

> "कि किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन पर या जानबूझकर शक्ति के दुरुपयोग अथवा विवेकाधिकार के जानबूझकर दुरुपयोग के प्रकटन से संबंधित शिकायतों को स्वीकार करने के लिए कोई तंत्र स्थापित करने तथा ऐसे प्रकटन की जांच करने या जांच कारित कराने तथा ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति के उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा का तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदया, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

...*(व्यवधान)*

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 26-8-2010 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप लोग शांति से बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप लोग शांत हो जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग शांत हो जाइए, जीरो ऑवर चल रहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण। आप बोलना चाहते हैं, तो बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): अध्यक्ष महोदया, मेरे मतक्षेत्र साबरकांठा, गुजरात में अहमदाबाद-हिम्मतनगर उदयपुर रेलवे मार्ग पसार होता है। हिम्मतनगर से उदयपुर जाने वाले मार्ग पर विरावाडा और रायगढ़ स्टेशन के बीच सूरजपुरा और वांटडा गांव के बीच एक 202 एल.सी. आया हुआ है। यह फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग है जो इरीगेशन डिपार्टमेंट के साथ-साथ सूरजपुरा-वांटडा गांव के किसानों को खेत में जाने के लिए बहुत उपयोगी है। जब से रेलवे मार्ग बना है, तब से यह रेलवे क्रॉसिंग का उपयोग होता आया है। अब रेलवे ने इस क्रॉसिंग के फाटक को बंद कर दिया है। डी.आर.एम. अजमेर सहित अन्य अधिकारियों के सामने शिकायत करने पर भी कोई परिणाम नहीं मिला। बोलते हैं कि यह इरीगेशन का क्रॉसिंग है। आम जनता के लिए नहीं है।

महोदया, यह कैसा कानून है जो किसानों को हैरान-परेशान करता है? दोनों गांव के लोग विशेषकर किसान बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उपरोक्त एल.सी. नम्बर 202 को खोल दिया जाए। जरूरत लगे तो इसी फाटक की चाबी वांटडा स्टेशन के किसी अधिकारी को दे दी जाए, जो रेलवे पसार होने के समय जरूरत लगे तो बंद करवा सके। वैसे तो दिन में सिर्फ दो बार ही ट्रेन पसार होती है। रात के समय आप इसे पूरी रात बंद रखोगे तो भी चलेगा। सिर्फ दिन में खुला रखने की विनम्र मांग है। लोग बहुत हैरान हुए हैं। जन आंदोलन होने की संभावना है। इसलिए मेरी विनती है कि किसानों की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए फाटक खोलने का उपाय किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब हम 'शून्यकाल' शुरू करेंगे। इस पर हम अपने कक्ष में बात करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हम इस पर अपने कक्ष में बात करेंगे। अब हम 'शून्य काल' शुरू करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: अध्यक्ष महोदया, इस फाटक को केवल दिन में खुला रखने की मेरी मांग है, क्योंकि लोग बहुत हैरान-परेशान हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइए। शून्य प्रहर चलने दीजिए। उनकी जो समस्या है, उनको जो कष्ट है, हमने कहा है कि हम अपने चैम्बर में बात कर लेंगे कि इसका क्या समाधान है, उस पर बात कर लेंगे, आप कृपया करके जीरो ऑवर चलने दीजिए। जीरो ऑवर चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जीरो ऑवर चलने दीजिए। क्या आप जीरो ऑवर नहीं चलने देंगे? जीरो ऑवर चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जीरो ऑवर चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: महोदया, जन आंदोलन होने की संभावना है, इसलिए मेरी विनती है कि किसानों

की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए, फाटक खोलने का उपाय किया जाए।...*(व्यवधान)*

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.10 बजे

इस समय श्री चंद्रकांत खैरे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अपराह्न 12.11 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखें। जो सदस्य नियम 377 के अधीन अपने मामले सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के अंदर-अंदर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा जिनके लिए सभा पटल पर पर्चियां प्राप्त हो गई हैं। शेष मामले व्यपगत माने जाएंगे।

(एक) तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित रोयापुरम रेलवे स्टेशन का आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): चेन्नै शहर में वर्ष 1956 में स्थापित रोयापुरम रेलवे स्टेशन भारत में स्थापित दूसरा और दक्षिण भारत में पहला रेलवे स्टेशन है। इसके एक प्लेटफार्म तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। यह सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन से केवल चार किलोमीटर दूर है। रोयापुरम रेलवे स्टेशन के पश्चिम में 100 वर्ष पुराने रोयापुरम पुल के स्थान पर सड़क के नीचे एक भूमिगत पैदल पार-पथ बनाया जाना चाहिए। रोयापुरम स्टेशन को 72 एकड़ भूमि मिलेगी। अब इस स्टेशन का खाली डिब्बे खड़े करने के लिए केवल यार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

रोयापुरम सेन्ट्रल स्टेशन और बरास्ते अराकोणम उत्तर, बरास्ते गुम्मीडीपुंडी पूर्व और बरास्ते तांबरम दक्षिण को जोड़ने वाले एग्मोर स्टेशन के बीच है। रोयापुरम स्टेशन के आसपास 25 लाख से अधिक मध्यमवर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह से चेन्नै बंदरगाह आने वाले लोग आसानी से रोयापुरम स्टेशन पहुंच सकेंगे, क्योंकि यह दूरी पैदल तय की जा सकती है। यदि इस स्टेशन को टर्मिनल बना दिया जाए, तो सेन्ट्रल स्टेशन से उत्तर की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों को बरास्ते इस स्टेशन चलाया जा सकता है। स्टेशन के चारों ओर मौजूद सड़कों से यह पहले ही शहर से भलीभांति जुड़ा हुआ है।

मैं माननीय रेल मंत्री से रोयापुरम स्टेशन को अत्याधुनिक और आदर्श रेल टर्मिनल बनाने पर विचार करने और पर्याप्त निधियां आबंटित करने का अनुरोध करता हूं। इससे सेन्ट्रल और एग्मोर रेलवे स्टेशनों पर भीड़ भी कम होगी।

(दो) नई दिल्ली-लखनऊ और इलाहाबाद-नई दिल्ली मार्ग पर चलने वाली दूरंतो ट्रेन में मूलभूत सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): देश में नई रेल सेवा दुरन्तो आरम्भ की गई है। यह रेल सेवा काफी अच्छी है और अपने गन्तव्य स्थान पर कम समय पर पहुंचाती है और यह सेवा देश में बढ़ती रेल यात्रा की मांग को पूरा करने में काफी सफल हुई है, परंतु यह रेल सेवा जितनी अच्छी है उतनी इस रेल सेवा में सुविधाएं नहीं हैं। इलाहाबाद से नई दिल्ली एवं नई दिल्ली से लखनऊ के बीच चलने वाली इस रेल सेवा में मैं यात्रा करती हूं। इस रेल सेवा में कॉकरोच काफी मात्रा में पाये जाते हैं जो सोते हुए रेल यात्रियों के ऊपर गिर जाते हैं और बिस्तरों में खटमल हैं, जिसके कारण मुझे दो बार इन्फेक्शन हो गया और मुझे घर से अपने कम्बल ले जाने पड़ते हैं। शौचालय की दशा भी बहुत खराब है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जिस तरह की यह रेल सेवा है उसी तरह की इसमें अच्छी बुनियादी सेवाएं उपलब्ध करवाई जायें और इस रेल सेवा में सफाई का विशेष ध्यान दिया जाये नहीं तो विदेशों से आने वाले पर्यटक इस रेल सेवा का उपयोग करने से कतरायेंगे।

(तीन) तमिलनाडु के शिवकासी तालुक में पटाखा कारखाने में अचानक लगी आग की घटना में मारे गए पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को समुचित मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[अनुवाद]

श्री मानिक टैगौर (विरुद्धनगर): तमिलनाडु में, शिवकासी अपने पटाखों, माचिस और मुद्रण संबंधी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। अनेक परिवार वर्षभर माचिस पटाखों की छोटी और मध्यम किस्मों के उत्पादन जैसे लघु उद्योगों में लगे रहते हैं।

इस शहर में और इसके चारों ओर पटाखों का उत्पादन करने वाली अनेक फैक्ट्रियां हैं। 10-8-2010 की सुबह शिवकासी तालुक में वी. मीनाक्षीपुरम नामक गांव में पटाखों के उत्पादन की जांच के दौरान तमिलनाडु सरकार के राजस्व और पुलिस विभाग के संयुक्त दल ने औचक छापा मारा/दौरा किया, जिसमें एक फैक्टरी में अचानक आग लग जाने के कारण राजस्व विभाग के चार और पुलिस विभाग के चार अधिकारियों की मृत्यु हो गई। मृतकों के परिवारों के सदस्य यह मांग कर रहे हैं कि उनके इलाज का खर्च सरकार वहन करे और 20 लाख रुपए अंतरिम राहत/मुआवजे के तौर पर मंजूर किए जाएं तथा परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा आधार पर उचित रोजगार दिया जाए।

जिला कलेक्टर ने भी सरकार से सिफारिश की है कि मृतक के परिवारों के लिए तुरंत मुआवजा मंजूर किया जाए, क्योंकि वे अपने परिवारों में अकेले कमाने वाले थे। लेकिन, अब तक तमिलनाडु सरकार ने उनके लिए केवल 5 लाख रुपए का मुआवजा मंजूर किया है। इसके अलावा, पुलिस विभाग मृतक पुलिसकर्मियों को 5 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए सहमत हो गया है, लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और पुलिस तथा राजस्व, दोनों विभागों के उन कर्मियों को समान रूप से पर्याप्त राहत और मुआजवा प्रदान करने का अनुरोध करता हूं जो इस दुर्घटना में अपने स्कूली बच्चों को बिना किसी आय के छोड़ गए। इसके अलावा, सरकार को भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए आवश्यक एहतियाती कदम भी उठाने चाहिएं।

(चार) महाराष्ट्र के गढ़चिरौली-चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के धर्मस्थल, मार्कण्ड, देवस्थान को राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गडचिरोली-चिमूर): महाराष्ट्र राज्य के गड़चिरौली-चिमूर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत तालुका चामोर्शी में मारखण्डा देवस्थान एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है तथा यह काशी देवस्थान के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस धार्मिक स्थल का बड़ा महत्व है तथा इस मंदिर के निकट से पवित्र वेणगंगा गुजरती है। यहां पर महाराष्ट्र राज्य के ही नहीं बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना होता है तथा महाशिवरात्रि पर्व पर यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 15-20 लाख के आसपास होती है। इस धार्मिक स्थल का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मारखण्डा धार्मिक स्थल, जो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में स्थित है, के महत्व को देखते हुए केन्द्रीय पर्यटन की सूची में शामिल करते हुए इसे पर्यटन के रूप में विकसित करने और इसका सौन्दर्यीकरण करने के साथ-साथ वहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(पांच) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को तुरंत उपचार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): बाराबंकी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है, जो राजधानी लखनऊ से केवल 28 कि.मी. की दूरी पर होते हुए भी आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं से वंचित है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के कारण अनेक सड़क दुर्घटनाओं में लोग घायल होते रहते हैं और पर्याप्त उपचार न मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। हालांकि लखनऊ में ट्रॉमा सेन्टर है, लेकिन वह पूरे राज्य भर के लोगों के लिए है, उसे एक सामान्य ट्रॉमा सेन्टर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। पूर्वान्चल में बहराईच, गोण्डा, श्रावस्ती की दूरी 100 कि.मी. से 145 कि.मी. के बीच है और वहां के लोग दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर ले जाने के लिए दौड़ते हैं। लखनऊ पहुंचने पर वहां के ट्रॉमा सेंटर में स्थान उपलब्ध नहीं रहता है और उन्हें वहां से मना होने के बाद मजबूरन निजी अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ता है, जिससे काफी धन व्यय होता है। धनाभाव के कारण अनेकों गंभीर रूप से घायल लोगों की इलाज के अभाव में मृत्यु हो जाती है। एक पिछड़े क्षेत्र और राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे क्षेत्र बाराबंकी में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के बाद लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर पर

दबाव कम हो जायेगा और घायल व्यक्तियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और अनेकों लोग मौत के मुंह में जाने से बच सकेंगे।

अत: मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार बाराबंकी में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना करने का आदेश दें, जिससे बाराबंकी के अलावा गोण्डा, बहराईच, श्रावस्ती जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों के दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जीवन रक्षा हो सके।

(छह) कर्नाटक में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित मॉडल स्कूलों को पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): यद्यपि केन्द्र ने अपने अग्रणी कार्यक्रम यथा सर्व शिक्षा अभियान और अधिनियमों यथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं, तथापि इन योजनाओं का क्रियान्वयन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की नई अवधारणा के अंतर्गत सरकार ने शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रत्येक जिले में आदर्श विद्यालय स्थापित करना आरंभ कर दिया है। लेकिन, कर्नाटक में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चामराजनगर में कार्यरत आदर्श विद्यालयों में मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाएं नहीं हैं, जोकि स्कूलों के सफलतापूर्वक कार्यकरण हेतु पूर्वापेक्षा है। अनेक मामलों में ये आदर्श विद्यालय दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं और वे भी कामचलाऊ भवनों यथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवस्थित हैं। अंग्रेजी माध्यम वाले इन आदर्श विद्यालयों ने ग्रामीण जनता में वहनीय खर्च पर 'पब्लिक स्कूल' शिक्षा प्राप्त करने की उम्मीद जगाई है। लेकिन इन आदर्श विद्यालयों में अवसंरचना के अभाव में उनकी उम्मीदें समाप्त हो चुकी हैं। मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये आदर्श विद्यालय भविष्य में स्थापित किए जाने वाले ऐसे विद्यालयों के लिए 'आदर्श' सिद्ध हों, तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(सात) राजस्थान में हनुमानगढ़ से फलोदी बरास्ता अनुपगढ़-खजुवाला-गौडु तक के मेगा हाइवे प्रोजेक्ट के निर्माण की स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): राजस्थान का पश्चिमी भाग सीमावर्ती क्षेत्र एवं रेगिस्तानी भू-भाग होने के कारण विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण भी अपेक्षाकृत कम है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से यह मांग करता हूं कि यदि राजस्थान के सीमावर्ती व रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए हनुमानगढ़ से फलौदी तक मेगा हाईवे का निर्माण किया जाता है तो यह पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, व जैसलमेर को आपस में जोड़ने का काम करेगा तथा वर्तमान सड़क मार्ग की दूरी को भी कम करेगा। इससे भारत-पाक सीमा क्षेत्र राष्ट्रीय मेगा हाईवे से जुड़ जायेगा तथा सीमावर्ती जिलों का औद्योगिक व आर्थिक विकास भी तेजी से होगा। इसके अतिरिक्त इस मेगा हाइवे के निर्माण से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों के लिए भी आवागमन का एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। वर्तमान में भीड़ भरे राजमार्गों पर यातायात का दवाब भी कम होगा, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आयेगी। इस प्रस्तावित नये राजमार्ग के क्षेत्र में रेल फाटकों की संख्या भी बहुत कम होगी, जिससे इन मालवाहकों को व्यर्थ की समय बर्बादी से मुक्ति मिलेगी।

अत: मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से मांग करता हूं कि हनुमानगढ़ से फलौदी तक वाया अनूपगढ़-खाजूवाला-गौडू लगभग 350 कि.मी. के सड़क मार्ग का राष्ट्रीय मेगा हाइवे निर्माण की स्वीकृति शीघ्र जारी करायें।

(आठ) महाराष्ट्र में सोलापुर जंक्शन और तुलजापुर के बीच रेल सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा): महाराष्ट्र स्थित तुल्जापुर स्थान मां तुल्जा भवानी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहां पर प्रतिवर्ष लाखों लोग मां तुल्जा भवानी के दर्शनों के लिए आते हैं। विशेष रूप से नवरात्रि के दिनों में यहां बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं। चूंकि यहां पर गोवा, कर्नाटक तथा आस-पास के राज्यों से लाखों की संख्या में लोग आते हैं इसलिए सड़क यातायात बहुत ज्यादा होने से श्रद्धालुओं के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी होती है। आने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए यह आवश्यक है कि इस स्थान को रेल सुविधा से जोड़ा जाए और सोलापुर जंक्शन से

[श्री श्रीपाद येसो नाईक]

तुल्जापुर शहर तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का निर्माण किया जाए।

जैसा कि पूर्व में रेल मंत्री जी ने घोषणा भी की है कि सभी पवित्र शहरों को रेल सर्विस से जोड़ा जायेगा। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि सोलापुर जंक्शन से तुल्जापुर शहर तक ब्रॉड गेज रेलवे लाईन के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(नौ) अधिसूचना में से निकाले गए, यायावरी और अर्द्ध-यायावरी जनजातियों से संबंधित रेनके आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): वर्ष 2005 में माननीय बालकृष्ण रेनके की अध्यक्षता में विमुक्त एवं घुमन्त जातियों के कल्याण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अध्ययन के बाद 2 जुलाई, 2008 को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को सौंप दिया। परंतु आज तक इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए जल्द लागू किया जाए एवं जनहित में मैं निम्न मांग करता हूं:

1. राजस्थान के विशेषकर जालोर सिरोही जिले के गाय पालने वाले रबारी हरियाणा एवं पंजाब में गाय चराने जाते हैं उन्हें निष्क्रमण पत्र दिए जाएं तथा उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाया जाए।

2. राजस्थान के भेड़ पालक रबाड़ी जाति के लोग अकाल के कारण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश में जाते हैं उन्हें भी निष्क्रमण पत्र जारी करवाए तथा उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाया जाए।

3. पिछले 10-15 साल से सभी चीजों के दाम बढ़े परंतु उनके भाव घटे हैं फलस्वरूप राजस्थान का भेड़पालक बेहाल हो गया है जिसे बचाने हेतु विदेश से आयात होने वाली ऊन पर एन्टी डम्पिंग ड्यूटी लगाकर देशी ऊन उत्पादकों को राहत प्रदान की जाए।

4. जिस तरह से केन्द्र सरकार ने वन अधिकार कानून बनाया है उसी तरह से भेड़पालक एवं गायपालक की गोचर भूमि का उपयोग मवेशी चराने हेतु करते हैं उन्हें गोचर में मवेशी चराने का कानूनी अधिकार प्रदान किया जाए।

5. बन्जारा एवं कलबी जातियों के कल्याण हेतु योजना बनाई जाए।

(दस) उत्तर प्रदेश के हरदोई में चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने तथा उत्तर प्रदेश, कानपुर के घाटमपुर में चीनी मिल का प्रचालन शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सचान (फतेहपुर): मेरे निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर के बकेवर, खजुहा तथा घाटमपुर (कानपुर) क्षेत्र के हजारों किसानों का गन्ना क्रय केन्द्रों से बघौली चीनी मिल हरदोई पेराई के लिए जाता है। किसानों के गन्ने का 5-6 करोड़ रुपया इस मिल पर बकाया है। किसानों को जो चैक्स दिये गये थे वे भी बैंक से बगैर भुगतान के बाउन्स होकर वापस आ गये जिससे वह अपने पैसे के लिए दर-दर भटक रहे हैं। इस चीनी मिल को अब किसी अन्य को बेच दिया गया है। जिससे बकाये का भुगतान अब कौन करेगा इसकी चिन्ता किसानों को हो रही है जिसके लिए वे मिल कर्मचारियों व अधिकारियों से मिल रहे हैं परन्तु नतीजा नहीं निकल रहा है। अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि वह किसानों के गन्ने के बकाये का भुगतान जल्द से जल्द कराये जाने को कहे साथ ही घाटमपुर स्थित चीनी मिल जो बन्द पड़ी है उसे पुनः शीघ्र चालू कराये क्योंकि इस वर्ष गन्ने की उपज फतेहपुर तथा घाटमपुर क्षेत्र में काफी ज्यादा है और किसानों को गन्ने की उपज को दूर की मिलों में न भेजना पड़े।

(ग्यारह) पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफलाइटिस के प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों में ए.ई.स./जापानी एंसेफलाइटिस रोग का काफी प्रभाव है जिसमें गोरखपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर, बस्ती, महाराजगंज, संतकबीर नगर, सिद्धार्थ नगर आदि सबसे अधिक प्रभावित हैं। यह समस्त जे.ई./ए.ई.स. रोगियों का लगभग 80-85 प्रतिशत है। भारत सरकार के विशेषज्ञों द्वारा उत्तर प्रदेश के अति प्रभावित जनपदों में विशेष

जे.ई. टीकाकरण का अभियान आयोजित किये जाने का निर्णय किया गया है।

इन अति प्रभावित जनपदों के विशेष जे.ई. टीकाकरण अभियान चलाने हेतु जनसंख्या के अनुसार 1 से 15 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या लगभग 67,46,309 है, जिसके अनुसार 74,20,941 डोज जे.ई. वैक्सीन की आवश्यकता होगी। दिनांक 12 अप्रैल, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बैठक में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में जे.ई. रोग के प्रकोप पर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कुल 74.20 लाख डोज वैक्सीन भारत सरकार से मांग की गई। जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा केवल 17 लाख डोज वैक्सीन रिलीज करने का आदेश निर्गत किया गया एवं मात्र 15.47 लाख डोज वैक्सीन ही मई 2010 में वाराणसी में उपलब्ध कराई गई है। जिसका प्रदेश के चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा 'नेकेड आई' से वी.वी.एम. की जांच की गई जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक वैक्सीन प्रयोग हेतु उचित नहीं पाई गई तथा वैक्सीन की विभिन्न बैचों की एक्सपाइरी डेट भी जून एवं जुलाई 2010 पाई गई। अतः मई 2010 से प्रारंभ होने वाले जे.ई. टीकाकरण को स्थगित कर दिया गया। अतः उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के प्रभावित जनपदों में आवश्यकतानुसार वैक्सीन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाएं।

(बारह) कोयले पर रायल्टी मूल्य आधारित रूप से बिक्री मूल्य के 20% की दर से नियत किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): बारहवें वित्त आयोग ने पाया है कि भारत सरकार किए गए प्रावधान के अनुसार विशेषकर कोयले और लिग्नाइट के मामले में नियमित रूप से रॉयल्टी दरों की समीक्षा नहीं कर रही है। इस आयोग ने सिफारिश की है कि रॉयल्टी दर को यथा-मूल्य आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। होड्डा समिति ने भी यथा-मूल्य रॉयल्टी प्रणाली की सिफारिश की है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्यतः अधिक प्रयुक्त की जाती है। यथामूल्य रॉयल्टी दरों या रॉयल्टी प्रणाली में दरों में संशोधन तभी आवश्यक हो जाता है, जब खनिज अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तन होते हैं, जो दरों की समीक्षा को पुष्ट करते हैं। हमारे देश के राज्यों में अब इस मांग को लेकर एकमत हैं कि रॉयल्टी दरों को टन भार की जगह यथामूल्य आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

रॉयल्टी की यथामूल्य प्रणाली बिक्री मूल्य के समानुपातिक होगी। इसलिए, रॉयल्टी की उगाही मूल्य ढांचे में किसी परिवर्तन की स्थिति में कोयला खनन की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, रॉयल्टी दरों को समय पर संशोधित न भी किया गया तो भी बिक्री मूल्यों में किसी वृद्धि से राज्य समानुपातिक लाभ उठा पाएंगे।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कोयले पर रॉयल्टी को यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य के 20 प्रतिशत पर निर्धारित किया जाए।

(तेरह) महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हिरण अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): महाराष्ट्र के औरंगाबाद में संभाजीनगर के अंतर्गत नौ ताल्लुक हैं। कम वर्षा और इसके परिणामस्वरूप पानी की कमी के अलावा कन्नड, वैजपुर, गंगापुर, पैथान और खुलौताबाद के गांववासी हिरणों और कल्वितों के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पिछले आठ वर्षों से इस क्षेत्र में घूमने वाले हिरणों और कल्वितों द्वारा खड़ी फसल को नष्ट किया जा रहा है।

यह परेशानी, विशेषकर पिछले तीन सालों में और अधिक बढ़ गई है। हिरणों की संख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। अब ये हजारों की संख्या में 30-40 के समूहों में चारों तरफ घूम-घूम कर फसलों को नष्ट कर रहे हैं। हिरण सूखे से भी ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं। यहां तक कि बाड़ लगाने से भी कोई मदद नहीं मिली है।

राज्य वन विभाग ने 9.53 करोड़ रुपये की परियोजना बनाकर महाराष्ट्र सरकार को भेजी थी। तथापि, राज्य सरकार की वित्तीय बाध्यताओं के कारण इसे स्वीकृत नहीं किया जा सका। तलवाड़ा भादली में हिरण अभ्यारण्य की स्थापना संबंधी कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है।

इसलिए, मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह लोकहित में हिरणों/कल्वितों सहित किसानों को बचाने के लिए उक्त परियोजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।

(चौदह) छोटे और मझौले शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के अंतर्गत तमिलनाडु के सलेम जिले में इडापाडी म्यूनिसिपल टाऊन में साराबंगा नहर पर एक सड़क पुल के निर्माण हेतु निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री एस. सेम्मलई (सलेम): तमिलनाडु के सलेम जिले की इड़ापड़ी नगर निगम सीमा में साराबंगा नहर पर एक सड़क पुल के निर्माण की आवश्यकता है। नहर को पार करने के कारण वेलानडीवालसु और ग्राउंडमपट्टी नामक दो महत्वपूर्ण क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े नहीं है। इसके परिणामस्वरूप लोगों को एक स्थान से दूसरे पर आने-जाने में काफी परेशानी होती है। उन्हें अपने स्थानों पर पहुंचने के लिए घुमावदार रास्ता अपनाना पड़ता है। इस कारण अनावश्यक ट्रैफिक जाम होता है। चूंकि इड़ापड़ी नगर निगम के पास पर्याप्त निधियां नहीं हैं, अतः मैं केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे पर तात्कालिक आधार पर कार्यवाही करें और उक्त पुल के निर्माण हेतु लघु और मध्यम नगरों संबंधी शहरी अवसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के अंतर्गत पर्याप्त निधियां आवंटित करें। यह इस क्षेत्र के लोगों की चिरकालिक मांग है।

(पंद्रह) छोटे स्टॉल होल्डरों और वेंडरों के हितों की रक्षा के लिए नई रेलवे खान-पान नीति, 2010 की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): रेलवे द्वारा 'खानपान नीति 2010' की घोषणा 2005 की नीति की काफी लंबे समय तक समीक्षा के उपरांत की गई है। यद्यपि यह स्वागत योग्य कदम है और कुछ काफी प्रगतिशील कदम भी उठाए गए हैं, परन्तु यह छोटे स्टॉल धारकों और छोटे विक्रेताओं की समस्याओं का पूर्णतः समाधान करने में असफल रहे हैं।

2005 की नीति का कार्यान्वयन करते हुए भारतीय रेल व्यवस्था से हजारों छोटे विक्रेताओं को हटाया गया है। परन्तु रेलवे द्वारा नई नीति, 2010 की घोषणा के बाद जारी परिपत्र के अनुसार केवल उन विक्रेताओं को ही पुनर्वासित किया जाएगा, जिन्हें नई नीति की घोषणा के विगत छह माह के अंदर हटाया गया था। परन्तु प्रश्न यह उठता है कि उनका क्या होगा, जो काफी पहले हटाए गए थे।

नई नीति में उनके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। परन्तु नई नीति इन छोटे विक्रेताओं को बड़े व्यापारिक घराने के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा में लाएगा।

इसलिए, मैं, माननीया रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस नीति की पुनः जांच करें और हटाए गए छोटे विक्रेताओं के पुनर्वास सहित छोटे स्टाल धारकों और छोटे विक्रेताओं के हितों को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

[अनुवाद]

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: चूंकि आप 'शून्यकाल' के लिए तैयार नहीं है, अब हम 'शून्यकाल' सायं को लेंगे।

अब हम मद संख्या-17 - नियम 193 के अधीन चर्चा लेंगे।

श्री गुरुदास दासगुप्त

...(*व्यवधान*)

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): महोदया, मैं शोरगुल में कैसे बोल सकता हूं?

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

अपराह्न 12.11 बजे

तत्पश्चात् श्री चंद्रकांत खैरे और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: जम्मू और कश्मीर पर चर्चा शुरू हो गई है, अब आप बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: रघुवंश बाबू, आप बैठ जाइए, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जम्मू और कश्मीर पर चर्चा शुरू हो गई है, अब आप शांत हो जाइए।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त जी, कृपया शुरू कीजिए।

अपराह्न 12.13 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

जम्मू और कश्मीर में स्थिति

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): अध्यक्ष महोदया, अंततः संसद को कश्मीर पर चर्चा करना संभव नजर आया? यह काफी विलंब से होने वाली चर्चा है। इस सभा को कश्मीर की जनता को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि राज्य के इस मामले पर संसद में चर्चा क्यों नहीं हो पाई और कश्मीर संसदीय प्रणाली के इस उच्चतम मंच के लिये निम्न प्राथमिकता का विषय क्यों बन गया है।

कश्मीर की समस्या दशकों पुराने समय संभवतः स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से चल रही है। इसकी स्थिति के मामले में शायद ही कोई निर्णायक कदम उठाया गया है अथवा कोई परिवर्तन किया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यो, सभा में व्यवस्था बनाए रखिए। जम्मू और कश्मीर के विषय में अति गंभीर चर्चा हो रही है। कृपया शांति और व्यवस्था बनाए रखिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त जी, कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही कश्मीर की समस्या बिगड़ती जा रही है। कई कदम उठाए गए हैं, और कई उपाय किए गए हैं परंतु इस समस्या का काफी लंबे समय से हल नहीं निकला है जिसके कारण हमारे राष्ट्रीय हित को बड़ी ठेस पहुंची है।

हाल में थोड़े दिनों के लिये कुछ राहत मिली। मैं आशा करता हूं कि यह स्थिति बनी रहेगी।

मैं इस अवसर पर कश्मीर की युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि वह राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ें और राजनीतिक व्यवस्था में स्थान पाएं। मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि भारतीय लोकतंत्र जीवंत और बहुकतावादी लोकतंत्र है। कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं परंतु समाधान को जनप्रतिनिधियों द्वारा कश्मीर में रह रहे लोगों के हितों के अनुरूप ढूंढा जाएगा। यह सामान्य स्थिति बहाल करने की अपील है; यह चर्चा हेतु अपील है; यह सुलह की अपील है; और यह मुख्यधारा से जुड़ने की अपील है। यद्यपि यह एक राहत है परंतु यह बात सर्वविदित है कि कश्मीर में काफी समय से विस्फोटक स्थिति है।

यह भी सच है कि कश्मीर की स्थिति संभवतः इतनी गंभीर है जितनी पहले नहीं थी। सबसे अधिक परेशानी जिस बात से होती है और सबसे अधिक पीड़ा जिस बात से होती है वह यह है कि लगभग 50 से 60 व्यक्तियों - जिनमें से अधिकांश निर्दोष, और कुछ किशोर होते हैं - मारे गए हैं; 10 से 12 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं; और रिपोर्ट के अनुसार 1800 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार की स्थिति में सामान्य जनजीवन ठहर जाता है। लोगों के व्यवसाय और आय के साधन छिन चुके हैं और सबसे अधिक नुकसान आम आदमियों को हुआ है।

यह सच है कि कुछ विरोधियों द्वारा अत्याचार किए गए हैं; यह सच है कि पत्थर मारना पत्थर मार युद्ध में तब्दील हो गया है जैसे कि मानो हम पाषाण युग में पहुंच गए हों, यह भी सच है कि ऐसे में - सही या गलत - के बावजूद यह शिकायत रहती है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर अत्यधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा रहा है।

हिंसा का वर्तमान दौर एक निर्दोष किशोर छात्र के अध्ययन के पश्चात घर लौटते समय आसूगैस का गोला लगने के कारण हुई मृत्यु के बाद फैली थी। इस घटना से समस्या उत्पन्न हो गई और यह हिंसा के वर्तमान दौर की शुरुआत थी।

महोदया, सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि हजारों किशोर विरोध में खड़े हैं; वे हमारे बच्चे हैं, सभी भारत के नागरिक हैं और वे देश की मुख्यधारा से बहुत नजदीक से जुड़े हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं...यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार को किस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप लोग कृपया शान्त हो जाइये, सुनिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप इधर एड्रेस कीजिये।

[अनुवाद]

वे शांत रहेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप शान्त होकर सुनिये, बहुत गंभीर विषय पर, जम्मू-कश्मीर पर चर्चा हो रही है।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पीड़ा है; इसमें गहरे दुख की भावना है।

और मुझे मजबूर होकर सरकार और इस देश की जनता से यह कहना पड़ रहा है कि कश्मीर में बड़ी संख्या में लोगों में अलगाव की भावना है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस स्थिति को नाजुक स्थिति तक क्यों लाया गया। महोदया, इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि राजनीतिक तिगड़मबाजों द्वारा इतने अधिक व्यक्तियों को इस काम में कैसे लाया जा सकता है। किसी प्रकार, अलगाववाद की ताकतों और उन लोगों के बीच सेतु बनाया गया है जो दुखी हैं। एक सेतु बनाया गया है। यह ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात है।

मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता है कि तनाव बहुत अधिक है यदि शिकायत का कोई उचित आधार नहीं है तो तनाव को कृत्रिम रूप से रोका जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है और इस उचित शिकायत का उन लोगों द्वारा गलत फायदा उठाया जा रहा है जो भारत के विरोधी हैं। संभव है कि ये तारें सीमापार से जुड़ी हों परंतु यदि कोई उचित शिकायत नहीं होती तो वे सफल नहीं हो पाते।

महोदया, मुझे मजबूर होकर यह कहना पड़ रहा है कि आज के समय में शासन और शासित जनता के बीच अंतर है। यह बढ़ता हुआ अंतर है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी है। मुझे कहना होगा कि देश के इस भाग में लागू राजनीतिक प्रणाली आम आदमी की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व अथवा उन्हें व्यक्त करने में असफल रही है। इसलिए, एक पहल, एक आक्रामक पहल की आवश्यकता है अथवा यदि मैं अपने वरिष्ठ मित्र आडवाणीजी के वाक्यांश का उपयोग करूं तो सक्रिय राजनीतिक पहल की आवश्यकता है। क्या यह पहल की गई है? अथवा इसके अभाव में स्थिति बिगड़ रही है। इस राज्य और राज्य में रह रहे लोगों के आर्थिक सशक्तीकरण, आर्थिक विकास, आर्थिक उन्नति हेतु आर्थिक पैकेज के साथ राजनीतिक पहल किए जाने की आवश्यकता है।

महोदया, मुझे यह आश्चर्य की बात लगती है कि कश्मीर में आज भी निर्वाचित स्थानीय निकाय नहीं है। यह भारत का हिस्सा है। यहां भारत का संविधान लागू होता है। देश में सब जगह निर्वाचित स्थानीय निकाय हैं। कश्मीर में निर्वाचित निकाय क्यों नहीं है? वहां निचले स्तर पर लोकतंत्र नहीं है। यह इसका एक कारण हो सकता है कि शासकों और शासितों के बीच अंतर है। और इसीलिए, जैसा कि मैंने स्पष्ट किया, राजनीतिक अलगाव देश के इस भाग से जुड़े होंने की भावना के न होने को दर्शाती है।

महोदया, यह शिकायत है। हम कश्मीर पर बहुत अधिक धनराशि खर्च कर रहे हैं।

आप बहुत भारी धनराशि खर्च कर रहे हैं। क्या यह धनराशि जनता के पास पहुंचती है अथवा इसे राजनेताओं और भ्रष्ट नौकरशाहों द्वारा खा लिया जाता है। धनराशि को कौन खा रहा है? एक शिकायत यह है कि मुझे मजबूर होकर गरीबी, अत्यधिक गरीबी के बारे में कहना पड़ रहा है। कम विकास की शिकायत है। कम भुगतान की शिकायत है। यह शिकायत है कि जनता को उस निधि का लाभ नहीं मिलता जो भारत सरकार देश के इस भाग हेतु आबंटित करती है। अत्यधिक भ्रष्टाचार है। मैं जानता हूं कि हम अपने ही अत्यंत भ्रष्ट देश भारत में रह रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कश्मीर में राजनीतिक प्रणाली अधिक भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार की शिकायत है। यह शिकायत है कि उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। यह स्थिति अधिक खतरनाक है। उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है।

इस प्रकार की स्थिति में, मैं यह कहने के लिए तैयार नहीं हूं, हर प्रकार के विरोध को गुंडागर्दी माना जाए। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि केंद्रीय

परियोजनाओं हेतु करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं परंतु परियोजनाएं पूरी नहीं होती हैं। धनराशि खर्च की जाती है; परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाती है। परंतु वे पूरी नहीं हो पाती हैं। इसका ध्यान कौन रखेगा? क्या माननीय गृहमंत्री इसका ध्यान रखेंगे? अथवा वित्त मंत्री, अथवा राज्य के नव-नियुक्त मुख्यमंत्री यह कार्य करेंगे? आप युवकों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। आप हमें यह करने दीजिए। हम चाहते हैं कि युवक मुख्यमंत्री बनें। हम यह भी चाह सकते हैं कि युवक प्रधानमंत्री बनें।

डॉ. मिर्जा महबूब बेग (अनंतनाग): वह निर्वाचित मुख्यमंत्री है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: हां, वह विधानमंडल द्वारा निर्वाचित, नियुक्त हैं। मैं मानता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप मुझे एड्रेस कीजिए। आप बोलिए।

[अनुवाद]

कृपया जारी रखिए।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: वह राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। एक युवा को प्रोत्साहित किया गया है। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है।

डॉ. मिर्जा महबूब बेग: प्रणाली के रूप में प्रसार ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, यह सही तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप इधर देखकर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): आप इसे बढ़ा-चढ़ा कर कह रहे हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा है।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश): आप वाद-विवाद को रुचिकर बना रहे हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: यह रुचिकर नहीं है। यह अरुचिकर है। यह स्वयं अपने राज्य के लिए कोई सेवा नहीं है। मैं उनके अपने राज्य के लिये कह रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना भाषण जारी रखिए, डॉ. बेग, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं केवल यह कह रहा हूं कि युवाओं को आगे आना चाहिए। मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। परन्तु मैं यह कह रहा हूं कि सत्ता परिवर्तन स्वत: ही नीति परिवर्तन नहीं करेगा। क्या इसमें कोई तर्क है? सत्ता परिवर्तन स्वत: नीति परिवर्तन नहीं करेगा।

हमारे संपूर्ण देश में कृषि संकट में है। यह कश्मीर में और अधिक संकट में है। अत्याधिक बेरोजगारी है। समाजिक अवसंरचना का निर्माण नहीं किया गया है। ऊंचे क्षेत्रों पर रह रहे लोगों की मूल मानवधिकारों तक पहुंच नहीं है। मैं इसे कैसे स्पष्ट करूंगा?

ऐसे अनेक मामले हैं। मैंने अनेक बार प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि घड़ी की फैक्ट्री को बंद न करें।

एक घड़ी की फैक्ट्री थी। चूंकि यह रुग्ण है, इसे बंद कर दिया गया। मैंने प्रधानमंत्री को बताया कि एच.एम.टी. एक महत्वपूर्ण मामला है और इसमें कई सौ युवा कश्मीरी लोगों का रोजगार सम्मिलित है। दुर्भाग्यवश, प्रधानमंत्री से बात करने के बावजूद और प्रधानमंत्री द्वारा मुझे लिखने के बावजूद कि फैक्ट्री बंद नहीं होगी, यह लगभग बंद है। फिर, आई.टी.आई. - इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लि. लड़कड़ा रही है। अनेक केन्द्रीय सरकारी उपक्रम रुग्ण हैं। आंगनवाड़ी महिलाओं की समस्या है। मैंने इन्हें पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ उठाया था। उनके लिये ऊंचाई के क्षेत्रों में काम करना काफी कठिन है। पूर्व के माननीय मुख्य मंत्री जो अब केन्द्रीय मंत्री हैं, ने वादा किया था कि इस संबंध में कार्यवाही की जाएगी परन्तु कुछ भी नहीं किया गया है।

आप लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान हेतु अधिक समय तक इंतजार नहीं करा सकते। यह लोकतंत्र की एक विकारता है। लोकतंत्र प्रणाली का यह विकार कश्मीर में भी काफी हद तक विस्तारित हो गया है। इसके लिए किसे दोष दिया जाए? महोदया, कृपया इसे अन्यथा न लें यदि मैं यह कहूं कि कश्मीर के लोगों की

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

खाद्य सुरक्षा से राजनीतिज्ञों की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। स्थिति ऐसी ही है...*(व्यवधान)* महोदया खाद्य की भूख ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: डॉ. बेग, आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: गुरुदास दासगुप्त जी, आप हर चीज पर रिएक्ट मत कीजिए। आप अपना बोलिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, यह संसदीय अधीरता की सदाबहार समस्या है।

महोदया, सही या गलत मानवाधिकारों के उल्लंघन की भी शिकायत है। मैं अपने कथन सही या गलत को दोहरा रहा हूं, पुलिस ज्यादतियों की शिकायत है। सही या गलत युवा महिलाओं पर आघात की शिकायत है। इसलिए, मैं कहना चाहूंगा कि राज्य ढांचा कश्मीर में असंवेदनशील है, देश के किसी अन्य भाग की तुलना में अधिक असंवेदनशील है। इसलिए, मैं सविनय कहता हूं कि सरकार की नीति कश्मीर में सफल नहीं हुई है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह असफल हुई है। यह बहुत कठिन होगा। मैं सरकार को लज्जित नहीं करना चाहता, जो पहले ही लज्जित है।

मैं पत्थर नहीं मारना चाहता क्योंकि सरकार या मंत्रियों पर पत्थर मारने से कश्मीर में पत्थर मारना बंद नहीं हो जाएगा। इसलिए, मैं केवल यही कहूंगा कि भारत सरकार की नीति लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई है, न ही घाटी में शांति बहाल कर पाई है न ही देश के इस भाग को संपूर्ण भारत के साथ जोड़ने की चिरकालिक समस्या का समाधान कर पाई है। यही सत्य है। इसलिए मेरा क्या आग्रह है? मैं आग्रह करता हूं और आशा करता हूं कि मैं लोगों की आवाज को, कम से कम कश्मीर के लोगों के एक भाग की आवाज को प्रदर्शित कर रहा हूं कि राज्य के सरकारी ढांचे को स्वच्छ किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

गंगा जल से धो दो।

[अनुवाद]

राज्य के सरकारी ढांचे को लोगों के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाएं, भ्रष्टाचार मिटाएं, राजनीतिज्ञों और प्रशासकों की हृदयविहीन भूमिका को समाप्त करें। समग्र स्थिति केवल सुरक्षा बलों की उपस्थिति पर ही निर्भर नहीं करती है।

मैं, यह नहीं कह रहा कि उन्हें वहां से हटा लिया जाए, बल्कि सुरक्षा बलों की उपस्थिति का कोई परिणाम नहीं होगा, यदि लोगों की वास्तविक समस्या का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसलिए, कश्मीर के लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, और कश्मीर के लोग...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, कृपया मुझे पांच मिनट और दीजिए। कश्मीर के लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। उन्हें भोजन मिलना चाहिए; उन्हें रोजगार मिलना चाहिये; उनके यहां उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए; उनके यहां जीवंत लोकतंत्र होना चाहिए; और उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि वे लोकतंत्र का उसी प्रकार आनंद ले रहे हैं जिस प्रकार भारत के अन्य भागों में रहने वाले लोग लेते हैं। इसलिए, राजनीतिक पैकेज, राजनीतिक पहल और लाभकारी आर्थिक विकास का आर्थिक पैकेज न कि अलाभकारी आर्थिक विकास कश्मीर को दिया जाना चाहिए।

राजनीतिक शरारती तत्वों से कश्मीर के लोगों को अलग करने की आवश्यकता है। यह अंतर कम करना आवश्यक है और यह अर्ध-सैनिक बलों द्वारा नहीं किया जा सकता। इसका सृजन आत्मविश्वास निर्माण; आपसी भाईचारे का निर्माण; यह सही संदेश देकर कि यहां भारत में ऐसे लोग हैं जो उनके लिए बात करने के लिए तैयार हैं; जो उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं; और उन्हें अपने आप को बचाने के लिए देश के बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। हम यहां उनकी ओर से बोलने के लिए हैं, और मुझे आशा है कि सरकार उत्तर देगी।

मैं कहना चाहता हूं कश्मीर में शांति उप-महाद्वीप में शांति पर भी निर्भर करती है। यह वास्तविकता है। इसलिए सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए शांति बहाल करने के लिए; और सामान्य आर्थिक संबंध हेतु पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रहनी चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान समाज विखण्डित समाज है। निःसंदेह बड़ी संख्या में लोकतांत्रिक लोग हैं जो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं। मेरा मानना है कि कश्मीर के अधिकतर लोग भी शांति चाहते हैं। मेरा मानना है कि भारत के लोग पाकिस्तान, बंग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका अर्थात दक्षिण-एशिया क्षेत्र के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं। इसलिए, पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता एक अहम् तत्व है जिस पर मैं राजनीतिक पहल और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ बल दे रहा हूं ...(*व्यवधान*)

महोदया कृपया थोड़ी और उदारता दिखाइये। आप हमेशा उदार रही हैं।

अध्यक्ष महोदया: आप पहले ही काफी समय ले चुके हैं। कृपया अब समाप्त करें।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, मैं जानता हूं, परन्तु यह काफी लंबे समय के बाद है कि कश्मीर कार्यसूची में है।

इस देश में सख्त रवैये से बातचीत पर जोर है। सख्त रवैया स्थिति को और सख्त करेगा और यह स्थिति को नरम नहीं करेगा। 'किसी के लिए कोई रियायत नहीं' का नारा है। मैं किसी रियायत की मांग नहीं कर रहा, परन्तु राजनीतिक पहल को इसका ध्यान रखना चाहिए कि उस भाग के लोग देश से स्वयं को अलग महसूस न करें। एक विशेष मामले के रूप में सरकार को कश्मीर के लोगों की स्वायत्तता के ढांचे को विस्तारित करने पर विचार करना चाहिए, निःसंदेह देश की संप्रभुत्ता और अखण्डता के साथ। स्वायत्तता को विस्तारित किया जाना चाहिए। यह कैसे किया जाना है, यह उन्हें निर्णय लेना है। मेरा यह कहना है कि आतंकवादियों का कड़ाई से सामना किया जाना चाहिए और सीमा-पार आतंकवाद के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु लोगों के साथ नरम रहना चाहिए और अलगाव की भावना को समाप्त करना चाहिए। यह अलगाव की ही भावना है जो काफी हद तक वर्तमान स्थिति की जड़ बन गई है।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि तत्काल पहल करें। मैं कश्मीर के लोगों से अपील करता हूं कि राजनीतिक जीवन की मुख्यधारा में वापस आएं। मैं समग्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से अपील करता हूं कि सब मिलकर कश्मीर के लोगों को यह महसूस कराएं, उन्हें विश्वास दिलाएं कि उनकी समस्या का समाधान केवल भारत में ही किया जा सकता है; यदि वे भारत से बाहर जाते हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए उनकी समस्या का केवल भारत में समाधान हो सकता है। इसलिए मैं कश्मीर के लोगों से अपील करता हूं और मैंने हमेशा विश्वास किया है कि संपूर्ण सभा मेरे साथ कश्मीर के लोगों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाने और कश्मीर के लोगों में विश्वास की भावना को स्थापित करें, जिन्हें अनेक शरारती तत्वों द्वारा गुमराह किया जा रहा है।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए मुझे अवसर दिया है। कश्मीर हमारे देश का अविभाज्य अंग रहा है, आज से नहीं, हमेशा से रहा है और मुझे यह विश्वास है कि हमेशा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को हिन्दुस्तान से अलग नहीं कर सकती।

कश्मीर वह है जिसमें ऋषि परम्परा थी, सूफी परम्परा थी, जिसने देश को बहुत सारा ऐसा सद्भाव का वातावरण दिया। खास तौर पर यहां कश्मीर के सांसद बैठे हैं, जो आज भी हैं और पहले भी थे। वे हमेशा कहते हैं कि वे ऋषि परम्परा और सूफी परम्परा में विश्वास करते हैं। आज सवाल यह है कि ऐसे कश्मीर को जिसने हमें साहित्य दिया, प्राकृतिक सौन्दर्य दिया, अच्छे-अच्छे तीर्थ स्थान दिए, जो इस देश का मुकुट, इस देश के सारे साहित्य में, धर्म में, संस्कृति में बना रहा, आज वह क्यों जल रहा है? यही वह कश्मीर है, जिसके लिए कहा गया - गर फिरदौस बर रूए जमीं अस्त, हमीनस्तो, हमीनस्तो, हमीनस्त। इसका अर्थ है कि अगर पृथ्वी में कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है, यहीं है। लेकिन आज उस स्वर्ग में नर्क की ज्वाला कैसे आ गई। यह सारी लम्बी चर्चा को आज करने का समय नहीं है। लेकिन कभी न कभी इस देश को वह चर्चा भी करनी होगी।

आज हम विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य के आलोक में, प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य के आलोक में और विदेश मंत्री जी के दिए गए जवाब के आलोक में यहां चर्चा कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि कश्मीर का मामला ऐसा है कि 'लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई' आज 60 साल हो गए, सजा कश्मीर के लोग भी भुगत रहे हैं और सारा देश भी उस सजा को भुगत रहा है। इन सारे कारणों की हमें मीमांसा करनी

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर गम्भीर चर्चा होनी चाहिए। सारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को सामने रखकर होनी चाहिए। भारत विभाजन से लेकर आज तक का जो इतिहास रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में चर्चा होनी चाहिए। कश्मीर की हालत ऐसी क्यों हुई, कश्मीर इस तरह से विभाजित क्यों हुआ, इसके तथ्यों को जानकर ही हम कश्मीर की समस्या का असली समाधान कर सकते हैं।

मेरे सामने माननीय गृह मंत्री का वक्तव्य है। उसमें उन्होंने चार-पांच बड़े महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। एक बिंदु हमेशा उनका यह है और जो सही है कि कश्मीर में यह हिंसा पत्थरों की मार के कारण शुरू हुई है। शुरुआत पत्थरों की मार से हुई है। वह कहते हैं-

[अनुवाद]

"सामान्यतः, हिंसा बड़े समूहों द्वारा पत्थरबाजी से आरंभ हुई और उनका लक्ष्य पुलिस थाने, पुलिस चौकियां और अन्य सार्वजनिक संपत्ति रही।"

[हिन्दी]

यह आपका वक्तव्य है। फिर आप कहते हैं कि ऐसा खतरा पैदा हो रहा है था।

[अनुवाद]

"भीड़ द्वारा पुलिस थानों अथवा पुलिस चौकियों पर हमले का खतरा..."

[हिन्दी]

फिर आप आगे यह भी कहते हैं कि

[अनुवाद]

"पुलिस थानों और पुलिस चौकियों पर हमले के खतरे ने सुरक्षा बलों को आत्मरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए बल प्रयोग पर बाध्य कर दिया।"

[हिन्दी]

यह तथ्य है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जो बार-बार बात कही जाती है कि हिन्दुस्तान की जो फौज है, उसने वहां गोली चलाई। उसकी शुरुआत कहां से हुई? मेरी जानकारी अगर गलत हो तो सही कर दें कि शुरुआत में जे. एंड के. की पुलिस ने गोली चलाई। लेकिन गुस्सा हमारी फौज के ऊपर उतारा जा रहा है, जबकि गोली की शुरुआत उन्होंने की।...*(व्यवधान)* मैं तो माननीय गृह मंत्री जी का बयान पढ़ रहा हूं, अगर बयान गलत था तो उसी दिन बोलना चाहिए था।...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा कि

[अनुवाद]

"ऐसी घटनाएं हुई हैं जब विरोध कर रही भीड़ में से किसी ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई हैं। विश्वसनीय आसूचना है कि कुछ सशस्त्र आतंकी भीड़ में मिल गए और उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई।"

[हिन्दी]

यह माननीय गृह मंत्री जी का बयान है, मेरा बयान नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक यह बयान सच है। मैं इस बारे में आपको जरूर बधाई दूंगा कि आपने यह बात बहुत सफाई के साथ यहां कही है और यही हुआ भी है। अगर एक बात मुझे आपसे कहनी है कि इसकी जानकारी कि ऐसा होने वाला है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा; यह जानकारी अप्रैल के महीने से सरकार के पास थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आपके पास थीं। फिर आप कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत शांति का और अपने ऊपर नियंत्रण का परिचय दिया। फिर कहते हैं कि प्राइम-मिनिस्टर और चीफ-मिनिस्टर ने, प्राइम-मिनिस्टर की मीटिंग के बाद, एक डायलॉग की अपील की और उसमें कहा गया कि

[अनुवाद]

"उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लोगों से संबंधित राजनैतिक मुद्दों को हल करने के लिए वार्ता सहित शिकायतों को दूर करने के लिए वार्ता की पेशकश की है।"

[हिन्दी]

लेकिन वे पॉलिटिकल इश्यूज क्या हैं? वे पॉलिटिकल इश्यूज किस सीमा के अंतर्गत हैं? क्या वे काश्मीर की जनता और काश्मीर की सरकार के बीच में हैं या काश्मीर की सरकार के दो धड़ों के बीच में हैं या काश्मीर की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में हैं, ये क्या पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कौन से पॉलिटिकल इश्यूज

हैं, इसका जिक्र आप नहीं करते हैं? आगे चलकर आप यह कहते हैं कि

[अनुवाद]

> "जम्मू और कश्मीर सरकार सक्रिय रूप से उन राजनीतिक और प्रशासनिक उपायों पर विचार कर रही है जिनसे राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने में सहायता मिलेगी।"

[हिन्दी]

वे मेजर्स क्या हैं, चीफ मिनिस्टर तो वहां जाते ही नहीं हैं, लोगों से मिलने जाते ही नहीं हैं। जब वहां गोलियां चल रही थीं, जब वहां सिक्योरिटी फोर्सेज और जनता के बीच में संघर्ष हो रहा था, तब वे आराम के साथ किसी शिकारे में बैठे आनंद ले रहे थे या गोल्फ खेल रहे थे। सवाल यह है कि वे क्या डायलॉग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है, वे वहां लोगों को देखने तक नहीं गये। फिर आप कहते हैं कि सरकार ने जम्मू-काश्मीर के बारे में कई बार अपनी पॉलिसी साफ-साफ बताई है। माननीय गृह मंत्री जी ने यह भी कहा है कि

[अनुवाद]

> "ये मुद्दे राजनैतिक प्रक्रिया के जरिए, जम्मू और कश्मीर की जनता के सभी वर्गों के साथ वार्ता के जरिए सुलझाए जाने आवश्यक हैं। सरकार सदैव वार्ता के पक्ष में रही है। वस्तुतः, 2009 में केन्द्र सरकार ने मुख्य राजनैतिक समूहों और व्यक्तियों के साथ शांतिपूर्वक वार्ता आरंभ की थी।"

[हिन्दी]

ये कौन से ग्रुप्स हैं, क्या क्वाइट डायलॉग हुआ, आपने देश और संसद को तो बताया नहीं, क्योंकि अब तो उसका टाइम निकल गया, वर्ष 2009 से वर्ष 2010 आ गया, अब तो आप खुलासा कर सकते हैं कि वह क्वाइट डायलॉग किसके साथ था। क्या वह जिलानी साहब को जेल से निकालने के लिए था या किन्हीं और लोगों के साथ था, हुर्रियत के साथ था, लश्करे-तैयबा के साथ था, किसके साथ था - यह हमें बताया जाए। फिर आप कहते हैं कि जब श्री फजरुल हक के ऊपर प्राणघाती हमला हुआ, तब यह डायलॉग समाप्त हुआ। माननीय गृह मंत्री जी, आपको उसी वक्त समझ में आ जाना चाहिए था कि डायलॉग लोग नहीं चाहते हैं, डायलॉग करने वालों के लोग खिलाफ हैं। वहां के जो लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं, वे कभी भी डालयॉग को पसंद नहीं करेंगे, कभी भी डायलॉग होने नहीं देंगे, डायलॉग उनका रास्ता नहीं है। इस बात को समझकर हमें चलना चाहिए। फिर आप कहते हैं कि अगर शांति हो जाए, फिर हम

[अनुवाद]

> "बातचीत कर रहे हैं, असली शिकायतें दूर कर रहे हैं"

[हिन्दी]

ये जेनुअन ग्रीवेंसेज क्या हैं, यह हम आज तक नहीं समझ पाये हैं। देश भर में सब जगह ग्रीवेंसेज हैं, तो क्या और जगह अन-जेनुअन हैं? इनकी जेनुअन ग्रीवेंसेज का दायरा क्या है? कौन सी ग्रीवेंसेज जेनुअन हैं और कौन सी ग्रीवेंसेज जेनुअन नहीं हैं। हिंदुस्तान की सरकार वहां फौज भेज रही है, हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमें कब्जे में किये हुए है, क्या यह ग्रीवेंस है? हमने तो किसी भी आंदोलनकारी के मुंह से यह नहीं सुना कि उनकी कोई आर्थिक मांग है, डिवेलपमेंट की मांग है। या उनकी डवलपमेंट की मांग है, यह हमने किसी के मुंह से नहीं सुना या किसी सरकार के विरुद्ध कोई बात है, सिवाय इसके कि हम इस सरकार को नहीं मानते। उनकी कौन-सी जेनुअन ग्रीवेन्स है? अगर वे एक ही ग्रीवेन्स "आजादी या आटोनोमी" लेते हैं, इसके अलावा इस आंदोलन में मुझे कोई तीसरी ग्रीवेन्स समझ में नहीं आई। अगर यह उनकी जेनुअन ग्रीवेन्स आप मानते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसे दूर करने का एक ही रास्ता है कि आप उन्हें साफ बता दें कि आटोनोमी या आजादी एक्सेप्टेबल नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बेग साहब, आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: प्रधानमंत्री जी का बयान आया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह उन्होंने आल पार्टी मीटिंग में दिया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: शारिक जी, आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जोशी जी के भाषण के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: शारिक जी, आपकी टर्न आएगी, तब आप अपनी बात रखिएगा।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा। शारिक जी, आप बैठ जाएं।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप सभी लोग बैठ जाएं। शारिक जी, आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं। कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है। आप सभी लोग बैठ जाएं और चुप रहें।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप सभी को बोलने का मौका मिलेगा। जब आपकी बारी आएगी, तभी आप बोलिएगा। अभी आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाएं, डॉ. जोशी को बोलने दीजिए। डॉ. जोशी के भाषण के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: जो कुछ डॉ. जोशी ने कहा है उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। नेता, प्रतिपक्ष कुछ कह रही हैं।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: वह रिकार्ड में नहीं गया है। आप बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: देखिए, बहुत संवेदनशील विषय पर इस समय चर्चा हो रही है। कृपया थोड़ा संयम बरतें। अब आप बैठ जाइए। अभी कोई बात नहीं होगी। आपकी पार्टी को भी समय दिया गया है। उस समय जो भी आपकी भावना है, वह व्यक्त होगी।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष जी, हम एक

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बहुत ही गंभीर विषय पर सदन में चर्चा कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर का विषय बहुत संजीदा विषय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन से यह अपील करना चाहती हूं कि हम लोगों की सोच में फर्क हो सकता है। हमारी पार्टी की सोच अलग हो, एनसी की सोच अलग हो सकती है तथा किसी और पार्टी की सोच अलग हो सकती है। यह सदन विभिन्न सोचों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। सबको समय मिलने वाला है। आप हमारे मुंह में अपने शब्द नहीं डाल सकते और हम आपकी सोच को नहीं बदल सकते। लेकिन हम सभी अपनी-अपनी बात संजीदगी से इस सदन में रखें। आज पूरा देश इस चर्चा को देख रहा है। जो डॉ. जोशी कह रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी की सोच का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब नेशनल कांफ्रेस को समय मिलेगा, आप अपनी बात को बेबाक तरीके से कहिए। जो बात सी.पी.आई. वाले सोचते थे, वह बात गुरुदास दास गुप्ता जी ने कही है। अंत में, गृह मंत्री जी जवाब देंगे। इसलिए मैं सदन से अपील करती हूं कि यह चर्चा केवल देश में ही नहीं विदेश में भी देखी जा रही है कि भारतीय संसद इस बारे में क्या सोचती है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करती हूं कि सबको अपनी-अपनी बात संजीदगी से कहने दीजिए और सुनने का माद्दा रखिए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: महोदया, मैं माननीय प्रधानमंत्री के ऑल पार्टी मीटिंग में दिए गए बयान का हवाला दे रहा हूं, इसमें यह बात कही है -

[अनुवाद]

हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे सुरक्षा बलों का मनोबल कम हो।

[हिन्दी]

सही बात है। लेकिन वहां सिक्योरिटी फोर्सिस की हालत यह है कि लोग फील्ड ड्यूटी पर जाना नहीं चाहते हैं। मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, समाचार पत्रों में रिपोर्ट छपी हैं कि वे फील्ड ड्यूटी पर जाना नहीं चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस और सी.आर.पी.एफ. सिक्योरिटी आदि के बीच में इस बात को लेकर मनोमालिन्य भी होता है। अगर कोई अफसर फील्ड ड्यूटी पर नहीं जाना चाहता है, इसका मतलब है कि वह डिमोरेलाइज्ड है। इसका स्पष्ट मतलब है कि वह हिचकिचा रहा है। ऐसे भी हालात हैं, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं जिनमें जम्मू-कश्मीर पुलिस को अलगाववादियों ने मजबूर किया कि वे उनके साथ मिल जाएं, नारे लगाएं और पत्थर फेंके। यह डिमोरलाइजेशन का नतीजा है। डिमोरलाइजेशन हो रहा है और हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। आप बार-बार कहते हैं-

[अनुवाद]

ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे सुरक्षा बलों का मनोबल कम हो।

[हिन्दी]

लेकिन सिक्योरिटी फोर्स डिमोरलाइज्ड हैं और यह हकीकत है। अगर वे डिमोरलाइज नहीं होते तो वे फील्ड ड्यूटी में जाने से नहीं हिचकिचाते। पुलिस वाले अपने घरों के आसपास ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं। यह स्पष्ट बात है। इसे नकारने से आप सत्य को नकारेंगे और हकीकत से दूर जाएंगे। आप कहते हैं कि हम कश्मीर की बहुत आर्थिक सहायता कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। आज तक के हालात हैं कि 94,000 करोड़ रुपया जम्मू-कश्मीर को दिया जा चुका है। हर साल 8,000, 9,000 या 10,000 करोड़ रुपया दिया जाता है। यह प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं। आप वहां पैसा दे रहे हैं। गुरुदास जी ने कहा कि पैसा जा रहा है। यह हकीकत है कि बहुत कुछ जा रहा है। लेकिन कहां जा रहा है? किसके पास जा रहा है? अगर इसमें करप्शन है तो वह जम्मू-कश्मीर सरकार का है। इसमें भारत सरकार का क्या दोष है? इसमें हिन्दुस्तान को गाली देने का क्या मतलब है? अगर यह संघर्ष कश्मीर सरकार के साथ हो तो समझ में आता है कि पैसा कश्मीर सरकार को दिया गया और उसने जनता को नहीं पहुंचाया, डेवलपमेंट के काम नहीं किए। आप उनसे लड़िए। हम भी उनसे पूछेंगे कि यह पैसा दिया गया तो कहां गया? जनता के पास पैसा क्यों नहीं गया? लेकिन इसका दोष भारत को तो नहीं दिया जा सकता। भारत को अपनी पूरी सद्भावना, सदृइच्छा और पूरे स्नेह के साथ पैसा दे रहा है। देश की पापुलेशन की तुलना में जम्मू-कश्मीर की पापुलेशन एक परसेंट है जबकि 10 या 11 प्रतिशत सहायता दी जा रही है। किस इकनॉमिक पैकेज की बात की जा रही है? गुरुदास गुप्ता जी ने कहा इकनॉमिक पैकेज चाहिए। कौन सा चाहिए? कितना चाहिए? किस काम के लिए चाहिए? कौन एग्जीक्यूट करेगा? साठ साल

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

में दिया गया और पिछले दस सालों में तो बहुत कुछ दिया गया? यह कहना कि यह प्रॉब्लम इकनॉमिक प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं है।

अपराह्न 1.04 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

मैंने किसी आंदोलन की आवाज में सुना है, अखबारों में देखा है कि उन्होंने इकनॉमिक पैकेज की आवाज नहीं उठाई। उनकी एक ही आवाज है - आजादी, ऑटोनोमी, हिन्दुस्तान सरकार से मुक्ति। मैं अभी आपको वहां के बयान पढ़कर सुनाऊंगा। आप देखें तमाशा यह है कि सरकार कमेटी एपाइंट करती है। आपने इकनॉमिक पैकेजिस दिए हैं। आपने तीसरी बार कमेटी बनाई है। पहले श्री रंगराजन की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट दी। इसका क्या हुआ? वह रिपोर्ट कहां गई? और तीसरी बार फिर कमेटी बना दी। आपने कमेटी बनाई तो उसमें एक सज्जन ने कहा कि मुझसे पूछा ही नहीं गया। श्री कलंदर कहते हैं कि मेरी कंसेंट नहीं थी, मुझसे बिना पूछे घोषित कर दिया गया कि मैं इस इकनॉमिक पैकेज कमेटी का सदस्य हूं। आप ऐसे कमेटी बनाते हैं? दो-तीन कमेटी हो जाती हैं और रिपोर्ट पर चर्चा नहीं होती। वह कहां हैं? यह ठंडे बस्ते में है या कहां चली गई, कुछ पता नहीं चलता है। आप फिर एक कमेटी बनाते हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि आज घाटी के लोगों में आपकी सरकार के लिए कोई विश्वास नहीं है।

[अनुवाद]

उन्हें विश्वास नहीं है।

[हिन्दी]

आप जो कुछ कहते हैं, उसे पूरा नहीं कर पाते। आप जो कुछ ऐलान करते रहे हैं, उसे आपने अंजाम नहीं दिया। यह एक ऐसा तथ्य है, जो वहां के तमाम लोगों की जुबान पर है कि आपका क्या भरोसा करें। मेरे सामने सैयद अली शाह जिलानी साहब का बयान है। उन्होंने यह कहा है-

[अनुवाद]

"मैं इन बैठकों को कोई महत्व नहीं देता हूं। प्रधानमंत्री पार्टी को क्या देंगे? जहां तक जम्मू और कश्मीर के लोगों का संबंध है, इसका कोई परिणाम नहीं होगा। ये बैठकें नई दिल्ली में इस धारणा के साथ होती हैं कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है।"

वे कहते हैं कि यह धारणागत है। हां, यह एक धारणा है क्योंकि यह एक संवैधानिक तथ्य है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। यह एक भौगोलिक तथ्य है। यह एक राजनैतिक तथ्य है। वे कैसे कह सकते हैं कि यह केवल धारणागत है और वास्तविक नहीं है? यह धारणागत है। फिर वे कहते हैं:

"सरकार कश्मीर की राजनैतिक समस्या और जम्मू कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता की उम्मीदों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है।"

यह उम्मीद है और आर्थिक विकास नहीं है और यह पैकेज भी नहीं है। वे आगे कहते हैं:

"जब तक भारत जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनके अधिकार, उनकी शक्तियां और स्वतंत्रता से इंकार करता रहेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। भारत को कश्मीर की स्वतंत्रता स्वीकार करनी होगी तथा जम्मू और कश्मीर के लोगों को अपने भाग्य का निर्णय करने की छूट देनी होगी। नई दिल्ली से थोपा गया शासन का अन्य कोई भी स्वरूप हमारे लोगों को स्वीकार्य नहीं है।"

यह प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद का बयान है

[हिन्दी]

और मांग क्या है?

[अनुवाद]

"भारत को पहले राज्य से सभी सुरक्षा बल हटाने के लिए सहमत होना होगा। पाकिस्तान को भी सेनाएं हटाने के लिए कहा जाएगा। जम्मू और कश्मीर के भविष्य पर जनमत संग्रह होना चाहिए।"

क्या यही आधार है जिस पर आप वार्ता करने जा रहे हैं? वे आगे कहते हैं:

"गत 62 वर्षों से हमारी यही मांग है। भारत को इस मांग को स्वीकार करना होगा।"

[हिन्दी]

इनसे आप डॉयलाग करेंगे। आप कहते हैं कि कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के दायरे में डॉयलाग होना चाहिए। क्या ये कदम उन डॉयलाग्स की तरफ बढ़ाये जा रहे हैं? फिर वह आगे कहते हैं -

[अनुवाद]

"ये कथित वार्ताएं 23 मार्च, 1952 से हो रही हैं। भारत सरकार और कश्मीर के लोगों के बीच वार्ता के कम से कम 130 दौर हो चुके हैं। परिणाम शून्य ही रहा है। ये वार्ताएं व्यर्थ हैं। वे हमें बेवकूफ बनाने के लिए बुलाते हैं। वे जम्मू और कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। भारत सरकार हमें हमारे संघर्ष से विचलित करने के लिए चालें चलती है।"

[हिन्दी]

साठ सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यह हालत हुई है।

[अनुवाद]

आप पर भरोसा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि आप कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि आप भारत के लोगों को भी बेवकूफ बना रहे हैं।

[हिन्दी]

फिर वह आगे कहते हैं।

[अनुवाद]

"हुर्रियत के सभी गुट भारतीय सुरक्षा बलों से मुक्ति और जम्मू और कश्मीर के भविष्य पर जनमत संग्रह चाहते हैं।"

वे यह चाहते हैं। क्या आप इस आधार पर वार्ता करेंगे? क्या आपकी वार्ता का यही आधार होगा? क्या यह कार्यसूची में है? यदि हां, तो कहिए; खुलकर हां कहिए। यदि नहीं तो कहिए: नहीं।

[हिन्दी]

इसमें आपकी जो महबूबा साहिबा हैं, जो पी.डी.पी. और सरकार का हिस्सा भी रही हैं। वह कहती हैं-

[अनुवाद]

"पी.डी.पी., जिसने प्रधानमंत्री की शुरुआती टिप्पणी का स्वागत किया था लेकिन स्वायत्तता के मुद्दे पर यह कहते हुए प्रतिक्रिया दी कश्मीर केन्द्र और राज्य के बीच की समस्या नहीं है। इसके आंतरिक और बाहरी, दोनों आयाम हैं जिनको हल किया जाना चाहिए। शक्तियों का प्रत्यायन संकल्प का एक भाग हो सकता है लेकिन स्वयं संकल्प नहीं हो सकता क्योंकि हमें कश्मीर के दूसरी ओर भी संबंधों का ध्यान रखना है।"

[हिन्दी]

क्या आप उसे बातचीत में शामिल करेंगे, क्या पाकिस्तान को बातचीत में शामिल करेंगे?

[अनुवाद]

बाहरी आयाम क्या है?

[हिन्दी]

उन्होंने यह बात साफ कर दी

[अनुवाद]

कि कोई बाहरी आयाम है।

[हिन्दी]

मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्सटर्नल डायमैन्शन है। इस स्टोन पैल्टिंग के पीछे भी एक्सटर्नल डायमैन्शन है।

[अनुवाद]

एक बाहरी आयाम है। आप इसे कैसे हल करेंगे? क्या आप मानते हैं कि एक बाहरी आयाम है? फिर वे आगे कहते हैं:

"मीरवायज उमर फारुख और श्री अब्दुल गनी भट्ट ने यह कहते हुए स्वायत्तता का प्रस्ताव खारिज कर दिया कि यह समस्या का हल नहीं है जिसका गत छह दशक से समाधान नहीं हुआ है। स्वायत्तता दिल्ली और श्रीनगर के बीच एक समझौता है। कश्मीर स्वायत्तता का स्वाद चख चुका है। स्वायतत्ता, जिसने जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री के शरीर और आत्मा दोनों को निगल लिया।"

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

उनका कहना है कि इसीलिए यह स्वायत्तता अर्थहीन है। हुरियत के कट्टरपंथी गुट के अध्यक्ष सैयद अब्दुल गिलानी ने कहा है,

"प्रधानमंत्री ने कश्मीर के बारे में काफी कुछ कहा है लेकिन असली मुद्दे की उपेक्षा की है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि नौकरियां और आर्थिक पैकेज कश्मीर के आत्म-निर्णय के आधिकार का स्थान नहीं ले सकते।"

[हिन्दी]

आप इकोनोमिक पैकेज देते जाइये और वे कहते हैं-

[अनुवाद]

"यह विकल्प नहीं है। हम भारत से स्वतंत्रता चाहते हैं; भारतीय सशस्त्र बलों की गुलामी से स्वतंत्रता चाहते हैं और भारत सरकार को जम्मू और कश्मीर पर कोई व्यवस्था नहीं थोपनी चाहिए।"

[हिन्दी]

अगर यह बात है तो फिर आप बताइये कि आप कैसे इस प्राब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं? क्या आप डायलॉग करेंगे, किस तरह से करेंगे, कब तक करेंगे, क्या अलगाववादियों को खुलकर खेलने देंगे? यह बुनियादी सवाल है, आप इसको देखें।

उपाध्यक्ष जी, मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिनों पहले आर्मी चीफ ने एक बात कही थी कि हमने टाइम मिस कर दिया है, हमसे मौका चूक गया है। उन्होंने यह सही कहा था लेकिन बाद में यह जरूर कहा गया कि आर्मी चीफ को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये थी, पौलिटिकली बात नहीं बोलनी चाहिये थी। मैं समझता हूं कि उन्होंने सही बात कही थी। यह समस्या क्यों आयी, यह इसलिये आयी कि एक वक्त था, जब बहुत से आन्दोलनकारी शान्त थे, मिलिटैंसी मार्जिनलाइज्ड थी और बहुत सारे लोग डैमोक्रेटिक प्रोसैस में शामिल होने के लिये तैयार थे। एक वक्त था जब गिलानी साहब भी आपके डैमोक्रेटिक प्रोसैस में शामिल थे। मगर फिर क्या हो गया? यह आपकी नीतियों का ही नतीजा है। आप इस बात को समझ लें। अब ये कहते हैं कि अगर ये सब लोग डैमोक्रेटिक प्रोसैस उस वक्त लें आते तो शायद आज के हालात पैदा नहीं होते। जैसा मैंने कहा कि अप्रैल महीने से यह इंटैलीजैंस रिपोर्ट आ रही थी। गृह मंत्री जी को इसकी जानकारी होगी कि वहां कुछ बड़े अजीब-अजीब किस्म के लोकल लैवल पर एक्टिविस्ट्स खड़े हो गये थे। कुछ नये चेहरे, खासकर वैस्ट से आ रहे थे,

[अनुवाद]

पाश्चात्य देशों से मुस्लिम

[हिन्दी]

वे वहां आ रहे थे और लोगों से बातें हो रही थीं। यह हमें जानकारी है और गृह मंत्री जी को भी होगी। एक वक्त था जब बड़ी तादाद में मुजाहिदीन ने सरेंडर किया था। उनको यह वचन दिया गया था कि जब वे जेलों से बाहर आयेंगे तो उन्हें रीहैबिलिटेट किया जायेगा। वे लोग 10-12-15 हजार की तादाद में थे। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने उन्हें रीहैबिलिटेट नहीं किया। उन्हीं में से एक सज्जन ने बताया कि मैं तो इस चिन्ता में था कि हम किस तरह रीहैबिलिटेट होंगे लेकिन जब वह काम नहीं हुआ तो मेरे पास एक मेरी विधवा मां और छोटी बहन है, मुझे 5 हजार रुपये महीना सेपरेटिस्ट्स की तरफ से मिल रहा है और मैं उनके लिये स्पोक्सपरसन हूं। सरकार ने क्या किया, आपका रुपया कहां जा रहा है, कौन से डेवलेपमेंट आप कर रहे हैं, कौन सा इकोनोमिक पैकेज है? अगर वहां अंदर-अंदर 10 हजार लोग खड़े हैं, सुलग रहे हैं और कहते हैं कि हिन्दुस्तान की सरकार झूठी है तो गलत नहीं कहेंगे। आपकी नीतियां बिलकुल नाकारा साबित हुई हैं, आपका ध्यान कश्मीर की तरफ नहीं है। और आज वही लोग हैं जो स्टोन पैल्टिंग में लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपके पास इंटैलीजैंस की रिपोर्ट होगी। अगर नहीं है तो उसे जानने की कोशिश करिये। वे लोग अखबार में बयान दे रहे हैं कि हम वे लोग हैं, जो जिहाद को छोड़कर हिन्दुस्तान के साथ रहे लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे एलीमेंट्स को भी साथ नहीं रख पाये हैं। आप जरा गौर से देखिये कि आपकी कोई पौलिसी, कोई नीति वहां सफल नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष जी, स्टोन पैल्टिंग के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तान की सरकार ने यह नहीं किया, वह नहीं किया, इकोनोमिक पैकेज नहीं दिया। इसका नतीजा कश्मीर के बारे में और पाकिस्तान के साथ हुई वार्ताओं के नजरिये को देखकर हुआ है। अगर सरकार ने वे नीतियां न बदली होतीं जो एन.डी.ए. सरकार ने

श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में चलायी थीं तो शायद ये हालात पैदा न होते। एन.डी.ए. सरकार ने इस बारे में स्पष्ट ऐलान किया था। यह कहा था कि हम इंसानियत के दायरे में सारी बात करेंगे मगर आटोनॉमी और आजादी का सवाल नहीं है। डिवॉल्यूशन ऑफ पावर्स हो सकता है और वह भी इस आधार पर हो सकता है कि सारे देश के लिए सेंटर-स्टेट रिलेशनशिप का विचार किया जाये, उसे करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हालात बदलते हैं, उसके मुताबिक केन्द्र और राज्यों के संबंध में समय के मुताबिक, आवश्यकताओं के मुताबिक कुछ न कुछ फेरबदल हो सकता है, कुछ अधिकारों के अंदर आदान-प्रदान हो सकता है, लेकिन आप उस तरफ भी आगे नहीं बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले जाकर कह दिया कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का विक्टिम है, फिर उसे ब्लूचिस्तान से जोड़ दिया और इतना ही नहीं जिन मुशर्रफ साहब से वाजपेयी जी की सरकार ने जो समझौता करवा लिया था कि उन्हें आतंकवाद समाप्त करना होगा और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक बातचीत नहीं होगी, आपने यह कह दिया कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ चल सकते हैं। यह सवाल है, जिसमें आपने ये रास्ते खोल दिये हैं कि आतंकवाद चलता रह सकता है तो कश्मीर में भी चलता रह सकता है। आपने मुजाहिदीनों को आने की खुली छूट दी, आपने कश्मीर का वातावरण बिगाड़ने की खुली छूट दी। आप एक बात गौर कीजिये, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। अमेरिका, अफगानिस्तान से निकलकर भागना चाहता है और इसमें उसे पाकिस्तान की मदद की जरूरत है। पाकिस्तान को उसने बेहिसाब मदद दी है, आर्थिक मदद दी है, सामरिक मदद दी है और पाकिस्तान भी अमेरिका से खेल खेलता रहता है। वह कभी चार तालिबानी पकड़ लेता है और कहता है कि अगर पाकिस्तान को रैडिक्लाइजेशन से रोकना है तो जरा मेरी मदद कीजिये और कश्मीर में मुझे कुछ दीजिये। कश्मीर में हिन्दुस्तान से कुछ छूट दिलवाइये। बार-बार इसी बारे में अमेरिका हम पर दवाब डालता है कि कुछ करो। हमें शक हो जाता है कि हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जी आज यहां नहीं हैं, विदेश मंत्री जी यहां नहीं हैं, बार-बार इन मामलों में हाथ जोड़ने की नीति का अवलंबन करती है। यह गलत बात है। आप अमेरिका और पाकिस्तान के हितों के लिए भारत के हितों का बलिदान नहीं कर सकते हैं। अमेरिका, अफगानिस्तान में पिटता है या रहता है, यह सवाल उसका है, वह कभी वियतनाम में पिटा, कभी इराक में पिटा, अब अगर वह अफगानिस्तान में पिट रहा है तो उसे पिटने दीजिये। सवाल इस बात का है कि अगर वह वहां तालिबानियों के हाथ में अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया तो पाकिस्तान पर भी तालिबानी कब्जा होने में देर नहीं लगेगी। अगर उस वक्त यहां यह सब ढीलम/ढाल रही, फौज भी हट गयी और लोगों के साथ भी आपके संबंध ऐसे रहे तो कश्मीर के भी आपके हाथ से निकल जाने के रास्ते खुल जायेंगे। 60 साल से लगातार कोशिश हो रही है कि कश्मीर और हिन्दुस्तान के संबंधों को ढीला किया जाये। ढीला करो, ढीला करो और इतना ढीला कर दो कि इसे तोड़ने में आसानी हो। यह वैस्टर्न ब्लॉक की नीति हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पाकिस्तान और कश्मीर की जरूरत अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट और जियो स्ट्रैटिजिकल इंटरेस्ट के लिए है। उन्हें वहां से चीन पर निगाह रखनी है, उन्हें वहां से गल्फ कंट्रीज पर निगाह रखनी है, वहां से उन्हें हिन्दुस्तान पर निगाह रखनी है इसलिए वे वहां अपना अड्डा रखेंगे। अगर उन्हें पाकिस्तान की जरूरत है तो वह जरूरत उनके सामने प्रमुख है और हिन्दुस्तान उनके सामने गौण है। आपको यह भी देखना होगा कि आज पाकिस्तान के साथ चीन भी है। आप अकेले हैं। आप कैसे नीतियों का अवलंबन कर रहे हैं कि जिससे आप अपने आप को आइसोलेट कर चुके हैं। दूसरी तरफ आप अपनी ताकत प्रदर्शन नहीं करते, आप अपनी हिम्मत का प्रदर्शन नहीं करते, अपने हौंसले का प्रदर्शन नहीं करते और वर्ष 1994 में किये गये इस सदन के प्रस्ताव को याद नहीं रखते, जिसमें हमने कहा था कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और उसकी एक-एक इंच भूमि हमारी है। श्री नरसिंहराव जी के जमाने में वह प्रस्ताव हुआ था। आप उसे भूल जाते हैं। क्या आपके डायलॉग, आपकी बातचीत उस रास्ते पर है? मुझे तो नहीं लगता कि आप उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं। क्या आप धारा 370 को घिसने की तरफ बढ़ रहे हैं या उसे और मजबूत करके हिन्दुस्तान में कश्मीर को एक अलग ढीला-ढाला राज्य बनाने की कोशिश में हैं? मैं आपको बता रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपको चेतावनी दे रहा हूं कि अगर आपने यहां आटोनॉमी की बात शुरू की तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा? उस बात पर अच्छी तरह से गौर कर लीजिये। आपके लिए सिर्फ इसी सीमा पर संकट नहीं है, उत्तर-पूर्वांचल में भी आपके लिए संकट है। वही संकट असम में आएगा, वही संकट सैवन सिस्टर स्टेट्स में आएगा। इसको सोच-समझकर करिये, हिम्मत दिखाइए, हौसले के साथ कहिये और इन लोगों से कहिये कि देखिये काश्मीर हिन्दुस्तान का अविभाज्य

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

अंग है, ये दंगे बंद कीजिए। इसके लिए किसी प्रकार का मन में संकोच मत कीजिए। उसका तो शमन करना ही पड़ेगा ताकि जो वहां की असली मांगें हो सकती हैं, उन पर गौर किया जाएगा। मुझे एक और बात कहनी है। फारूख साहब सामने आ गए। कुछ साल पहले फारूख साहब और गुल शाह के बीच में संघर्ष हुआ था। उस वक्त कश्मीर में जो हालात पैदा हुए थे, मैं काश्मीर का दौरा कर रहा था। मैंने यहां आकर पार्टी की तरफ से उसकी रिपोर्ट प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी को दी थी। क्या हुआ था, वे जानते हैं इस बारे में, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। आज भी पी.डी.पी. और नेशनल कॉनफ्रेन्स के बीच में सत्ता का संघर्ष है। पी.डी.पी. बार-बार कोशिश करती है कि अगर उमर हटे तो हम घुसें। आप क्या करना चाहते हैं? आप सिर्फ पत्थरबाजी से चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं? यह कैसा रास्ता आप दिखाना चाहते हैं कि स्टोन पैल्टिंग हो जाए और चुनी हुई सरकारों को वापस कर दिया जाए? वह सरकार अच्छी है या बुरी है, वह एक अलग सवाल है। लेकिन डैमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स से चुनी हुई सरकार के अंदर आंतरिक फेरबदल हो, लेजिस्लेटिव असैम्बली कुछ फेरबदल करे तो मंजूर हो सकता है लेकिन पत्थरबाजी से करें तो कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां पत्थरबाजी के आधार पर सरकारें बदली न जा सकें।...*(व्यवधान)** वह तो अलग बात है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन गृह मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई मुख्य मंत्री यह कहे कि पत्थर लगने से तो जूता लगना अच्छा है, मुझे यह कहने में बड़ा अफसोस होगा कि वह मुख्य मंत्री या तो अपने ऊपर जूता लगवाना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि उन पर दो-चार जूते और पड़ें ताकि लोगों को बता सकें कि देखिये पत्थर की चोट से जूते की चोट कम गहरी होती है। वे अपने आप जूता खाएं, लेकिन उन्हें हिन्दुस्तान की जनता को, इस देश की सरकार को, यहां तक कि सारी संसद को जूता खिलाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। यह क्या तरीका है? क्या बातें कही जा रही हैं? उनको जरा समझाइए, बताइए कि किस तरह से काम करना चाहिए। जनता में जाएं, मिलें, वह एक अलग बात है, वह उनका काम है कि वे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर गौर कीजिए और सोचिये कि काश्मीर अकेला संकट में नहीं है। उसके साथ सारा देश संकट में आता है। यह गहरा संकट है, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संकट है, यह आपका घरेलू दब्बू नीति का संकट है, यह काश्मीर का इतिहास न समझने का संकट है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की एकता और अखंडता को न समझने का संकट है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह संकट आप कैसे हल करेंगे? कोई रोडमैप आपके पास नहीं है। प्रधान मंत्री कहते हैं कि साठ साल से यह समस्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। जी हां, किसने बनाई कॉम्प्लिकेटेड? हमने बनाई या बी.एस.पी. वालों ने बनाई या सी.पी.एम. वालों ने बनाई, किसने बनाई? यह काम्प्लिकेशन तो आपने पैदा किया है। अब आप हमसे कहते हैं कि रास्ते निकालिये। आप रास्ते निकाल कर बताएं। हम आपकी मदद करेंगे अगर रास्ते ठीक होंगे। हम मदद करेंगे आपकी उन तमाम कामों में जो काश्मीर का भारत के साथ मजबूत संबंध रखेंगे। हम मदद करेंगे उन तमाम मामलों में जो भारत को विश्व की एक स्वाधीन सार्वभौम शक्ति के रूप में खड़ा करने के लिए आप लेंगे। हम मदद करेंगे उन तमाम नीतियों में जो आप किसी विदेशी दबाव से हटने के लिए और उसका जवाब देने के लिए करेंगे, लेकिन अगर आप विदेशी दबाव में झुकेंगे, अगर आप अलगाववाद के सामने समझौते करेंगे, अगर आप पत्थर खाने से सरकारों को बदलवाने देंगे, तो माफ कीजिए, यह देश आपका साथ नहीं देगा। यह देश आपका साथ देगा काश्मीर को भारत के साथ रखने के लिए, मजबूती के साथ एक साथ रखने के लिए। अगर आपने सामान्य तौर पर इस तरफ कदम बढ़ाना है तो आप जरा धारा 370 के बारे में भी गहराई से विचार कीजिए। मगर बजाय वैसा करने के, मुझे आज अफसोस है कि संसद में एक सवाल ऐसा उठा जो आपके बयान से संबंधित था कि एक सैफरन टैररिज्म है। मैं गृह मंत्री जी से बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप प्लीज आप बैठिये। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

(व्यवधान)...*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि सैफरन हमारे राष्ट्रध्वज के ऊपर है। वह भारत का राष्ट्रध्वज जहां जाएगा, सैफरन उसके साथ जाएगा और वह देश और दुनिया में शांति फैलाएगा। वह टैररिज्म का प्रतीक नहीं हो सकता। आपको शायद कांग्रेस

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पार्टी का इतिहास मालूम नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी स्वाधीनता से पहले कि भारत के झंडे का रंग क्या होना चाहिए। उसने सर्वसम्मति से यह राय दी थी कि एक रंग का झण्डा होना चाहिए और यदि कोई रंग हो सकता है तो वह सैफरन हो सकता है। यह सैफरन था, जिसने हिन्दुस्तान को सारी दुनिया का गुरू बनाया।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत हो जाइए।

...(*व्यवधान*)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: यह सैफरन था, जिससे हमारे देश के महापुरुष, यहां के दार्शनिक, यहां के साधु-संत कोरिया में गए, चीन में गए, जापान में गए, इण्डोनेशिया में गए, सारे दक्षिण-एशिया में गए, सारे दक्षिण-पूर्व एशिया में गए और पश्चिम में गए।...(*व्यवधान*) यह सैफरन था, जिसने सारी दुनिया को शांति का संदेश दिया, सद्भावना का संदेश दिया।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें। जब आपको मौका मिलेगा, तब आप बोलिएगा।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: मैं आपको विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं बराए-मेहरबानी उसके साथ किसी प्रकार के ऐसे अपशब्द का प्रयोग न करें।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें। जब आपको मौका मिलेगा, तब आप बोलिएगा।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: यह देश में भारी प्रतिक्रिया पैदा करेगा। मुझे कभी-कभी लगता है कि आप देश में प्रतिक्रिया पैदा कराना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपने कह दिया, आगे कहना बंद करें, वरना इस देश में भारी प्रतिक्रिया पैदा होगी। यह आपके कश्मीर के मामलों को सुलझाने में भी दिक्कतें पैदा करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया और मैं आज सारे सदन से प्रार्थना करता हूं कि हम सब मिलकर कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग बनाए रखने के लिए पूरे रोडमैप का निर्माण करें और ठोस कदम उठाएं।

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, हम आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पर सम्पूर्ण विश्व की निश्चित तौर पर निगाहें लगी हुई हैं। शांति की इस अपील में मैं सबसे पहले शाह फैजल को, जिसने कश्मीर से आई.ए.एस. में टॉप किया है, उसे अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, सम्पूर्ण संसद की तरफ से बधाई देना चाहूंगी। यह सदन चाहता है, यह देश चाहता है कि शाह फैजल जैसे लोग बार-बार आएं। कश्मीर की वे फिजाएं जो हमारे रेगिस्तान तक हवा पहुंचाती हैं, कश्मीर की वह डल झील जब हिलती है, तो लगता है कि कहीं से सागर हिलौरे लेते हुए शांति का पैगाम दे रहा है। मुझे याद है कि पिछले वर्ष जब परेड हो रही थी, उस समय उसकी अगुआ कश्मीर की महिला थी, मैं उसे भी अपना सलाम पेश करना चाहती हूं।

मैं कुछ कहने से पहले सदन से एक प्रश्न करना चाहूंगी, विशेषकर अपने पूर्ववक्ताओं से कि देश यह देख रहा था, हम भी चाहते थे कि कश्मीर के बारे में शीघ्र चर्चा हो, लेकिन जहां संसद की कार्यवाही दस बार बेवजह मुलतवी की जाए, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि प्रधानमंत्री जी ने इसी दौर में लाल किले के प्राचीर से और कश्मीर में लद्दाख में जाकर अपनी बात को कहा और लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया। मैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त के भाषण को कोट करना चाहती हूं,

[अनुवाद]

"कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस ढांचे के अंदर, हम ऐसी कोई भी वार्ता करने के लिए तैयार हैं जिससे शासन में आम आदमी की भागीदारी बढ़े और उनके कल्याण में भी वृद्धि हो।"

[हिन्दी]

और फिर उन्होंने कहा था कि

[अनुवाद]

"हिंसा के वर्ष अब समाप्त हों"

[हिन्दी]

और आज की बहस का मुद्दा भी निश्चित तौर पर यही है कि अब हिंसा की समाप्ति हो कर नए युग की शुरुआत होनी चाहिए। मैं मुरली मनोहर जी और गुरुदास दासगुप्त जी को कहना चाहती हूं कि आज यह विषय राजनीति का विषय नहीं है। आज यह विषय राजनीतिक दलों का या पूर्ववर्ती सरकारों पर उनके आक्षेप करने का

[डॉ. गिरिजा व्यास]

नहीं, बल्कि आज सभी को मिलकर, जैसा डॉ. जोशी जी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा है कि हम सभी काम ऐसे कश्मीर के लिए करें, जिसमें शांति बहाल हो। हम लोग यहां एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। लगभग दो डिकेट्स के बाद कश्मीर की पुरवाई में वह पुराना जोश आया था, शांति बहाल हुई थी, पुरवाई चलने लगी थी, गीत और संगीत फैलने लगे थे, कामगारों के हाथ अपने काम के लिए लगने लगे थे, युवा एक गति के साथ आगे बढ़ने लगे थे। यह बवंडर कहां से आया, हमें इस ओर निश्चित तौर पर सोचना होगा। हम चिन्तित हैं और इसीलिए यू.पी.ए. की सरकार का प्रयास हमेशा से यह रहा और उसके पूर्व कांग्रेस का भी यही प्रयास रहा कि वहां पर शांति की बहाली हो और विकास के कार्य भी हों। इसी वजह से वहां पर जो 94 हजार करोड़ रुपए दिए गए, वह इसलिए नहीं दिए गए कि वहां पर कोई खैरात बांटने का इरादा हो, बल्कि इसलिए दिए गए कि देश के उस मुकुट पर, जिसके लिए स्वयं डॉ. मुरली मनोहर जी ने कहा था कि यदि इस पृथ्वी पर कहीं पर स्वर्ग है तो वह केवल कश्मीर में है, यहीं पर है, यहीं है। उस कश्मीर की बदहाली को हटा कर उसे एक विकास की दिशा में, मैन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए 94 हजार करोड़ रुपए विभिन्न सरकारों ने अलग-अलग समय पर दिए, जो देने आवश्यक भी थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यहां पर यह अर्ज करना चाहती हूं, चाहे स्व. श्री जवाहरलाल नेहरू जी से लें, अगर मैं पार्टी की बात करूं तो श्रीमती सोनिया गांधी जी तक, सरकारों की बात लें तो स्व. श्री जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर श्री मनमोहन जी तक एक मोहब्बत की डोर के साथ कश्मीर से बंधे हुए संबंध रहे हैं। हमेशा कश्मीर को विशेष तवज्जो दी और यह तवज्जो केवल दिमाग की तवज्जो नहीं है, क्योंकि दिमाग से बात करने का अलग ही ढंग होता है। मैं अभी कुछ दिन पहले कश्मीर में थी, मुझे वहां पर कुछ साथियों से मिलने का मौका मिला। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, जिसे मैं आज सदन में दोहराना चाहती हूं कि विभिन्न राजनीतिक दल, जो केवल लिप सिम्पैथी देना चाहते हैं, उससे हम लोग अजीज आ गए हैं, घबरा गए हैं। हमें वह नहीं चाहिए। "तेरा शोक भी, तेरा जोक भी, मेरे दर्दे दिल की दवा नहीं।" उस दर्दे दिल को ढूंढने का प्रयास जो सरकार ने किया है, उसे हम नहीं भूल सकते। सरकार का प्रयास रहा और प्रयास है, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले माननीय प्रधान मंत्री जी की अभी विजिट की बात और सरकार की बात भी कहना चाहती हूं कि निश्चित तौर पर कश्मीर में रिलीफ देना हमारा काम है, क्योंकि अभी कश्मीर और कश्मीर की घाटी एवं लद्दाख दो तरह की मार से अपने आप से जूझ रहे हैं। जहां एक तरफ लोगों का संघर्ष है, जहां विशेषकर युवा पीढ़ी सड़कों पर है, हाथ में पत्थर लेकर पाषाण युग की याद ताजा करने को आमादा है, वहीं पर प्रकृति भी अपना तांडव नृत्य दिखा रही है। उस समय जरूरत इस बात की है कि वहां पर रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के कार्यक्रम पहले हों। इसलिए सरकार की प्राथमिकता इस बात को लेकर है और पूरा देश इस कठिन घड़ी में कश्मीर के साथ है। वहां पर जो हिंसा का तांडव है, उसके लिए हमें उसके कारणों की तरफ जाना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यहां पर यह बात कहना चाहती हूं कि सरकार की अपील इस बात को लेकर है कि हमें नयी शुरुआत करनी चाहिए। मैं इस नयी शुरुआत की तरफ जोर देना चाहती हूं कि यदि हम पुराने परखचों, लिखी हुई पुरानी बातों को ही दोहराते रहेंगे तो हम नया रिजल्ट नहीं ला सकेंगे, क्योंकि अभी मुद्दा भी नया है और अर्थ भी नये हैं, इसलिए हमें एक नयी बिगनिंग के साथ अपनी बात की शुरुआत करनी होगी। इसके लिए यू.पी.ए. की सरकार ने जो प्रयास किए, वह निश्चित तौर पर इस तुल्य हैं। पाकिस्तान के साथ वार्ता का जिक्र किया, मैं यहां पर आरोप नहीं लगा रही, लेकिन यह देश भी जानता है कि वार्ता का फल तो मिलता है, लेकिन यदि केवल यू.पी.ए. पर यह आरोप लगाएं कि हमारी वार्ता का क्या आधार रहा तो हम भी यह कहने के लिए आज यहां पर स्वतंत्र हैं कि यदि वार्ता के बाद कारगिल का युद्ध हो सकता है, मेरे स्टेट से भी हजारों लोगों ने उस युद्ध में भाग लिया था, हमारे सैनिकों ने वहां पर शहादत दी थी। कारगिल कहां से होकर आया, इसलिए केवल यह कहना कि यू.पी.ए. की सरकार के संवाद संवादविहीनता की तरफ ले जा रहे हैं। केवल एक दो लोगों को कोट करने से इस कार्रवाई की शुरुआत नहीं हो सकती। सरकार ने प्रयास किया कि पाकिस्तान के साथ कुछ टॉक हो और उनके साथ ट्रेड में भागीदारी हो। इसीलिए उनके साथ बस की सर्विस शुरू की गई, ताकि पाकिस्तान के लोगों के दो दिल, जो एक इधर छूट गया और दूसरा उधर छूट गया, उनमें सम्बन्ध स्थापित हो सके। राउण्ड टेबल कांफ्रेंस बहुत बार की गई। यह राउण्ड टेबल कांफ्रेंस वहां के उन लोगों के

साथ भी की गई, जिन्हें अलगाववादी या दूसरे नामों से पुकारा जा रहा था, उन लोगों का भी आह्वान किया गया, क्योंकि संवाद ही एक रास्ता बचता है।

मैं यहां पर कहना चाहती हूं कि यदि संवादहीनता होती तो शायद हम भारत को आजाद नहीं करा सकते थे। गांधी जी की अहिंसा के सिद्वान्त के आधार पर हम अहिंसा को नहीं भूल सकते और हम संवाद को भी नहीं भूल सकते। संवाद से बड़े-बड़े मसले हल हो सकते हैं तो संवाद को भूलकर केवल राजनीति के धरातल पर और केवल राजनीति की मिट्टी पर खेती करना कहां तक उचित होगा? इसलिए मैं सदन से अपील करना चाहती हूं कि आज हम कश्मीर के उन लोगों से अपील करने को यहां पर खड़े हुए हैं कि वे भारत सरकार पर विश्वास करें कि उसने हमेशा उनका साथ दिया है और वह हमेशा उनका साथ देगी। हम कश्मीर में लोगों को निश्चित तौर पर शान्ति का एक चांस देना चाहंते हैं और इसीलिए अपोर्चुनिटीज, चाहे वे एम्पलायमेंट की हों, चाहे वे फिजीकल और ह्यूमन रिसोर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर की हों, उसके लिए सरकार कोई भी कोताही नहीं बरत रही है।

यहां पर आजादी की बात की गई। मैं यहां पर अपने साथियों से और आप सभी लोगों से भी निवेदन करना चाहती हूं कि आज वहां का युवा एक विभ्रमित स्थिति में है और इसलिए न केवल सरकार का, अपितु सभी लोगों का दायित्व बनता है कि उसे विभ्रमित होती हुई स्थिति से बचायें। हमारी अपील है कि उन्हें सुनाना होगा कि आजादी का सही और सार्थक अर्थ क्या है। वे भारत का एक हिस्सा हैं। भारत ने जो आजादी प्राप्त की थी, उससे निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों के कार्यों और विकास को गति मिली है। सरकार की इसके लिए जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। यहां पर उन्हें बताना होगा कि वे आजाद मुल्क के हैं और आजादी के मायने आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता और उन लोगों को समानता का अधिकार है। आज वे सारे अधिकार उन लोगों के पास हैं।

इस बात के लिए केन्द्र सरकार के दिए हुए पैसे का सदुपयोग भी बहुत आवश्यक है, इसलिए राज्य और केन्द्र सरकार पर भरोसा दिलाने के लिए हम लोगों की, सिविल सोसायटी की निश्चित तौर पर भागीदारी होनी चाहिए।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि सिक्योरिटी वहां पर प्रेशर में है और उस प्रेशर में काम नहीं कर पा रहे है। ऐसे हालात में हम अपील करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इस कार्य को देखें, इंगित करे कि कहां पर गलती है, बताये और उसका हल निकालने का प्रयास करे। शान्ति बहाली के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज दिये और विशेषकर पाकिस्तान आने-जाने का रास्ता खुला, ज्यादा संवाद की तरफ आज हम बढ़ रहे हैं, कमेटीज का निर्माण पहले हो चुका है और उन कमेटीज की मीटिंग जारी हैं। बिजनेस और टैक्नोलोजी को बढ़ावा देने के लिए नारायण युक्ति जैसे लोगों को लगाया गया है और रोजगार मुहैया कराने के अनेक साधन वहां पर जुटाने की कोशिश यह सरकार कर रही है। मैं इस बात को समझती हूं कि यू.पी.ए. की सरकार दिल और दिमाग दोनों के साथ कश्मीर के भी और कश्मीर की जनता के भी साथ है, लेकिन हम सरकार की ओर से अपील करना चाहते हैं कि वे भी पूर्ण रूप से शान्ति बहाली के लिए भरोसा करें, क्योंकि केन्द्र सरकार उनके पीछे है। शान्ति और विकास एक साथ चलेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले समय में जो कुछ यू.पी.ए. की सरकार कर रही है, उसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। वहां के लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए हमें उस दिशा में भी प्रयास करने होंगे। सत्ता संघर्ष की ओर ध्यान दे रही है, इस बात को कहना उचित नहीं होगा। राजनैतिक दलों ने भी हमारी अपील है कि वहां पर संवाद को कायम रखें। कश्मीर के हित में आज देश खड़ा हुआ है और यू.पी.ए. की सरकार खड़ी हुयी है, यह मैसेज जाना चाहिए। यदि संसद से एक-दूसरे के ऊपर आरोप उछाल कर वार्ताओं के जरिए, हम यदि साम्प्रदायिकवाद को फैलाने की कोशिश करें, तो यह उचित नहीं होगा। हमारा मकसद जो कश्मीर में शांति बहाली करके उन युवाओं को एक रास्ता दिखाने की दिशा में ले जाना है, उस कार्य की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं और प्राइम मिनिस्टर साहब को कोट करना चाहती हूं।

[अनुवाद]

इसमें कहा गया है:

"आज मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए मेरे मन में लंबे समय से चल रही उम्मीद को आपके साथ साझा करना चाहता हूं।

यह राज्य अब दो दशकों से अधिक के भयावह आतंकवाद के साए से उबर रहा है जिससे इस सुंदर राज्य में केवल मौत और तबाही का तांडव

[डॉ. गिरिजा व्यास]

हुआ। ये दो दशक जम्मू और कश्मीर के विकास में लुप्त हुये दशक हैं।"

[हिन्दी]

आज जम्मू और कश्मीर पर धुएं के बादल जरूर छाये हुए हैं, लेकिन ये धुएं के बादल भी यहां से छटेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो अपोर्चुनिटी सरकार दे रही है, वह अपोर्चुनिटी आर्थिक विकास की अपोर्चुनिटी है। यहां यह कहना कि आर्थिक अपोर्चुनिटी का कोई फर्क नहीं पड़ा और यहां से केवल एक व्यक्ति को कोट करके यह कहना कि केंद्र सरकार के इतने पैसे देने के बावजूद आज भी वहां पर इकॉनामिक संवाद का कोई सब्स्टीट्यूट नहीं है, तो मैं समझती हूं कि यह कहना गलत होगा। कश्मीर की विजीट के बाद हमें लगेगा कि दो डेकेड तक लगातार पिछड़े होने के बावजूद, अब जब वह करवट लेने लगा है, रीवैलिडेशन का जमाना आया है, ऐसे हालात में जब धुंध के थोड़े बादल हों, तो उन बादल को छांटने का निराकरण हम लोगों को संवाद के जरिए ही ढूंढना होगा और उसका निराकरण करना होगा। वर्षों से वालर्स को झेलते हुए, युवाओं से हमारी अपील होगी, क्योंकि यहां पर विवाद करना, संवाद करना इस बात का प्रतीक है कि वे युवा जिनकी मातायें स्वयं आगे बढ़कर उनको पत्थर थमा रही हैं, वे इस बात को समझें कि युवाओं का काम एक प्रगतिशील कश्मीर के निर्माण का है, जो अल्टीमेटली देश के निर्माण में अपनी भागीदारी को निश्चित कर सकें। हम अहिंसा के पाठ को ऊपरी तौर पर नहीं पढ़ा सकते हैं। यहां पर सिविल सोसाइटी की आवश्यकता है और वह सोसाइटी आगे आए। हमारी अपील है कि चाहे वह किसी भी रूप में हो, यहां केंद्र सरकार कानूनन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि वहां आर्थिक विकास और संवाद हो, वहीं वहां की सिविल सोसाइटी और वहां की राज्य सरकार को भी इस बात को देखना होगा।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सरकार की बार-बार की कोशिशों के कारण ही यहां पर पीस का जो माहौल बना था, क्रास बार्डर टेररिज्म में कमी आयी थी, लेकिन लगता है और जो मैंने कहा कि जो हवायें श्रीनगर से गुजर कर मरूस्थल तक पहुंचती हैं, वहां कहीं न कहीं पीछे से हवाओं का एक दुष्प्रचार भी आ जाता है। क्रास बार्डर टेररिज्म की तरफ सरकार को और अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। एक कान्फिडेन्स बिल्डिंग की आवश्यकता है, लोगों में भी और सरकार में भी, लोगों में इस बात को लेकर कि भारत सरकार उनके हित में कार्य कर रही है और सरकार को इस बात को लेकर कि केंद्र सरकार उनके पीछे खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जी का दौरा एक नए आश्वासन के साथ खुला हुआ था। मैं यहां यह अपील करना चाहूंगी और आगे आने वक्ताओं से भी, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि मां का कर्तव्य अपने बेटे की बहबूदी के लिए होता है और आज वे इस बात को समझें। यहां कहीं न कहीं कोई गैप है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। मैं यहां निवेदन करना चाहती हूं कि कश्मीर की महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में भी कमी आनी चाहिए और वहां विकास कार्य दिखने चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार को अपने लिए नए तरीके ढूंढने होंगे, लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम विकास के आयाम की तरफ बढ़ रहे हों, और उस समय अचानक से बवंडर आ जाए, तो पहला काम उस बवंडर को शांत करके फिर विकास की गति को बढ़ाना होगा। आज कश्मीर की सरकार यह कार्य कर रही है। इसलिए उसके पीछे भारत सरकार की मंशा ही नहीं, भारत सरकार का पूरा आधार भी खड़ा हुआ है। राज्य और केन्द्र सरकार को कोसने से बेहतर है कि हम इस बात को सोचें कि युवा वर्ग जो भ्रमित हो रहा है, उसे भ्रमित होने से किस तरह रोका जाए, किस तरह आजादी के सही अर्थ को उन तक पहुंचाया जाए, किस तरह शाह फैजल जैसे लोगों को वहां और साधन मुहैया कराए जाएं, ताकि वे इस देश की मेनस्ट्रीम के साथ जुड़ सकें।

मैं यहां सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूं, जिसको लेकर सब गंभीर हैं कि वहां के पाठ्यक्रम से लेकर विभिन्न संवादों तक बच्चों को अहिंसा की शिक्षा देनी होगी। यह मालूम है कि कभी-कभी लोगों के साथ ज्यादतियां भी हुई हैं, लेकिन उन पर लीपा-पोती करने के बजाए हमें उन्हें ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए यू.पी.ए. सरकार का मस्तिष्क बिल्कुल खुला हुआ है। हमें कश्मीर पर गर्व है कि इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी वह अडिग रूप से आज भी भारत के प्रहरी के रूप में खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा। इसलिए हम आशावादी हैं और उस आशा के साथ यह निवेदन कर सकते हैं कि बवंडर हटेगा, लेकिन उसके लिए संवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता। संवाद के तीन स्तर हैं। संवाद का पहला स्तर है, क्योंकि आज युवा पीढ़ी सामने आई हुई है, इसलिए युवा वर्ग के साथ संवाद भी आवश्यक है। संवाद पाकिस्तान के साथ भी आवश्यक है जिनकी दूषित हवा कभी-कभी आकर कश्मीर के लोगों के मन को झकझोर

डालती है और वे समझ नहीं पाते। संवाद वहां की सरकार, विशेषकर वहां के राजनैतिक दलों, जहां तक राजनैतिक दलों की बात है, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि सत्ता संघर्ष की बात छोड़कर अभी केवल कश्मीर की बहबूदी के लिए वहां अहिंसा द्वारा फिर से शान्ति बहाली के लिए प्रयास करने की प्राथमिकता होनी चाहिए। जब शान्ति बहाल होगी, तब हम दूसरी बात कर सकेंगे। लेकिन यू.पी.ए. सरकार इस बात की जानकार है कि शान्ति बहाली के साथ-साथ यदि वहां विकास के कार्य नहीं किए गए, युवाओं को समय पर रोजगार नहीं दिया गया, रीहैबिलिटेशन नहीं दिया गया, तो कुछ नहीं होगा। जिस तरह विलंब हुआ, वहां आवश्यकता इस बात की है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। लेकिन कथनी और करनी में थोड़ा सा गैप भी नहीं होना चाहिए। कार्य अभी और इसी वक्त पूरे होने चाहिए। यू.पी.ए. सरकार ने जहां देश भर के लिए भारत निर्माण का सपना देखा है, कश्मीर के लिए अलग पैकेज दिए हैं, क्योंकि जब तक भारत निर्माण, छोटे से छोटा गांव और कश्मीर घाटी के छोटे से छोटे हिस्से में भी यदि भारत निर्माण का सपना पूरा नहीं होगा, तो विकास के मायने आगे नहीं बढ़ सकेंगे। युवाओं के लिए सबसे कठिन समस्या रोजगार की है। जब जेब में पैसे बजते हैं, जब पेट में रोटी होती है, उस वक्त ए जर्रा हीरा है, उस वक्त ए शबनम मोती है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए सरकार रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए वहां साइंस एंड टैक्नोलॉजी, विशेषकर टैक्नोलॉजी, टूरिज्म, शिक्षा का नया हब बनाने का जो प्रयास कर रही है, उस प्रयास की यहां सराहना करनी होगी और यह कहना होगा कि उन प्रयासों द्वारा आगे बढ़ने का जो रास्ता प्रशस्त हो, उसमें हम सबकी भागीदारी है।

मैं यहां यही निवेदन कर सकती हूं कि कश्मीर की वादी से वे हवाएं फिर से आएं, वे फिजाएं फिर से दूर-दराज तक पहुंचें जिन फिजाओं के केवल स्पर्श मात्र से व्यक्ति स्फूर्ति से भर जाता है। वहां के झेलम और चिनाब में फिर वही लहरें उठें कि उन्हें देखकर मन प्रफुल्लित हो जाए। वहां की केसर की क्यारियां खिलती रहें। वहां के कामगारों के हाथ काम में लगे रहें। वहां हस्तकला और दूसरे काम की बहबूदी हो। जो कश्मीर पांडित्य में आगे था, आज भी एजुकेशनल क्षेत्र में आगे बढ़कर विश्व में सर्वोपरि स्थान पा सके और उस कश्मीर का जो थोड़े समय से भूला हुआ युवक है, अहिंसा द्वारा उसका रास्ता खोलकर, उसके दर्द को समझकर हम रास्ता खोलें, क्योंकि उसका दर्द भी वाजिब है, लेकिन उसे सही दिशा नहीं मिल रही है। उसे सही दिशा की आवश्यकता है। हमारी इंटैशन पर कोई डाउट नहीं कर सकता। भारत सरकार का इंटैशन हो, कांग्रेस की पुरानी सरकारों का इंटैंशन हो, कांग्रेस पार्टी के इंटैंशन में दिल भी है और दिमाग भी है। कश्मीर की समस्या को हम केवल दिमाग से सॉल्व नहीं कर सकते, कश्मीर की समस्या के लिए दिल की संवेदना चाहिए, संवेदना का फर्क चाहिए जो उन लोगों के घाव पर मरहम लगा सके। जिन लोगों ने केवल हिंसा के तांडव को इतने वर्षों तक देखा, उस तांडव को समाप्त करने के लिए उनको जो प्रयास करने चाहिए, उस दिशा का निर्देश भी होना चाहिए। इसलिए आज का संवाद जिसे दस-बारह दिन पहले ही हो जाना चाहिए था, हालांकि उसमें विलंब हुआ, लेकिन फिर भी यह संवाद यहां पर जारी रहा। ये हवाएं और यहां की आवाज वहां तक पहुंचे, हमारी अपील उन माताओं तक पहुंचे कि तुम्हारे पुत्र, क्योंकि इस लड़ाई में कोई कुछ लेने वाला नहीं है, मरेगा तो आपका और हमारा बेटा मरेगा, क्योंकि जब भी हिंसा होती है, तब किसी औरत का सुहाग उजड़ता है। जब हिंसा होती है, तब उसकी गोद खाली होती है। जब हिंसा होती है, तो भाई के हाथ की कलाई में बंधी हुई राखी टूटती है। इसलिए मैं विशेषकर बहनों से अपील करना चाहती हूं कि इस युवा पीढ़ी को पत्थर थमाने की जगह उन्हें अहिंसा का सूत्र दीजिए। उनके हाथ में राखी दीजिए। उनके हाथ में एक नये भारत का, नये कश्मीर का सपना दीजिए। मैं राहुल गांधी जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि उन्हें भारत के दूसरे हिस्सों की बात भी दिखाइये कि आज कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, मुम्बई कहां तक पहुंचा है। आज आर्थिक मंदता के बावजूद भी भारत की आर्थिक व्यवस्था की विकास दर नौ प्रतिशत से अधिक की स्थिति में पहुंची है। आज भी हम लोग विश्व को एक रास्ता दिखाने में कामयाब रहे हैं। आज भी हम लोग आसियान के भरोसे हों या यूरो के ऊपर हों, लेकिन भारत की तरफ आज अमेरिका तक की निगाह है। उनको यह बताने की आवश्यकता है कि आज ओबामा जी को यह कहना पड़ रहा है कि जब मनमोहन सिंह जी बोलते हैं, तो सारा विश्व बोलता है। आज अमेरिका तक हमारे युवाओं को लेकर पसोपेश में पड़ा हुआ है कि हमारे जैसे युवा वह कैसे पैदा करे। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि शाह फैजल जैसे युवा वहां पैदा हों और उसके लिए जरूरी है कि वहां की माताएं और मेरी युवाओं से अपील है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा दिल और

[डॉ. गिरिजा व्यास]

दिमाग से उनके साथ रही है, उनके साथ रहेगी और आने वाले समय में उनसे एक अपील करेगी कि आप लोग पत्थर उठाकर अपने आपको लहूलुहान कर रहे हैं, तो आपका भाई, बेटा और पिता इससे घायल हो रहा है। इस घायल होने वाली स्थिति से आप बचें। कश्मीर सुरक्षित हो, कश्मीर विकास के लिए आगे बढ़े, कश्मीर के युवा शाह फैजल बन सकें और हमारे यहां पर परेड की सलामी लेती हुई महिला, जिसने पिछली बार कश्मीर का नेतृत्व नहीं भारत का नेतृत्व किया, उसका हाथ ऊपर अपने मस्तिष्क पर भारत के झंडे को सलाम करता रहे, यही हमारी अपील है। हमारी यह भी अपील है कि आज हमें मरहम लगाने की जरूरत है। कश्मीर के लिए पूरा देश एकजुट होकर कश्मीर की इस मुसीबत की घड़ी में उनके साथ खड़ा हुआ है, इसलिए संवाद होने दीजिए। विकास के कार्यों को और आगाज दीजिए। वहां की सरकार, वहां के लोगों को और भरोसा दीजिए कि हम उनके साथ हैं ताकि कश्मीर में खुशहाली रह सके। कश्मीर में जो हिंसा का तांडव है, वह समाप्त होकर अहिंसा की तरफ बढ़ सके, शांति की बहाली हो, विकास की ओर बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि हमारी संसद और सभी दल एकजुट होकर सम्वेद स्वर में कह सकें कि यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। कश्मीर को फिर से स्वर्ग बनाने की आवश्यकता है और उसमें सबकी जरूरत है। इस अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं कि आज विश्व जिस तांडव को देख रहा है, वह केवल निर्माण और संवाद से संभव है। यू.पी.ए. सरकार का भरोसा हमारे समस्त देश का भरोसा है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी मैं आदरणीय जोशी जी और बहन गिरिजा व्यास जी को सुन रहा था। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लग रहा था कि मानो हम कश्मीर की वादियों में हैं। यह बात सत्य है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जिसके लिए हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक के नेताओं ने संघर्ष किया कि कश्मीर की एकता और अखंडता कैसे अक्षुण्य रहे। कश्मीर कैसे विकास करे, इसके लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने जो लिखित वक्तव्य सदन में दिया है, मैं उसको पढ़ रहा था। उसमें दर्शाया गया है कि 11 जून, 2010 से वहां कानून-व्यवस्था बिगड़ी है। देखा जाए तो केवल 11 जून, 2010 से ही नहीं, बल्कि उसके पहले भी वहां पर समय-समय पर ऐसी छिटपुट घटनाएं होती रही हैं, लेकिन इधर 11 जून, 2010 के बाद से जो घटनाएं घटी हैं, वह बहुत चिंता का विषय था और बहुत ही निंदनीय था। इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि वहां पर कानून-व्यवस्था ही नहीं, लोकशांति को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। मेरे साथी लाल सिंह जी यहां बैठे हैं, इन्होंने हम लोगों को जो बताया, जो बयां किया, मैं उस बात को यहां कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि उससे बहुत दुख और कष्ट होता है। इस घटना के पहले हम लोग दो-तीन बार कश्मीर गए थे, वहां पर हमारे रिश्तेदार भी हैं। वहां बहुत आनन्द आता है। अभी आदरणीय गिरिजा व्यास जी जब कश्मीर की वादियों के बारे में बता रही थीं, तो कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि जैसे हम लोग कश्मीर में हों। वहां पर इस बीच हुई घटनाओं का अगर मूल्यांकन करें, वहां पर व्यापक पत्थरबाजी हुई है, वहां पर केवल जून, जुलाई और अगस्त के तीन महीनों में पत्थरबाजी की 872 घटनाएं हुई हैं। इन 872 घटनाओं ने कश्मीर की कानून-व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। मुझे जहां तक जानकारी है, जो बहुत आथेंटिक जानकारी हैं, कि जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, वे बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाते हैं। इसके लिए बच्चों और महिलाओं को 500 रुपये प्रतिदिन पर लाकर वहां पत्थरबाजी कराई जाती है। वहां पर इस वक्त रोजगार के सभी संसाधन खत्म हो गए हैं, इसलिए 500 रुपये में वहां की महिलाओं और बच्चों को आगे करके, ढाल बनाकर पत्थरबाजी कराई जाती है और उसके पीछे तमाम आतंकी, उग्रवादियों का हाथ होता है जो सुरक्षाबलों के साथ बढ़-चढ़कर गोलाबारी करते हैं। हमारे सुरक्षाबलों की हमेशा यह कोशिश होती है कि बच्चों और महिलाओं को कोई नुकसान न हो, इसलिए पहले वे आंसू गैस छोड़ते हैं, उसके बाद प्लास्टिक की गोलियां चलाते हैं, फिर लाठी चार्ज करते हैं और जब सुरक्षाबलों पर उधर से गोलियां चलने लगती हैं, तब जाकर मजबूरन हमारे सुरक्षा बल के लोग गोली चलाते हैं। ऐसी घटनाओं में अब तक 63 सिविलियन मारे गए हैं और 30 जुलाई से अब तक 12 लोगों की मृत्यु हुई। हमारे सुरक्षा बलों के 1266 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन तमाम घटनाओं में पब्लिक और गवर्नमेंट की प्रापर्टी को नुकसान होता है, खासकर पुलिस की गाड़ियां, पुलिस स्टेशन, स्कूल्स और कॉलेजेज को लक्ष्य बनाया जाता है जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, अव्यवस्था होती है और तमाम नौजवान इससे प्रभावित होते हैं। यहां तक कि जब फोर्स वहां कुछ करती है, नेचुरल बात है कि अगर इस

प्रकार की कोई घटना होती है, तो हमारी फोर्स मजबूरन कुछ बल का प्रयोग करती है। मैंने बहुत गंभीरता से जोशी जी और गिरिजा ब्यास जी की बातों को सुना है, यह कोई स्थायी समाधान नहीं है कि अगर कोई ऐसी घटना हो, को फोर्स वहां जाकर कुछ बल प्रयोग करे।

अपराह्न 2.00 बजे

हमें कोई राजनीतिक समाधान कश्मीर के लिए ढूंढना पड़ेगा। आज इस सदन के सभी लोग चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, इस बात को लेकर चिंतित हैं और इसीलिए इस विषय पर नियम 193 के तहत यहां पर बहस हो रही है। हम इस विषय पर चर्चा के लिए बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और आज इस पर देर से ही सही, लेकिन चर्चा हो रही है।

जहां तक जम्मू-कश्मीर में कानून व्यवस्था का सवाल है तो प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस बारे में काफी समाचार आते हैं। उन्हें सुनकर और देखकर काफी कष्ट होता है कि वहां पर कैसी स्थिति है। कश्मीर में कैसे शांति बहाल हो, वहां के लोग कैसे विकास करें, इसके लिए पूरा देश चिंतित है। हम इस विषय पर संसद के मानसून सत्र के आखिरी दौर में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस सत्र का सत्रावसान निकट ही है। मैं सभी सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कश्मीर में कैसे अमन और शांति बहाल हो, कैसे सुरक्षा बलों को भी इससे सुविधा हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। हम चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों को फिर से पहले वाला माहौल मिले, उसके लिए हमें आज के हालात पर विचार करके कोई समाधान निकालना चाहिए और उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए।

जहां तक जम्मू-कश्मीर की स्थानीय सरकार का सवाल है, वहां सरकार बदलती रहती है और गठबंधन की सरकार चलती है। वहां का राज्य सरकार ने, जैसा कि इस रिपोर्ट में भी कहा गया है, अपनी तरफ से काफी प्रयास किया है और तमाम लोगों को बुलाकर बात की है। राज्य सरकार का जो रवैया होता है वह रिएक्टिव होता है और वह बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। इसलिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार में समन्वय स्थापित करके वहां कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। वहां की कानून व्यवस्था और शांति जो भंग हुई है, उसके कारण वहां के लोगों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। उसके साथ ही साथ देश के बाकी हिस्सों पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। मैं जब कश्मीर गया था तो वहां सेबों के बाग में भी गया था। उन्हीं सेबों का मूल्य आज कितना है, यह इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैंने आज 150-175 रुपए प्रति किलोग्राम से दिल्ली में खरीदे हैं। कश्मीर में पर्यटक काफी बड़ी तादाद में आते हैं। जब देश के अन्य हिस्सों से लोग अमरनाथ यात्रा के लिए वहां जाते हैं तो उन्हें भय और संकट की स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं यह अपील करना चाहूंगा राज्य सरकार से लेकर केन्द्र सरकार के प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी ने जो वार्ता का दौर शुरू किया है, वह चलना चाहिए और वहां शांति बहाली के लिए पूरी कोशिश की जानी चाहिए।

मैं तो अल्लाहताला से और ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि वहां जल्द से जल्द शांति बहाल हो और उस प्रदेश के लोग अमन और शांति से रहें। इसके साथ ही मैं कश्मीर के उन सिरफिरे लोगों से भी कहना चाहूंगा, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं, कि वे इस बारे में सोचें और अपने परिवार की रक्षा करें। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और वहां पर शांति बहाल हो। कश्मीर आर्थिक रूप से पर्यटन पर निर्भर है। वहां पर भारी तादाद में पर्यटक आते हैं, अगर वहां शांति व्यवस्था स्थापित हो जाती है तो फिर से पर्यटकों की भीड़ वहां आएगी और वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में सुधार आएगा।

इस अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, आज इस सदन में गम्भीर सवाल पर बहस हो रही है। जब से यह बहस शुरू हुई है, मैं तब से यहां बैठा हुआ हूं। फारुख साहब आप बैठिए।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, यहीं बैठा हूं।

श्री शरद यादव: यह जो चर्चा है, उसका मकसद है कि कश्मीर की जो गम्भीर हालत है, उसका समाधान और रास्ता कैसे निकले। कश्मीर जब से हम आजाद हुए हैं, मैं 1947 का जिक्र करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष जी, 14 अगस्त की आधी रात को देश आजाद हुआ था। काश्मीर का सवाल कभी नहीं उलझता यदि देश का बंटवारा नहीं होता, लेकिन उलझ गया। आप जानते ही हैं कि 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ

[श्री शरद यादव]

और 27 अक्तूबर को यानी तीन महीने बाद, काश्मीर आजाद हुआ। शेख साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं। काश्मीर का चेहरा शेख साहब के जमाने में कहां था और आज कहां है? उस समय, फारुख साहब की जो नेशनल कांफ्रेंस है उसका नाम मुस्लिम कांफ्रेंस नाम था और जिन्ना साहब देश के विभाजन के समय जब वहां गये, तो शेख साहब का नेतृत्व वहां की जनता पर था। वह सन् 1931 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री लेकर गये थे। उनकी त्रासदी यह थी कि वहां डोगरा लोगों का राज था और वह अलीगढ़ से शिक्षा प्राप्त करके जम्मू-काश्मीर गये थे। ...*(व्यवधान)*

श्री शरीफुद्दीन शारिक (बारामुला): *यह डोगरा राज के खिलाफ नहीं था, शायद यह शख्सी-राज के खिलाफ था।*

श्री शरद यादव: एक बहुत बड़ी किताब है जिसमें पत्र-व्यवहार है जिसके चलते नाश हुआ है यहां, मैं उसमें आज नहीं जाना चाहता हूं। भारत के साथ उनकी ममता और प्रेम का हिसाब यह है कि उन्होंने मुस्लिम कांफ्रेंस का नाम वर्ष 1938 में नेशनल कांफ्रेंस किया। स्वर्गीय जवाहर लाल जी के संपर्क और साथ का यह परिणाम था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कहां से हम शुरू हुए थे। शेख साहब का यू.एन.ओ. में जो भाषण हुआ वह अद्भुत है। वह सदन की बहस के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसे समझें। विभाजन के समय मिस्टर जिन्ना काश्मीर में मुस्लिम लीग बनाने गये थे, शेख साहब की स्टेटमैनशिप ने उन्हें वापिस किया और कहा कि यहां तुम्हारी विभाजन की कारगुजारी चलने वाली नहीं है। वर्ष 1938 में शेख साहब ने यू.एन.ओ. में कहा कि "मैं जम्मू-काश्मीर के मामले में पाकिस्तान को पार्टी बनाने से इंकार करता हूं। हमने भारत के साथ काम करने का और साथ मरने का फैसला किया है। धार्मिक आधार पर राज कायम करने का कोई स्थान यहां नहीं है।" काश्मीर में आज जो हो रहा है, उसके पीछे के इतिहास पर भी हमारी नजर जानी चाहिए, उस तरफ झांकना चाहिए।

महोदय, मैं आपसे कहूं कि कश्मीर आज से नहीं, उस समय उस तरफ से भी जिस समय शेख साहब जैसा स्टेट्समैन था, तब भी ऐसा ही था। बचपन में मेरा घर कांग्रेसी था। शेख साहब का देश में बहुत सम्मान था। जवाहर लाल जी और उनके बीच जो प्रेम था, उसका देश में बहुत जिक्र था। हालात यह है कि जब देश का विभाजन हुआ, तो अकेला वाहिद, वाहिद, वाहिद अकेला सूबा था। देश भर में कत्लेआम मचा। कोई दस लाख कहता, कोई बीस लाख कहता, लोग इधर या उधर काटे गए, मारे गए। जम्मू में भी थोड़ा बहुत दंगा हुआ था, लेकिन अकेले घाटी थी, जिसमें बहुसंख्यक मुसलमान थे, लेकिन एक भी हिंदू और एक भी सिख को हाथ लगाने का काम नहीं हुआ। इसकी ताईद मैं नहीं कर रहा हूं, महात्मा जी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला-ट्रैजिक हीरो ऑफ कश्मीर, यह किताब सभी को जरूर पढ़नी चाहिए। महात्मा जी ने अपनी प्रार्थना सभा में क्या कहा है? किसी देश के, किसी नेता के लिए गांधी से ज्यादा मन से और तन से कोई घायल नहीं था। किसी के बारे में महात्मा जी ने इतनी बड़ी ट्रिब्यूट नहीं दी है। 29 दिसम्बर, 1947,

[अनुवाद]

राज्य के भारतीय संघ में शामिल होने के दो माह पश्चात

[हिन्दी]

मतलब जब कश्मीर मिल गया -

[अनुवाद]

यह बाहर वालों के लिए भी उतना ही स्पष्ट है जितना मेरे लिए कि कश्मीर हमलावरों, जिन्हें आक्रान्ता भी कहा जाता है, के हाथों में चला गया था, यदि शेख अब्दुल्लाह साहब के मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों को संगठित रखने का प्रयास विफल हो गया होता। मेरी एकमात्र उम्मीद और प्रार्थना यही है कि कश्मीर रात्रि पहर से उबर कर इस उपमहाद्वीप का प्रकाश स्तंभ बने।

[हिन्दी]

महात्मा जी ने अपनी प्रार्थना सभा में वर्ष 1949 में कहा कि *मेरी कोई आशा, मैं कोई रोशनी देखता हूं, तो वह रोशनी कश्मीर से आती है।* मैं यह नहीं मानता हूं कि हिन्दुस्तान में महात्मा जी से भी ज्यादा कोई सैक्यूलर आदमी है। इतना बड़ा इंसान, जो हमेशा सच बोलते थे, यह कभी गलत नहीं बोल सकते थे। यह कैसे बिगड़ा? हमने उसे 20 साल तक जेल में रखा। कांग्रेस पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूं, श्री जय प्रकाश जी और लाल बहादुर शास्त्री जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। हजरत बल में से कुछ चुरा लिया था, उस समय श्री जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शास्त्री जी को वहां 8-10 दिन नहीं बैठाया, शास्त्री जी उनके बाद दो

नंबर पर थे, दो नंबर का मतलब सैकेण्ड-इन-रैंक थे। उनको वहां बैठाया। उन्होंने उस समस्या का समाधान ही नहीं किया, बल्कि अपनी रिपोर्ट जवाहर लाल जी को दी, मैं उसे पढ़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि समय कम है, निश्चित तौर पर शेख अब्दुल्ला जी को जवाहर लाल जी और शास्त्री जी के प्रयास से उनकी रिपोर्ट के आधार पर फिर से मुख्यमंत्री बनाया।

1982 में जो चुनाव हुआ, वह चुनाव नहीं हुआ। ये जितने लोग हैं, सलाउद्दीन जो पाकिस्तान चला गया, वह जीता हुआ आदमी था।...*(व्यवधान)*

डॉ. फारूख अब्दुल्ला: बात यह है कि जब मुकद्दस प्रोफैट का हेयर वापस भारत आया तो शेख साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया। वहां पर बख्शी साहब उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। बख्शी साहब को निकालकर फिर शमशुद्दीन शाह तशरीफ लाए थे। वह सिर्फ 14 दिन रहे क्योंकि वह कंट्रोल नहीं कर सके। फिर सादिक साहब प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने शेख साहब को रिलीज किया था।

श्री शरद यादव: उनको ज्यादा सही मालूम है। मेरी बात को सुधार दिया जाए। लेकिन मैं यह जानता हूं कि वहां शेख साहब के साथ वार्ता करके 20 साल के जेल के बाद रास्ता निकला था। 1982 का चुनाव हुआ जिसमें आप भी थे। वह चुनाव कैसे हुआ है, यह केवल देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। उस समय जितने लड़के कोई 1000 या कोई एक लाख कहता है, हजारों लड़के कश्मीर से पाकिस्तान चले गये और जो चुनाव में गड़बड़ी हुई, उससे उनका लोकतंत्र में विश्वास टूट गया।...*(व्यवधान)*

डॉ. फारूख अब्दुल्ला: वह गलत है। वहां कोई बात हुई थी, जिस पर मुझे बाद में डिसमिस कर दिया गया था। मगर यह 1987 का चुनाव था जिसमें हमारे पर यह आरोप है कि वह रिग्ड इलेक्शन था। चूंकि जो वहां हिजबुल मुजाहिद्दीन के पी.ओ.के. में बैठे हुए हैं कि वे जीत रहे थे और हमने उनको हराया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मिनिस्टर हार गये। ऐसा नहीं है कि मेरे मिनिस्टर नहीं हारे हैं। मेरे मिनिस्टर जो थे, वे हार गये। लेकिन इलेक्शन में कहीं पर गड़बड़ की हो तो हमारे पास इलेक्शन कमिशन के रास्ते हैं। आप उनको प्रूव कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इसमें गलती हुई है, इसको देखें। मगर बंदूक उठाने का रास्ता ठीक नहीं है। क्या हिन्दुस्तान के इतिहास में बंदूक उठाने का रास्ता है कि अगर मैं इलेक्शन हार जाऊं तो क्या मुझे बंदूक उठानी है? कोई भी व्यक्ति चुनाव में धर्म को इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया। उन्होंने अल्लाह के बैनर लगाये। नबी करीम सल्लाहु अलेह वसल्लम के बैनर लगाये। सब्ज झंडे लगाये। अगर मैंने अपना लगाना है तो मैं अपना हल लगाऊंगा। कांग्रेस अपना हाथ लगाएगी लेकिन राम का नाम नहीं लगाएगी। इन्होंने इलेक्शन लड़ा मगर राम के पोस्टर नहीं लगाये।...*(व्यवधान)* इसलिए वे जो कहते हैं कि इस तरह से हुआ, उस तरह से हुआ। यह मेहरबानी इन लोगों की है जो ऊपर बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने इतनी आग लगाई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। अगर मैं दिल खोलकर आपको सामने रखूंगा तो यह सदन सुन नहीं सकेगा कि ये कैसी-कैसी आग लगाते हैं और कैसी-कैसी कहानियां बनाते हैं। मुझे याद है कि 1983 में कैसे इन लोगों ने कहानियां बनाईं। लिखा कि 300 घर जला दिये, 300 लोग मार दिये। बेबुनियाद खबरें। मुझे अफसोस इसी बात का है। हमारे मीडिया को ईमानदारी से सच्चाई पर चलना चाहिए। पैसे से ये लोग क्यों कहानियां लिखते हैं जो बेबुनियाद होती हैं?...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: जो मैंने एक बात कही थी, उसका फारुख साहब ने खंडन किया है कि उस समय जो चुनाव हुआ था, वह ठीक हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे से ज्यादा जानकारी उनको है। लेकिन यह भी सच है कि जे.एम. शाह को मुख्य मंत्री बनाया गया तो फिर आई.बी. ने क्या खेल किया है? आजाद साहब जानते होंगे कि कैसे बनाया है। वह तो कमाल आपका है। ...*(व्यवधान)* मैं निवेदन कर रहा था जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि जो यह समस्या है, यह बहुत बड़ी समस्या है। मैं मानता हूं कि बहुत गंभीर स्थिति है।

आजादी के बाद से ही कश्मीर का सवाल है, कठिन सवाल है। इस सवाल के बारे में महात्मा जी ने कहा था कि मुझे देश में कोई सेक्यूलरिज्म की आशा, इंसानियत की रोशनी कहीं दिखती है तो कश्मीर से दिखती है, कश्मीर घाटी से दिखती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कश्मीर सिर्फ देश का हिस्सा नहीं है, कश्मीर में वादी और खूबसूरती भर ही नहीं है...*(व्यवधान)* कश्मीर में हिन्दुस्तान की सेक्यूलरिज्म का झंडा मजबूती से गढ़ा रहे, इसके लिए जरूरी है कि कश्मीर में जो हालात हैं, उन्हें बहाल ही न करें बल्कि सब तरह से देखें। मैं मुफ्ती साहब से इस सदन के जरिए से कहना चाहता हूं कि सरकार में मेरे साथ मंत्री थे, वे मामूली मंत्री नहीं थे, हिन्दुस्तान के पहले मुस्लिम होम मिनिस्टर थे।

[श्री शरद यादव]

मैं यह भी कहूंगा कि गंगा के मैदान से इस देश का हार्ट लैंड से मुजफ्फरपुर और कटियार, दो जगह से चुनाव लड़ाया गया...*(व्यवधान)* उन्होंने अभी जीत कर दिखाया है। अभी ज़ो विधान सभा चुनाव हुए हैं, वे मुख्य मंत्री भी थे।...*(व्यवधान)* उन्होंने आजाद साहब के साथ सरकार चलाई है। पहले आजाद साहब उनके साथ थे और अब फारुख साहब के साथ हैं। आप एक चाल चलिए। आप इधर-उधर चाल चलते हैं उसने भी कश्मीर के सवाल को बिगाड़ा है। आप कभी इधर ताकते हैं कभी उधर ताकते हैं और ताकने झांकने में आप जानते हैं कि मामला सुधरता नहीं है। कभी-कभी मोहल्ला इकट्ठा होकर ताकने झांकने वाले का विरोध करने लगता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): यह दिल्ली में आप लोगों से ही सीखा है। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: आपकी बात सही हो सकती है लेकिन कश्मीर का मामला इतना नाजुक है लेकिन वहां भी ताकना झांकना होता है। सीधी बात है कि कश्मीर में आज जो हालात हैं, पहले भी खराब रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में इसका कारण कुछ वहां से भी है और कुछ यहां से भी है। दो हाथ के बगैर ताली कभी नहीं बजती है। मैं आपसे कहूं कि उस सवाल को हल करने के लिए पहले कितने लोगों का इस्तेमाल करते थे। आपकी सरकारें थी, कितने लोगों का इस्तेमाल करते थे। राजीव लोंगोवाल पैक्ट को करने में माननीय राजीव जी ने कितने लोगों का इस्तेमाल किया। मैं आपको बताऊं कि चार बार तो मैं ही उनसे मिला था।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, आप संक्षेप में बोलें तो अच्छा होगा। अभी बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं। इस तरह से उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि मंत्री जी ने जवाब देना है। इसका ध्यान रखते हुए बोलें तो अच्छा होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब में हालात कश्मीर से भी खराब थे। वहां राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ और समझौते के बाद चुनाव का रास्ता पकड़ा गया। मैं आपसे फिर कहता हूं कि कश्मीर में उबाल आता है, जैसे इतिहास का पहिया चक्कर मारता है वहां उसी तरह से उबाल आता है।...*(व्यवधान)*

डा. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब): वह समझौता तो सिर ही नहीं चढ़ा था।...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: आप खड़े हो गए हैं, क्या आप उसके खिलाफ हैं?

डा. रतन सिंह अजनाला: जी, हां।

श्री शरद यादव: लेकिन रास्ता निकला। वह चुनाव से निकला, पंचायत और कार्पोरेशन के चुनाव हुए और फिर विधान सभा के चुनाव हुए। डॉक्टर साहब आपने उसमें शिरकत नहीं की। उसमें कांग्रेस और बी.एस.पी. के लोगों ने शिरकत की थी।...*(व्यवधान)*

डा. रतन सिंह अजनाला: हमारे 25 उम्मीदवार मारे गए थे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बीच में टोकाटाकी मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: मैं 1985 का जिक्र कर रहा हूं, जब बादल साहब सेलम में बंद थे। तब मैं और चौधरी देवी लाल उनके पास गये थे कि वह चुनाव में हिस्सा लें। लेकिन वहां कारपोरेशन का चुनाव हुआ, विधान सभा का चुनाव हुआ। इसलिए फारूख साहब वहां चुनाव की प्रक्रिया बंद मत करिये। हिंदुस्तान के हिन्दू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। जैसे ही आप चुनाव करेंगे, वैसे ही समाज के अंतर्विरोध खलबल-खलबल करेंगे। आपने वहां चुनाव नहीं किये हैं। पंजाब में जो परिस्थिति वापस हुई है, वह चुनाव से हुई है। पंजाब में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए। जो लोग खालिस्तान चलाना चाहते थे, उन्होंने कहा कि कोई वोट डालने नहीं जायेगा। लेकिन वहां जो रामदसिया था, उन्होंने कहा कि तुम्हारी चौधराहट नहीं चलेगी। हम जरूर जायेंगे। इसलिए कश्मीर के सवाल पर मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपको हम सब लोगों का पूरा सहयोग है। बहुत लोग हमारी जान-पहचान के हैं, फारूख साहब से भी जान-पहचान है। लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। यह फंसे रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कश्मीर के सवाल पर हम इतिहास में नहीं जाना चाहते थे। आज मैंने केवल इतना ही बताया कि कश्मीर कहां खड़ा था, जहां हिंदुस्तान नहीं खड़ा था। जहां एक इंसान, एक आदमी ने उंगली नहीं उठाई, धक्का

नहीं लगाया। जिस कश्मीर में लोग पहले कपड़े से लड़ते थे, हाथ नहीं उठाते थे, वह कश्मीर आज फिर से उबाल पर है। वहां फिर से खदबद है। मैं भारत सरकार की गलतियां नहीं निकाल सकता। आप पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन थोड़ा इधर-उधर के प्रयास को भी देखने का काम करिये। पं. जवाहर लाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने जयप्रकाश जी का इस्तेमाल किया। मुफ्ती साहब यहां रहे हैं, हम लोगों के साथ उनका बहुत अंतरंग संबंध है। हमारे गठबंधन में कई बार फारूख साहब रहे हैं। वहां जो लोग अतिवाद की बात कर रहे हैं, उनमें दो गुट हैं। उन सबसे भी हम लोगों का रिश्ता है, बहुत से लोगों का रिश्ता है।

मैं अंत में कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहूंगा कि आप प्रयास कर रहे हैं, उस पर मेरा कोई ऐतराज नहीं है, वह ठीक है। लेकिन आपके प्रयास में और दूसरे लोग, जिनका सरकार का, राज का और अर्थ का कोई स्वार्थ नहीं है, आप ऐसे लोगों का भी इस्तेमाल कीजिए, जो आपके पुरखों ने किया है। तब इस समस्या को हम चारों तरफ से घेरकर नहीं, प्यार से, मोहब्बत से हल करेंगे। मैं आपसे कहूं कि वहां का कोई इंसान, कोई नौजवान गोली से हलाक होता है, कोई जवान हलाक होता है तो बहुत दुख होता है। वे इस धरती, भारत मां के दोनों तरफ से बेटे हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं, पत्थर और ईंट चला रहे हैं। इधर से गोलियां चल रही हैं, चाहे वे रबड़ की हों, चाहे असली हों, बात ठीक नहीं हैं, कश्मीर हमारी रूहों में हैं। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे साथ बहुत से कश्मीरी नौजवान पढ़ते थे। मैं आपसे कहूंगा कि वहां की तहजीब, वहां का खाना भी इतना लजीज है कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता।

इसलिए अंत में मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि यह बात आपके शरीर की सीमाओं के बाहर है, हाथ-पैर मारिये। मेरा विश्वास है कि वहां शांति बहाल होगी। वहां शांति एक बार नहीं, पहले भी कई बार बहाल हुई है, फिर से वहां शांति बहाल होगी। लेकिन जरूरत है कि आपकी सरकार वहां पूरी स्टेट्समैनशिप कैसे दिखाती है, आप कैसे रास्ता निकालते हैं और उसमें हम सब लोग आपके साथ हैं। आप आधी रात को भी कश्मीर के बारे में हम लोगों का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग पूरी तरह से आपकी सर्विस में हैं, आपकी सेवा में हैं। आप जैसा चाहें वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। कश्मीर हमारे हिंदुस्तान की एक ऐसी जगह है कि जिसके रहने के सिवा हमारा इकबाल नहीं बढ़ता, हमारी हैसियत नहीं बढ़ती, हमारा सेक्युलरिज्म का झंडा ऊपर नहीं होता। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 2.30 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 26 अगस्त 2010 को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 26 अगस्त, 2010 को प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.31 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में स्थिति - *जारी*

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में सुबह से हो रही चर्चा को मैं बड़े ही ध्यान से सुन रहा हूं। माननीय श्री शरद यादव जी ने अपनी बात रखी लेकिन मैं इस गम्भीर मामले की इतनी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, जिस तरीके से चर्चा का शुभारम्भ हुआ और जिस तरीके से दोनों तरफ से टोका-टाकी का माहौल बना, उससे इस समस्या के समाधान के लिये हाऊस की ओर जो लोग ले जाना चाहते थे, निश्चित रूप से उसे धक्का लगा होगा। आज देश की सर्वोच्च संस्था में कश्मीर की समस्या के समाधान के लिये चर्चा करने का अवसर है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दुनिया ही नहीं बल्कि अपने देश और खासकर

[श्री दारा सिंह चौहान]

कश्मीर में बैठे हुये जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, महिलायें हैं, माता-बहनें हैं, वे इसका एक-एक शब्द बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे। वे सोच रहे होंगे कि इस देश की सर्वोच्च संस्था संसद इस समस्या के प्रति कितनी गम्भीर है और कैसे इस समस्या का समाधान करना चाहती है? बार-बार यह सवाल उठा है और कहा गया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसमें कोई शंका नहीं है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे और जब भारत का नक्शा बनाया जाता था तो सब से पहले नक्शे की शुरुआत हम लोग कश्मीर से करते थे, वहीं से शुरुआत होती थी, नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से होती थी। हम साफ कहना चाहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। हमारी पार्टी का मानना है कि इस समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिये। जिस तरह से निरंतर यह समस्या चली आ रही है, उसका क्या कारण है? बिना कारण के इस समस्या का समाधान कोई नहीं ढूंढ सकता है। अगर वहां की जनता का असहयोगात्मक रवैया है तो इसका क्या कारण है? अगर सरकार इस मसले पर गम्भीर है तो उसे गम्भीरता से इस समस्या पर विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने से इस समस्या का समाधान नहीं है बल्कि जिस प्रदेश के लोगों की पीड़ा के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि बिना किसी आरोप के इस सदन को एकमत होकर इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से बराबर प्रयास हुए हैं, लेकिन क्यों नहीं सर्वदलीय, सारे दलों के लोग मिलकर इस पर चर्चा करें। मैं समझता हूं कि शायद सरकार के अकेले वाहावाही लूटने के चक्कर में इस समस्या का समाधान न हो पाये। सब लोग जिम्मेदारी महसूस करते हैं, कश्मीर के लोगों को लेकर सबके मन में पीड़ा है...*(व्यवधान)* तो मैं समझता हूं कि सर्वदलीय नेताओं को बैठकर चर्चा करने की जरूरत है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें। उन्हें बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: हम लोग चर्चा करते हैं कि वहां के लोगों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है। यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी उनके साथ दिल से, दिमाग से जब तक नहीं जुड़ेंगे निश्चित रूप से तब तक वे देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पायेंगे। यह मेरा विचार है।

महोदय, एक बार मैं सेंट्रल हॉल में था, वहां से एक पत्रकार ने फोन किया और वहां की पीड़ा की चर्चा की। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि अगर हाउस के लोग उस बात को सुनते तो वे सारे भेद-भाव को भुलाकर एक-साथ बैठकर कश्मीर की समस्या पर मुतमइन होकर, एकाग्रचित होकर समस्या के समाधान का प्रयास करते। केवल वहां के विकास का सवाल नहीं है, विकास तो देश की सरकार बराबर करती आ रही है। हमने कक्षा छह या सात में पढ़ा है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो वह कश्मीर में है। उसे देखने के लिए, वहां जाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। मुझे भी कमेटी के टूर पर वहां जाने का एक-आध बार मौका मिला है। केवल वहां के विकास का सवाल नहीं है, वहां तो प्राकृतिक रूप से ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है। हमें वहां कुछ अलग से करने की जरूरत है। आज वहां पर बेरोजगारी है और बेरोजगारी के चलते लोगों के अंदर विद्रोह की भावना है। जो लोग परेशान हैं, हम उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या करने जा रहे हैं? हम एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उस लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा। केवल पार्लियामेंट में चर्चा कर देने मात्र से ही नहीं, उनके मान-सम्मान, इच्चत के साथ उन्हें रोजी-रोटी के साथ जोड़ने की जरूरत है। आज नक्सलवाद की जो समस्या पूरे देश में है, उसके पनपने का कारण किसी से छिपा नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमें भी उनकी पीड़ा में साथ रहकर उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूरे सदन को एकमत से एक बिन्दु पर, एक लक्ष्य पर पहुंचना चाहिए। तब जाकर हम उस समस्या के समाधान के बारे में सोच सकते हैं। आज लोग कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए। इसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी है। केवल उनके यहां रात बिताने से नहीं, बल्कि उनकी घाटी में भी जाकर रहना चाहिए। मैं यह आरोप किसी पार्टी पर नहीं लगा रहा हूं। यह सारे दलों, सारी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर रहें और सरकार की जिम्मेदारी है कि केवल उनके विकास के लिए पैकेज देने मात्र से ही काम चलने वाला नहीं है। हमें उनकी बेरोजगारी के मसले के स्थायी समाधान के लिए कारगर कदम उठाने की जरूरत है। जब तक हम उन बेरोजगार नौजवानों की बेरोजगारी का स्थायी हल नहीं निकाल पायेंगे तो निश्चित रूप से हमें उस मुकाम तक पहुंचने में मुश्किल होगी। मैं

समझता हूं कि यह मेरा अपनी पार्टी की तरफ से सुझाव है। मेरा अपनी पार्टी की तरफ से सुझाव है कि हमें आपस में भाईचारा पैदा करके वहां की बुनियादी समस्या को दूर करने के लिए विकास करना चाहिए, चूंकि विकास बहुत जरूरी है। दुनिया के नक्शे में काश्मीर का जो मान-सम्मान है, वहां के नौजवान हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलें, वहां की बेरोजगारी के लिए केन्द्र सरकार को स्थायी रूप से हल निकालने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. मिर्जा महबूब बेग (अनंतनाग): ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, आज जो इश्यू इस फोरम के सामने है, हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने है, उसमें मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉनफ्रेन्स की तरफ से अपना केस रखूंगा। जैसे सुषमा जी ने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि पूरा सदन और पूरा ऐवान सुनेगा और हम क्या चाहते हैं और कश्मीर में क्या दुख और तकलीफ है, मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे।

जब डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी ने यह कहकर कि जम्मू-कश्मीर को अगर हम ऑटोनॉमी देंगे तो मैं इस बारे में आपको बता दूं कि जम्मू-कश्मीर का मसला पोलिटिकल इश्यू है और इसको पोलिटिकली एड्रैस किया जाना चाहिए। यह सही बात है कि इंप्लायमैंट भी एक बड़ा इश्यू है और वहां स्टेट गवर्नमैंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अनइंप्लायमैंट को दूर करने का। मगर बेसिकली यह एक पोलिटिकल इश्यू है जिसको पोलिटिकली एड्रैस करना है। जब हम इसको नॉर्थ ईस्ट से, पंजाब से और बाकी स्टेट्स से कंपेयर करते हैं तो आप मुझे माफ कीजिएगा, फिर आप कश्मीर के हिस्टॉरिकल पर्सपैक्टिव को या तो समझते नहीं या इंटैन्शनली उसको समझने की कोशिश नहीं करते। अभी शरद यादव जी कह रहे थे, वे कश्मीर के सबसे टॉलैस्ट और अनडिस्प्यूटेड लीडर शेख अब्दुल्ला की बात कर रहे थे। शायद डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी भूल जाते हैं जब वे बात करते हैं, यह पी.जे.पी. नहीं थी, यह कोई पार्टी नहीं थी, यह हमारी पार्टी थी नेशनल कान्फ्रेन्स जिसका लीडर मोहम्मद शेख अब्दुल्ला था। जब पूरे बरसगीर में, पूरे सबकॉन्टिनैन्ट में लोग मजहब के नाम पर सोचते थे, मजहब के नाम पर फैसले करते थे, मगर जैसे शरद यादव जी ने कहा, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के बनाने वाले को जिसको कायदे-आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, उसको भगा दिया और हिन्दुस्तान की सैक्यूलर डैमोक्रेसी के साथ इस देश के साथ हाथ मिलाया।

मैं बताना चाहता हूं कि जब आप कश्मीर को कंपेयर करते हैं बाकी रियासतों के साथ, जब जम्मू-कश्मीर का इलहाक हुआ, जम्मू-कश्मीर का एक्सैशन हुआ, जब जम्मू-कश्मीर यूनियन का हिस्सा बना तो उसके लिए बाजाफ्ता नैगोसियेशन हुई गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के साथ, बाजाफ्ता बातचीत हुई, फ्यूचर में जम्मू कश्मीर की क्या रिलेशनशिप होगी बाकी देश के साथ, इसका बाजाफ्ता एक डॉक्यूमैंट बना। जब यह एक्सैशन हुआ तो फुली ऑटोनॉमस जम्मू कश्मीर का एक्सैशन हुआ बाकी देश के साथ। इस संसद में बैठा कोई ऑनरेबल मैम्बर बताए कि और भी कोई रियासत है जहां इन बुनियादों पर एक्सैशन हुआ है? डैफिनेटली और कोई रियासत नहीं है जिसका एक्सैशन इस तरीके से हुआ है।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सिक्किम है।

डॉ. मिर्जा महबूब बेग: मेहरबानी करके आप मेरी बात सुन लीजिए। मुझे बता दीजिए जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असैम्बली जिसमें जम्मू के रिप्रेजैन्टेटिव्स थे, जिसमें कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रजैन्टेटिव्स थे, सैपरेटिस्ट्स नहीं थे, कोई सैसेशनिस्ट्स नहीं थे, जम्मू-कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रजैन्टेटिव्स थे - जम्मू से थे, कश्मीर से थे, लद्दाख से थे, उन्होंने यूनैनिमस रिसॉल्यूशन पास किया कि जम्मू कश्मीर को ऑटोनामी देनी नहीं है, ऑटोनामी रिस्टोर करनी है। आज कश्मीरी मुझसे पूछता है, आज कश्मीरी मुझसे सवाल करता है। आप लोग यहां बातें करते हैं मगर मुझे कश्मीर जाना है, मुझे उन्होंने वोट दिये हैं, मुझे अपने घर जाना है।

आज वह मुझे पूछते हैं कि आपने हिन्दुस्तान के साथ इलहाक किया तो जिन शर्तों पर किया था, फुल्ली एटोनामस कश्मीर ने इलहाक किया था, आज वह एटोनॉमी कहां है। जब मैं वहां जाता हूं तो मुझे कश्मीर का रहने वाला पूछता है, मेरे भाइयो आप सुन लीजिए, वह कहते हैं कि जिस जम्मू-कश्मीर लैजेस्लैटिव असैम्बली की आप बात करते हैं, उस जम्मू-कश्मीर लैजेस्लैटिव असैम्बली के रैज्योलूशन को भारत सरकार ने कैसे दस दिन में फेंक दिया। मुझे इन बातों का सामना करना पड़ता है। मुझे इन बातों का जवाब देना पड़ता है। कश्मीर रियासत जो कि मुस्लिम मैजोरिटी राज्य है, उसने आंखें खोलकर यह फैसला किया था कि वह गांधी, नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के हिन्दुस्तान के साथ रहेगा और हमेशा

[डॉ. मिर्जा महबूब बेग]

रहेगा। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता हूं। जब तक आप इस राजनीतिक मसले का हल, राजनीतिक रूप से नहीं करोगे, मुझे एक माननीय सदस्य बताए कि यदि आपकी असैम्बली की करारदाद को इस तरह से रिजैक्ट किया जाए तो आप कैसा फील करेंगे? मुझे जम्मू-कश्मीर में जवाब देना है। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने अपने साथियों की तकरीरें सुनीं, बड़ी खुशी हुई, लेकिन वहां से यह बात आयी कि इनको जूते दो, यह सैपरैटिस्ट हैं। मैं कहता हूं, हम कहां जाएं? शायद इसी के लिए एक शायर ने कहा था - न खुदा ही मिला, न वसाले सनम। न यहां का रहा, न वहां का रहा। आप मुझे पाकिस्तानी समझते हैं और वहां मेरी कब्र महफूज नहीं है। वहां सब मुझे हिन्दुस्तानी समझते हैं। मैं जाऊं तो किधर जाऊं आप मेरा फैसला कर लीजिए। आप इसका मुकाबला अन्य रियासतों के साथ मत कीजिए। भारत सरकार नागा रिबैल से बात करती है। भारत सरकार देश में ही नहीं, देश से बाहर डिग्निटी से उनसे बातचीत करती है और जब उनको एटोनॉमी दी जाती है, जैसा कि प्रिंट मीडिया में आया, उन्होंने एटोनॉमी रिजैक्ट की, फिर भी उनसे बातचीत होती है। क्या वजह है? मुझे वापस कश्मीर जाना है। क्या वजह है, जब कश्मीर में यह बात होती है तो उनसे भी इज्जत और अख्सार बुलंद करके बातचीत नहीं की जाती है। जब तक यह नहीं होगा, हम लाख यहां तकरीरें करें, बातें करें, कश्मीर का मसला सियासी तौर पर जब तक हल नहीं होगा, जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, मेरी पार्टी की कमिटमेंट और कनविक्शन की बात है, जिन बुनियादों पर हम इस देश का हिस्सा बने हैं, उन बुनियादों को वापस लौटाना होगा, तब तक बहुत मुश्किल है। मेरी पार्टी कमिटमेंट और कनविक्शन से खड़ी है, लेकिन आप वहां मुझे सहूलियत देना चाहते हैं, आराम देना चाहते हैं, अगर मेरी बात, मेरी फिलोसफी, मेरी कमिटमेंट और सर-बुलंद करके बात करना चाहते हैं, तो आपको यह एड्रेस करना होगा, इसके अलावा दूसरा कोई हल नहीं है।

महोदय, किस रियासत में यह होता है? जम्मू-कश्मीर रियासत में सबसे ज्यादा वाटर रिसोर्सिज हैं। वाटर रिसोर्सिज पर यदि हमारा सेल्फ कंट्रोल होता तो जम्मू-कश्मीर के लोग न सिर्फ सेल्फ सफिशयंट होते, इसके अलावा हम देश की बाकी रियासतों को भी दे सकते थे, लेकिन इंडस वॉटर ट्रीटी के तहत हमारा अपना पानी पर कंट्रोल नहीं है और वह सारा पानी पाकिस्तान को जाता है, जिसको आप हमारा हमदर्द समझते हैं और वह हमदर्द चुपचाप हमारा पानी इस्तेमाल करता है। इस वक्त क्या है? इस वक्त पूरा जम्मू-कश्मीर अंधेर नगरी बनी हुई है, रोशनी की एक किरण नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि उस इंटरनैशनल ट्रीटी को स्क्रैप करें, लेकिन उस इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत जम्मू-कश्मीर का जो नुकसान हुआ, क्या यह भारत सरकार का फर्ज नहीं है कि हैवी कम्पनसेशन जम्मू-कश्मीर रियासत को दी जाए, क्योंकि अपना पानी होने के बावजूद उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। पंजाब का पानी भारत सरकार ने अपने पास रखा है, लेकिन जम्मू-कश्मीर का सारा पानी जो हमारी सबसे बड़ी ताकत था, उसको पाकिस्तान के हवाले कर दिया। यदि हम कम्पनसैशन चाहते हैं तो यह क्या सैपरैटिस्ट की बात हुई। हम कुछ नहीं चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी की बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम कश्मीर की एलीनेशन को दूर करेंगे। आप देख लीजिए, इसका कितना अच्छा इम्प्रैशन वहां रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो प्रॉब्लम है, उसको एड्रैस करेंगे, देख लीजिए, उसका कितना अच्छा इम्प्रैशन है। उन्होंने कहा कि हम एटोनॉमी पर बात करेंगे यदि यह संविधान के तहत आया। हम बात करेंगे, यदि कन्सैंशन्स हुआ। इस पर जो ट्रस्ट डेफिसिट है, कश्मीरी और रेस्ट ऑफ द कंट्री बढ़ता जाता है, क्योंकि यह बिल्कुल गेंबिट ऑफ द कांस्टीट्यूशन में है। प्राइम मिनिस्टर इस बात से इग्नौर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इंडियन कांस्टीट्यूशन में ऑटोनोमी है, एक लफ्ज भी आटोनोमी का इंडियन कांस्टीट्यूशन से बाहर नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

डॉ. मिर्जा महबूब बेग: उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। हमारी कमेटियां बनीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, डॉ. मनमोहन सिंह जी ने कमेटियां बनाईं, जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस ने वे कमेटियां नहीं बनाईं। प्राइम मिनिस्टर, डॉ. मनमोहन सिंह जी ने कमेटियां बनाईं, उन्होंने रिकोमेंडेशंस दी, लेकिन आज तक उन रिकोमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हमसे कश्मीरी पूछ रहा है, वे कहते हैं कि अगर आपके प्राइम मिनिस्टर ने खुद कमेटियां बनाईं, उन्होंने रिकोमेंडेशंस दीं तो वे रिकोमेंडेशंस इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही हैं। इससे जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वह बढ़ता जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें

इनके नोटिस में लाना चाहता हूं। एक कमेटी ने कहा कि 390 मेगावाट ड्यूलहस्ती हाइडल पावर प्रोजैक्ट एन.एच.पी.सी. से स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाए। ये कौन सी खतरनाक बात है? इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इससे ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जाता है। अगर ये कमेटी बनी, उसने कहा कि इसे वापस स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करो और यह ट्रांसफर नहीं होता है, हम कहते हैं कि इसे ट्रांसफर करो, ये आपकी कमेटी की रिकोमेंडेशंस हैं, ये कैसे सेपरेट इश्यु है? मैं आपसे ये इकोनोमिक फ्रंट पर कह रहा हूं। राजारंगन कमेटी फिर से बनी, तीन बार ऑलरेडी इस कमेटी ने जो रिकोमेंडेशंस दीं, जो टास्क फोर्स बना कि उन्हें इम्प्लीमेंट करो, आज तक वे रिकोमेंडेशंस इम्प्लीमेंट नहीं हुईं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये सिचुएशन हो, इस तरह से कश्मीर हैंडल हो तो मुझे माफ कीजिए, हम यहां पर कितने भी डिसकशन, डिबेट करें, मेरे एक साथी ने कहा कि वहां पर जो यूथ है, उन्हें पैसे देकर पेल्टिंग की जाती है, ये दुनिया के किस कोने में होता है। एक मां के लिए अपना बेटा ही सब कुछ होता है। अगर हम इस तरह से इन चीजों को दफन करें, इन पर बात न करें, इन्हें इग्नौर करें तो फिर दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को इधर नहीं रख सकती है। कोई मां अपने बेटे के हाथ में पत्थर नहीं देती है, यह एक पोलिटीकल इश्यु है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

डॉ. मिर्जा महबूब बेग: इसे पोलिटीकली एड्रेस करना पड़ेगा और जब तक यह एड्रेस नहीं होगा, बदकिस्मती से एलिनेशन बढ़ती जाएगी, दूर नहीं होगी।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हम एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हम अपनी स्वतंत्रता के 63 वर्ष बाद भी इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं घाटी में मारे गए लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अत्याचारों की भी निंदा करता हूं। 1947 के पश्चात जम्मू और कश्मीर की राजनैतिक स्थिति में काफी उतार-चढ़ाव आए हैं। सबसे गंभीर स्थिति 1963-64 में थी। कड़कड़ाती ठंड में भी लगभग एक महीने तक आंदोलन चलता रहा और पूरी तरह सड़कों पर थे। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। जम्मू और कश्मीर में इस समय मौजूद स्थिति और भी गंभीर है। अतः, हमें इस मुद्दे को इस प्रकार लेना होगा कि हम इसका कोई हल निकाल सकें।

आज, हम इस मुद्दे पर इस सभा में चर्चा कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के दो प्रमुख पूर्व-मुख्यमंत्री हमारे गृह मंत्री के निकट बैठे हुए हैं। निस्संदेह इस मुद्दे को हल करने के लिए उनके अनुभव से लाभ उठाया जाना चाहिए।

पिछले दो-तीन महीनों में स्थिति और भी खराब हुई है। लगभग 60 व्यक्ति मारे जा चुके हैं। मैं समझता हूं कि यह 11 जून को आरंभ हुआ। 17 वर्षीय तूफेल मट्टू अश्रुगैस के गोलों से घातक रूप से घायल हुआ। अगस्त के पहले सप्ताह तक, 49 नागरिक मारे जा चुके थे। आज, हम समाचार पत्रों में रिपोर्ट देखते हैं कि केवल पुलिस यातनाओं और अन्य कारणों से दो और व्यक्ति मारे गए। हमने घाटी में ऐसी भयावह राजनैतिक अनिश्चितता कभी नहीं देखी है। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और पुलिस तथा सी.आर.पी.एफ. को पीछे हटने पर मजबूर भी कर रहे हैं।

उन्होंने पुलिस थानों, सरकारी भवनों और दुकानों को आग लगा दी। हमने ऐसी गंभीर स्थिति कभी नहीं देखी है। सरकार को यह ध्यान में रखना होगा कि नई पीढ़ी धीरे-धीरे मुख्यधारा से अलग हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? गृह मंत्री द्वारा दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि युवा बच्चों की ओर से पत्थरबाजी हो रही है और पत्थरबाजी का जवाब गोली से नहीं दिया जाना चाहिए। निस्संदेह, यह सत्य है कि अश्रुगैस और लाठीचार्ज का प्रयोग किया गया। लेकन साथ ही साथ स्वयं गृह मंत्री का वक्तव्य यह कहता है कि पिछले चार महीने में घाटी में पत्थरबाजी की लगभग 890 घटनाएं हुई हैं। युवा पीढ़ी मुख्य धारा से अलग क्यों हो रही है? इसकी गंभीरतापूर्वक जांच की जानी चाहिए। जो हम जम्मू और कश्मीर में देख रहे हैं वह मात्र कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि युवा पीढ़ी का राज्य प्रशासन में विश्वास समाप्त हो चुका है। हाल ही में हुई हिंसा का यह एक मुख्य कारण है और सरकार को इसकी गंभीरता से जांच करनी होगी।

लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व जम्मू और कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। फिर, मई 2009 में लोक सभा चुनाव हुए। इस समय काफी ज्यादा संख्या में लोगों ने मतदान किया और परिणाम बहुत अच्छा रहा। यह एक

[श्री पी. करुणाकरन]

अच्छा संदेश है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कश्मीर घाटी में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोगों के इस संदेश का प्रयोग करने में राज्य और केन्द्र, दोनों ही सरकारें विफल रही हैं। यही मुद्दा है जिसका अब हमें विश्लेषण करना है। काफी बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया है और उन्होंने अपनी सरकार का निर्वाचन किया है। फिर भी, डेढ़ वर्ष पश्चात, हजारों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और सी.आर.पी.एफ. तथा राज्य पुलिस बल के कर्मियों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। इसके लिए मैं किसी सरकार को दोष नहीं देता। लेकिन साथ ही, जम्मू और कश्मीर सरकार तथा भारत सरकार को जम्मू और कश्मीर के लोगों की इस भावना का ध्यान रखना होगा क्योंकि वे एक निर्वाचित सरकार के लिए तैयार हैं। इस आधार पर, यह जम्मू और कश्मीर सरकार तथा केन्द्रीय सरकार दोनों की विफलता है।

महोदय, लगभग दो वर्ष पूर्व जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था तब हमारे प्रधानमंत्री ने उसमें भाग लिया था और सभी राजनैतिक दलों ने भी उस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह एक अच्छी शुरुआत थी। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि कश्मीर घाटी में मानवाधिकारों के हनन को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की नीति का अनुसरण किया जाएगा। इसे सभी ने स्वीकार किया था। मैं नहीं जानता कि मैं ठीक कह रहा हूं अथवा गलत, लेकिन कश्मीर घाटी में मानवाधिकारों का हनन होने पर भी उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अब, जब जम्मू-कश्मीर में स्थिति बिगड़ गई है तो ऐसे में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी परंतु कुछ राजनीतिक दलों ने उस बैठक में भाग नहीं लिया। फिर भी यह सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। परंतु ऐसे में, मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को गंभीरतापूर्वक लिए जाने की आवश्यकता है। जहां तक सरकार का संबंध है तो पिछले चुनाव के समय अच्छी शुरुआत हुई थी। परंतु दो या तीन महीनों बाद, मेरा विचार है कि स्थिति बदल गई है, क्योंकि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं जैसा कि हमारे कामरेड गुरुदास दासगुप्त द्वारा बताया गया है। दो युवकों की मृत्यु हो गई है और कुछ आरोप लगाए गए हैं। यह सच है कि केवल कर्फ्यू लगाकर और साथ ही पुलिस की सहायता से स्थिति को बदलना संभव नहीं है। अतः, जम्मू-कश्मीर राज्य के सभी वर्गों के साथ बातचीत करना समय की मांग है, भले ही उनका राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व हो या नहीं। हमें कश्मीर घाटी में जनता का विश्वास पाना होगा। यह ऐसा बड़ा मुद्दा है जिस पर जम्मू-कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार द्वारा भी विचार किए जाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री पी. करुणाकरन: सरकार को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या हमें जम्मू-कश्मीर राज्य को और शक्तियां देने की आवश्यकता है और हमें यह भी देखना होगा कि क्या ऐसे अन्य मुद्दे हैं जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। यह राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

सरकार को इन तथ्यों को महसूस करना चाहिए कि बड़े पैमाने पर अलगाव विशेषकर युवा पीढ़ी द्वारा अलगाव देखा गया है। अतः हमें सभी वर्गों के साथ बातचीत करने के लिए विश्वसनीय तंत्र बनाने की आवश्यकता है।

घाटी में कानून और व्यवस्था बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है विशेषकर जब वहां पर अलगाववादी ताकतें हों और कुछ मुद्दों पर पाकिस्तान का हस्तक्षेप भी हो। अतः, मैं इस बात से असहमत नहीं हूं कि सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है। परंतु ऐसे में, सबसे महत्वपूर्ण बात जनता का विश्वास पाना है। अतः, सरकार को राजनीतिक कदमों के साथ-साथ प्रशासनिक कदम उठाने की आवश्यकता है। मेरा विचार है कि इन दो कदमों को उठाकर हम आगे बढ़ सकते हैं।

सिर्फ केंद्र सरकार पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। सरकार ने कई कदम उठाये हैं, जम्मू-कश्मीर राज्य को काफी धन राशि पहले ही भेजी जा चुकी है। साथ ही साथ स्थानीय प्रसासन इस धनराशि का उपयोग करने में भी सफल रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं सही हूं या गलत परंतु यह सच है कि हम यह नहीं जानते कि क्या यह धनराशि वास्तव में, जनता के हाथों में पहुंची है। अतः इन मुद्दों का अन्य लोगों द्वारा वास्तव में अनुचित लाभ उठाया जाता है। अतः हमें कुछ ठोस पहल करनी होगी।

मैं यह जरूर कहता हूं कि यह सम्मानीय सभा घाटी की जनता को यह दृढ़ संदेश दे कि हम उनके साथ हैं। उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ना चाहिए। उन्हें भारत की मुख्यधारा में आना चाहिए। सिर्फ यही एक

तरीका है। उन्हें हिंसा छोड़ देनी चाहिए। युवकों और अन्य लोगों को उनके साथ जुड़ना चाहिए। केवल तभी हम इस मामले को अधिक सक्रिय तरीके से उठा सकते हैं।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा कि हम जो कुछ कर सकते हैं, हमें इसे संभव बनाना होगा और चाहे यह संभव हो या न हो, परंतु संसद के सर्वदलीय शिष्टमंडल को घाटी जाना चाहिए। इससे भी जनता से बात करने का माध्यम मिलेगा जिससे कि वे यह समझ सकें कि यह संसद वह सर्वोपरि स्थान है जहां पर हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। अतः, ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानल): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। हम सभी कश्मीर के नहीं हैं परंतु फिर भी हर किसी को देश की चिंता है और इसीलिए, हम सब यह पता लगाने के इच्छुक और अति उत्सुक हैं कि इस देश में क्या गड़बड़ है।

महोदय, मैंने एक बात पर ध्यान दिया है कि जब कभी कांग्रेस नैकां गठबंधन होता है चाहे यह वर्ष 1987 के समय का हो जब पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि मीडिया ने यह आरोप लगाया था कि चुनावों में धांधली हुई थी; उसके तत्काल दो वर्षों बाद वर्ष 1989 में आशांति उत्पन्न हुई और वहां इतनी अधिक समस्या थी कि सब लोग यह सोचते थे कि कश्मीर भारत के संघ से अलग हो जाएगा।

अपराह्न 3.03 बजे

(डॉ. एम. तम्बिदुरई *पीठासीन हुए*)

इसी प्रकार, वर्ष 2008 में नए चुनावों के बाद अगस्त, 2000 में हम आज इस सम्माननीय सभा में बैठे हैं, ठीक दो वर्षों बाद हमारा सामना उसी समस्या से है। अतः, यदि यह नै.का.-कांग्रेस गठबंधन है जो समस्या उत्पन्न कर रहा है या नहीं इसकी जांच किए जाने और गहराई से सोचने की आवश्यकता है।

महोदय, यह राजनीति का प्रश्न नहीं है, हम सभी को इतिहास को जानने और उससे सीखने और इतिहास को न दोहराते रहने अथवा इस सभा में यह चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि इस सभा में किस वर्ष में क्या हुआ और उसका कोई ठोस समाधान नहीं निकला। कहने के लिए प्रत्येक दल को कुछ समय मिल रहा है और आपके द्वारा हमें चुप कराना यह समाधान ढूंढना नहीं है कि इस देश के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है।

पहले तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारी केंद्र सरकार की क्या समस्या है। क्या यह वास्तव में निष्ठा की कमी का मामला है? क्या यह है वास्तव में लापरवाही है? क्या हमें कश्मीर की चिंता है? क्या हम बिना किसी तथ्य के बोल रहे हैं? मैं दो छोटे उदाहरण दूंगा। संप्रग-II के केन्द्र में सत्ता में आने के बाद यहां पुनः नै.का. के साथ गठबंधन हुआ, यद्यपि नै.का. बहुत छोटा दल है परंतु वहां क्या हुआ है? फैजल हक का उदाहरण लीजिए। मुझे खेद है कि किसी ने अब तक इसका उल्लेख नहीं किया है।

फैजल हक और मानवीय गृहमंत्री ने गुप्त रूप से बातचीत की। गरीब आदमी दिसंबर, 2009 में मारा गया था।

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): उन्हें मारा नहीं गया था। वह जीवित हैं। यह मत कहिए कि उन्हें मारा गया है। वह जीवित हैं।

श्री तथागत सत्पथी: वह जीवित हैं; ठीक है। इन्शा अल्लाह, ईश्वर ने उन पर कृपा की...(*व्यवधान*) उनकी हत्या का प्रयास किया गया, उन पर जानलेवा हमला किया गया परंतु दयावान अल्लाह ने उनकी रक्षा की और वह बच गए। परंतु, क्या हमने कभी यह पता लगाने का प्रयास किया है कि गृहमंत्री और हक के बीच इस गुप्त बातचीत की जानकारी कैसे मिली? क्या केंद्रीय आसूचना एजेंसियों ने यह सूचना लीक नहीं की कि हमने उनका जीवन खतरे में डाल दिया है?

डॉ. फारुख अब्दुल्ला: कुछ भी गुप्त नहीं रह पाता है, ये लोग सब कुछ जानते हैं।

श्री तथागत सत्पथी: यह इसको देखने का एक तरीका है; पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा इतनी लापरवाही से बोलना आश्चर्यजनक बात है। परंतु हम उस बात पर विचार करते हैं जो कुछ संप्रग के सत्ता में आने के बाद तत्काल बाद जून, 2009 में हुआ। मैं इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूं। इस बात का संप्रग अथवा किसी व्यक्ति से कोई लेना-देना नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में नै.कां. के माननीय सहयोगी पहले बोले थे। मैं उनके दिल के दर्द को महसूस कर सकता हूं।

[श्री तथागत सत्पथी]

जून, 2009 में गृहमंत्री ने कहा था कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम की समीक्षा की जाएगी और संभवतः कश्मीर में इसे वापस ले लिया जाएगा। परंतु हम यह पता लगाते हैं कि आज क्या हुआ। मैं गृहमंत्री से प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। यह प्रश्नोत्तर सत्र नहीं है। परंतु हम सब जानते हैं कि - हम समाचार पत्र पढ़ते हैं - वही समाचार पत्र और वही टी.वी. चैनल जिनकी हम निंदा करना चाहते हैं, कि पूर्व मुख्यमंत्री मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं, क्या यह वही मीडिया है जिसने इस देश में लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखी। ये राजनेता नहीं हैं; यह न्यायपालिका नहीं है, यह नौकरशाही नहीं है; यह मीडिया है। परंतु जून, 2009 के बाद क्या हुआ? आज हम अगस्त, 2010 के अंत तक पहुंच चुके हैं। क्या जम्मू-कश्मीर में ए.एफ. एस.पी.ए. को वापस ले लिया गया है? क्या हमारे कथन, केंद्र सरकार के कथन सत्यनिष्ठ रहेंगे? क्या हमने कश्मीर की वास्तव में चिंता की है? क्या हमने इस की चिंता की थी? नहीं हमने नहीं की है। हमें तथ्यों का सामना करना चाहिए। यदि आप प्रशासक समूह के हैं, मैं संप्रग अथवा राजग की बात नहीं कर रहा हूं, उन सभी का एक ही विचार है। हमने यह कल देखा। हमने देखा कि मतदान कैसे हुआ। हमने देखा कि सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज बिल को पारित करने हेतु पूरी सभा खचाखच भरी थी क्योंकि वाशिंगटन लोकसभा टेलीविज़न का सीधा प्रसारण देख रहा था। परन्तु आज जबकि कश्मीर भारत का ऐसा अभिन्न अंग है, फिर भी दोनों पक्षों से कोई भी सदस्य यहां उपस्थित नहीं रहना चाहता है। मैं किसी एक पक्ष का नाम नहीं ले रहा हूं। यह सदस्यों में चिन्ता की गम्भीरता को दर्शाता है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया मुख्य विषय पर आइए।

...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथीः मुझे प्रसन्नता है कि आप सब यहां बैठे हैं। कृपया इस अच्छी आदत को बनाये रखें। हम इसकी सिफारिश करते हैं। आप कृपया इसे अच्छी आदत को बनाये रखें और यहां उपस्थित रहें। **(व्यवधान)**

सभापति महोदयः श्री सत्पथी, कृपया पीठ को संबोधित करें। कृपया मुख्य मुद्दे पर आएं क्योंकि आपका समय काफी कम है।

श्री तथागत सत्पथीः महोदय, मुझे क्षमा करें; मैं क्षमा याचना करता हूं।

महोदय, यह केवल कश्मीर घाटी ही नहीं है। मैं पिछले सप्ताहांत में मेघालय गया था। जब मैं वहां पर था तब मुझे वहां मणिपुर और नागालैण्ड के कुछ युवाओं से बात करने का अवसर मिला। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे भारत का किस प्रकार चित्रण करते हैं। वे भारत को एक दूसरा राष्ट्र बताते हैं। उन्होंने हमसे कहाः "आप भारत से आए हैं। भारत में क्या हो रहा है?" यह उनका लहजा है। ऐसे केवल कश्मीरी ही नहीं हैं। यह हमारे आसपास चारों ओर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जो यहां पर बैठे हैं, इस देश के बारे में नहीं सोचते हैं। आज देश प्रेम नहीं है। हमने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। हमने उस उत्कृष्ट उपलब्धि को हासिल किया और अपने जीवन में सहायक दृष्टिकोण को वापस डाल दिया है, और हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम सभी 'हां करने वाले लोग बन गए हैं। हम सभी अनुयायी बन गए हैं, हम इस बारे में सोचने में अक्षम हो गए हैं' कि इस देश के लिए क्या किया जाना चाहिए।

महोदय, कश्मीर से निर्वाचित माननीय संसद सदस्य ने कश्मीर के विशेष समझौते के बारे उल्लेख किया। मैं इस सभा में उल्लेख करना चाहूंगा कि यह केवल कश्मीर में ही नहीं है। यदि कश्मीर के पास अनुच्छेद 370 था, सिक्किम के पास अनुच्छेद 371 था और गोवा भी जो इस संघ में स्वतंत्रता के बाद शामिल हुये इनके पास भी भारत सरकार के साथ विशेष समझौते थे।

महोदय, हमें यह भी समझना चाहिए कि चाहे यह मेरा राज्य है या आपका राज्य है या किसी और का राज्य है, आज हम सभी महसूस करते हैं कि हमारी केन्द्र में अनुवर्ती सरकारों द्वारा अवहेलना की गई है जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है। यह केवल कश्मीर ही नहीं है, जम्मू और कश्मीर ने एक संकल्प पारित किया और केन्द्र ने इसकी अवहेलना की। इसी प्रकार केन्द्र ने बिहार की अवहेलना की जब बिहार को दो राज्यों में बांटा गया था और जब बिहार ने 5,000 करोड़ रुपये मांगे थे, तो यह बिहार को नहीं दिया गया था। उड़ीसा के साथ भी यही स्थिति है। जब उड़ीसा के मुख्यमंत्री और उड़ीसा के लोगों ने कहाः "हमारे पास खनिज हैं। यह हमें भगवान द्वारा दिए गए हैं और हमें इनका विकास करने का अधिकार है और हमें अन्य राज्यों के साथ

सम्मान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का अधिकार है" हमें पर्यावरणीय क्षति के नाम पर मना किया जाता है। इसलिए जिन लोगों ने ई.डी.ए.टी. - पर्यावरणीय क्षति अभिरुचि परीक्षण का पाठ्यक्रम किया है - आज उन्हें यहां बैठने का अधिकार है और यह निर्णय लेने का अधिकार है कि आन्ध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना लाई जा सकती है क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है परन्तु, चूंकि उड़ीसा में गैर-कांग्रेसी पार्टी की सरकार है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री और उड़ीसा के लोग विकास से वंचित रहेंगे। इससे हम सबको शर्मिन्दगी होगी कि हम आज यहां क्या कर रहे हैं।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अब समय आ चुका है कि हम इस मुद्दे को राजनीतिकरण से आगे बढ़कर उठाएं। महोदय, चाहे यह तमिलनाडु, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, गोवा, मणिपुर, नागालैण्ड और उड़ीसा हों, हम सब एक हैं। हम एक देश हैं।

जब प्रधानमंत्री और सभा के नेता यहां खड़े हो सकते हैं और इस सभा से अनुरोध कर सकते हैं कि परमाणु सिविल दायित्व विधेयक को पारित करें, मुझे प्रसन्नता होती कि वही महानुभव आज सभा से अनुरोध करें कि आइए कश्मीर के लिए समाधान खोजें। आइए पूर्वोत्तर के लिए समाधान खोजें; इस मुद्दे को राजनीतिक रूप न दे; आइए हम 1987 की धांधली के बारे में बात न करें। आइए मीडिया पर दोष न लगाएं; आइए भारत को प्यार करें। परन्तु आज यह संभव नहीं है क्योंकि हमें भारत में आज भारतीयों की जरूरत है, न कि विदेशियों की।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर की स्थिति के बारे में जो चर्चा हो रही है, उस पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी ने 4 अगस्त को जो वक्तव्य दिया था, उस संबंध में यह चर्चा चल रही है। उनके कई वक्तव्य आये हैं, जिनके संबंध में मैं अंत में बताऊंगा। जम्मू-कश्मीर हिन्दुस्तानी संस्कृति का बहुत पौराणिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है। वह हिन्दुस्तान का अविभाज्य अंग है। अभी हमारे कई सांसदों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर को पहले स्वर्ग कहा जाता था। आज जो परिस्थिति है, उसे देखते हुए मैं कहूंगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. सरकार में माननीय अब्दुल्ला जी के चिरंजीव उमर अब्दुल्ला जी थे। उसी समय से कश्मीर में डेवलपमैंट्स चालू हो गये। आज तक जम्मू-कश्मीर के डेवलपमैंट के लिए 94 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गये। वहां रेल जा रही है। वहां सब डेवलपमेंट्स इसलिए हो रहा है क्योंकि जम्मू-कश्मीर हमारे देश का ही एक भाग है। लेकिन कुछ अलगाववादी, आतंकवादी, पाकिस्तानी लोग कश्मीर के लोगों को जानबूझकर भड़का रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हम हिन्दुस्तान में नहीं पाकिस्तान में जाना चाहते हैं।

बचपन में जब हम लोग कॉलेज में थे, हम लोग कॉलेज में भाषण देते थे, मार्च निकालते थे: कश्मीर है हिन्दुस्तान का, नहीं किसी के...। मैं यह शब्द बोल नहीं सकता हूं क्योंकि यह ठीक नहीं है। कश्मीर हिन्दुस्तान का ही है, तभी से हम लोग देखते हैं कि कश्मीर के लिए लड़ाई चल रही है। इतनी सरकारें आईं, उनमें कांग्रेस की ही सरकार ज्यादा समय तक रही। कश्मीर की कई सांसदों ने जो भावना व्यक्त की, मैं कई बातों में आपके साथ हूं कि वहां की तरक्की नहीं की गयी, वहां कुछ देखा नहीं गया, वहां के रोजगार उसी तरह से हैं। मैं साल में दो बार जम्मू-कश्मीर जाता हूं - एक बाबा अमरनाथ जी का दर्शन करने और दूसरी बार माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए और कभी हमारी पार्लियामेंटरी कमेटी जाती है, तो उसमें जाता हूं। हम लोग वहां जाते हैं तो वहां के लोगों से मिलते हैं। जब अमरनाथ जी की यात्रा में जाते हैं, तो वहां घोड़े वाले सारे मुस्लिम होते हैं, सैकड़ों लोग उसमें लगे होते हैं। दुकान वाले भी मुस्लिम होते हैं, श्रीनगर में भी बहुत लोग मुस्लिम व्यापारी हैं, आज वे लोग खाली बैठे हैं। उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, वे रो रहे हैं कि एक जमाना था जब बहुत अच्छा धंधा चलता था, यह एक पर्यटन क्षेत्र था। सभी लोगों को मालूम होगा कि पहले कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग होती थी, कश्मीर की कली, हिमालय की गोद में आदि फिल्में आईं।...*(व्यवधान)* हम लोग देखते थे कि कश्मीर कितना सुंदर है। आज अगर देखें तो कश्मीर कुछ नहीं रहा और वहां के बहुत से कश्मीरी लोग हिन्दुस्तान के साथ हैं, ऐसा मैंने खुद देखा है, भले ही वे मुस्लिम समुदाय के हों, सिख समुदाय के हों, हिन्दू हों या कोई भी हों। लेकिन उनको भड़काया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि आप ऐसा करो, उन पर प्रेशर डाल रहे हैं।

यह बात भी सही है कि वहां पर राजनीति भी हो रही है।...*(व्यवधान)* यह राजनीति के बाद वहां के लोगों के साथ जो हो रहा है, वह ठीक नहीं है। आज कितने

[श्री चंद्रकांत खैरे]

लोगों को मारा गया। कश्मीरी पंडित, जो वहां के मूल निवासी थे, उनको वहां से भगाया गया। कई तो हमारे महाराष्ट्र में आए, शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने उनके बच्चों के लिए और उनके लिए बहुत मदद की। आज वे लोग इसे मानते हैं। दिल्ली में भी माननीय आडवाणी जी, माननीय अटल जी ने उनकी मदद की।...*(व्यवधान)* आज वे लोग वहां नहीं जा पाते हैं क्योंकि वहां के लोगों द्वारा उनको भगाया गया। कश्मीर की परिस्थिति 20 साल से खराब हो गयी है।...*(व्यवधान)* अब्दुल्ला साहब, आठ-नौ साल पहले मैंने एक पेपर देखा था, नवभारत टाइम्स में कुछ आंकड़े दिए गए थे। आपने आंकड़ों के बारे में कहा है कि मीडिया वाले इसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हैं। उन आंकड़ों में बताया गया था कि ये आतंकवादी किसी के नहीं होते हैं। उन लोगों ने 31000 लोगों को मारा था, जिनमें से 11000 लोग मुस्लिम थे। अपने यहां के मुस्लिम समुदाय को मैं बोलता हूं कि आतंकवाद कितना गंभीर होता जा रहा है और आतंकवादी किसी के होते नहीं हैं।...*(व्यवधान)* महोदय, मुझे बोलने के लिए कुछ और समय दीजिए।...*(व्यवधान)* मैं यह कहूंगा कि जिस प्रकार से वहां के लोग आज भी त्रस्त हैं, उनके लिए हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ बातचीत करते हैं। गृहमंत्री जी ने इनको बुलाया, उनको बुलाया, चर्चा की, लेकिन अटल जी के समय में जो शांति स्थापित हुई, उसमें अब्दुल्ला जी भी थे। उस पीरियड को छोड़ दीजिए, तो बाकी पूरे पीरियड में सरकार ने कुछ नहीं किया। आज हम कब तक इन आतंकवादियों से चर्चा करते रहेंगे। उनको गोली मार दो, भून दो उन...* को।...*(व्यवधान)* अगर उनको अभी नहीं मारेंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: रिकॉर्ड से असंसदीय शब्द हटा दिए जायेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: आतंकवादियों को गोली मार दो, जो आतंकवादी वहां से देश *(व्यवधान)* आतंकवादियों को गोली से मार दीजिए, भून दो उनको।...*(व्यवधान)* मैं कहूंगा कि

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं पहले ही कह चुका हूं कि असंसदीय शब्द रिकॉर्ड से निकाल दिए जायेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री चंद्रकांत खैरे जी कृपया पीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: आतंकवादियों को मार दो। कश्मीर की जनता के साथ शिवसेना हमेशा रहेगी।

आज सरकार ने अगर कश्मीर के लिए कुछ किया, तो हम उसके साथ रहेंगे, क्योंकि कश्मीर के लोगों के साथ हम हैं और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वहां पर जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, सरकार द्वारा उन्हें सख्ती से रोकना चाहिए। देश में कहीं भी अगर कोई ऐसा काम करता है, उसकी निंदा करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि घाटी में उग्र प्रदर्शन बंद हो।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री चंद्रकांत खैरे, कृपया समाप्त करें

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: सभापति जी, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब-जब भी कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, हमेशा कुछ न कुछ आतंकी वारदातें भी होती हैं। इस यात्रा में कम से कम 15 दिन व्यवधान डालने की कोशिश की जाती है, ऐसा हुर्रियत वाले कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा में व्यवधान डाला जाए, जबकि वे शायद इस बात को नहीं जानते कि वहां का पुजारी एक मुस्लिम है। लेकिन जानबूझकर अमरनाथ यात्रा में व्यवधान डाला जाता है और कहा जाता है कि हिन्दुओं को वहां दर्शन के लिए नहीं जाने देंगे। इस तरह जो धर्मांध लोग हिन्दुओं के खिलाफ हैं, उनका भी कुछ बंदोबस्त सरकार को करना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें, आप पहले ही 10 मिनट ले चुके हैं। कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि उन्होंने जो बयान दिया है, उसमें यह कहा है कि देश में भगवा आतंकवाद बढ़ रहा है, यह सही नहीं है। आप देखें कि माओवादियों ने, नक्सलवादियों ने देश के कुछ हिस्सों में कैसा आतंकवाद फैला रखा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों ने कितने ही सी.आर.पी.एफ. और पुलिस के जवानों को मारा है। लेकिन आप उनके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं और भगवा आतंकवाद का ब्यान दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। इसलिए गृह मंत्री जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। इससे देश भर में हिन्दुओं की साख खराब होती है और कांग्रेस पार्टी में भी तो कितने ही हिन्दू हैं। आपकी ही पार्टी के कई लोगों ने मुझे बताया कि मैंने जो यह कहा है, वह सही कहा है।

सरकार को चाहिए कि वह कश्मीर में बेरोजगारी को दूर करे और लोगों को रोजगार दे। कश्मीर का विकास करे और उसके लिए पर्यटकों की सुरक्षा की व्यवस्था करे, क्योंकि कश्मीर में पर्यटन ही आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है। वहां जैसे पहले पर्यटन का माहौल था, सरकार को वैसा ही माहौल बहाल करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही वहां फैल रही धर्मांधता को भी दूर किया जाना चाहिए। सरकार हिन्दुस्तान में लोगों के बीच प्रेम बढ़ाने का काम नहीं कर रही है। कश्मीरी पंडित जो देश के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे हैं, उन्हें पुनः कश्मीर में बसाया जाए और इसके लिए उनकी जमीन-जायदाद सरकार को लौटानी चाहिए। देश के लिए कश्मीर अपना है, यह भावना सरकार लोगों में पैदा करे और आतंकवाद को खत्म करे। किसी भी हालत में कश्मीर को एटोनॉमस स्टेटस दिए जाने की कोशिश न की जाए।

मैं गृह मंत्री जी से यही कहूंगा कि वह सबसे प्रेम से बात करें। अगर ऐसा करेंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। इसलिए लोगों में प्रेम की भावना बढ़ाएं न कि इस किस्म के बयान दें कि भगवा आतंकवाद देश में फैल रहा है। कश्मीर अपना है, हिन्दुस्तान का है। इसी बयान के साथ मैं शिवसेना की ओर से कश्मीर की जनता का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि सारा हिन्दोस्तान आपके साथ है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री असादुद्दीन ओवेसी, आप संक्षेप में बोलिये आपको पांच मिनट का समय दिया जाएगा।

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): सर्वप्रथम, मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों को राज्य सरकार और यू.पी.ए. सरकार को अमरनाथ यात्रा के सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए बधाई देना चाहूंगा।...*(व्यवधान)* मैं इसे पूरा करूंगा।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि इस वर्ष 4,57,324 यात्रियों ने यात्रा पूरी की, जो पिछले वर्ष के 3,92,000 यात्रियों से अधिक है। इसी प्रकार अब तक 5,16,972 पर्यटक जम्मू-कश्मीर गए, जो पिछले वर्ष, के 3,55,960 से काफी अधिक है।

श्री चंद्रकांत खैरे: मैं यह जानता हूं।

[हिन्दी]

मेरे पास भी ये फिगर्स हैं और इन्हें सदन में रखना चाहता था, लेकिन मुझे समय नहीं मिला।

[अनुवाद]

श्री असादूद्दीन ओवेसी: महोदय, आप मेरा समय देख लीजिए।

सभापति महोदय: ठीक है।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: माननीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़े काफी स्पष्ट हैं। इस सम्माननीय सभा में सरकार को बधाई देने के बाद, मैं इस अवसर पर उन 65 लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जो सुरक्षा बलों द्वारा बर्बरतापूर्वक मारे गये थे। मैं मारे गए पुलिस कर्मियों को भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं।

कश्मीर में आदर्श स्थिति तब आएगी, जब वहां के मुसलमान वहां शांतिपूर्वक रहेंगे। कश्मीर से बाहर रह रहे लाखों पंडित वहां वापस लौट सकेंगे और सिक्ख शांतिपूर्ण ढंग से रह सकेंगे। यह एक आदर्श स्थिति होगी।

यह कहने के बाद, में यह प्रस्तुत करना चाहूंगा कि मारे गए 65 लोगों में आठ वर्ष से वरिष्ठ नागरिक तक सभी आयु वर्गों के लोग हैं। 11 जून को आठ वर्षीय तुफैल की मृत्यु हुई। पहलगाम का मिलाद आठ वर्ष का था। फिर, नौ वर्षीय समीर अहमद को बाटमालू में सुरक्षा बलों द्वारा मारा गया था। मारे गए लोगों में 45 वर्षीय फल विक्रेता और एक सेवानिवृत्त ए.एस.आई. भी थे। जब शव यात्रा निकाली जा रही थी तो सुरक्षा बल उन पर गोलियां चला रहे थे। हो यह रहा है कि कश्मीर के

[श्री असादूद्दीन ओवेसी]

लोगों का मारा जाना उन्हें बाहर आने से नहीं रोक पा रहे हैं; वस्तुतः यह उन्हें और आक्रामक बना रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री जो मेरे अच्छे मित्र हैं, के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के, ईमानदारीपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि प्रशासन के मामले में वे पूरी तरह असफल रहे हैं। वहां इस समय क्या स्थिति है? वहां कश्मीरी बनाम सुरक्षा बल वाली स्थिति है। अब कोई भी बफर जोन नहीं है। हम जितना ही प्रशासन की बात करते हैं, यह उतना ही कम दिखता है। घायल लोगों से मिलने के लिए, आठ किलोमीटर की दूरी तय करने के लिये मुख्यमंत्री को हैलिकॉप्टर से जाना पड़ता है। वहां प्रशासन की ऐसी हालत है।

जिस व्यक्ति ने मुख्य मंत्री पर जूता फेंका था, यद्यपि रमदान महीने में मुख्यमंत्री ने उसे माफ कर दिया था, को उसके गांव में 'हीरो' की तरह स्वागत किया गया। स्थिति में सुधार लाने के बजाए शास्त्रास्त्रों को उन्नत बनाया जा रहा है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं जिसमें एक बच्चा छर्रे से घायल हो गया था। जब उसका अल्पपरीक्षण (पोस्ट मार्टम) किया गया तो उसकी आंतों में अलग तरह के छेद पाए गए। क्या हम इसी प्रकार वहां स्थिति को नियंत्रित करेंगे?

इस समय क्या हो रहा है? पिछले छह सप्ताहों से श्रीनगर की जामा मस्जिद बंद है। रमदान के इस महीने में भी लोग बाहर नहीं निकल सकते और तराषि की रात्रिकालीन प्रार्थना नहीं कर सकते। हजरतबल में ताला पड़ा है। स्थानीय मस्जिदें बंद पड़ी हैं। मैं इस अवसर का...*(व्यवधान)* फारुख साहब मुझे पूरा करने दीजिए। मैं नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय: वे एक मंत्री हैं। एक मंत्री को अधिकार है।

...*(व्यवधान)*

श्री असादूद्दीन ओवेसी: मुझे पता है। मैं पूरा करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

डॉ. फारुख अब्दुल्ला: मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया तहजीब बरतें।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: महोदय मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

डा. फारुख अब्दुल्ला: आप सच सुनना नहीं चाहते। हजरत बल बंद नहीं है...*(व्यवधान)* आप अपनी बात वापस लीजिये।...*(व्यवधान)*

श्री असादूद्दीन ओवेसी: फारुख अब्दुल्ला आप मुझ से इस लहजे में बात नहीं कर सकते। जो सही है वह मुझे कहने का अधिकार है। मुझे बोलने दीजिये।...*(व्यवधान)*। मुझे कहने का अधिकार है।...*(व्यवधान)*

डा. फारुख अब्दुल्ला: आप सभा को गलत जानकारी दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री असादूद्दीन ओवेसी: आप स्पष्ट कर सकते हैं। आप यह मत समझिये कि मैं आपके दबाव में हूं। **(व्यवधान)**

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): महोदय, किसी भी सदस्य के भाषण के दौरान मंत्री विशेष कर कश्मीर से के द्वारा व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे पूरे राष्ट्र को गलत संदेश जाता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, मैं यह नहीं कह सकता। ...*(व्यवधान)*

डा. फारुख अब्दुल्ला: सभा में वह गलत बातें कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मैं चुप रहूं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री असादूद्दीन ओवेसी: मेरे समय पर ध्यान दीजिये।

सभापति महोदय: पहले मैं आपका समय देख रहा हूं। कृपया संक्षिप्त भाषण दीजिये।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: रमदान में केवल एक पिछले शुक्रवार को जामा मस्जिद खुली थी। आप लोगों को बाहर जाकर स्थानीय मस्जिदों में नामाज अदा करने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं, आप लोगों को विरोध करने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं? डॉ. फारुख अब्दुल्ला क्या यह अधिकार नहीं है?

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: यदि आप उनको संबोधित करेंगे तो वे उत्तर देंगे। यह समस्या है। आप उन्हें सम्बोधित क्यों कर रहे हैं। आप पीठ को सम्बोधित करें।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: महोदय, आप इसका लोप कर सकते हैं।

सभापति महोदय: जी, हां।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या यह सही नहीं है कि कर्फ्यू के कारण छोटे बच्चों की दवाइयां भेजन उपलब्ध नहीं है दवाईयां उपलब्ध नहीं हैं और जरूरी चीजों के अभाव में लोग भूख से मर रहे हैं और वह भी इस रमदान के पवित्र महीने में। माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य में कहा गया है कि एक शांतिपूर्ण वार्ता चल रही है। उनका यह कहना सही है कि कुछ भी गोपनीय नहीं है; लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कैसे संभव है कि प्रेस में इसका ब्यौरा कैसे उपलब्ध था कि मीरवाइज उमर फारुख को खान मार्केट में कैसे बुलाया गया। स्पष्टतः खान मार्केट में सभी कश्मीरी नेता एकत्र होते हैं।

उन्हें खान मार्केट में एक ऑप्टिकल पैलेस में बुलाया गया था और एक वार्ता के पश्चात् ऑप्टिकल पैलेस के दूसरे दरवाजे से बाहर जाने के लिये कहा। समाचार पत्रों में इसका ब्यौरा कैसे आया।...*(व्यवधान)* मैं यही कह रहा हूं। क्या हुआ है? आपने मीरवाइज उमर फारुख को बदनाम किया। उनके लिए हमारे या आपके द्वारा कुछ न करने से उनको क्या फर्क पड़ा है? कश्मीर में जिलानी जैसे कट्टर अलगाववादी का फरमान चलता है। वह कहता है कि: "हम रविवार को खोलेंगे तो कश्मीर रविवार को खुलता है।" वह कहा है कि शनिवार को बन्द होगा और कश्मीर शनिवार को बन्द हो रहा है। क्या हो रहा है? आलम जैसे कट्टर अलगाववादियों के साथ वहां के युवा 'रागदा' करते हैं और उन पर गोली चलाई जाती है।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं और माननीय गृह मंत्री के संज्ञान में मैं यह बात लाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी यह देखे कि वहां पर बड़े पैमाने पर राजनीतिक रूप अलगाव हो रहा है। श्री आजाद के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा जो बड़े कदम उठाए गए थे या जो कुछ भी हुआ या वहां जो हो रहा है...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी: यह समय बीत चुका है।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: श्री सत्पथी, मैं आपके सभी विचारों से मैं सहमत नहीं हूं। इसलिए, आप उन्हें अपने तक ही सीमित रखे। मुझे न बताएं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया दूसरे पक्ष से कोई टिप्पणी न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री असादूद्दीन ओवेसी: अंत में मैं कहना चाहता हूं कि मस्जिदों को खोलें। कल शुक्रवार है। इन सभी मस्जिदों को खोलिये। यदि लोग विरोध करना चाहते हैं तो उन्हें विरोध करने दीजिए। बंदूक की गोली पहला विकल्प क्यों बन गई है? कितने लोगों की हत्या हो सकती हैं? आज जितने लोगों की हत्या करेंगे उतना ही आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा।

अतः निष्कर्षतः मैं यह कहना चाहूंगा कि राजनीतिक बंदियों को रिहा कीजिए; इस धर-पकड़ को रोकिए; जब सुरक्षा अधिनियम को हटाइए; और यदि हम सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को नहीं हटा सकते तो हम इसे असैन्य क्षेत्रों से क्यों नहीं हटा सकते? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वहां पत्थरबाजी हो रही है और वहां सेना के बंकर हैं। हम अपने सुरक्षा बलों को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उन्हें हर बात के लिए लोगों पर गोली चलानी पड़ती है, और बच्चे मारे जा रहे हैं।

कांग्रेस नेता माननीय डॉ. गिरिजा व्यास ने कश्मीरी महिलाओं से अपील की है कि वे अपने बच्चों के हाथों में पत्थर न दें। प्रश्न यही है। कोई मां - जिसने अपने बच्चे को नौ महीनों तक अपनी कोख में रखा हो - वह यह कैसे कह सकती है कि यह पत्थर लो और इसे पुलिस पर फेंको? इसके पीछे क्या कारण है? इसी में सफलता छिपी है अर्थात यदि हम इसका पता लगाएं और देखें तो हमें सफलता मिलेगी। वह अपने बच्चे को पत्थर लेकर पुलिस पर फेंकने के लिए क्यों कह रही है? इसके बाद हमें अपने उत्तर मिल जायेंगे।

अंत में, जहां तक सिखों को भेजे जा रहे धमकी भरे पत्र का संबंध है तो मैं इसकी निंदा करता हूं। परंतु ऐसे में, मैं इस बात को सम्माननीय सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। छत्तीसिंहपुरा में क्या हुआ जहां लोग मारे गए हैं? कश्मीरी मंत्री यहां इसका उत्तर दें। छत्तीसिंहपुरा में जो सिख और जो अन्य लोग मारे गए थे बाद में उनके शव निकाले गए और यह पता चला कि वे स्थानीय लोग थे। बारामूला जिले में नदीहाल में क्या

[श्री असादूद्दीन ओवेसी]

हुआ? सेना के मेजर ने श्रमिकों को पैसा दिया और पुरस्कार पाने के लिए उन्हें मार दिया। हम क्या संदेश दे रहे हैं? कुपवाड़ा में एक 70 वर्षीय व्यक्ति की हत्या की गई और बाद में जब उसके शव को कब्र से निकाला गया तो यह पता चला कि वह एक स्थानीय भिखारी था। क्या हम यही संदेश दे रहे हैं?

अतः मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वहां पर एक संसदीय शिष्टमंडल को जाना चाहिए। मैं यह नहीं चाहता कि श्री उमर अब्दुल्ला को हटाया जाए। मैं चाहता हूं कि वह अपना कार्यकाल पूरा करें और 'जनता यह निर्णय करेगी कि वह लोकप्रिय हैं या नहीं। परंतु हमारे पास संदेश देने का अधिकार है। कश्मीर भारत का भाग है और हमें कश्मीर से प्यार है। परंतु हम कश्मीरियों से प्यार क्यों नहीं करते? यह बिल्कुल उचित समय है कि हम कश्मीरियों से प्यार करें और केवल तभी इस समस्या का सही तरीके से समाधान किया जा सकता है।

श्री सी. राजेन्द्रन (चेन्नई दक्षिण): सभापति महोदय, हम राज्य की कानून और व्यवस्था वाले विषय पर सामान्य रूप से नहीं बोलेंगे जो कि राज्य में घटनाओं को नियंत्रित करने का उनका जायजा लेने हेतु निर्वाचित निकाय है। यह एक अपवाद वाला मामला है जिसमें इस सभा को इस विषय पर चर्चा करने का निर्णय लिया है जो कि अन्यथा सभा के कार्यक्षेत्र से बाहर है अर्थात यह विषय जम्मू-कश्मीर घाटी में स्थिति के बारे में है।

घाटी में सेना द्वारा फलैग मार्च और कर्फ्यू तथा बंद के आह्वान के बाद घाटी में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। हमें इस सभा में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जिससे घाटी में शांति लाने की प्रक्रिया में और अधिक परेशानी हो।

प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान घोषणा की थी कि वह जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए पैकेज की घोषणा करने वाले हैं। मेरा अनुरोध है कि ऐसी कोई घोषणा करने से पूर्व भारत सरकार सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करे ताकि कोई सहमति हो सके।

पुनः, सामान्य परिस्थितियों में, जो कुछ हमारे देश में हो रहा है उसके लिए सीमा पार के व्यक्तियों पर आरोप लगाना उचित नहीं है। परंतु इस मामले में स्पष्ट संकेत बीच में आते हैं जो ये दर्शाते हैं कि घाटी में शांति के विरोधी, देश की एकता के विरोधी तत्वों द्वारा अशांति फैलाई जा रही थी। वे घाटी में तनाव उत्पन्न करने के लिए सक्रिय थे।

इस अशांत राज्य में दो बार सफलतापूर्वक चुनाव कराए गए थे। आतंकवादियों के विरुद्ध काफी सफलता मिली थी। इन तत्वों को समर्थन देखने को नहीं मिला। पिछले कुछ वर्षों में इस राज्य में पर्यटकों का आना फिर से शुरू हुआ है। अतः, अशांति फैलाने वाले लोग अब तक जम्मू-कश्मीर राज्य द्वारा बहाल की गई सामान्य स्थिति को भंग करने की योजना बना रहे हैं और उन्होंने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की।

कुछ ऐसी रिपोर्टें थी जो पाकिस्तान स्थित तत्वों द्वारा बनाई गई योजना को दर्शाती हैं। वे गड़बड़ी फैलाने वाले तत्वों को रोजाना धनराशि देकर उनको उकसाते हैं। वे हिंसा की कुछ घटनाओं को अंजाम देने में कट्टरपंथी अलगाववादियों की संलिप्तता का दो अलगाववादियों के बीच वायरलेस संदेश द्वारा पता चला। वे दिनांक 7 जुलाई को श्रीनगर के निकट एक जुलूस में कम से कम 15 लोगों के मारे जाने की चर्चा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, यह आम बात है कि जब कभी भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की पहल होती है तो वार्ता के विरोधी तत्वों के कारण जम्मू-कश्मीर में हिंसा बढ़ जाती है।

संकट की इस घड़ी में, शांति बहाल करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। जनता तक पहुंचने के लिए कुछ पहल करने की आवश्यकता है ताकि कश्मीर की स्थिति में सुधार हो। वार्ता में विश्वसनीयता लाने के लिए उच्चतम स्तर पर विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इन प्रयासों को किए जाने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि इन घटनाओं के बाद तथाकथित अलगाववादी और कट्ट्रपंथियों के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं।

अतः, पूरी सभा को घाटी की जनता को यह संकेत देना चाहिए कि हम सबको उनकी चिंता है। शांतिपूर्ण कश्मीर अलगाववादियों को आगे नहीं आने देगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि सीमा पार के लोग भारत के भीतर कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। पूरी सभा को भारत में अशांति फैलाने में सीमा पार के लोगों के प्रयासों की निंदा करनी चाहिए। हम इन निर्दोष व्यक्तियों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करते हैं।

***डा. रतन सिंह अजनाला** (खंडूर साहिब): सभापति महोदय, मैं 'जम्मू और कश्मीर में स्थिति' पर इस गंभीर वाद-विवाद में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, हमें आजादी प्राप्त किए हुए आज 63 वर्ष हो चुके हैं। हम सभी ने इस पुनीत कार्य हेतु सर्वोच्च बलिदान दिया था। तथापि, हमारी स्वतंत्रता के साथ भारत का बंटवारा भी हुआ। भारत से पाकिस्तान निकाला गया। मैं ऐसे क्षेत्र से हूं, जो अब पाकिस्तान में है। हमें भारत में प्रवसन करना पड़ा। वह हमारे लिए सदमे वाला समय था। लाखों लोगों ने पाकिस्तान से भारत में प्रवसन किया और उसी प्रकार भारत से पाकिस्तान के लिए भी प्रवसन हुआ। लाखों लोगों की नृशंस हत्या की गई। कई बिलियन की संपदा नष्ट हुई। आज हमें आजाद हुए 63 वर्ष बीत चुके हैं। परन्तु हम किसी भी विवादास्पद मामले का कोई भी समाधान खोजने में असफल रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर समस्या ऐसे घाव की तरह है जो भरता ही नहीं है। यदि पिता कोई गलती करता है तो कई बार उसकी कीमत उसके बच्चों और अनुवर्ती पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है। देश के तत्कालीन नेतृत्व ने हमें असफल बना दिया है। जम्मू और कश्मीर समस्या भारत के तत्कालीन नेतृत्व की भूल की एक विरासत है। हम इतिहास के बोझ को ढो रहे हैं, हम इस विवादास्पद मामले का समाधान खोजने में अब तक असमर्थ रहे हैं।

महोदय, हमने पाकिस्तान के साथ अनेक युद्ध लड़े थे। 1965 और 1971 में दोनों देश एक-दूसरे के विरुद्ध युद्ध में उतरे। हमने 1971 में पाकिस्तान से बंग्लादेश को आजाद करने में उनकी मदद की। हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया। हमने उन्हें बंदी बनाया। यह वह समय था जब हम पाकिस्तान पर पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र को देने के लिए दबाव बना सकते थे। हम इस मुद्दे का तब समाधान कर सकते थे। तथापि, देश का नेतृत्व निर्णायक ढंग से कार्य करने में असफल रहा। हम अपने दुश्मन के प्रति अधिक उदारवादी थे। पाकिस्तानी सैनिकों को बिना कुछ लिए छोड़ दिया गया।

महोदय, हमारी सरकार को कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ ले जाने की क्या आवश्यकता थी। यह इस देश के तत्कालीन नेतृत्व द्वारा की गई एक बहुत बड़ी भूल थी। माननीय पारुख अब्दुला जी यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपना संयम बनाए रखें और शांत रहें। इस समस्या का समाधान क्रोध से नहीं निकाला जा सकता। हमें मिलकर इस समस्या का सौहार्दपूर्ण हल निकालना होगा।

महोदय, जम्मू-कश्मीर से माननीय सदस्य अपने राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं। वस्तुतः इस देश के सभी राज्य विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं। जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, सिक्खों ने भी अपने एक अलग राज्य की मांग की थी। उस समय महात्मा गांधी ने हमें अलग राज्य देने का वायदा किया था, जहां लोग स्वतंत्र होंगे और स्वतंत्रता की भावना को महसूस करेंगे। आज हमें आजाद हुए 63 वर्ष बीत चुके हैं। काफी समय बीत चुका है। तथापि, सिक्खों को किए गए सारे वायदे अधूरे हैं। वस्तुतः इन वर्षों में सिक्खों को शायद ही कुछ मिला होगा। हमारे साथ अन्याय हुआ है। इसलिए, केन्द्रीय सरकार जम्मू और कश्मीर को भी कभी स्वायत्तता प्रदान नहीं करेगी।

महोदय, जम्मू और कश्मीर में सिक्ख अल्पसंख्यक हैं। वहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। वहां ईसाई और हिन्दु भी अल्पसंख्यक हैं। तथापि, जम्मू और कश्मीर सरकार ने वहां रह रहे सिक्खों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान नहीं किया है। वहां रह रहे हैं सिक्ख बच्चों को कोई शिक्षा सुविधा प्रदान नहीं की गई है। सरकार घाटी में रह रहे सिक्खों को सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने में असफल रही है।

महोदय, कश्मीर घाटी में रह रहे सिक्ख मूल कश्मीरी हैं। वे गुरू नानक देव जी के समय से वहां कई शताब्दियों से रह रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में 126 गांव हैं, जहां सिक्ख रहते हैं। महोदय, एक माननीय सदस्य ने छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया है। वहां गांव के सभी निवासियों को मारा गया था। तथापि किसी को दोषी नहीं पाया गया और कोई कार्यवाही नहीं की गई। इन हत्याओं के लिए कौन दोषी था? इन हत्याओं के लिए सरकार दोषी है। सरकार इस घृणित घटना से मुंह नहीं फेर सकती। यह प्रशासक का दायित्व है कि वह लोगों की रक्षा करे। राज्य में सत्तारूढ़ पक्ष की इस रक्तरंजित घटना का दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए। मैं फारुख अब्दुल्ला साहिब और अन्य पक्षों से अनुरोध करूंगा कि वे यू.पी.ए. को छोड़कर हमारी ओर आ जाएं। हम उन्हें न्याय दिलवाएंगे। केन्द्र में यह सरकार आपको कुछ नहीं देगी। फारुख साहिब जब

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[डॉ. रतन सिंह अजनाला]

आप इस सरकार का भाग हैं, तो आप क्यों शिकायत कर रहे हैं? आपको पहले इस गठबंधन को छोड़ देना चाहिए। आपको हमारे साथ मिल जाना चाहिए। हम आपको आपके अधिकार देंगे। केन्द्र सरकार आपको कोई स्वायतत्ता प्रदान नहीं करेगी।

महोदय, कश्मीर में अल्पसंख्यक परेशान हैं। सिक्खों को बहुत कम लाभ प्राप्त है। हिन्दू पंडितों को कश्मीर से बाहर भगा दिया गया है। अब, आतंकवादी तत्व सिक्खों को निशाना बना रहे हैं। एक कहावत है- "सड़कें सुनसान हैं। हर किसी को जाने पर मजबूर कर दिया गया है। परन्तु मिर्जा इसका आनंद ले रहे हैं।" महोदय कश्मीर से अल्पसंख्यकों को बाहर भगाने के लिए एक घिनौना अभियान प्रारंभ किया गया है।

सभापति महोदय, सिक्खों को अफगानिस्तान में भी निशाना बनाया गया है। अनेक सिक्ख अफगानिस्तान छोड़कर दिल्ली आ गए हैं। वे अफगान सिक्ख हैं। इनके पूर्वज अफगानिस्तान के थे। परन्तु कट्टरपंथी तत्व उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। महोदय, मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह रहे सभी सिक्खों और हिन्दुओं हेतु दोहरी नागरिकता की मांग करता हूं, क्योंकि इन्हें कभी भी पाकिस्तान में भी निशाना बनाया जा सकता है। दूसरे भारत में संघीय व्यवस्था को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना होगा। हम अपने पहले प्रधानमंत्री द्वारा की गई ऐतिहासिक त्रुटियों को जारी रख इसके नए हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं बन सकते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। और कश्मीर या किसी अन्य राज्य को स्वायत्तता प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये मेरे मुख्य सुझाव हैं।

महोदय, भारत के नागरिकों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हम सभी को शांति और सौहार्द के साथ रहना चाहिए। भारत के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। वस्तुतः, हमें हमारे देश के किसी संकट का सामना करने के लिए एकजुट होकर सामने आना चाहिए।

डॉ. फारुख अब्दुल्ला (श्रीनगर): सभापति महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष से मेरे माननीय मित्रों के समक्ष स्पष्ट रूप से कुछ बातें बताना चाहूंगा। कश्मीर एक सरल समस्या नहीं है। इसे सरल न मानें। इस सम्मानित सभा के अनेक माननीय सदस्य रहे होंगे एक विधेयक पारित किया गया था।

[हिन्दी]

श्री शरद यादवः यदि आप हिन्दी में बोलेंगे तो देश भी समझेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः उन्हें अपनी पसंद की भाषा में बोलने दीजिए। उन्हें बाध्य मत करिए।

[हिन्दी]

डॉ. फारुख अब्दुल्लाः ठीक है, मैं हिन्दी में बोलूंगा। यही वह सदन है, जिसमें वह बिल पास किया गया था कि सारा जम्मू-कश्मीर जो महाराजा हरि सिंह का कश्मीर था, जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के साथ है, कुछ हिस्सा उन्होंने चाइना को दे रखा है, जिसे वह आजाद कश्मीर कहते हैं और हम लोग ऑकुपाइड कश्मीर कहते हैं और नॉर्दर्न टैरेटरीज जिसमें स्कर्दू, गिलगित, हुंजा और नगर हैं, ये सारा महाराजा जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था। मगर आज मैंने एक भी शख्स को इसके बारे में कुछ कहते हुए नहीं सुना कि कोई इस इलाके की भी बात करे। वहां क्या हो रहा है, कैसे जुल्म हो रहे हैं, कोई नहीं जानता? जो हमारे मेहरबान ऊपर हैं, वे भी कभी नहीं लिखते हैं।

यह सही बात है, आप लोग कहते तो बहुत कुछ हैं, मगर एक बात याद रखियेगा, गलतफहमियां बहुत पैदा की जाती हैं। कश्मीर जो हमारे साथ है, वह कोई आपकी ताकत से, आपकी बंदूकों से, आपकी एयरफोर्स से हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं बना। वह महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और उन लीडरों ने जिन्होंने शेख अब्दुल्ला के साथ हिन्दुस्तान की आजादी के लिए लड़ा था, उनकी नीतियों को देखकर कश्मीर इस बड़े हिन्दुस्तान का हिस्सा बना। न सिर्फ यह हिस्सा बना, बल्कि मजबूती से टिका रहा। जब इतनी दफा लड़ाइयां हुईं और भूलिये मत, आखिरी लड़ाई कारगिल की हुई। तब भी यह खड़ा रहा, हिला नहीं। मगर अफसोस इस बात का है कि हम लोग जब आपके सामने दिल की बात करते हैं तो आप या तो हमें पहचानते नहीं न हमें समझ सकते हैं। न कोई ऐसी मशीन आई है, जिसमें दिल पर चेन लगी हो और हम दिखा सकें कि चारों खानों में हिन्दुस्तान का नाम लिखा हुआ है। मगर वह आपको दीखता नहीं है। आप छोटी-छोटी बातों पर रुक जाते हैं।

आज वहां पर छोटे से छोटा बच्चा भी आजादी मांगता है। क्यों मांगता है, क्या आप उससे पूछते हैं कि आजादी का मकसद क्या है, आजादी क्या है? क्या जम्मू-कश्मीर आजाद रह सकता है? एक तरफ से चीन लपक रहा है, वह आज भी आहिस्ता-आहिस्ता हमारे लद्दाख के एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, जो एक तरफ सैलाब से अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से आतंकवादियों को आज भी भेजने की कोशिश कर रहा है। हालत देखिये, ये तीन मुल्क, जो एटम बम से लैस हैं क्या कश्मीर इनमें आजाद रह सकता है? क्या हम अफगानिस्तान की हालत नहीं देख रहे हैं? क्या हम अल-कायदा, तालिबान को नहीं देख रहे हैं? क्या वही हालत एक दिन कश्मीर में नहीं होगी?

सभापति जी, मुझे वह दिन याद आ रहा है, जब वाइस प्रेसीडैन्ट ऑफ इंडिया श्री शर्मा साहब थे और मैं उनके साथ काबुल गया था। बादशाह खान को जलालाबाद में दफन करना था। उस डेलिगेशन में मैं भी गया था और जब मैं जलालाबाद से गाड़ी से उनके जिस्मे-खाक को लाने पाकिस्तान के बॉर्डर खैबर तक गया तो मुझे एक भी पुल, एक भी घर सीधा नहीं दीखा। क्या जो लोग आजादी मांगते हैं, वे देखते हैं कि जो आपको बंगले दिखते हैं, जब आप जहाज से उतरते हैं, क्या आपको कोई घर कच्चा दिखता है? क्या उनको दिखता है खुदा निजात दे, ऐसी हालत न पहुंचे जहां हमारी हालत भी वही हो, जो आज अफगानिस्तान की है। इसलिये, मैं सामने वालों से कहता हूं कि आप हमारे दिलों की बात को समझने की कोशिश कीजिये। जब मैं अटोनमी का रिजोल्यूशन लाया था, मैंने कोशिश की थी कि दिलों को जोड़ सकें। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि हम पहले दो चीजें मांग रहे थे। हम कहते थे कि हमारे पास दो चीजों की सुविधा नहीं है कि हम आई.ए.एस. के बच्चों को तैयार कर सकें, या हमारे बच्चे आई.ए.एस. के लिये तैयार हो सकें। हमने वे चीजें तैयार करनी हैं, कोई इंस्टीट्यूशन्स तैयार कर रहे हैं। हमारे आई.ए.एस. के बच्चों के लिये 50 परसेंट प्रमोटी दे दीजिये, 50 परसेंट डायरेक्ट रिक्रूटी आयें। उस समय श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री, श्री वी.पी. सिंह फाईनैंस मिनिस्टर और डॉ. मनमोहन सिंह प्लानिंग कमीशन के वाईस चेयरमैन थे। जब मैंने 1986 में हुकूमत फिर से सम्भाली तो एक मीटिंग हुई। जब हमने उनके सामने यह बात रखी तो श्री राजीव गांधी जी ने कहा कि बिलकुल सही है, इनको यह देना चाहिये मगर डॉ. मनमोहन सिंह जी को याद हो या न हो, उन्होंने कहा कि श्री वी.पी. सिंह फाईनैंस मिनिस्टर हैं, वह मानने के लिये तैयार नहीं हैं। हमने कहा कि बाकी पसमांदा रियासतें हैं, बैकवर्ड स्टेट्स हैं, वहां 90 परसेंट ग्रांट और 10 परसेंट लोन है। जम्मू कश्मीर स्टेट को उनके साथ जोड़ा गया है, फिर उनके लिए 70:30 किया गया है, उन्हें भी यह दिया जाये। इससे हमारे कर्जे का भार कम हो जायेगा। उन्होंने कहा कि श्री वी.पी. सिंह जी नहीं मानते हैं। जब 1990 में बंदूकें चलने लगीं, ग्रेनेड मारने लगे और पाकिस्तानी के आतंकवादियों का हमला शुरू हो गया, हमें 90:10 भी मिल गया, 50:50 भी मिल गया मगर कोई बेचने वाला नहीं मिला। जब हम अटोनमी का रिजोल्यूशन आपके पास लाये, मैं उस समय बंगलौर में था। मुझे प्राईम मिनिस्टर वाजपेयी जी ने बुलाया। उस दिन सुबह स्व. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिन था, आप लोगों को कोलकाता जाना था। आप लोगों ने कैबिनट में यह फैसला लिया था कि हम यह कबूल नहीं करेंगे जबकि कैबिनेट में कुछ मिनिस्टर्स ने इनसे खुद कहा कि हमने यह पढ़ा नहीं है, हमें पढ़ने दो, उसके बाद हम फैसला करेंगे। मगर चूंकि इन्होंने ठान रखी है कि 370 को मिटाना है और हमने दिलों पर राज नहीं करना है, हमें जमीन पर राज करना है। अगर आपको दिलों पर राज करना है तो दिलों की धड़कन को समझने की कोशिश करेंगे तब हिन्दुस्तान एक रहेगा। जब दिलों की धड़कन को हिन्दुस्तान की धड़कन समझेंगे, अगर आप नार्थ-ईस्ट के दिलों की धड़कन को नहीं समझते तो आप हिन्दुस्तान नहीं रख सकते। अगर आप सिर्फ दिल्ली की धड़कन को समझेंगे, और दूसरी रियासतों की धड़कनों को नहीं समझेंगे तो हिन्दुस्तान मजबूत नहीं रह सकता। मैं आया और वजीरे-आजम के सामने हाथ जोड़े। मैंने कहा कि जनाब क्या आपने यह पढ़ा, उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ा तो फिर मैंने कहा कि फिर आपने फैसला कैसे लिया? आप पहले पढ़िये और जो चीज आपको लगती है कि यह चीज हिन्दुस्तान को कमजोर करेगी, हमें बता दीजिये, हम सुनने के लिये तैयार हैं। हमने दरवाजे बंद नहीं किये हैं। यह कुरान नहीं है जिसकी आयतें बदली नहीं जा सकती हैं। यह तो हमने बनाया है, हम इसे बदल भी सकते हैं। मगर हमें समझाने की कोशिश कीजिये कि हम कहां गलत हैं? उसके बजाय उठाकर फैंक दिया। हमारी लोगों के सामने क्या इज्जत रही कि आपकी हुकूमत में बैठा हुआ हूं और उसके बाद आप यह सलूक करते हैं। आज सवाल इस बात का है कि हमने दिल जीतने हैं। तकरीरों से कुछ

[डॉ. फारुख अब्दुल्ला]

नहीं होगा। तकरीरों से आप उस बच्चे का दिल नहीं जीत सकते। वे बेचारे, जिन्होंने जानें दे दी हैं, उनकी जानों का वे आपसे पैसा नहीं मांगते हैं। वे कहते हैं कि हम से इंसाफ कीजिये। क्या हमें इंसाफ करने का मौका नहीं देंगे? क्या हम बातचीत नहीं कर सकते? जब आपने खुद 20 आदमियों की एक लिस्ट पाकिस्तान को दी है, और आपने कहा कि हम तब तक आपसे बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमें 20 आदमी हमारे हवाले नहीं करेंगे। क्या वह दिन आप भूल गये जब आपने जनरल मुशर्रफ साहब को यहां बुलाया लेकिन उन 20 आदमियों की लिस्ट उधर ही है। वे वापस हिन्दुस्तान नहीं आये। उन्हें क्यूं बुलाया, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान से बातचीत करके ही हमें अपने मसले हल करने हैं। मुझे आपके वजीरे-आजम की बात याद है, जब उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पर कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं मगर पड़ौसी नहीं बदल सकते, या तो हम प्यार से रह सकते हैं या फिर नफरत में रहकर हमारी तरक्की कमजोर हो जायेगी और आपकी कमजोरी और ज्यादा कमजोर हो जायेगी। इसलिए आज मैं हाथ जोड़कर आप सबसे अपील करता हूं कि धड़कनों को समझने की कोशिश कीजिये। हम हिन्दुस्तान से अलग नहीं होना चाहते हैं, कोई भी नहीं है, जो हिन्दुस्तान से अलग होना चाहता है। जो अलग होगा, वह नहीं जानता है कि दूसरी तरफ क्या है?

[अनुवाद]

जब तक वे वहां नहीं जाते, उन्हें दूर के ढोल सुहावने लगते रहेंगे। मैं यहां अपने लोगों को बताना चाहता हूं कि काफी कुछ गलत सूचना दी गयी है और बहुत कुछ गलत बताया गया है। मैं आप सबसे यह समझने का प्रयास करने का अनुरोध करता हूं कि हमें भारत के अंदर ही समाधान ढूंढना होगा, न कि पाकिस्तान, चीन अथवा अमेरिका में। अतः, यदि हम समाधान चाहते हैं तो आइए हम बातचीत करें और इस बात को बाधा न बनाएं कि अनुच्छेद 370 हटेगा और हमें एक बेहतर भारत मिलेगा। जब तक आप लोगों का विश्वास हासिल नहीं करते, तब तक आपको कभी भी बेहतर भारत नहीं मिलेगा। लोगों का विश्वास जीतने के लिए, भगवान के लिए खुले दिमाग से सोचिए और लोगों के विचारों को समझिए।

महोदय, मैं सरदार अजनाला से पंजाबी में बात करूंगा। उन्होंने कहा कि हमें स्वायत्तता नहीं मिलेगी। अतः, हमें स्वायत्तता को भूल जाना चाहिए। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वायत्तता के बिना, आपको भी वह नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं।

मुझे लगता है कि एक न एक दिन भारत को सही मायने में संघीय ढांचा अपनाना होगा। सही मायने में संघीय ढांचा होने का अर्थ है कि प्रत्येक राज्य की अपनी शक्तियां होंगी और केंद्र की अपनी शक्तियां होंगी। यदि कोई राज्य कमजोर है तो केन्द्र कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता। यदि आप केन्द्र को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो राज्यों को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत के हाथ, पैर और शरीर हैं और जब तक भारत का शरीर शक्तिशाली नहीं होगा, उसका मस्तिष्क कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता।

अतः आप सबसे मेरा अनुरोध कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें समृद्ध भारत का निर्माण करना होगा जहां सब लोग एक साथ मिलकर रहें न कि घृणा करें।

मुझे हिन्दुओं से कोई घृणा नहीं है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ईश्वर को विभिन्न रूपों में देखता हूं। मेरे लिए, यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं जैसे राम, कृष्ण, महेश, विष्णु अथवा सृजक, ब्रह्मा के रूप में विश्वास करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक मुस्लिम का संबंध है, उसका भी यही दृष्टिकोण है। यह एक ही शक्ति है सिवाय इस बात के, कि आप इसे दूसरे रूप में देखते हैं। आप उसे विभिन्न रूपों में देखते हैं लेकिन शक्ति एक ही है। मैं उसे अल्लाह के रूप में देखता हूं। शक्ति एक ही है। मैं कहता हूं कि हमें धर्म के नाम पर शत्रुता नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको आपका धर्म आपको प्रिय है और मुझे मेरा धर्म प्रिय है। भारत की महानता इसी बात में है। इसी से भारत मजबूत बनता है क्योंकि हम इतने सारे धर्मों का पालन करते हैं फिर भी हम एक शरीर, एक आत्मा के साथ हैं और वह आत्मा भारत है और वह आत्मा तब तक भारत ही रहेगी जब तक हम यह स्मरण रखेंगे कि हमें लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है। यही कारण है कि हम यहां हैं। हम यहां लोगों की सफलता के लिए हैं और यदि हम मिलकर काम करेंगे तभी हमारा राष्ट्र सफल होगा।

---

*...*भाषण का यह भाग मूलतः पंजाबी में दिया गया।

इसलिए, मैं श्री मुरली मनोहर जोशी, श्रीमती सुषमा स्वराज और आप सबको कहता हूं कि आइए हम मिलकर बैठें, कोई ऐसा रास्ता खोजें जिससे हम इन युवा लोगों पर गोली चलाने के स्थान पर उनका विश्वास जीत सकें। यही एक तरीका है जो हमें अपनाना होगा।

मैं गृह मंत्री से इस संबंध में कुछ करने का अनुरोध करता हूं। मैं श्रीमती गांधी से सभी को इकट्ठा करने तथा जम्मू और कश्मीर की समस्या का समाधान खोजने का अनुरोध करता हूं। इसके साथ ही, जब हमारे प्रधानमंत्री सीमा पार जाते हैं, अथवा उनके प्रधानमंत्री यहां आते हैं तो उन्हें यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया जाता है कि केवल 'यह' जम्मू और कश्मीर ही हमारा नहीं है बल्कि 'वह' जम्मू और कश्मीर भी हमारा है।

अपराह्न 4.00 बजे

हम यह भूल जाते हैं। हम कभी भी यह जिक्र नहीं करते हैं मानो हमने उसे उनको दे दिया है। अब समय आ गया है कि हमें एक स्वर से उन्हें बताना होगा कि बहुत हो चुका है। हम चुप नहीं बैठेंगे। यह देश हमारा है और यह हमारा ही रहेगा। हमें ऐसा सोचना आरंभ करना होगा। मैं मीडिया से मैं कहता हूं कि आप से नम्र अनुरोध है कि कृपया भारत के बारे में सोचिए। कृपया भारत के बारे में लिखिए क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे अपने राज्य में चीजों को इस प्रकार बताया जाता है कि इससे द्वेष उत्पन्न होता है।

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

डॉ. फारुख अब्दुल्ला: जब वे तस्वीरें आप देखेंगे जो उर्दू के अखबारों में वहां से निकलती हैं तो दिल खौल उठता है, आंसू दिल से आते हैं, खून के आंसू आते हैं कि ये लिखते क्या हैं और करते क्या हैं। आपके दोस्त होंगे वहां, मित्र होंगे, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं, उनसे कहिये कि नफरत न फैलाएं।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

डॉ. फारुख अब्दुल्ला: मेरा यही अनुरोध है कि हमारा केवल कश्मीर ही नहीं है बल्कि जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, पाक अधिकृत कश्मीर और उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र, यह सब भारत है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, इस मुद्दे पर कल चर्चा जारी रहेगी।

अपराह्न 4.01 बजे

नालन्दा विश्वविद्यालय विधेयक, 2010

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या 18 लेगी - अर्थात् नालन्दा विश्वविद्यालय विधेयक, 2010।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): सभापति महोदय, श्री एस.एम. कृष्णा की ओर से, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि फिलीपीन्स में 15 जनवरी, 2007 को हुई दूसरी पूर्वी एशिया शिखर बैठक और तत्पश्चात् थाइलैंड में 25 अक्तूबर, 2009 को हुई चौथी पूर्वी एशिया शिखर बैठक में बौद्धिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्ययन के अनुशीलन के लिए बिहार राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए किए गए विनिश्चियों को क्रियान्वित करने और उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अपराह्न 4.02 बजे

(श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए)*

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि फिलीपीन्स में 15 जनवरी, 2007 को हुई दूसरी पूर्वी एशिया शिखर बैठक और तत्पश्चात् थाइलैंड में 25 अक्तूबर, 2009 को हुई चौथी पूर्वी एशिया शिखर बैठक में बौद्धिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्ययन के अनुशीलन के लिए बिहार राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए किए गए विनिश्चियों को क्रियान्वित करने और उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): सभापति जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण विषय के बाद और फारूख साहब की बेहतरीन तकरीर के बाद मुझे नालन्दा विश्वविद्यालय विधेयक पर बोलने का मौका दिया।

हमारे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि जब से बिहार में हम लोगों की सरकार बनी, तब से नालन्दा विश्वविद्यालय का गौरव फिर से लौटा। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी की पहल थी कि राज्य सरकार ने संकल्प लिया और उस 1495 संकल्प संख्या के द्वारा 17-8-2006 को नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया। बिहार विधान सभा द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा अधिनियम 2007 पारित किया गया। 24 अगस्त, 2007 को यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा की स्थापना की अधिसूचना हुई और 24 अगस्त, 2008 को भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, प्रथम विजिटर नियुक्त हुए। हमारी सरकार ने लगभग 75 करोड़ रुपये इस पर खर्च किये और 500 एकड़ जमीन इसके लिए अधिकृत की जिसको 99 साल के पट्टे पर नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाएगा।

हम जानते हैं कि बिहार शिक्षा का स्रोत रहा है और बिहार से शिक्षा की गंगोत्री पूरी दुनिया में फैलती रही है। बिहार के लोग आज इंटैलीजेंट माने जाते हैं। यह इंटैलीजेंस हमें विरासत में मिला है। बिहार की सरजमीं ने आर्यभट्ट, चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक, चाणक्य, गुरू गोबिन्द सिंह, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, शमशुल हक आदिलाबादी जो कि इस्लामिक स्कॉलर माने जाते हैं, शेरशाह सूरी, बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति जी, ऐसे महान लोगों को, जहां डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और श्री जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकूर और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं भागलपुर जो अंग की भूमि, महाराज दानवीर कर्ण जैसे महापुरुषों को जन्म दिया है। इस भूमि ने पूरी दुनिया को शिक्षा दी है। आज दुनिया में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की बात होती है, लेकिन दुनिया को सर्वप्रथम शिक्षा देने का काम इस विश्वविद्यालय ने किया है। पांचवीं-छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहां की यात्रा महात्मा बुद्ध ने की। पटना के निकट बड़ा गांव के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के जहां अवशेष हैं, यहां इसकी स्थापना गुप्त वंश ने पांचवीं शताब्दी में की थी। विश्व के छात्रों को आकर्षित करने वाला, यह पहला संस्थान था, जिसमें दस हजार छात्र और दो हजार अध्यापकों के रहने की व्यवस्था थी। लेकिन आज तो छात्रों और अध्यापकों का रेश्यो घट गया है। यहां खड़े होकर सदस्य ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की मिसाल देते हैं, लेकिन आप अनुपात देखिए, दस हजार छात्रों पर दो हजार शिक्षकों की व्यवस्था थी। बौद्ध और सनातन धर्म की करीब-करीब 40 हजार पांडुलिपियां सहित हजारों हस्तलिखित दुर्लभ पुस्तकें वहां थीं। प्रसिद्ध चीनी विद्वान व्हेंगसांग और इत्सिंग ने यहां संस्कृत और दर्शन का अध्ययन किया था। महायान और हीनयान के अलावा वैदिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, योग, गणित, चिकित्सा की शिक्षा यहां दी जाती थी। चीन, कोरिया, श्रीलंका, जापान, यूनान, मंगोलिया, सुमात्रा और थाइलैण्ड तक से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहां आते थे। 12वीं शताब्दी में खिल्जी के हमले में पुस्तकालय को आग लगी तो वह पुस्तकालय 6 महीने तक जलता रहा। उसके बाद किसी ने फिक्र नहीं की।

महोदय, हमारी सरकार बिहार में बनी। बहुत दिनों के बाद एक अच्छी सरकार बिहार में आयी। जिससे लोगों की उम्मीदें बढ़ीं। उसने भारत सरकार से बातचीत की और भारत सरकार ने भी उसमें योगदान दिया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप जानते हैं कि बिहार बदल रहा है और बदले हुए बिहार से पूरे देश को यह अपेक्षा थी कि बिहार में अच्छा काम हो। यदि कुछ राज्य तरक्की कर जाएं और कुछ राज्य पिछड़ जाएं तो यह देश महान नहीं बन सकता है। बिहार की नौ करोड़ जनता जो बहुत दिनों से अपेक्षित थी। वहां शांति व्यवस्था नहीं थी, कानून का राज्य नहीं था।

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बिहार कहां और किस जगह पहुंच गया है, जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा को तबाह एवं बर्बाद किया था, उसका कैम्प बख्तियारपुर में था। बख्तियारपुर में आज जो चीफ मिनिस्टर हैं, वे वहीं पैदा हुए और वहीं उनका लालन-पालन हुआ। इतिहास में कैसे इतिहास चक्र होता है कि जिस जगह पर तबाह करने वाले ने कैम्प किया था, उसी जगह के व्यक्ति ने फिर से उसे रिवाइव करने का काम किया।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति महोदय, आज बिहार के बारे में नेगेटिव चर्चा नहीं होती। अभी बिहार के चुनाव आने वाले हैं, वहां जो भी टूरिस्ट जाते हैं, वे वहां कुछ न कुछ बोल कर, बिहार का अपमान करके

आते हैं, लेकिन उससे हमारा बिहारी स्वाभिमान ही बढ़ता है। आज बिहार की प्रतिव्यक्ति आय बढ़ी है। बिहार में ताकत है कि हमने नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खड़ा हो, इसके लिए योजना में हमारा जो खर्च था, लोग मखौल उड़ाते थे। हमारी जो 4900 करोड़ की योजना थी, आज वह बढ़ कर 16 हजार करोड़, 20 हजार करोड़ का बजट बिहार का पहुंचा है। राज्य की स्थिति जहां 2005-06 में 3471 थी, वह आज आठ हजार करोड़ से आगे है, लेकिन बिहार में हमें और भी अपेक्षा है। नालंदा विश्वविद्यालय के गठन में, फिर से पुनर्निर्माण में केन्द्र मदद कर रहा है, इससे हम इंकार नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हमारी अपेक्षा आपसे बहुत ज्यादा है।

मेरा सौभाग्य है कि मैं बिहारी हूं, मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूं।...*(व्यवधान)* बिहारी होना कोई जुल्म नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अभी तीन सदस्य शेष हैं जिन्हें बोलना है। कृपया संक्षेप में बोलें। अन्यथा उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। अब आप जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति महोदय, हमें अपने लीडर की तरफ से बोलने के लिए कहा गया है और केवल मैं ही बोल रहा हूं। बिहार के नाम से इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें इस बात का गर्व है, ...*(व्यवधान)* मैं अच्छी बात कह रहा था, आप धीरज से मेरी बात को सुनें। आप ज्यादा रोकिए मत, बिहार में कभी आपका भी राज रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, सभा में व्यवधान न डालें। कृपया सभा की गरिमा बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति महोदय, हमने कहा कि हमें इस बात पर गर्व है, बिहार राज्य है और भारत का एक अभिन्न राज्य है। बिहारी कहने में, हमने कोई एंटी नेशनल नहीं कहा, जो किसी को एतराज हो रहा है। हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे यहां ही नालंदा है, मैं जहां से सांसद हूं, हमारे यहां ही विक्रमशिला है। नालंदा हमारे यहां है, उसके लिए यूनिवर्सिटी बन रही है, उसका मैं बहुत स्वागत करता हूं। हमारे यहां विक्रमशिला है, जहां अभी सौ एकड़ में खुदाई हुई है। विक्रमशिला भी बालवंश के समय से स्थापित है। विक्रमशिला की खुदाई हुई थी। भागवत झा आजाद साहब के जमाने में, हमारे मित्र कीर्ति आजाद साहब यहां बैठे हैं, इनके पिता जी मुख्य मंत्री थे, वे भागलपुर के सांसद थे। उनके प्रयास से वहां पर खुदाई हुई, 4600 अवशेष मिले थे। 16 एकड़ जमीन का अभिग्रहण हुआ, बीस साल पहले अभिग्रहण किया गया। विक्रमशिला कैंपस में खुदाई होगी तो हमारे मित्र निशिकांत दुबे जी के घर तक पहुंच जाएगी। विक्रमशिला को देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं, मैं खुद माननीय प्रधान मंत्री जी से मिला था, मैं उनका आभारी हूं। मैं उनसे जब मिला तो उन्होंने आर्कलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी को वहां पहली बार भागलपुर भेजा, उन्होंने विक्रमशिला में विजिट किया, लेकिन वह भी बहुत दिनों से उपेक्षित है। उसकी उपेक्षा हो रही है। मैं इस बात को इससे इसलिए जोड़ रहा हूं कि आज हम इतिहास रच रहे हैं, यह डिबेट बहुत बड़ी है, यह बिल बहुत बड़ा है, आप इसकी गम्भीरता को समझिए। आज लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की बात करते हैं, अंग्रेजी बोलने वालों के लिए तो ऑक्सफोर्ड बड़ा आदर्श हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नालन्दा फिर से पुनर्स्थापित हो रहा है, इससे बढ़कर कोई बात इस देश के लिए इतिहास में हो नहीं सकती है।...*(व्यवधान)* सभापति जी, आप ऐसी सख्ती हम पर न करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: आगे से मैं आपको ही देखूंगा।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह विषय सदन के सामने लाना चाहता हूं कि नालन्दा तो उस ऊंचाई पर पहुंचे, यह हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी फिर से जागृत किया जाये, फिर से सरकार उस पर विचार करे, यह मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। सिर्फ रैफरेंस के तौर पर ये बातें मैंने आपसे कही थीं।

[श्री सैयद शाहनवाज हुसैन]

जहां इस बिल में इस बात की चिन्ता की गई है कि इस पर जो अध्ययन होगा, वह नालन्दा के इस विश्वविद्यालय के गठन के बाद बौद्ध मत का, दर्शनशास्त्र का, ऐतिहासिक अध्ययन होगा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और शान्ति अध्ययन होगा, लोकनीति विकास अध्ययनों की तुलना होगी, भाषा-साहित्य पर बात होगी और मैं जानता हूं कि पूरी दुनिया के लोग इसमें लगेंगे। खासकर इस बारे में थाईलैंड और पूर्वी एशिया के देशों में जो सम्मेलन हुआ था तो बहुत से देश इस काम में लगे हैं। इसमें कुलाधिपति होंगे, कुलपति होंगे, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे, बिहार सरकार के दो प्रतिनिधि होंगे और तीन प्रख्यात शिक्षाविद् होंगे, लेकिन वह संस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा अन्य विश्वविद्यालयों में है, मैंने खुद अपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अन्दर दो सांसद भेजे, मैं भी उसमें हूं तो इतनी बड़ी संसद, जो यह बिल पास कर रही है, इसके भी दो प्रतिनिधि इसमें जरूर होने चाहिए, यह हमारा सुझाव है।

मैं आपके जरिये सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा बिहार तरक्की कर रहा है। राजनीति जब भी होगी, जब चुनाव होंगे तो अपनी-अपनी राजनीति के भेष में आइये, लड़िये, जीतिए-हारिए, लेकिन आपको बिहार की चिन्ता जरी सी करनी पड़ेगी।...*(व्यवधान)* मैंने पहले जीतना बोला, आपने बाद में बोला, आपका चांस नहीं है। लेकिन आज बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। बिहार में आधिकारिक निजी निवेश के लिए हमने विशेष राज्य का दर्जा मांगा, वह नहीं मिल रहा। हमें बाढ़ का पैसा नहीं मिल रहा, हमने राष्ट्रीय उच्च-पथ करीब 1657 किलोमीटर अपने पैसे से बनाई और 969 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार लेकर बैठी है, हमें दे नहीं रही, ताकि हम बदनाम हो जायें, लेकिन हम भी इनकी चालाकी समझते थे, इसलिए हमने राज्य सरकार के फंड से उस रोड की रिपेयर की है। अगर कोई किरायेदार किसी मकान में रहे और उसको पेंट करा ले तो मकान मालिक को उसका पैसा देना चाहिए, लेकिन केन्द्र सरकार की रोड है, वह उसका पैसा हमें नहीं दे रही।

हमने राज्य की सड़कें अच्छी कर लीं, कानून का राज स्थापित कर लिया, बिहार के अन्दर आज हम लोगों ने जब कहा कि आप बिजली के अन्दर कोल लिंकेज दीजिए, क्योंकि बिजली का संकट है तो हम नालन्दा विश्वविद्यालय तो बना लेंगे, लेकिन अगर हम बिजली नहीं देंगे तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे। अगर आप चाहते हैं कि बिहार की वह संस्था देश का संस्थान माना जाये, भारत का चिन्ह माना जाये, भारत का प्रतिबिम्ब माना जाये तो आपको बिहार को भी चमकाना पड़ेगा।

बिहार के ऊपर इल्जाम तो बहुत लगते हैं, लेकिन मैं आपके जरिये एक अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोगों की आज जिस तरह से सपोर्ट, केन्द्र की मदद वहां पर घटाई गई है, हम लोगों ने कहा था कि अभी बाढ़ आई, मैं खुद कोसी का रहने वाला हूं, शरद जी कोसी के सांसद हैं, वहां बाढ़ आई, लेकिन एक रुपया केन्द्र सरकार ने हम लोगों को नहीं दिया। एक हजार करोड़ रुपया दिया, वह भी कोई फौजी गये, कोई और गये, उसमें काट लिया।

अभी बिहार में सूखा पड़ा है। उसका एक रुपया भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया नालन्दा विश्वविद्यालय विधेयक के दायरे से बाहर न जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति महोदय, इसी सदन में कौन कहां-कहां जाता है...*(व्यवधान)* और जब मैं बिहार का दर्द रखूं, तो आप ऐसा कह रहे हैं। हमें चेयर से आपका प्रोटेक्शन चाहिए। यहां शोर हो रहा है और आप भी मदद नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? हम बिहार का दर्द रख रहे हैं।...*(व्यवधान)* अगर बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय बनेगा तो बिहार में बिजली चाहिए या नहीं। उस इलाके में पूरी दुनिया से लोग आएंगे। बिहार के अंदर पहले करीब 94 हजार टूरिस्ट आते थे। आज बिहार में टूरिस्ट्स की संख्या बढ़कर 4 लाख 23 हजार हो गयी है। वहां पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। मैं यह आंकड़ा दे रहा हूं, आथेंटिकेट कर रहा हूं। मैं कोई पालिटिकल स्पीच नहीं कर रहा हूं। मैं यहां खड़ा हूं और मुझे पता है कि मेरे लिए मेरी पार्टी चुनाव का मंच सजाएगी और वहां से जो भाषण मुझे देना होगा, मैं दूंगा। इस प्लेटफार्म का उपयोग मैं बिहार के लोगों का दर्द रखने के लिए आपके सामने कर रहा

हूं। आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है। राज्य के लिए जो ग्रास बजटरी सपोर्ट था, वह 34 पर्सेंट से घटाकर 23 पर्सेंट कर दिया गया। बिहार के साथ आपने कदम बढ़ाया तो हमने आपका शुक्रिया भी अदा किया। हमने इसमें कोई कंजूसी नहीं की। हमने कहा कि आपने बड़ा अच्छा काम किया और सपोर्ट किया। आज बिहार के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस दर्द को दूर करने के लिए आप केंद्र सरकार की ओर से बराबर की नजरों से देखिए। आपके वहां 9 ही एम.एल.ए. हैं। अगर 9 एम.एल.ए. हैं तो क्या हुआ, हम सब आपके गैर नहीं हैं। राजनीति में ऐसा होता है, कभी कर्नाटक में वर्ष 1992-94 में हमारे चार ही एम.एल.ए थे, लेकिन आज वहां हमारी सरकार है। आज आपके नौ एम.एल.ए. हैं तो कुछ काम करके दिखाइए, तब आपका खाता खुलेगा, नहीं तो नौ की जगह आपकी सीटें और कम हो जाएंगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें। अब आप दूसरे विषय पर जा रहे हैं।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: इसलिए मैं आपके जरिए अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करे।

महोदय, मैं अब कंक्ल्यूड करता हूं और आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, इसके लिए मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही यह गुजारिश करता हूं कि नालंदा के बाद आप आराम से बैठ मत जाइएगा। इसके बाद विक्रमशिला की स्थापना का बिल मैडम जब आप लाएंगी, तो मैं, कीर्ति आजाद जी और निशिकांत दुबे जी, तीनों मिलकर और पूरा सदन आपको बधाई देगा। मैं मानता हूं कि देश के लिए आज बहुत ऐतिहासिक दिन है कि हम इस बात पर गर्व करें कि हमें अपने देश की संस्कृति पर गर्व करना है। हमें अपने देश की शिक्षा पद्धति पर गर्व करना है। हमें मैकाले की शिक्षा पद्धति पर नहीं नालंदा की शिक्षा पद्धति पर गर्व करना है। ऐसे संस्थान को फिर से पुनर्जीवित करना है।

डॉ गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़): सभापति जी, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं। मैं विषय पर बोलूंगी, लेकिन जवाब जरूर दूंगी। जवाब इस बात से कि यू.पी.ए. की सरकार और एन.डी.ए. की सरकार के दिए हुए उस समय के अर्थ और अभी के अर्थ दोनों के बारे में आपके अगले बोलने वाले एम.पी. साहब जरूर बतायें, यह मैं आपके माध्यम से आपसे आग्रह करूंगी। बोलने से पहले मैं निवेदन कर दूं कि किसी भी राज्य के साथ किसी मतभेद का, किसी मनभेद का, किसी सौतेले व्यवहार का या किसी अन्याय की पोषक यू.पी.ए. सरकार नहीं रही है और यही वजह रही है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का फैसला उस भूमि पर किया गया, जिस भूमि में गौतम बुद्ध पैदा हुए, महावीर पैदा हुए, गुरु गोबिन्द सिंह जी पैदा हुए और निश्चित तौर पर परंपरायें यहां पैदा हुईं।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा में आपस में बात नहीं होनी चाहिए।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डॉ गिरिजा व्यास: 15 जनवरी, 2007 और 25 अक्तूबर, 2009 को फिलीपींस और थाइलैंड में चौथी और दूसरी पूर्वी एशिया शिखर बैठक में बौद्धिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्ययन के अनुशीलन के लिए बिहार राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किए गए विनिश्चयों को क्रियान्वित और उससे संबंधित विषयों वाले विधेयक पर चर्चा हेतु आपने मुझे भी बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। महोदय, मैं विषय पर ही बोलूंगी और सबसे पहले मैं सरकार को विशेषकर यू.पी.ए. की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं बिहार सरकार को भी धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने समय पर जमीन आदि उपलब्ध करा दी।

यू.पी.ए. सरकार के दृष्टिकोण, विचार, कौनसैप्ट कि किस तरह हम अपने पुराने भारत को फिर से पुरस्थापित कर सकें, इस दिशा में जो प्रयास किया गया, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं।

अल्लामा इकबाल ने कहा था - यूनान-ए-मिश्र रोमां, सब मिट गए जहां से, कायम है अब तक भी नामो निशां हमारा। यदि हम नालंदा जाएं जो अब खंडहर है या

[डॉ गिरिजा व्यास]

जिन्हें तक्षशिला जाने का मौका मिला, जो इस्लामाबाद गए हों या विक्रमशिला जिसकी बात अभी माननीय सदस्य कर रहे थे, मुझे विश्व के अनेक विश्वविद्यालय और इन तीनों पुराने विश्वविद्यालयों को देखने का मौका मिला। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब हम नालंदा, तक्षशिला या विक्रमशिला के परिसर में जाते हैं, तो लगता है कि जैसे हम ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज को भूल गए हैं। चारों तरफ से एक प्रकार आज भी वहां शिक्षा का जो आलोक है, वह दैदीप्यमान हो रहा है। इसलिए हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं।

मैं आपको पिछले कुछ दशक में ले जाना चाहती हूं जब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा पांचवीं सैंचुरी में गुप्तवंश द्वारा, जैसे सदस्य महोदय बता रहे थे, उसकी स्थापना की गई। महायान-हीनयान स्कूल जो बुद्धिज्म के थे और ब्राह्मण वैदिक टैक्स्ट फिलॉस्फी, लॉजिक, थियोलॉजी ग्रामर, सबके अध्ययन के लिए नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां दस हजार स्टूडैंट्स और दो हजार टीचर्स एक साथ काम करते थे।

ह्वेनसांग जो चाइनीज पिलग्रिम यहां आए, उन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या की। आज भी नालंदा के खंडहर इस बात के साक्षी हैं कि उस वक्त भी हम लोग बौद्धिक स्तर पर, दार्शनिक स्तर पर और विशेषकर वैदिक, बौद्ध, जैन और बाद में चूंकि पटना साहिब और जैसे कहा गया कि गोविंद सिंह जी का जन्म भी वहीं पर हुआ, वहां सिखिज्म का भी एक वातावरण बना। बिहार में उस वातावरण को देने का सारा श्रेय उस वक्त की व्यवस्था को जाता है। मैं इसी के साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय का जिक्र भी करना चाहूंगी जो आज इस्लामाबाद के पास है। वहां चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस प्रकार आलोक फैलाया और उसकी स्थापना की, उसके बाद तक्षशिला चाणक्य, चार्वाक और चरक ऋषि, जिन्होंने चरक संहिता बनाई, उनका भी आधार रहा। तक्षशिला में उन्होंने न केवल शिक्षा ग्रहण की बल्कि वहां पढ़ाया भी। आज का अर्थशास्त्र इस बात का गवाह है कि चाणक्य की अर्थनीति अप्रासंगिक नहीं है। इसी प्रकार से चरक संहिता भी, चरक ऋषि द्वारा जो बनाई गई, आज भी उनकी पंचकर्म थैरेपी किसी न किसी रूप में विश्वभर में व्याप्त है। वहां हाइयान का आना और 405 ईस्वी में इस बात का प्रतीक है कि उस वक्त सारे विश्व, विशेषकर साउथ ईस्ट एशिया और एशिया भर से दूर-दराज के जो लोग पढ़ने के लिए आते थे, उन्हें सब प्रकार का ज्ञान मिलता था।

आपने विक्रमशिला का जिक्र किया। उसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि वहां कुछ अन्य विश्वविद्यालय भी उसी जमाने में मौजूद थे। मैं उनका जिक्र इसलिए करना चाहती हूं कि जैसे मैंने कहा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उसी के साथ-साथ वैदिक व्यवस्था, तीनों पर एक साथ शिक्षा होती थी। इतिहास के तीन हजार वर्ष पीछे जाना और उसके कौनसैप्ट - सा विद्या या विमुक्तये, विद्या है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है, हमें अपने बंधनों से मुक्त करती है। वहां इस बात का सिद्धान्त था। मैं गुणशिला विश्वविद्यालय की जिक्र इसलिए करना चाहती हूं कि आज हम वूमैन्स एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन गुणशिला जो 500 बी.सी. में बिहार में, आपके राज्य में ही स्थित था, वहां मुख्य रूप से जैन धर्म-ओ-दर्शन का बिंदु था, वहां वूमैन्स एजुकेशन की व्यवस्था थी और उसे एक तरह से वूमैन्स एजुकेशन कहा जा सकता है। कुंडलपुर जिसकी स्थापना 500 बीसी में हुई थी, वह फिजिकल ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट था जिस पर आज आश्चर्य होता है कि उस जमाने में भी इस तरह के इंस्टीट्यूट हो सकते थे। इसी के साथ कांची जो सौ बीसी में 500 एडी तक रहा, उनका भी अपना स्थान है। 400 एडी से 1200 एडी तक यूयान ने 14 विद्या और 64 कलाओं का नालंदा विश्वविद्यालय में जो चिक्र किया है, वह इस बात का प्रतीक है। 78 डिस्पिलन उस समय वहां पढ़ाए जाते थे।

उस वक्त आयुर्वेद से धनुर्वेद तक और वेद से विमान तक की शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में दी गयी थी। इसलिए यह सोचा गया, मैंने थाईलैंड और फिलीपींस का जिक्र किया, कि हम क्या वैसी ही स्थापना फिर से नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में कर सकेंगे। जहां एशिया अभी फिर से उभरता है, फिर से करवट लेने की दिशा में है, फिर से भारत एक नये चमकते हुए सितारे के रूप में उभरकर सामने आया है, वह भारत एशिया के माध्यम से चमक सके। इसलिए इस स्थापना का निर्णय लिया गया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सोनिया जी और प्रणब मुखर्जी जी, जो उस समय इस कार्य को देख रहे थे, इन तीनों को ही बहुत बधाई देना चाहूंगी।

महोदय, बख्तियार खिलजी ने गौरवशाली कहानी के वे खंडहर भले ही नष्ट कर दिये, लेकिन पुनः संस्कृति के निर्माण में आज हम उनके योगदान को नहीं भूल सकते। इसलिए उस योगदान को जो इसमें दिया, उनको याद करते हुए पुनः संस्कृति के निर्माण, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अंग्रेजी के द्वारा एशिया का पुनः जागरण हो

रहा है। आज हमारी जो थिंकिंग और थॉट्स बेस है, वह यूरो बैस है। उससे हटकर भारत की अगुवाई में एशिया जो एक नया रूप धारण कर रहा है, उसमें आसियन के साथ-साथ जहां एक तरफ हम आर्थिक उन्नति के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जा रहे हैं, वहीं नालंदा यूनीवर्सिटी के माध्यम से हम प्राचीन गौरव को प्राप्त करेंगे जिसमें कुछ नया भी है, कुछ पुराना भी है। यूनेस्को तक ने दर्शन को एक आधार मान लिया है। उस वक्त बिजनेस मैनेजमैंट, आई.टी., ज्ञान और विज्ञान का कोई भी क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में उस पुरानी विद्या का आना एक नये सूत्र का सूचक है।

महोदय, मैं यहां यह निवेदन करना चाहती हूं कि केवल दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और धर्म तक सीमित हमारी ज्ञान और विज्ञान की परम्परा नहीं थी। जहां विज्ञान समाप्त होता है, वहीं से ज्ञान की शुरुआत होती है। भारत ने जीरो का आविष्कार या लीलावती सूत्र, कम्प्यूटर का सारा बेस उस लीलावती सूत्र पर आधारित है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि आज भी उसका सम-सामयिक मूल्य है। मूल्यपरक एजुकेशन जिसमें चाहे हिन्दू हो, जैन हो या बौद्ध हो, उसमें मूल्यपरक एजुकेशन आधार बने, उसका निषेध न हो, इस बात को कहा गया।

महोदय, मैं यहां यह निवेदन करना चाहती हूं कि उस वक्त आर्किटेक्ट, गणित, विज्ञान, खगोलशास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र आदि का जो अध्ययन किया जाता था, इस यूनीवर्सिटी में उन सबका जिक्र है। लेकिन एक बात का भय, जिसका हमेशा हर एक व्यक्ति को रहता है, उसका भय हमें भी है कि कहीं यह केवल उन ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में न पड़ जाये। इसलिए माननीय सदस्य ने यह बात उठायी कि पार्लियामेंट से भी दो सदस्य जायें, पर एक्सीलैंसी यहां पर वहां का निर्णय हो, इस बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगी।

महोदय, यहां पर धर्म की अलग व्यवस्था नहीं है। जीवन दर्शन के रूप में धर्म की व्याख्या की गयी है। प्लूरेलिज्म यानी बहुतवाद हमारा आधार रहा है चाहे वह जैन हो, बौद्ध हो। इसलिए अहिंसा और अपरिग्रह के सिद्धांत आज भी मूल्यपरक हैं, कल भी मूल्यपरक थे और रहेंगे। भारत के सिद्धांत अन्य आश्रय भागों में प्रवाह, मैं यहां पर यह कहना चाहूंगी कि उस समय जब यहां पर वृहदेश्वर मंदिर था, वहां पर उसी वक्त अंगकोरवाट, इंडोनेशिया और कम्बोडिया में उनकी स्थापना की गयी थी, जो भारतीय इम्पैक्ट के प्रभाव को दिखाता है। भारतीय संस्कृति शांति की संस्कृति है, सहायता की संस्कृति है। हमने कभी भी किसी भी धर्म के अलग रूप को अपनाने की कोशिश की, तो उसमें आधिपत्य कहीं भी नहीं रहा, बल्कि उसमें यह बात रही कि समन्वय के साथ हम उसे ग्राह्य कर सकें। ग्राह्यता, एसीमिलेशन हमारा मूल आधार रहा और यही वजह है कि आर्ट और लिट्रेचर या दूसरी अन्य विधियों पर भी पूरे साउथ ईस्ट एशिया में भारत का प्रभाव पड़ा था। यही वजह रही कि नागार्जुन हो या ह्वेनसांग हो, वे यहां पर आते रहे और जिस शिक्षा का मूल आधार है - आमभद्रा प्रत्योंअन्तु यानी अच्छा ज्ञान सभी ओर से आये, तो अच्छा है, इस बात की ओर ध्यान दिलाते रहे।

मैं निवेदन करूंगी कि इसी परंपरा को कायम रखते हुए आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक कांग्रेस इस बात के लिए प्रतिबद्ध रही है। गांधी जी ने कहा था कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर चारों तरफ से गवाक्ष खुले हुए हैं, बाहर की हवाएं भी आएंगी, बाहर के विज्ञान भी आएंगे, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसमें कैसे स्थिर बने रहें। इसलिए इस बात की जरूरत है कि यह स्टेबिल्टी हम कैसे लाएं। इस स्टेबिल्टी के लिए सरकारें प्रयत्नशील रही हैं। नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो या और किसी स्वरूप में उनके दर्शन को पढ़ लिया जाए, इसके बाद हमारे देश में जो विद्वान हुए हैं, उनके विचारों में इस बात का पोषण रहा कि चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो या राजनीति हो, वह मूल्यपरक होनी चाहिए और हम आज भी उस पर कायम हैं। यह नालन्दा विश्वविद्यालय उस मूल्यपरकता को वापस दर्शाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। केवल इस भावना के लिए कि उस समय के नालन्दा, तक्षशिला या विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के कारण भारत शिक्षा का हब था और आज भी यू.पी.ए. सरकार का आधार है कि भारत विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का हब बने। फिर भी इतना सारा धन शिक्षा विभाग को देना, शिक्षा की उच्चता को, खासकर उन विश्वविद्यालयों के पैटर्न पर ही, जो हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय थे, नए कांसेप्ट को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। यह नालन्दा विश्वविद्यालय इस दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है, बहुत बड़ा कदम है। मुझे समय की सीमा मालूम है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जो सपना हमारे विचारकों ने देखा था, उसके आधार पर ही यह विश्वविद्यालय हो। यहां पर सिब्बल जी बैठे हुए हैं, उनका ध्यान आकर्षित

[डॉ गिरिजा व्यास]

करते हुए मैं कहना चाहती हूं कि आपकी रिपोर्ट के आधार पर ही आज यूनिवर्सिटीज के जो हालात हैं, वे बड़े गंभीर हैं। उन हालात को सुधारने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, सरकार के प्रयासों की मैं प्रशंसा करती हूं, लेकिन बहुत कुछ करना अभी बाकी है। सम्प्रदायवाद जिस तरह से उसमें पेनिट्रेट हुआ है, पिछली सरकार ने जिस तरह से कुछ विषयों को डालकर उन यूनिवर्सिटीज को सांप्रदायिकता के घेरे में डाला है, नालन्दा विश्वविद्यालय इस बात का गवाह है, तक्षशिला इस बात की गवाह है कि वहां पर उस समय सम्प्रदायवाद के नाम पर, धर्म जो आज सम्प्रदायवाद का इक्विवेलेंट हो गया है, बल्कि वहां धर्म का अर्थ या वैल्यूज, मूल्य। हम किसी भी मूल्य को नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज को एक करवट लेनी होगी। उनको दिए हुए जो पाठ्यक्रम, जिनसे सांप्रदायिकता आई, उनसे उनको मुक्त करना होगा, राजनीति से मुक्त करना होगा और सबसे ज्यादा उनको ब्यूरोक्रेटिक आक्रोश से उनको मुक्त करना होगा। आज अनेक विश्वविद्यालय लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि उनके लिए अलग से व्यवस्था हो, ताकि वे पूरे समय, 365 दिन इसमें न लगे रहें। आज नालन्दा विश्वविद्यालय की इस प्रकल्पना के बारे में मैं केवल यही कह सकती हूं कि हमारी परंपराओं में जिस बौद्ध धर्म में हमें मध्यम मार्ग दिया, जिस भारतीय दर्शन ने आपो सर्वभूतेषू की बात करके सबकी समानता और संगच्छद्धवं संवदद्धवं की बात करके सभी को साथ लेकर चलने की बात कही। जिस प्रकार से हमारे जैन धर्म में नवोंकार का मंत्र दिया गया, उसे देखें नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अय्याणं और नमो सब्बसाधूणां की बात के जरिए सभी धर्मों के प्रति जो आदर की भावना सिखाई और गुरू गोविन्द सिंह जी ने बिहार में जिस प्रकार की समरसता का मार्ग दिखाया, नालन्दा विश्वविद्यालय उसके अनुरूप होना चाहिए, आज भी आवाज गूंजनी चाहिए - धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यह नारा देना होगा। अति विज्ञान और अति अर्थ हमें नीचे धकेल रहा है, इसलिए मध्यम मार्ग की आवश्यकता है जो असम्पृक्त संस्कृति को पुनः संवेदनशीलता में डाले। शिक्षा का एक आवश्यक लक्षण है संवेदनशीलता। वह संवेदनशीलता जो विश्वविद्यालयों से खो गयी है, उसको नालन्दा विश्वविद्यालय के माध्यम से फिर से पुनर्स्थापित करेंगे जिससे अन्य विश्वविद्यालय भी सीखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में, मैं कहना चाहती हूं कि भारतीय संस्कृति तब भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और यही वजह है कि हमारे यहां चार पुरुषार्थों को व्याख्या है - धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमने कभी भी अर्थ को और काम को भी, धर्म का अर्थ यहां पर रिलीजन नहीं है, धर्म का अर्थ है एथिक्स, मोरल, मोरेलिटी पर आधारित अर्थ, कमाया हुआ अर्थ और मोरेलिटी के आधार पर भोगा हुआ काम, जिसमें अन्य चीजें विवाह से लेकर प्रसाधन आदि भी आते हैं, उनका उपयोग यहां पर निषेध नहीं किया गया है। जो अंत में मोक्ष की तरफ ले जाए, सभी के लिए ग्राह्य हो, उसकी ओर संकेत किया गया है। नालन्दा, तक्षशिला और विक्रमशिला इसके उदाहरण थे। फिर से ये विश्वविद्यालय उसके आधार बन सकें, मध्यम मार्ग से चलते हुए हम विज्ञान की भी प्राप्ति करें। यहां मैं राजीव जी का जिक्र जरूर करना चाहूंगी। राजीव गांधी जी ने इसी सपने के अनुरूप सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना भारत में की। उसी के अनुरूप विश्व में इंडिया के शोज कराए, उनमें उनका तात्पर्य यही था कि केवल हमारी परफार्मिंग आर्ट से हम आगे जाते हुए अन्य विधायों में भी अन्य देशों को अपनी संस्कृति, अपनी चेतना, अपनी गति, अपना संगीत जो हमारी संस्कृति है, उसके दर्शन करा सकें। उनका सपना उस काल में भी पूरा हुआ और आज यू.पी.ए. सरकार प्रतिबद्धता के साथ उस सपने को जिसमें गांधी जी का भी सपना है, जिसमें हमारे मूल्यपरक उस युग के, उस सांस्कृतिक विरासत के वैदिक सपनों का भी सार है, उन्हें लेकर चल रही है। ऐसे अतुल्य, ऐसे अनुपम विश्वविद्यालय के लिए जो यह बिल पेश किया गया है, उसमें हमारी शुभकामनाएं भी हैं और इस बिल के लिए यू.पी.ए. सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे नालन्दा विश्वविद्यालय विधेयक 2010 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। भाई शाहनवाज जी का भाषण मैंने सुना। उन्होंने प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालय के बारे में, वहां से जो तमाम हमारी पूर्व विभूतियां हुईं, उनके बारे में बड़े विस्तार से बताया। इसी तरह बहन गिरिजा व्यास जी का भाषण भी बहुत अच्छा रहा। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे हम लोग किसी विश्वविद्यालय में बैठे हैं और गिरिजा व्यास जी व्याख्यान दे रही हैं। उन्हें सुनना मन को बहुत भाया।

भारत की संस्कृति और सभ्यता की कोई मिसाल नहीं है। सर्वभौम पंचशील को मानने वाला यह देश जो विश्व में अपना एक स्थान रखता है। यहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था, जैसा पहले लोगों ने कहा और विदेशियों ने भी कहा था कि भारत सोने की चिड़िया है, यह सत्य बात

है। यहां की प्राकृतिक धरोहर की कोई मिसाल अन्य देशों में नहीं है। बहुत विस्तार से बहन गिरिजा व्यास जी ने और भाई शाहनवाज जी ने अपनी बात रखी।

मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी कुछ बातें कहना चाहूंगा। दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख शिक्षा केन्द्र नालन्दा विश्वविद्यालय रहा है। जिसे पुनर्जीवित करने के लिए यह विधेयक यहां पेश किया गया है। जनवरी 2007 में दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, थाईलैंड में इस पर अन्य देशों के साथ विचार किया गया। उसमें यह कहा गया था कि बौद्धिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक अध्ययन का केन्द्र नालन्दा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया जाए। इस पर जिन देशों ने सहयोग देने की बात कही, उनका भी आज सदन के माध्यम से हम लोग आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे।

जहां तक देखा गया है, खासकर यह विश्वविद्यालय जो पुनर्जीवित किया जा रहा है बिहार में, तो वहां की स्थानीय सरकार ने तुरंत इसके लिए 500 एकड़ जमीन अधिग्रहित करके केन्द्र को देने का काम किया है। नालन्दा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय संस्था का केवल एक ही संकल्प है कि दक्षिण और पूर्व एशिया को जोड़ने वाली 21वीं सदी की शिक्षा को किस प्रकार से पुनर्जीवित कर दें, एक साथ कर दें।

बौद्धिक मिलन का एक स्थल नालंदा विश्वविद्यालय को हम पुनर्जीवित करने जा रहे हैं। इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था तथा आध्यात्मिक दर्शन को जोड़ने वाला, पुरातन एवं आधुनिक चिंतन को समाहित करने वाला, यह अनुसंधानात्मक विश्वविद्यालय होगा, जो अपने आप में एक मिसाल होगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक तरीके से यह मॉडल विश्वविद्यालय बनेगा, जो पी.पी.पी. विश्वविद्यालय होगा। राजगीर नामक जगह पर, 500 एकड़ जमीन को अधिगृहीत करके, इसका निर्माण कार्य शुरू कराया जा रहा है। पूरे विश्वविद्यालय के निर्माण में 1005 करोड़ रुपये खर्च होंगे और मैं केन्द्र सरकार को मैं बधाई दूंगा कि 50 करोड़ रुपये का बजट अभी उन्होंने इसके लिए स्वीकृत किया है। विश्वविद्यालय के बिल की कॉपी अभी मैं देख रहा था, उस गवर्निंग बॉडी में विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय और बिहार राज्य के प्रतिनिधि भी उसमें होंगे। अभी शाहनवाज भाई यह कह रहे थे कि वहां के स्थानीय एमपीज को भी उसमें सम्मिलित किया जाए। यह बात सही है कि हमने यहां बहुत सी कमेटियां बनाई हैं, गवर्निंग बॉडीज बनाई हैं और उनमें स्थानीय सांसदों को भी समाहित किया गया है। माननीया गिरिजा व्यास जी ने भी इसका समर्थन किया है कि ऐसा होना चाहिए, ताकि उसका मैनेजमेंट सुचारू रूप से और अच्छी तरह से चल सके। यह बात उसमें होगी।

हमारे इलाहाबाद में भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, उसमें भी हमारे स्थानीय सांसद वहां हैं, वहां उसमें दो सांसद हैं और मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। उस विश्वविद्यालय की पढ़ाई के बारे में बड़े विस्तार से बात हुई है कि पर्यावरण, भाषा, साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शांति, अध्ययन और इतिहास, बौद्धधर्म दर्शन की तुलनात्मक शिक्षा पर जोर होगा और ऐसी शिक्षा वहां पर दी जाएगी। इसमें चाहे हमारे वैदिक, सांस्कृतिक, आधुनिक और प्राचीन जो भी हमारे शास्त्र थे, उनका समावेश करके, हम उस विश्वविद्यालय में एक नयी शुरुआत करेंगे। बहुत से हमारे शास्त्रों का विलोप हो गया था, उन्हें भी पुनर्जीवित करने का एक रास्ता इसमें निकलेगा। नोबल पुरस्कार विजेता आमर्त्यसेन जी की अगुवाई में परामर्शदात्री समिति जो गठित हुई है, यह एक बहुत अच्छी बात है कि उसमें विद्वतजन भी हैं। मेरे ख्याल से यह बहुत जल्दी बन जाएगा। एक सुझाव और आया है कि बौद्ध धर्म के गुरू, जिन्होंने हिंदुस्तान से हमेशा संबंध स्थापित करने की कोशिश की है, दलाई लामा जी को भी अगर उसमें रखा जाए, तो बहुत अच्छा होगा। यह मेरा सुझाव है।

भारत के बौद्ध सर्किट से जुड़ने और पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार ने और स्थानीय सरकारों ने बहुत प्रयास किये हैं। उसी कड़ी में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जन्म हो रहा है और यह उसी कड़ी की एक रूपरेखा है। यह विश्वविद्यालय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित होगा, जिसमें सबसे बड़ा फंड केन्द्र सरकार का होगा। अन्य देश भी उसमें मदद करेंगे, लेकिन भारत मेजबान देश है, उसे पहल करनी चाहिए और यह अच्छी बात है।

अभी बहन गिरिजा व्यास जी ने अपने उद्‌बोधन में एक बात कही है कि आज के वर्तमान विश्वविद्यालयों में तमाम ऐसे झगड़े हैं, उसके बिल लेकर हमारे सम्माननीय मंत्री जी अभी आयेंगे।

सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे इस प्रकार से बहुत से प्राचीन विश्वविद्यालय हैं, उन्हें सुदृढ़ और पुनर्जीवित करने की जरूरत है। वहां की स्थिति बहुत दयनीय है। विदेशी विश्वविद्यालय के

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

लिए जैसा कहा कि एजुकेशन हब यहां लाएंगे, मेरे ख्याल से यह उचित नहीं होगा। हमारे यहां इतने विश्वविद्यालय हैं कि अगर उनकी मैनेजमेंट व्यवस्था, जैसे इलाहाबाद को मिनी ओक्सफोर्ड कहा जाता था, आज उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। आज वहां बहुत दिक्कतें हैं, जिन्हें सुधारने की जरूरत है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि विदेशी विश्वविद्यालय का सपना न देखकर, बल्कि अपने यहां के विश्वविद्यालयों को अगर पुनर्जीवित किया जाए, तो बहुत अच्छी बात होगी।

इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो बात आई है, अगर नालंदा को ले रहे हैं, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी पुनर्जीवित किया जाए। इसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. बलीराम (लालगंज): सभापति जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता, साइंस और टेक्नोलोजी दुनिया के देशों में सबसे विकसित रही है। हम जो विधेयक लाए हैं, नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित, यह हमारी संस्कृति और सभ्यता तथा देश की धरोहर रहा है। अभी हमारे शाहनवाज भाई बता रहे थे कि वह सिर्फ बिहार की धरोहर है। यह केवल बिहार की ही धरोहर नहीं है, बल्कि इससे हमारे देश की पहचान होती है। जहां दुनिया के देशों के लोग हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को सीखने के लिए, साइंस और टेक्नोलोजी जानने के लिए यहां आते थे। हमें खुशी है कि यह विधेयक लाया गया है, यह सचमुच हमारी संस्कृति और सभ्यता को अक्षुण्ण बनाने के लिए लाया गया है, लेकिन इस विधेयक को लाने में विलम्ब हुआ है। आजादी के बाद से ही इस विधेयक को लाना चाहिए था, लेकिन अब लाया गया है, तो निश्चित रूप से इससे पूरे भारतवर्ष का गौरव जुड़ा हुआ है। चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, चाहे तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, ये हमारी धरोहर रही हैं इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो शिखर सम्मेलन हुए हैं, चाहे वे थाईलैंड में हुए हों, चाहे वे फिलीपीन्स में हुए हों और लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय को जो पुनर्जीवित करने की बात कही है, उसे स्थापित करने की बात कही है, वह बहुत अच्छी है। बिहार सरकार ने पांच सौ एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है तथा पांच सौ एकड़ जमीन और उपलब्ध कराने की योजना है। हमारी भारत सरकार ने 50 करोड़ रुपया देकर उसे संचालित करने की योजना बनाई है। निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे, हमारी संस्कृति और सभ्यता को यह अक्षुण्ण बनाएगी। इसमें जो देश पार्टनरशिप के तहत सम्मिलित हो रहे हैं, चीन भी, जहां सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट हैं, वह भी इसमें सम्मिलित हो रहा है, थाईलैंड और बैंककाक भी सम्मिलित हो रहे हैं। तमाम देशों के लोग जो पूर्व में शिखर सम्मेलन हुए हैं, वे आज यहां आ रहे हैं।

हम इतना निवेदन करेंगे कि इसमें हमारे भारत के लोगों की ज्यादा सहभागिता होनी चाहिए क्योंकि यह बिहार में स्थापित हो रहा है और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। भारत का ज्यादा धन भी लगेगा और जहां तक अनुमान लगाया गया है कि 1005 करोड़ रुपये से इसका पूरा विस्तार हो जाएगा। आज इस बात की जरूरत है कि जो यहां हमारे बौद्ध हैं, अध्ययन केन्द्र हैं, दर्शन शास्त्र और धर्म, इतिहास, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध और शांति प्रबन्धन, भाषा, साहित्य और पर्यावरण है, निश्चित रूप से इससे हमारा देश विकसित होगा और आज जब हम इसे बड़े पैमाने पर स्थापित करेंगे तो यहां के लोग ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जाना और तमाम दूसरे देशों में जो इस तरह के विश्वविद्यालय हैं, वहां लोग जाना भूल जाएंगे क्योंकि नालंदा में तो दूसरे देश के लोग आकर विद्या ग्रहण करते थे। लेकिन इस देश के ऊपर तमाम आक्रमण हुए हैं। उस आक्रमण में हमारे ये विश्वविद्यालय नष्ट हो गये थे लेकिन आज इस विधेयक के लाने से खुशी हो रही है कि कम से कम हमारी भारत सरकार इस तरफ पहल कर रही है कि कैसे हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को, साइंस और टैक्नोलॉजी को अभूतपूर्व बनाने के लिए प्रयास करें। इसलिए हम इस विधेयक का अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन करते हैं।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस 15वीं लोक सभा में नालंदा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं और मेरे लिए और मेरे समस्त क्षेत्र के वासियों के लिए अति गौरव की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय वहीं पर बन रहा है जहां पर प्राचीन विश्वविद्यालय था। मैं अपनी पार्टी जनता दल यूनाईटेड की तरफ से नालंदा विश्वविद्यालय के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्यसभा ने 21-08-2010 को

ही इस विधेयक को पास कर दिया था। अब यह लोक सभा में मंजूरी के लिए आया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस विधेयक को तैयार किया है और इस पर आम सहमति बनी। 25 अक्तूबर, 2009 के शिखर सम्मेलन में इस पर आम सहमति बननी थी। मैंने भी एक वर्ष पहले इसी जुलाई के महीने में लोक सभा में शून्यकाल में नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्स्थापना के मामले को उठाया था। यह जवाब केन्द्रीय विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने भी दिया था और कहा था कि अगले विधेयक में इसे लाया जाएगा। मैं केन्द्रीय सरकार के इस कदम की सराहना करता हूं। 427 ईसवीं में बना नालंदा विश्वविद्यालय 1197 ईसवीं तक रहा। लगभग 650 वर्ष मानवता की सेवा की। उस समय के राजा ने इसके वित्तीय प्रबन्धन के लिए 100 गांवों से प्राप्त राजस्व को भी दिया करते थे। उसका पूरा राजस्व विश्वविद्यालय के लिए होता था। जैसा कि बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन, दर्शन शास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, धर्म, इतिहास एवं शांति प्रबन्धन, भाषा साहित्य और पर्यावरण जैसे विषयों के स्कूल होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर लगभग 1005 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रस्तावित नालंदा विश्वविद्यालय को चलाने के लिए दिल्ली में एक परियोजना कार्यालय बनाया गया है। विधेयक के संसद में पारित होते ही यह कार्यालय काम करने लगेगा। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आयोजक देश के रूप में भारत शुरुआती चरण में अधिक योगदान करेगा। योजना आयोग ने विशेष अनुदान के रूप में 50 करोड़ रुपये का आबंटन किया है। बाकी अन्य देश के सदस्य बिहार सरकार ने नालंदा के लिए इस विश्वविद्यालय के लिए लगभग 500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है।

अपराह्न 5.00 बजे

जिस जगह भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उस जगह ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय था। आज भी वहां नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष मौजूद हैं और देखने लायक हैं। मैंने भी इसका अध्ययन किया है। प्रस्तावित नालंदा विश्वविद्यालय के लिए और 500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना है। बिहार सरकार इसे कर रही है और इसके लिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतिश कुमार जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। उनके अथक प्रयास से वर्ष 2007 में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास कराया और जल्द से जल्द किसानों को मनाकर भूमि अधिग्रहण करवाया। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं नालंदा संसदीय क्षेत्र से लोक सभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और स्वयं नालंदावासी हैं। मुख्यमंत्री जी बौद्ध धर्म और दर्शन से विशेष रूप से प्रभावित हैं। इनकी बौद्ध धर्म और दर्शन में विशेष रुचि की वजह है क्योंकि वे मानते हैं कि इससे ही देश में मानवता का कल्याण हो सकता है। महात्मा बुद्ध का सत्य और अहिंसा का संदेश लेकर राष्ट्रपिता ने भारतवर्ष को अंग्रेजों की दासता से मुक्त करवाया था। मुख्यमंत्री जी ने बौद्ध तीर्थ स्थान, बोधगया जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, का आधुनिकीकरण करवाया है और सड़कों को नया रूप दिया है। खास तौर से 28 जून, 2007 को केंद्र सरकार ने नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन की अध्यक्षता में नालंदा परामर्शदाता समूह गठित किया था जिसे नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्स्थापना को लेकर अपनी रिपोर्ट अगस्त, 2010 तक देने को कहा था। प्रो. सेन और माननीय विदेश मंत्री श्री कृष्णा जी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में जो भी किया, वे इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। यहां सभी बौद्ध देशों के धर्म विहार और पूजा स्थल हैं। बिहार सरकार वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। यहां महाबोधि मंदिर है, इसके लिए भी बिहार सरकार विशेष प्रबंध करती है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय की परिसर एवं विद्यार्थीगण की सुरक्षा का जिम्मा भी बिहार सरकार ने लिया है।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र के उन सभी किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने 500 एकड़ भूमि दी है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि जिन किसानों की जमीन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिग्रहीत होगी, उनके बच्चों को इसमें पढ़ने के लिए विशेष रियायती व्यवस्था की जाए। इसके साथ मैं यह भी मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र का कोई भी विद्यार्थी जो यहां पढ़ने की इच्छा व्यक्त करता है उसे विशेष छूट प्रदान की जाए या स्कालरशिप दी जाए। मेरा संसदीय क्षेत्र काफी पिछड़ा और अल्पसंख्यक इलाका रहा है। मेरी मांग है कि इस विश्वविद्यालय में जो भी दुकानें, मार्किट या कॉम्प्लेक्स बनाए जाएं, वह निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को दिए जाएं। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत पुराना है। इसमें 10,000 छात्र और 2000 शिक्षक थे। पुस्तकालय में जितनी पुस्तकें थीं वे सभी शिक्षकों द्वारा लिखी गई थीं। यहां पर चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे और उन्होंने अपनी यात्रा के वृत्तांत में इस विश्वविद्यालय का जिक्र किया था। अभी भी नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग म्यूजियम है

[श्री कौशलेन्द्र कुमार]

जहां प्राचीन विश्वविद्यालय के इतिहास को दोहराने संबंधी जानकारी है। यहां नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर और म्यूजियम भी है। लेकिन अभी भी राजगीर, घोड़ा, कटोरा, दामनखंधा इत्यादि कई ऐसी जगह हैं जहां प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर थे। इसके आसपास ताम्रपाषणिक काल के अवशेष मिले हैं। इसके उत्खनन की जरूरत है ताकि नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास को और दिखाया जा सके। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि प्रोजेक्ट नालंदा बनवाकर प्राचीन नालंदा परिसर एवं उसके आसपास राजगीर, घोड़ा, कटोरा, दमनखंधा का उत्खनन कराया जाए ताकि हम प्राचीन नालंदा के इतिहास से परिचित हो सकें। नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई होने से इसके पूरे इतिहास एवं संस्कृति से सारा विश्व परिचित हो सकेगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था तथा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जला दिया था। जिसके बारे में कहा जाता है कि छः महीने तक जलता रहा था। जो इस बात का प्रमाण था कि पुस्तकालय में कितनी अधिक किताबें थीं। कहा जाता है कि पुस्तकालय नौ मंजिला था। जिस समय वह विश्वविद्यालय ध्वस्त हुआ था, तभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही थी। तब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का जन्म भी नहीं हुआ था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से नालंदा को पूर्वी और एशियाई के मुख्य शिक्षा केन्द्र के रूप में फिर से स्थापित किया जायेगा और इसे भारत के बौद्ध सर्किट से जोड़ा जायेगा। इससे पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा, चूंकि इसमें सारे विश्व से छात्र और अनुसंधानकर्त्ता आयेंगे।

बिहार के माननीय मुख्य मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी ने यह भी कहा है कि जब तक विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होगी, तब तक राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर विश्वविद्यालय के काम के लिए भेजेंगे। विश्वविद्यालय के शासी निकाय में विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन विकास विभाग के अलावा बिहार सरकार के प्रतिनिधि होंगे, यह जानकारी भी दी गई है।

मेरा एक सुझाव है कि इसमें स्थानीय स्तर पर सांसदों को भी रखा जाए। अन्त में मैं प्रो. गोपा सब्बरवाल, अध्यक्षा समाज विज्ञान विभाग, लेडी श्रीराम महाविद्यालय, नई दिल्ली को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके जैसे अनुभवी प्रोफेसर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे। मैं आशा करता हूं कि प्रो. गोपा सब्बरवाल के निर्देशन में विश्वविद्यालय दिन दोगुना, रात चौगुनी तरक्की करेगा।

[अनुवाद]

शेख सैदुल हक (वर्धमान दुर्गापुर): माननीय सभापति, इस अति महत्वपूर्ण विधेयक - अर्थात नालन्दा विश्वविद्यालय विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह विधेयक 2007 में हुए द्वितीय पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और 2009 में हुए चतुर्थ पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में बौद्धिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्ययन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु लिए गए निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए लाया गया है। नालन्दा का एक उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में पुनरुद्धार करने के लिए भारत सरकार ने नोबल पुरस्कार विजेता, प्रो. अमर्त्य सेन की अध्यक्षता में एक नालन्दा परामर्शदाता समूह का गठन किया है।

महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हम भारतीयों को शिक्षा, संस्कृति, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अपनी दीर्घकालीन विरासत पर गर्व है। हमारी एक प्राचीन सभ्यता है। हमने मानव सभ्यता के विकास और उसके उत्थान के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे अंदर विभिन्न प्रवृत्तियां आई हैं। हमने उन प्रवृत्तियों को आत्मसात कर लिया है और उसके आधार पर हमने उन्नति की है। मैं रबीन्द्र नाथ टैगोर के शब्द उद्धरित करता हूं:

'शक, हूण, दल, मुगल, पठान - ऐक देहे होलो लीन' इसका अर्थ है कि शक, हूण, दल, मुगल और पठान सब आए और भारत का अंग बन गए। वे सभी भारतीय बन गए। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत महा मिलानर सागर तीर्थगा है जिसका अर्थ है कि भारत विभिन्न संगमों का पवित्र महासागर है। आत्मसात करने की यह भावना और धार्मिक सहिष्णुता ही है जिसका हमने विश्वभर में प्रतिनिधित्व किया है।

अतीत में, नालन्दा ने 800 वर्ष पूर्व यही कार्य किया था और 800 वर्ष अथवा अधिक तक नालन्दा - जैसा कि ह्यूण सांग, जो यहां सातवीं सदी में आया था, ने वर्णन किया है - केवल एक ज्ञान का मंदिर ही नहीं था बल्कि सहिष्णुता का भी सर्वोच्च मंदिर था। आज हमें इस धार्मिक सहिष्णुता का ही आश्रय लेना होगा। अतः, नालन्दा विश्वविद्यालय को पुनः आरंभ करने में हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए।

भारत में अन्य महान विश्वविद्यालय भी थे जैसे विक्रमशिला और तक्षशिला। नालन्दा विश्वविद्यालय सर्वोत्कृष्ट

था। यह ज्ञान के क्षेत्र में भारत की ख्याति का अन्तर्राष्ट्रीय प्रतीक था। संभवतः यह प्रथम विशाल शिक्षा संस्था थी। इस महाविद्यालय में महान बुद्ध इसके आंगतुक और पुराने विद्यार्थी में गिने जाते हैं। जब यह महाविद्यालय अपने चरम पर था तब इसमें 10,000 छात्र और 2,000 प्राध्यापक थे। इसे वास्तुकला का बेजोड़ नमूना बताया गया है जिसमें दस मंदिर, नौ-मंजिला पुस्तकालय - जिसमें भिक्षु हाथ से पुस्तकों की प्रतिलिपि तैयार करते थे - और झीलें, उद्यान और छात्रावास थे। पूरे देश के अलावा कोरिया, जापान चीन, पर्शिया, तिब्बत और तुर्की से भी छात्र यहां आते थे।

नागार्जुन यहां आये और इससे संबद्ध रहे। नागार्जुन की अवधारणा मध्यामक अर्थात मध्य मार्ग, नालन्दा के पाठ्यक्रम का अंग था। यह न केवल बौद्ध शिक्षा का बल्कि चिकित्सा, भाषा, दर्शन और विज्ञान का भी केन्द्र बिन्दु था। नाभिकीय भौतिकविद्, राजा रमन्ना ने बताया कि वे नागार्जुन की एक पुस्तक में क्वांटम भौतिकी और सापेक्षता की अवधारणा को पाकर आश्चर्यचकित थे। यहां तक कि अरबी लोग भी, जो अरबी अंकों और शून्य की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं, इसे खोजने का श्रेय भारतीयों को देते हैं।

ऐसी खोजें नालन्दा जैसे विश्वविद्यालय के आधार से की गई थी। आज यह विख्यात शिक्षा केन्द्र भग्नावस्था में है।

वर्ष 1193 में तुर्की सेनापति, बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया था और इसके पुस्तकालय को जला दिया था यह हमारे इतिहास की एक भयावह घटना थी। बख्तिार खिलजी ने नालन्दा को नष्ट कर दिया और उसके पुस्तकलाय को जला दिया। परन्तु, वह भारत की मूल नैतिकता को नष्ट नहीं कर सका जिसका प्रतिनिधित्व नालन्दा करता था। नालन्दा की उपलब्धियों को कोई भी कभी नष्ट नहीं कर सकता।

अब, इस महान अध्ययन के केन्द्र का पुनरुद्धार एक अच्छा निर्णय है। यह प्रस्तावित विश्वविद्यालय मिस्र के अल-अजहर विश्वविद्यालय, ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और अमेरिका के हारवर्ड विश्वविद्यालय जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों से भी संबंध स्थापित करेगा। लेकिन, हमें याद रखना चाहिए कि नालन्दा उस समय ऑक्सफोर्ड अथवा हार्वर्ड नहीं था। बल्कि हमें यह कहने में गर्व होना चाहिए कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड आज वे हैं जो नालन्दा उस समय था।

इस प्राचीन शिक्षा केन्द्र के पुनरुद्धार में हमें यह स्मरण रखना होगा कि हमारा कार्य केवल अतीत के गौरव की पुनर्स्थापना नहीं बल्कि भविष्य के गौरव को सामने लाना है। नालन्दा को वस्तुतः भविष्य के गौरव को निर्माण का प्रतिनिधि होना चाहिए। प्रो. अमर्त्य सेन ने कहा है कि इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य पूर्व एशिया के भावी नेताओं को जो अपने अतीत से जुड़कर एक दूसरे के दृष्टिकोणों को समझने के प्रति अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं, एक साथ लाकर क्षेत्रीय शांति और मूल दृष्टिकोण के समवर्द्धन को बढ़ावा देने में योगदान देंगे।

येल विश्वविद्यालय के येल स्कूल ऑफ मैनेजमेन्ट के प्रोफेसर श्री जेफरी गार्टन ने ठीक ही कहा है कि: "एक नवीन नालन्दा वैश्विक विषय में ऊर्जा का संचार करने के लिए राष्ट्रीयताओं और संस्कृतियों के संगम के लिए एक मानदंड स्थापित कर सकता है...आज, यह एक वैश्विक धार्मिक मैत्री के प्रति समर्पित संस्था बन सकता है।" इसके अलावा, विवेकानन्द ने भी शिकागो में यही कहा था। उन्होंने कहा था: "अपने धर्म के लिए किसी दूसरे के धर्म को नष्ट न करें, और प्रत्येक धर्म में संगम का संदेश होना चाहिए न कि विनाश का।" मेरे विचार में नालंदा इसी बात का प्रतीक था।

अतः, नालन्दा स्थल के निकट नया विश्वविद्यालय बनाने के विचार में तीन चीजें सुनिश्चित होनी चाहिएं। पहली बात, यह कि बौद्ध शिक्षा, दर्शन, विज्ञान, साहित्य और भाषा तथा पर्यावरणीय अध्ययन पर जोर देते हुए उच्च शिक्षा का उत्कृष्ट केन्द्र होना चाहिए।

दूसरी बात, यह प्राचीनता का पुनरुद्धार होना चाहिए अर्थात कम से कम प्रतीकात्मक रूप से ही सही, यह भारतीय शिक्षण की भावना से जुड़ा हो और लगभग ठीक उसी स्थल पर होना चाहिए जहां प्राचीन विश्वविद्यालय था। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसकी वर्तमान वास्तुकला भी उसी प्राचीन महानता अर्थात् इसकी उत्साहवर्द्धक वास्तुकला को प्रतिबिंबित करे।

तीसरी बात, प्राचीन नालन्दा एक वैश्विक पहचान था जहां विभिन्न देशों से विद्वान आते थे। इस प्राचीन विद्या केन्द्र में अनेक देशों, विशेषतः पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सहयोग और अनेक हित समूहों के हित जुड़े होने के कारण इस नए विश्वविद्यालय के लिए वैश्वीकृत

[शेख सैदुल हक]

दुनिया में स्वयं को नए भारत के प्रतीक के रूप में स्थापित करने का पूरा अवसर है।

यह नया विश्वविद्यालय एक गैर राज्य-अलाभकारी, धर्म निरपेक्ष और स्वायत्तशासी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था होगा। इसलिए, मैं सोचता हूं कि यदि इस विश्वविद्यालय का नाम 'नालन्दा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होता तो बेहतर होता। मैं समझता हूं कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में नालन्दा मानवतावाद, सहिष्णुता, विवेक, विचार की स्वतंत्रता और सत्य की खोज का प्रतीक होगा। यहां अनेक महान व्यक्ति आए, शिक्षा प्राप्त की और वापस लौट गए। वे अपने साथ कुछ ज्ञान भी लाए और उसे हमने ग्रहण किया। इसका अर्थ है कि हमें चारों ओर से उत्तम ज्ञान और उत्तम विचार मिले।

रबीन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में: "देबे आर नेबे, मिलाबे मिलिबे।" इसका अर्थ है कि "हम देंगे, हम लेंगे, और हम सबको जोड़ेंगे।" प्राचीनकाल में नालन्दा इसी बात का प्रतीक था। इस नए नालन्दा विश्वविद्यालय को भी वही भूमिका निभानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ ही, मैं समाप्त करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): धन्यवाद महोदय। सर्वप्रथम, मैं पूरे मन से अपनी सरकार के सत्यनिष्ठ प्रयास का समर्थन करता हूं और सभी भारतीयों को गर्व होगा कि आज पहली बार संप्रग की सरकार ने इस देश के लिए कुछ अच्छा करने का सोचा है...*(व्यवधान)*

मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि शिक्षा के अधिकार की असफलता और कई प्रकार की सत्यनिष्ठ स्वीकारोक्तियों के बावजूद, किसी प्रकार देश की प्रगति में, नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है।

महोदय, गत वर्षों में, भारत ने श्री अरबिंदो, विवेकानंद जैसे कई महान विचारक देखें है जिन्होंने धर्म, जाति, नस्ल और वर्ण से ऊपर उठकर भारत की ऐसे देश के रूप में परिकल्पना की जिसकी नियति आध्यात्मिकता के विश्व में इस विश्व का नेतृत्व करना था। श्री अरबिंदो ने एक छोटा उदाहरण दिया जिसे वह इस पृथ्वी पर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से व्यक्त करना चाहते थे जो पुडुचेरी स्थित श्री अरबिंदो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र में व्यवहार में लाया जाता है जहां मुझे कुछ वर्ष व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

महोदय, नालंदा विश्वविद्यालय इस देश में उच्चस्तरीय शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ कार्यरत है। यह केवल श्री शाहनवाज के विक्रमशिला अथवा तक्षशिला तक सीमित नहीं था बल्कि पहले बिहार और उड़ीसा के रूप में जाना जाता था अथवा मैं पहले इसे उड़ीसा और बिहार रखूंगा, यह मानवता की पूर्ण जटिलता हुआ करता था जहां अध्ययन विश्व के इस भाग में अपने शिखर पर था।

मुझे गर्व है कि हम ऐसे देशों से जुड़े हैं जिसने इस विश्व को सबसे पहले विश्वविद्यालय दिए। जब नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्व के फतियम भाग में चल रहे थे तो उनके साथ-साथ समवर्ती रूप से, पुष्पगिरि विश्वविद्यालय भी था जिसके बारे में ह्वेनसांग, फाई क्षण ने अपने लेखों में लिखा है कि वह नालंदा से पहले अस्तित में आया ऐतिहासिक रूप से यह सिद्ध तथ्य है, पुष्पगिरि बिहार विश्व में शिक्षा का शीर्षस्थ केंद्र था। यूनान, पर्शिया भारत-चीन, चीन और विश्व के कई स्थानों से लोग यहां पर अध्ययन और अध्यापन करने और अपने देश में शिक्षा ले जाने के लिए आए।

हम जानते हैं कि जब ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था और जब वे पुनर्जीवित हो गए थे, इस बीच की अवधि में यह कहा जाता है कि वह पूर्व में आए, वह भारत में आए। किसी ने कहा कि पैगंबर ने यह उल्लेख किया था कि उन्होंने अपने जीवन में सार रूप में जो ज्ञान प्राप्त किया वह पूर्व से प्राप्त किया था।

इस पृष्ठभूमि में, इस विधेयक का समर्थन करते हुए और अपने भाषण को यथासंभव संक्षिप और निश्चित बनाने का प्रयास करते हुए मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह हमारी शिक्षा पर नजर डालें जैसी आज वह है। वर्ष 2007 और 2009 की पूर्व एशिया शिखर सम्मेलनों के समझ से इतने अन्य देशों ने भारत में अपना भरोसा व्यक्त किया है कि यह संभवत: वह देश है जहां उच्च शिक्षा का आधार तैयार किया जा सकता है वहां हमारा सत्यनिष्ठ कर्त्तव्य है कि हम अपने सभी पड़ोसी देशों की इस आशा को पूरा करें। हम सब जानते हैं कि हमारे अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं। मंत्री जी को उस सही काम के लिए बधाई दी जानी चाहिए जो उन्होंने शिक्षा के माध्यम से उठाया है हम शिक्षा के माध्यम से बंधन बना सकते हैं, और तार बनाकर अपने पड़ोसियों के साथ तार जोड़ सकते हैं जो कि अधिक शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और समान एशिया का निर्माण करने में दूर तक जाएंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लागू की गई - लुक ईस्ट पालिसी की हम सब को सराहना करनी होगी। यह कहते हुये कि हम यह भी जानते हैं कि महात्मन बौद्ध धर्म वज्रयाम तत्व - जिसके प्रमुख वर्तमान दलाईलामा हैं - की शुरुआत पुष्पगिरि विहार में हुई थी जिसका आधार उड़ीसा में है। यदि हम नालंदा का विचार करें तो यही उचित होगा कि हम पुष्पगिरि विहार पर एक परिसर के रूप में विचार करें जो कि इस शिक्षा केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र का भाग होना चाहिए।

ये केवल येल अथवा कैम्ब्रिज अथवा हारवर्ड नहीं है। जिनका हमें अधिक ध्यान रखना चाहिए। वहां केवल करोड़पति व्यक्तियों के बच्चे अध्ययन के लिए जाते हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में खुली छूट देना आवश्यक नहीं है। हम शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थे परंतु हम अपना रास्ता भटक चुके हैं। हम इतिहास की प्रक्रिया में अपना स्थान गंवा चुके हैं। मैं मंत्री महोदया को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने तरीके से समाज को अपनी प्रतिष्ठा दिलाने के बारे में पता लगाया है।

एक समय पर उपमहाद्वीप में केवल दो धर्म थे और वे सनातन धर्म और जैन धर्म थे। मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह रंजित और विभेदात्मक शब्द है। उसके बाद बौद्ध धर्म और सिख धर्म बने। परंतु जब ये दो धर्म, जीवन के ये दो पंथ - ये धर्म भी नहीं हैं परंतु जीवन के दो पंथ हैं जो इस उपमहाद्वीप में थे, यह शिक्षा की प्रक्रिया थी जिससे गुरू बने। यह रीतियों और रिवाजों में केवल अंधभक्ति नहीं थी।

यहां हर कोई जानता है कि समुद्री कार्यकलाप जो कि तत्कालीन कलिंग से हो रहे थे जो अब उड़ीसा का भाग है, उसने जैन धर्म और बाद में बौद्ध धर्म के भारतीय विचारों को सुदूर पूर्व और दूर तक अरब देशों में भी पहुंचाया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह वह अवधि थी जब भारत के अन्य भाग अंधकार में थे और अशिक्षित थे - मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं - और कुछ प्रकार से अविकसित थे। उस समय, जो क्षेत्र अब बिहार और उड़ीसा हैं उसने मानव मन को आलोकित किया।

मैं ह्वेनसांग के विवरण पर वापस जाऊंगा और इस सरकार से अनुरोध करूंगा - मैं यह मांग ऐसे नहीं करूंगा जैसा हमने कल सुना कि कोई भीख मांग रहा था - और कहूंगा कि श्री आरबिंदो और श्री विवेकानंद से कुछ शिक्षा ग्रहण करते हुए और जो कुछ ह्वेनसांग ने अपने विवरण में कहा उससे शिक्षातण करते हुए हमें उच्च शिक्षा का मिला जुला स्वरूप तैयार करना चाहिए जहां आपको पुष्पगिरि विहार और नालंदा दोनों साथ मिलें, और उत्कृष्टता केंद्र, शिक्षा केंद्र बनाएं जहां केवल भारत ही नहीं बल्कि बर्मा नामक म्यांमार, थाईलैंड, कम्बोडिया, वियतनाम, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के छात्र और भावी पीढ़ियां यहां आने के लिए तथा यहां पढ़ने के लिये आकर्षित हों, जीवन की सच्चाई जानने, अध्यात्मिक उत्कृष्टता की बातें सीखने, केवल भौतिकवाद के विचार ही नहीं बल्कि उन विचारों को जानने के लिए भी आकर्षित हों जो हमारे आज के जीवन में सड़कों पर सामने आती है से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

अतः, मैं केवल यह अनुरोध करूंगा कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। मैं इस विधेयक का पूरे मन से समर्थन करता हूं, जोकि मेरे लिए और मेरे दल बीजू जनता दल के लिए महत्वपूर्ण है, वह भी इस विधेयक का समर्थन करता है। हम केवल यह चाहते हैं कि यहां पर एक परिसर और पुष्पगिरि विहार को भी इस परिसर में सम्मिलित किया जाना चाहिए और उसके साथ शाहनवाज हुसैनजी का तक्षशिला और निसंदेह नालंदा ...(*व्यवधान*) मेरा सुझाव है कि इस पर अति गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और हमें इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए।

श्री एस. सेम्मलई (सलेम): नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 पर बोलने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद। नालंदा विश्वविद्यालय न केवल एक प्रतिष्ठित संस्थान होगा जो न केवल बिहार की बल्कि पूरे राष्ट्र को गौरव और ख्याति प्रदान करेगा। यह हमारी शिक्षा प्रणाली के लिये एक उच्च सम्मान है। सर्वप्रथम, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

नालंदा परामर्शदाता समूह के प्रमुख श्री अमर्त्यसेन ने हाल ही में कहा था कि इस विश्वविद्यालय के स्थापित होने में अभी कुछ समय लगेगा। वित्तीय कठिनाईयों को लेकर उनके मन में आशंका है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का कुल व्यय 1000 करोड़ से 1500 करोड़ रुपये होगा। लेकिन योजना आयोग ने प्रारंभ में केवल 50 करोड़ रुपये अक्षयनिधि के रूप में संस्वीकृत किए है। मुझे पूरा विश्वास है कि केन्द्र और राज्य दोनों इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से योगदान करेंगे। मेरा मानना है कि हमारी इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने में धन कोई बाधा नहीं बनेगा।

[श्री एस. सेम्मलई]

नालंदा विश्वविद्यालय को एक एशियाई सहयोग के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है, जिसका निर्णय 2007 और 2009 में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलनों में लिया गया था। मेरा विचार है कि इस विश्वविद्यालय को पूरे पूर्व एशिया का विश्वविद्यालय बनाने के लिए अन्य पूर्व एशियाई देशों के सदस्यों को भी सम्मिलित करते हुए इस विश्वविद्यालय के शासी निकाय की संरचना का विस्तार करके और व्यापक बनाना उचित होगा। शासी निकाय में मानव संसाधन विकास विभाग से कोई प्रतिनिधि नहीं है। शासी निकाय के सदस्यों की संख्या भी और बढ़ायी जानी चाहिए। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से इस पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध करता हूं।

विधेयक को पढ़ने के बाद, मैंने पाया कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय के खंड 12 में विजिटर को बहुत अधिक शक्ति दी गई है। मैं माननीय मंत्री से यह पूछता हूं। क्या इससे विश्वविद्यालय की स्वायत्तता समाप्त नहीं हो जाएगी? खंड 9 में कहा गया है कि विश्वविद्यालय स्वायत्त होगा और शासी निकाय के प्रति उत्तरदायी होगा लेकिन खंड 12 के माध्यम से विजिटर को अध्यारोही शक्ति दी गयी है। खंड 12 में यह कहा गया है कि शासी निकाय के अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् विजिटर ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं और ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं और विश्वविद्यालय ऐसे निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होगा। शासी बोर्ड विजिटर के ऐसे निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होगा। मैं माननीय मंत्री से विश्वविद्यालय के संचालन में विजिटर या नामिति के अधिकारों को कम करने की संभावनाओं की जांच करने का अनुरोध करता हूं। इसलिए, इस खंड को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए।

अंत में, मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन तथा स्वागत करता हूं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द और शांति के लिए मार्ग प्रशस्त होगा तथा आने वाले दिनों में दक्षिण एशिया तथा विश्व में भी यह बहुत ही अभूतपूर्व उदाहरण सिद्ध होगा।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। मैं बिहार से आता हूं, नालंदा का क्या महत्व है, हम सभी जानते हैं, यह देश और दुनिया के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान प्राचीन काल से है, जिसके पुनरूद्धार की बात आज इस सदन में की जा रही है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्राचीन भारत के सबसे बड़े ज्ञान स्थल को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए इस सदन में बिल आया है। इसमें अवश्य थोड़ी सी परेशानी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय इनिशिएटिव के तहत यह कार्य हो रहा है। आजाद भारत के 63वें वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय इनिशिएटिव पर यह कार्य होने जा रहा है, जबकि यह केन्द्र की सरकार के द्वारा बहुत पहले ही होना चाहिए था। सन् 2007 और 2009 की दूसरी और चौथी पूर्वी एशिया शिखर बैठक के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए यह बिल सदन में पेश किया गया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 770 वर्ष, पांचवीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक यह विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख ज्ञान का केन्द्र रहा। जब 1197 में यह समाप्त कर दिया गया, दुःख है कि 812 वर्ष, बाद अर्थात् आठ शताब्दी बीत गईं, फिर से इसके पुनरूद्धार की बात तय करने में इतना वक्त बीत गया। हम सब खुशनसीब हैं कि जिस नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा हम सब आज तक अपने जीवन में सुनते आ रहे हैं, वह अपने स्वरूप में हम सब के सामने आएगा। हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, संयोग से बिहार में नालंदा खुला विश्वविद्यालय भी है, जो वहां के आम लोगों को शिक्षा का एक अवसर प्रदान करता है। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने प्राचीन भारत में दुनिया को संदेश दिया, जहां दुनिया के हर कोने से विद्यार्थी बन कर, जिज्ञासी लोग नालंदा में आते रहे हैं। आज फिर से दुनिया की चाहत उसी स्थान पर है, जहां प्राचीन काल में दुनिया के लोग आते थे, फिर से दुनिया के सभी देशों को वहां आने का अवसर मिले। उन लोगों को विश्वास है कि भारत का बिहार राज्य का यह स्थान जो ज्ञान का स्थल रहा है, यह फिर से वर्तमान में ज्ञान का स्थल बन सकता है।

सभापति महोदय, मैं इसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं कि बिहार की वर्तमान सरकार ने इसमें पांच सौ एकड़ जमीन एक्वायर करके दी है, पांच सौ एकड़ जमीन और भी लगेगी और हजार-करोड़ रुपए से अधिक खर्च आएगा। एक सामान्य बात मेरे जैसे व्यक्ति के दिमाग में आती है कि यदि हजार-करोड़ के व्यय में नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव वापस किया जा सकता है तो क्या भारत सरकार के लिए दुनिया के सामने आवश्यक है

कि वह सहयोग के लिए लोगों से कहे या दुनिया के लोगों को सहयोग के लिए आना पड़े।

सभापति महोदय, हमारे महान कवि ने कहा है कि जहां की पुस्तकों को जला दिया जाए तो समझो कि वहां की आबादी को जला दिया गया। आज संयोग से बिहार शिक्षा में इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। वहां पर सबसे निरक्षर लोग रहते हैं।

यदि 12वीं शताब्दी में यह घटना नहीं घटी होती तो बिहार इस देश के नक्शे पर इतने नीचे पायदान पर नहीं होता। उस समय इस ज्ञान के केन्द्र को समाप्त करना ही बिहार का आज का जो स्वरूप है, उसका कारण बन गया। लेकिन मुझे खुशी है कि अपने स्वरूप में बिहार अब धीरे-धीरे खड़ा हो रहा है।

मैं कोई राजनैतिक बात नहीं करना चाहता हूं, हमारे शाहनवाज साहब जो कह रहे थे, मैं उसका जवाब भी नहीं देना चाहता हूं, लेकिन जब इस विश्वविद्यालय का वर्तमान खड़ा होने जा रहा है तो संयोग से शाहनवाज जी के लोगों के जाने की बारी आ गई है। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि तीन महीने से सारे विश्वविद्यालय वहां बन्द थे, हम वहां पर इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने जा रहे हैं, हम प्राचीन गौरव को वापस करने जा रहे हैं, बिहार की सारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की इससे हमें वहां एक ताकत मिलेगी, हमें हमारा लक्ष्य मिलेगा और बिहार आगे बढ़ेगा।

इन विश्वविद्यालय के माध्यम से देश ही नहीं, दुनिया में भी धर्म, व्याकरण और अध्यात्म की बातें ही नहीं जाएंगी, बल्कि बिहार भी अपना गौरव वापस करेगा। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बिल को लाकर यू.पी.ए.-2 ने एक बड़ा काम किया है। बिहार को आगे ले जाने में, शिक्षा के क्षेत्र में यह मील का पत्थर साबित होगा।

इसी के साथ मैं बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री नरहरि महतो (पुरुलिया): नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इस पर विस्तार से नहीं बल्कि संक्षेप में चर्चा करूंगा।

कई सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है। मैं कहूंगा कि यह एक सम्माननीय विधेयक है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय ने हमारे देश को गौरव और ख्याति दिलायी। यदि हम प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली पर नजर डालें तो नालंदा विश्वविद्यालय की अवसंरचना को देखकर हमें आश्चर्य होगा। न केवल भारत से ही बल्कि निदेशों से भी छात्र नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। हम जानते हैं कि मनुष्य में शिक्षा पहले से मौजूद उसकी पूर्णता का संचार करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म हुआ। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य नालंदा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाना था। इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय महत्व के संस्था के रूप में जाना जाता है।

यदि हम इस शताब्दी में अपनी शिक्षा प्रणाली या शिक्षा अवसंरचना को विकसित करना चाहते हैं तो हमें नालंदा विश्वविद्यालय की प्राचीन शिक्षा प्रणाली का पुनः अध्ययन अवश्य करना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी मौजूदा शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। हम सभी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित संस्था थी जिसने भारत को गौरव और ख्याति प्रदान की। आज जब इस विधेयक पर चर्चा हो रही है मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षा और शिक्षा अवसंरचना से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा। मेरा अभिमत है कि एक शिक्षा संस्था को मात्र वित्तीय सहायता देना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि इसे एक महान संस्था बनाने के लिए समुचित सोच और तर्कपूर्ण विचार किए जाने की आवश्यकता है।

मेरा विनम्र सुझाव है कि इसके शासी निकाय का विस्तार किया जाना चाहिए। यह संस्था प्राचीन भारत में बहुत विख्यात थी।

महोदया, मैं इस पर विस्तार से चर्चा करना नहीं चाहता। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं जिस पर लोक सभा में पूरे मन से चर्चा हो रही है। बहुत-से माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है। माननीय मंत्री से मेरा विनम्र निवेदन है कि निकट भविष्य में प्रतिष्ठित संस्था की स्थापना की जाए और इसमें हमारी प्राचीन विरासत की प्रतिष्ठा को भी सम्मिलित किया जाए।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति जी, जो आलोच्य विषय है, नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सर्वप्रथम

[डॉ. भोला सिंह]

केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और वह हमारे शुक्रगुजार की हकदार है।

सभापति महोदय, जब राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि महर्षि हम दुनिया को कैसे देखते हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा कि जनक, हम दुनिया को सूरज की रोशनी से देखते हैं। फिर जनक ने पूछा कि महर्षि अगर सूरज नहीं होगा, तब कैसे देखेंगे? याज्ञवल्क्य ने कहा कि जनक, तब हम चांद की रोशनी से देखेंगे। फिर उन्होंने कहा कि यदि चांद भी नहीं हो, तब कैसे देखेंगे? उन्होंने कहा कि अंधेरे में जब हम एक-दूसरे को पुकारेंगे, तो दोनों की आवाज एक-दूसरे से मिलेगी, इस तरह से हम देखेंगे। उसने पूछा कि यह स्थिति भी नहीं हो, तब कैसे देखेंगे? याज्ञवल्क्य ने कहा जनक, तब हम आत्मा के दीप को जलायेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय कोई शरीर नहीं है। उसके साथ कोई स्थानीय पृष्ठभूमि नहीं है। वह सांस्कृतिक चेतना का आत्मदीप, संस्कृति और संस्कार है, जब हिमालय का पहाड़ बनता है, तब संस्कृति बनती है।

सभापति महोदय, बिहार सरकार ने जब विकास के कदम उठाए, तो हमने कहा कि केवल आर्थिक विकास होंगे, तो लंका बनेगी, आर्थिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विकास होंगे, तो अयोध्या बनेगी। इसीलिए राज्य सरकार ने आर्थिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विकास के कदम उठाए। किसी ने ठीक कहा है कि विगत नहीं मरता है, भूतकाल हमेशा भूत नहीं होता उससे वर्तमान का फल निकलता है और वह भविष्य का बीज होता है। मैं कहना चाहता हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय की किसी राज्य सरकार ने स्थापना नहीं की थी। नालंदा विश्वविद्यालय सामाजिक चेतना का फल था, नालंदा विश्वविद्यालय सामाजिक प्रबंधन का फल था। यह किस तरह से चला करता था? सभापति महोदय, जब ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंचा तो एक दरबान जो वहां दरवाजे पर खड़ा था, उसने रोका। ह्वेनसांग से उस दरबान ने कहा कि आपको अंदर जाने से पहले मेरे प्रश्नों का जवाब देना होगा। ह्वेनसांग ने कहा, पूछो। दरबान ने उससे प्रश्न पूछा और उसने जवाब दिया। ह्वेनसांग कहता है कि अरे, तुझे तो वाइस चांसलर होना चाहिए। तू दरबान बना हुआ है। उसने कहा मुझे नॉलेज है पर मेडिटेशन नहीं है। जो वाइस चांसलर होगा, उसे नॉलेज के साथ-साथ मेडिटेशन भी होना पड़ेगा। मैं नॉलेज रखता हूं, मेडिटेशन नहीं। मैं इन बातों को आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि आज विज्ञान में प्रगति हुई है, तकनीकी में प्रगति हुई है, दिमाग ने आसमान को स्पर्श किया है, पर हृदय के क्षेत्र में हम बहुत पीछे पड़ गए हैं। आज हम जो पढ़ते हैं, उस जमाने में उसके विपरीत कि हम क्या हैं, मनुष्य क्या है, हम कहां से आए हैं, इसका अध्ययन होता था। आत्मा को जानने के लिए आत्म को जानना जरूरी है। बिना आत्म को जाने हुए आत्मा को नहीं जाना जा सकता। बिना आत्मा को जाने हुए परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। इस संबंध में नालंदा विश्वविद्यालय ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक कदम उठाया था।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय में हजरत मूसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए। कहा जाता है कि हजरत मूसा के साथ-साथ क्राइस्ट भी आए। दुनिया की सारी सामाजिक, सांस्कृतिक भाषा इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती थी। आज बड़ा अंधेरा है, घुप अंधेरा है, हाथ को हाथ नहीं सूझता। हम बड़ी ऊंचाई पर हैं, लेकिन हार्दिक क्षेत्र में बहुत पीछे पड़ते जा रहे हैं। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना से भ्रातृत्व की भावना फैलेगी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना से हम दुनिया के देशों की परम्पराओं को जान सकेंगे, दुनिया के देशों की अंतर्कथा जान सकेंगे।...(*व्यवधान*) हम दुनिया की भाषाओं को जान सकेंगे। सभापति महोदय, इसलिए हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। न केवल नालंदा विश्वविद्यालय बल्कि तक्षशिला और विक्रमशिला ये हमारे सारी लाइट हैं। इन सबको हमें प्रज्ज्वलित करना है ताकि हमारा वर्तमान सुखद हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं केन्द्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद असरारुल हक (किशनगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे नालंदा यूनीवर्सिटी बिल, 2010 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस बिल की ताईद में खड़ा हूं और इसके लिए सबसे पहले दिल की गहराई से यू.पी.ए. सरकार को मुबारकबाद पेश करता हूं। वैदिक दौर से लेकर आधुनिक दौर तक का हिन्दुस्तानी इतिहास यह बताता है कि सियासी, सामाजी, मजहबी, अदबी और तहजीबी व सकाफती मैदानों में रियासत-ए-बिहार का मुकाम बहुत अहम रहा है। प्राचीन भारत की तारीखी अहमियत का तीन-चौथाई हिस्सा बिहार की तारीख से ही जुड़ा हुआ माना जा सकता है। बिहार महात्मा गौतम बुद्ध, महावीर, शर्फुद्दीन, यहैया, मुनेरी और

गुरु गोबिंद सिंह जी जैसे अहिंसा, कुर्बानी, बलिदान, रूहानियत, देश प्रेम और आला अमल व किरदार के आलम बरदारों की सरजमीं है। यह स्टेट संतों, सूफियों, आलिमों और ज्ञानों का केन्द्र रहा है। प्राचीन काल में इसने भारतीय जनता को एकता के सूत्र में बांधा, पंचशील के सिद्धान्तों को आम किया और उसे लोगों में फैलाया। मध्य काल में सूफी और संतों के जरिए शान्ति और नैतिकता का जबरदस्त प्रचार किया गया। बिहार शिक्षा, कला, मजहब-ओ-रूहानियत की धरती रही है। जहां नालंदा, विक्रमशिला और वोदन्तपुरी की यूनिवर्सिटीज में विज्ञान, दर्शन, भाषा शास्त्र, समाज शास्त्र, साहित्य, आयुर्वेद, तंत्र और कई दूसरे विषयों की तालीम के लिए हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों और विश्व के दूसरे देशों से शिक्षा और इल्म के प्यासे अपनी इल्म की प्यास बुझाने आते थे। नालंदा का मतलब ही इल्म और शिक्षा देने वाला है।

427 ईसवी से 1197 ईसवी के दौरान यह यूनीवर्सिटी बुद्धिस्ट तालीम का मरकज रही है। मौरियन सम्राट अशोका ने अगर इसकी तामीर में हिस्सा लिया, तो गुप्ता काल में उसे उस वक्त के राजा की सरपरस्ती हासिल रही। नालंदा को तारीख की सबसे बड़ी यूनीवर्सिटी में से एक यूनीवर्सिटी होने का दर्जा हासिल था।

महोदय, आज जबकि सदन में नालंदा यूनीवर्सिटी बिल, 2010 पर बहस हो रही है, तो मैं इसकी भरपूर ताईद करता हूं। हमें विश्वास हो चला है कि रियासत-ए-बिहार इस यूनीवर्सिटी के कयाम के जरिये पुरानी तारीखी रिवायतों को फिर से पनपता हुआ देखेगी और दुनिया के सबसे पुराने शिक्षा केन्द्र से, जहां कभी चीन, यूनान, पर्शिया, कोरिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया से आये दस-दस हजार तलबा लगभग दो हजार ज्ञानियों से शिक्षा पाते थे, फिर वही तारीख दोहरायी जायेगी।

महोदय, पांचवीं सदी में कायम करदा नालंदा यूनीवर्सिटी के खंडहर आज भी उसके अतीत के अमली दास्तान और कुशान तर्जे-तामीर की झलक पेश करते हैं। आज जिस नालंदा यूनीवर्सिटी बिल पर बहस हो रही है, उसके बुनियादी मकासिद ये हैं-

1. मैम्बर मुमालिक में कदीम उलूम बिलखसूस वो उलूम जिनका रिवाज सदियों पहले नालंदा में था, जैसे फलसफां, लिसानियत, तारीख और हायर एजुकेशन के उन मजामीन के सिलसिले में तहकीक की कुवत पैदा करना है, जो म्यारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अजहद जरूरी है।

2. ईस्ट एशिया के मुस्तकबल के उन रहनुमाओं को इकट्ठा करके, जिनकी माजी की तारीख एक-दूसरे की मसाइल और उनके मुख्तलिफ पहलुओं को समझने से मुत्तालिक हैं, उन्हें एक जगह लाकर इलाकायी अमन व सकून को बढ़ावा देना है।

3. तालीम और निसाव-ए-तालीम में उन मेयारात को लाना, जो तमाम मैम्बर मुमालिक को काबिले-कबूल हों, ताकि तालीमी-ए-मियार में हम अहंगी लाई जा सकें। इसकालसर और मैम्बर मुमालिक की माबैन एक मुनफरिद साझेदारी का माहौल पैदा करना। गौतम बुद्ध की तालीमात को मौजूदा दौर में उन दूसरे अफकार को खारिज किये बगैर समझना, जो दुनिया के किसी हिस्से में भी मौजूद हों। एशियाई मुल्कों के बीच खुसुसन जुनुबी मशरकी एशियाई मुसालिक के बीच जो मजबूत तारीखी मुमासलत, तिजारत, साइंस, रियाजी, मजहब, फलसफां और सकाफती हम आहंगी है, उन पर रिसर्च और तहकीकात को बढ़ावा देना। तलबा के दरम्यान एक-दूसरे को समझने और उन्हें बर्दाश्त करने की कुवत पैदा करना ताकि उन्हें म्यारी शहरी बनाया जा सके और बेहतरीन जम्हूरी समाज की तशकील की जा सके। सदियों पहले राईज नालंदा की तालीम के तनाजूर में मैम्बर मुमालिक की तालीम के तनाजुर को बेहतर बनाना और मैम्बर मुमालिक के माबेन मुख्तलिफ उलूम-ओ-फनून और पेशा वराना सलाहयतों की तरबियत फरहम करना।

महोदय, नालंदा यूनीवर्सिटी के लिए बिहार सरकार ने जमीन फराहम की। वह शुक्रिया की मुस्तहिक हैं और इसी तरह हम अपनी यू.पी.ए. सरकार को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उस अजीम यूनीवर्सिटी की तामीर के लिए, उसे बनाने के लिए दिल खोलकर फवड फराहम किया।

महोदय, चूंकि मैं इस सदन में किशनगंज की नुमाइंदगी करता हूं, इसलिए इस मौके पर इस मामले का जिक्र करना भी जरूरी समझता हूं कि तालीम-ए-लिहाज से बिहार की सबसे ज्यादा पसमांदा कमिश्नरी पूर्णिया है। वहां सभी फिरकों में तालीम की शरह बहुत ही कम है। उस कमिश्नरी के किशनगंज में ए.एम.यू. के स्पेशल सैंटर

[श्री मोहम्मद असरारुल हक]

के कयाम के लिए वहां के सभी मजहबों और तबकों के अवाम रियासती सरकार की तरफ निगाहें उठाते हुए हैं। अगर रियासती सरकार उस स्पेशल सैंटर के लिए चंद टुकड़ों में दी गयी जमीन को रकजा करके उसे ए.एम.यू. को जल्द फरहाम कर दे, तो मुझे उम्मीद है कि उस इरादे के कयाम से भी बिहार तालिमी फिल्ड में अपना अहदसाज रिकार्ड बनायेगा।

महोदय, तालिम के फरोग में यू.पी.ए. सरकार दिलचस्पी दिलकशीं का मुजाहरा कर रही है, इसलिए मैं यू.पी.ए. सरकार की लीडरशिप की खिदमत में एक शेर नजर करके अपनी बात पूरी करता हूं - "कोई बज्म हो कि कोई अंजुमन, ये शेआर अपना कदीम है, जहां रोशनी की कमी मिली, वहां एक चिराग जला दिया।"

محمد اسرار الحق (کشن گنج): ، جناب چیرمین صاحب آپ نے مجھے نالندہ یونیورسٹی بل، 2010 پر بولنے کا موقع دیا اس کے لئے میں آپ کا شکرگزار ہوں۔ میں اس بل کی تائید میں کھڑا ہوا ہوں، اور اس کے لئے سب سے پہلے دل کی گہرائی سے یو۔ پی۔ اے۔ سرکار کو مبارک باد پیش کرتا ہوں۔ قدیم دور سے موجودہ دور تک ہندوستانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سیاسی، سماجی، مذہبی، ادبی، تہذیبی وثقافتی میدانوں میں ریاستِ بہار کا مقام بہت اہم رہا ہے۔ قدیم ہندوستان کی تاریخی اہمیت کا تین چوتھائی حصہ بہار کی تاریخ سے ہی جڑا ہوا مانا جاسکتا ہے۔ جناب، بہار مہاتما گوتم بدھ، مہاویر، شرف الدین یحیٰ منیری اور گرو گوبند سنگھ جیسے اہنسا، قربانی، بلیدان روحانیت اور دیش پریم اور اعلیٰ عمل کرداروں کے علم برداروں کی سرزمین ہے۔ یہ اسٹیٹ سنتوں، صوفیوں، عالموں وگیانیوں کا مرکز رہا ہے۔ قدیم زمانے میں اس نے ہندوستانی عوام کو ایکتا کے سوتر میں باندھا اور پنچ شیل کے اصولوں کو عام کیا اور اسے لوگوں میں پھیلایا۔ مدھیہ کال میں صوفیوں اور سنتوں کے ذریعہ امن اور نیتکتا کا زبردست پرچار کیا۔

جناب، بہار تعلیم، فن اور مذہب و روحانیت کی سرزمین رہی ہے۔ جہاں نالندہ، وکرم شِلا اور اودنت پوری کی یونیورسٹیوں میں سائنس، درشن بھاشا شاستر، سماج شاستر، ساہتیہ، آیورویدتنتر اور کئی دوسرے وشیوں کی تعلیم کے لئے ہندوستان کے دوسرے صوبوں اور دنیاں کے دوسرے ملکوں سے تعلیم کے پریمی اور پیاسے اپنے علم کی پیاس بجھانے آتے تھے۔ نالندہ کا مطلب ہی علم اور شکشا دینے والا ہے۔

427 سے 1197 کے دوران یہ یونیورسٹی بدھسٹ تعلیم کا مرکز رہی ہے۔ مورین سمراٹ اشوکا نے اگر اس کی تعمیر میں حصہ لیا تو گپتا کال میں اسے اس وقت کے راجہ کی سرپرستی حاصل رہی۔ نالندہ کو تاریخ کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں سے ایک یونیورسٹی ہونے کا درجہ حاصل تھا۔

جناب، آج جب اس ایوان میں نالندہ یونیورسٹی 2010 بل پر بحث ہو رہی ہے تو میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ ہمیں یقین ہے کہ ریاستِ بہار اس یونیورسٹی کے قیام کے ذریعہ پرانی تاریخی روایتوں کو پھر سے پنپتا ہوا دیکھے گی، اور دنیا کے سب سے پرانے تعلیمی مرکز سے جہاں کبھی چین، یونان، پرشیا، کوریا، سری لنکا اور انڈونیشیا سے آئے دس۔ دس ہزار طلبا لگ بھگ دو ہزار اساتذہ اور گیانیوں سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ پھر وہی تاریخ دوہرائی جائے گے۔

جناب، پانچویں صدی عیسوی میں قائم کردہ نالندہ یونیورسٹی کے کھنڈر آج بھی اس کی ماضی کے عملی داستان اور کشان طرزِ تعمیر کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ جناب، آج جس نالندہ یونیورسٹی بل پر بحث ہو رہی ہے اس کے بنیادی مقاصد یہ ہیں۔

1. ممبر ممالک میں قدیم علوم بالخصوص وہ علوم جن کا رواج صدیوں پہلے نالندہ میں تھا جیسے فلسفہ لسانیت، تاریخ اور ہائر ایجوکیشن کے ان مضامین کے سلسلہ میں تحقیق کی قوت پیدا کرنا ہے جو معیارِ زندگی کو بہتر بنانے کے لئے ازحد ضروری ہے۔

2. ایسٹ ایشیا کے مستقبل کے ان رہنماؤں کو اکٹھا کر کے جن کی ماضی کی تاریخ کو ایک دوسرے کے مسائل اور ان سے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے سے متعلق ہو انہیں ایک جگہ لا کر علاقائی امن وسکون کو بڑھاوا دینا۔

3. تعلیم اور نصابِ تعلیم میں ان معیارات کو لانا جو تمام ممبر ممالک کو قابلِ قبول ہوں تا کہ تعلیمی معیار میں ہم آہنگی لائی جا سکے۔

4. اسکالرس اور ممبر ممالک کے مابین ایک منفرد ساجھے داری کا ماحول پیدا کرنا۔

5. گوتم بدھ کی تعلیمات کو موجودہ دور میں ان دوسرے افکار کو خارج کئے بغیر سمجھنا جو دنیا کے کسی حصہ میں بھی ہوں۔

6. ایشائی ملکوں کے بیچ خصوصاً مشرقی ایشائی ممالک کے بیچ جو مضبوط تاریخی مماثلت، تجارت، سائنس، ریاضی، مذہب، فلسفہ اور ثقافتی ہم آہنگی ہے ان پر ریسرچ اور تحقیقات کو بڑھاوا دینا۔

7. طلبہ کے درمیان ایک دوسرے کو سمجھنے اور انہیں برداشت کرنے کی قوت پیدا کرنا تا کہ انہیں معیاری شہری بنایا جا سکے اور بہتر جمہوری سماج کی تشکیل کی جا سکے۔

8. ممبر ممالک کے مابین مختلف علوم وفنون اور پیشہ وارانہ صلاحیتوں کی تربیت فراہم کرنا۔

چونکہ میں اس ایوان میں کشن گنج کی نمائندگی کرتا ہوں اس لئے اس موقع پر اس معاملے کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ تعلیمی لحاظ سے بہار کی سب سے زیادہ پسماندہ کمشنری پورنیہ ہے۔ وہاں سبھی فرقوں میں تعلیم کی شرح بہت کم ہے۔ اس کمشنری کے کشن گنج میں اے۔ایم۔یو۔ کے اسپیشل سینٹر کے قیام کے لئے وہاں سبھی مذہب اور طبقوں کے عوام، ریاستی سرکار کی طرف امید کی نگاہیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر ریاستی سرکار اس اسپیشل سینٹر کے لئے چند ٹکڑوں میں دی گئی زمین کو یکجا کر کے اے۔ایم۔یو۔ کو جلد از جلد فراہم کرا دے تو مجھے امید ہے کہ ان دونوں اداروں کے قیام سے بہار تعلیمی فیلڈ میں اپنا عہد ساز ریکارڈ بنائے گا۔

جناب، تعلیم کے فروغ میں یو۔پی۔اے۔ سرکار زبردست دلچسپی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس لئے میں یو۔پی۔اے۔ سرکار کی لیڈرشپ کو ایک شعر نذر کر کے اپنی بات پوری کرتا ہوں کہ:

کوئی بزم ہو کہ کوئی انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے
جہاں روشنی کی کمی ملی وہاں ایک چراغ جلا دیا

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, नालंदा विश्वविद्यालय को देखने से मालूम होता है कि कबीर दास जी कहा करते थे - अचरज देखा भारी साधू, अचरज देखा भारी। विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार ने एक कानून बनाया नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 और अब दूसरा कानून आ गया नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 भारत सरकार के द्वारा, विदेश विभाग के द्वारा। अब ये दो विश्वविद्यालय हैं या एक ही विश्वविद्यालय है, कौन सा कानून चलेगा इस पर? एक विश्वविद्यालय एक होगा और कानून दो होंगे या राज्य सरकार वाला कानून खत्म हो गया और अब यह कानून रहेगा? यह मेरा सवाल है। इसमें लिखा है कि प्रस्ताव विधान यह उपबंधित करता है कि भारत के राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को कुलाध्यक्ष नामनिर्दिष्ट कर सकेंगे। फिर कहा गया है कि बिहार के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किए गए नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अधीन नियुक्त नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष राष्ट्रपति के नामनिर्देशित के रूप में नियुक्त किया समझा जाएगा। फिर आगे लिखा गया है कि उक्त नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अधीन नियुक्त नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति प्रस्तावित विधान के अधीन कुलाधिपति के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा और प्रस्तावित विधान के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक पदधारण करेगा। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। पांच वर्ष का कार्यकाल उस कानून में है और तीन वर्ष का कार्यकाल इस कानून में है। यह अलग-अलग है। राज्य सरकार बहाल कर दे, वह भी रहेगा, जो राष्ट्रपति बहाल करेंगे, वह भी रहेगा। यह कैसा कानून है? इसलिए मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह बात साफ होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी एक और कानून दो? राज्य सरकार का कानून अलग और भारत सरकार का कानून अलग। पांच वर्ष से मैं सुन रहा हूं। इसका इतिहास बहुत पुराना है। जब ह्वेनसांग आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय में वाइस-चांसलर नियुक्त हुए थे। यह उस समय की दृष्टि थी कि एक चाइनीज यात्री, जो यहां बुद्ध धर्म का अध्ययन करने आये थे, वहां वाइस चांसलर नियुक्त हो गए। शीलभद्र चांसलर थे और ह्वेनसांग वहां वाइस-चांसलर थे। अब यह स्पष्ट नहीं है कि वाइस-चांसलर राज्य सरकार नियुक्त करेगी या भारत सरकार नियुक्त करेगी?

इसमें लिखा है कि पी.पी. मॉडल से होगा। माननीय शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मॉडल स्कूल भी हम पी.पी. से करेंगे, कितने वर्ष इसमें लग गए? ऐसे ही नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पांच वर्ष से सुन रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री 20 बार कलाम साहब को प्रोफेसर बहाल कर चुके हैं। 20 बार अखबार में छपा कि कलाम साहब एशोसिएट प्रोफेसर हो गए। हम लोग आजिज हैं कि यह यूनिवर्सिटी कब शुरू होगी। इसमें 1050 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, 50 करोड़ रुपए योजना आयोग ने तय किया है। अब पी.पी. मॉडल दुनिया भर में खोजा जाएगा। इसमें दलाईलामा साहब को शामिल नहीं किया कि चीन का भी सहयोग लेना है। चीन का सहयोग चाहिए तो दलाईलामा, जो धर्म गुरू हैं, उनको कैसे जोड़ा जाएगा। कह रहे हैं कि हम बुद्ध धर्म पढ़ाएंगे, वहां जो धर्मरक्ष, महाबोध कल्याण, अनिरूद्ध, मंजूश्री, महाकस्सप आदि सभी जो बौद्ध अनुयायी थे, महायान, हीनयान संप्रदाय, आचार्य विमलकीर्ति, कुमारजीव - जो जम्मू-कश्मीर के राजकुमार थे जिन्होंने चीन की राजकुमारी से शादी की थी, आचार्य विमलकीर्ति की रचना का आठ बार चीन में अनुवाद हुआ, जापान में अनुवाद हुआ, विमलकीर्ति निर्देश को पढ़कर जापान के राजा ने उसे राजधर्म घोषित कर दिया। यह सब चीजें भी हैं। सवाल इस बात का है कि किस बात का वहां अध्ययन होगा, कब से होगा। पांच वर्ष तो बीत चुके हैं।

सायं 6.00 बजे

अब पी.पी.पी. माडल के तहत यह किया जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने माडल स्कूल्स को भी पी.पी.पी. योजना के तहत खोलने की बात कही है, लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। यह तो एक यूनिवर्सिटी है और इसमें अन्य देशों की भी भागीदारी होगी, तो इसमें पी.पी.पी. माडल लागू करेंगे तो पता नहीं यह नालन्दा विश्वविद्यालय कब खुलेगा। नालन्दा यूनिवर्सिटी के मेंटल ग्रुप में अमर्त्य सेन जी भी हैं। उन्होंने भी कहा है कि नालन्दा विश्वविद्यालय को पुनः खोलने में समय लगेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, अमर्त्य सेन जी ने कहा है। इसलिए हमें भी आशंका है, क्योंकि पी.पी.पी. माडल में समय लगता है। जब माडल स्कूल्स उसके तहत अभी तक नहीं खुल सके हैं, तो इधर तो आपको यूनिवर्सिटी बनानी है। इसलिए हम चाहते हैं कि समय पर इसका स्पष्टीकरण हो। एक यूनिवर्सिटी और दो कानून, राज्य सरकार का अलग और केन्द्र सरकार का अलग, इसको भी स्पष्ट किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

...(*व्यवधान*)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): कल कार्य मंत्रणा समिति में विभिन्न दलों के प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्यों ने अत्यंत उदारतापूर्वक मेरी इस बात से सहमति जताई कि यदि हम इस चर्चा को सुबह में शुरू करें जैसा कि हमने आज किया, तो हम देर तक बैठ सकते हैं और आज दो विधेयकों को पूरा कर लेंगे। एक विधेयक जिस पर चर्चा हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ मिनटों में ही यह पूरा हो जाएगा और तत्पश्चात् दूसरा विधेयक, अर्थात शिक्षा अधिकरण विधेयक पर भी चर्चा हो सकती है। इसके बाद हम 'शून्यकाल' के मामलों पर चर्चा शुरू कर पाएंगे।

सभापति महोदय: सभा का अभिमत क्या है?

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

सभापति महोदय: इसलिए, सभा सहमत है।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

सभापति महोदय: श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार। कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 6.05 बजे

(डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*)

****श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट): नालंदा विश्वविद्यालय संसार का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी। उस समय के सभी सम्राटों, जैसे मौर्य, गुप्त और पाल राजाओं ने इस संस्था को संरक्षण प्रदान किया। यह विश्वविद्यालय 14 एकड़ भूमि पर फैला था और जिसमें 10,000 छात्र तथा 2000 शिक्षक हुआ करते थे। वे साथ-साथ रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। इतना ही नहीं इस संस्था की प्रमुख आकर्षण यहां का पुस्तकालय था। यह नौ मंजिला इमारत थी जिसमें लाखों पुस्तकें और उनकी हस्तलिपियां थीं। पुस्तकालय को सत्य ज्ञान का भंडार कहा जाता था। भवन की वास्तुकला भी एक सर्वोत्तम कृति थी। पाठ्यक्रम इतने व्यापक थे कि उसमें शिक्षा के सभी पहलुओं का समावेश था और सभी विषयों की पढ़ाई होती थी। प्राचीन विज्ञान, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, तत्वमीमांसा, दर्शनशास्त्र, योग, बौद्ध, विदेशी दर्शन शास्त्र, अतिअनुशासन - सब कुछ पढ़ाया जाता था। शिलाभद्र, अतिष दीपांकर विश्वविद्यालय के आचार्य थे। वे अपनी गहन जानकारी और दूरदृष्टि के लिए विख्यात थे।

इस तरह बिहार में स्थित इस विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और विशालता इस प्रकार की थी। लेकिन आज उस राज्य में शिक्षा की स्थिति क्या है? इसकी स्थिति दयनीय है। वहां विकास न के बराबर है और बिहार शिक्षा और ज्ञान के मामले में पिछड़ रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार को इस संदर्भ में अधिक ध्यान देना चाहिए था। इतना ही नहीं, पूर्व-एशिया शिखर सम्मेलन में यह प्रस्ताव किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय शोध के माध्यम से बौद्ध धर्म की शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए। यदि ऐसा संभव होता है तो बौद्ध धर्म का पूरे हिमालय प्रदेश, तिब्बत, भूटान में प्रसार होगा। गौतम बुद्ध ने इस क्षेत्र में वास किया गया था। अत: बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर यहां विस्तार से चर्चा हुई थी। आपस में विचारों का आदान-प्रदान हुआ था। गहरे विवेचन के लिए बहुत से विषयों पर चर्चा होती थी। विश्व के सभी हिस्सों - तिब्बत, चीन, फिलिपिंस, मलेशिया और पूर्व एशिया के अन्य भागों से विद्वान बड़ी संख्या में इस विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु आते थे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था। वास्तव में यह अपने ढंग का पहला विश्वविद्यालय था। इसलिए, इसकी एक समृद्ध परंपरा थी। सरकार को इस विश्वविद्यालय की पूर्व ख्याति दिलाने के लिए बहुत पहले ही इसका पुनरुद्धार कर देना चाहिए था। इससे बिहार का विकास भी हो गया होता तथा इसे पिछड़े होने के कलंक से मुक्ति मिल गई होती। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि न तो केन्द्र सरकार और न ही राज्य सरकार ने हमारी इस धरोहर और संस्कृति के संवर्धन के लिए कभी नहीं सोचा। तुर्की सम्राटों ने हमारे

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार]

समृद्ध सम्पन्न धरोहर को नष्ट करने की पूरी कोशिश की लेकिन वे हर बार असफल रहे, वे हमारे देश की सांस्कृतिक संरचना को नष्ट नहीं कर पाये। यह आज भी चमक रही है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम अपनी परंपरा के बारे में कुछ करें।

यह विधेयक बिना भुगतान, गैर-लाभ, निजी भागीदारी, स्वायत्त और जवाबदेही वाला विधेयक है। मैं पूर्ण हृदय से नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 का समर्थन करता हूं और इस बात पर जोर देता हूं कि इस क्षेत्र के माननीय संसद सदस्यों के विचारों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अंत में मैं केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को इतनी लम्बी अवधि की चिर निंद्रा के बाद इस सम्माननीय सभा में इस महत्वपूर्ण विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा समाप्त करता हूं।

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक से हमारे देश में विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी और विशेषकर जब यह नालंदा के नाम पर स्थापित हो तो इससे हमारे अतीत की शान और समृद्ध विरासत का आत्म विश्लेषण करने में सहायता मिलेगी। इस विश्वविद्यालय से हमारी वर्तमान पीढ़ी को हमारे राष्ट्र निर्माताओं और इस देश के महान शिक्षाविदों के द्वारा समर्थित लोकतांत्रिक भावना और धर्मनिरपेक्ष तथा वैज्ञानिक ढांचे को विकसित करने में मदद मिलेगी जिन्होंने यह सोचा था कि शिक्षा को प्रत्येक स्थान एक व्यक्ति को संपूर्ण इंसान बनाने के लिए होना चाहिए और यह उन व्यक्तियों का अच्छा चरित्र बनाने में सहायक होना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय को छात्रों को विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाहर जाते समय संपूर्ण गुणों वाला व्यक्ति बनाना चाहिए न कि पंथवादी व्यक्ति।

इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस विधेयक के खंड 24 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जहां सार्वजनिक नीति और विकास अध्ययन के संबंध में व्यावसायिक प्रबंधन को लागू करने का प्रावधान है। मेरा मानना है कि यह घोषणा के अनुसार मूल उद्देश्य के विपरीत जाता है और यह इस विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली का भाग नहीं होना चाहिए।

दूसरे इस विधेयक के खंड 33 में, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में यह बताया गया है कि उन्हें लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। मेरा सुझाव है कि सभी कर्मचारियों को स्थायी किया जाना चाहिए। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और अन्य कर्मचारियों की किन्हीं समस्याओं की मध्यस्थता के बारे में प्रावधान है। इसके लिए अधिकरण का प्रस्ताव है और किसी के पास न्यायालय जाने का कोई विकल्प नहीं है। मेरा सुझाव है कि उन्हें न्यायालय जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि छात्र और अध्यापक प्रबंधन के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो उनके पास इसका कोई विकल्प नहीं है। अतः, उनके पास न्यायालय जाने का विकल्प भी होना चाहिए।

तत्पश्चात्, पी.पी.पी. से इस विश्वविद्यालय के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी। जैसा कि एक महान संसद सदस्य और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक बार कहा था कि हमारे विश्वविद्यालय और संस्थाएं स्वतंत्र सोच और संप्रभु विचारधारा के केंद्र होने चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पी.पी.पी. माडल इस विश्वविद्यालय में आने वाले छात्रों के लिए बाधा बनेगा।

इसके अतिरिक्त, शासी निकाय और विद्या परिषद सदैव निर्वाचित होनी चाहिए तथा नामित सदस्य बहुत कम होने चाहिएं ताकि हमारी शैक्षिक प्रणाली का लोकतांत्रिक ढांचा बरकरार रहे। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री प्रेमदास राय (सिक्किम): सभापति महोदय मुझे इस अति महत्वपूर्ण वाद-विवाद में भाग लेने की अनुमति देने पर आपका धन्यवाद। मेरी राय में नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि भारत उभरती हुई शक्ति है और चूंकि हम अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते हैं, मेरे विचार से यह हमारे ज्ञान की परिधि में आता है। यह 10-15 वर्ष पूर्व संभव नहीं था परंतु यदि यह वर्ष 2010 में हुआ होता तो यह हमारे देश और बड़ी संख्या में लोगों के लिए अच्छा होता।

मेरा दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी इसका स्वागत करती है क्योंकि यह हमारे देश और हमारी जनता हेतु अति रुचिकर और बहुत अच्छा घटनाक्रम है। सिक्किम की जनता आगे की दिशा में बढ़े इस महत्वपूर्ण कदम के लिए न केवल भारत सरकार बल्कि बिहार की जनता का भी धन्यवाद करती है। सिक्किम की जनता और मुख्य

रूप से सिक्किम के बौद्ध धर्म के व्यक्तियों के उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए अति उपयोगी होगा।

इस संबंध में, मैं इस सभा का ध्यान हमारे प्रधानमंत्रियों द्वारा की गई दो अति महत्वपूर्ण यात्राओं की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। पहली यात्रा 1959 में हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, जब सिक्किम के तत्कालीन राजा पल्डेन ठोंडुप नामग्याल ने नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्तोलोजी की स्थापना की थी। आपको वर्ष 1959 में उस समय की याद होगी तिब्बत में पहले से आंदोलन चल रहा था और बौद्ध धर्म की सभी पुस्तकें और साहित्य जो वहां थी उनको कहीं और तथा नामग्याल इंस्टीट्यूट और तिब्तोलोजी में रखा गया था जोकि सिक्किम में स्थापित है और उस समय इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत सरकार की सहायता से स्थापित किया गया था।

दूसरी यात्रा वर्ष 1982 में हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसी संस्था का दौरा किया। यह संस्था एक जीवंत संस्था है जिसमें बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में अपार संसाधन मौजूद है। इसलिए, मैं विनम्रतापूर्वक अपील करूंगा कि वह नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्तोलोजी के निदेशक शीघ्र ही स्थापित होने वाले इस उत्कृष्ट विश्वविद्यालय की शासी परिषद के सदस्य बनें क्योंकि इसका संबंध उस समय के बौद्ध विचारों से जुड़ा है जोकि इस संस्था में स्थापित हैं, नये और आगामी विश्वविद्यालय से जुड़ें।

अंततः, मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा कि चूंकि इतिहास स्वयं को दोहराता है, अब हम वर्ष 2010 में पाते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय उत्कृष्ट शिक्षा के केंद्र के रूप में उभर रहा है। इस पर हम सभी भारतीयों को बहुत गर्व होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं, कम से कम इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं सरकार और सभा का धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। बिहार की महान जनता की तरफ से और अपने निर्वाचन क्षेत्र, देश रत्न डॉ. राजेन्द्र बाबू की पावन पवित्र जन्म स्थली सीवान की जनता की ओर से कोटि-कोटि केंद्र सरकार को धन्यवाद देंगे। श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देश के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के प्रति आभार व्यक्त करेंगे कि बिहार की गौरवमय इतिहास को पुनः दोहराने के लिए यह महत्वपूर्ण विधेयक लाए हैं। निश्चित रूप से बिहार देश का जगतगुरु रहा है, लेकिन विगत कुछ बर्षों में बिहार की शिक्षा में ह्रास हुआ है। बिहार की डिग्री की मान्यता दूसरे राज्यों में नहीं हो रही है। उसका कारण भी था कि नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विद्यालय होने के बावजूद जो स्थिति पैदा हुई, उससे बिहार के शिक्षा जगत में शिक्षा का ह्रास हुआ। उससे बिहारवासियों को काफी लज्जित होना पड़ा। इसका कारण भी था, क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री को डिग्री घोटाले कांड में जेल जाना पड़ा था, लेकिन केंद्र सरकार ने यह महत्वपूर्ण विधेयक लाकर एक बार पुनः दुनिया में बिहार के मान और सम्मान बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): सभापति महोदय, आपने नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए यू.पी.ए. सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ मेरी कुछ मांग है और उन मांगों को भारत सरकार को अति जल्द ही पूरा करना पड़ेगा। पहली मांग है कि हमारे बोडोलैंड में भी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। दूसरी मांग है कि आज हमारी सरकार ने सारे देश में कम से कम 30 केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए पॉलिसी अपनाई है। लेकिन हमारे बोडोलैंड में बोडो भाषा से बोडो माध्यम की जो शिक्षा विगत 1963 साल से चलकर आयी है, वह आज समाप्ति के कगार पर है। कम से कम बोडो माध्यम के 1000 प्राथमिक स्कूल, 500 अपर प्राइमरी स्कूल्स और 500 संख्या के हाई स्कूल्स को असम सरकार धनराशि के अभाव के बहाने पर प्रोविन्सेलाइजेशन सिस्टम में नहीं ला पाई है। हमारी बोडो भाषा को वर्ष 2003 में भारत सरकार ने भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया है। लेकिन हमारी बोडो भाषा की जो बोडो मीडियम शिक्षा है, वह समाप्त होने जा रही है, उसकी रक्षा कौन करेगा? मोरीबंड बोडो मीडियम स्कूल को कौन बचायेगा? आज देश में 30 केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात हो रही है। नालंदा विश्वविद्यालय आज कई शताब्दियों के बाद फिर बनने जा रहा है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? निश्चित तौर पर सुपर यूनिवर्सिटी भी बनाने जा

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

रहे हैं। लेकिन हमें क्या मिलेगा? आज जम्मू-कश्मीर की हालत बिगड़ रही है। बोडोलैंड अंचल के लोगों के दिल दिमाग में जो परेशानी है, उस परेशानी की भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना होगा। इसलिए मेरी मांग है कि नालंदा विश्वविद्यालय की तरह एक कैम्पस हमारे बोडोलैंड में भी स्थापित करना चाहिए। बोडोलैंड जो स्टेट यूनिवर्सिटी बन चुकी है, उस बोडोलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी को केन्द्र सरकार को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्टेटस देना पड़ेगा और बोडो माध्यम के जितने प्राइमरी स्कूल्स हैं, अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं और हाई स्कूल्स हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए केन्द्र सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे, यह मेरी मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिन्होंने विधेयक का समर्थन किया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि विदेश मंत्रालय ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य अपने हाथ में लिया है, क्योंकि यह विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय स्वरूप का होगा। इसे पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में अन्य 15 देशों से समर्थन प्राप्त हो रहा है, और इसके पीछे गंतव्य अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में इसकी स्थापना कर प्राचीन नालंदा के गौरव का स्मरण कराना है।

नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना एक गैर-राज्यीय, गैर लाभकारी धर्मनिरपेक्ष और स्व-शासी अंतरराष्ट्रीय संस्थान के रूप में की जाएगी, जिसमें इस महाद्वीप पर ध्यान दिया जाएगा। मेजबान देश के रूप में भारत सरकार भूमि उपलब्ध करायेगी। बिहार सरकार, जिसने इस विश्वविद्यालय के लिए 446 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है, इस भूमि को नालंदा विश्वविद्यालय को अंतरित करने हेतु सहमत हुई है।

निजी दान, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की अन्य विदेशी सरकारों और सदस्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय अंशदान स्वेच्छा से प्राप्त होने की आशा है। इस परियोजना हेतु पूर्व-एशिया शिखर सम्मेलन के कुछ सदस्य देशों से सकारात्मक संकेत प्राप्त हुए हैं।

वस्तुतः सिंगापुर के विदेश मंत्री ने अपने हाल ही के दौरे में नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना हेतु निजी दान के रूप में चार से पांच मिलियन डॉलर की धनराशि देने की पेशकश किया है।

माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों के संबंध में मैं यह कहना चाहती हूं कि आज जो विधेयक हम पारित करेंगे वह हमें केवल विश्वविद्यालय और इसके ढांचे की स्थापना की रूपरेखा और अवसंरचना की ही जानकारी देगा।

हमारे पहले वक्ता श्री शाहनवाज हुसैन से लेकर संसद के प्रत्येक अन्य सदस्य द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों को संविधि, अध्यादेशों और शासकीय निकाय द्वारा इस विधान के बाद विनियमों का प्रारूपण करते समय सम्मिलित करने की संभावना है।

डॉ. गिरिजा व्यास जी ने कहा कि प्राचीन ज्ञान को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ हमें उन वर्तमान क्षमताओं को प्रदर्शित करना चाहिए जो हमारे देश को महान उत्कृष्टता प्रदान कर रही हैं। इसलिए, जहां विद्यमान प्रारूप में पहले ही छह स्कूल हैं, वही शासी बोर्ड ने अन्य स्कूल की भी परिकल्पना की है, जिसकी स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी के लिए की जाएगी। जैसे ही हमें आवश्यकता दिखाई देगी और जैसे ही पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे, स्कूलों का हमेशा विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि इसमें यथा निर्णयानुसार कोई अन्य स्कूल खोलने के लिए एक समर्थनकारी खंड है।

मैं भारत सरकार तथा विदेश मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम श्री सत्पथी जी द्वारा जो विशेष समर्थन दिया गया है, उसके लिए उनकी विशेष रूप से सराहना और आभार व्यक्त करना चाहती हूं। उन्होंने पुष्प विहार विश्वविद्यालय का काफी उल्लेख किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि उड़ीसा से आपके सभी लोगों के पूरे समर्थन से और यदि आपकी सरकार यह कदम आगे बढ़ाती है, तो आप इस प्राचीन शिक्षण केन्द्र की पुनः स्थापना करने में समर्थ होंगे।

हमें इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि यह हमारी अंतरराष्ट्रीय पहल भी है कि हम यह घोषणा करें कि हम शीघ्र ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे।

इस सम्मानित सभा द्वारा इस विधेयक का शीघ्र पारित किया जाना सरकार को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कार्यवाही शुरू करने योग्य बनाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभा से अनुरोध करूंगी कि वह इस विधेयक को पारित करे।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि फिलीपीन्स में 15 जनवरी, 2007 को हुई दूसरी पूर्वी एशिया शिखर बैठक और तत्पश्चात् थाइलैंड में 25 अक्तूबर, 2009 को हुई चौथी पूर्वी एशिया शिखर बैठक में बौद्धिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्ययन के अनुशीलन के लिए बिहार राज्य में अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए किए गए विनिश्चयों को क्रियान्वित करने और उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 44 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 44 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्रीमती परनीत कौर: महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.26 बजे

शिक्षा अधिकरण विधेयक, 2010

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, सभा मद संख्या 19 - शिक्षा अधिकरण विधेयक को लेगी।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि शिक्षकों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों तथा अन्य स्टेक होल्डरों (जिनमें छात्र, विश्वविद्यालय, संस्थाएं और कानूनी विनियामक प्राधिकरण भी सम्मिलित है) से अंतर्वलित विवादों के प्रभावी और शीघ्र न्यायनिर्णयन और उच्चतर शिक्षा में अऋजु आचरण में लिप्तता की शास्तियों के न्यायनिर्णयन के लिए शिक्षा अधिकरण की स्थापना करने तथा उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

आज मुझे नालन्दा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार पर अत्यंत सूचनापरक और ज्ञानवर्धक वाद-विवाद सुनने के लिए उपस्थित होने का गौरव प्राप्त हुआ। मुझे यह देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि इस सभा में वाद-विवाद के दौरान आशातीत मतैक्य देखने को मिला। इस मतैक्य से ही हम पुन: भारत को ज्ञान का केन्द्र बनाने के लिए अतीत को पुनर्जीवित कर सकते हैं, जो हमारे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है।

मैं देखता हूं कि जब हम अतीत को पुनर्जीवित करते हैं तो हम एक होकर आगे बढ़ते हैं; और जब हम भविष्य का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं, तो दुर्भाग्य से, सदैव असहमति होती है। मेरा मानना है कि विशेषत: शिक्षा के क्षेत्र में, यह सब बदलने की आवश्यकता है। शिक्षा इस देश में प्रत्येक बच्चे को, विश्वविद्यालय जाने वाले प्रत्येक युवा पुरुष और महिला को, अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने का कड़ा प्रयास करने वाले परिवार को प्रभावित करती है। समाज का सोचने वाला प्रत्येक सदस्य उस शिक्षा से प्रभावित होता है जो इस देश में राज्य और निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती है। अब, जिस गुणवत्तापरक शिक्षा की मांग हमारे बच्चे करते हैं, जो हमारे बच्चों के लिए आवश्यक है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है यदि हम इस विचार के साथ अपने राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं, वह

[श्री कपिल सिब्बल]

प्रदान करने में सक्षम होने के लिए यह भाग्य से हमारी नई मुलाकात है। इसी भावना के साथ मैं आज यह विधेयक आपके विचार के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि कोई भी कानून परिपूर्ण नहीं है। जब हम कोई कानून बनाते हैं तो यह हमारी अतीत की समझ, वर्तमान आवश्यकताओं की समझ और भविष्य में हमें किस का सामना करना है, उसकी समझ के आधार पर होता है। परन्तु अतीत में हमारी समझ अपूर्ण हो सकती है। वर्तमान में क्या आवश्यकता है, इसके बारे में भी हमारी समझ अपूर्ण हो सकती है। कानून के जरिए भविष्य की चुनौतियों से निपटने की हमारी समझ भी उतनी ही अपूर्ण हो सकती है।

अतः, मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार कोई मानव परिपूर्ण नहीं है, जिस प्रकार कोई राज्य परिपूर्ण नहीं है, उसी प्रकार कोई भी कानून परिपूर्ण नहीं है। अतः, हमें इस मुद्दे को इस रूप में देखना चाहिए कि हम जो कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं वह हमारे लोगों का भविष्य निर्माण है।

आइए, अतीत के भारत की ऊर्जा, अतीत के भारत की प्रबुद्धता, अतीत के भारत के ज्ञान के भण्डार को आगे बढ़ाने के लिए हम एकता के उसी भाव से आगे बढ़ें जो हमने सभा में प्रदर्शित की थी। हमें यह सपना संजोना चाहिए कि हम ज्ञान के इस भण्डार को अपने बच्चों के लिए भविष्य में ले जाएं।

महोदय, भविष्य क्या है? हम यह कदम उठाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? भविष्य उन 546 मिलियन बच्चों का है जो 25 वर्ष से कम आयु के हैं। यही भविष्य है जिसकी ओर हम देख रहे हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब हमारा साक्षरता स्तर 16 प्रतिशत था। यह 300 मिलियन लोगों का 16 प्रतिशत था, जो संख्या के रूप में 50 मिलियन से भी कम था। आज हमारा साक्षरता स्तर 1.2 बिलियन लोगों का 64 प्रतिशत है, जो संख्या के रूप में 750 मिलियन से ज्यादा लोग बनते हैं।

समय बदल चुका है। अतीत में हमें जिससे निपटने की आवश्यकता थी, वह अब अप्रासंगिक हो चुका है और आज जिस भविष्य से हमें निपटना है वह हमें हमारे बच्चों के लिए सृजित करना है। अतः, एक प्रकार से, यह पहला ऐतिहासिक कदम है जो यह सभा हमारे बच्चों के लिए एक भविष्य सृजित करने के लिए उठा रही है। मैं यह नहीं कहता कि यह कदम परिपूर्ण है। मैं यह नहीं कहता कि इससे भारत की समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं कि महोदय, यह समय एकजुट होने और उस एकजुटता का वह भाव दर्शाने का है जो हमने दो घंटे पूर्व दर्शाया था। अब, यह उन चार विधेयकों की श्रृंखला में पहला है जो हम इस सभा के सामने ला रहे हैं, जो संसद में पहले ही पुरःस्थापित किए जा चुके हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में हम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अधिक से अधिक युवा बच्चे उच्च शिक्षण संस्थानों में जा रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास लगभग 504 विश्व-विद्यालय हैं। वर्तमान में हमारे पास 25,951 महाविद्यालय हैं। लेकिन मैं कहने का साहस कर सकता हूं कि 2020 तक हमें 800 विश्वविद्यालय और बनाने होंगे। 2020 तक हमें 35,000 और महाविद्यालयों की आवश्यकता होगी। दुनिया में कोई भी केन्द्र सरकार किसी भी प्रकार से इतने महाविद्यालय नहीं बना सकती और न ही इतने विश्वविद्यालय स्थापित कर सकती है। भविष्य में इनसे संबंधित पक्ष और हितधारक भिन्न प्रकार के होंगे। भविष्य के लिए हमारे समाधान भी अलग होने चाहिएं।

अब, इस प्रक्रिया में, सभी प्रकार के विवाद सामने आएंगे - विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों के बीच विवाद, जब वे संस्थाओं को मंजूरी देंगे तब ए.आई.सी.टी.ई. जैसी संस्थाओं के बीच विवाद होगा, जब वे संस्थानों को मंजूरी देंगे तब एम.सी.आई. के बीच विवाद, जब वे संस्थानों को मंजूरी और मान्यता देंगे तब यू.जी.सी. के बीच विवाद, अंतर-विश्वविद्यालय विवाद, अंतर-महाविद्यालय विवाद, शिक्षकों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद, छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद। इन विवादों के स्वरूप और सीमा में वृद्धि होने जा रही है।

लेकिन हम भविष्य के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास इन विवादों को निपटाने के लिए भविष्य का ढांचा नहीं है। यह विधेयक वह ढांचा निर्मित करने का प्रयास है। यह विधेयक सिविल न्यायालयों से दूर, अपीलीय न्यायालयों से दूर, न्यायनिर्णय की वर्तमान प्रणाली, जो विलंबकारी और निष्प्रभावी हैं, से दूर न्याय निर्णयन की एक अलग व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास है। शिक्षक कक्षाओं में होने चाहिएं, न कि अदालतों में। शिक्षकों को उप-न्यायधीश से अपीलीय अदालत तक नहीं भागते रहना चाहिए। शिक्षकों को पता होना चाहिए कि एक मंच विशेष,

एक निश्चित मंच है जहां वे जा सकते हैं और अपनी शिकायतों का हल पा सकते हैं और यह केवल शिक्षकों पर लागू नहीं होता है। यह छात्रों पर लागू होता है। यह निजी संस्थानों पर लागू होता है। यह सरकारी संस्थानों पर लागू होता है।

मैं यह कह सकता हूं कि शिक्षा व्यवस्था में निजी निवेश की वृद्धि होने जा रही है। हम देखते हैं, निजी क्षेत्र में क्या हो रहा है। आप एक विज्ञापन देखते हैं जिसमें कोई बात कही गई होती है लेकिन वास्तव में आपको उससे बिलकुल अलग स्थिति मिलती है। इसलिए, आपके सामने अगला विधेयक शिक्षा क्षेत्र में धोखाधड़ी पर आ रहा है। इस शैक्षणिक धोखाधड़ी का निर्णय भी उसी अधिकरण द्वारा किया जाएगा। आप ऐसे विज्ञापन देखते हैं जो वस्तुतः युवा छात्रों के साथ धोखा है। ऐसे लोग हैं जो 'कैपिटेशन' फीस वसूलते हैं और ऐसे विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किसी मंच विशेष में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है।

अतः, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगले 10-20-30 वर्षों में शिक्षा के परिदृश्य का स्वरूप उसके पुराने स्वरूप से बिलकुल अलग होगा। हमारे युवाओं की आकांक्षाएं बिलकुल अलग हैं। इस प्रक्रिया में हमने एक द्वि-स्तरीय व्यवस्था, राज्य अधिकरण और तीन राष्ट्रीय अधिकरण की व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयास किया है और प्रक्रिया के जरिए उनको राहत मिलती है जिन्हें व्यवस्था संस्थानों के विरुद्ध शिकायत है, शिक्षकों को विश्वविद्यालय के विरुद्ध शिकायत है। इस द्विस्तरीय व्यवस्था के जरिए हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सभी हितधारकों को समाधान प्राप्त हो सके ताकि वे आगे बढ़ने के साथ वस्तुतः कुछ प्राप्त कर सकें। इस विधेयक का वास्तव में यही उद्देश्य है।

तीसरा विधेयक, जो पुरःस्थापित किया गया है और आपके सामने आ रहा है, वह प्रत्यायन से संबंधित है, नामतः उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला कोई भी संस्थान प्रत्यायन के बिना नहीं रहेगा, क्योंकि इससे गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। ये प्रक्रियाएं सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर होनी चाहिएं। इन तीन विधेयकों में हमने सरकार से दूर हटने और विश्वविद्यालय व्यवस्था को स्वयं फलने-फूलने की अनुमति देने का प्रयास किया है। नालन्दा जैसे विश्वविद्यालय उत्कृष्टता के केन्द्र बनें, ज्ञान के केन्द्र बनें और सरकार उनमें बहुत कम हस्तक्षेप करे और उन्हें स्वयं फलने-फूलने दे, ताकि वे वैसी गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर सकें जिसकी हमें हमारे भविष्य के लिए आवश्यकता है। लेकिन यह सुनिश्चित करें और व्यवस्था को इस प्रकार विनियमित करें कि निजी क्षेत्र हमारे देश के गरीब लोगों का शोषण न करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि यह विनियमन लाया गया है।

निस्संदेह, इन सब बातों के संदर्भ में हम विदेशी शिक्षा प्रदाताओं के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यह सब स्थायी समिति के सामने उठेगी। यह स्थायी समिति के सामने है। हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं इस सभा को आश्वासन देता हूं कि हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक इस सभा में प्रतिपक्ष में बैठे प्रत्येक सदस्य से पूरी बातचीत नहीं हो जाती। हम मतैक्य चाहते हैं क्योंकि यह राजनीति के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। अतः, इस मुद्दे विशेष पर कोई मत भिन्नता नहीं होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए।

सभापति महोदयः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"कि शिक्षकों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों तथा अन्य स्टेक होल्डरों (जिनमें छात्र, विश्वविद्यालय, संस्थाएं और कानूनी विनियामक प्राधिकरण भी सम्मिलित है) से अंतर्वलित विवादों के प्रभावी और शीघ्र न्यायनिर्णयन और उच्चतर शिक्षा में अऋजु आचरण में लिप्तता की शास्तियों के न्यायनिर्णयन के लिए शिक्षा अधिकरण की स्थापना करने तथा उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): महोदय, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी के वक्तव्य को सुना। नालंदा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विधेयक के बारे में इस सदन ने जिस प्रकार की वैचारिक एकता का प्रदर्शन किया और भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति के बारे में जिस प्रकार का स्नेह, ज्ञान और सम्मान प्रकट किया, उसके लिए मैं सदन का बहुत आभारी हूं। मंत्री जी ने एक बात यह कही कि जब कभी हम अपने अतीत की तरफ ध्यान देते हैं तो हम बड़ी एकता का परिचय देते हैं और जब कभी हम भविष्य की तरफ देखते हैं, उसके बारे में कुछ विचार करते हैं तो हममें

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। अतीत एक यथार्थ था और उसके विषय में सभी को ज्ञान है कि वह क्या था। नालंदा विश्वविद्यालय क्या था, वहां क्या शिक्षा होती थी, कैसे होती थी, वह विश्व भर में लोगों को मालूम है? इसलिए उसके बारे में कोई विमति होने का या असहमति होने का सवाल नहीं उठता है, लेकिन भविष्य के बारे में तो अभी गर्भ में है। यह कहना बहुत मुश्किल है कि वह गर्भ कहीं किसी विकलांग को जन्म तो नहीं देगा। संभावना यही है। वह स्वस्थ भी हो सकता है और विकलांग भी हो सकता है। इसलिए उसके बारे में चिन्ताएं होना, आशंकाएं होना बहुत स्वाभाविक है। प्रयत्न यह होना चाहिए और हम सबका यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह स्वस्थ निकले। एक हैल्दी, वायवरेंट, प्रोग्रेसिव विधेयक का जन्म हो। आप उस विधेयक की दाई बनकर खड़े हुए हैं,

[अनुवाद]

उस विधेयक की दाई।

[हिन्दी]

हमारी पूरी शुभकामना है कि वह विधेयक जब अधिनियम का रूप ले तो एक स्वस्थ अधिनियम के रूप में उन तमाम आशंकाओं को निर्मूल साबित करे जो इस सदन में हो सकती हैं या होंगी।

श्री कपिल सिब्बल: मैं तो शायद मिडवाइफ हूं लेकिन डिलीवरी आपको करनी है।...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: वह हम कर देंगे, लेकिन हम भारतीय पद्धति से करेंगे, नालंदा की पद्धति से करेंगे और आप याद रखिये कि सिजेरियन भी नहीं करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): वे तो एबॉर्शन की तैयारी में हैं।...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: जी नहीं, वह तो इन्होंने इतना अस्वस्थ कर रखा है कि वह स्वत: ही अबॉर्ट हो सकता है।...*(व्यवधान)* हमारे होते हुए ऐसी कोई चिन्ता की बात नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वह एक स्वस्थ स्वाभाविक और प्राकृतिक डिलीवरी हो। भारत में प्राचीन काल में जितनी भी डिलीवरी होती थीं, उसमें अचानक ही कभी अकस्मात ही कोई सिजेरियन होता हो तो हो, बाकी तो सब..., और हमारे यहां भ्रूण हत्या तो पाप माना गया है।

सभापति जी, इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि बहुत सारे विवाद शिक्षा संस्थाओं में हो रहे हैं और आगे होंगे। विवाद क्यों होते हैं? पहले इस बात को देखें कि इन विवादों का उत्स कहां है, क्यों विवाद हो रहे हैं? विवाद तब होते हैं जब कोई विश्वविद्यालय की संस्था या जो नियामक संस्था है, रेगुलेटरी बॉडी है, वह नियमों का उल्लंघन करती है। मैंने यह देखा है कि अगर किसी विश्वविद्यालय में एक ऐसा कुलपति नियुक्त हो जाए जो उस विश्वविद्यालय के बारे में जानता ही न हो, यहां हमारे मित्र शैलेन्द्र जी बैठे हैं, जो जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है। क्योंकि अगर कुलपति का चयन ठीक हो और उसकी कार्यकारी परिषद् का, गवर्निंग बॉडी और काउंसिल का चयन ठीक हो, राजनीति से परे हो, और उसमें शैक्षिक व्यक्ति हों, एकैडेमिक परसन्स हों तो विश्वविद्यालय सामान्य तौर पर ठीक चलेंगे। विश्वविद्यालयों में गड़बड़ियां नियुक्तियों को लेकर तब होती हैं जब वाइस चांसलर और कार्यकारी परिषद् राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होती हैं। सबसे बुनियादी बात यह है और हमने इस बात का ध्यान रखा था कि विश्वविद्यालयों के अंदर ऐसी नियुक्तियां न हों, कार्य-परिषदों में ऐसी नियुक्तियां न हों, लेकिन अगर किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों का बहुमत कार्यकारी परिषद् में होगा तो नियुक्तियां राजनीति से प्रेरित होंगी। आप इस बात को जान रहे हैं। अगर छात्रों के साथ राजनीतिक दृष्टि से भेदभाव होगा तो अवश्य विवाद खड़े हो जाएंगे। यह सवाल है। बुनियादी बात यह है कि इन नियुक्तियों की तरफ ध्यान दें और इस बात पर ध्यान दिया जाए कि जो नियम, परिनियम, अधिनियम के अंतर्गत बने हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वे सब अपने हिसाब से काम करें, विश्वविद्यालय उन्हीं के हिसाब से काम करे, विवाद कम हो जाएंगे। आप देखेंगे कि कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां विवाद बहुत कम हैं और कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं कि जहां विवाद बहुत अधिक हैं। अगर आप गहराई में जाएंगे, अब आपको भी कुछ समय हो गया है इस विभाग को संभालते हुए। आप स्वयं भी अध्यापक रहे हैं, जैसे आज आपने बताया, मैंने चालीस साल अध्यापन किया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): आजकल वकील हैं।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: आजकल मंत्री हैं।...*(व्यवधान)* वे बता रहे हैं कि उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई है।

श्री कपिल सिब्बलः मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिन्दू कॉलेज में इतिहास पढ़ाता था।

श्री शैलेन्द्र कुमारः पढ़ा था या पढ़ाया था?

श्री कपिल सिब्बलः पढ़ाता था।

डॉ. मुरली मनोहर जोशीः इसलिए मैंने कहा कि कुछ न कुछ ज्ञान अध्यापन और वहां की समस्याओं के बारे में आपको है। अब सवाल यह है कि अगर नियुक्तियां ठीक हों, जैसे अभी एक कानून पास किया गया आपके मंत्रालय की ओर से निदेश गया कि रिसर्च के लिए प्रवेश का एक नया मानक आ गया। वे लोग जिन्होंने 2008 में पीएचडी प्राप्त की थी, वे सबके सब पीएचडी के लोग नियुक्तियों से डिबार कर दिये गये। मैं अभी पिछले दिनों काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में था। मेरे पास छात्र आए कि साहब हमारा क्या कुसूर है, हमने 2008 में पीएचडी हासिल कर ली है और 2009 में जब इंटरव्यू के लिए आवेदन किया तो बताया गया कि आपकी पीएचडी बेकार है। क्योंकि जो वर्ष 2009 के इस परिनियम के अनुसार आएंगे, वही क्वालीफाइड होंगे। यह कैसे हो सकता है? जिसने वर्ष 2008 में पंजीकरण करवाया हो, उसे क्या पता था कि वर्ष 2009 में क्या आने वाला है? जिसने वर्ष 2008 में पीएचडी हासिल कर ली, विश्वविद्यालय ने उन सबका आवेदन खारिज कर दिया। वे लोग कोर्ट में गए। कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया कि नहीं आप इन्हें बुलाएंगे। यह विवाद किसी छात्र की तरफ से नहीं है। यह यू.जी.सी. और आपके बीच का विवाद है। यू.जी.सी. कह रही है कि गलत हो रहा है, लेकिन आपका मंत्रालय कह रहा है कि नहीं, यही ठीक है, यही करो। आपने रिसर्च में प्रवेश का एक नया रास्ता निकाल दिया कि सारे देश में एक परीक्षा होगी और उसके बाद रिसर्च में प्रवेश होगा। मैं संसद की ओर से इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस में प्रतिनिधि हूं। उनके यहां कैसे होता है? क्या यह कोई आई.ए.एस. या पी.सी.एस. की प्रतियोगी परीक्षा है? आपने कहा कि पूरे बी.एस.सी. के प्रवेश के लिए सारे देश में एक परीक्षा हो जाएगी। इससे विवाद अपने आप खड़े होंगे। यदि आप इस तरह के आदेश निकालेंगे, तो यह ट्रिब्यूनल भी इनका निस्तारण नहीं कर पाएगा। आप ऐसे आदेश निकालते हैं। आपके यहां से ऐसे प्रस्ताव आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप स्वयं ऐसे कानून बनाएंगे, जिनसे विवाद पैदा होंगे तो हजारों छात्र इसमें आएंगे और रोज आपसे लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। यह होगा। इसलिए आप इस पर गौर करिए कि इस तरह की बातें न हों। यदि आप इसी तरह से करेंगे तो आप एक नहीं दस ट्रिब्यूनल बना लीजिए, उनका कभी निबटारा नहीं हो पाएगा। पहली बात यह है कि सही नियम और परिनियम बनें। दूसरा, यह कि उसका पालन और संचालन ठीक से हो और तीसरी बात यह कि वह राजनीति से परे हो। यदि यह होगा, तो विवाद बहुत कम होगा, अन्यथा विवाद बढ़ेंगे।

महोदय, मंत्री जी ने जिस प्रकार का विधेयक रखा है, वह स्थायी समिति के पास गया था। उसने इसकी प्रत्येक धारा पर विचार किया और विचार करने के बाद उसने एक प्रतिवेदन दिया। मैंने इस प्रतिवेदन को देखा। इसमें आपने उसके हर सुझाव पर असहमति व्यक्त की है। 20 अगस्त को यह प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया गया था। आज 26 तारीख है। इन 6 दिनों में 21 और 22 की छुट्टी थी, 23 और 24 को त्यौहार थे, दक्षिण भारतीय अधिकारी ओणम को नहीं आए होंगे और उत्तर भारतीय अधिकारी रक्षा बंधन पर नहीं आए होंगे। इतनी जल्दी में आपने रिपोर्ट को देख भी लिया? उसकी हर एक संस्तुति को आपने कह दिया कि यह बेकार है, यह भी बेकार है, इसे नहीं माना जा सकता, अस्वीकार्य है। यह बिल कैबिनेट में कैसे जाएगा? क्योंकि इन्होंने इसे माना ही नहीं। अब सवाल यह है कि यह सर्वसम्मति से यह रिपोर्ट है। इसके अध्यक्ष श्री आस्कर फर्नान्डिस हैं। इसके बारे में आपने गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो बातें कही गई हैं, उनमें से कुछ वजनदार बातें हैं, जिनके बारे में मैं चाहूंगा कि बहुत गहराई से ध्यान दिया जाए। आपने कहा है कि कोई भी कानून पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं है, पूरे तौर पर पूर्ण नहीं है, अगर पूर्णतया को आप स्वीकार करते हैं, तो इसे पूर्ण करने के लिए आपने आश्वासन भी दिया है। मैं समझता हूं कि आप इसे ध्यान में रखेंगे और शीघ्रातिशीघ्र इसे ठीक करेंगे। यह जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, जो शिक्षाविदों की दृष्टि में आगे चलकर कठिनाई पैदा करेंगे।

महोदय, मैं रिपोर्ट के आधार पर भी और बिल के आधार पर भी मंत्री जी को बता सकता हूं। पहली बात यह है कि जब यह विधेयक सामने लाया गया, तो इस समिति का यह कहना है कि इसका प्रसारण ठीक नहीं हुआ था। हमें बताया गया कि प्रसारण ठीक हुआ था, केब की मीटिंग हुई थी। कमेटी इस बात से संतुष्ट नहीं है, कमेटी कहती है कि बहुत कम लोगों ने इसका समर्थन किया। मंत्रालय का विचार है कि बहुत लोगों ने

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

समर्थन किया। अब कमेटी में अगर यह बात आती है तो वहां अवश्य ही मंत्रालय के प्रतिनिधि गए होंगे, उन्होंने किया होगा। अब विश्वविद्यालयों की राय है, पांच सौ से अधिक विश्वविद्यालय हैं, मुझे पता नहीं कि कितने विश्वविद्यालयों की राय आई, क्योंकि उसके अंदर बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। कितने छात्र यूनियंस, अध्यापक यूनियंस और कर्मचारी यूनियंस की राय आई, कब आई और कितनी जल्दी आई, ये सवाल हैं, इस प्रतिवेदन पर जो संसद में पेश हुआ, उसे देखने से पता चलता है। अगर मंत्री महोदय, मंत्रालय और मंत्री परिषद उससे संतुष्ट हैं तो मुझे फिर कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आपका संतोष ही सर्वोपरि है। मगर यह जो प्रतिवेदन है, ये अपना संतोष हर जगह व्यक्त करता है। फिर आप देखें, आपने इसमें एक बात बड़ी मजेदार कही है और वह यह कही है कि इसमें छात्रों का भी आप ध्यान रखेंगे, उनके भी विवाद सामने लाएंगे। अब छात्रों के विवाद लाने के लिए इसमें कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। छात्रों के विवाद क्या होते हैं, प्रवेश, फीस, कोर्स और डिग्री से संबंधित होते हैं तथा छात्रसंघ के चुनावों से संबंधित होते हैं। जो डिसिप्लनरी कमेटियां हैं, वहां तय हो जाता है, उसमें खास ज्यादा बात आती नहीं। लेकिन ये सवाल आते हैं, जो कानूनों से संबंधित होते हैं। फिर एक नयी बात आ गई है, आपने कहा कि पी.पी.पी. मॉडल आ गया है। इसके जो प्रबंध के कायदे एवं कानून हैं, उसमें आपने कहा कि बहुत सी मेल प्रेक्टिसीस होती हैं। उनका जानकार इस सारी व्यवस्था के अंदर कोई न कोई व्यक्ति होना चाहिए। पी.पी.पी. मॉडल के कानून सार्वदेशिक नहीं हैं, अलग-अलग राज्यों ने उसमें कुछ न कुछ व्यवस्थाएं की हुई हैं। ये पी.पी.पी. मॉडल कैसा बनेगा, क्या देश भर में एक समान होगा। हर विश्वविद्यालय का रूप, करेक्टर और इतिहास अलग है, यह देखने की बात है। जो सौ-सवा सौ साल से विश्वविद्यालय हैं, उनकी अपनी अलग परम्पराएं और अपने अलग ढांचे हैं, जो पांच-दस साल के विश्वविद्यालय हैं, उनके अलग मामले हैं, उनमें अलग प्रकार के विवाद हैं। आपने ये जो स्टेट के अंदर तीन आदमियों की व्यवस्था बनाई है, वे उसके लिए सर्वथा मेरी दृष्टि से अपर्याप्त है, वह काम नहीं कर सकती। आपने इसमें जो बताया है और आनंद की बात है, आपने यह कहा है कि इसमें तीन व्यक्ति होंगे, एक न्यायिक व्यक्ति होगा और उसमें दो अन्य व्यक्ति होंगे, जिसके लिए आप कहते हैं।

[अनुवाद]

इसमें कहा गया है:

"कोई व्यक्ति, राज्य शिक्षा अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित होगा, यदि ऐसा व्यक्ति,-

(क) पचपन वर्ष की आयु से कम नहीं है;

(ख) योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित है तथा उच्चतर शिक्षा, शिक्षा विषयों में लोक कार्य या प्रशासन संबंधी विषयों में व्यवहार करने का पर्याप्त ज्ञान और कम से कम बीस वर्ष का अनुभव रखता है:

(ग) कुलपति या ऐसा कोई व्यक्ति, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की श्रेणी का या उसके समतुल्य है या रह चुका है।"

[हिन्दी]

आपने इसमें दो व्यक्ति रखे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक एकेडेमिक, अब कुलपति हैं या रहे हैं, ये तो देश में बहुत हैं। इसमें से अगर आप किसी मौजूदा वाइस चांसलर को लेंगे तो वह स्टेट यूनिवर्सिटी का लेंगे। उसी स्टेट में कई प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, एफिलिएटिंग का लेंगे या नॉन एफिलिएटिंग का लेंगे। दोनों की समस्याएं अलग-अलग हैं। ऐसा वाइस चांसलर मिलना मुश्किल होगा जो दोनों जगह वाइस चांसलर रहा हो। फिर आप कहते हैं कि इसमें से एक महिला का होना जरूरी है तो क्या जज वाली महिला होगी या जो दो मेम्बर्स हैं, इनमें से महिला होगी? फिर आप कहते हैं कि जो चीफ सैक्रेट्री के लेवल होगा, उस स्टेट के सैक्रेट्री के लेवल का होगा, चीफ सैक्रेट्री ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसी महिला आपको कहां मिलेगी, बहुत कम राज्यों में चीफ सैक्रेट्री के लेवल पर महिला मिलेगी। ये सवाल उठते हैं। इसमें मिनिमम एज आपने 55 साल रखी है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यह एज नहीं है, वहां तो अगर एक अच्छे हाई कोर्ट में 10 साल का एक्सपीरिएंस है तो आप हो सकते हैं। 35 साल में आप राज्य सभा में मैम्बर हो जाते हैं, 21 साल में आप विधान सभा के लिए क्वालीफाई हो जाते हैं, 25 साल में आप पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो वहां 55 साल क्यों? इसमें 55 साल का क्या तर्क है? शायद ऐसा लगता है कि कुछ नियर रिटायरमेंट वाले या रिटायर होने वाले ब्यूरोक्रेट्स के

वास्ते या कुछ ऐसे जजेज के वास्ते, कुछ आपके ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी बिरादरी के लिए और आपने अपनी बिरादरी के लिए इन्तजाम कर लिया है कि आप लोगों के लिए 2000-2500 ट्रिब्यूनल खोल दिये जायें।

इसके जो एपाइंटमेंट्स हैं, यह अपने आपमें काफी शंकाएं पैदा करते हैं कि यह व्यावहारिक कैसे होगा। इसी तरह से जो इनकी सलैक्शन कमेटी है, वह भी बड़े कमाल की है। वे कहते हैं:

[अनुवाद]

7(1) राज्य शिक्षा अधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल से समुचित सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे:-

(क) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या उसका नामनिर्देशिती - अध्यक्ष;

(ख) राज्य सरकार का मुख्य सचिव - सदस्य;

(ग) शिक्षा विषयों में अनुभव सहित भारत सरकार के सचिव की श्रेणी का या उसके समतुल्य राज्य सरकार का कोई अधिकारी - सदस्य।

[हिन्दी]

अब आपने कोई एजुकेशन सैक्रेटरी रखा तो वह तो चीफ सैक्रेटरी का मातहत ही होगा, उससे सीनियर तो नहीं होगा। एक तरह से यह चीफ जस्टिस के नोमिनी और चीफ सैक्रेटरी के बीच में रह जायेगा। किसी ब्यूरोक्रेट की यह हिम्मत नहीं है कि वह अपने चीफ सैक्रेटरी के खिलाफ जाये। उसकी बहुत सारी प्रोन्नतियां और सारी चीजें उस पर निर्भर करती हैं।

इसमें एपाइण्ट आप किसको करने जा रहे हैं, जो शिक्षा संस्थाओं में विवादों को तय करेगा, कौन से विवादों को तय करेगा, रैगुलेटर्स और उसके बीच के विवादों को तय करेगा, दो विश्वविद्यालयों के बीच के विवादों को तय करेगा, एफीलिएटिंग और नॉन एफीलिएटिंग यूनिवर्सिटीज के बीच के विवादों को तय करेगा, विद्यालयों के बीच में और यूनिवर्सिटीज के बीच में विवादों को तय करेगा। इतने बड़े स्कोप के लिए इसमें एक भी व्यक्ति सलैक्शन करने के लिए, चयन करने के लिए नहीं है, जो उनमें से लोगों को ला सके। यह इसकी एक इन्फोर्मिटी है, कमी है, इसको आप जरूर सुधारें। अगर आज नहीं सुधार सकते तो जब आप और बिल लाएंगे, तो उस वक्त इसको सुधार कर लाइये, हम उस सुधार को पास करेंगे। लेकिन इसके अन्दर आलोचनात्मक चीजें हैं। अपने तजुर्बे के आधार पर मैं कह रहा हूं कि यह चलेगा नहीं, यह व्यावहारिक नहीं रहेगा। बाकी बातें तो और लोग कहेंगे।

इसी तरह से जो आपका सैण्ट्रल ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल है, उसके एपाइंटमेंट्स में भी आप जरा देखें। उसमें तो एक और मजेदार बात यह है:

[अनुवाद]

23(1) राष्ट्रीय शिक्षा अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित से मिलकर बनी चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों का पैनल से केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी,-

(क) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी नामनिर्देशिती - अध्यक्ष;

(ख) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्चतर शिक्षा का प्रभारी सचिव - सदस्य;

(ग) भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय का सचिव - सदस्य;

(घ) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में चिकित्सा शिक्षा का प्रभारी सचिव - सदस्य।

(ङ) भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का प्रभारी सचिव - सदस्य।

[हिन्दी]

आश्चर्य की बात यह है कि लॉ की एजुकेशन और मैडीकल की एजुकेशन इस विधेयक की परिधि के बाहर है, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री आपको मानने के लिए तैयार नहीं है। लॉ मिनिस्ट्री कहती है कि इसमें हमारी कोई सहमति नहीं है। हैल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि हमारी इससे सहमति नहीं है। आई.एम.सी. और आपमें कॉन्फिलक्ट है। आप उसको मानिये, जो यथार्थ है। आज जो स्थिति है, कल आप उसको सुधार लें तो अलग बात है। मुझे यह बताया गया है कि यहां तक बात है कि ये लोग कहते हैं कि हमसे इसमें कोई परामर्श नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आप तथ्य सामने रखेंगे। जहां तक वस्तु-स्थिति है, वह यह है। बाकी कोई ऐसा मंत्रालय

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

नहीं है, मैं जानता हूं, कैसे मंत्रालय के अधिकारियों के काम होते हैं। ऐसा कोई नहीं है, जो अपना अधिकार क्षेत्र आपको सौंप देगा। अगर आप बहुत कोशिश करेंगे तो यह जो टैक्नीकल एजुकेशन है, जो लेबर मिनिस्ट्री देती है, जो आपके शिक्षा मंत्रालय के पास होनी चाहिए, वह भी आपको नहीं देंगे। वे कहेंगे कि नहीं, यह हमारा कार्याधिकार है तो वह जो ब्यूरोक्रेटिक आपस में अधिकार क्षेत्र की लड़ाई है, उसे आपने अभी तक अच्छी तरह से समझ लिया होगा।...*(व्यवधान)* टर्फ वार इसके अन्दर होगी और लोग नहीं आएंगे और आएंगे भी तो इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो उस ट्रिब्यूनल के असली महत्व को समझ सके, बता सके। इनमें से कौन ऐसा है कि जिसको विश्वविद्यालयों के विवाद सुलझाने का और कैसा आदमी वहां चाहिए, इसको जानने का मौका होगा।

सायं 7.00 बजे

क्या आप यह समझते हैं कि जितने भी नौकरशाह हैं, जितने भी बड़े ऑफीसर हैं, ये सब के सब दुनिया के हर विषय और शिक्षा के हर विषय के जानकार हैं? अगर ठीक से जानकार होते तो शिक्षा की यह दुर्गति ही नहीं हुयी होती। यह इसीलिए है कि बहुत सारे काम वे लोग करते हैं, जो शिक्षा के मर्म को नहीं समझ रहे हैं, जो शिक्षा में बदलाव को नहीं समझ रहे हैं और जिस बदलाव की आप भाषा बोल रहे हैं, उस बदलाव से अनभिज्ञ हैं।...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी आपने नालंदा विश्वविद्यालय का विधेयक यहां पास किया है। नालंदा विश्वविद्यालय इसकी परिधि में कैसे आएगा? वह इंटरनेशनल विश्वविद्यालय है। उसमें दो सरकारों के बीच में झगड़े होंगे।...*(व्यवधान)* इसमें फर्क है। अनेक सरकारों के सहयोग से बन रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, नालन्दा विश्वविद्यालय विधेयक में मध्यस्थता के लिए अलग उपबंध है। इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है। मध्यस्थता प्रक्रिया के जरिए एक अधिकरण स्थापित करने के लिए एक अलग विशेष उपबंध है। अतः, इसे नालंदा के साथ न उलझाएं।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: हर विश्वविद्यालय में आर्बीट्रेशन का प्रोवीजन है। कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है, जिसके कानून में आर्बीट्रेशन का प्रोवीजन नहीं है? कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें आर्बीट्रेशन का प्रोवीजन न हो। श्रीमन्, आप स्वयं अध्यापक हैं। आपके विश्वविद्यालय में आर्बीट्रेशन है। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, पढ़ाया हूं, उसमें आर्बीट्रेशन है। यहां वकील साहब बैठे हुए हैं, यह यूनिवर्सिटी के केसेज करते रहे हैं, सब जगह आर्बीट्रेशन है।...*(व्यवधान)* हर विश्वविद्यालय में आर्बीट्रेशन है। लेकिन अगर नालंदा विश्वविद्यालय से किसी भारतीय विश्वविद्यालय का किसी मामले में झगड़ा हो जाए, तो कौन तय करेगा? ऐसे विश्वविद्यालय अभी और खुलेंगे। अभी तो एक शुरुआत है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अनेक प्रकार के खुलने चाहिए और खुलेंगे भी। कभी आप भी दूसरे देशों में जाकर विश्वविद्यालय खोलेंगे। मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं जब भारत सरकार कहेगी कि तक्षशिला में हम एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाते हैं, उसकी पहल हम करेंगे, जैसे यहां जापान, चीन, थाइलैंड और ये सारे लोग मिलकर विश्वविद्यालय बना रहे हैं। कल को आप श्रीलंका में विश्वविद्यालय बना सकते हैं। आप इस सवाल को देखें ...*(व्यवधान)* अगर इनमें विवाद आएगा...*(व्यवधान)* यह तो भविष्य का सवाल है। आपने कहा कि विवाद बढ़ सकते हैं अभी आप कह रहे हैं कि विवाद नहीं बढ़ेंगे।...*(व्यवधान)* आप बहुत अच्छे वकील है, हर एक चीज का जवाब दे सकते हैं। आपके जवाब देने की क्षमता पर इस सदन में किसी को संदेह नहीं है।...*(व्यवधान)* बहुत एबल वकील हैं। यह इधर बैठकर उधर का जवाब दे सकते हैं और उधर बैठकर इधर का जवाब दे सकते हैं, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

इतने सक्षम...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

महोदय, मैं वकीलों की जवाब देने की क्षमता को जानता हूं। हमारे यहां पंडित कन्हैया लाल मिश्रा एडवोकेट जनरल थे। वह नव्य प्रतिष्ठ वकील थे और अपने जमाने के देश भर के प्रतिष्ठित वकीलों में से एक थे। वह एक बार कोर्ट में आए, किसी बहस से उतरकर सीधे कोर्ट में चले गए और देखा कि बहस शुरू हो रही है, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। उनका जो मुवक्किल था, वह बहुत देर तक सुनता रहा, फिर बोला हुजूर यह आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे विरोधी की बात कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है।

[अनुवाद]

माई लार्ड, मेरे विरोधी यही कह सकते थे। अब मैं अपने लिए बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

इसलिए वकीलों की क्षमता के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। अगर कल ऐसी स्थिति आ जाए, आप इधर आ जाएं, तो आप फिर वही सारे तर्क देंगे, उन्हीं बातों के खिलाफ, जो आपने आज कही हैं। मैं आपकी इस दक्षता का कायल हूं और सदन भी कायल है।...*(व्यवधान)* मैंने एक बार इनसे कहा था कि एक मामले में आप मेरी वकालत करें, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, वह बात अलग है।...*(व्यवधान)* आपको याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगा।...*(व्यवधान)* मैं फीस नहीं दे सकता था, यह बात सही है।...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: आपकी पार्टी के कई लोगों के केस मैंने हमेशा फ्री किए हैं।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: जरूर किए होंगे।

श्री कपिल सिब्बल: पैसे का मामला हमारे बीच कभी नहीं आता।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा केस आपने मना कर दिया था।...*(व्यवधान)* एबल भी हैं, इसमें मुझे किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सवाल यह है कि इस बारे में यह भी देखा जाए...*(व्यवधान)* महोदय, मैं आप ही के चरण चिन्हों पर हूं। घंटी बजाने के जितनी देर बाद श्रीमन् आप इधर खड़े होकर टाइम लिया करते थे, मैं उससे कहीं ज्यादा टाइम लूंगा और...*(व्यवधान)* आपके आदर्श के अनुसार चल रहा हूं। आप क्षमा करेंगे।...*(व्यवधान)* मैं उतनी जोर से भी नहीं बोल रहा हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): डॉ. साहब, आप वैसे भी इन्हीं की बात कह रहे हैं, जो स्वयं यह कहना चाहते हैं, आप प्रोफेसर रहे हैं न।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: सुप्रीम कोर्ट के जिस निर्णय के अनुसार ये ट्राइबुनल बनाए जा रहे हैं या बनाए जा सकते हैं, उनमें एक बात की तरफ और ध्यान आकर्षित किया गया है और वह यह है कि जो भी ऐसा ट्राइबुनल बने, उसमें ज्युडीशियल मैम्बर की संख्या औरों से अधिक होनी चाहिए...*(व्यवधान)* इसमें एक बड़ी विचित्र स्थिति आती है कि अगर तीन सदस्य हैं, जिनमें एक ज्युडीशियल मैम्बर है और वह इत्तफाक से बीमार हो गया, तब भी दो आदमी काम कर सकते हैं। यह बिल्कुल असंवैधानिक बात है, क्योंकि ज्युडीशियल मैम्बर का होना अनिवार्य है, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसलिए इसे सुधारने की जरूरत है। कहते हैं कि कभी ऐसी बात होगी। मैंने कहा, कभी होगी तो उसका विचार होना चाहिए। कभी न हो, आखिर कानून में जितना कम से कम इम्परफैक्शन हो, उतना अच्छा है।...*(व्यवधान)* आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, वैसे करेंगे, करना तो पड़ेगा।...*(व्यवधान)* सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा कि कानून में यह खामी है, तो फिर करना पड़ेगा। अभी से सुधार लें तो बेहतर होगा। यही तकलीफ वहां आ रही है। नौ सदस्यों में से उनकी संख्या पांच होनी चाहिए, चार तो कम से कम होनी ही चाहिए, पांच हों तो अच्छा है। वहां आपको तीन महिलाएं रखनी हैं। उसका भी वही सवाल आएगा कि उस स्तर की, वहां से छांटना और फिर अगर आप महिला के नाम पर पौलिटिक्स करवाएंगे तो बहुत गड़बड़ होगी। इसलिए मेरा कहना है कि इन सारी चीजों को समझकर, व्यावहारिकता को समझकर सारा काम करना चाहिए, अन्यथा यह बिल्कुल व्यावहारिक नहीं रहेगा, चलेगा नहीं, यह मुझे आशंका है और इस बारे में खतरा है।

दूसरी बात, इससे अच्छा हो कि पहले आप विश्वविद्यालयों के लोगों से यह कहें कि उनके कानूनों में जहां कहीं सुधार की जरूरत है, जिससे कम से कम विवाद हो। हरेक राज्य सरकार ने कानून बनाए हैं। कुछ कानून बीस साल पहले बन गए थे, 1973 में बन गए थे जिन्हें तीस साल होने को आए हैं। विश्वविद्यालयों की परिस्थितियां बदल रही हैं। इसलिए नए-नए कोर्सेज आ रहे हैं। वहां भी पी.पी.पी. मॉडल आ रहे हैं, वहां भी सैल्फ फाइनैंसिंग कोर्स आ रहे हैं। आप कृपा करके उसके बारे में विचार कीजिए ताकि विश्वविद्यालयों का मेकैनिज्म ज्यादा से ज्यादा विवादों को वहीं निपटाने का हो।

मैंने एक बात यह भी देखी कि दुनिया में कहां-कहां ऐसे ट्राइबुनल्स हैं या क्या व्यवस्था है। यह देखकर लगा कि दुनिया में ट्राइबुनल्स बहुत कम जगहों पर हैं।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में निजी और सरकारी विश्वविद्यालय हैं जहां उनके पास छात्रों और कर्मचारियों के लिए आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र है। इस आंतरिक तंत्र से संतुष्ट न होने की स्थिति में वे अदालत जा

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

सकते हैं। इंग्लैंड में 'हायर एजुकेशन एक्ट, 2004' में कहा गया है कि छात्रों की शिकायतों की जांच ब्रिटेन और नेशनल एसेम्बली फार वेल्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा पदनामित एक 'बाडी कार्पोरेट' द्वारा की जाएगी। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान - प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान - में छात्रों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। यदि मामला नहीं सुलझता तो छात्र अपनी शिकायत 'इन्डीपेन्डेन्ट एडजुटिकेटर' के कार्यालय अथवा 'ओम्बड्समैन' के कार्यालय में ले जा सकता है।

आस्ट्रेलिया में, यदि छात्र को शिकायत है तो शुरुआत में वह आंतरिक छात्र शिकायत निवारण प्रक्रिया का प्रयोग कर सकता है। तत्पश्चात् वह संबंधित 'कॉमनवेल्थ स्टेट' अथवा 'टेरिटरी ओम्बड्समैन' से संपर्क कर सकता है। कर्मचारियों के पास शिकायत निवारण के लिए अदालत जाने से पूर्व मजदूर संगठनों और कतिपय बाह्य तंत्रों के जरिए आंतरिक शिकायत निवारण प्रक्रिया को खंगालने का विकल्प होता है। यहां भी अधिकरण नहीं है।

स्वीडन में, स्वीडन्स हायर एजुकेशन एक्ट, 1992 में जो 2006 में संशोधित किया गया है, कहा गया है कि छात्र के निष्कासन हेतु निर्णय एक संयुक्त बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध छात्र और संस्थान 'जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट' में अपील कर सकते हैं। 'द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एक्ट, 2001' उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों और आवेदकों के समान अधिकारों को बढ़ावा देता है।

[हिन्दी]

मेरा कहना है कि इस दृष्टि से कानूनों में वहां सुधार करने की जरूरत है, ताकि ये ट्रिब्यूनल्स काम कर सकें।

अंत में, मुझे यह कहना है कि अगर एजुडिकेशन ही करना है, तो क्यों न आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डेजिगनेटेड बेंचिस बना दें। जज तो आपको यहां भी रखना है और वहां भी रखेंगे। आप दोहरा खर्चा क्यों करते हैं? इस तरह से आपने और जगह बनायीं, और चीजें की हैं। कमर्शियल ट्रिब्यूनल्स को आप एजुकेशनल ट्रिब्यूनल्स के तौर पर लायें। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, वे ज्यादातर कमर्शियल ट्रिब्यूनल्स के हिसाब से किये गये हैं। उनके सामने एक उपाय के केस में जरूर आया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि एजुकेशनल ट्रिब्यूनल बनने चाहिए। वर्ष 1986 की पॉलिसी में कहा गया था, लेकिन आप जानते हैं कि उसके बाद भी केवल गुजरात, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र आदि में ऐसे ही ट्रिब्यूनल्स बने हैं। उनका काम कैसे चल रहा है, उसका कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। सदन के पास भी नहीं है और कमेटी के पास भी नहीं था। इसलिए इस बारे में बहुत गहराई के साथ, गंभीरता के साथ विचार कीजिए, क्योंकि बिल टेढ़ा हो जाये, उससे इतना नुकसान नहीं है, लेकिन अगर एजुकेशन टेढ़ी हो गयी, विवादों में सारी संस्थाएं फंस गयी, तो वे देश का बहुत नुकसान करेंगी और 50 करोड़ आने वाले लोगों के लिए भविष्य अंधकारमय हो जायेगा।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने यह बिल यहां रखा।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके इस बिल का स्वागत करता हूं। जैसे उन्होंने अपने शुरुआती शब्दों में कहा कि वे कई बिल लाने वाले हैं। वे तीन-चार चरणों में बिल लायेंगे, जिनके द्वारा वे हिन्दुस्तान की उच्च शिक्षा को बदलने और उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का एक प्रयास कर रहे हैं। उसका यह एक प्रथम पायदान है। आदरणीय जोशी जी ने एक कथा लॉयर्स के बारे में सुनायी थी।

सभापति जी, अगर आप इजाजत दें, तो मैं एक छोटी सी कहानी अध्यापकों के बारे में भी बताना चाहता हूं। मुझे याद है जब 1977 का चुनाव हुआ था, उस समय मैं बेंगलुरू के सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ता था। हमारी उस समय सिविक्स की क्लास चल रही थी। यह मेरी आपबीती है। मुझे याद है कि सुबह हमारी सिविक्स की दो क्लासेज हुआ करती थीं। सुबह के भाषण में फादर डेविड हमारी सिविक्स की क्लास लेते थे। उन्होंने आपातकालीन स्थिति और इंदिरा जी पर हम लोगों को कुछ वाक्य बताये। वही सैशन जब दूसरी बार चला, तो लौटकर फादर डेविड हमें बताने लगे कि जिस आपातकालीन स्थिति की हमने आपसे चर्चा की थी, जिस नेता के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी, वही कारण है कि जिससे कभी-कभी सरकारें भी गिर जाती हैं। जब मैं वापिस आया, तो पता चला कि सुबह और शाम के बीच में इंदिरा जी चुनाव हार गयी थीं और वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार आ गयी। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके की क्वालिटी उन्होंने लॉयर्स के बारे में बतायी, कभी-कभी अध्यापकों पर भी चर्चा को तर्क-वितर्क करने की यह कहानी अप्लाई करती है।...*(व्यवधान)*

मंत्री जी, आपने इस विधेयक को लाने के पीछे जो कुछ उद्देश्य बताये हैं, मैं उनमें अपने थोड़े से तर्क आगे देना चाहूंगा। हम सब लोग यहां सांसद हैं। हम सब लोगों के पास बच्चे आते हैं, जो यूनीवर्सिटी में पढ़ते हैं। कभी टीचर्स आते हैं हमने एक चीज देखी है कि बच्चों को खासकर विद्यार्थियों को कभी भी अगर यूनीवर्सिटी के सिस्टम से कोई न्याय चाहिए, तो वे साल-दर-साल भागते-फिरते रहते हैं। आपने कभी देखा होगा कि अगर अटैंडेंस में कोई दिक्कत हो जाती है, तो वह अपना तर्क देता रह जाता है, लेकिन उसे यूनीवर्सिटी से कभी न्याय नहीं मिलता। कभी-कभी उसका अपने प्रोफेसर या हैड ऑफ दी डिपार्टमैंट से झगड़ा हो जाता है, तो स्टूडैंट भागता फिरेगा, लेकिन उसे अटैंडेंस का सर्टीफिकेट नहीं मिलेगा। इस वजह से कभी-कभी उसके दो-तीन साल छूट जाते हैं।

सभापति महोदय, आदरणीय जोशी जी ने बताया कि इंटरनल ग्रीवैंस मैकेनिज्म होते हैं। इंटरनल ग्रीवैंस मैकेनिज्म में हम ज्यादातर देखते हैं कि हैड ऑफ दी डिपार्टमैंट या प्रोफेसर को ही महत्ता मिलती है, स्टूडैंट्स की बात कभी सुनी नहीं जाती। कई बार हम लोग कहते हैं कि हमारी यूनीवर्सिटीज में एस.सी. और ओ.बी.सी. स्टूडैंट्स के लिए कोटा दिया जाता है। देर-सवेर वे सीटें नहीं भर पाते, तो यूनीवर्सिटीज उसे डिजाल्व करके सामान्य स्टूडैंट्स के साथ जोड़ देती हैं। बच्चे भागते रहते हैं, सारे सांसद भागते रहते हैं कि कम से कम एस.सी. और ओ.बी.सी. बच्चों को एडमिशन मिल जाये, लेकिन एक बार यूनीवर्सिटी जिसे टर्न डाउन कर देती है, हमारे पास कोई द्वार नहीं होता है। जब तक द्वार होता है, सितम्बर-अक्तूबर निकल जाता है और एडमिशन की लॉस्ट डेट खत्म हो जाती है और सारा का सारा मसला वहीं समाप्त हो जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि 11 बजे इम्तिहान है, बच्चा भागकर किसी तरह एडमिशन की टिकट लेकर आता है और साढ़े दस बजे उसे रोक दिया जाता है कि तुम किसी कारण से इम्तिहान नहीं दे सकते हो। एक उदाहरण ऐसा भी है जिसे मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। एक लड़की को लॉ में एडमिशन मिला, जिसे 67 या 68 प्रतिशत से कम मार्क्स मिले थे, उसको इम्तिहान के लिए रोका गया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसने कोर्ट से जजमेंट लिया कि नहीं, इसे इम्तिहान देने का अवसर मिलेगा, उसे 11 बजे इम्तिहान में जाने से रोका गया, उसने जजमेंट दिखाया, लेकिन उसे नहीं जाने दिया गया। पुलिस आई, पौने बारह बजे उसे इंट्री मिली, लेकिन तीन साल हो गए हैं, उस विभाग ने उसका रिजल्ट अभी तक नहीं निकाला है। ऐसे बच्चे कहां जाएंगे? ट्रिब्यूनल लाने के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि बहुत से ऐसे लोग जो कोर्ट नहीं जा पाते हैं, कोर्ट की पेंचीदगियां नहीं समझ पाते हैं, अपनी समस्या को केवल सरल भाषा में बता सकते हैं, जिनके पीछे उस तरीके के भाव नहीं हैं कि वे कहीं भागदौड़ कर सकें, जब टीचरों को यूनिवर्सिटी सिस्टम के साथ सिर तोड़ना पड़ता है, उनके लिए ये ट्रिब्यूनल्स हैं। जैसा आपने बताया, नई-नई यूनिवर्सिटीज आती हैं, जिनमें दिखाते कुछ हैं और यथार्थ में कुछ और स्थिति होती है। वे बच्चे, वे अध्यापक, उन मां-बाप को आज कम से कम न्याय मिलने का एक जरिया मिलेगा। हमने बहुत सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज नए बनते देखे हैं। आपने देखा होगा कि एक अच्छी सी बिल्डिंग की फोटो दिखाई जाती है, नीचे बीफार्मा आदि उनके कोर्सेज के नाम लिखे होते हैं। लेकिन उसके नीचे का छोटा से प्रिंट कोई नहीं पढ़ता है कि

[अनुवाद]

यह भवन निर्माणाधीन है।

[हिन्दी]

जब बच्चा जाता है एडमिशन लेकर, मां-बाप से डेढ़ लाख रुपये लेकर जाता है, तो देखता है कि वहां लकड़ी का एक बड़ा किवाड़ बना हुआ है, उस किवाड़ को ठोंककर अंदर जाओ तो चार प्रोफेसर साहब बैठे होते हैं। खुदा जाने वे कहां से अपनी डिग्री लेकर आए हैं। उसे बताया जाता है कि बेटा, यूनिवर्सिटी अभी बन रही है, अभी तुम यहां पढ़ो। वह बच्चा कहां जाता है? कहीं नहीं जा पाता है। मां-बाप पड़ोसियों से पैसा लेकर डेढ़ लाख रुपये देते हैं। उनका बच्चा जब 12वीं पास करता है, तो उनको लगता है कि जीवनभर की उनकी मेहनत सफल होगी, मेरा बच्चा बीफार्मा करेगा, तो मेरी भी जिन्दगी आगे चलकर सुधरेगी। उस समय वह बच्चा हाहाकार करते हुए जगह-जगह भागता फिरता है। उसको अपने सामने अंधकार दिखता है, अंततः वह सिस्टम से हारकर उन्हीं प्रोफेसरों के साथ बैठकर, उसी एक किवाड़ के कमरे में यूनिवर्सिटी की डिग्री ले लेता है। तीन साल बाद जब वह किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाता है, तो उसे बताया जाता है कि बेटा जिस कॉलेज से आप आए हो, उसका नाम भी हमने अब तक नहीं सुना है। वह बताता है कि वह ए.बी.सी.डी. यूनिवर्सिटी से प्रमाणित है, तो उसे बताया जाता है कि ए.बी.सी.डी. के नाम से

[श्री सन्दीप दीक्षित]

कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं है दुनिया में, तो प्रमाण तुमको किसका मिल गया। वह बच्चा कहां जाए? उस समय जब उसके सामने उसका भविष्य मंडरा रहा होता है, जब तक वह किसी भी यूनिवर्सिटी का दरवाजा खटखटाएगा, उसके बच्चों के पढ़ने का समय आ जाएगा, उसे न्याय मिलेगा। यह सत्यता है हमारे लॉ सिस्टम की। कपिल सिब्बल साहब बहुत काबिल मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि स्टैण्डिंग कमेटी से हमें जो सुझाव आए हैं, जैसे-जैसे हम सीखते जाएंगे, परिवर्तन करते जाएंगे। जोशी जी कुछ बातें ठीक कही हैं कि हो सकता है आपको उसमें जज देने देने पड़ें। क्या 55 साल की उम्र सही है या उसे कम करने की आवश्यकता है। सबको हम देख सकते हैं, लेकिन इन ट्रिब्यूनल्स का आना अति आवश्यक है। इनका कोर्ट से बिल्कुल अलग नजरिया होता है। वही जज जब कोर्ट में बैठता है, तो एक दूसरे एटीट्यूड से, अलग सोच-समझ से हर केस को देखता है, उसके सामने मेजेस्टी ऑफ लॉ को सामने रखने की बात होती है, लेकिन जब वही लोग ट्रिब्यूनल में आते हैं, उनके अंदर मानवीयता ज्यादा दिखने लगती है। स्पीडी जस्टिस उनके लिए सबसे प्रथम बात बन जाती है। इससे पहले जब हम इसी सदन में ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल पास किया था, उसे इसीलिए सर्वसम्मति से पास किया गया था क्योंकि हम लोगों को मालूम था कि आने वाले समय में पर्यावरण से जुड़े हुए विषय धीरे-धीरे बढ़ते चले जाएंगे, उससे होते हुए नकारात्मक असर हमारे जीवन में बढ़ेंगे, इसलिए एक अलग पद्धति की आवश्यकता है जिससे हमें न्याय मिले। आज अगर हमारे पास 25,000 कॉलेज हैं, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि तीस, चालीस या पचास हजार कॉलेज भी बढ़ सकते हैं, हो सकता है कि नए तौर-तरीके के कॉलेज बढ़ें, उनके लिए कई ऐसी समस्याएं आगे आएंगी, हो सकता है कि आज हमारे पास जो कानून हैं, जो न्याय व्यवस्था है, उनमें वह सब निहित न हो। इंटर यूनिवर्सिटी ट्रांसफर हो सकता है उन सब्जेक्ट्स का, आप नए तौर तरीके लाएंगे नई तरीके की रिसर्च करने के। आज अगर हमारे पास बाहर से भी कुछ यूनिवर्सिटीज आएंगी जो अपनी-अपनी पद्धतियां यहां लाती हैं, तो हो सकता है हमारे लॉयर्स में, हमारे लोगों में इतनी काम्पिटेंसी न हो। लेकिन अगर हमारे पास ट्राइब्युनल्स होंगे, जिनमें एक कुलपति स्तर का भी व्यक्ति होगा, जो अध्यापकों की और यूनिवर्सिटीज की विपदा को और सिस्टम को समझता हो। एक एडमिनिस्ट्रेशन से व्यक्ति होगा, जो प्रशासन की सोच-समझ रखता हो। एक जज होगा जो न्याय को समझता हो, जो समझता हो कि किस तरह से हम न्याय का तर्क दे सकते हैं, तो हो सकता है कि बेहतर रूप से उन बच्चों को, उन अध्यापकों को यूनिवर्सिटीज के बीच में या यूनिवर्सिटीज सिस्टम के और कालेजेज के बीच जो विवाद होंगे, उन्हें सर्वोपरि रखते हुए कि बच्चों की एजुकेशन सफर न हो, उस टीचर का हटना सफर न हो, उस बात को ध्यान में रखकर अपना न्याय दे सकें। स्पीडी की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि कई और चीजों में अगर न्याय देर से भी मिल जाए, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे और आपके बीच में या मेरे और किसी के बीच में हमारे घर का विवाद है तो उस समय कहीं न कहीं घर में रह रहा हूं। सिविल मुकदमा है, कुछ दिनों के बाद घर मिल जाएगा। ऐसे ही जमीन का अगर झगड़ा है, दो-चार साल भी न्याय मिल जाएगा, तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। यह ठीक है कि जल्दी न्याय मिलना चाहिए। क्रिमीनल जस्टिस में आज नहीं तो कल मैं जेल जाऊंगा, अगर मैंने गलत काम किया है। लेकिन अगर कोई बच्चा दो साल खो देता है या बच्चे को अगर गणित की परीक्षा मिलनी है, सबसे अच्छा प्रोफेसर गणित का बनने वाला है, वह अगर बाहर हो जाता है, उसे न्याय नहीं मिलता है तो उस बच्चे की वे कक्षाएं वापस नहीं आतीं। बच्चे का वह समय फिर वापस नहीं आता है। वह समय अगर एक बार चला गया, तो हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए एजुकेशन में

[अनुवाद]

न्याय में विलंब निश्चित ही न्याय न मिलने के समान है।

[हिन्दी]

इसलिए उसके लिए ट्राइब्यूनल्स की आवश्यकता है। ऐसे रूप में ऐसी कामकाज चीज की आवश्यकता है जो तुरंत बच्चों का भविष्य देखकर, टीचर्स का भविष्य देखकर और उनके शिक्षण संस्थानों का भविष्य देखकर उसे सामने रखकर जजमेंट दे।

एक बहुत बढ़िया बात मंत्री जी ने कही है। मैं उसका स्वागत करता हूं, जब उन्होंने इस बात को कहा कि सरकार को हमें धीरे-धीरे शिक्षा प्रणाली से अलग करना पड़ेगा। सरकार का रोल है नीति बनाना, सरकार का रोल है मोटे-मोटे रूप से इस बात को तय करना कि हमारे बच्चों में, आने वाली जेनरेशन में किस तरीके

की पढ़ाई हो। कहीं न कहीं किस तरह के मूल्यों को उनके बीच में डाला जाए, किस तरीके की राष्ट्रीयता की भावना को हम उनके स्तर पर उनके बीच में रखें। हमारे इतिहास को, हमारे पूर्वजों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे साधु-संतों को, हमारे धर्मों को, हमारी पर्यटन की जगहों को किस तरीके से उनके सामने प्रस्तुत किया जाए कि उनके अंदर अपने देश के बारे में गौरव महसूस हो। वहां तक सरकार का रहना अति आवश्यक है। इस बात को देखना कि हम ऐसे कानून लाएं कि बच्चों को कहीं बेवकूफ न बनाया जाए। उनके मां-बाप को, जो अपने बच्चों में अपना भविष्य देखते हैं, कहीं काम्प्रोमाइज न हो, बहुत आवश्यक है। लेकिन हर चीज में इंटरफियर करने से भी सरकार को हटना पड़ेगा। मुझे कोई ऐसा सांसद बता दे कि उसकी अपनी आपबीती न हो कि हर दूसरे दिन हमारे पास कोई न कोई आता है कि यह हमारी बहू है या बहन है, इसका हिस्ट्री में इंटरव्यू आया है। अगर आप कह देंगे तो वह हिस्ट्री में इंटरव्यू चला जाएगा। कभी-कभी मेरे बोलने से अगर वह हिस्ट्री में इंटरव्यू चला गया, तो हो सकता है कि उससे बेहतर कोई हिस्ट्री पढ़ाने वाला व्यक्ति हो, जिसकी मुझ तक पहुंच न हो, अगर उस व्यक्ति के हटने से कोई दूसरा व्यक्ति हिस्ट्री में चला जाता है तो 30 साल एक सबस्टेंडर्ड हिस्ट्री का प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाता चला जाएगा। केवल इसलिए कि उस समय मुझे अपनी राजनीति ठीक करनी थी, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को न नहीं बोल सकता था या मेरे प्रभाव के कारण कुलपति न नहीं बोल सकता था। इसलिए हमें एजुकेशन सिस्टम से इस चीज को कहीं न कहीं अलग करना पड़ेगा। कई जगह पर, कई नौकरियों में हम लोग जानते हैं कि हम प्रभाव डालते हैं। हम देखते हैं कि हमारे इलाके के किसी कमजोर व्यक्ति को मौका नहीं मिल रहा है, तो हम उसकी मदद करते हैं, क्योंकि हम हर कमजोर व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, जिससे उसका जीवन सफल हो सके, सरकारी कार्यालय में या प्राइवेट में नौकरी मिल जाए, भले ही दैनिक वेतन पर नौकरी मिल जाए। लेकिन जब हम शिक्षा में काम्प्रोमाइज करते हैं, तो हम अपने बच्चे को काम्प्रोमाइज करते हैं। इसलिए वहां भी सरकार का जो प्रभाव बढ़ा हुआ है, वह अगर घटे, तो यह स्वागतयोग्य है।

इस ट्राइब्युनल में और बाकी आने वाले कानूनों में मैं एक बात जरूर चाहूंगा कि मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे। हम इस बात को भी सुदृढ़ करके रखें कि अगर हमारी आर्बिट्रेरीनेस उससे हट रही है, तो किसी और की आर्बिट्रेरीनेस भी उसमें नहीं आनी चाहिए। कई बार प्राइवेट कॉलेज में या संस्थानों में इस डर को हम जरूर देखते हैं। वहां पर किस तरीके के प्रोफेसर आ रहे हैं, क्या उनकी चुनने वाली पद्धतियां अपने में परिपूर्ण हैं या नहीं। आज अगर हम बिल लाएंगे, धीरे-धीरे हम नई यूनिवर्सिटीज को लाएंगे, तो हमारे आने वाले बच्चे और उनके मां-बाप जब उन यूनिवर्सिटीज के पीछे भारत सरकार की सील को देखेंगे, जब यह देखेंगे कि कानून द्वारा ये कालेजेज और ये यूनिवर्सिटीज को मान्यता मिली है तो वे विश्वास के साथ अपने बच्चों को उसमें भेजेंगे। क्योंकि भारत के हर व्यक्ति का अंततः भारत सरकार की सील पर भरोसा होता है। लेकिन इस कारण से भारत सरकार, जब अपनी ही यूनिवर्सिटीज को और उसके रिकोग्नाइज कालेजेज को मान्यता देती है तो इस बात को भी सुनिश्चित करके रखे कि जो प्राइवेट कालेजेज आएंगे या पी.पी.पी. माडल में आएंगे, चाहे किसी भी माडल में आएं, वे भी गुणवत्ता में काम्प्रोमाइज न करें। बल्कि हमारी इस यूनिवर्सिटी से शायद बेहतर ही शिक्षा दें। माननीय मंत्री जी, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं कि आप बहुत तत्परता से इस बिल को लाए। माननीय जोशी जी ने कुछ बातें कही थीं कि 15-16 रिक्मेंडेशन्स स्टेंडिंग कमेटी की हैं, मैंने भी उन्हें पढ़ा है, बहुत सब्सटेंटिव इनमें रिक्मेंडेशन्स नहीं हैं, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि दो-तीन में आपकी भी टिप्पणी आई है कि जो आने वाले अधिनियम इसमें आयेंगे, उसमें उन चीजों का आप ध्यान रखेंगे और मेरा कहना है कि उन चीजों का आप ध्यान अवश्य रखें। मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि जो तीन-चार बिल आप आगे लाने वाले हैं, पिछली बार जब आप राइट टू एजुकेशन का एक्ट लाये थे या दूसरा एक्ट लाये थे और चूंकि हम संसद में और चीजों में जूझते रहे थे, चर्चा करने का हमें कम समय मिला था, बहुत से सांसद अपनी बात नहीं रख पाए थे, लेकिन आपने हमारा आत्मबल जगाया, जब आपने कहा कि आप विस्तार से उसमें चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन मैं केवल इतनी विनती करूंगा कि अगर आपको लगे कि संसद में समय नहीं मिल पा रहा है तो किसी अलग जगह भी सांसदों को बुलाकर अगर आप हमारे विचारों को ले लें, तो अपनी बात हम रख पाएंगे, जिन बच्चों के मां-बाप ने संसद में हमें भेजा है, उनकी बात भी हम आपके बीच में रख पाएंगे। हो सकता है कि हममें से कुछ के ऐसे सुझाव आयें जो आपके कानूनों को, आने वाली व्यवस्था को और बेहतर रूप में बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा अधिकरण विधेयक, 2010 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी इस विधेयक को लेकर हमारे बीच में आये हैं और अभी बड़े ध्यान से मैं आदरणीय जोशी जी का, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फिजिक्स के प्रोफेसर और हमारे गुरु रहे हैं, उनकी बातों को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और उनकी काफी बातों से मैं सहमत भी हूं। उनका बहुत अनुभव भी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अब तो केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी है और हैड ऑफ डिपार्टमेंट होने के नाते उनका अनुभव भी था, जिससे उन बातों का उन्होंने उल्लेख भी किया।

सायं 7.27 बजे

(**डॉ. एम. तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए*)

जहां तक इस विधेयक में देखा गया है कि प्राइवेट संस्थाओं और खासकर एजूकेशन से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा यह विधेयक करेगा।

तकनीकी, मेडिकल शिक्षण संस्थाओं व विश्वविद्यालयों में कदाचार निषेध विधेयक, अनिवार्य मान्यता, राष्ट्रीय मान्यता प्राधिकरण और विवादों को निपटाने के लिए शैक्षणिक ट्रिब्यूनल बनाने के लिए यह विधेयक है, जिसमें उच्च शिक्षा-संस्थाओं, छात्रों व अध्यापक, कर्मचारियों और प्रबंधकों में मुकदमेबाजी में जो वृद्धि हो रही है, उसको जल्द निपटाने के लिए इस ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का ट्रिब्यूनल होगा। संसद की स्थाई समिति जो होती है, उसकी सिफारिश की जो बात कही गयी है, मुझे भी लगा कि बहुत जल्दी में यह विधेयक लाया गया है और इसकी सफलता-असफलता में कुछ न कुछ, कहीं न कहीं शंका है। ईश्वर करे कि यह ट्रिब्यूनल सफल हो। यह बात सत्य है कि आज मुकदमों की संख्या बहुत बड़ी है और खासकर मुकदमों में जो पैसा खर्च हो रहा है और लम्बे समय तक जो विवाद चलता है, लम्बे समय तक जो निपटारा नहीं हो पाता, उसे देखते हुए आप इसे लाए हैं। मैं चाहूंगा कि इस ट्रिब्यूनल विधेयक में एक टाइम-बाउंड यानी समय-सीमा निश्चित कर दें कि इतने दिन, इतने महीनों में, इतने सालों में इसका निपटारा कर दिया जाए तो बहुत उचित होगा।

छात्रों को भी आपने इसमें जोड़ा है, जिनके प्रवेश को लेकर, एग्नामिनेशन प्रोसेस को लेकर, जो उनका सेमेस्टर पीछे जा रहा है, कैसे उसे कवर करें, साल उनका बर्बाद न हो, उसकी तरफ भी यह ट्रिब्यूनल देखेगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर इस ट्रिब्यूनल में फैसला न हुआ तो आगे वह हाई-कोर्ट भी जा सकता है। मैं उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सदन में शून्य प्रहर में हमारे कई सम्मानीय सदस्यों ने बात उठाई है कि छात्र संघ का चुनाव कराया जाए। बहुत से ऐसे विवाद हैं, जैसा डॉ. जोशी जी कह रहे थे कि गवर्निंग बॉडी में एक ही दल, एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा के लोग हैं, उससे ज्यादा विवाद होते हैं, क्योंकि उनकी मोनोपोली हो जाती है। कुछ वाइस चान्सलरों द्वारा विवाद उत्पन्न हुआ है। ये देखा गया है कि यूनीवर्सिटी में जो पहले छात्र संघ थे, वहां ऐसे विवादों को जल्दी से निपटाते थे। आज बहुत से विश्वविद्यालयों में छात्रसंघों का चुनाव न होने के कारण भी बहुत से विवाद कोर्ट में गए हैं। मैं खास कर आपका ध्यान यशपाल समिति की रिपोर्ट की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि आप चुनाव करा दें, तो बहुत अच्छा होगा और जो छात्रों की मंशा है, वह भी पूरी हो पाएगी। जहां तक यूनीवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात है, मेरे ख्याल से इसमें और सरकार के बीच में कोई समन्वय नहीं हो पाया है। यू.जी.सी. की रिपोर्ट में कहा गया है कि 22.5 परसेंट आरक्षण एस.सी. और एस.टी. को मिलेगा। वह चाहे लेक्चरर, प्रोफेसर या अतिथि शिक्षक होते हैं। इस प्रकार के बहुत से विवाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी हैं। हमारे मित्र ने कुछ दिन पहले इंगित किया था कि दिल्ली यूनीवर्सिटी में भी अभी कोटे का बैकलाग है। जहां तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात है 112 पोस्ट आज की तारीख में खाली हैं। 71 एस.सी. और 41 एस.टी कोटे के पद खाली हैं, जिसे यू.जी.सी. की गाइड लाइन के अनुसार भरा जाना है। जबकि यू.जी.सी. की दो सदस्यों की टीम वहां गई भी थी। उन्होंने सिफारिश भी की थी, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है। वहां शिक्षक तथा छात्रों में जबरदस्त आक्रोश है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसे गम्भीरता से देखें।

दूसरी बात धारा 6(ए) में आरक्षण नीति लागू करने की बात यू.जी.सी. ने की है, उस बैकलाग को अगर आप भरेंगे, तो मेरे ख्याल से विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी की भरपाई हो पाएगी। जहां तक इस बिल में यह कहा है कि केपिटेशन फीस वसूलना अपराध होगा। इसमें सजा का भी प्रावधान किया है और पचास लाख

जुर्माना और तीन वर्ष की सजा का भी प्रावधान किया है। यह बात सच है कि आज छात्रों के साथ जबरदस्त शोषण हो रहा है। उनसे डोनेशन लिया जा रहा है, चाहे वे मेडिकल के छात्र हों, चाहे तकनीकी शिक्षा के छात्र हों या अन्य विषय में पढ़ने वाले हों। आपने इसमें जो व्यवस्था की है, उसके बारे में जोशी जी ने थोड़ा सा सवालिया निशान खड़ा किया है कि एक अध्यक्ष सहित आठ सदस्यों का प्रावधान किया है और बीस वर्ष का अनुभव भी है। मेरे ख्याल से आपके सामने बहुत बड़ी समस्या होगी। आपने बताया कि पांच हजार विश्वविद्यालय हैं और 25 हजार कॉलेज हैं तथा देश में 800 कॉलेज की और जरूरत है। यह बहुत बड़ी समस्या आज की जनसंख्या को देखते हुए देश के सामने है। खास कर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सिर पर है, इसे आपको देखना है।

मेरे पास बहुत से प्वायंट्स थे, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में छात्रों के हित की बात होनी चाहिए। खास कर विश्वविद्यालय या कॉलेज हैं, उनकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। छात्रों का डोनेशन के नाम पर जो शोषण हो रहा है, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: क्या मैं माननीय सदस्यगण से अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करने का अनुरोध कर सकता हूं क्योंकि इस विधेयक के लिए निर्धारित समय में से केवल आधा घंटा बचा है और अभी विधेयक पर बोलने के लिए 15 सदस्य शेष हैं। यदि आप प्रत्येक पांच मिनट लें और संक्षेप में बोलें तो यह हम सब के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसके अलावा, शून्य काल भी है और लगभग 30 सदस्य शून्यकाल में भी बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं यह कह रहा हूं कि कार्य मंत्रणा समिति ने इस विधेयक के लिए दो घंटे आबंटित करने का निर्णय लिया है। यदि आप अधिक समय लेना चाहते हैं तो यह अलग बात है। उन दो घंढों में से प्रत्येक दल को समय दिया गया है। मैं सदस्यगण को यही सूचित कर रहा हूं। फिर "शून्य काल" भी लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): सभापति महोदय, पहले मुझे यहां से बोलने की अनुमति दीजिए। मेरी सीट पीछे थी क्योंकि हमारे नेता बगल में बैठे थे, इसलिए मैं यहां से ज्यादा ठीक महसूस कर रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में ही यह लिखा हुआ था कि ट्राईब्यूनल बने और विवादों का जल्दी से जल्दी निपटारा हो। यही चीज वर्ष 1992 में भी एजुकेशनल ट्राईब्यूनल की जब एजुकेशन पॉलिसी फेल हुई, तब हुआ। मुझे इसमें थोड़ा सा अफसोस है कि 1986 से अब तक 24 साल हो गये हैं, यह अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए मैं अपने योग्य एच.आर.डी. मिनिस्टर को निजी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 1986 से जो जगह रिक्त थी, उसको एक सकारात्मक रूप दिया। इस हिसाब से एक ट्राईब्यूनल हो और विवादों का निस्तारण जल्दी हो, यह पूरी नेशनल और इंटरनेशनल डिमांड है। यह बहुत जस्टीफाइड डिमांड है लेकिन हमें इनका जो मुख्य उद्देश्य है कि इससे जल्दी-जल्दी निस्तारण होगा, मैं इसमें ज्यादा न जाकर सीधे मैं इस बिल पर आना चाहता हूं कि इस चैप्टर 2 में स्टेट लैवल और चैप्टर थ्री में नेशनल लैवल की बातें दी गई हैं। इसमें लिखा हुआ है:

[अनुवाद]

"प्रत्येक राज्य शिक्षा अधिकरण, एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों से, जिनमें से कम से कम एक, समुचित सरकार द्वारा नियुक्त की जाने वाली महिला होगी, मिलकर बनेगा।"

[हिन्दी]

स्टेट लैवल पर तीन लोग होंगे जिसमें एक महिला होगी और दो दूसरे लोग होंगे। अब हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह तो स्टेट एजुकेशनल ट्राईब्यूनल लैवल पर है लेकिन जो नेशनल लैवल पर है, वह आप चैप्टर थ्री में देखें क्योंकि यहां कमपैरीजन जरूरी है।

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय शिक्षा अधिकरण में आठ सदस्य होंगे। दो न्यायिक सदस्य होंगे; तीन शैक्षणिक सदस्य होंगे; तीन प्रशासनिक सदस्य होंगे।"

[श्री विजय बहादुर सिंह]

[हिन्दी]

अगर महिला स्टेट लैवल पर कंपीटेंट है तो आप समझिए कि क्या नेशनल लैवल पर महिला इंकंपीटेंट है? यह आपने कांशियस अगर ओमीशन है तो इस पर मैं अपना एतराज दाखिल करता हूं। आज जब रोज संसद में विचार हो रहा है कि 30 प्रतिशत रिजर्वेशन, 40 प्रतिशत रिजर्वेशन और पंचायत में 50 प्रतिशत रिजर्वेशन महिला के लिए हो तो आपने किस रीजन से महिला को हटाया, यह एक निरादर का भाव है, उसको आप देखें और समझें नहीं तो आपकी मुसीबत होने वाली है। इसी के साथ मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं। अब मैं सैक्शन 6 के सब क्लॉज 2 पर आता हूं। मैं बहुत जल्दी करूंगा। उसमें लिखा है:

[अनुवाद]

"ऐसा व्यक्ति एक सदस्य के रूप में नियुक्त होगा जिसकी आयु पचपन वर्ष से अन्यून हो।"

श्री कपिल सिब्बल: यदि माननीय खंड 21(3) देखें तो इसमें कहा गया है कि "उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून महिलाएं होंगी।"

श्री विजय बहादुर सिंह: यह नियुक्ति धारा में ही स्पष्ट होना चाहिए।

श्री कपिल सिब्बल: यह वहां है।

श्री विजय बहादुर सिंह: मैंने वह धारा देखी है। मैं उस पर आऊंगा।

[हिन्दी]

अभी हम डिले के बारे में बात करना चाहते हैं। इसमें क्लियर बात हो, ऐसा न हो कि डायरेक्टली और मेंडेटरी हो जाए।

[अनुवाद]

यह विधेयक में स्पष्ट लिखा हुआ है और मैं उद्धृत करता हूं:

"प्रत्येक राज्य शिक्षा अधिकरण, एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों से, जिनमें से कम से कम एक, समुचित सरकार द्वारा नियुक्त की जाने वाली महिला होगी, मिलकर बनेगा।"

[हिन्दी

यही लाइन इसमें लिख देते

[अनुवाद]

आठ सदस्य होंगे और आठ में से एक महिला होनी चाहिए। मैं उस पर आऊंगा। मैं धारा 21 रखूंगा। यदि ऐसा है तो मैं माननीय मंत्री के प्रति आभारी हूं।...*(व्यवधान)*

अब, मैं दूसरी बात पर आता हूं। माननीय मंत्री ने कहा है 'पचपन वर्ष से अन्यून आयु।'

[हिन्दी]

एजिंग सिस्टम के बारे में देखिए, जहां तक 55 साल के मकसद की बात है, हाई कोर्ट जज को एकोमेडेट करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडीशनल और ज्वाइंट सैक्रेट्री को एकोमेडेट करना है, ये एकोमेडेट तो हो जाएंगे लेकिन जो मेन फोकस है कि जल्दी होगा तो यह नहीं होगा। मैंने एज ए लॉयर देखा है कि जब सैंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना तो इसके कम्पोजिशन में एडीशनल और ज्वाइंट सैक्रेट्री लैवल पर लोग आए। रेलवे बोर्ड के सैक्रेट्री एडवर्स एंट्री का डेलिगेटिट लेजिसलेशन क्या हो, समझ ही नहीं पाए। वे कहते हैं कि आप रिटन ऑर्गयूमेंट दे दीजिए फिर इसमें कुछ सही कर दिया और कुछ गड़बड़ कर दिया। इसका नतीजा यह होता है कि लिटिगेंट पब्लिक का विश्वास घट जाता है। मैं आपको दूसरा रास्ता बताना चाहता हूं। एजुकेशन का विस्तार हो रहा है यह बहुत अच्छी बात है। आप नेशनल एजुकेशन सर्विस का गठन कीजिए। जिस तरह से आई.ए.एस. लैवल पर क्रीम आप सलैक्ट करते हैं उसी तरह हायर नेशनल एजुकेशन सर्विस के बारे में सोचिए। इसमें यंग आदमी भी आ सकते हैं। अगर 42 साल की उम्र में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हो सकते हैं,

[अनुवाद]

जिनके यहां अभी एक पुत्री ने जन्म लिया है।

[हिन्दी]

हमारे माननीय प्रधानमंत्री 39 या 40 साल के हो सकते हैं तो 55 साल की सीमा लगाकर ट्रिब्यूनल के

मैम्बर ही थके-थके होंगे तो जजमेंट भी थका-थका ही होगा। हमने देखा है कि जब हाई कोर्ट का जज आता है तो तीन साल के लिए वह पेंशन और कम्फर्ट की पोजीशन ले लेता है।

[अनुवाद]

वह अपने पोते-पोतियों की शादी आदि के काम को अंतिम रूप देने में व्यस्त रहता है, न कि न्याय प्रदान करने में,

[हिन्दी]

मैं आपको बताता हूं कि इलाहाबाद में कैट बने हुए आठ साल हो गए हैं, यह सैंट्रल की सर्विस प्लेस करते हैं, वहां 11 साल की पेंडेंसी है। जजमेंट ही नहीं होते, 11 बजे आते हैं और दो बजे कोर्ट खत्म हो जाता है। लिटिगेशन पब्लिक का ऑलमोस्ट कैट से विश्वास घट गया। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने दो जजमेंट दिए जिससे रिट में ज्यूडिशियल रिव्यू के सिस्टम से पोजीशन में कुछ गति आई। मैं चाहता हूं कि यह ट्रिब्यूनल बहुत अच्छा बने। सिब्बल साहब को मैं करीब 20-25 साल से जानता हूं, मुझे मालूम है इनके कम्पिटेंस में दो राय नहीं है और इनके इरादे बहुत अच्छे हैं।...(*व्यवधान*) वकील एक दूसरे को तो जानते ही हैं। मेरा कहना है कि आप इस लाइन को भी सोचें कि अगर कोई हायर नेशनल उस लैवल पर आ जाए जिसमें ईमानदारी और कम्पीटेंस हो तो वे 30 साल तक एक्सपर्ट हो जाएंगे। 65 साल का ब्यूरोक्रेट जब तक बात समझता है तब तक उसका एंड आ जाता है, रिटायर हो जाता है। इस तरह से उसकी जजमेंट में कोई दम नहीं आता है। छोटा-मोटा जजमेंट जैसे एज घटाना, रस्टीकेशन कैंसलेशन तो कर लेगा लेकिन जब यूनिवर्सिटी इंटर-से में डिस्पयूट होगा, डिसिप्लिन्स में डिस्प्यूट होगा तो वह कम्पीटेंट नहीं होगा। हर लिटिगेशन को हाई कोर्ट आना पड़ेगा, हर मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। इस तरह से नया फोरम बन जाता है, आप इसे देख लें। हाई कोर्ट की व्यवस्था है, हाई कोर्ट का जजमेंट है लेकिन

[अनुवाद]

न्यायिक समीक्षा सदैव संभव है।

[हिन्दी]

अगर आप कहें कि ये जानते हैं, अगर लिखा हो कि यह फैसला अंतिम होगा तो उसके बाद भी आर्टिकल 226 कांस्टीचुएशन में स्टेट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट एस.एल.पी. में रास्ता हमेशा के लिए खुला है, अगर यह रास्ता नहीं खुला होगा तो एन.आर.पी. या कैट की जो कंडीशन होगी, उसमें दो बात नहीं है।

लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह सिस्टम फेल हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ इंकम टैक्स ट्रिब्युनल ठीक से चल रहे हैं। परंतु चाहे एम.आर.टी.पी. हो, चाहे सिक इंडस्ट्रियल अंटरटेकिंग या अन्य कोई हों, ये ट्रिब्यूनल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं।

अंत में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं कि सैंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल्स का जो गठन है, इसमें थोड़ा ब्यूरोक्रेटिव इनवोल्वमैन्ट ज्यादा है। जैसे नेशनल एजूकेशनल ट्रिब्युनल्स के बारे में क्लाज-21 में लिखा है-

[अनुवाद]

"दो न्यायिक सदस्य होंगे, दो शैक्षणिक सदस्य होंगे और तीन प्रशासनिक सदस्य होंगे।"

[हिन्दी]

अब एडमिनिस्ट्रेटिव मैम्बर्स में अगर कोई सैक्रेटरी है या इकोनोमिक मिनिस्ट्री के सैक्रेटरी हैं। उनका लाइफ में एजूकेशन से कोई मतलब नहीं है। एक बार आई.ए.एस. क्वालिफाई कर गये और अफसर बन गये। लेकिन जब वह नेशनल एजूकेशनल ट्रिब्युनल में बैठेंगे तो सिर्फ टाइम पास करेंगे। बस इधर से उधर घूमेंगे और उसके बाद रिटायरमैन्ट बैनिफिट्स लेंगे और कहां मकान बनना है, कहां कैसे करना है, यही सब करेंगे। इसलिए आप इस कम्पोजीशन में एकेडेमिक इम्पार्टेन्स को जरूर ध्यान में रखें। अन्यथा क्या हो रहा है, 48 ब्यूरोक्रेट्स रिटायर होकर कैट जा रहे हैं। अभी इलाहाबाद में इंकम टैक्स के सीनियर कमिश्नर रिटायर हो गये और वह कैट में आ गये, लेकिन उन्हें सर्विस लॉज मालूम ही नहीं हैं।

मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि आप जो इस ट्रिब्युनल का गठन करने जा रहे हैं, यह बहुत अच्छा है। लेकिन आपने सिविल कोर्ट को बार कर दिया। मैं बताना चाहता हूं कि एक ट्रिब्युनल सफीशिएंट नहीं है। यूपी में कम से कम पांच हजार ऐसे कॉलेज हैं और अगर एक ट्रिब्युनल स्टेट में होगा तो वह इसे कोप अप नहीं कर

[श्री विजय बहादुर सिंह]

सकता। इसलिए या तो आप इनकी संख्या बढ़ाइये या डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह को एक्सपर्टाइज करके उसमें कुछ बनाइये और एडमिनिस्ट्रेटिव मैम्बर की जगह यदि आप डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह को इंडक्ट करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा।

इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ आपको बैस्ट ऑफ लक कहता हूं।

[अनुवाद]

वे बहुत कठिन कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।

[हिन्दी]

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): माननीय सभापति जी, यह विधेयक समय की मांग है और मेरे हिसाब से यह सुविचारित भी है। यह ठीक है कि 1986 की शिक्षा नीति के आलोक में बहुत दिनों के बाद यह विधेयक आया है। लेकिन यह बात भी सही है कि राइट टू एजूकेशन के आलोक में जो संविधान संशोधन हुआ था, जहां तक मुझे याद है वह 1986 में ही हुआ था और चूंकि वह विधेयक नहीं बना था, इसलिए संविधान का जो संशोधन था कि मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए, संविधान के संशोधन के बाद प्रभावी नहीं हो पाया था। इसीलिए यह विधेयक जो आया है, यह एक क्रांतिकारी कदम है, ऐसा मैं मानता हूं। इससे पहले डीम्ड यूनिवर्सिटीज ने बहुत लोगों की आंखें खोल दीं। टंडन कमेटी बनी, 44 लोगों के बारे में अलग से कार्रवाई हुई। इस तरह से यह अच्छा कदम था। मैं माननीय मंत्री जी का भाषण सुन रहा था, शिक्षा समवर्ती सूची में है, कंकरेन्ट लिस्ट में है। मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं कि जब वह विधेयक पेश करें तो इन पर प्रकाश डालें, चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है तो इस विधेयक के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो दो स्तरीय ट्रिब्युनल बनाने की बात हो रही है तो कितने राज्यों से इन्होंने सम्पर्क किया और कितने राज्यों से इन्होंने अभिमत लिया? इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया है। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की जो रिक्मैंडेशन है, उसे इन्होंने स्वीकार नहीं किया।

दूसरी बात यह है कि कितने मुकदमे राष्ट्रीय स्तर पर लम्बित हैं। जब इन्होंने कहा कि 25900 महाविद्यालय हैं और पांच हजार के लगभग विश्वविद्यालय हैं तो इन्हें इस बात की जानकारी होगी कि राष्ट्रीय स्तर पर यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थी, प्रबंधन, प्राचार्य और शिक्षण संस्थान के कितने मुकदमे लम्बित हैं? इन्होंने इसमें उद्देश्य और कारणों के बारे में बताया है, इन्होंने कहा कि पांच घटक हैं और पांचों घटक से मुकदमे और विवाद होते हैं।

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब वह जवाब देंगे तो इस पर प्रकाश डालेंगे कि उन्होंने कितने राज्यों से सम्पर्क किया, कितने राज्यों की इस मामले में क्या राय थी और अब तक कितने मुकदमे लम्बित हैं? श्री विजय बहादुर जी ने ठीक कहा कि जो कमेटी का गठन है, राज्य स्तर पर बहुत सारे मुकदमे होते हैं। मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि बिहार में 1986 में चतुर्थ चरण में महाविद्यालयों का अंगीभूतिकरण हुआ था, अभी तक उनका निपटारा नहीं हुआ है। यह मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो उसने एक स्पेशल बैंच बना दी। उसकी बैठक सम्राट होटल में हुई जिसने निर्णय दे दिया। उसके बाद मामला फिर से यूनिवर्सिटी में चला गया। यूनिवर्सिटी ने कई कारण लगाकर उसकी संवीक्षा करके नहीं माना तो विद्यार्थी हाई कोर्ट में चले गये। कभी शिक्षक रखे जाते हैं तो कभी नॉन-टीचिंग स्टाफ छंट जाते हैं, कभी नॉन-टीचिंग स्टाफ रखे जाते हैं तो टीचिंग स्टाफ छंट जाते हैं। ऐसे मामले अभी तक चल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जब ऐसे मामले चल रहे हैं तो राज्य स्तर पर बहुत से मुकदमे हैं। यहां वुमैन के बारे में कहा गया कि राज्य से एक सदस्य होगा लेकिन यहां उसके अनुपात में होगा। मैं एक बात माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक सरकार का दृष्टिकोण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये और पिछड़े वर्ग के लिये था तो ये तीनों आपको सुपात्र क्यों नहीं हैं? यह बनेगी गौशाला। कम से कम 65 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ष। इसमें 15 वर्षों के लिये वजीफा मिलेगा जो रिटायर्ड आई.ए.एस. ऑफिसर्स होंगे और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिटायर्ड होंगे। तो वहां अपने-अपने लोगों को बैठाया जायेगा। अगर अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के जज नहीं हैं तो आई.ए.एस. एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स तो हैं। अगर पिछड़ा वर्ग का आदमी आपको नहीं मिलता है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये प्रावधान होना चाहिये था। आपने मंडल कमीशन को माना है तो ओ.बी.सी. के लिये प्रोवीजन होना चाहिये था जो आपने नहीं किया है। जब आपने स्वीकार किया है तो आगे जाकर आपको समस्या आयेगी कि राज्य स्तर पर तीन-राज्यीय ट्रिब्यूनल बनाने की बात की है, मुकदमों की

संख्या देखते हुए सदस्यों की संख्या को बढ़ाना होगा। जब सदस्यों की संख्या बढ़ानी होगी तो इसे दृष्टि में रखते हुये, जब आपने महिला के लिये प्रावधान किया है, आपने अच्छा काम किया है, प्रशंसनीय काम किया है जिसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिये प्रावधान करना चाहिये था। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उनके बारे में मेरी राय अच्छी है कि उन्होंने शिक्षा मंत्री बनकर अच्छा कदम उठाया है, अच्छा सुधार किया है। लेकिन समाज के कमजोर वर्ग को न्याय नहीं मिलता है, वह न्याय से वंचित होता है। यह ठीक है कि आपके बिल में कृषि नहीं है, मैडिकल के लिये प्रावधान नहीं है, जो शोध संस्थान है, उनके बारे में नहीं है। यह बात भी ठीक है कि उच्च शिक्षा में आप गुणवत्ता लाना चाहते हैं और गुणवत्ता लाने के लिये यह विधेयक बहुत आवश्यक है। इसके बनने से बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा लेकिन कैपिटेशन फीस की बात है और जिस तरह से एक जजमेंट हाई कोर्ट का होता है और एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बैंच का होता है और जब उसका डबल बैंच बनता है तो सिंगल बैंच के जजमेंट को पलट देता है और कैपिटेशन फीस चलती रहती है। इसलिये, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो कृषि विभाग है, जो मैडिकल विभाग है, उनसे बात करके उन्हें भी इस विधेयक के दायरे में लाना चाहिये।

सभापति महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि वह यह विधेयक लाये जो एक क्रान्तिकारी काम है, क्रान्तिकारी कदम है क्योंकि इस प्राधिकरण से हम लोग आगे बढ़ेंगे, शैक्षणिक क्षेत्र में जो मुकदमे बाकी हैं और जो गुणवत्ता का ह्रास है, उन्हें दूर करने के लिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन (कन्याकुमारी): आदरणीय सभापति महोदय, मुझे शिक्षा अधिकरण विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। देश में बढ़ रही शिक्षा विवादों की संख्या को देखते हुए यह चर्चा हेतु काफी महत्वपूर्ण विधेयक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा अधिकरण राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्थापित किए जायेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुई तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के विद्यार्थियों, अध्यापकों, कर्मचारियों, प्रबंधन कार्मिक संबंधी मुकदमेबाजी के मामलों में वृद्धि हुई है, अतः शिक्षा अधिकरणों को तत्काल स्थापित करने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता और प्रभावी कार्यकरण को बनाए रखने और उसमें सुधार हेतु इनके विवादों के शीघ्र समाधान के लिए तंत्र उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता है।

महोदय, विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि उच्च शिक्षा में विस्तार और इसके अन्य देशों के साथ प्रभावशाली रूप से प्रतिस्पर्धात्मक होने का लक्ष्य केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है, यदि विनियामक प्रणाली और विवाद-समाधान प्रक्रिया विश्वसनीय हो।

उच्चतर शिक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के विवादों पर न्यायनिर्णयन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शिक्षा अधिकरणों की दो स्तरीय संरचना की व्यवस्था का प्रस्ताव फास्ट्रेक, तीव्र न्याय सुपुर्दगी हेतु उचित ही किया गया।

खण्ड 16, उपयुक्त सरकार को किसी शिकायत के न्याय निर्णयन हेतु राज्य शिक्षा अधिकरण के समक्ष आवेदन करने की विधि, फॉर्म, आवश्यक दस्तावेजों तथा दिए जाने वाले शुल्क को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि प्रक्रिया सरल होनी चाहिए और जहां तक शिकायत के कार्यवाही भाग का संबंध है, यह यथासंभव एकल खिड़की द्वारा प्रचालित होना चाहिए।

शिक्षा अधिकरण विधेयक का खण्ड 17 यह व्यवस्था करता है कि उच्च शिक्षा संस्थान के किसी अध्यापक या किसी अन्य कर्मचारी के सेवा मामलों से संबंधित खण्ड 15 के उप खण्ड (क) के अंतर्गत विवादों में न्यायनिर्णयन हेतु राज्य शिक्षा अधिकरण, आवेदन को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि वह संतुष्ट न हो कि आवेदक ने शिकायतों के समाधान या विवादों के समाधान हेतु संगत सेवा नियमों के अंतर्गत उपलब्ध सभी उपायों को प्रयोग कर लिया था।

खण्ड 18 में उप-खण्ड (2) में यह अच्छी बात है जो प्रावधान करता है कि राज्य शिक्षा अधिकरण किसी आवेदन को छह माह की निर्धारित अवधि के बाद भी स्वीकार कर सकता है यदि आवेदक अधिकरण को संतुष्ट करे कि उसके पास इस अवधि के भीतर आवेदन न करने के पर्याप्त कारण थे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और मैं विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री पी.के. बिजू (अलथूर): धन्यवाद, सभापति महोदय, शिक्षा समाज की प्रगति को मापने का एक यंत्र है। यही कारण है कि भारतीय समाज शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। परन्तु, नई-स्व-वित्तपोषित शिक्षा और कार्पोरेट शिक्षा का विकास हमारे देश में शैक्षिक प्रगति को कम कर देगा। परन्तु केन्द्रीय सरकार न तो इस स्थिति को स्वीकारने के लिए तैयार है और न ही हमारी शिक्षा को मजबूत करने के लिए कोई गंभीर उपाए करने को तैयार है।

इस मोड पर, केन्द्रीय सरकार शिक्षा क्षेत्र संबंधी शिकायतों के समाधान विशेषकर उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुचित प्रक्रियाओं तथा शिक्षकों, विद्यार्थियों और सांविधिक विनियामक प्राधिकारियों संबंधी मामलों के विवादों के न्याय-निर्णयन हेतु अधिकरण की स्थापना के साथ सामने आई है। हम इसका स्वागत करते हैं। तथापि, विधेयक में दिए गए खण्डों ने विद्यार्थियों, अध्यापकों, प्रबंधन, शिक्षा संस्थानों और राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के विवादों का समाधान करने के लिए कोई उपाय प्रदान नहीं किया है।

शिक्षा अधिकरण की संरचना से संबंधित विधेयक के खण्ड 5, 6, 21 और 22 में उच्चतम न्यायालय के 2010 के एक निर्णय का उल्लंघन है, जिसके अनुसार जब भी कोई दो सदस्यीय या अधिकरण की बड़ी पीठों का गठन किया जाता है, तो तकनीकी सदस्यों की संख्या न्यायिक सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहां इस विधेयक में प्रस्तावित राष्ट्रीय अधिकरण में दो न्यायिक, तीन शैक्षणिक और तीन प्रशासनिक सदस्य होंगे और राज्य शिक्षा अधिकरण की अध्यक्षता एक न्यायिक सदस्य द्वारा की जाएगी और इसमें दो सदस्य होंगे, जिनमें से एक के पास कुलपति का अनुभव होना चाहिए और अन्य राज्य सरकार में मुख्य सचिव हो या रह चुका है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसको कैसे संज्ञान में लेगा?

रात्रि 8.00 बजे

खण्ड 12(1) और (2) में अर्थात् राज्य अधिकरण स्तर पर; यदि अध्यक्ष सेवानिवृत्त हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो नए अध्यक्ष की नियुक्ति एक अधिकरण का वरिष्टतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा और यदि अध्यक्ष की सीट अनुपस्थिति या बीमारी के कारण रिक्त हो, ऐसी अवस्था में संभावना है कि मामले की सुनवाई गैर न्यायिक सदस्य द्वारा की जाए। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है?

अधिकरण सदस्यों हेतु न्यूनतम आयु आवश्यकता संबंधी खण्ड 6(2)क, 22(2)क और 3(क) के अनुसार, राष्ट्रीय और राज्य अधिकरणों के सदस्यों की न्यूनतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए। यह अन्य उच्च अधिकारियों हेतु आवश्यक न्यूनतम आयु से अधिक है। उच्चतम न्यायालय के 2010 के निर्णय अनुसार यदि अधिकरणों को सक्षम और प्रभावी रूप से कार्य करना है। तो उन्हें युवा सदस्यों को आकर्षित करना चाहिए जिनके पास पर्याप्त सेवा अवधि हो। इस विधेयक में विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों में उच्च शिक्षा क्षेत्र से संबंधित लंबित मामलों की संख्या के बारे में कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं, मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में लगने वाले समय और मुकदमेबाजी में संलिप्त व्यय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। वर्तमान में विभिन्न न्यायालयों में बड़ी संख्या में शिकायतें लंबित हैं।

विभिन्न देशों में उच्च शिक्षा में अंशधारकों के विवादों को निपटाने के लिए तंत्र हैं। अमरीका में दोनों निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों और स्टाफ हेतु आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र है। इंग्लैण्ड में उच्चतर शिक्षा अधिनियम, 2004 के अनुसार विद्यार्थियों की शिकायतों की समीक्षा निकाय कार्पोरेट द्वारा की जा सकती है जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नेशनल एसेम्बली फॉर वेल्स द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में विद्यार्थियों की शिकायतों के समाधान हेतु औपचारिक प्रक्रिया होती है। आस्ट्रेलिया में, विद्यार्थी शुरुआत में आंतरिक शिकायत निवारण प्रक्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं और इसके बाद संगत राष्ट्रमण्डल राज्य या क्षेत्रीय लोकपाल या सरकारी प्रत्यायन प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। स्वीडन में उच्च शिक्षा अधिनियम, 1996 में लागू किया गया था और इसे 2006 में संशोधित किया गया। इन सभी देशों में, यदि प्राथमिक स्तर पर न्यायनिर्णयन में समस्या आती है तो यहां उच्च स्तर से संपर्क करने का भी विकल्प है। क्या केन्द्रीय सरकार के पास भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र में किसी शिकायत के समाधान हेतु कोई तंत्र है?

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने 20 अगस्त, 2010 को शिक्षा अधिकरण विधेयक 2010 संबंधी अपना 225वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। स्थायी समिति ने प्रकट किया कि चूंकि राज्य-दर-राज्य शिक्षा संस्थानों की संख्या भिन्न है, प्रति राज्य, एक शिक्षा अधिकरण की स्थापना एक समान रूप से करना संभव नहीं है। गुजरात और उड़ीसा ने शिक्षा अधिकरण तंत्र का अनुसरण किया है। क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस बात की जांच की है कि अधिकरण ने इन राज्यों में अब तक

किस प्रकार कार्य किया है क्या वे सफल रहे हैं या नहीं और इस विधेयक की पुरःस्थापना से मौजूदा अधिकरण प्रणाली वहां कैसे प्रभावित होगी? क्या गुजरात और उड़ीसा में मौजूदा अधिकरण प्रणालियों में खामी की पहचान करने हेतु कोई उपाय किए गए हैं?

स्थायी समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि शब्द "अनुचित व्यवहार" को इस विधेयक में पारेभाषित किया जाए। क्या विधेयक में इस विषय की जांच-पड़ताल की गई है क्योंकि देश भर के छात्रों को अनेक प्रकार के अन्याय का सामना करना पड़ता है और इसका विधेयक में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जाना चाहिए था? स्थायी समिति ने नोट किया है कि 'छात्र' शब्द को मुख्य भाग में सम्मिलित किया जाए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस मामले की किस प्रकार से जांच की है? ऐसे में, सरकारी और निजी संस्थाओं के मामले में न्याय सुनिश्चित करने हेतु क्या कोई अलग तंत्र है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अधिकरणों में अ.जा./अ.ज.जा. के प्रतिनिधियों के सुझाव पर किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत है। क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अधिकरण प्रणाली को लागू करने के बारे में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की राय मांगी है? समिति ने पाया कि केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और हिमाचल प्रदेश की सरकारों अर्थात बहुत कम राज्यों में इस विधेयक का औपचारिक रूप से समर्थन किया है। अतः, इस विधेयक का शेष राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

यह विधेयक द्वि-स्तरीय प्रणाली का सुझाव देता है। वर्ष 2002 में टी.एम.ए. पाई निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने त्रि-स्तरीय शिक्षा अधिकरण प्रणाली का सुझाव दिया था? जब त्रि-स्तरीय प्रणाली जिला स्तर के अधिकरण को भी सम्मिलित करता है और वह मुद्दों का शीघ्र निपटारा करने में अधिक कुशल है तो विधेयक को द्वि-स्तरीय प्रणाली तक क्यों सीमित किया गया है? अधिकरण के खर्च को कौन वहन करेगा? क्या यह राज्य अथवा केंद्र सरकार के अन्तर्गत आयेगा?

अतः, मेरा सुझाव है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अधिकरण विधेयक को अंतिम रूप देने से पूर्व स्थायी समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों पर विचार करना चाहिए।

श्री मोहन जेना (जाजपुर): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

सर्वप्रथम, मैं इस विधेयक को संसद में लाने हेतु माननीय मंत्री को बधाई देना चाहूंगा।

महोदय, शिक्षा समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम उचित शिक्षा के अभाव में एक आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का उद्धरण है कि "एक राष्ट्र का जन्म विद्यालय की कक्षा से होता है।" इस प्रकार, शिक्षा का प्रबंधन और जिस प्रकार से यह शिक्षा छात्रों को दी जाती है और शिक्षा से संबंधित विवादों को हल करना काफी हद तक राष्ट्र की उपलब्धि बयां करता है।

समाज बदल गया है। तो दिन बीत गए जब शिक्षा केवल समाज के संभ्रान्त वर्ग के लोगों तक सीमित थी, एकलव्य जैसे आम आदमी के लिए कक्षा के दरवाजे बंद थे और आम लोगों को शिक्षा प्राप्ति से दूर रखा जाता था। आजकल शिक्षा हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है।

ऐसे में हमें स्वतंत्रता-पूर्व के समय में हमारे युवाओं द्वारा किए गए महान बलिदानों को नहीं भूलना चाहिए। देशबंधु श्री चितरंजन दास का आह्वान था कि "शिक्षा के लिए प्रतीक्षा की जा सकती है परंतु स्वराज्य के लिए नहीं।" तत्कालीन भारत के अनेक छात्रों ने शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने और शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाने हेतु स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। अब आत्म-विश्लेषण का समय है। हमें कितनी सफलता मिली है? हाल में हमने शिक्षा का अधिकार विधेयक पारित किया जिसका अर्थ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 64 वर्षों के बाद भी शिक्षा देश के कोने कोने में नहीं पहुंची है। हम छह से 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करने के अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में बुरी तरह से असफल रहे हैं। शिक्षा का अधिकार कानून की नजर में प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करने का प्रयास करता है। तथापि, इस पृष्ठभूमि में माननीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल जी द्वारा की गई पहल प्रशंसनीय है।

हमारे मंत्रीजी अव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे मंत्री जी के इन प्रशंसनीय प्रयासों के कारण चार विधेयक अर्थात (1) तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अऋजु व्यवहार का प्रतिषेध विधेयक;

[श्री मोहन जेना]

(2) शिक्षा अधिकरण विधेयक; (3) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्था प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक; और (4) विदेशी शिक्षा संख्या (प्रवेश और प्रचालन का विनियमन) विधेयक संसद में विचारार्थ आए हैं।

ये चार विधान शिक्षा के क्षेत्र में मील के पत्थर के रूप में सिद्ध होंगे और इस क्षेत्र में स्थिति में सुधार करेंगे। इस संदर्भ में, मैं शिक्षा अधिकरण विधेयक के संबंध में अपने विचार रखना चाहूंगा।

यहां पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि 'शिक्षा अधिकरण राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्थापित किये जाएंगे।' इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना-1992 में भी यह कहा गया है कि शिक्षा प्रणाली में उत्पन्न कानूनी विवादों की भारी संख्या पर विचार करते हुए 'शिक्षा अधिकरण" स्थापित किए जाएंगे। अब हम काफी समय से लंबित अपेक्षाओं को पूरा करने जा रहे हैं।

मैं विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का समर्थन करना चाहूंगा परंतु कुछ संशोधनों के साथ।

महोदय, खंड 21 एन.ई.टी. (नेट) की संरचना का उपबंध करता है। उपखंड 2, क, ख और ग में एन.ई.टी. के सदस्यों के बारे में कुछ मानदंड हैं। अध्यक्ष के अतिरिक्त, नेट के आठ सदस्यों, को न्यायिक, शैक्षिक और प्रशासनिक क्षेत्र से नामित किया जाएगा। परंतु मेरा मतभेद यह है कि क्या यह क्षेत्र सामाजिक विभाजन से मुक्त है? क्या यह तथाकथित क्षेत्र सामाजिक रूप से शत-प्रतिशत समावेशी है? अतः, हमें नेट (एन.ई.टी.) के शीर्षस्थ विकास में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को स्थान देने हेतु कानूनी तंत्र का उपबंध करना चाहिए। तदनुसार, राज्य शिक्षा अधिकरण का उपबंध करने वाले इस विधेयक की धारा 5 और 6 में संशोधन किया जाना चाहिए।

महोदय, खंड 21(6) में पुनर्विचार करने का एक अन्य उपबंध है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार नेट (एन.ई.टी.) का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। अतः, राष्ट्रीय शिक्षा अधिकरण की शीर्षस्थ समिति नई दिल्ली से कार्य करेगी। इस संदर्भ में, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं और मेरे विचार से हमारे देश के संघीय ढांचे को ध्यान में रखकर यह बेहतर होगा कि देश के विभिन्न भागों में नेट (एन.ई.टी.) की चार से पांच क्षेत्रीय पीठ का उपबंध करना बेहतर होगा। उदाहरणार्थ; तमिलनाडु अथवा जम्मू अथवा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी अथवा उड़ीसा के कोरापुर के प्रभावित कर्मचारी को नेट (एन.ई.टी.) के समक्ष उपस्थित होने अथवा अपील करने के लिए नई दिल्ली आने में काफी वित्तीय भार उठाना पड़ेगा।

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री मोहन जेना: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। मैं अपने दल की ओर से अकेला वक्ता हूं।

सभापति महोदय: प्रत्येक दल का केवल एक वक्ता है।

श्री मोहन जेना: अतः इस पहलू को ध्यान में रखते हुए इसका विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए।

खंड 24, उप-खंड 8(1) यह उपबंध करता है कि क्रमशः राष्ट्रीय शिक्षा अधिकरण और राज्य शिक्षा अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को 70 वर्ष की आयु के बाद ऐसा पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। अतः, अपने दल की ओर से मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि राज्य और राष्ट्रीय अधिकरण दोनों में आयु 60 वर्ष अथवा 65 वर्ष होनी चाहिए।

खंड 15(क) से (घ) और खंड 31(1) (क) से (ङ) राज्य शिक्षा अधिकरण और राष्ट्रीय शिक्षा अधिकरण के क्षेत्राधिकार शक्तियों और प्राधिकार का बिल्कुल स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। यह दोनों खंड इस विधेयक के अति महत्वपूर्ण खण्ड हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान सम विश्वविद्यालयों की कमियों वाले क्षेत्रों के बारे में टंडन समिति की रिपोर्ट की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। हमारे देश के अनेक विश्वविद्यालय और निजी शैक्षिक संस्थाएं छात्रों से धन कमाने के व्यवसाय केंद्र बन गए हैं।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री मोहन जेना: उन्होंने अपने आपको शिक्षा केंद्र से भ्रष्टाचार का गढ़ बना लिया है। ये प्रमाण-पत्र, उपाधियां और पीएचडी. डिग्रियों को दुकानों के सामान की तरह बेच रहे हैं। सम विश्वविद्यालय घोटाले की जांच करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित टंडन समिति ने पाया है कि 130 सम विश्वविद्यालयों में से

44 विश्वविद्यालयों में निराशाजनक शैक्षिक और भौतिक अवसंरचना है तथा वे मुख्य रूप से पारिवारिक समूहों से जुड़े हुए हैं। टंडन समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिश के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 44 सम विश्वविद्यालयों की मान्यता रद्द कर दी है। मान्यता रद्द किये गये सम विश्वविद्यालयों जिनकी छात्रों की संख्या दो लाख थी का मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए। अगले वक्ता डॉ. संजीव नाईक है।

श्री कपिल सिब्बल: यदि माननीय सदस्य मुझे अनुमति दें तो मैं बता दूं कि किसी भी विश्वविद्यालय की मान्यता अभी तक रद्द नहीं की गई है। हमने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी नहीं जारी किया है।

श्री मोहन जेना: समाचार पत्र में ऐसा छपा है?

श्री कपिल सिब्बल: मैं आपको केवल सूचित कर रहा हूं कि किसी भी विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द नहीं की गई है। सैद्धांतिक रूप में हमने टंडन समिति की रिपोर्ट से सहमति जताई है और हमने उसे उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश किया है। हमने कोई कारण बताओ नोटिस भी नहीं जारी किया है। इसलिए, उस संबंध में हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन करेंगे। इसलिए, वास्तव में मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द नहीं की गई है।

श्री मोहन जेना: धन्यवाद, महोदय।

समाचार-पत्र की सूचना के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद का रिकॉर्ड भी अनुमोदन प्रदान करने के मामले में संदेहास्पद है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, आप नहीं बोल सकते। यह मामला समाप्त हो चुका है। अब डॉ. संजीव नाईक बोलेंगे।

श्री मोहन जेना: महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दिया जाए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय: उन्होंने कहा है कि गणपूर्ति नहीं है। हम घंटी बजा रहे हैं। घंटी बजाई जा रही है।...अब गणपूर्ति पूरी हो गयी है। अब डॉ. संजीव नाईक बोलेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, आप श्री जेना को अपनी बात पूरा करने के लिए एक मिनट का समय दे दें।

सभापति महोदय: समय समाप्त हो गया है। हमने पहले ही अगले वक्ता को पुकारा है। वे पहले ही 10 मिनट बोल चुके हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

सभापति महोदय: ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें।

श्री मोहन जेना: समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों को अनुमोदन प्रदान करने के मामले में भारतीय चिकित्सा परिषद का रिकार्ड भी संदेहास्पद रहा है।

सभापति महोदय: नहीं, उस मुद्दे को यह मत उठायें। वह इससे संबंधित नहीं है।

श्री मोहन जेना: महोदय, कृपया मुझे अपनी बात के मुख्य बिंदुओं को रखने की अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय: वहीं वह संबंधित नहीं है। यह संबंधित नहीं है।

श्री मोहन जेना: महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और मैं इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सरकार और मंत्री जी को भी धन्यवाद करूंगा कि अच्छा हुआ कोरम हुआ, मैं सब को इसके लिए धन्यवाद करता हूं, नहीं तो हमें बोलने का मौका ही नहीं मिलता। इतने सालों के बाद लगभग 120 करोड़ की आबादी होने के बाद ये बिल लाए, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करूंगा।

[अनुवाद]

आप सदैव अग्रणी रहेंगे।

[हिन्दी]

आप इसमें रहेंगे, आपका नाम हरदम रहेगा और सबका नाम रहेगा। जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था तो इस बात से दुखी था, लेकिन आज मेरे मैम्बर ऑफ

[डॉ. संजीव गणेश नाईक]

पार्लियामेंट बनने के लिए यह बिल आ रहा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उस वक्त ऐसा नहीं था।

मैं मंत्री जी से दो ही बातें कहना चाहूंगा। आपने इसके क्लाज में कहा है कि 55 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। अभी हम सब लोग यंग हैं, हमको भी उसमें एक्सपीरिएंस लेना चाहिए। हम सभी लोग, हमारे जो सदस्य हैं, उन्होंने भी इस बारे में रिक्वैस्ट की है। इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। हम आपसे कहेंगे कि आप इसमें रिजर्वेशन रखिये और कोई एक-दो सदस्य आप उसमें ले लीजिए ताकि कम से कम उनको एक्सपीरिएंस हो। अगर वे इसके करीब में रहेंगे तो उनको एक्सपीरिएंस हो जायेगा कि किस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।

दूसरी बात, आपने जो कैपीटेशन फीस के बारे में कहा है, जो उनके ऊपर कानून कार्रवाई होगी, मैं समझता हूं कि यह कम है। इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, नहीं तो और कई लोग इससे परेशान होंगे। इसके बारे में दूसरे वाले बिल में आ जायेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी चीज है। यह सैकिण्ड बिल में आयेगा, लेकिन इसमें प्रावधान होना जरूरी है।

तीसरी बात है कि आपकी जो इच्छा है कि ट्रिब्यूनल होने से फायदा होगा तो निश्चित रूप से फायदा होगा, लेकिन उसके बाद में अगर कोई ऐसी घटना होती है कि जिसके लिए एमेंडमेंट करना पड़े और उसमें संशोधन की जरूरत हो तो उसके लिए वापस 15-20 साल नहीं लगने चाहिए, तुरन्त बाद उसमें एमेंडमेंट हो, ताकि उसका हल निकल सके। यह चीज आपने आने वाले भविष्य के बारे में सोची है। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं और सभी मैम्बर्स को, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है, धन्यवाद करता हूं। आगे चलकर आपके बच्चे हैं, उनके आने वाले बच्चे हैं, सब के बच्चों के लिए यह बिल जरूरी है।

[अनुवाद]

***श्री के. सुगुमार** (पोल्लाची): सभापति महोदय, इस सम्मानीय सभा में शिक्षा अधिकरण विधेयक, 2010 पर विचार किया जा रहा है और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से इस विधेयक पर बोलने के लिए सभापति द्वारा मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, सरकार की ओर लाया गया यह प्रस्ताव एक स्वागत योग्य कदम है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में सैक्षिक समुदाय से जुड़े विवादों के शीघ्र समाधान की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए इस विधेयक को लाने का विचार किया गया है।

उच्च शिक्षा क्षेत्र में तेजी से हो रही वृद्धि से विभिन्न उच्च सैक्षिक संस्थाओं की स्थापना का मुद्दा सामने आया है। उच्च शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों, उनके प्रबंधन से छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के विवाद जो बाद में मुकदमेबाजी में बदल जाते हैं, का इस कानून द्वारा अधिकरण की स्थापना से समाधान करना इस विधेयक का ध्येय है। मामलों का शीघ्र निपटान और शीघ्र न्याय दिलाना इस का मकसद है और इस विधेयक से राज्य और केन्द्र, दोनों, स्तरों पर अधिकरण की स्थापना स्वागत योग्य है।

हाल में जब कभी हम समाचार पत्रों पर नजर डालते हैं तो हमें शैक्षिक क्षेत्र में खासकर उच्च शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में कई विवादों और हितों की टकराहट के मामले अवश्य ही मिल जाते हैं।

शिक्षकों द्वारा छात्राओं की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करना, शिक्षकों और प्रबंधन के बीच वेतन संबंधी विवाद, छात्रों से जुड़े शैक्षिक परिसर में जातीय संघर्ष, राजनीतिक हस्तक्षेप जिससे शिक्षण संस्थाओं में समस्याएं पैदा हो जाती है, शिक्षण संस्थाओं में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, शुल्क में वृद्धि जिससे शिक्षण संस्थाओं और अभिभावकों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है, कतिपय अधिकारियों द्वारा उन शिक्षण संस्थाओं को अनुमति प्रदान किए जाने के कारण उत्पन्न समस्याओं जिनके पास पर्याप्त अवसंरचना सुविधा नहीं होती, पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण उच्च शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन के खिलाफ छात्रों का विद्रोह जैसी बहुत सी समस्याएं है जिसके कारण संबंधित पक्ष को न्याय पाने के लिए किसी न्यायिक फोरम में जाना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त, शिक्षण संस्थाओं को चलाने के लिए दिया जाने वाला अनिवार्य मान्यता से भी मुकदमेबाजी पैदा होती है और हमारे पास शीघ्र न्याय दिलाने वाला कोई तंत्र नहीं है। इसलिए इस विधेयक का उद्देश्य शिक्षा अधिकरण स्थापित करना है। इसलिए, मैं यह विधेयक प्रस्तुत करने की पहल का तथा मानव संसाधन विकास मंत्री के प्रयासों का स्वागत करता हूं।

यह कहा गया है कि राज्य अधिकरण में 3 सदस्य

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

होंगे, एक न्यायपालिका की ओर से, दूसरा शिक्षा जगत से तथा तीसरा सरकार की ओर से जो मुख्य सचिव स्तर का होगा। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें कम से कम 2 न्यायिक अधिकारी हों, और इसका विस्तार कर 4 सदस्यी बनाया जाना चाहिए जिससे कि एक न्यायिक अधिकारी न्याय देने के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा। राष्ट्रीय स्तर पर एक 8 सदस्यीय निकाय जिसके 2 सदस्य न्यायपालिका के होंगे की अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश करेंगे। मेरी इच्छा है कि इस अधिकरण में उपयुक्त योग्यता वाले गैर-भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति पर भी विचार किया जाना चाहिए। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह 20 वर्ष के अनुभव की आवश्यकता को कम करके 10 वर्ष करे। मेरा विश्वास है कि इससे अंतर को कम करने में तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में समस्याओं और विवादों के शीघ्र निपटान में मदद मिलेगी।

अधिकरण की घोषणाओं को तत्काल अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए और उन लोगों को सजा दी जानी चाहिए जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विलम्ब न हो तथा राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। यदि निर्णयों को लागू करने में कोई अड़चन आती है तो न्याय दिलाने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण होना चाहिए। तभी इन अधिकरणों से जनता को न्याय मिल पाएगा। उच्च शिक्षा संस्थाओं के कार्यकरण को सुचारू बनाना तथा सुगम संचालन में आ रही बाधाओं को दूर करना तथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना इस विधेयक का उद्देश्य है। इसलिए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बिभू प्रसाद तराई (जगतसिंहपुर): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री को बधाई और धन्यवाद देता हूं क्योंकि हमारे देश के लिए निर्णायक घड़ी में यह विधेयक पुर:स्थापित किया गया है। मैं इसे देश के लिए निर्णायक घड़ी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हमारी सरकार यहां निजी शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने को प्रोत्साहन दे रही है, इतने सारे विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं, और निवेश की पी.पी.पी. पद्धति से इतने सारे शैक्षणिक संस्थान स्थापित होने वाले हैं, तो यह निर्णायक घड़ी है और इस विधेयक की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय और राज्य अधिकरण की संरचना पर आते हुए, राज्य अधिकरण के बारे में यह बताया गया है कि इसमें तीन सदस्य होंगे। लेकिन 1988 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पांच की जाए। मेरा सुझाव है कि दो न्यायिक सदस्य होने चाहिएं। राष्ट्रीय अधिकरण में अध्यक्ष के अलावा आठ सदस्य हैं। मेरा सुझाव है कि इन निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। राज्य अधिकरणों में एकरूपता नहीं होनी चाहिए क्योंकि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जनसंख्या है। अधिकरण का गठन किस प्रकार किया जाए और उसमें कितने सदस्य हों, यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय अधिकरण की पीठ में तकनीकी सदस्यों की संख्या न्यायिक सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्यथा, इसका नौकरशाहीकरण हो जाएगा। यदि न्यायधीश नहीं होंगे तो लोगों को उचित न्याय नहीं मिलेगा।

'अऋजु व्यवहार' शब्द, जिसका जिक्र किया गया है, स्पष्ट रूप से पारिभाषित होना चाहिए। इस विधेयक में छात्रों के लिए उपबंध होने चाहिए ताकि वे न्याय मांग सकें। आप कहते हैं कि चयन समिति में मुख्य न्यायधीश और उच्च शिक्षा, विधि और न्याय, चिकित्सा शिक्षा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव होंगे। लेकिन शिक्षाविदों को शामिल नहीं किया गया है। अतः चयन समिति में शिक्षाविदों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

एक अन्य बात अधिकरण के सदस्यों की आयु के संबंध में है। जब एक 25 वर्ष की आयु का व्यक्ति लोक सभा का सदस्य बन सकता है और 35 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्य सभा का सदस्य बन सकता है तो उच्च न्यायालय का ऐसा न्यायधीश जिसे दस वर्ष का वकालत का अनुभव है, जिसके पास विशेषज्ञता है, जिसके पास क्षमता है, वह इस अधिकरण का सदस्य क्यों नहीं बन सकता? अतः, आयु सीमा नहीं होनी चाहिए। विशेषज्ञ और सक्षम व्यक्तियों को राष्ट्रीय और राज्य अधिकरणों का सदस्य बनाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, अभी नालंदा विश्वविद्यालय बिल को सदन में पारित किया है। विश्वविद्यालय का विधेयक विदेश विभाग लाया था और उस समय माननीय शिक्षा मंत्री हम लोगों की तरह श्रोता थे। विश्वविद्यालय विदेश विभाग बना रहा है। शिक्षा का न्याय ज्यादा जल्दी हो, अच्छा हो, उससे शिक्षा में सुधार हो जाएगा आदि के बारे में माननीय मंत्री जी

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

विधेयक लाए हैं। माननीय मंत्री जी ने दावा किया है कि चार विधेयक हैं। यह भी दावा किया गया है कि सन् 1986 की शिक्षा नीति में जाहिर किया गया था कि शिक्षा का दो स्तरीय न्यायाधिकरण बनाएंगे। सन् 1992 के कार्यक्रम में भी था। सन् 1984 से आज तक 26 वर्ष हो गए। सन् 1992 से 18 वर्ष हो गए। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि 26 और 18 वर्ष तक, बीच में माननीय जोशी जी भी उस दौर से गुजरे, क्या इस विधेयक को लाने में अगर-मगर था या क्या कारण था कि 26 और 18 वर्ष तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने में विलंब हुआ? क्या इस पर मंत्रालय या अन्य जगह से मतैक्य नहीं था?

इसमें देर हुई लेकिन फिर समिति ने चिन्ता जाहिर की कि वाइडर कन्सलटेशन नहीं किया गया। सब माननीय मंत्री जी ने दावा किया कि पांच सौ से ज्यादा विश्वविद्यालय हो गए। सबसे राय नहीं ली गई और जितने हिस्सेदार और जितनी जरूरत थी, उस बारे में वाइडर कन्सलटेशन क्यों नहीं किया गया।

हमने इसमें क्लॉज देखा है कि जब कोर्स ऐग्जास्ट करेगा तब न्यायाधिकरण में आवेदन होगा। अभी तक वह छः महीने, साल, दो साल तक फैसले पड़े रहते हैं। आपके यहां नहीं आएगा तो न्याय कैसे मिलेगा और शिक्षा में सुधार कैसे होगा। झगड़ा बना रहेगा, विवाद चलता रहेगा। आपने रोक लगा दी कि जब सभी आयामों से पार करेगा तभी इसमें आवेदन दिया जा सकेगा। वह आयाम हो पार नहीं कर सकेगा जो इस अधिकरण में आए। इस बारे में स्पष्ट तौर से बताया जाना चाहिए।

दिल्ली यूनीवर्सिटी में एक कॉलेज है। लोग नारी सशक्तीकरण के बारे में कहते हैं। देश के सभी उच्च और मर्यादित पदों पर महिलाएं बैठी हैं। वहां सारी शिक्षिकाओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ दरखास्त दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वाइस चांसलर के यहां कार्यवाही नहीं हुई, कॉलेज संचालन के यहां प्रिंसिपल के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई। प्रिंसिपल इतना ताकतवर है। वह फैसले नहीं करवायेगा, जांच नहीं करेगा, कार्रवाई नहीं करेगा और न्यायाधिकरण में भी नहीं आयेगा, तो आपकी पढ़ाई और व्यवस्था कैसे सुधरेगी, यह हम जानना चाहते हैं। ऐसा होना चाहिए कि उस व्यवस्था में अनावश्यक डिले हो, तो इसमें आयेगा। हमने आपके कानून में भी क्लॉज को सरसरी निगाह से देखा है। उसमें टाइम बाउंड कुछ नहीं है। मान लीजिए न्यायाधिकरण ने पेटीशन दे दी और दो साल तक सुनवाई नहीं हुई, तो वह बेचारा फिर कोर्ट में जायेगा या आपके यहां बैठा रहेगा कि न्यायाधिकरण बना है।

उसमें एक और क्लॉज है, जिसमें इन्होंने कहा कि राज्य सरकार अलग कानून बनायेगी और भारत सरकार अलग कानून बनायेगी। नियम बनाने की शक्तियां राज्य सरकार को हैं। राज्य सरकार कानून बनायेगी और जब आप उसे यहां बहाल करेंगे तो फिर से कानून-नियम बनायेंगे। राज्यों और केन्द्र के बीच जो झगड़ा होता है, उसके निपटारे के लिए कोई न्यायाधिकरण नहीं आयेगा? इसमें कहां प्रावधान है? श्री मंगनी लाल मंडल जी कह रहे थे कि इसमें कार्यावधि यानी समय भी ठीक नहीं है। उसके आने के लिए बहुत रोक है कि सब कोर्सेज ऐग्जास्ट कर लेगा, जब उसे कहीं से न्याय नहीं मिलेगा, तब वह यहां आयेगा। वह जल्दी ऐग्जास्ट ही नहीं होगा, पांच साल-दस साल तक रहेगा, तो लोगों का कैसे भला होगा? नीचे से ऊपर तक जो शिक्षा है, सबमें ताकतवर और स्वर्ण लोगों ने कब्जा किया हुआ है। दलित, पिछड़े और आदिवासी लोगों का उसमें अभी आना मुश्किल है। आपने इसमें उनके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया है। उन्हें कभी भी न्याय नहीं मिलने वाला है, चाहे आप न्यायाधिकरण भी बना दें। इस बारे में कोई ख्याल ही नहीं है। उसमें भले ही महिला रहे, लेकिन अनुसूचित जाति का कौन रहेगा? उसमें पिछड़ी जाति के लोगों के लिए जगह ही नहीं है। इसलिए इन सभी बातों...*(व्यवधान)* संख्या बढ़ायी जाये, इसका आपने प्रावधान क्यों नहीं किया? देश ने कमिट किया है कि डाउन ट्रोडन को विशेष अवसर दिया जायेगा। संविधान ने धारा 16(4), धारा 15(4) सोशली, एजुकेशनली, बैकवर्ड और अनुसूचित जाति के लिए अलग प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति के रिजर्वेशन के लिए अलग प्रावधान है। इसमें कौन बहाल होगा, हमें पूरा सन्देह है कि इसमें सब ब्यूरोक्रेट्स या नजदीकी लोगों को बैठा दिया जायेगा और कहेंगे कि हम न्याय करेंगे, शिक्षा में सुधार करेंगे, तो उसमें क्या सुधार होने वाला है? इसलिए पहले इन सभी बातों पर विचार किया जाये, उसके बाद इस बिल को पारित किया जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अगले वक्ता डॉ. के.एस. राव हैं। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

डॉ. के.एस. राव (एलूरू): महोदय, आपकी अनुमति से, मैं इस स्थान से बोल रहा हूं।

सभापति महोदयः ठीक है, लेकिन संक्षेप में बोलें।

डॉ. के.एस. रावः महोदय, मैं माननीय मंत्री को यह विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैंने विधेयक के उद्देश्यों को समझा है जोकि उत्कृष्ट हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उच्चतर शिक्षा में तीव्र वृद्धि के परिणाम-स्वरूप मुकदमेबाजी में भी वृद्धि हुई है। उनका लक्ष्य इन विवादों का जल्दी समाधान करना और इन संस्थानों की गुणवत्ता और क्षमता में सुधार करना और इसे बनाए रखना है। यह काफी अच्छा है।

संख्या से कोई फायदा नहीं है जब तक कि गुणवत्ता न हो। इसलिए उनका जोर भी गुणवत्ता पर है। मैं पिछले 25 वर्षों से कह रहा हूं कि कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित न हो, विशिष्टतः गुणवत्ता शिक्षा के साथ। हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो मंत्रालय आज उनके पास है, वह राष्ट्र के भविष्य का निर्णय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्यत्र क्या हो रहा है जब तक कि वे प्रत्येक देशवासी को सही शिक्षा प्रदान नहीं करते। इसलिए मैं पूरे मन से उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने वकील होने के पूर्ण ज्ञान को एकत्रित कर मानव संसाधन विकास में लगाया है।

मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था। यह इस देश में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। शिक्षा, विशेषकर गरीबों के लिए महत्वपूर्ण है। हजारों वर्षों से वे सुबह से लेकर शाम तक कार्य कर रहे हैं, परन्तु उनकी जीवनशैली में कोई परिवर्तन नहीं आया है। परन्तु यदि किसी गरीब के परिवार में किसी एक बच्चे को एक बार गुणवत्ता शिक्षा के साथ शिक्षित किया जाता है तो उनकी जीवनशैली और रहन सहन के ढंग में स्वतः परिवर्तन हो जाता है। यही अपेक्षित है। हमारी सारी आकांक्षा, इच्छा और लक्ष्य इसी बात को प्राप्त करने के लिए है। वह देश की काफी सेवा कर रहे हैं। इस संदर्भ में, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, जो मेरे मस्तिष्क में हैं, और मैं उन्हें काफी लम्बे समय से बताना चाहता था।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने शिक्षा की महत्ता को पहचान लिया है। वह मंत्रालय के लिए अच्छा आवंटन कर रहे हैं और मनाव संसाधन विकास मंत्रालय हेतु बजट में पर्याप्त वृद्धि भी कर रहे हैं। वे इस क्षेत्र में न केवल दो-चार बल्कि अनेक महत्वपूर्ण विधान लेकर आए हैं। वे शिक्षा का अधिकार लेकर आए हैं, जिसके द्वारा हर कोई महसूस कर रहा है कि शिक्षा को अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना चाहिए, और अब वे गुणवत्ता शिक्षा हेतु अधिकरण ला रहे हैं; क्षमता को बढ़ा रहे हैं; और न्याय सुलभ करा रहे हैं और शिक्षा में अनियमित्ताओं या गलत प्रकार की शिक्षा या विवादों को समाप्त कर रहे हैं।

मैं उनकी इस घोषणा से भी प्रसन्न हूं कि वे कुछ और विधेयक भी ला रहे हैं, जैसे संस्थानों का प्रत्यायन। यह अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि तब लोग एक-दूसरे के साथ संस्थान की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। जब तक ऐसा नहीं होता तो गधे और घोड़े एक समान रहेंगे। इसकी जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यकता है।

इसी प्रकार, सार्वजनिक-निजी-भागीदारी पी.पी.पी. हेतु उनका प्रस्ताव आवश्यक है क्योंकि संख्या लगातार बढ़ रही है। मैं समझ सकता हूं कि वे विदेशी शिक्षा प्रदाताओं के संबंध में एक अन्य विधेयक ला रहे हैं, जिसकी इस समय आवश्यकता है। वे शिक्षा में धांधली को समाप्त करने के लिए भी एक विधेयक ला रहे हैं। मैं जानता हूं कि वे काफी अड़ियल व्यक्ति हैं, परन्तु बात केवल यह है कि इसे लागू करते समय, कोई अन्य दबाव नहीं होना चाहिए। यदि कोई संस्थान कोई गलती करता है या किसी झूठे या गलत ढंग का आश्रय लेता है, तो उन पर बिना कोई रहम खाए उन्हें जेल भेज देना चाहिए। यदि इनमें से कुछ को जेल भेजा जाता है तो कोई भी अन्य संस्थान ऐसे गलत कार्यों या धांधली में सम्मिलित नहीं होगा। परन्तु अभी तक ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं। यदि वे मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शुरुआत करते हैं, तो अन्य मंत्रालय भी उनकी तरह इन चीजों को अपने संबंधित मंत्रालयों में लागू करेंगे।

अपने पूर्ण रूप में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा शिक्षित लोगों की संख्या शीघ्र ही कई मिलियन में पहुंच जाएगी, जिसके द्वारा बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। मेरा उनसे सविनय अनुरोध है कि जो शिक्षा हम देने जा रहे हैं वह न केवल गुणवत्ता शिक्षा होनी चाहिए, बल्कि यह कौशल में सुधार हेतु व्यवसायिक/कौशल शिक्षा होनी चाहिए। आज जीवन के हर क्षेत्र में देश में कुशल जनशक्ति की कमी है। किसी भी छोटे काम को करने के लिए आपको सही

[डॉ. के.एस. राव]

आदमी नहीं मिलता। मैं चाहता हूं कि वे व्यवसायिक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करें और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि क्या वे क्षमता के आधार पर आठवीं कक्षा से व्यवसायिक शिक्षा देना प्रारंभ कर सकते हैं।

मैं विधेयक के उपबंधों पर बिल्कुल नहीं आया था। मैं केवल दो या तीन बातें बताऊंगा। मैंने विधेयक को पढ़ा है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान केवल खण्ड 6 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उप-धारा (1) में संदर्भित दो सदस्यों में से एक सदस्य का चयन ऐसे व्यक्तियों से किया जाना चाहिए जो उप-कुलपति रहा हो, आवश्यक रूप से ऐसे व्यक्ति को उप-कुलपति होना चाहिये। दूसरे सदस्य पर आते हुए, आप के अनुसार, दूसरे व्यक्ति का चयन ऐसे व्यक्तियों में से किया जाए जो व्यक्ति मुख्य सचिव या उसके समकक्ष रहा हो परन्तु खण्ड 2(ख) के अनुसार "जो व्यक्ति सदस्य बनने के लिए अर्हक होगा उसमें क्षमता अखण्डता और प्रतिष्ठा हो तथा पर्याप्त ज्ञान हो और शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा सार्वजनिक कार्य या प्रशासन से संबंधित मामलों में समुचित और पर्याप्त ज्ञान तथा न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।" इसमें कुछ विरोधाभास है। मूलतः उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सभा के समक्ष लाया जाने वाला कोई भी विधेयक त्रुटिरहित नहीं हो सकता है। जो उन्होंने कहा है मैं उसकी सराहना करता हूं। कम से कम, अगली बार एक संशोधन लाया जा सकता है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है।

दूसरी बात पीठ के संबंध में है। मुझे प्रसन्नता है क्योंकि उनका कहना है कि "यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय शीघ्र दिया जाए, वह यह भी चाहते हैं कि पीठें प्रारंभ की जाएं।" मुझे बहुत प्रसन्नता है। उन्होंने महिलाओं हेतु एक-तिहाई आरक्षण का भी उपबंध किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। परन्तु पीठ के संबंध में उन्होंने कुछ भी उल्लेख नहीं किया। कल यदि उन्हें दो पीठ प्रारंभ करने होंगे तो उसमें कोई महिला सदस्य नहीं होंगी। इसमें एक-तिहाई महिलाओं के लिये जो बल दिया गया है, वह पीठ में नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इसे देखें कि पीठ के सदस्यों के संबंध में भी उपबंध किया जाए।

महोदय, यह देश अनुसंधान और विकास में पिछड़ रहा है। आज यदि अमरीका, जर्मनी और जापान विकसित हैं, तो यह केवल अनुसंधान और विकास के कारण है। वे लोग अनुसंधान हेतु असामान्य दरें प्रभारित कर रहे हैं और वहां जो भी लोग अनुसंधान कर रहे हैं, वे हमारे अपने लोग हैं। यदि आप भी अनुसंधान और विकास पर कुछ जोर देंगे तो हम अनेक पश्चिमी देशों से भी अधिक उत्कृष्ट होंगे।

अंतिम बात यह है कि इस देश में संकाय की काफी कमी है। जब तक संकाय अच्छा नहीं होगा, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अध्यापकों का प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक उन लोगों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती, जब तक ये लोग गुणवत्ता वाले नहीं होंगे शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आएगी। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अधिक से अधिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान खोलने पर विचार करें और इनमें से कुछ संस्थानों के लिए यह अनिवार्य करें कि वे कुछ अध्यापकों को सरकार पर बिना कोई अतिरिक्त भार डाले प्रशिक्षित करें। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे व्यवसायिक शिक्षा, अध्यापकों के प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास पर बल दें और देखें कि सभी नागरिक कौशल प्राप्त करें और सरकार पर आश्रित न हों ताकि वे स्व-रोजगार प्राप्त कर सकें।

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट): सभापति महोदय, आज हम शिक्षा अधिकरण विधेयक, 2010 पर चर्चा कर रहे हैं जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में छात्रों, अध्यापकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बीच होने वाली मुकदमेबाजी की बढ़ती संख्या से निपटने हेतु अधिकरणों की स्थापना करना हैं। मुकदमेबाजी से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जोकि दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अधिकरणों की स्थापना करते हुए भारत सरकार इस तथ्य को स्वीकार कर रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक अनियमितताएं हो रही हैं। तथापि, मैं ऐसे अधिकरणों की आवश्यकता को कम करके नहीं आंक रहा हूं बल्कि मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। परंतु यदि शिक्षा का निजीकरण किया जाता है तो अनियमितताओं और धांधलियों में वृद्धि होगी। देश में निजी परिसरों से समस्या बढ़ेगी। शिक्षा के निगमितीकरण के कारण अधिकाधिक मुकदमेबाजी होगी। इसलिए, हमें निष्पक्ष निर्णयों द्वारा अधिकरणों के माध्यम से मामलों को हल करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय और राज्य अधिकरणों के क्षेत्राधिकार एक समान हैं। अतः, भविष्य में इन दोनों प्राधिकरणों के बीच

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इन मामलों को कौन सी संस्था सुलझायेगी? इस प्रश्न का उत्तर अब तक नहीं दिया गया है जिससे समस्याएं बढ़ सकती हैं।

हम विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर खोलने के लिए आमंत्रित करने पर विचार कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो छात्रों, संकायों और कर्मचारियों के बीच विवादों की संख्या कई गुणा बढ़ जाएगी। तब कौन सा अधिकरण अंतिम निर्णय देगा? यह विधेयक राष्ट्रीय और राज्य अधिकरणों के क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर मौन है। यशपाल समिति में वहनीयता का उपयोग 'अवधारण का विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया है। परंतु निजी संस्थान अपने छात्रों से अधिक फीस वसूल रहे हैं। वे किसी मानदंड का पालन नहीं करते हैं। प्रो. यशपाल का कहना है कि "चूंकि फीस के निर्धारण के मानदंड बने हैं। बेमाने हैं अतः वसूल की जाने वाली फीस की मात्रा का कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं है" - यह विधेयक इस पहलू का उल्लेख करता है। आगे प्रो. यशपाल कहते हैं कि "राज्य उच्च शिक्षा के वित्तपोषण के अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकता है।" परंतु यह बात आइने की तरह साफ है कि सरकार नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करने से बच रही है। इस प्रकार शिक्षा क्षेत्र का निजीकरण आम बात हो गई है। समय बदल रहा है और निकट भविष्ट में वर्ष 2012 तक 2 लाख से अधिक छात्र उच्च शिक्षा हेतु अपना नामांकन कराएंगे। इसलिए, इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को प्रवेश दिलाने हेतु उपाय किए जाने चाहिए। चूंकि शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में है इसलिए, राज्य सरकार से भी परामर्श किया जाना चाहिए और उसे विश्वास में लेना चाहिए। मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हूं। हममें से कई सदस्यों को विधेयक के उपबंधों पर कतिपय आपत्तियां हैं। इसलिए, इस सभा में मैंने सभा के विचारार्थ अपने विचार रखे हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): सभापति महोदय, मैं जब इस बिल को अलग से देखता हूं तो लगता है कि इसमें इतना खतरा नहीं है। मंत्री जी ने खुद कहा है कि हमारे देश में शिक्षा में सुधार, संस्कार पैदा करना और उन्नति करने के लिए यह बिल लाया गया है और फारेन युनिवर्सिटी बिल और एन.सी.एच.ई.आर. बिल को भी इसके साथ जोड़कर देखना चाहिए। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो इस बिल में काफी खतरा दिखाई देता है। इस बिल के द्वारा शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण होने वाला है। लगता है कि आम जनता के लिए शिक्षा की व्यवस्था तो नहीं करेंगे, लेकिन उसका संहार करने के लिए जरूर साथ देंगे। यह जो ट्राइब्युनल्स बिल है, यह प्राइवेट जो कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार, दुर्नीति को रोकने के लिए है। मैं कहूंगा कि यह बिल माननीय मंत्री जी जो लाएं हैं, इसमें छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए कोई फीस नहीं होनी चाहिए क्योंकि 12 फीसदी जो छात्र उच्च-शिक्षण के लिए आते हैं, उसमें बी.पी.एल. के, आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र भी होते हैं और महंगाई के कारण, शिक्षा लेने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, जिसके कारण वे छात्र शिक्षा से दूर चले जाते हैं। इस कैटेगरी के छात्र जो भी ट्रिब्यूनल में आएं, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए।

क्लॉज-49 में आप देखिये, जिधर ओवर-राइटिंग अफैक्ट ऑफ द एक्ट लगाया है, उसमें ज़ब यह कानून लागू होगा तो कानून यहां राज करेगा लेकिन हर मामले में जब माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन्स की बात आ रही है, तो माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन का कानून उसके लिए राज करेगा। इन दोनों में अंतर आ रहा है। इस समस्या को भी आपको हल करना होगा। इसके लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा।

तीसरा, एक्सक्लूसिवनेस ऑफ दिस ट्रिब्यूनल एक्ट, इसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ट्रिब्यूनल में देखा है कि इसमें इतना डिले हो जाता है कि कभी अगर तत्काल किसी केस को करना होता है तो भी उसमें निर्णय नहीं हो पाता है, देर हो जाती है। अगर आप इसे एक्सक्लूसिव बना देंगे, कोर्ट जाने का किसी के लिए रास्ता रोक देंगे, तब भी यह नहीं हो पायेगा। ट्रिब्यूनल के अंदर भी आपको स्टे राईट होना चाहिए, जैसे कोर्ट दे सकता है। आप हमारे देश के बहुत बड़े और ईमानदार वकील हैं, आप मेरे से ज्यादा इसके बारे में जानते हैं, इसका फैसला भी ट्रिब्यूनल के अंदर होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम, मैं जोशीजी और इस सभा के उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है और जिन्होंने आज प्रस्तुत इस अति ऐतिहासिक विधान का समर्थन किया है।

[श्री कपिल सिब्बल]

हम सभा की सामूहिक बुद्धिमत्ता से सदैव ज्ञानार्जित होते हैं। सभा के माननीय सदस्य अनुभवी हैं और इसलिए जब वे माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष अपने विचार रखते हैं तो हम सचमुच धन्य हो जाते हैं। इसलिए मैं उन सभी विशिष्ट सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज इस वाद-विवाद को बहुमूल्य बनाया है और इस अति महत्वपूर्ण विधेयक के महत्व को और बढ़ाया है।

कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। सर्वप्रथम, परामर्श के बारे में मैं माननीय सदस्यों के संदेहों को दूर करूंगा, जब इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया था तो सभी राज्य सरकारों, राज्य सरकारों में सभी संबद्ध सचिवों को विधेयक की प्रति भेजी गई थी। हम ने उनकी ओर से टिप्पणियों की प्रतीक्षा की। तत्पश्चात, राज्य सरकारों के सभी संबद्ध सचिवों की दिल्ली में बैठक हुई थी। प्रत्येक सचिव ने अपने विचार रखे; जिसके बाद प्रस्तावित प्रारूप में कुछ संशोधन किए गए थे। उदाहरण के लिए, मूल अवधारण यह थी कि त्रिस्तरीय अधिकरण - एक जिला स्तर पर एक राज्य स्तर पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर - बनने चाहिएं। राज्य सचिवों ने बताया कि वास्तव में यह संभव नहीं था क्योंकि प्रत्येक जिले में अधिकरण स्थापित करने में काफी खर्चा होगा। इससे राज्य सरकारों पर अत्यधिक वित्तीय भार पड़ेगा। इसलिए, हमने केवल द्वि-स्तरीय अधिकरण - एक राज्य स्तर पर और एक केंद्रीय स्तर पर स्थापित करने का निर्णय लिया। कुछ राज्य सरकारों ने लिखित रूप में समर्थन किया परंतु अनेक राज्य सरकारों ने इस बारे में हमें नहीं लिखा। इसलिए, उन्होंने अपना औपचारिक समर्थन नहीं दिया। परंतु इन सभी बैठकों में उनमें से हर कोई उपस्थित था। वास्तव में, हमें किसी राज्य सरकार से विधेयक के बारे में नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

तत्पश्चात, सी.ए.बी.ई. समिति की बैठक हुई। सी.ए.बी.ई. समिति में पुनः इस विधेयक के मुद्दे पर चर्चा की गई। यह सर्वसम्मत संकल्प था। 19 मंत्री उपस्थित थे जिनमें से 6-7 प्रारंभिक शिक्षा मंत्री थे और शेष उच्च शिक्षा मंत्री थे। पुनः उनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं थी। फिर, स्थायी समिति ने एक नोटिस भेजा। तत्पश्चात अभ्यावेदन प्राप्त हुए। पुनः स्थायी समिति ने कुछ भी नकारात्मक नहीं था। इसलिए, यह कहना कि कोई परामर्श नहीं लिया गया, थोड़ा अनुचित लगता है।

याद रखें कि यह मेरा विचार नहीं था। यह 1986 की बात है जब शिक्षा नीति में यह आवश्यकता महसूस की गई थी। फिर 1992 में कार्य योजना दोहराई गई। 123वें विधि आयोग ने भी यह सुझाव दिया। फिर टी.एम.टी. पाई फाउंडेशन ने भी उच्चतम न्यायालय में यही सुझाव दिया। इसलिए यह विभिन्न क्षेत्रों की सामूहिक बुद्धिमत्ता है, जिससे अंततः यह कानून बना। इसलिए 24 वर्ष बीत जाने के बाद, यह कहना कि हमने किसी से परामर्श नहीं लिया है, थोड़ा अनुचित लगता है। मैं सर्वप्रथम यही बात कहना चाहता था।

दूसरी बात है कि कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा था कि कैसा अनुभव रहा है? स्थायी समिति स्वयं यह सुझाव देती है कि क्या हो रहा है। स्थायी समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 2 से मैं पढ़ रहा हूं। इसमें कहा गया है:

> "विभाग द्वारा साझा की गई सीमित जानकारी के अनुसार "केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से संबंधित 305 मामले केवल वर्ष 2009 में उच्च न्यायालयों में सम्मिलित थे जिसका मतलब है कि प्रति विश्वविद्यालय 28 मामले लम्बित पड़े हैं। इस दर से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अन्य न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर लगभग 15000 मामले केवल देश के उच्च न्यायालयों में लम्बित हो सकते हैं।"

आज यही स्थिति है जब हमारे पास 504 विश्वविद्यालय है और लगभग 26,000 महाविद्यालय हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब हमारे पास 800 विश्वविद्यालय और होंगे और 35000 अन्य महाविद्यालय होंगे तो क्या स्थिति होगी? इसलिए, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि प्रति राज्य एक अधिकरण पर्याप्त नहीं होगा। मैं इस पर विवाद करना नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि हम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं और इस कानून से अनुभव हासिल कर रहे हैं, हम अच्छी तरह कह सकते हैं कि राज्यों में एक से अधिक अधिकरण हों क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्य काफी बड़े है, और हो सकता है कि वहां मामलों की संख्या बहुत अधिक हो और एक से अधिक अधिकरण की जरूरत है और हम इस विचार के विरुद्ध नहीं हैं।

लेकिन हम प्रति राज्य एक अधिकरण से शुरुआत करते हैं। जब हमें अनुभव प्राप्त हो जाएगा हम आगे बढ़ेंगे।

एक अन्य प्रश्न पूछा गया था कि मौजूदा अधिकरणों

का अनुभव क्या है? वह भी स्थायी समिति की रिपोर्ट में प्रतिबिम्बित हो रहा है। पृष्ठ 3 में कहा गया है:

"उड़ीसा और गुजरात के शिक्षा अधिकरणों में मुकदमों की संख्या के बारे में मंत्रालय द्वारा आंकड़े एकत्र किए गए थे और उड़ीसा के राज्य शिक्षा अधिकरण 'उड़ीसा शिक्षा अधिनियम, 1969, की धारा 24(क) के अंतर्गत वर्ष 1974 से काम कर रहा है। इसके क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित मामले आते हैं।"

फिर, उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय के बारे में बात की और उन्होंने निष्कर्ष निकाला:

"जैसा कि देखा जा सकता है कि उपरोक्त अधिकरण का अधिकार क्षेत्र बहुत ही सीमित मुकदमे के संदर्भ में है। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य अधिकरण के दायरे में उन सभी संदर्भों को सम्मिलित करने का है जो मुकदमे से जुड़े हो सकते हैं जिसमें निजी संस्थाओं, छात्र-कर्मचारी और उनके प्रबंधन से जुड़े मामले हो सकते हैं और यह संख्या अभी की संख्या से कई गुणी ज्यादा हो सकती है।"

स्थायी समिति का यही निष्कर्ष है। अधिकांश अधिकरणों, विशेषकर उड़ीसा में स्थित अधिकरण, का अधिकार क्षेत्र सीमित है क्योंकि वह केवल अनुदानों से संबंधित मामले ही देखता है। यह अन्य मामलों को नहीं देखता है। इसलिए अधिकरण का अनुभव हमें प्राप्त है।

उस अधिकरण द्वारा कुछ सेवा संबंधी मामलों को भी देखा जाता है। इसलिए, मुख्य मुद्दा यह है कि राज्य अधिकरणों का अधिकार क्षेत्र सीमित है। शिक्षा क्षेत्र में बहुत विस्तार होने वाला है। इस क्षेत्र में नए स्टेकहोल्डर, नए लोग आने वाले हैं और सार्वजनिक-निजी भागीदार की शुरुआत होने वाली है, विदेशी संस्थान भी देश में आने वाले हैं। उन सभी संस्थाओं पर एक ही कानून लागू होगा।

उदाहरण के लिए कदाचार अधिनियम अब नए अधिनियम के रूप में आने वाला है जो लोक सभा में पेश होगा। इसलिए कदाचार से संबंधित सारे विवाद उस अधिकरण द्वारा निपटाए जाएंगे। छात्रों के विरुद्ध कदाचार उस अधिकरण में जाएंगे। कैपिटेशन फीस का मामला वही अधिकरण देखेगा। सभी विवाद अधिकरण में दाखिल किए जाएंगे। उन निजी संस्थाओं द्वारा जारी विज्ञापन जो शिक्षा प्रदान करने की वास्तविकताओं का पालन नहीं करते हैं यह कदाचार का मूल कारण है यह भी इस अधिकरण में आएंगे।

वास्तव में अगले विधेयक में इन अधिकरणों के विस्तार के बारे में जानकारी मिलेगी क्योंकि इस विधेयक में कदाचार को परिभाषित नहीं किया गया है। यही वह अधिनियम है जिसमें कदाचार को परिभाषित किया गया है। सभी प्रकार के कदाचार के मामले यहां सुने जाएंगे।

इसके बाद विदेशी शिक्षा प्रदाता आएंगे। यदि विदेशी शिक्षा संस्थाएं कदाचार में लिप्त पाई जाएंगी तो उन से संबंधित मुकदमे यहां सुने जाएंगे। वे इन अधिकरणों के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं होंगे। विदेशी शिक्षा संस्थाओं और हमारे शिक्षा संस्थाओं के बीच उत्पन्न विवाद; विनियामकों और विदेशी शिक्षा प्रदाताओं के बीच के विवाद भी इन्हीं अधिकरणों द्वारा निपटाए जाएंगे। फिर, विनियामक प्राधिकार द्वारा किसी संस्था के प्रत्यायन और उनसे संबंधित विवाद भी इन्हीं अधिकरणों में सुना जाएगा। इसलिए यही कानून है जिसमें अन्य सभी सह-कानून सम्मिलित हैं क्योंकि इस कानून में वे सभी कानून सम्मिलित हैं जिनके तहत सभी विवादों की सुनवाई होगी और निर्णय दिया जाता है और यही कारण है कि इस विधेयक को आज पारित किया जाना चाहिए। क्योंकि यह व्यापक विधेयक है जिसके तहत सभी प्रकार विवाद निपटाए जाएंगे। मैं इस विधेयक को पहले इस सभा के माननीय सदस्यों के बीच रखना चाहता हूं।

उठाये जाने वाला एक अन्य मुख्य मुद्दा 55 वर्ष के बाद लोगों को नियुक्त किए जाने से संबंधित है तथा यह एक गंभीर मुद्दा है। यदि लोग स्वयं थके हारे हो, सेवानिवृत्त हो चुके हो तो हम प्रभावी रूप से न्याय कैसे पा सकेंगे। इसी प्रश्न को सदस्यों ने उठाया है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आपके साथ कुछ विचारों पर चर्चा करना चाहता हूं और किसी समय इस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगा। आप 33 वर्ष की आयु को एक अधिकरण में कैसे रख सकते हैं जहां अधिकरण का कार्यकाल पांच वर्ष होता है? यदि वह एक एडवोकेट है तो वह अधिकरण का सदस्य नहीं होगा। अपना अच्छा कारोबार छोड़कर 35 वर्ष की आयु में वह अधिकरण में क्यों नियुक्त होगा और वहां 5 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद वह क्या करेगा? क्या वह 40 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएगा? इसलिए अपने जीवन के मध्यकाल में लोग अधिकरण में नियुक्त होना नहीं चाहेंगे। आपको लोग नहीं मिलेंगे। एक व्यक्ति जो शिक्षक है वह अधिकरण में नहीं आएगा। यदि वह शोध

[श्री कपिल सिब्बल]

कर रहा है तो क्या वह अधिकरण में नियुक्त होगा? उसे न्यायनिर्णयन में दिलचस्पी नहीं होगी। इसलिए अतः एक युवा व्यक्ति को अपने जीवन के मध्यकाल में अधिकरण के लिए प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा जिसका कार्यकाल केवल 5 वर्ष होगा। फिर क्या होगा? फिर आपको इसका दायरा बढ़ाना होगा? हम अपने आप से पूछें कि कौन अधिकरण में आना चाहेगा अधिकरण में आना कौन पसन्द करेगा? और कौन नौकरी बनाए रखना चाहेगा? आप अनुभव करेंगे कि केवल 55 वर्ष के आयु के लोग ही यहां आना चाहेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है क्योंकि हम युवा लोग चाहते हैं लेकिन युवा लोग कहां मिलेंगे? आपको युवा लोग कैसे मिलेंगे? क्या एक अभियंता जिसे शिक्षा के बारे में ज्ञात हो, अधिकरण में नियुक्त होना चाहेगा?

[हिन्दी]

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): आपने कहा कि 35 रखेंगे तो पांच वर्ष का टर्म होता है, 40 में रिटायर करेंगे। लेकिन 65 वर्ष आपने मिनिमम रखा और 70 वर्ष आपने मैक्सिमम किया है। इसमें 15 वर्ष का गैप दिया है, तो क्या आप यह मानकर चलते हैं कि 70 वर्ष तक ये काम करें?

श्री कपिल सिब्बल: नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें प्रैक्टिकल प्रॉबलम्स आएंगी, मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं, वह गलत कह रहे हैं। गलत या सही, यह अनुभव ही बताता है और अनुभव ने आज तक यही बताया है कि जहां मिड कोर्स चाहेंगे कि कोई यंग आदमी आए, वह नहीं आएगा। दूसरी बात, जो बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया,

[अनुवाद]

वह यह है कि राज्यों में 3 सदस्यीय अधिकरण ने - एक सदस्य न्यायिक क्षेत्र का, दूसरा प्रशासन से तथा तीसरा शिक्षा क्षेत्र से होगा। यदि न्यायिक सदस्य वहां उपस्थित नहीं होगा तो क्या होगा? आप सही हैं और मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका समाधान हमें खोजना है। लेकिन यह बहुत बिरल घटना होगी। यदि अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। वस्तुतः, आवश्यकता का सिद्धांत सदैव रहेगा। कभी कोई गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। लेकिन यदि हम राज्य अधिकरणों का विस्तार करते हैं जैसा कि हम एक साल के अंदर करना चाहते हैं तो यह समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी। हम इन समस्याओं से निपट लेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि उनका समाधान ढूंढा जाना चाहिए।

जहां तक अधिकरण के अधिकार क्षेत्र की बात है उनका इस अधिनियम के खंड 15 और खंड 31 में उल्लेख कर दिया गया है और वे अधिकार क्षेत्र पृथक-पृथक हैं। अधिकार क्षेत्र के बारे में कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। खंड 15 के अंतर्गत राज्य अधिकरणों का अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय अधिकरण के खंड 31 के अंतर्गत वर्णित अधिकार क्षेत्र से भिन्न है। इसलिए, किसी भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है।

[हिन्दी]

रघुवंश प्रसाद जी ने एक अच्छी बात उठाई कि 1986 से आज तक क्यों नहीं हुआ, मुरली मनोहर जोशी जी यहां बैठे हैं। इस सवाल का जवाब तो वे ही दे सकते हैं।...*(व्यवधान)* इस सवाल का जवाब मैं तो नहीं दे सकता हूं।

रात्रि 9.00 बजे

मैं तो आज यही कह सकता हूं कि आज सबने समझा है कि आज एक नए दौर की शुरुआत करने का वक्त आ गया है। इस वक्त को लाने के लिए हमें सबको इकट्ठा करना होगा। शिक्षा के संदर्भ में अगर विवाद पैदा होता है तो नुकसान बच्चे का होता है। हमने बच्चे का नुकसान नहीं करना है। हमें बच्चे का भविष्य बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। यह हमारा संकल्प है इसलिए विधेयक लाने की कोशिश की है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इसमें परिवर्तन भी होगा। हम चाहेंगे कि हो क्योंकि परिस्थितियां बदलेंगी और नए खिलाड़ी, लोग और स्टेक होल्डर्स आएंगे। हमारे सामने नई बातें आएंगी और हम परिवर्तन करेंगे। जब हिन्दुस्तान का संविधान बना था तब यह नहीं सोचा गया था कि 120-130 संशोधन होंगे।

[अनुवाद]

कोई भी दस्तावेज, कानून और संविधान जीवंत दस्तावेज है। यह मृत दस्तावेज नहीं हो सकता। यदि

यह स्थायी है, तो यह मृत दस्तावेज है। क्यों? इसका कारण यह है कि यह बदलती परिस्थितियों से नहीं निपट सकता। कानून में परिस्थितियों के अनुरूप अवश्य बदलाव होना चाहिए। एक स्थायी कानून कभी भी प्रभावी कानून नहीं हो सकता।

अब हम आगे चर्चा करें। हम यह ऐतिहासिक कदम उठाएं और जब इसमें बदलाव की जरूरत हो, तो हम आपकी सहमति और समर्थन से इसमें परिवर्तन करें।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि शिक्षकों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों तथा अन्य स्टेक होल्डरों (जिनमें छात्र, विश्वविद्यालय, संस्थाएं और कानूनी विनियामक प्राधिकरण भी सम्मिलित है) से अंतर्वलित विवादों के प्रभावी और शीघ्र न्यायनिर्णयन और उच्चतर शिक्षा में अऋजु आचरण में लिप्तता की शास्तियों के न्यायनिर्णयन के लिए शिक्षा अधिकरण की स्थापना करने तथा उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2 से 55

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 55 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 55 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी और जवाबदेही की अवधारणा नष्ट हो रही है, उसके चलते भ्रष्टाचार बुरी तरह से पनप रहा है। आज भ्रष्टाचार की गर्त में देश की सुरक्षा से लेकर विकास योजनाएं आ गई हैं। वास्तव में आज भ्रष्टाचार गंभीर राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की जाती है, वह काफी कम है। जांच एजेंसियों द्वारा जांच के बाद अभियोजन की अनुमति मांगी जाती है। मेरी सुनिश्चित जानकारी के अनुसार 2007, 2008 और 2009 पिछले तीन सालों में जो अनुमतियां मांगी गई थीं, उनमें 50 से अधिक मामलों में आज भी निर्णय लंबित है। इसके चलते कम से कम सौ से ऊपर सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है। यह स्थिति अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। इस स्थिति से भ्रष्टाचारियों को तात्कालिक रूप से राहत मिलती है। केंद्रीय संस्था आयोग, सैंट्रल विजिलेंस कमीशन ने निर्देश जारी किया है कि अभियोजन की अनुमति मांगी जाए और अगले तीन माह के अंदर निर्णय लिया जाए। लेकिन ऐसा न करके तीन वर्षों से मामले लंबित हैं जिसके कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। इससे सरकार की सुशासन की पारदर्शिता की मंशा खंडित हो रही है। ऐसी दशा में अभियोजन से संबंधित मामलों में असमान विलंब सरकार के सुशासन की पारदर्शिता को प्रभावित कर रहा है। मेरी अपील है कि जांच एजेंसियों द्वारा भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की अनुमति मांगी जा रही है, सरकार इस संबंध में विलंब करने के स्थान पर तात्कालिक रूप से निर्णय दे ताकि भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लग सके।

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): सभापति महोदय, वर्तमान में सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं हो पा रही है। जिसके कारण किसानों में तीव्र आक्रोश है। मध्य प्रदेश में बालाघाट और सिवनी धान उत्पादक जिले हैं। इन जिलों में धान की उन्नत खेती होती है। धान की खेती के लिए रासायनिक उर्वरक की नितान्त आवश्यकता होती है। इन जिलों में पर्याप्त उर्वरक, यूरिया और डी.ए.पी. नहीं होने के कारण किसानों में हाहाकार उत्पन्न हो गया है। किसान परेशान हैं, पर्याप्त मात्रा में उर्वरक नहीं मिलने से धान की पैदावार पर विपरीत असर पड़ेगा। वर्तमान में दोनों जिलों में पांच हजार मीट्रिक टन यूरिया तथा पांच हजार मीट्रिक टन डी.ए.पी. की तत्काल आवश्यकता है।

[श्री के.डी. देशमुख]

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन जिलों में रासायनिक खाद की पूर्ति कर किसानों की समस्या हल की जाए। अन्यथा किसान बर्बाद हो जायेंगे। उर्वरक की कमी के कारण नकली उर्वरकों की बाजार में बाढ़ आ गई है, जिसके कारण किसान लुट रहे हैं। इसलिए अमानक स्तर के उर्वरकों पर शीघ्र रोक लगाई जानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री ए. सम्पत (अटिंगल): सभापति महोदय, मैं मध्य पूर्व में खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासी कामगारों की दयनीय स्थिति के बारे में इस सम्माननीय सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पांच मिलियन से ज्यादा लोग इन देशों में काम कर रहे हैं, जिसमें से आधे से अधिक मेरे केरल राज्य से हैं। खाड़ी देशों में काम करने वाले अधिकांश लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वे कम वेतन वाली नौकरियों में लगे हुए हैं। वे श्रमिक शिविरों में रह रहे हैं, जहां पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं पेयजल आदि का अभाव है।

अब वहां स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। उनके पास आमोद-प्रमोद की सुविधाओं का अभाव है। वैश्विक मंदी के कारण श्रमिक शिविरों में रहने वाले अधिकांश भारतीय प्रवासी मजदूरों को पिछले कई महीनों से उनका वेतन नहीं दिया गया है। जिन्होंने काम छोड़ दिया है, उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। उनके शवों को भी वापस लाने में भी हमें कठिनाई आ रही है, जिन्हें उनके पैतृक स्थलों तक पहुंचाया जाना है। यह बहुत मुश्किल होता जा रहा है। चीन, फिलिपिंस, इन्डोनेशिया आदि सहित विश्व के अनेक देश अब अपने मिशनों की सेवाओं का उपयोग इन श्रमिक शिविरों की लगातार निगरानी के लिए कर रहे हैं और विभिन्न खाड़ी देशों के श्रम विभाग से संपर्क साधे हुए हैं।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह हमारे भारतीय दूतावासों और विदेश स्थित मिशनों की अच्छी सेवाओं का उपयोग करें और इन श्रमिक शिविरों में स्थिति की नियमित रूप से जांच करें। हमें विभिन्न खाड़ी के देशों के दौरे के लिए संयुक्त संसदीय समिति की सेवाओं का भी उपयोग करना चाहिए। गरीब भारतीय प्रवासी मजदूरों की रहने की स्थिति के ब्यौरे की जांच करनी चाहिए।

यद्यपि आज दिन समाप्त हो रहा है, मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार ही विगत वर्ष के दौरान इन खाड़ी देशों से भारतीय प्रवासी मजदूरों ने 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि देश में भेजी है। जब भारतीय प्रवासी मजदूरों द्वारा भेजे गए धन की बात आती है, तो हम खुश होते हैं, लेकिन जब उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान की बात आती है, तो हम एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनकी समस्याओं को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं।

इसलिए, मेरा नम्र निवेदन है कि हमारी आंखें हैं, लेकिन हम देख नहीं रहे हैं, हमारे कान हैं, लेकिन हम सुन नहीं रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इन समस्याओं को हल करे।

सभापति महोदय: इस मुद्दे पर श्री पी.के. बिजू को श्री सम्पत के सहबद्ध होने की अनुमति दी जा सकती है।

[हिन्दी]

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): अधिष्ठाता महोदय, शून्यकाल के तहत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को उठाने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान संविधान की उस धारा की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा, जिसके तहत दलित, कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को समतामूलक समाज की संरचना में भागीदारी करने के लिए विशेष तौर पर आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। माननीय राजीव गांधी जी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी आरक्षण को लागू करके महिलाओं, दलित, पिछड़ों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को समतामूलक समाज की संरचना के लिए भारत निर्माण की योजना के तहत लाने का एक प्रावधान रखा था। परन्तु आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुये जनपदों में घुमंतु, खानाबदोश, भूमिहीन, गृहविहीन उन जनजातियों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसे शिकारी, चिड़ीमार, बंजारा, चमरमंगता और दान्दी जनजातियां हैं जिन्हें अनुसूचित नहीं किया जा सका है। प्रदेश सरकारों की अवहेलना के तहत उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। यह अति महत्व का विषय है। उन जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल

करके उन्हें प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाये जिससे पूरे हिन्दुस्तान में समतामूलक समाज की संरचना की जा सके।

[अनुवाद]

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार तथा इस सभा का ध्यान भिखारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हाल ही में बेंगलुरु शहर में वहां के भिखारी पुनर्वास केन्द्र में समुचित सुविधाओं के अभाव के कारण 120 भिखारियों की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। वहां स्वास्थ्य सुविधाएं और खान-पान की सुविधा समुचित नहीं है तथा स्वच्छता का अभाव है और राज्य प्रशासन वहां पूरी तरह असफल है। अतः, इसके कारण अनेक भिखारियों ने पुनर्वास केंद्र छोड़ दिया था।

इस संबंध में, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह भिक्षुक पुनर्वास केंद्र में रहने लायक माहौल सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए।

श्री पी.के. धनपालन (चालाकुडी): महोदय, मैं जलमार्ग से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगा। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि वर्ष 1993 में भारत के तीसरे सबसे बड़े जलमार्ग, केरल में कोल्लम से कोट्टाप्पुरम का नामकरण राष्ट्रीय जलमार्ग-3 रख दिया गया है। इस मार्ग का विकास करने हेतु 124 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई थी जिसका राज्य सरकार द्वारा पूरा उपयोग नहीं किया गया है। परंतु सत्रह वर्ष बीतने के बाद भी इसमें कोई प्रगति हुई दिखाई नहीं देती है।

केंद्र सरकार को इस प्रतिष्ठित परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु कुछ पहल करनी चाहिए क्योंकि यह केरल में बड़ी संख्या में लोगों के लिए अति उपयोगी है। इस परियोजना को वास्तव में 20 नवंबर, 2007 में शुरू किया गया था और केवल एक औपचारिकता की गई थी और उसके बाद कोई प्रगति नहीं हुई है। इस परियोजना से पर्यटन केंद्र कार्यक्रम को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

आगामी पल्लरपदम कंटेनर परियोजना को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त विकास कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और इस परियोजना में अधिक रूचि लेने हेतु राज्य सरकार पर दबाव डालना चाहिए/को सलाह देनी चाहिए। यदि धनराशि की कोई कमी है, तो वह भी इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की जा सकती है।

सभापति महोदय: श्री चंद्रकांत खैरे बोलेंगे। श्री खैरे, आपका मामला न्यायालय के विचाराधीन है। अतः, मामले के उठाते समय सावधान रहिए।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बिना भगवान राम के हिन्दुस्तान का इतिहास अधूरा है। इस पर करोडों हिन्दुओं की आस्था जुड़ी हुई है। भगवान राम और राम जन्मभूमि से करोड़ों हिन्दुओं की सैंटिमैंट्स भी जुड़ी हुई है। साथ ही साथ अयोध्या में राम जन्मभूमि होने का सम्मान भी है। जहां भगवान राम ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में व्यापक बुराइयों का दमन किया, वहीं ऊंच-नीच को मिटाकर समरसता का पवित्र संदेश दिया। भगवान राम की भक्ति में लाखों संत, धर्माचार्य अपने घर और परिजनों से विरक्त होकर समाज कल्याणार्थ हेतु अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि पर एक दिव्य और भव्य मन्दिर का निर्माण न होना अपनी मूल संस्कृति से विस्मृत होना है।

महोदय, इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा। मेरा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि या तो इस संबंध में कानून बनाकर या हिन्दुओं को अधिकार देकर इस पवित्र स्थान पर मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। इस पवित्र काम में जितनी देर की जायेगी, उतनी ही समस्याएं ज्यादा बढ़ेंगी और वे गंभीर होती जायेंगी। अतः इस विषय का शीघ्र निबटारा करना चाहिए।...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में नहीं बनेगी तो कहां बनेगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): महोदय, शून्य काल के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री विश्व मोहन कुमार]

की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सुपौल जिला जो मेरे संसदीय क्षेत्र का हैड क्वार्टर है, उसमें कुनौली बाजार है। आजादी के बाद से उस बाजार में अभी तक एक भी व्यावसायिक बैंक नहीं खुला है। वहां पर बहुत ज्यादा व्यापारी रहते हैं। वहां पर करोड़ों का कारोबार होता है। वहां पर एस.एस.बी. का कैंप है, वहां पर गृह मंत्रालय का कार्यालय है, वहां पर कस्टम ऑफिस है। यह नेपाल से सटा हुआ है और वहां से मात्र 50 फीट पर नेपाल है। अभी तक वहां पर व्यावसायिक बैंक नहीं खुला है, वहां पर व्यावसायिक बैंक खोलना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां पर सरकारी बैंक खुले ताकि वहां पर लोगों का जो हजारों, करोड़ों रुपये का जो कारोबार है, वह सही सलामत रहे। इसकी बगल में 50 फीट पर जो नेपाल की सीमा है, वहां पर आप बिजली देख सकते हैं, लेकिन जो कुनौली बाजार है, वहां पर पोल गड़े हुए हैं, तार पड़े हुए हैं, लेकिन वहां अभी तक बिजली की सुविधा नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप केवल एक मामला उठा सकते हैं दो या तीन मामले नहीं।

[हिन्दी]

श्री विश्व मोहन कुमार: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वहां बिजली की सुविधा दी जाये।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए अनुमति प्रदान की है। मैं आपका ध्यान भारत सरकार की एक अधिसूचना जो 2 सितम्बर, 1999 की है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। वह वन और पर्यावरण मंत्रालय की है। उसमें कैरी बैग को बैन करने की बात कही गयी है। हमारी राजस्थान सरकार ने 1 अगस्त, 2010 से सभी तरह की प्लास्टिक थैलियां बैन कर दी हैं। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन वर्ष 1999 की अधिसूचना में कैरी बैग का जो डिजाइन दिया गया है, हम चाहते हैं कि केवल वह ही प्रतिबन्धित हो।

महोदय, इसमें समस्या क्या आयी है, अधिसूचना में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर कोई दूध को पैक करेगा, मिल्क को पैक करेगा, कोई ब्लड को पैक करेगा, कोई नर्सरी के पौधे को पैक करेगा तो ये उसमें अपवाद हैं। यह बात अधिकारी जनता को नहीं बता रहे हैं। मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। वहां सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि हमारे यहां पर पकौड़ी, कचौरी, दूध, चाट, रसगुल्ला, दाल इन्हें खाने वाले बहुत लोग हैं। वे सुबह-सुबह जाते हैं कि भाई साहब एक कचौरी देना, तो वह कचौरी तो कागज के लिफाफे में दे देगा, लेकिन वह चाट किसमें देगा। चाट कागज के लिफाफे में नहीं दी जा सकती है। कोई दो रसगुल्ले लेगा तो वह रसगुल्ले तो दे देगा, लेकिन अगर कोई उसका रस लेना चाहता है तो वह रस किसमें देगा। मेरा यह कहना है कि अगर कोई डोरी से बांधकर चाट देता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमारे यहां के मजदूरों के प्रतिनिधि मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि हम नौ बजे मजदूरी करने जाते हैं। हम दाल लेने जाते हैं तो वह कहते हैं कि नहीं, नहीं, आप इसे पैकिंग से पैक करके ले जाओ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप अपने मुद्दे पर आइए।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, मेरा यह कहना है कि वन और पर्यावरण मंत्री, भारत सरकार यह तय करें कि नियम लागू करते समय जो इनफोर्समेंट एजेंसी है, उसे अधिसूचना के अनुसार ही कार्यवाही हेतु पाबंद करें और उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे रोकें। यही मेरी भारत सरकार से मांग है।

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार): महोदय, मैं देश में कार्यरत चाय बागानों के लाखों श्रमिकों की दयनीय अवस्था के बारे में सदन को जानकारी देना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से विभागीय मंत्री का हस्तक्षेप भी चाहता हूं।

महोदय, मैं एक चाय मजदूर हूं और मैं चाय मजदूरों के द्वारा निर्वाचित हुआ हूं। चाय उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार देता है। इस उद्योग से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी सरकार को प्राप्त होती है। साथ ही साथ यह उद्योग पर्यावरण रक्षण में मदद देता है। चाय बागानों के मजदूरों की मजदूरी बहुत कम है। पश्चिम बंगाल में 67 रुपया है, असम में 68 रुपया है, तमिलनाडु में 84 रुपये से 94 रुपया है और केरला में 113 रुपया है, सब जगह विभिन्न तरह की मजदूरी है, यह बहुत कम है।

इसलिए हम लोगों ने वेज बोर्ड गठित करने की मांग की है। चाय बागान में जो कम मजदूरी दी जा रही है, उसको बढ़ाना है। कम मजदूरी के कारण इस बढ़ती हुई महंगाई में उनका जीवन कठिन हो गया है। मजदूरों को अधिक मजदूरी प्रदान करने के साथ-साथ सस्ते दामों में चावल और गेहूं उपलब्ध कराने का प्रावधान होना चाहिए। खाना पकाने के लिए भी लकड़ी जलावन के रूप में दी जा रही थी जो अभी बंद हो गया है। पर्यावरण रक्षा के लिए वन काटने में पाबंदी लगाने से मजदूरों को जलावन के बदले कोयला देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन कोयला उपलब्ध न होने से चाय बागान मजदूर परेशान हैं, चाय बागान के मजदूरों को पर्याप्त मात्रा में कैरोसीन भी नहीं मिलता है और बिजली भी वहां तक नहीं पहुंची है। चाय बागान के मजदूर दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं जहां सहजता से कोई सामान नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि विशेषकर असम और बंगाल के चाय बागानों में मजदूरों को सस्ते दामों पर एल.पी.जी. कनैक्शन दिया जाए। यही अनुरोध मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरूनेलवेली): सभापति महोदय, मैं अपने देश के किसानों के सामने आने वाली समस्या से संबंधित अविलंबनीय लोक महत्व के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहूंगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत ने बड़ी संख्या में भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी और कीटों द्वारा हमलों जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खामियाजा भुगता है। सरकार ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को मुआवजा और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऐसा उनको कृषि और कृषि जिन्सों का उत्पादन करने में निवेश करते रहने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। किसान अब भी प्रकृति के कोप का सामना कर रहे हैं और उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जाता है। यह बात पूरे देश पर लागू होती है।

तमिलनाडु में और विशेष रूप से तिरूनेलवेली जिले में कलाकाडु, वल्लीयूर, अंबासमुद्रम, अलंगुम और ननगुनेरी क्षेत्र पूरी तरह से कृषि उन्मुखी हैं। बड़ी संख्या में लोग खेती के काम में लगे हैं और वे मुख्यतः धान, गन्ने, केला रोपण, सब्जियों आदि की खेती करते हैं। कई अवसरों पर उनकी पर्याप्त रूप से पक चुकी और पैदावार तथा कटाई के लिए तैयार फसलें अचानक आए जोरदार चक्रवात के कारण नष्ट हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें रातोंरात भारी घाटा उठाना पड़ता है और वे अपनी बुआई की लागत तक वसूल नहीं कर पाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, किसान कर्ज के जाल में फंसने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

यद्यपि, सरकार बाढ़, सूखा और सुनामी के कारण नष्ट हुई फसलों के लिए मुआवज दे रही है, तथापि अधिकारी उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रहे हैं जिनकी फसलें चक्रवात से प्रभावित हुई हैं। यह भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है जिस पर किसानों का नियंत्रण नहीं है। क्योंकि इसके बारे में पहले से कुछ बताना कठिन है, अतः वे ऐसे नुकसान के लिए मुआवजा पाने के हकदार हैं। इस प्रकार के नुक्सान से संबंधित कागजात लंबे समय से तिरूनेलवेली के जिला कलेक्टर के पास लम्बित हैं। अधिकारी किसानों को मुआवजा राशि जारी करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि मौजूदा नियमों के अंतर्गत कोई विनिर्दिष्ट प्रावधान नहीं है।

इन परिस्थितियों के मद्देनजर, मैं सरकर से आग्रह करता हूं कि वह चक्रवात के कारण किसानों को हुए नुकसान को सम्मिलित करे और राष्ट्रीय आपदा एवं फसल सुरक्षा योजना के अंतर्गत उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी प्रदान करे तथा आवश्यक कार्रवाई करे।

[हिन्दी]

श्री देवराज सिंह पटेल (रीवा): माननीय सभापति जी, किसान हित में अपनी बात रखने के लिए आपने मुझे समय प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र रीवा, मध्य प्रदेश में केन्द्र सरकार एवं तीनों राज्य - मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के सहयोग से बन रही बाणसागर बहुद्देशीय जीवनदायिनी बृहद परियोजना की पूर्व नहर की नौवस्ता वितरक नहर से निकलने वाली सुमेदा और अतरौली माइनर नहरों से जे.पी. एसोसियेट्स के आवेदन पर क्रमशः सुमेदा का 749 हैक्टेयर तथा अतरौली का 51 हैक्टेयर, दोनों गांवों का कुल रकबा 800 हैक्टेयर यानी 2000 एकड़ कृषि भूमि को माइनिंग लीज क्षेत्र दर्शाकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई गांवों को सिंचाई से वंचित किया जा रहा है जबकि विभाग द्वारा उचित सर्वेक्षण पश्चात् नहर का एलाइनमैंट निर्धारित कर नहर हेतु भू-अर्जन का कार्य पूर्ण कर निविदा आमंत्रित कर नहर की खुदाई भी करा

[श्री देवराज सिंह पटेल]

दी गई है। जे.पी. एसोसियेट्स के द्वारा षड्यंत्रपूर्वक जल संसाधन विभाग को आवेदन देकर अपने प्रभाव एवं पैसे का उपयोग कर लीज क्षेत्र में फंस रही लगभग 200 मीटर लंबी कैनाल को मुद्दा बनाकर दोनों गांवों के पूरे रकबे को लीज क्षेत्र बताकर बाणसागर के अधिकारियों को अपने दबाव में लेकर झूठा प्रतिवेदन दिलाकर नौवस्ता डिस्ट्रीब्यूटरी का सात किलोमीटर नहर का एलाइनमैंट बदलवा दिया। जबकि जेपी सीमेंट की मात्र दो सौ मीटर लंबी जमीन ही नहर क्षेत्र से प्रभावित हो रही है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से सिर्फ उद्योगपति को एकतरफा लाभ पहुंचाने की नीयत से किसानों को भविष्य में होने वाले लाभ और देश में होने वाले कृषि उत्पादन को ध्यान में नहीं रखा गया है, जबकि परिवर्तित एलाइनमेंट का नक्शा जे.पी. सीमेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया। मेरी आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्व में निर्धारित रुकी हुई स्वीकृत नहर के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान देश के तमाम किसानों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आज पूरे देश में किसानों को जमीन का मालिकाना हक नहीं है। कहीं पर वह भूमिधर हैं, कहीं सीलधर हैं, कहीं जीवन एक है, कहीं जीवन दो हैं। प्रदेश सरकार जब भी चाहती हैं, विकास के नाम पर, योजना के नाम पर या पूंजीपतियों के नाम पर कोड़ियों के भाव जमीन अक्वायर करती हैं, जिससे पूरे देश में किसानों को जमीन अधिग्रहण के मामले में आक्रोश व्याप्त है, चाहे वह मथुरा हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे बंगाल हो, अभी मध्य प्रदेश के साथी बोल रहे थे, पूरे देश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इसी तरह मेरे संसदीय क्षेत्र अकबरपुर में भारतपुरवा फतेहपुर सरसौर का जो मजरा है, वहां पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस ट्रैनिंग सैंटर के नाम पर लगभग पूरे गांव की जमीन को अक्वायर कर लिया गया, जिनमें तीन-तीन फसलें होती थीं। एक साल से ज्यादा हो गया है, उन्हें मुआवजे की राशि नहीं बतायी गई है कि कितना मुआवजा मिलेगा। न राज्य सरकार और न ही केन्द्र सरकार के लोग बताते हैं कि यह उनकी तरफ से अक्वायर की गई है। सैन्टर वाले बताते हैं कि स्टेट की ओर से अक्वायर की गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उक्त जमीन पर तार खींचकर टावर बनाकर उनकी गृहीत जमीन को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस फोर्स के मना करने पर किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए हैं। उक्त जमीन कानपुर-इलाहाबाद नेशनल हाइवे पर है। जिसकी प्रति बीघा कीमत 20 लाख रुपये है, लेकिन उक्त जमीन को कोड़ियों के भाव लेकर किसानों को भूखों मरने को मजबूर कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार हिदायत दे कि जहां अनउपजाऊ जमीन को अक्वायर करके...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार जी के कथन के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

****श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट): सभापति महोदय, दिनाजपुर और सिलिगुड़ी जिलों के लोग पूर्णतः बस परिवहन पर निर्भर करते हैं। इन मार्गों पर बड़ी संख्या में सरकारी बसें, निजी बसें और मिनी बसें चलती हैं। जिस सड़क मार्ग पर वाहन चलते हैं उसमें से कुछ भाग राज्य राजमार्ग है और दूसरा भाग चार लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 है। इस बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने समाचारपत्रों में एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार इसने चार लेन वाले उस राजमार्ग का प्रयोग करने हेतु 19-8-2010 से पथकर संग्रहण प्रारंभ किया गया है। जिस दर पर पथकर एकत्रित किया जा रहा है वह भी काफी अधिक है। एक ओर पेट्रोल, डीजल और वाहनों के कल पुर्जों के मूल्य काफी तेजी से बढ़े हैं, रखरखाव की लागत में भी काफी वृद्धि हुई है और दूसरी ओर परिवहन वाहनों पर पथकर की उच्च दर लगाई गई है। यह हर किसी के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। बसों के मालिक अतिरिक्त भार यात्रियों पर डाल देंगे। इसलिए आपके माध्यम से मैं परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उनसे आग्रह

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

करना चाहता हूं कि वे तत्काल जिला प्राधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बस मालिकों और मजदूर संघों की बैठक बुलाएं। सभी पक्षों द्वारा एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये जायें ताकि पथकर को कम किया जा सके और संबंधित व्यक्तियों को कुछ राहत मिले। इस कर में पचास प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि जिले के यात्रियों और आम लोगों को मदद मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस सभा में लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय को उठाने दिया और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना में व्याप्त कमियों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। ये योजना विशेष रूप से जच्चा-बच्चा की सुरक्षा हेतु अस्पताल में डिलवरी हो, इसको प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना का हाल बेहाल है। सरकारी अस्पताल में प्रसव केन्द्र के बाहर सड़क पर ही महिलाएं बच्चे जनने को मजबूर हैं। रोज अखबारों में ये समाचार छपते हैं। यह हाल तब है, जबकि वहां की मुख्य मंत्री एक महिला है। सरकारी अस्पतालों में वही तबका जाता है, जो गरीब है। डिस्चार्ज होते समय जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत उन्हें जो धन मिलना चाहिए, वह धन उन्हें दिया नहीं जाता, बल्कि उनका अंगूठा लगा लिया जाता है और उस धनराशि की बंदर बांट वहां के डॉक्टर, नर्स तथा अन्य स्टॉफ के बीच में हो जाती है। बच्चा पैदा होता है तो उसकी सफाई नहीं होती, जब तक पैसा नहीं दे दिया जाता, तब तक बच्चा ऐसे ही पड़ा रहता है। इसलिए यह बहुत ही गंभीर समस्या है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गर्भावस्था कोई रोग नहीं है, फिर भी हर वर्ष गर्भावस्था, शिशु जन्म और असुरक्षित गर्भपात के कारण हजारों महिलाएं अकारण मौत की शिकार हो जाती हैं। विचलित कर देने वाली बात यह है कि मरने वाली इन महिलाओं की कोई गिनती नहीं होती है और कोई यह भी नहीं देखता कि इन्हें हुआ क्या है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस योजना की मोनिटरिंग की व्यवस्थाओं में आमूल-चूल परिवर्तन की सख्त आवश्यकता है। इस योजना का शत-प्रतिशत लाभ लाभार्थियों को पहुंचाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सरकार के कार्यक्रम की धज्जियां उड़ाने वाले डॉक्टर नर्स एवं अन्य स्टॉफ पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, नगर-नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, आज मैं उनका हो गया, जिनका कोई पहरेदार नहीं था। देश में जिस्म बेच कर पेट पालने वाली औरतों की संख्या लाखों में है। अब संस्कृति के प्रहार ने भारत की सांस्कृतिक गरिमा को रौंदते हुए उनके जीवन को जीने के लिए जिस्म बेचना उनकी जीवन शैली बनती जा रही है। समाज ने उनके दर्द को कभी महसूस नहीं किया। कभी वह घर की चारदीवारी में प्रताड़ित होती है तो कभी जीवन का आधार ढूंढते-ढूंढते उसकी जीवन रेखा उसे कोठे पर ले जाती है। अब तो आठ-दस-बारह वर्ष की बालाएं भी इस कचरे में शामिल होने के लिए बाध्य हो रही हैं। सामन्ती समाज की कोख से जिस्म बेचने की यह दुखांत गाथा का जन्म सामन्ती सोच का ही परिणाम है। लाखों की संख्या में आज उनके बच्चे अपने पिता का नाम नहीं बता सकते और दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों के समय संपूर्ण विश्व की अपसंस्कृति से पैदा होने वाली औरतें रूप के बाजार में सजी-संवरी उपस्थित होने वाली हैं। इससे समाज में एक अलग विकृति प्रभाव डालने वाली है। इतना ही नहीं, अब तो पत्र-पत्रिकाओं, महिला साहित्यकारों पर भी विश्वविद्यालय के कुलपति तक ने मर्यादाओं का हनन करना शुरू कर दिया है। संपूर्ण मानवता में विकृत सैक्स की अवधारणाएं उपस्थित हो रही हैं। भाई-बहन, पुत्र-पुत्री आदि के सामाजिक रिश्ते कलंकित किए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय यह है कि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जीवन जीने की सांस्कृतिक धरोहर को दफन कर रहा है। राजनेताओं का इस ओर आंख बंद करना घोर आपत्तिजनक है। समाज प्राकृतिक प्रदूषणों से कुछ समय तो जीवन जी सकता है, लेकिन इस सामाजिक प्रदूषण से उसका जीवन जीना असंभव है। भारत की आत्मा अगर दफन होती है तो शायद ही विश्व की सामाजिक संस्कृति बच पाएगी। भारत को बचाना केवल देश को ही बचाना नहीं है, बल्कि विश्व की संस्कृति को भी बचाना है।

मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि इस पनपती हुई विषैली फांस को उखाड़ फेंकें और जीवन की अमृत धारा की बहती नदी

[डॉ. भोला सिंह]

में डुबोकर उसे निर्मल चरित्र का स्वरूप प्रदान करें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री डी.वी. सदानन्द गौडा (उदूपी-चिकमगलूर): सभापति महोदय, मैं कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूं। यह काफी संवेदनशील विषय भी है। यदि इस पर सावधानीपूर्वक कार्यवाही नहीं की गई, तो निःसंदेह दोनों ही राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो जायेगी।

इस वर्ष कावेरी नदी बेसन में दक्षिण-पश्चिम मानसून बहुत ही कम रहा है। कर्नाटक के जलाशयों में जून माह में सामान्य का केवल 41 प्रतिशत मानसून था और जुलाई में सामान्य का केवल 54 प्रतिशत मानसून था। जून, जुलाई और 25 अगस्त तक कुल मानसून की मात्रा सामान्य की केवल 56 प्रतिशत थी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप शून्यकाल में भाषण नहीं दे सकते। आप संक्षेप में केवल कुछ मिनटों में बताईये कि आप सरकार से क्या चाहते हैं।

श्री डी.वी. सदानन्द गौडाः महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं कुछ बातों का उल्लेख करने के लिए केवल दो मिनट का समय लूंगा।

अब तक कर्नाटक ने अपने जलाशयों में से लगभग 22 टी.एम.सी. पानी रोक लिया है। अब तक, कावेरी बेसिन में दोनों राज्यों में कुल भंडारण की स्थिति यह है कि कर्नाटक में यह 60 टी.एम.सी. है और तमिलनाडु में 61 टी.एम.सी. है।

कतिपय वास्तविकताओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। तथ्यों पर ध्यान देते हुए, बेसिन राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वास्तविकताओं पर ध्यान देते हुए जल का बंटवारा समान रूप से करें जैसा कि वर्ष 2002-03 में किया गया था।

जल अधिकरण के अनुसार, अपने 5 फरवरी, 2007 के अंतिम आदेश में कहा था कि कर्नाटक की एकमात्र बाध्यता एक सामान्य वर्ष में 192 टी.एम.सी. पानी सुनिश्चित करना है। चूंकि इस वर्ष दक्षिण-पश्चिमी मानसून सामान्य से कम रहने के आसार हैं, अतः कर्नाटक सरकार तमिलनाडु के हिस्से का पानी जारी नहीं कर सकी थी। कर्नाटक सरकार इस वर्ष पहले ही अपने जलाशयों से तमिलनाडु के लिए 30 टी.एम.सी. पानी छोड़ चुकी है। मौसम के पूर्वानुमानों में बताया गया है कि सितंबर और अक्तूबर माह में अच्छी वर्षा होगी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप केवल वह बताईए कि आप सरकार से क्या चाहते हैं।

श्री डी.वी. सदानन्द गौडाः जल संसाधन सचिव की अध्यक्षता में हुई कावेरी निगरानी प्रकोष्ठ की 24 अगस्त, 2010 की बैठक के दौरान तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों ने कावेरी बेसिन से और पानी छोड़ने के लिए कर्नाटक सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून से कम वर्षा होने और जलाशयों में कम पानी आने के कारण, कर्नाटक सरकार द्वारा इस समय तमिलनाडु के लिए और पानी छोड़ना कठिन है। अतः, मैं केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से इस कठिनाई के समय में सहयोग करने का अनुरोध करता हूं और फिलहाल कुछ समय के लिये तमिलनाडु सरकार को कर्नाटक के साथ सहयोग करने का अनुदेश दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी घटना, जो एक समस्या बन गई है, की ओर दिलाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों मलेरिया और डायरिया से अनेक मौतें हुई हैं। स्वयं मेरे संसदीय क्षेत्र नरसिंहपुर (होशंगाबाद) में 5-6 लोगों की जानें गई हैं। सोहागपुर एवं पिपरिया के पास मलेरिया और डायरिया का भीषण प्रकोप है। प्रशासन इसे सामान्य मौत बताकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून और व्यवस्था भगवान भरोसे छोड़ कर पूजा-पाठ में लगे हैं। वे केवल भाषणबाजी कर रहे हैं। धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। गांव में बीमारी से लोग मर रहे हैं। भोपाल शहर में दिन-दहाड़े करोड़ों रुपये की लूट होती है, अनेक शहरों में लूट एवं हत्याएं हो रही हैं और प्रशासन मूकदर्शक बना है।

आपके माध्यम से प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केन्द्र से कड़ी चेतावनी

जानी चाहिए कि वह गरीबों और किसानों का ख्याल रखे, व्यापारियों की सुरक्षा की व्यवस्था करे, महिलाओं की आबरू बचाए, भूख और गन्दे पानी से छोटे बच्चों की होने वाली मौतों को रोके।

मध्य प्रदेश की सरकार अक्षम साबित हो रही है। उसे समय पर जगाना जरूरी है, अन्यथा प्रदेश के निवासियों को गर्त में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इससे सारे अखबार रंगे हुए हैं। पत्रिका में...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब श्री सी. शिवासामी।

***श्री सी. शिवासामी** (तिरूपुर): सभापति महोदय, मुझे मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तिरूपुर, जहां लोगों को मनपसंद केबल कनेक्शन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, से संबंधित एक अविलंबनीय लोकमहत्व का मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

टेलीविजन चैनलों और उनके कार्यक्रमों से लोग दुनियाभर में हो रही घटनाओं की तुरंत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 'मल्टी सिस्टम ऑपरेटरर्स (एम.एस.ओ.) टी.वी. चैनलों के संकेत 'डाउनलिंक' करते हैं और केबल के जरिए स्थानीय रूप से वितरित करते हैं। उनके जरिए ही लोगों के घरों में उनका मनपसंद केबल कनेक्शन पहुंचता है और वे टी.वी. चैनलों से नवीनतम समाचार प्राप्त करते हैं जोकि उनके लिए दुनिया के आईने की भांति होता है। एम.एस.ओ. एक नियंत्रण कक्ष की भांति है और केबल संचालन वहीं से होता है। तमिलनाडु में अनेक एम.एस.ओ. हैं और ऐसे सैंकड़ों एम.एस.ओ. में से तिरूपुर केबल विजन भी ऐसा एक है जो मेरे तिरूपुर निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत है और मैं बताना चाहता हूं कि इनमें से अनेक एम.एस.ओ. स्टार टी.वी., सोनी टी.वी., सन टी.वी. और के.टी.वी. के संकेत प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। यहां तक कि कतिपय आपरेटरों के एकाधिकार के कारण तमिलनाडु सरकार द्वारा संचालित एम.एस.ओ. को भी ये संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अपनी टी.आर.पी. टेरिंग बढ़ाने के लिए वे सुमंगली केबल विजन जैसे एम.एस.ओ. को अनुमति और अधिकार दे देते हैं जोकि सन टी.वी. समूह का भाग है। 'ये चैनल' अधिकार केवल चुनिंदा चैनलों को दिए जाते हैं जिससे अनेक एम.एस.ओ. वंचित रह जाते हैं यद्यपि वे देश के कानून के अनुसार आई हैं। हमारे देश में अनेक टेलीविजन चैनल हैं, अनेक राजनैतिक दल हैं और विभिन्न समाचार और समाचार पत्रों के दृष्टिकोण हैं। लेकिन तमिलनाडु में ऐसी स्थिति है जो केवल सुमंगली केबल विजन को बढ़ावा देती और बने रहने की अनुमति देती है मानो यह एकाधिकार की स्थिति है। इससे अन्य एम.एस.ओ. के वैधानिक अधिकार और जीविका प्रभावित होती है जो अपना व्यवसाय लाभप्रद ढंग से नहीं चला सकते।

कोयंबतूर के जिला कलेक्टर ने 23-10-2003 को एक बैठक बुलाई थी जिसमें स्टार टी.वी., सोनी टी.वी., सन टी.वी. और सभी एम.एस.ओ. के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विचार-विमर्श के पश्चात्, जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया कि सभी 'पे चैनल' सभी एम.एस.ओ. को उपलब्ध कराए जाएं। इन सभी वर्षों में इन आदेशों का उल्लंघन होता रहा है। तमिलनाडु सरकार के एम.एस.ओ. को भी ये 'पे चैनल' आज तक प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तमिलनाडु में सन. टी.वी. एकाधिकारिक रूप से कार्य कर रहा है क्योंकि यह केवल सुमंगली केवल विजन का पक्ष लेता है। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें लोग अपनी पसंद का टी.वी. चैनल को देखने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित रह जाते हैं।

अतः, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से इस पर ध्यान देने और व्यापक वितरण तथा लोगों को उनकी पसंद के चैनल देखने के लिए स्टार टी.वी., सोनी टी.वी., सन टी.वी. जैसे 'पे चैनलों' से उनके संकेत तमिलनाडु में सभी एम.एस.ओ. को उपलब्ध कराने के लिए उचित अनुदेश जारी करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: सभा कल, 27 अगस्त, 2010 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 9.43 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	डा. रतन सिंह अजनाला	421
2.	श्री पोन्नम प्रभाकर	422
3.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	423
4.	श्री मनीष तिवारी	424
5.	श्री विलास मुत्तेमवार श्री प्रबोध पांडा	425
6.	श्री रवनीत सिंह श्री अनंत कुमार हेगड़े	426
7.	श्री सुशील कुमार सिंह	427
8.	श्री थांगसो बाइते	428
9.	श्री यशवंत लागुरी श्री राजू शेट्टी	429
10.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा श्री एस. अलागिरी	430
11.	श्री भूदेव चौधरी	431
12.	श्री एम.आई. शानवास	432
13.	श्री आनंदराव अडसुल श्री धर्मेन्द्र यादव	433
14.	श्री यशवंत सिन्हा	434
15.	श्री नारनभाई कछाड़िया	435
16.	शेख सैदुल हक	436
17.	श्री हरिन पाठक	437
18.	श्री शत्रुघ्न सिन्हा	438
19.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	439
20.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन श्री जगदीश ठाकोर	440

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	4833, 4991, 5023
2.	आधि शंकर, श्री	4853
3.	अडसुल, श्री आनंदराव	4955, 5003, 5038
4.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	4839, 5008
5.	अग्रवाल, श्री राजेन्द्र	4849
6.	अहीर, श्री हंसराज गं.	4831
7.	अजनाला, डा. रतन सिंह	4982
8.	आनंदन, श्री एम.	4924
9.	अंगड़ी, श्री सुरेश	4917
10.	एंटोनी, श्री एंटो	4896
11.	अनुरागी, श्री घनश्याम	4927
12.	अर्गल, श्री अशोक	4829, 4996
13.	आवले, श्री जयवंत गंगारम	4884, 5053
14.	बाबर, श्री गजानन ध.	4955, 5003, 5038
15.	बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर	4900
16.	बहुगुणा, श्री विजय	4918
17.	बाजवा, श्री प्रताप सिंह	4947

1	2	3
18.	बलीराम, डॉ.	4902, 4997
19.	बलराम, श्री पी.	4882
20.	बर्क, डॉ. शफीकुर्रहमान	4859
21.	बासके, श्री पुलीन बिहारी	4963
22.	बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई	4908
23.	भगत, श्री सुदर्शन	5045
24.	भोई, श्री संजय	4912, 5024
25.	बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह	4837, 5025
26.	चांग, श्री सी.एम.	4865, 4984
27.	चौधरी, श्री हरीश	4851, 5046
28.	चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.	4974
29.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	4869, 4985
30.	चौधरी, श्री भूदेव	5001
31.	चौधरी, श्री अधीर	4926
32.	दास, श्री राम सुन्दर	5004
33.	दासमुंशी, श्रीमती दीपा	4962
34.	देवरा, श्री मिलिंद	4825, 4968
35.	देवी, श्रीमती रमा	4951
36.	धनपालन, श्री के.पी.	4952
37.	धोत्रे, श्री संजय	4921, 5012
38.	ध्रुवनारायण, श्री आर.	4852
39.	दुबे, श्री निशिकांत	4967, 5042
40.	दत्त, श्रीमती प्रिया	4847
41.	इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.	4854
42.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	4876, 5021
43.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	4950

1	2	3
44.	गांधी, श्रीमती मेनका	4961
45.	गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल	4889, 5018
46.	गणेशमूर्ति, श्री ए.	4924
47.	गौडा, श्री शिवराम	4941
48.	गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे	4906, 4994
49.	गुड्डू, श्री प्रेमचन्द	4850
50.	गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर	4880, 4887, 4998
51.	जगन्नाथ, डॉ. मन्दा	4945, 5030
52.	जाखड़, श्री बद्रीराम	4845, 4973
53.	जरदोश, श्रीमती दर्शना	4882, 4989
54.	जावले, श्री हरिभाऊ	4957
55.	जयाप्रदा, श्रीमती	4934, 5016
56.	जेना, श्री मोहन	4907
57.	जेयदुरई, श्री एस.आर.	4906, 4934, 4994
58.	जिन्दल, श्री नवीन	4958
59.	जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	4930
60.	जोशी, श्री प्रहलाद	5048
61.	जूदेव, श्री दिलीप सिंह	4856, 4976
62.	कछाड़िया, श्री नारनभाई	4974
63.	कस्वां, श्री राम सिंह	48040, 5039
64.	खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील	4950
65.	कोड़ा, श्री मधु	4935
66.	कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी	4870, 5010

1	2	3
67.	कृष्णास्वामी, श्री एम.	4929, 5017
68.	कुमार, श्री कौशलेन्द्र	4872
69.	कुमार, श्री विश्व मोहन	4848, 4993, 5003, 5016
70.	कुमार, श्री पी.	4834, 4977
71.	लागुरी, श्री यशवंत	5048
72.	लिंगम, श्री पी.	4987
73.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	4999
74.	महन्त, डॉ. चरण दास	4897, 5023
75.	महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद	4922
76.	माझी, श्री प्रदीप	4878, 5034
77.	मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह	4867, 5036
78.	मणि, श्री जोस के.	4904
79.	मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल	4953
80.	मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड	5011
81.	मेघवाल, श्री अर्जुन राम	4898, 5033
82.	मेघवाल, श्री भरत राम	4830
83.	मिश्रा, श्री महाबल	4913
84.	मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद	4894, 5049
85.	मित्रा, श्री सोमेन	4857
86.	मुंडे, श्री गोपीनाथ	4883, 5040
87.	मुत्तेमवार, श्री विलास	4990
88.	नागपाल, श्री देवेन्द्र	4915
89.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	5018
90.	नाईक, डॉ. संजीव गणेश	4858, 4919, 4978, 4992
91.	नामधारी, श्री इन्दर सिंह	4887
92.	नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप	4911
93.	निरूपम, श्री संजय	4885
94.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	4838, 5031, 5041
95.	पक्कीरप्पा, श्री एस.	4836, 4970
96.	पांडा, श्री वैजयंत	4890, 5022
97.	पांडा, श्री प्रबोध	4987
98.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	4899, 4993
99.	परांजपे, श्री आनंद प्रकाश	4946, 5020
100.	पासवान, श्री कमलेश	4999
101.	पाटिल, श्री सी.आर.	4886, 4988
102.	पटेल, श्री देवजी एम.	4956, 5008
103.	पटेल, श्री आर.के. सिंह	4842, 4993, 5008, 5014
104.	पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन	4874
105.	पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई	4861, 4934
106.	पाठक, श्री हरिन	5006
107.	पाटील, श्री संजय दिना	4868, 4992
108.	पाटील, श्री ए.टी. नाना	4895, 5018
109.	पटले, श्रीमती कमला देवी	4844
110.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	4882
111.	प्रधान, श्री नित्यानंद	5022
112.	पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र	4901
113.	रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई	4959, 5000
114.	राघवन, श्री एम.के.	4881, 5035
115.	रहमान, श्री अब्दुल	4994
116.	राय, श्री प्रेम दास	4966

1	2	3
117.	राजगोपाल, श्री एल.	4947, 4879
118.	राजभर, श्री रमाशंकर	4910, 5007
119.	राजेन्द्रन, श्री सी.	4891
120.	राजेश, श्री एम.बी.	4932
121.	राम, श्री पूर्णमासी	4920
122.	रामकिशुन, श्री	4832, 5032
123.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	4909
124.	राणे, श्री निलेश नारायण	4863, 4980
125.	राव, श्री नाना नागेश्वर	4954, 5037, 5045
126.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	4938, 4992
127.	राठवा, श्री रामसिंह	4828, 5020
128.	रावत, श्री अशोक कुमार	4925, 5015
129.	राय, श्री रूद्रमाधव	4860, 4890, 5013
130.	रेड्डी, श्री के.आर.जी.	4841, 4882, 4972
131.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	4944
132.	रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	4931
133.	सेम्मलई, श्री एस.	4827, 4937
134.	सचान, श्री राकेश	4960
135.	सरोज, श्रीमती सुशीला	4826, 4969
136.	सरोज, श्री तूफानी	4903, 5027
137.	सेठी, श्री अर्जुन चरण	4877
138.	शासनवास, श्री एम.आई.	5002
139.	शांता, श्रीमती जे.	5043
140.	शर्मा, श्री जगदीश	4922

1	2	3
141.	शेटकर, श्री सुरेश कुमार	4882
142.	शेट्टी, श्री राजू	5005
143.	शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश	4921, 5012
144.	शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव	4995
145.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	4925, 4939
146.	सिंह, श्री भूपेन्द्र	4873, 4986
147.	सिंह, श्री गणेश	4866, 5048
148.	सिंह, श्री इज्यराज	4851
149.	सिंह, श्री जगदानंद	4937
150.	सिंह, श्रीमती मीना	4933
151.	सिंह, श्री प्रदीप कुमार	5045
152.	सिंह, श्री राधा मोहन	4871, 5028
153.	सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद	4892, 4916
154.	सिंह, श्री राकेश	4889
155.	सिंह, श्री रवनीत	4971
156.	सिंह, श्री उदय	4893
157.	सिंह, श्री धनंजय	4948, 5031
158.	सिंह, श्री रेवती रमन	4936
159.	सिंह, श्री राधे मोहन	4965
160.	सिंह, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन	4922
161.	सिंह, श्री उदय प्रताप	4855, 4975
162.	सिंह, श्री उमाशंकर	4892
163.	सिंह, डॉ. संजय	5046
164.	सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण	4920, 5009
165.	सिन्हा, श्री शत्रुघ्न	5052

1	2	3
166.	सिरिसिल्ला, श्री राजय्या	4882, 4928
167.	सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई	4943, 5029
168.	सुधाकरण, श्री के.	5047
169.	सुगावनम, श्री ई.जी.	4836, 5030
170.	सुगुमार, श्री के.	4940, 5050
171.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	4858, 4919, 4992
172.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	4835, 4981
173.	टैगोर, श्री मानिक	4924
174.	टन्डन, श्रीमती अन्नू	4964
175.	टन्डन, श्री लालजी	4888
176.	तिवारी, श्री मनीष	4914
177.	ठाकोर, श्री जगदीश	4843, 4999
178.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	4824
179.	थामराईसेलवन, श्री आर.	4864, 4983, 5003

1	2	3
180.	थरूर, डॉ. शशी	4905
181.	तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल	5004, 5051
182.	तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह	5049
183.	वर्धन, श्री हर्ष	4922, 4923
184.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	5000
185.	वेणुगोपाल, श्री के.सी.	4949
186.	वर्मा, श्री सज्जन	4875
187.	विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच.	5044
188.	विश्वनाथन, श्री पी.	4862, 4921, 4979, 5012
189.	यादव, श्री धर्मेन्द्र	5003 5016, 5019
190.	यादव, प्रो. रंजन प्रसाद	4846, 5026
191.	यादव, श्री हुक्मदेव नारायण	4942
192.	यास्खी, श्री मधु गौड	4950

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	
नागर विमानन	:	421, 424, 431, 432, 435, 438
कॉर्पोरेट कार्य	:	427
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
विधि और न्याय	:	436
अल्पसंख्यक कार्य	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	423, 430, 434
रेल	:	428, 429, 437
इस्पात	:	425
वस्त्र मंत्रालय	:	422, 426, 433, 439, 440

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	4833, 4874, 4875, 4889, 4904, 4920, 4923, 4930, 4947, 4948, 4950, 4957, 4972, 5020, 5024, 5042, 5051
नागर विमानन	:	4825, 4828, 4829, 4835, 4846, 4847, 4854, 4856, 4865, 4869, 4878, 4883, 4885, 4905, 4918, 4924, 4941, 4952, 4985, 4987, 4988, 4990, 4996, 5001, 5009, 5011, 5012, 5017, 5018, 5023, 5026, 5037, 5045, 5047, 5049, 5050, 5053
कॉर्पोरेट कार्य	:	4855, 4876, 4953, 4975, 5013, 5046
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	4843, 4925, 4966, 5022
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	4827, 4867, 4903, 4929, 4944, 4995, 5008, 5043, 5048
विधि और न्याय	:	4838, 4839, 4844, 4872, 4880, 4882, 4887, 4892, 4893, 4902, 4910, 4914, 4919, 4945, 4946, 4958, 4968, 4983, 4991, 4992, 4999, 5041, 5044, 5052
अल्पसंख्यक कार्य	:	4837, 4866, 4937, 4973, 5004, 5031

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	4830, 4832, 4841, 4845, 4848, 4857, 4870, 4873, 4886, 4895, 4909, 4911, 4913, 4922, 4926, 4928, 4936, 4938, 4939, 4940, 4942, 4955, 4959, 5000, 5002, 5021, 5028, 5034, 5038
रेल	:	4824, 4826, 4834, 4840, 4842, 4849, 4850, 4851, 4852, 4858, 4859, 4860, 4861, 4863, 4864, 4868, 4871, 4877, 4879, 4881, 4884, 4888, 4890, 4891, 4894, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4906, 4915, 4916, 4917, 4921, 4927, 4931, 4932, 4933, 4934, 4935, 4943, 4949, 4951, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4967, 4969, 4970, 4971, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4984, 4986, 4989, 4993, 4997, 4998, 5003, 5005, 5006, 5007, 5014, 5019, 5025, 5027, 5029, 5030, 5032, 5035, 5036, 5039, 5040
इस्पात	:	4853, 4908, 4912, 4956, 4974, 4976, 5033
वस्त्र मंत्रालय	:	4831, 4836, 4862, 4907, 4954, 4960, 4994, 5010, 5015, 5016.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

http://www.Loksabha.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/12/23/2010 (एन.)
230

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, द्वारा मुद्रित।